पंचदश माला, खंड 35, अंक 14

मंगलवार, 27 अगस्त, 2013
5 भाद्रपद, 1935 (शक)

27 अगस्त 2013

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debate...
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 89
Dated 12 SEPT 2016

(खंड 35 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

कीर्ति यादव
सम्पादक

उमेश कुमार
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 35, चौदहवां सत्र, 2013/1935 (शक)]

अंक 14, मंगलवार, 27 अगस्त, 2013/5 भाद्रपद, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
पपुआ न्यू गिनी के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	3-30
*तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 244	3-30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	33
तारांकित प्रश्न संख्या 245 से 256 और 258 से 260	33-89
अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2775, 2777 से 2805, 2807 से 2944, 2946 से 2960 और 2962 से 2990	89-680
सभा पटल पर रखे गए पत्र	680-697
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	697
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	698
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	698
विवरण	698
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	699
विवरण	699
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	700
(एक) 38वां प्रतिवेदन	701
(दो) विवरण	701
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	701
198में से 200वां प्रतिवेदन	701-702
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	702
(एक) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
कुमारी सैलजा	702-703

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित चिह्न + इस बात का द्योतम है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(दो) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

प्रो. के.वी. थॉमस 703

(तीन) रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 25वें और 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री श्रीकांत जेना 704

(चार) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन 704-705

(पांच) (क) कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री तारिक अनवर 707

(ख) कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री तारिक अनवर 708

"चंडीगढ़ कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें" के बारे में दिनांक 06.08.2013 के तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण 706

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

(एक) लोक सभा की बैठकों का समय बढ़ाया जाना 709

(दो) देश की आर्थिक स्थिति 735

नियम 377 के अधीन मामले 718

(एक) देश में आयातित सिल्क धागों पर मूल्यवर्धित का (वैट) में बढ़ोत्तरी समाप्त किए जाने तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 719

(दो) देश में विशेषकर राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों के लिए बैंक में बिना किसी कठिनाई के जीरो बैलेंस बचत खाता खोले जाने की आवश्यकता

श्री इज्यराज सिंह 719-720

(तीन) असम में लुम्डिंग से बदरपुर तक रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य 720

विषय	कॉलम
(चार) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों को स्थायी कर्मचारी बनाए जाने तथा उनके मानदेय में भी वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
श्री एंटो एंटोनी	720-721
(पांच) कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता	
श्री आर. ध्रुवनारायण	721-722
(छह) उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	722
(सात) नमक उद्योग में कार्यरत कामगारों के कल्याण हेतु बनायी गई योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने संबंधी गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री नरेनभाई काछादिया	722-723
(आठ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में फसलों और वनों को आग से बचाने के लिए गार्ड और फायर वॉचर नियुक्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री अनुराग सिंह ठाकुर	723
(नौ) बिहार में पर्याप्त समय से लंबित विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री राधा मोहन सिंह	723-724
(दस) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिराथू, भरवाड़ी तथा मनौरी रेलवे स्टेशनों पर महानन्दा एक्सप्रेस (ट्रेन सं. 15483/84), कालका मेल (ट्रेन सं. 12311/12), सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस (ट्रेन सं. 12987/88) तथा मूरी-अमृतसर एक्सप्रेस (ट्रेन सं. 18601) का ठहराव प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	724
(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
डॉ. बलीराम	725
(बारह) तमिलनाडु में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का विकास किए जाने और इसे बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अब्दुल रहमान	726
(तेरह) बाजार में उचित दामों पर जेनेरिक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने तथा औषध निर्माताओं से उनकी सीधी सरकारी खरीद किए जाने की आवश्यकता	
श्री रूद्रमाधव राय	726-727
(चौदह) महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त सुविधाओं का विकास किए जाने की आवश्यकता	
श्री चंद्रकांत खैरे	727

विषय	कॉलम
(पंद्रह) बिहार में बक्सर को आकर्षक पर्यटक स्थल बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री जगदानंद सिंह	728
(सोलह) तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. लिंगम	728–729
(सत्रह) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जिन किसानों को 'वेट-ड्रॉट' के कारण फसलों की हानि हुई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री बलीराम जाधव	729
नियम 193 के अधीन चर्चा	736
देश की आर्थिक स्थिति	736
श्री गुरुदास दासगुप्त	736–748
श्री भक्त चरण दास	748–753
श्री यशवंत सिन्हा	753–756
श्री शैलेन्द्र कुमार	756–767
डॉ. बलीराम	767–769
श्री शरद यादव	769–772
प्रो. सौगत राय	772–778
श्री टी.के.एस. इलेंगोवन	778–781
श्री खगेन दास	781–785
श्री वैजयंत पांडा	785
डॉ. एम. तम्बिदुरई	785–794
श्री आनंदराव अडसुल	794–796
श्री नामा नागेश्वर राव	798
श्री संजय सिंह चौहान	798–799
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार	799–800
श्रीमती पुतुल कुमारी	800–802
डॉ. तरूण मंडल	802–803
श्री अजय कुमार	803–804
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	804–806
श्री पी. चिदम्बरम	806–820

विषय	कॉलम

कार्य मंत्रणा समिति 796

51वां प्रतिवेदन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 820

विचार करने के लिए प्रस्ताव 820

श्री पी. चिदम्बरम 825

शेख सैदुल हक 821-825

श्री निशिकांत दुबे 827-832

श्री सतपाल महाराज 832-833

श्री शैलेन्द्र कुमार 833-834

श्री धनंजय सिंह 834-835

श्री विश्व मोहन कुमार 835

श्री भर्तृहरि महताब 836-837

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह 837-840

खंड 2, 3 और 1 841

पारित करने के लिए प्रस्ताव 841

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका 865-866

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका 866-874

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका 875

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका 876

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री सतपाल महाराज
श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

मंगलवार, 27 अगस्त 2013/5 भाद्रपद, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

पपुआ न्यू गिनी के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से और अपनी ओर से, हमारे सममानित अतिथियों के रूप में भारत दौरे पर आये पपुआ न्यू गिनी की संसद के स्पीकर, महामहिम श्री थियोडोर ज्यूरेन्योक और पपुआ न्यू गिनी के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का सहर्ष स्वागत करती हूं।

वे भारत में सोमवार, 26 अगस्त, 2013 को आये। वे अभी विशेष कक्ष में बैठे हैं।

माननीय सदस्यों, भारत-पपुआ न्यू गिनी के बीच मधुर और, मित्रवत संबंध हैं। ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों जिसमें राष्ट्रमण्डल, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन और संयुक्त राष्ट्र संघ शामिल हैं, में घनिष्ठ सहयोग करते रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस दौरे से लोगों के बीच सम्पर्क और बढ़ेगा। और हमारे दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध और सुदृढ़ होंगे।

हम कामना करते हैं कि पपुआ न्यू गिनी के संसदीय शिष्टमण्डल का हमारे देश में प्रवास सुखद और सफल हो। हम उनके माध्यम से, पपुआ न्यू गिनी की संसद, सरकार और वहां के मित्रवत लोगों को अपनी शुभ कामनाएं प्रेषित करते हैं

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[हिन्दी]

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप को 12 बजे बुलायेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अभी क्वैश्चन ऑवर चलने दीजिए। 12 बजे हम कर देंगे, जीरो ऑवर में एलाऊ कर देंगे। अभी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल चला ही नहीं है, इस पूरे सत्र में प्रश्न काल नहीं चला है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए। यह क्या तरीका है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न 241 श्री रुद्रमाधव राय।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप अपनी सीट पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री नीरज शेखर (बलिया): लाखों लाग बेघर हो गए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप फर्स्ट सप्लीमेंट्री पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: 12 बजे बुलायेंगे। हम कह रहे हैं कि 12 बजे जीरो ऑवर में बुलायेंगे। अभी प्रश्न काल चलाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: हमारा अनुरोध है, इस पूरे सत्र में प्रश्न काल नहीं चला है, प्रश्न काल आज चलाइए और मैं यह चाहूंगी कि आप लोग जो बातें कह रहे हैं, हम शून्य प्रहर में समय दे देंगे, आप कह लीजिएगा।

आप पहला पूरक प्रश्न पूछिए।

पूर्वाह्न 11.1½ बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा

***241 श्री रुद्रमाधव राय:**
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के वर्षा सिंचित, सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में वर्षा, ओलावृष्टि, पाले, सूखे आदि के कारण हुए फसल के नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा देने हेतु विभिन्न राज्यों में किसान संगठनों द्वारा लगातार मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या बागान फसलों, रेशम-कीट पालन और अन्य फसलों के लिए उक्त मानदंड भिन्न-भिन्न हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि ऐसे नुकसान के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को क्षतिपूर्ति की पर्याप्त राशि प्रदान की जाए?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में मंत्री (श्री तारिक अनवर):

विवरण

(क) से (ङ) भारत सरकार ने चक्रवात, बादल फटने, सूखा, बाढ़, भूकम्प, भू-स्खलन, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण, सुनामी, हिम स्खलन तथा शीतलहर/पाला सहित आपदाओं के समय राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ)/राज्य आपदा अनुक्रिया कोष से राहत प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। सहायता की मद तथा शर्तें, जिनके अनुसार इन प्राकृतिक आपदाओं में राहत सहायता प्रदान की जाएगी, 13वें वित्त आयोग के निर्णय पर आधारित है तथा समय-समय पर इनकी समीक्षा एवं संशोधन किया जाता है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से सहायता तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए है तथा जीवन तथा सम्पत्ति हानि/क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए नहीं है। फसल हानि के लिए सहायता की शर्तों के उर्ध्वगामी संशोधन के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनके पश्चात अनुबंध-I पर दिए गए विवरण के अनुसार जून 2013 में इनमें वृद्धि की गई है।

कृषि, बागवानी, वार्षिक पौध रोपण/बारहमासी तथा रेशम उत्पादन फसलों की हानि के संबंध में कृषि आदान राजसहायता के लिए सहायता की शर्तें अनुबंध-II पर दी गई है। 50 प्रतिशत तथा अधिक फसल हानि वाले लघु तथा सीमांत किसानों की सम्पूर्ण जोतों के लिए सहायता प्रदान की जाती है जबकि जोतों के पृथक आकार के लिए अन्य किसानों को 1 (एक) है. प्रति किसान को सहायता पर सीमित कर दिया जाता है।

विवरण I

50% तथा अधिक फसल हानि के लिए एनडीआरएफ/एसडीआरएफ से सहायता में अभिवृद्धि के लिए राज्यों द्वारा दिए गए मुख्य सुझाव

क्र.स.	मद	(28.09.2012) को गृह मंत्रालय, भारत सरकार सरकार द्वारा जारी सहायता की संशोधन पूर्व शर्ते	राज्यों का सुझाव	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित (गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21.06. 2013 को जारी)
1.	**लघु तथा सीमान्त किसानों को सहायताः आदान राजसहायता (जहां फसल हानि 50% तथा अधिक है)**			
	(क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक पौध रोपण फसलों के लिए	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 3,000/ रु. प्रति है.	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 10. 000/- रु. प्रति है0।	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 4,500/- रु. प्रति है. तथा बुआई क्षेत्र तक सीमित;
		न्यूनतम सहायता कम से कम 500 रु. के अधीन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 6,000/- रु. प्रति है0 के अधीन आश्वासित सिंचित क्षेत्रों के लिए तथा बुआई क्षेत्रों तक सीमित;	सिंचित क्षेत्रों में 15,000/- रु. प्रति है0;	न्यूनतम सहायता कम से कम 750 रु. के अधीन आश्वासित सिंचित क्षेत्रों के लिए 9,000/- रु. प्रति है. तथा बुआई क्षेत्र तक सीमित;
	(ख) बारहमासी फसलों	बोए जाने वाले क्षेत्र तथा न्यूनतम सहायता कम से कम 1000 रु. के अधीन सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 8000/- रु. है0।	सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 20,000/- रु. प्रति है0।	न्यूनतम सहायता कम से कम 1500 रु. के अधीन सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 12000/- रु. है0 तथा बुआई क्षेत्र तक सीमित
2.	**लघु तथा सीमान्त किसानों को सहायताः आदान राजसहायता (जहां फसल हानि 50% तथा अधिक है)**			
	(क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक पौध रोपण फसलों के लिए	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 3,000/- रु. प्रति है0	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 10,000/- रु. प्रति है0; सिंचित क्षेत्रों में 15,000/ रु. प्रति है0;	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 4,500/- रु. प्रति है0 तथा बुआई क्षेत्र तक सीमित
		आश्वासित सिंचाई के तहत क्षेत्रों के लिए 6000/- रु. प्रति है0।		न्यूनतम सहायता कम से कम 750 रु. के अधीन 9,000/- रु. प्रति है0 आश्वासित सिंचित क्षेत्रों के लिए तथा बुवाई क्षेत्र तक सीमित;
	(ख) बारहमासी फसलें	सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 8000/- रु. प्रति है0।		न्यूनतम सहायता कम से कम 1500 रु. के अधीन सभी प्रकार, की बारहमासी फसलां के लिए 12000/- रु. है0 तथा बुआई क्षेत्र तक सीमित।
		लगातार आपदाओं के मामले में जोतों के बड़े आकार में अलग-अलग 1 है. प्रति किसान तथा 2 है0 प्रति किसान अधिकतम के अधीन फसल हानि 50% तथा इससे अधिक होने पर सहायता प्रदान की जा सकती है।	सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 20,000/- रु. प्रति है0	लगातार आपदाओं के मामले में जोतों के बड़े आकार में अलग-अलग 1 है0 तथा किसान तथा 2 है0 प्रति किसान अधिकतम के अधीन फसल हानि 50% तथा इसस अधिक होने पर सहायता प्रदान की जा सकती है।

विवरण II

एनडीआरएफ/एसडीआरएफ से कृषि आदान राजसहायता की शर्तें

मद	2010-2015* की अवधि के लिए राज्य आपदा अनुक्रिया कोष/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष से सहायता के मद एवं शर्तें
लघु तथा सीमान्त किसानों को सहायता:	**आदान राजसहायता (जहां फसल हानि 50% तथा अधिक है)**
(क) कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक पौध रोपण फसलों के लिए	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 4,500/रु. प्रति है0 तथा बुआई क्षेत्र तक सीमित:
	न्यूनतम सहायता कम से कम 750 रु. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 9,000/- रु. प्रति है0 अधीन आश्वासित सिंचित क्षेत्रों के लिए तथा बुवाई क्षेत्र तक सीमित:
(ख) बारहमासी फसलें	न्यूनतम सहायता कम से कम 1500 रु. के अधीन सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 12000/- रु. है0 तथा बुवाई क्षेत्र तक सीमित
(ग) रेशम	इरी, शहतुत, टसर के लिए 3200/- रु. प्रति है0 मुगा के लिए 4000/- प्रति है0

*गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 21.06.2013 को जारी किया गया।

[अनुवाद]

श्री रुद्रमाधव राय: महोदया, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में किसानों के लिए सहायता के सभी मानकों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। परन्तु, मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष आत्महत्या के कारण हजारों किसानों की मौतें होती हैं। इसके क्या कारण हैं? इसका कारण है कि किसान प्रतिवर्ष हो रही हानि को सहन नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा इतनी जल्दी-जल्दी आती है कि उनकी कमर ही टूट जाती है। सरकार द्वारा दी गई सहायता उनकी आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। इसलिए, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को हुई क्षति के लिए आवश्यक सहायता की वास्तविक मात्रा का निर्णय करने के लिए एक सुगम व्यवस्था के बारे में विचार कर रही है, ताकि किसानों को कोई हानि न हो।

कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): जब भी कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो एक अध्ययन कराया जाता है और भारत सरकार राज्य सरकार को तुरंत सहायता प्रदान करती है। यहां क्षतिपूर्ति का कोई प्रश्न नहीं है। राहत और क्षतिपूर्ति में अंतर है। जब कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है तो प्रश्न उठता है कि किसान समुदाय और किसानों की सहायता की जाए और वह सहायता राहत के रूप में दी जाती है। राहत का मानदंड सामान्यत: वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिशें सामान्यत: भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर की जाती हैं और लागू की जाती हैं। मैंने ये सारा विवरण दे दिया है कि वित्त आयोग की सिफारिशें वास्तव में क्या हैं? इस प्रकार की आपदाओं के लिए कितनी वास्तविक राशि प्रदान की गई है? और इस संकट में किसानों की सहायता करने की क्या प्रक्रिया है?

श्री रुद्रमाधव राय: महोदया, सन 2011 में ओडिशा में भारी सूखा पड़ा था। राहत के दूसरे चरण में, ओडिशा सरकार ने फसल बीमा के बारे में कहा था, परन्तु केन्द्र सरकार ने दावों के अतिरिक्त भुगतान हेतु ओडिशा सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके कारण 10 जिलों के 29 ग्राम पंचायतों के 7,176 किसान इस लाभ से वंचित रह गये। मैं सरकार से एक आश्वासन चाहता हूं कि वह ओडिशा सरकार के दावों पर पुनर्विचार करेगी।

श्री शरद पवार: पिछले वर्ष के सूखे के संबंध में, भारत सरकार को तीन राज्य सरकारों—महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन तीनों राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को

कृषक समुदायय के समक्ष आ रही सूखा या कुछ गंभीर समस्याओं के बारे में लिखा है। ओडिशा सरकार की तरफ से सूखे के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं था। उस प्रकार की स्थिति के बारे में यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो मुझे गहराई में जाने तथा राज्य की सहायता करने में खुशी होगी।

श्री पी. विश्वनाथन: अध्यक्ष महोदया, आपको धन्यवाद। विभिन्न राज्यों, विशेषत: तमिलनाडु के किसान वर्षा, चक्रवात और सूखे के कारण फसल को हुई क्षति के लिए पर्याप्त क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। थाने चक्रवात द्वारा प्रभावित फसल की लागत के अनुसार विभिन्न फसलों के लिए किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में मामला मेरे द्वारा 13/03/2012 को नियम 377 के अधीन उठाया गया था। उस समय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमिलनाडु के लिए 500 करोड़ रुपये और पुडुचेरी के लिए 125 करोड़ रुपयेय स्वीकृत किया था। तत्काल कार्यवाही करने के लिए संप्रग सरकार को धन्यवाद। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फसलों को हुई क्षति की मात्रा सुनिश्चित करने और विभिन्न फसलों के लिए दी जाने वाली राशि को निर्धारित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रणाली है? और, न्यूनतम अवधि में छोटे किसानों की सहायता करने के लिए एक स्थायी आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

महोदया, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, वे किसान जिनकी फसलें किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रभावित होती हैं, फसल बीमा के पात्र हैं। कुछ राज्यों में, फसल बीमा के लिए आवेदन करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड का होना अनिवार्य है। महोदया, मैं जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार क्षतिपूर्ति के संबंध में, सभी राज्यों के लिए एक समान दिशानिर्देश जारी करेगी।

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदया, मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। यहां क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं है। यहां, भारत सरकार और राज्य सरकार प्रभावित लोगों को राहत के रूप में सहायता देती है। माननीय सदस्य ने प्रक्रिया के संबंध में प्रश्न किया है। प्रक्रिया इस प्रकार है–यदि कोई राज्य सूखा, बाढ़ या कोई अन्य आपदा की समस्या का सामना कर रहा है, तो राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के पास ज्ञापन देना होता है। संबंधित राज्यों से ज्ञापन प्राप्त होने के बाद, भारत सरकार एक टीम का गठन करती है और उसे राज्य में भेजती है। राज्य के अधिकारियों के साथ-साथ भारत सरकार की टीम प्रभावित स्थानों का दौरा करती है और उसके पश्चात अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। टीम से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात अन्तर्मंत्रालयी समिति इस प्रतिवेदन का अध्ययन करती है और यह अपना अंतिम प्रस्ताव एक उच्चस्तरीय समिति, जिसका अध्यक्ष कृषि मंत्री होता है, के समक्ष प्रस्तुत करती है। इस उच्चस्तरीय समिति का गठन इस प्रकार है–कृषि मंत्री अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष समिति के सदस्य होते हैं। प्रस्ताव इस उच्चस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत होता है, जो अंतिम निर्णय लेती है और राज्य को सहायता और राहत भेजती है। इस प्रकार की प्रक्रिया आपदा प्रबंध अधिनियमय के अंतर्गत इस देश में अपनायी जा रही है जिसे इस संसद द्वारा सन 2005 में अनुमोदित किया गया था और हम इसे जारी रखे हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश में तीन वर्षों तक लगातार सूखा पड़ा और तीनों वर्ष वहां की सरकार द्वारा भारत सरकार को इसकी सूचना दी गई। लोक सभा में भी समय-समय पर इस विषय को उठाया गया कि उसे अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। इस बार भी वाटर पर सरकार की रिपोर्ट में आया है कि मात्र 20 प्रतिशत वर्षा हुई है। हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि क्या झारखंड प्रदेश के लिए इस बार भारत सरकार की कोई योजना है जिससे वहां के किसानों को सूखे से राहत मिल सके?

श्री शरद पवार: महोदया, झारखंड सरकार ने वहां की स्थिति के बारे में भारत सरकार को मैमोरंडम दे दिया। मैं इमीडिएटली टीम कौन्सटीट्यूट करके उस राज्य में भेजूंगा और टीम की रिपोर्ट आने के बाद उसके मुताबिक राज्य सरकार की जो मदद करने की आवश्यकता है, उसकी तैयारी भारत सरकार की रहेगी। ...*(व्यवधान)*

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: अध्यक्ष महोदया, देश में कभी बाढ़, कभी अतिवृष्टि और कभी ओलावृष्टि होती है। जिस पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है, वह इस समय बाढ़ से प्रभावित है। अभी हमने अपनी बात आपके सामने रखी। महोद्या, मेरा क्षेत्र भदोही गंगा नदी के किनारे है। गंगा नदी, यमुना नदी के पानी ने इस समय पूरे जिले और पूर्वांचल में तबाही मचा रखी है। सैकड़ों घर-परिवार बेघर हो गए हैं, हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है, लोग भाग रहे हैं, राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। यह स्थिति हर वर्ष आती है। पूर्वांचल हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। प्रदेश सरकार मांग भी करती है। इस समय पूर्वांचल जिस स्थिति से गुजर रहा है, विशेषकर मेरा लोक सभा क्षेत्र जो ग्रामीण अंचल में है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहां हजारों लोग बेघर हो रहे हैं, क्या माननीय मंत्री जी उसकी त्वरित कार्यवाही के लिए कोई योजना पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री शरद पवार: मैंने यह बात साफ की है कि इमीडिएट रिलीफ देने की जो बात उठी है, वह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी

होती है। जब नुकसान सामान पर होता है, तो भारत सरकार को राज्य सरकार की मदद करने के लिए आगे आने की आवश्यकता पड़ती है। भारत सरकार के सामने वहां का मेमोरेंडम आने के बाद हम वहां की स्टडी करके राज्य सरकार को, उन जिलों को, वहां के किसानों की मदद करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, मगर हमारे सामने वहां के डिटेल्ड मेमोरेंडम की आवश्यकता है।

श्री शैलेन्द्र कुमारः माननीय अध्यक्षा जी, आपने मुझे इस प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अभी हमारे मित्र गोरखनाथ पाण्डेय जी ने बात कही और प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि वर्षा, सिंचित, असिंचित, जहां पर सूखा पड़ा है या ओलावृष्टि, पाले या सूखे के कारण, इसमें बाढ़ भी सम्मिलित कर दी जाये, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। आज पूरा पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर भारत, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, अभी जो हमारे सम्मानित सदस्य श्री नीरज शेखर, रामकिशुन जी, तूफानी सरोज जी आदि यह बात उठा रहे थे। हजारों एकड़ नहीं, बल्कि लाखों एकड़ धान की फसलें जैसे दलहन में अरहर, चना, उड़द आदि तमाम ऐसी फसलें हैं, जो बिल्कुल जलमग्न हो गई हैं। काफी व्यापक पैमाने पर नुकसान हो रहा है। वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन टिहरी वगैरह से जब पानी छूटता है, तो फसलें बिल्कुल नष्ट हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में भी पानी आ रहा है। इस कारण गंगा-यमुना, दोनों नदियां बिल्कुल रौद्र रूप, विकराल रूप धारण किए हुए हैं। हजारों-लाखों एकड़ भूमि बिल्कुल जलमग्न हो गई है। मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ से सरकार को निर्देशित किया जाये कि इसके लिए भारत सरकार से एक टीम भेजकर उसका पूरा सर्वे कराया जाये और आर्थिक रूप से जो भी प्रदेश डूबे हैं, लाखों एकड़ भूमि जलमग्न है, खेत को जो हानि पहुंची है, क्या आप उनका निरीक्षण कराकर विशेष आर्थिक पैकेज देकर उन्हें मुआवजा दिलाने या राहत दिलाने का प्रयास करेंगे?

श्री शरद पवारः जो आपदा की सूची है और जिसे फाइनेंस कमीशन ने स्वीकार किया है, उसमें फ्लड्स आते हैं। जहां बाढ़ है, वहां मदद लेने के लिए उनका अधिकार है। सम्मानित सदस्य ने जो स्थिति सदन के सामने रखी, इस बारे में हमारे सामने लिखित रूप में राज्य सरकार द्वारा मेमोरेंडम भेजने के बाद 48 घंटों के अंदर मैं एक टीम कांस्टीट्यूट करके वहां भेजूंगा और उसकी रिपोर्ट आने के बाद स्टेट की मदद करूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीतेः अध्यक्षा जी, आज महाराष्ट्र में भारी वर्षा के कारण किसानों को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ रहा है। जिस कोंकण प्रांत से मैं आता हूं, वहां पर एक सिंगल क्रॉप है, केवल पैडी, चावल की खेती है। इस साल भारी वर्षा के कारण चावल की पूरी खेती नष्ट हो गई है। उसी प्रकार मराठवाड़ा और विदर्भ में ज्वार के साथ-साथ सोयाबीन और कपास की फसल को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है।

अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि भारी मात्रा में किसानों का जो नुकसान हुआ है, उस मामले में क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार से कुछ राहत की मांग की है? यदि की है, तो क्या की है और यदि नहीं की, तो इस संदर्भ में हमारे कृषि मंत्री क्या पहल करना चाहते हैं?

श्री शरद पवारः मेरे पास महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कल ही एक मेमोरेंडम आया है जिसमें उन्होंने 1,183 करोड़ रुपये की डिमांड की है। उस डिमांड में *[अनुवाद]* बाढ़ के कारण मौतें, पशुओं की मौतें, बाढ़ में मर रहे बड़े जानवरों की मौतें, बाढ़ में मर रहे छोटे जानवर, कपड़े, बर्तन और घरेलू सामान के नुकसान, आपदा के बाद परिवारों को उनके निर्वाह के लिए राहत प्रदान करना, अवसंरचनात्मक सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान, सड़कों का नुकसान, गेहूं का नुकसान, सरकारी भवनों का नुकसान, सिंचाई कार्य को नुकसान, विद्युत आपूर्ति को नुकसान, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नष्ट हो गए हैं, प्राथमिक विद्यालय नष्ट हो गए हैं, आध्यात्मिक विद्यालय नष्ट हो गए हैं, कृषि को नुकसान; फसलों का नुकसान, कृषि की जमीन का नुकसान—ये ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित हुए हैं और राज्य सरकार ने वित्तीय मदद मांगी है। जिन जिलों के नाम राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं हम उन सभी जिलों में टीमों को भेज रहे हैं और ऐसी आपदाओं में हम पर्याप्त सहायता देते हैं।

[हिन्दी]

श्री रमेश राठौरः धन्यवाद मैडम, आदिलाबाद जिले में भारी वर्षा के कारण पैनगंगा, प्रणाहिता नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण वहां पर एक लाख एकड़ क्षेत्र की फसल पूरी तरह से बह गई है। इसका अभी तक सर्वे नहीं हुआ है। आदिलाबाद जिला बैकवर्ड जिला है, ट्राइबल जिला है, यहां दलित लोग ज्यादा हैं। जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उन्हें मदद देने के लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं।

अध्यक्ष महोदयाः इन्होंने निवेदन किया है।

श्री शरद पवारः इसके लिए राज्य सरकार से प्रपोजल आना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालूः महोदया, मुझे इस सम्मानित सभा को यह सूचित करते हुए अत्यंत पीड़ा हो रही है कि तमिलनाडु में विशेषकर तंजावुर, तिरुवरूर, नागापट्टिनम, मदुरै, बथेनी और कंबब तथा अन्य जिलों में नारियल उत्पादकों की बहुत दुर्दशा हो रही है...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदया, यह आरोप लगाया जा रहा है. ..*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदया, यह उचित नहीं है ...*(व्यवधान)* महोदया, मुझे आपकी सहायता चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्य, कृपया अपने स्थान पर जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: यह तमिलनाडु विधानसभा नहीं है... *(व्यवधान)* महोदया, उन्हें पता होना चाहिए कि वह कैसा आचरण करें।

अध्यक्ष महोदया: श्री टी.आर. बालू के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)* *

श्री टी.आर. बालू: मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री बालू, आप प्रश्न पूछिए। श्री तम्बिदुरई का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए, बैठ जाइए, तम्बिदुरई जी।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदया, माननीय मंत्री से प्रश्न पूछने के लिए मुझे पर्याप्त समय दिया जाए। यह सही नहीं है...*(व्यवधान)* उन्हें पता होना चाहिए कि सभा में कैसे व्यवहार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री टी.आर. बालू: महोदया, मैं तंजावुर, तिरुवरूर, नागापट्टिनम, मदुरै, डिंडिगुल, थेनी और कंबब तथा अन्य जिलों में नारियल उत्पादकों की दुर्दशा के बारे में बात कर रहा था। मैं पिछले तीन से पांच वर्ष से ज्यादा समय से नारियल के पेड़ों की हालत के बारे में इन विशेष जिलों का उल्लेख कर रहा था। यहां तक कि डॉ. स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिक भी समस्या की पहचान नहीं कर सके। वे इसके लिए जिम्मेदार कीट के लिए दवा की पहचान करने में सफल नहीं हो पाए और इसके कारण नारियल उत्पादक हर तरह से परेशान हो रहे हैं।

माननीय मंत्री, मेरे मित्र, श्री शरद पवार जी ने अपने तमिलनाडु दौरे के समय साढ़े तीन घंटे तक धैर्य के साथ इस समस्या को सुना था। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। परंतु साथ ही, अभी तक, नारियल उत्पादक किसानों को भारत सरकार से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में भारत सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

श्री शरद पवार: आपदा की परिभाषा में, कीट नियंत्रण भी शामिल है। केरल और तमिलनाडु राज्यों से हमें एक विशेष प्रकार की कीट समस्या के बारे में बहुत सी रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं जो नारियल की खेती के लिए हानिकारक है। हमने नारियल विकास बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से भी विशेषज्ञों को भेजा है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट हमें सौंपी है। ऐसी किसी स्थिति में हमें पेड़ को जड़ से उखाड़ कर वहां नया पेड़ लगाना होगा। नारियल विकास बोर्ड ने एक कार्यक्रम शुरू किया है और जहां किसान ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं उन राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

जिन माननीय सदस्यने यह मुद्दा उठाया है वह इस तरह की समस्या के बारे में बहुत गंभीर हैं। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और हमने नारियल उत्पादकों के साथ एक विस्तृत बैठक की थी तथा कई कदम उठाए गए हैं। परंतु इस संबंध में शुरू किए गए कार्यक्रम के बाद भी, यदि उसे लागू नहीं किया गया है, तो मैं निश्चित तौर पर राज्य सरकार के संपर्क में रहूंगा और हम कोई समाधान ढूंढ़ने का प्रयास करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: मैडम यह बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इस पर चर्चा करवा देंगे।

प्रश्न संख्या 242, श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल।

बीटी कॉटन का उत्पादन

***242. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:**
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बीटी कॉटन की तुलना में परम्परागत कपास का कुल उत्पादन कितना है;

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(ख) क्या परम्परागत कपास की तुलना में बीटी कॉटन के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बीटी कॉटन की खेती को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान कपास का कुल उत्पादन क्रमशः 330, 352 और 340 (चौथा अग्रिम अनुमान) लाख गांठें (170 कि.ग्रा. रूई/गांठ) था। वर्तमान वर्ष अर्थात 2013-14 के दौरान, फसल को अभी वृद्धि के पुर्नउत्पादक चरण पर पहुंचना शेष है। परम्परागत (गैर-बीटी) कपास की तुलना में बीटी कपास के अलग उत्पादन के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2002-03 से आगे बीटी कपास की अभिग्रहण दर और कपास का वर्ष वार उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:

वर्ष	बीटी कपास अभिग्रहण (कुल क्षेत्र का %)	कपास का उत्पादन (लाख गांठें)
2002-03	0.38	86.24
2003-04	1.23	137.29
2004-05	5.67	164.29
2005-06	11.70	184.99
2006-07	37.85	226.32
2007-08	67.26	258.84
2008-09	73.15	222.76
2009-10	79.50	240.22
2010-11	85.00	330.00
2011-12	91.47	340.00
2012-13	93.63	

(घ) कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) के मिनी मिशन-II के अंतर्गत, बीजों, जल बचत यंत्रों, जैव एजेंटों/जैव-कीट नाशकों, समेकित कीट प्रबंधन, प्रदर्शनों के माध्यम से फसल उत्पादन व संरक्षण प्रौद्योगिकियों, किसानों के प्रशिक्षण, कृषक फील्ड स्कूलों (एफएफएस), कृमि प्रतिरोधी प्रबंधन (आईआरएम) आदि के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है।

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल: अध्यक्ष महोदया, कल ही हमने फूड सिक्योरिटी बिल यहां से पास किया है। चूंकि मैं गुजरात से आता हूं, मेरा प्रश्न बीटी कॉटन के अनुसंधान के बारे में था। माननीय मंत्री जी ने एक प्रोटोटाइप जवाब दे दिया है। इसमें दो-तीन बातें ऐसे ही लिखी गई हैं कि परम्परागत कॉटन और बीटी कॉटन के बीच जो फर्क है, उसे अभी तक हमने डिस्टिंगविश नहीं किया है। उसके साथ-साथ हम सभी जानते हैं कि चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आज जब भारत की आर्थिक विकास दर के साथ एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 3 से 4 प्रतिशत है और उसमें गुजरात की ग्रोथ रेट 13 प्रतिशत है, तो भारत की कृषि विकास दर में जो योगदान गुजरात की ओर से आ रहा है, वह बहुत ज्यादा है। हम सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष जब कपास का उत्पादन हुआ था गुजरात में, तब जो डिसक्रिमिनेटरी पॉलिसी बनी थी, उसमें एक्सपोर्ट पॉलिसी के साथ-साथ गठान जो बॉटम रेट है, उसमें भी फर्क हो गया था, उसके कारण बहुत ही तकलीफ हुई थी। जिसके लिए बाद में गुजरात के सभी एमपीज का डेलीगेशन माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, तब जाकर यह मंजूर किया गया था। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस बार उत्पादन से पहले निर्यात पॉलिसी तय होगी या नहीं?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: गत वर्ष हमने 120 लाख गांठों का निर्यात किया और कपास के निर्यात से लगभग 21,000 करोड़ रुपये अर्जित किए। हमारी यही नीति है। हम कपास के निर्यात पर रोक नहीं लगा रहे हैं। जब कभी देश में पर्याप्त कपास उपलब्ध नहीं होती, ऐसे में हथकरघा और विद्युतकरघा जैसे घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए कपास के निर्यात को हतोत्साहित करना पड़ता है। परन्तु, सामान्यतः सरकार कपास के निर्यात का विरोध नहीं करती। हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि हमारे उत्पादकों का निर्यात हो। हमें यह भी देखना होता है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लोग हमें एक विश्वस्तरीय आपूर्तिकर्ता के रूप में जानें। अतः, वर्तमान में इसके निर्यात पर कोई रोक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल: महोदया, माननीय मंत्री जी ने गोलमोल जवाब दिया है। हम सभी जानते हैं कि दूसरे ही दिन क्यों पॉलिसी फिर रखी गई, फिर क्यों बताया गया कि अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं? अगर आपको यह पता था कि निर्यात की अभी जरूरत नहीं है और यह देश में डोमेस्टिक यूज के लिए इतना कॉटन रखना चाहिए, तो दूसरे दिन हमने क्यों पॉलिसी बदल दी? क्यों दिया? यह भी एक सवाल है। हम सभी जानते हैं कि कॉटन का जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, उसमें गुजरात में सूरत, अहमदाबाद में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो क्या अगले वित्त वर्ष में माननीय मंत्री जी द्वारा वहां कोई ऐसी इंस्टीट्यूट स्थापित करने का प्रावधान किया गया है या प्रावधान किया जाने वाला है? गुजरात में कॉटन उत्पादन हो रहा है और आपने अपने जवाब में लिखा है कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसके ट्रांसफर एवं प्रोटेक्शन के लिए हम कुछ कदम उठा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ आपने तय किया है?

श्री शरद पवार: मैडम, कॉटन रिसर्च के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंस्टीट्यूट नागपुर में स्वीकृत की है। ...*(व्यवधान)*

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल: मैं गुजरात की बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: हर राज्य में नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल: क्यों नहीं कर सकते? ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: रिसर्च इंस्टीट्यूट सभी राज्यों में नहीं स्थापित कर सकते हैं। देश में क्रॉप-वाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहीं न कहीं एक ही होती है। मगर जूनागढ़ में वहां की यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने कुछ प्रबंध किया है और वहां की यूनिवर्सिटी के माध्यम से कॉटन के बारे में वहां काम करने की आवश्यकता है, इस तरह की मांग वहां के किसानों ने की थी, तो उनको सहयोग देने की हमने तैयारी की है।

अध्यक्ष महोदया: श्री अशोक कुमार रावत—उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

श्री राजय्या सिरिसिल्ला: अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश बड़े पैमाने पर कृषि प्रधान देश है, और हमारी सत्तर प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। यदि आप हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र को देखें तो यह विश्व के भूभाग का केवल 2. 66 प्रतिशत है जिस पर विश्व की लगभग 18 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इस स्थिति में हमें यह समझना चाहिए कि हमें देश की खाद्यान्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीटी न केवल अधिक पैदावार देने वाली अपितु कीट और रोग प्रतिरोधक किस्म है। हम कपास में बीटी किस्म को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। अनाज, दालें और सब्जियों जैसी खेती की फसलों के संबंध में हम बीटी किस्म को अपनाने जा रहे हैं या नहीं? इस संबंध में अनेक आशंकाएं जैसे कि क्या यह स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगी या नहीं। क्या हम अपने देश में प्रौद्योगिकी को उपयोग करने के लिए तैयार हैं? क्या हम देश में प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं, तो क्या यह पता लगाने के लिए यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अथवा नहीं कोई अनुसंधान किया जाएगा? बीटी किस्म को अपनाने के लिए क्या भावी कार्यनीति अपनाई जाएगी? माननीय मंत्री जी इस सम्मानीय सभा को इस बारे में जानकारी दें।

श्री शरद पवार: माननीय सदस्य ने संकर फसलों का मुद्दा उठाया है। हमारे देश में पर्यावरण मंत्रालय और संबंधित समिति ने केवल एक फसल को स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत की गई फसल बीटी कपास है। मेरा मानना है कि यह एक बहुत ही अच्छा निर्णय है क्योंकि जैसा कि मैंने उत्तर में आंकड़े दिए हैं, इस फसल के परिणामस्वरूप उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

दूसरे, किसानों की आय में काफी सुधार हुआ है। राज्य के 92 प्रतिशत कपास क्षेत्र में बीटी कपास किस्म का उत्पादन हो रहा है। पैदावार लगभग 191 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर थी और यह और बढ़ गई है। बीटी किस्म किस्म के कारण आज पैदावार 491 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर हो गई है। इस फसल के संबंध में एक खास रोग बॉलवोर्म सामने आया है। परन्तु बीटी किस्म बॉलवोर्म रोग पर नियंत्रण पाने में सफल रही है। इस रोग की रोकथाम करने के लिए 46 प्रतिशत तक कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता था परन्तु बीटी किस्म का उपयोग किए जाने के कारण इस कीटनाशक का उपयोग कम होकर 21 प्रतिशत रह गया है।

किसानों की आय के संबंध में, 2001 में बीटी का उपयोग किए जाने से पहले वर्षा सिंचित क्षेत्र में कुल आय 7558 रुपये प्रति हैक्टेयर थी। बीटी किस्म का उपयोग किए जाने के बाद उनकी आय 7000 रुपये से बढ़कर 16,000 रुपये प्रति हैक्टेयर हो गई है और सिंचित क्षेत्र में यह बढ़कर 25,000 प्रति हैक्टेयर हो गई

है। अतः बीटी किस्म से किसानों और देश दोनों को ही लाभ प्राप्त हुआ है। किसानों ने स्वयं भी बीटी फसल को अपनाया है। इसीलिए हमने बीटी फसल का समर्थन किया है।

अब, संकर फसलों के बारे में एक प्रश्न उठाया गया है। आज की स्थिति के अनुसार किसी भी फसल को स्वीकृत नहीं किया गया है। दुर्भाग्यवश, कई राज्य वैज्ञानिकों को परीक्षण करने की अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। केवल चार राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और एक और राज्य ने वैज्ञानिक परीक्षण करने की अनुमति दी है। उन्होंने इसकी अनुमति दी है। अन्य राज्य किसी परीक्षण की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक बीटी किस्म विकसित की हैं। उन्होंने बैंगन, सोयाबीन, मक्का और कुछ अन्य सब्जियों में इसे विकसित किया है। उन्होंने टमाटर में भी इसे विकसित किया है। परन्तु राज्यों ने इस बारे में कोई अंतिम दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। दुर्भाग्यवश, उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में अलग दृष्टिकोण अपनाया है। परन्तु, कल उच्चतम न्यायालय में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

यह हमारी सुविचारित राय है कि बीटी ट्रांसजेनिक फसल निश्चय ही उपयोगी है किंतु हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। ये सावधानियां हैं: क्या मिट्टी, जल, पर्यावरण, पशुओं, अन्य फसलों पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? हम ये सब सावधानियां बरतने को तैयार हैं। हम सब सावधानियों को अपनाने के बाद यदि कोई खास फसल और कोई खास अनुसंधान राष्ट्र और किसानों के लिए उपयोगी है तो हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा।

श्री एस. सेम्मलई: महोदया, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। माननीय मंत्री ने अभी स्वयं बताया है कि बहुत से राज्य बीटी कॉटन के परीक्षण के लिए आगे नहीं आए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: अन्य ट्रांसजेनिक फसलें।

श्री एस. सेम्मलई: मंत्री जी ने हमें बताया है कि उपज बहुत अच्छी है; किसानों की आय बहुत अधिक है परन्तु यह सच है कि जैव संशोधित बीटी कॉटन से किसानों का कर्ज बढ़ता है क्योंकि उन्हें अधिक कीटनाशक इत्यादि प्रयोग करने पड़ते हैं। जैसा कि हमारे ओडिशा के सदस्य ने अभी-अभी बताया है कि बीटी कॉटन उगाने वाले किसान आत्महत्या कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* तमिलनाडु में किसी आत्महत्या की सूचना नहीं है। तमिलनाडु के नहीं बल्कि जहां तक अन्य राज्यों के किसानों का संबंध है तो किसानों की आत्महत्या आम बात हो गई है। इस दावे के कोई ठोस प्रमाण नहीं हैं कि पारम्परिक कॉटन की तुलना में बीटी कॉटन की उपज अधिक होती है। किसानों के कड़े विरोध की पृष्ठभूमि में सरकार के लिए यह बेहतर है कि इस पर अपना फोकस लगा दे।

दक्षिण भारत में विशेष रूप से तमिलनाडु में कार्बनिक कॉटन की खेती में वृद्धि हो रही है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि सरकार अपनी रणनीति क्यों नहीं बदलती और कार्बनिक कॉटन की खेती पर अधिक जोर क्यों नहीं देती। क्या सरकार किसानों को पर्याप्त राजसहायता और अधिक प्रशिक्षण देकर उन्हें इस संबंध में प्रोत्साहित करेगी?

श्री शरद पवार: माननीय सदस्य ने दो मुद्दे उठाये हैं। जहां तक कार्बनिक कॉटन का प्रश्न है तो वास्तव में अगला प्रश्न कार्बनिक फसलों के बारे में है और यह है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें कार्बनिक फसलों को बढ़ावा देने हेतु क्या कर रही हैं। हम कार्बनिक फसलों के पक्ष में हैं। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। किंतु मेरे लिए यह मानना मुश्किल है कि बीटी कॉटन उपयोगी नहीं है। 2002 में कॉटन का उत्पादन 86 लाख गट्ठे था; 2012-13 में यह बढ़कर 352 लाख गट्ठे हो गया। इस वृद्धि ने स्वयं दर्शाया है कि उत्पाद कितना उपयोगी रहा है।

दूसरे, मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इस देश का किसान मुझसे अधिक बुद्धिमान है। वह समझता है कि कौन सी फसलें उगानी चाहिए, और कॉटन उगाने वाले 93 प्रतिशत किसान इस बीज का प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे समझदार लोग हैं और वे देश के व्यापक हित में हैं। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि बीटी कॉटन उपयोगी नहीं है।

श्री प्रबोध पांडा: मेरा प्रश्न जैविक रूप से संवर्धित फसलें और इसकी उपयोगिता के बारे में है। इस शुरूआत का क्या परिणाम होगा? अधिकांश किसान अंधकार में हैं। यह मुख्यतः वैज्ञानिकों की राय पर निर्भर करता है। जहां तक मुझे जानकारी है, हमारे देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय की भी इस संबंध में भिन्न राय है। हमारे देश में भी आईसीएआर जैसे कुछ संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों के बीच इस संबंध में मतभेद हैं।

विशाल बहुराष्ट्रीय निगम, मॉनसांटो पूरी दुनिया में कार्य कर रहा है और वे जोर डाल रहे हैं ताकि वे बीटी कॉटन में ही नहीं बल्कि कृषि के अन्य क्षेत्रों में भी प्रवेश कर सकें। चूंकि कृषि राज्य की सूची में है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सरकारों से परामर्श कर रही है ओर क्या माननीय मंत्री सभी तरह के वैज्ञानिकों और सभी कृषि संस्थाओं के साथ परामर्श करने की पहल कर रही है ताकि हम जैव संवर्धित फसलों को हमारे देश में शुरू न किया जाए क्योंकि इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महाराष्ट्र राज्य जहां के माननीय मंत्री हैं के बीटी कॉटन का उत्पादन शुरू करने वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से विदर्भ सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र है। इसलिए मैं इस बारे में उनका उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री शरद पवार: महोदया, जब मैंने कहा है कि 93 प्रतिशत किसान इस बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें निश्चित ही कुछ लाभ होना चाहिए। दूसरे, जब हमारा उत्पादन 137 लाख गट्ठों से बढ़कर 352 लाख गट्ठे हो गया है तो यह स्वयं स्पष्ट संकेत है और अंत में मैंने कहा है कि कीटनाशकों का प्रयोग 46 प्रतिशत से घटकर 21 प्रतिशत रह गया है। यह भी दिखाता है कि यह किसानों के लिए लाभप्रद है।

अब अन्य फसलों का प्रश्न उठता है। आज की तारीख के अनुसार हमारे देश में केवल ट्रांसजेनिक फसल को अनुमोदित किया गया है। अन्य एक भी फसल को अनुमोदित नहीं किया गया है। आईसीएआर का अधिकांश वैज्ञानिक समुदाय इस अवधारणा का समर्थन कर रहा है। मैं जानता हूं कि कुछ वैज्ञानिक हैं जिनका इस बारे में भिन्न मत है। किंतु हमने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखा है कि बहुत से विकासशील देश ट्रांसजेनिक फसलों का उपयोग कर रहे हैं। अमरीका में वे बड़े क्षेत्र को सोयाबीन और अन्य फसलों के अंतर्गत ला रहे हैं। परन्तु उस देश से संबंधित बहुत से संगठन हैं जो भारत में प्रचार कर रहे हैं कि हमें इन फसलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। वे उपयोग कर रहे हैं, वे उत्पादन कर रहे हैं और हमें निर्यात कर रहे हैं। परन्तु जब हम यहां इन किस्मों का उपयोग करने के बारे में सोचते हैं तो निश्चय ही विरोध होना है। परन्तु मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है कि हमें राष्ट्र की खाद्य समस्या का समाधान करने के लिए समझदारी पूर्ण नजरिया अपनाना पड़ेगा।

थोक उपभोक्ताओं के लिए आबंटन

***243. श्री प्रदीप माझी:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान आटा चक्कियों और बिस्कुट विनिर्माताओं सहित थोक उपभोक्ताओं को गेहूं की कुल कितनी मात्रा आबंटित/जारी की गई तथा उनके द्वारा कितनी मात्रा उठाई गई;

(ख) क्या सरकार का विचार आगामी वर्ष के दौरान उक्त थोक उपभोक्ताओं को गेहूं की अतिरिक्त मात्रा जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और थोक उपभोक्ताओं को गेहूं के आबंटन हेतु कितनी मात्रा निर्धारित की गई है तथा क्या मूल्य और मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने थोक उपभोक्ताओं/व्यापारियों के लिए लाभ की कोई मात्रा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान चार मिलों तथा बिस्कुट उत्पादकों सहित थोक उपभोक्ताओं को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से निविदा बिक्री के लिए 94.47 लाख टन गेहूं आबंटित किया गया था।

(ख) और (ग) वर्ष 2013-14 के दौरान सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के बेचने के लिए 85 लाख टन गेहूं के आबंटन का अनुमोदन किया है। खुली थोक बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम, पंजाब और हरियाणा में एक्स-गोदाम निविदा आमंत्रित कर रहा है तथा देश के थोक खरीदार/आटा मिलों एवं व्यापारियों को निविदा में भाग लेने की अनुमति दी गई है। इस निविदा बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य 1500 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है।

(घ) जी नहीं सरकार ने थोक उपभोक्ताओं/व्यापारियों के लिए कोई लाभ की मात्रा निर्धारित नहीं की है क्योंकि गेहूं की खुली बिक्री का उद्देश्य केन्द्रीय पूल में उपलब्ध अधिशेष गेहूं के स्टाक को समाप्त (लिक्विडेट) करना तथा बाजार की कीमतों को स्थिर रखने के लिए खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता को बढ़ाना है।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप माझी: अध्यक्ष महोदया, मेरा सवाल एलोकेशन आफ कोल कन्ज्यूमर्स पर है, लेकिन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी जो कमियां और मुश्किलें हैं, वे स्टोरेज फैसिलिटी की हैं। नौ साल से हम सुनते आ रहे हैं कि स्टोरेज फैसिलिटी को ठीक किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा है और जो भी काम किया गया है वह बहुत धीरे-धीरे किया गया है। जब खेती होती है और मंडी में खाद्यान्न आता है, तो एफसीआई और राज्य सरकार खाद्यान्न खरीदना बंद कर देती हैं कि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है और हम अनाज को रख नहीं सकते हैं। इस कारण बहुत से किसानों ने आत्महत्या की है, डिस्ट्रेस होता है, बहुत मुश्किल होती है। उड़ीसा में भी जब मानसून आया था, तो हमारे किसानों ने बहुत नुकसान उठाया था।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस विषय में जो धीरे काम चल रहा है, उसके लिए टाइम लाइन बताएं कि कब तक पूरे देश में स्टोरेज फैसिलिटी ठीक हो जाए और हमारे किसानों को नुकसान न उठाना पड़े। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि उन्होंने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं और देश के किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: महोदया, मंडी और अन्य स्थानों पर जल खाद्यान्न, विशेषत: गेहूं आता है तब लगातार खरीद होती रहती है। हम किसानों को कितनी भी मात्रा में मंडी में खाद्यान्नों को लाने से नहीं रोकते हैं और हम न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाये रखते हैं।

जहां तक ओएमएस की बात है, यह 10 वर्ष पहले प्रारम्भ हुआ था। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को खाद्यान्नों की आपूर्ति करना हमारी वचनबद्धता है। जब अतिरिक्त उत्पादन होता है अतिरिक्त खरीद होती है तो ओएमएस प्रणाली के माध्यम से हम खाद्यान्नों की आपूर्ति बड़े व्यापारियों, छोटे व्यापारियों और राज्यों को भी करते हैं। यह सतत चलने वाली प्रणाली है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में, केवल सरकार ही भारी सब्सिडी का वहन करती है जो कि हमारी प्रतिबद्धता है, परन्तु बड़े व्यापारियों और छोटे व्यापारियों को ओएमएस प्रणाली के तहत आपूर्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर की जाती है।

[हिन्दी]

श्री प्रदीप माझी: अध्यक्ष महोदया, कल हमारा बहुत बड़ा ऐतिहासिक बिल आया है और माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से उसको सदन में रखा लेकिन दो-चार प्रश्न ऐसे हैं जिन पर हमें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जो मौजूदा बीपीएल कार्ड्स सारे देश में हैं, उनको आप कैसे रिप्लेस करेंगे और सबसे बड़ी बात है...*(व्यवधान)* सरकार ने जो एनाउंसमेंट किया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इससे संबंधित प्रश्न पूछिए।

श्री प्रदीप माझी: अध्यक्ष महोदया, सबसे बड़ी बात है कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर यह स्कीम लागू की गई है जैसे उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है, जो गरीब राज्य हैं, इनमें क्यों नहीं लागू करते? मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो गरीब स्टेट्स हैं, जो नैक्सेलाइट्स अफैक्टेड हैं और जो आदिवासी प्रभावी इलाका है, उस राज्य में इसे क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? इसको सदन में रखने के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: महोदया, यह प्रश्न ओएमएस योजना के बारे में है, न कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में।

अध्यक्ष महोदया: जी हां।

श्री किसनभाई वी. पटेल: अनुपस्थित।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदया, यह जो प्रश्न है, फ्लॉर मिल्स और बिस्कुट इंडस्ट्री के लिए आप कितना बिल एलोकेट करेंगे, उसके बारे में है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र में कई फ्लॉर मिल्स और कई बिस्किट इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पारले, ब्रिटानिया इत्यादि हैं। अगर इनको एफसीआई के माध्यम से कम दाम में बिड दे दी और उनको फूडग्रेन डिस्ट्रिब्यूशन हो गया, जैसे कि कल एक्ट पास हो गया है, उसी तरह से सारे गरीबों को अगर कम दाम में बिस्किट, आटा और सूजी दे दी जाए तो ठीक हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे मंत्री जी वह सिस्टम लागू करेंगे क्योंकि कल हम लोगों ने जो बिल पास किया, उसमें दो रुपये गेहूं होगा लेकिन उसकी पिसाई का दाम कहीं तीन रुपये है, कहीं चार रुपये है और कहीं पांच रुपये है। गेहूं कम मिलने वाला है लेकिन पिसाई का दाम उससे ज्यादा है।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें कुछ न कुछ सिस्टम होना चाहिए कि फ्लॉर मिल्स और बिस्किट इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा एलोकेशन होना चाहिए और उसी माध्यम से गरीबों को फेअर प्राइस में मिलने के लिए एलोकेशन कायदे से करवाना चाहिए।...*(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारे माननीय मंत्री जी यह सिस्टम उनके विभाग के माध्यम से करेंगे और उनको ज्यादा एलोकेशन देंगे?

[अनुवाद]

प्रो. के.वी. थॉमस: महोदया, इस समय देश में दो प्रणालियां प्रचलित हैं। एक है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। एक बार जब खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित हो जाता है और पूरे देश में लागू हो जाता है, तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 2 रुपये प्रति किग्रा. की दर पर गेहूं और 3 रुपये प्रति किग्रा. की दर पर चावल मिलेगा।

असली बात तो उत्पादन और खरीद में वृद्धि है। उदाहरण के लिए, महोदया, सन 2001 से 2003 तक गेहूं का उत्पादन 657.6 लाख टन था और हमारी खरीद 150 लाख टन थी। इस प्रकार प्रतिवर्ष हमारे उत्पादन बढ़ते हैं तो हमारी खरीद भी बढ़ती जाती है। हमें क्या चाहिए? यहां तक कि खाद्य सुरक्षा विधेयक में 62 मिलियन टन के खरीद का प्रावधान है, परन्तु हम उससे अधिक खरीद रहे हैं। इसलिए, सरकार ने एक निर्णय किया है, और यह राज्यों के प्रति हमारी वचनबद्धता है कि हम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इसे उन्हें दें। उसके बाद, हमारे गोदामों में काफी स्टाक उपलब्ध है। हम इसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से निर्गत करते हैं, परन्तु यह ओएमएस है।

ओएमएस योजना मुख्यत: बड़े उपकरणों जैसे बिस्किट कारखानों, आटावालों के लिए है, परन्तु चूंकि सरकार का बिस्किट और आटा (पैक्ड वाला) पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए हम उन्हें भारी सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं हैं। जब हम इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दे रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी स्वयं सब्सिडी प्राप्त है। अत: हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं। हमारी वचनबद्धता इस देश के गरीब लोगों के प्रति है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हम भारी सब्सिडी दे रहे हैं। जब हम चावल की आपूर्ति 3 रुपये पर करते हैं तो हमारी सब्सिडी 24 रुपये होती है। जब हम 2 रुपये में गेहूं देते हैं, हमारी सब्सिडी 18 रुपये होती है। इसलिए सब्सिडी मुख्यत: देश के गरीब लोगों के लिए है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए है। अन्य लोग, जो लोग भारी मात्रा में गेहूं लेते हैं, उन्हें पूरा मूल्य चुकाना होगा।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या-244, डॉ. एम. जगन्नाथ–उपस्थित नहीं।

श्री संजय निरूपम–उपस्थित नहीं।

किसी को कोई प्रश्न पूछना है? श्री सोहन पोटाई।

आतंकवादियों को विदेशी सहायता

***244. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:**[+]
श्री संजय निरूपम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सक्रिय आतंकवादी/अलगाववादी संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त संगठन पड़ोसी देशों से आश्रय, प्रशिक्षण, हथियारों और वित्त के रूप में सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या देश में असम, तमिलनाडु और केरल जैसे कुछ राज्यों से राष्ट्र विरोधी/अलगाववादी गतिविधियों की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में सक्रिय आतंकवादी/अलगाववादी संगठनों की राज्य-वार सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) उपलब्ध आसूचना संबंधी जानकारियों के अनुसार, भारत में सक्रिय आतंकवादियों/उग्रवादियों को आश्रय, प्रशिक्षण, हथियारों एवं वित्त के रूप में प्राय: विदेशों से, विशेष रूप से पाकिस्तान स्थित उनके मूल संगठनों द्वारा सहायता एवं निधियां प्रदान की जाती हैं।

मौजूदा सांविधिक एवं कानूनी संरचना में आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए प्रमुख कानूनी ढांचा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) है। मौजूदा प्रवर्तन संरचना को आगे और मजबूती प्रदान करने के लिए आतंकवाद के वित्तपोषण सहित यूएपीए के अधीन अपराध की कोटि में आने वाले सभी प्रकार के क्रियाकलापों से निपटने के लिए एक विशिष्ट अधिदेश के साथ वर्ष 2008 में एनआईए अधिनियम पारित किया गया था। इस खतरे से निपटने के लिए एनआईए ने एक प्रकोष्ठ (आतंकवाद का वित्तपोषण एवं जाली मुद्रा प्रकोष्ठ) बनाया है। इसके अलावा, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अधीन, बैंकिंग कंपनियां, वित्तीय संस्थाएं प्रतिभूति बाजार की मध्यवर्ती कंपनियां वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) को संदेहास्पद लेन-देन संबंधी रिपोर्टें (एसटीआर) प्रस्तुत करती हैं। एफआईयू-आईएनडी संदेहास्पद लेन-देन रिपोर्टों का विश्लेषण करके उन्हें संबंधित विधि प्रवर्तन एवं आसूचना एजेंसियों को भेजता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। असम, तमिलनाडु और केरल सहित देश में विभिन्न राज्यों से राष्ट्र-विरोधी/अलगाववादी क्रियाकलापों की

+ डॉ. मंदा जगन्नाथ और श्री संजय निरूपम के सभा में अनुपस्थित रहने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदया ने श्री सोहन पोटाई को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

रिपोर्टें मिली हैं। इन समूहों के क्रियाकलापों का चार क्षेत्रों, अर्थात् पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों और देश के भीतरी क्षेत्र के रूप में व्यापक वर्गीकरण किया गया है। इन क्रियाकलापों की व्यापक शृंखला में आतंकवाद, अलगाववाद, जाली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी/निर्माण/परिचालन, आतंकवाद का वित्तपोषण आदि शामिल हैं। सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अधीन राष्ट्र-विरोधी/अलगाववादी क्रियाकलापों के लिए जिम्मेवार 36 आतंकवादी समूहों एवं 9 विधिविरुद्ध संगठनों की पहचान की है।

इन राष्ट्र-विरोधी/अलगाववादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए, आतंकवादी संगठनों के क्रियाकलापों को निगरानी करने के लिए केंद्र एवं राज्य के स्तरों पर आसूचना एजेंसियों के बीच बहुत नजदीकी एवं प्रभावी समन्वय मौजूद है। संभावित इरादों एवं खतरों के बारे में आसूचना संबंधी जानकारियां संबंधित राज्य सरकारों के साथ नियमित आधार पर साझा की जाती हैं। मल्टी एजेंसी सेंट (एमएसी) को मजबूती प्रदान की गई है और इसे पुनर्गठित किया गया है, ताकि इसे आसूचना का वास्तविक समय पर मिलान करने हेतु 24×7 के आधार पर कार्य करने एवं अन्य आसूचना एजेंसियों के साि आसूचना साझा करने के लिए सक्षम बनाया जा सके और स्थापित तंत्र के माध्यम से संबंधित राज्यों के साथ सुरक्षा आसूचना संबंधी जानकारियां साझा की जाती हैं, जिससे राज्यों और केंद्रीय सुरक्षा एवं विधि प्रवर्तन एजेंसी के बीच नजदीकी समन्वय तथा आसूचना साझा करना एवं सूचना निर्बाधन प्रवाह सुनिश्चित होता है। इसके परिणामस्वरूप बहुत से आतंकवादी माड्यूल्स को ध्वस्त किया गया है और इस प्रकार बड़े आतंकवादी हमलों को रोका गया है।

अनुबंध

जम्मू एवं कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी समूहों की सूची

लश्करे-तैय्यबा (एलईटी)

हिजबुल-मुजाहिदीन (एचएम)

जैस-ए-मोहम्मद (जेईएम)

हरकत-उल-मुजाहिदीन (एचयूएम)

अल बदर (एबी)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय विद्रोही समूहों की सूची

असम

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम (यूएलएफए)

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) इसके दो गुट हैं।

एनडीएफबी-वार्ता विरोधी गुट (जिसे एनडीएफबी/रंजन डाइमेरी के रूप में भी जाना जाता है) और एनडीएफबी-पी (प्रगतिशील)

यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सोलिडैरिटी (यूपीडीएस)

करबी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रन्ट (केएलएनएलएफ)

ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी (एएएनएलए)

दीमा हलाम दैवगाह/जेवेल गारलोसा (डीएचडी/जे)

दीमा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट (डीएनडीएफ)

आदिवासी कोबरा मिलिट्री ऑफ असम (एसीएमए)

बिरसा कमांडो फोर्स (बीसीएफ)

मेघालय

हन्नीव नेशनल लिबरेशन, काउंसिल (एचएनएलसी)

लिबरेशन ऑफ अचिक इलिट फोर्स (एलएईएफ)

अचिक नेशनल वालंटियर्स काउंसिल (एएनबीसी)

गारा नेशनल लिबरेशन आर्मी (जीएनएलए)

त्रिपुरा

नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा/विश्वमोहन (एनएलएफटी/बी)
ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ)

नागालैंड

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम/इसाक-मुइवाह (एनएससीएन/आईएम)

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड/खापलांग (एनएससीएन (के)

फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड/विवालई मेथा (एफजीएन/वी)

फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड/सिंगन्या (एफजीएन/एस)

मिजोरम

हमार पीपल्स कनवेन्शन/डेमोक्रेटिक (एचपीसी/डी)

हमार नेशनल आर्मी (एचएनए)

मणिपुर

पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए)

यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ)

कांगलेई यावोल कन्ना लुप (केवाईकेएल)

पीपल्स रिवोल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक/वाइस चेयरमैन (पीआरईपीएके/वीसी)

पीपल्स रिवोल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक/जनरल सेक्रेटरी (पीआरईपीएके/जीएस)

पीपल्स रिवोल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलेईपाक/शांति (पीआरईपीएके/शांति)

अब इसका नाम यूनाइटेड पीपल्स पार्टी ऑफ कांगलेईपाक/यूपीपीके रखा गया है।

कांगलेईपाक कॉम्युनिस्ट पार्टी/नोयोन (केसीपी/नोयोन)

कांगलेईपाक कॉम्युनिस्ट पार्टी/नगंबा (केसीपी/नगंबा)

कांगलेईपाक कॉम्युनिस्ट पार्टी/लमफेल (केसीपी/लमफेल)

कांगलेईपाक कॉम्युनिस्ट पार्टी/सिटी मेइती (केसीपी/सिटी मेइती)

कांगलेईपाक कॉम्युनिस्ट पार्टी/लालहेइबा (केसीपी/लालहेडबा)

कांगलेईपाक कॉम्युनिस्ट पार्टी/लालुम्बा (केसीपी/लालुम्बा)

कांगलेईपाक कॉम्युनिस्ट पार्टी/लामियांबा (केसीपी/लामियांबा)

कांगलेईपाक कॉम्युनिस्ट पार्टी/एमसी (केसीपी/चिंगखेनगम्बा)

पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट/आजाद (पीयूएलएफ/आजाद)

पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट/एमआई खान (पीयूएलएफ/एमआईखान)

पीपल्स यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट/फारुख (पीयूएलएफ/फारुख)

कुकी नेशनल आर्मी (केएनए)

कुकी नेशनल फ्रंट/मिलिटरी काउंसिल (केएनएफ/एमसी)

कुकी नेशनल फ्रंट/जाऊगाम (केएनएफ/जैड)

यूनाइटेड सोशलिस्ट रिवोल्युशनरी आर्मी (यूएसआरए)

जोऊ डिफेन्स वालंटियर्स (जेडडीवी)

जोमी रिवोल्युशनरी फ्रंट (जेडआरएफ)

जेलिनगुरंग यूनाइटेड फ्रंट (जैडयूएफ)

यूनाइटेड कोम रेम आर्मी (यूकेआरए)

कुकी रिवोल्युशनरी आर्मी/यूनाइटेड (केआरए/यू)

हमार नेशनल आर्मी (एचएनए)

कुकी लिबरेशन आर्मी (केएलए)

जोमी रिवोल्युशनरी आर्मी (जेडआरए)

यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट (यकेएलएफ)

कुकी नेशनल फ्रंट/टी. सैमुअल (केएनएफ/सैमुअल)

कुकी नेशनल फ्रंट/सेमतिनथांग (केएनएफ/सेमतिनथांग)

हमार पीपल्स कनवेंशन/डेमोक्रेटिक (एचपीसी/डी)

पंजाब में सक्रिय आतंकवादी समूहों की सूची

बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई)

खालिस्तान जिन्दाबाद फोर्स (केजैडएफ)

खालिस्तान कमांडो फोर्स (केसीएफ)

उपर्युक्त के अलावा, देश के भीतरी भागों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में एलईटी, आईएम, एचएम, एचयूजेआई, अल-बदर आदि जैसे अनेक आतंकवादी समूह सक्रिय हैं।

[हिन्दी]

श्री सोहन पोटाई: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न सं. 244 का जो उत्तर दिया है, उसमें बहुत सारे अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों का ब्यौरा दिया गया है। उसमें नक्सलवादी भी एक संगठन है जिसके चलते छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और कुछ बिहार के हिस्से हैं, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, आन्ध्र प्रदेश है, इन सभी क्षेत्रों में विकास नहीं होने देते और यदि जहां विकास हुआ भी है, जहां रोड बनी है तो रोड की खुदाई कर देते हैं, यदि पुल-पुलिया बनी है तो उसे उड़ा देते हैं, कहीं स्कूल बना है या आंगनवाड़ी भवन बना है, स्वास्थ्य भवन बना है, इसको गिरा दिया जाता है और महीने में कम से कम एक दो बार उनका बंद का आह्वान होता है जिसमें गाड़ियां, मोटर एक सप्ताह नहीं चलती हैं। दुकानें बंद हो जाती हैं, बाजार-हाट बंद हो जाते हैं और लोगों को कई प्रकार की असुविधा होती है तथा निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके आतंक फैलाने का काम करते हैं। क्या इन संगठनों को भी इस प्रकार की श्रेणी में लाएंगे? उनके जो सूचना तंत्र हैं, पुलिस के सूचना तंत्र से बहुत अग्रणी हैं। क्या ऐसे जो क्षेत्र हैं, जहां नक्सलवादी संगठनों की गतिविधियां हैं, अन्य अलगाववादी और आतंकवादी क्षेत्रों में जो प्रदान किये हैं, ऐसा वहां भी क्या संगठन संगठित करेंगे?

[अनुवाद]

श्री आर.पी.एन. सिंह: हमने देश में 36 समूहों और 9 संगठनों को प्रतिबंधित किया है। वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में उठाए गए कदमों के संदर्भ में, हमने वामपंथी उग्रवादी प्रभावित राज्यों के लिए दो स्तरीय पहल की है, जिसे माननीय मंत्री जी ने उठाया है। प्रथम यह कि जहां तक नक्सलवादियों का प्रश्न है, हम उनके साथ बहुत प्रभावशाली तरीके से निपटते हैं। हमने कई कदम उठाए हैं जिनको इस सभा के सदस्यों की जानकारी में लाना चाहूंगा। केन्द्र सरकार का दृष्टिकोण है कि वामपंथी चरमपंथियों से सुरक्षा, विकास, सुशासन और लोक अवधारणा प्रबंध के संदर्भ में समग्रता से निपटा जाये। केन्द्र सरकार अपराधों और हिंसा में शामिल वामपंथी उग्रवादी समूहों से निपटने हेतु प्रतिबद्ध है। वामपंथी उग्रवादियों के क्रियाकलापों के अन्तर-राज्यीय विस्तार को ध्यान में रखते हुए, राज्यों से विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद, वामपंथी प्रभावित राज्यों के साथ प्रभावी रूप से निपटने के लिए एक कार्ययोजना पर विचार किया गया है। ऐसा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है कि वामपंथी उग्रवादियों से निपटने हेतु समन्वयकारी रणनीति प्रारम्भ की जाये। गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में इस प्रकार के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनके नाम हैं–भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), पीपल्स वार, इसके सभी प्रारूप और फ्रंट आर्गेनाइजेशन, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर, इसके सभी रूप और फ्रंट आर्गेनाजेशन।

श्री अनंत कुमार: महोदया, अभी हाल ही में, तारीक अली, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रवक्ता ने कहा कि कुख्यात आतंकवादी और बम विस्फोट का मास्टर माइंड, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही रह रहा है। बाद में, हालांकि उन्होंने मना कर दिया। परन्तु, साथ ही, महोदया, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, सभा के नेता, गृह मंत्री शिन्दे साहब भी यहां हैं।

मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार दाऊद इब्राहिम के प्रत्यर्पण और भारत में वापस लाने के लिए क्या प्रयास कर रही है।

श्री आर.पी.एन. सिंह: महोदया, यह प्रश्न उठाए गए प्रश्न के क्षेत्र से बाहर का है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: एक मिनट अनन्त कुमार जी।

...*(व्यवधान)*

श्री आर.पी.एन. सिंह: मैं उत्तर दे रहा हूं।...*(व्यवधान)* मैं उस सवाल का उत्तर दूंगा। यह एक विशिष्ट प्रश्न है। इसमें उन लोगों का जिक्र नहीं है जिनको हम पाकिस्तान से लाना चाहते हैं। परन्तु मैं मुख्य विपक्षी दल को समझा रहा हूं जो सरकार को आतंक पर कार्यवाही करने में कमजोर साबित करना चाहती है। मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि इस सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध सभी संभव कदम उठाए हैं जबकि विपक्ष में बैठी पार्टी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है।...*(व्यवधान)* हर समय वे आतंकवाद का हौवा बनाते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, गृह मंत्री खड़े हैं। वह आपको उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदया, मैंने इस सभा में कई अवसरों पर कहा है कि जब मैं पाकिस्तान के इन्टीरियर मिनिस्टर से मिला जब उन्होंने हमारे निमंत्रण पर भारत का दौरा किया था–मैंने दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया था। हम इन आतंकवादियों के बारे में पहले ही कह चुके हैं कि वे पाकिस्तान में या कराची में दूसरी किसी जगह रह रहे हैं और उन्हें उनको भारत को सौंपना होगा। सिर्फ यही नहीं, जब मैं इंटरपोल सम्मेलन में गया था तो हमने इस मुद्दे को उठाया था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रह रहा है और कृपया आप पाकिस्तान से इन दोनों आतंकवादियों को भारत को सौंपने के लिए कहें। इस मुद्दे पर हम पाकिस्तान सरकार पर जोर डाल रहे हैं। हमें संदेह है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। उसे भारत को सौंपा जाना चाहिए।

प्रो. सौगत राय: महोदया, यह प्रश्न अतिवादियों को बाहर से सहायता प्राप्त करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संबंधित है। मंत्री ने एलडब्ल्यूई, जो कि वामपंथी अतिवादी हैं, के संबंध में उठाए गए कदमों को रेखांकित किया है। लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार की यह रणनीति काम नहीं कर रही है जो कि छत्तीसगढ़ के जंगली क्षेत्र में एक यात्रा के दौरान कई कांग्रेसी नेताओं की हत्या से साबित हुआ है। अब, ये माओवादी गढ़चिरौली से दण्डकारण्य होते हुए नेपाल तक एक रेड कॉरीडोर बनाना चाहते हैं।

मैं माननीय मंत्री से विशेष तौर पर यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें दण्डकारण्य के माओवादियों और नेपाल के माओवादियों के बीच संबंध के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है। मैं यह भी

जानना चाहता हूं कि जहां तक छत्तीसगढ़ के माओवादियों का संबंध है तो उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे हथियार जिनमें स्वचालित एके-47 और दूसरे हथियार शामिल हैं क्या वे बड़ी संख्या में विदेशी स्रोतों से आ रहे हैं।

श्री आर.पी.एन. सिंह: मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि कई राज्य वामपंथी अतिवादियों से संघर्ष कर रहे हैं। मूलत: यह राज्य का विषय है। हमने सारी सूचनाएं और सारे अर्धसैनिक बलों को वामपंथी अतिवादियों की विपत्ति से लड़ने के लिए राज्यों को उपलब्ध कराया है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ ठीक-ठाक काम कर रहे हैं और कुछ पीछे रह गये हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है। माननीय गृह मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस उद्देश्य के साथ बैठकें की हैं कि हमें वामपंथी अतिवादियों के खतरे से लड़ने की जरूरत है।

उस विशेष प्रश्न के बारे में जो माननीय सदस्य ने माओवादियों को नेपाल के माध्यम से वित्तपोषण के संबंध में उठाया था, मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में और उस देश, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, से आ रही किसी सहायता के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ऑनलाइन उर्वरक निगरानी प्रणाली

***245. श्री वरूण गांधी:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2007 में शुरू की गई ऑनलाइन उर्वरक निगरानी प्रणाली हितधारकों में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी हां। ऑनलाइन उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) सभी हितधारकों के बीच सफल रही है। इसे वर्ष 2007 में लागू किया गया था। यह पूरी तरह प्रचालन में है और इसका सभी हितधारकों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। वर्तमान में सभी उर्वरकों की जिला स्तर तक उपलब्धता और संचालन की उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से वास्तविक आधार पर निगरानी की जा रही है। यूरिया और पीएंडके उर्वरकों के राजसहायता दावा बिलों को भी इसी प्रणाली के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) एफएमएस अब पूरी तरह स्थिर हो चुकी है तथा सभी हितधारक उत्पादन, प्रेषण, प्राप्त आंकड़ों को दर्ज करने तथा राजसहायता दावों को प्रस्तुत करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आम जनता द्वारा जिला स्तर पर उर्वरकों की उपलब्धता को यूआरएल www.urvarak.co.in पर देखा जा सकता है।

एफएमएस को लोकप्रिय बनाने हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए कोई विशिष्ट निधियां आवंटित नहीं की जातीं क्योंकि यह हितधारकों द्वारा पूरी तरह प्रचालनात्मक है।

जैव कृषि

***246. श्री अनंत कुमार:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर जैव कृषि और जैव उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान किसानों को जैव कृषि को प्रोत्साहन देने हेतु आबंटित और जारी की गई धनराशि तथा इससे उन्हें हुए लाभों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य ऐसी संस्थाओं/कृषि विश्वविद्यालयों ने देश में जैव कृषि के संबंध में, अनुसंधान और विकास कार्य शुरू किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) सरकार राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (एनपीओएफ), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएचएफ), भारतीय कृषि अनुसंधान परियोजना (आईसीएआर) के अंतर्गत जैविक कृषि परियोजना नेटवर्क और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) के माध्यम से जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है।

एनपीओएफ स्कीम कृषि-अपशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन यूनिट, जैव-उर्वरक/जैव नाशीजीवमार उत्पादन यूनिट, गुणवत्ता नियंत्रण रेजिम का विकास और कार्यान्वयन, मानव संसाधन विकास आदि हेतु पूंजी निवेश राजसहायता के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जैव नाशीजीवमार/जैव उर्वरक उत्पादन यूनिट और कृषि अपशिष्ट कम्पोस्ट उत्पादन यूनिट के लिए क्रमशः पार्श्वान्त राजसहायता के रूप में क्रमशः 40 लाख रुपये और 60 लाख रुपये की सीमा तक वित्तीय परिव्यय का 25 प्रतिशत और 33 प्रतिशत तक सहायता प्रदान करती है।

"राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (एनएचएम) और उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) 4 हैक्टेयर की अधिकतम क्षेत्र के लिए प्रति लाभार्थी हेतु 10,000/-रुपये प्रति हैक्टेयर की दर पर जैविक कृषि अपनाने के लिए 30,000/-रुपये प्रति लाभार्थियों की अधिकतम के विषय में लागत की 50 प्रतिशत की दर पर वर्मी कम्पोस्ट की स्थापना करने के लिए और 50 हैक्टेयर की क्षेत्र को कवर करने के लिए किसानों के समूह के लिए 5.00 लाख रुपये की दर पर जैविक कृषि प्रमाणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राज्य स्तरीय संस्वीकृत समिति द्वारा परियोजना तैयार करने और अनुमोदन करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत जैविक उर्वरकों का उत्पादन और विपणन पर ध्यान संकेंद्रित करने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएचएफ) के अंतर्गत समेकित पोषक-तत्त्व प्रबंधन-जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 500 रुपये प्रति प्रति हैक्टेयर की दर पर सहायता प्रदान कराई जाती है।

आईसीएआर देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में जैविक कृषि के अंतर्गत विभिन्न फसलों के प्रयोगों के पैकेज विकास के लिए जैविक कृषि नेटवर्क परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। आईसीएआर जैविक कृषि के विभिन्न रूझानों पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण और अग्रणी प्रदर्शन भी आयोजित करता है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा) द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित कृषि ग्रेडिंग एवं मार्किंग नियमावली, 2009 के अंतर्गत जैविक उत्पादक प्रमाणीकरण के प्रणाली के माध्यम से जैविक उत्पादों का विपणन और निर्यात को बढ़ावा देती है।

वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच), राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (एनपीओएफ), राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरक प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएचएवंएफ) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत जैविक कृषि के संवर्धन के लिए निर्मुक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण क्रमशः-I, II, III, IV और V पर दिया गया है।

आईसीएआर देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्र में जैविक कृषि के अंतर्गत विभिन्न फसलों की प्रयोगों के पैकेज के विकास के लिए जैविक कृषि पर नेटवर्क परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (एसएयू) सहित 13 केंद्रों पर अलग से 12 राज्यों में चल रही है। जैविक कृषि के अंतर्गत 14 फसलों नामतः बासमती चावल, वर्षा सिंचित गेहूं, मक्का, अरहर, चना, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, इसाबगोल, काली मिर्च, अदरक, टमाटर, गोभी और फूलगोभी पद्धतियों के पैकेज विकसित किए गए हैं। आईसीएआर जैविक कृषि के विभिन्न रूझानों पर किसानों के शिक्षित करने के लिए भी प्रशिक्षण देता है और फ्रंट लाइन प्रदर्शन आयोजित करता है।

विवरण I

2009-10 से 2012-13 अवधि के दौरान जैविक कृषि के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत प्रस्ताव राजय-वार वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

राज्य	वर्ष-वार वित्तीय सहायता			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आंध्र प्रदेश	204.00	282.77	378.25	12.75
बिहार	169.83	0.00	6.38	85.00
छत्तीसगढ़	901.00	1007.25	1462.72	172.50
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
गोवा	5.10	0.51	2.55	2.55
गुजरात	66.97	127.50	63.80	28.05
हरियाणा	274.64	79.48	36.86	31.34
झारखंड	25.50	17.47	63.75	227.50
कर्नाटक	752.25	325.47	237.15	544.17
केरल	0.00	278.80	140.25	89.25
मध्य प्रदेश	488.75	64.18	0.00	28.56
महाराष्ट्र	1.28	162.35	0.00	0.00
ओडिशा	89.25	0.00	76.50	425.00
पंजाब	637.50	35.28	67.36	22.53
राजस्थान	105.23	63.76	48.88	102.00
तमिलनाडु	23.71	12.75	21.25	29.75
उत्तर प्रदेश	152.24	78.63	73.10	39.31
पश्चिम बंगाल	0.00	77.02	0.00	97.75
कुल	3897.25	2613.22	2678.80	1938.01

विवरण II

2009-10 से 2012-13 के दौरा उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन के अंतर्गत जैविक कृषि के संवर्धन के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

राज्य	प्रदान की गई वित्तीय सहायता			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
अरुणाचल प्रदेश	131.00	25.80	123.48	243.45
असम	173.10	28.60	35.60	97.30
मणिपुर	78.00	51.30	110.00	260.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	126.20	152.00	16.50	20.00
नागालैंड	190.00	81.50	123.00	202.50
सिक्किम	315.25	332.48	492.50	558.48
त्रिपुरा	141.00	130.40	79.40	52.00
जम्मू और कश्मीर	61.50	67.25	117.10	165.91
हिमाचल प्रदेश	107.00	216.28	398.21	79.45
उत्तराखंड	84.31	201.00	53.60	59.56
कुल	1407.36	1286.61	1549.39	1738.65

विवरण III

वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान आदान उत्पादन हेतु नाबार्ड के माध्यम से एनपीओएफ के पूंजी निवेश राजसहायता स्कीम (सीआईएसएस) के अंतर्गत राज्य-वार अनुमोदित राजसहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों के	अनुमोदित राजसहायता की धनराशि (लाख रुपय में)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आध्र प्रदेश	10.00	23.25	20.00	20.00

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	2.60	1.38	22.32	0.75
4.	बिहार	0.00	0.00	5.25	0.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	20.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	0.00	14.75	0.00	2.03
9.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	6.18	73.31	0.00	0.00
13.	केरल	30.07	0.00	6.78	0.00
14.	मध्य प्रदेश	5.04	0.00	0.00	2.26
15.	महाराष्ट्र	38.46	13.75	43.08	23.01
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	61.60	24.86	14.04	0.00
22.	राजस्थान	55.61	30.45	21.34	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	10.99	13.04	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	20.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	9.75	25.69	3.30	0.00
27.	उत्तराखंड	8.95	8.75	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	259.24	229.23	156.11	48.04

विवरण IV

वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरक प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत जैविक खाद के संवर्धन और खेत पर प्रदर्शन के अंतर्गत वर्ष-संस्वीकृत निधि

क्र.सं.	राज्य का नाम	(रुपये लाख में)		
		2009-10	2010-11	2011-12
1.	आंध्र प्रदेश	56.20	0	114.40
2.	बिहार	60.00	0	0.00
3.	हिमाचल प्रदेश	23.00	0	0.00
4.	झारखंड	10.80	0	0.00
5.	कर्नाटक	76.50	0	0.00
6.	केरल	65.10	0	0.00
7.	मणिपुर	50.00	0	0.00
8.	त्रिपुरा	55.00	0	0.00
9.	हरियाणा	0.00	6.00	0.00
10.	छत्तीसगढ़	0.00	0.80	0.00
11.	गुजरात	0	0	35.00
12.	उर्वरक लागत	2.60	5.00	0.00
	कुल	399.20	11.80	149.40

नोट वर्ष 2012-13 के दौरान निर्मुक्ति नहीं की गई थी।

विवरण V

वर्ष 2009-10 से 2012-13 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई के अंतर्गत जैविक कृषि के संवर्धन के लिए राज्यवार प्रदत्त राजसहायता

राज्य का नाम	*अनुमोदित सहायता की राशि*			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	12.00	71.00	0.00	1500.00

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	5.00	0.00	0.00	299.00
असम	0.00	450.00	900.00	1157.00
बिहार	0.00	3264.00	10105.00	0.00
छत्तीसगढ़	230.00	1200.00	0.00	196.00
गोवा	0.00	0.00	18.00	0.00
गुजरात	197.00	280.00	10816.00	1163.00
हरियाणा	155.00	0.00	151.00	338.00
हिमाचल प्रदेश	330.00	1163.00	1005.00	1050.00
जम्मू और कश्मीर	87.00	331.00	79.00	237.00
झारखंड	0.00	90.00	158.00	400.00
कर्नाटक	0.00	50.00	2800.00	2100.00
केरल	2.00	0.00	123.00	144.00
मध्य प्रदेश	380.00	1126.00	440.00	569.00
महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	0.00	35.00	282.00	75.00
मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	104.00	150.00	150.00
ओडिशा	442.00	1115.00	0.00	0.00
पंजाब	0.00	1350.00	0.00	0.00
राजस्थान	2235.00	675.00	367.00	0.00
सिक्किम	196.00	0.00	250.00	120.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	660.00
त्रिपुरा	40.00	115.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	398.00	1537.00	1656.00	2818.00
उत्तराखंड	1151.00	0.00	1331.00	0.00
पश्चिम बंगाल	56.00	35.00	0.00	0.00
कुल	5916.00	12991.00	30631.00	12976.00

कोयले का आयात

***247. श्री सुवेन्दु अधिकारी:**
श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा वर्तमान आयात नीति के अंतर्गत कोयले को खुली सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत रखने से विभिन्न विद्युत कंपनियों द्वारा कोयले के आयात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान स्थिति का फायदा उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोयला उत्पादकों द्वारा संघ बनाने का कोई प्रमाण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) वर्तमान में, कोयले की घरेलू मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर है। तदनुसार, विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा कोयले का आयात किया जा रहा है जिससे घरेलू स्रोतों से कोयले की आपूर्ति बढ़ेगी।

12वीं योजना अवधि के दौरान कोयले के स्वदेशी उत्पादन एवं घरेलू मांग के बीच अंतर बने रहने के संभावना है तथा अंतर को पाटने के लिए आयात की आवश्यकता होगी।

अत:, कोयले के आयात को खुली सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। विद्युत कंपनियों सहित उपभोक्ता अपने संविदागत मूल्यों के अनुसार अपनी इच्छानुसार किसी भी स्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय कोयला उत्पादकों द्वारा कोई संघ बनाने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है अथवा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का अन्यत्र उपयोग

***248. श्री हरि मांझी:**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्धारित खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं की चोरी, अन्यत्र उपयोग और कालाबाजारी के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा अन्यत्र उपयोग में लाई गई उक्त वस्तुओं की मात्रा और मूल्य कितना है;

(ग) क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संबंधी अध्यादेश के कार्यान्वयन के दृष्टिगत इन चोरियों को रोकना ज्यादा जरूरी हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़/सुचारू बनाने तथा खाद्यान्नों की चोरी, भंडारण और ढुलाई संबंधी मुद्दों का समाधान करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के अन्यत्र उपयोग/कालाबाजारी के ऐसे मामलों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दोषी ठहराए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई और उनसे कितनी धनराशि वसूल की गई?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) देश के कुछ राज्यों/क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के प्रचालन में चोरी, अन्यत्र हस्तांतरण आदि सहित अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रचालन केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर टीपीडीएस के कार्यान्वयन संबंधी प्रचालनात्मक जिम्मेवारियां संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती हैं। अत: जब कभी किसी व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ-साथ प्रेस रिपोर्टों के जरिए सरकार को शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो इन्हें जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को भेजा जाता है। पिछले तीनल वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की संख्या दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने एवं उपलब्धता और वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया गया है जो टीपीडीएस के सुचारु रूप से प्रचालन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सभी अपेक्षित कार्रवई करने के लिए अधिदेशित करता है। आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी की रोकथाम के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आवश्यक वस्तु (ईजी) अधिनियम,

1955 और कालाबाजारी निवारक तथा आवश्यक वस्तु आपूर्ति रखरखाव अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा की-गई-कार्रवाई उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित है:

(30.07.2013 तक)

वर्ष	छापों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य (लाख रुपए में)
2010	204783	10906	4539	161	10500.741
2011	180785	4498	4486	30	7164.8068
2012	151544	4249	3454	414	23797.88
2013	67228	2836	1554	898	53529.11

तथापि, टीपीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्नों की मात्रा का विशेष आकलन और इसके परिवर्तित मूल्य का विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) को सुदृढ़ एवं सुचारु बनाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश (एनएफएसओ), 2013 दिनांक 5.7.2013 को जारी किया गया जिसमें टीपीडीएस में सुधार करने का प्रावधान भी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ टीपीडीएस बिक्री केन्द्रों पर ही खाद्यान्नों की सुपुर्दगी, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण करने सहित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी साधनों का अनुप्रयोग, लाभों को उचित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पात्र लाभार्थियों के बायोमीट्रिक सूचना सहित विशिष्ट पहचान के लिए 'आधार' का उपयोग, अभिलेखों की पूर्ण पारदर्शिता, समय-समय पर टीपीडीएस के अंतर्गत वितरित वस्तुओं का विविधीकरण आदि शामिल हैं। एनएफसओ में अन्य बातों के साथ यह वस्तुओं का विविधीकरण आदि शामिल हैं। एनएफएसओ में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था भी है कि केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट डिपुओं में आबंटन के अनुसार खाद्यान्नों की ढुलाई की व्यवस्था करेगी और केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और पद्धति के अनुरूप राज्य के भीतर माल-ढुलाई, खाद्यान्नों की हैंडलिंग और उचित दर दुकान डीलरों को भुगतान किए गए मार्जिनों के लिए राज्य सरकारों द्वारा वहन किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। जहां तक भंडारण का संबंध है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश (एनएफएसओ), 2013 में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित आधुनिक और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का निर्माण और रख-रखाव करेगी। राज्य सरकारें भी राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर टीपीडीएस और अन्य खाद्य आधारित कल्याणकारी स्कीमों के अंतर्गत अपेक्षित खाद्यान्नों को रखने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का निर्माण और रख-रखाव करेंगी।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के अधीन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आदेश के प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में खंड 8 और 9 के तहत के तहत दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त आदेश के खंड 8 और 9 के अधीन की-गई-कार्रवाई के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। तथापि, जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारियों, उनसे वसूली गई राशि का विवरण मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

विवरण I

2010 से 2013 तक (31 जुलाई, 2013 तक) व्यक्तियों, संगठनों और मीडिया रिपोर्टों के जरिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में विभाग में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	1	-	1

1	2	3	4	5	6
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	2	–	–
3.	असम	1	1	1	–
4.	बिहार	13	6	14	19
5.	छत्तीसगढ़	5	1	1	3
6.	दिल्ली	37	16	22	19
7.	गोवा	1	–	–	–
8.	गुजरात	3	2	3	–
9.	हरियाणा	24	7	5	8
10.	हिमाचल प्रदेश	–	4	–	–
11.	जम्मू और कश्मीर	3	–	3	–
12.	झारखंड	5	3	4	5
13.	कर्नाटक	2	1	2	3
14.	मध्य प्रदेश	3	1	4	–
15.	मणिपुर	13	9	6	12
16.	महाराष्ट्र	5	8	9	15
17.	मणिपुर	–	1	1	1
18.	मेघालय	–	1	–	1
19.	मिजोरम	–	–	1	–
20.	नागालैंड	1	–	–	–
21.	ओडिशा	3	2	3	2
22.	पंजाब	2	–	5	5
23.	राजस्थान	6	6	3	13
24.	सिक्किम	2	–	–	1
25.	तमिलनाडु	2	3	4	7
26.	उत्तराखंड	1	1	5	2
27.	उत्तर प्रदेश	33	68	72	54
28.	पश्चिम बंगाल	2	–	2	2
29.	चंडीगढ़	2	–	–	–
30.	पुदुचेरी	–	–	1	–
	कुल	174	144	171	173

विवरण II

जनवरी, 2010 से जून, 2013 तक पीडीएस (नियंत्रण) आदेश 2001 के खंड 8 एवं 9 के अंतर्गत क्षेत्र सरकारों द्वारा की-गई-कार्रवाई के परिणाम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष	निरीक्षणों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या	गिरफ्तार/अभियोजित/सिद्धदोष व्यक्तियों की संख्या	निलंबित/रद्द किए उचित दर दुकानों के लाइसेंस/जारी किए कारण बताओ नोटिस/दायर एफआईआर की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	2010	111	00	00	07
		2011	21	151	0	01
		2012	0	12	0	00
		2013	*	*	*	*
3.	असम	2010	2363	349	05	89
		2011	3361	1454	200	129
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
4.	बिहार	2010	64332	81	31	7721
		2011	70927	51	49	8926
		2012	73629	101	38	10358
		2013	*	*	*	*
5.	छत्तीसगढ़	2010	31123	694	20	547
		2011	27503	285	07	215
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7
6.	दिल्ली	2010	65	57	24	08
		2011	110	26	09	78
		2012	29	00	00	28
		2013	*	*	*	*
7.	गोवा	2010	366	00	00	10
		2011	344	00	00	51
		2012	334	00	00	23
		2013	101	00	00	18
8.	गुजरात	2010	15508	00	143	338
		2011	20005	00	139	316
		2012	15637	00	45	209
		2013	3742	00	33	69
9.	हरियाणा	2010	5972	388	32	2160
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
10.	हिमाचल प्रदेश	2010	24009	00	01	2458
		2011	35933	00	08	00
		2012	31109	00	02	00
		2013	12293	00	02	00
11.	जम्मू और कश्मीर	2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
12.	झारखंड	2010	*	*	*	*
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7
13.	कर्नाटक	2010	67671	23687	175	347
		2011	78030	1334	157	162
		2012	64484	784	69	59
		2013	18197	88	14	30
14.	केरल	2010	73985	21164	49	151
		2011	43568	4102	06	54
		2012	110840	6760	02	127
		2013	22281	2220	00	28
15.	मध्य प्रदेश	2010	118150	18383	60	1524
		2011	118126	57691	00	4884
		2012	97846	16910	19	2323
		2013	*	*	*	*
16.	महाराष्ट्र	2010	*	*	*	*
		2011	45446	5054	116	907
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
17.	मणिपुर	2010	101	00	00	00
		2011	44	00	00	00
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
18.	मेघालय	2010	897	65	07	69
		2011	1288	39	00	18
		2012	324	07	00	02
		2013	*	*	*	*
19.	मिजोरम	2010	353	246	00	24
		2011	366	340	02	10
		2012	338	223	00	03
		2013	71	29	00	00

1	2	3	4	5	6	7
20.	नागालैंड	2010	197	08	00	00
		2011	299	14	00	00
		2012	69	03	00	01
		2013	*	*	*	*
21.	ओडिशा	2010	00	56341	245	1643
		2011	00	73523	368	2722
		2012	00	31197	131	1229
		2013	00	8119	41	377
22.	पंजाब	2010	29157	5864	08	1335
		2011	36462	8844	08	1304
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
23.	राजस्थान	2010	00	359	214	00
		2011	00	489	283	00
		2012	00	194	227	00
		2013	*	*	*	*
24.	सिक्किम	2010	87	00	00	00
		2011	00	00	00	00
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
25.	तमिलनाडु	2010	239993	27485	3981	00
		2011	234103	13779	1290	00
		2012	184677	10290	2340	00
		2013	64451	3084	686	00
26.	त्रिपुरा	2010	12379	419	12	760
		2011	7027	186	42	590
		2012	7520	311	00	605
		2013	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7
27.	उत्तराखंड	2010	10853	5419	45	181
		2011	8513	4258	27	159
		2012	2953	1477	7	16
		2013	3298	1651	03	24
28.	उत्तर प्रदेश	2010	194259	40124	2375	10619
		2011	44152	11693	653	3523
		2012	76458	19226	976	5302
		2013	*	*	*	*
29.	पश्चिम बंगाल	2010	17257	415	05	894
		2011	19378	405	58	1154
		2012	15436	452	01	1213
		2013	*	*	*	*
30.	अंडमान और निकोबार दीपसमूह	2010	263	00	00	15
		2011	90	00	03	09
		2012	316	00	00	17
		2013	*	*	*	*
31.	चंडीगढ़	2010	*	*	*	*
		2011	14	03	03	00
		2012	00	00	00	00
		2013	*	*	*	*
32.	दादरा और नगर हवेली	2010	43	00	00	04
		2011	72	40	08	03
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*
33.	दमन और दीव	2010	18	00	00	19
		2011	*	*	*	*
		2012	*	*	*	*
		2013	*	*	*	*

1	2	3	4	5	6	7
34	लक्षद्वीप	2010	02	02	00	00
		2011	00	00	00	00
		2012	00	00	00	00
		2013	*	*	*	*
35	पुदुचेरी	2010	646	337	09	03
		2011	496	615	22	01
		2012	385	770	161	00
		2013	*	*	*	*
	जोड़	2010	910160	201887	7441	30926
		2011	795678	184376	3458	25216
		2012	682384	88717	4018	21515
		2013	124434	15191	779	546
सकल जोड़=2010+2011+2012+2013			2512656	490171	15696	78203

*सूचना नहीं दी गई है।

प्याज का उत्पादन

***249. श्री राजू शेट्टी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्याज उत्पादक राज्यों में प्याज का उत्पादन कितना है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्याज की घरेलू मांग और आपूर्ति क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और अन्य एजेंसियों द्वारा किसानों से सीधे कितनी मात्रा में प्याज खरीदा गया तथा उसका मूल्य क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार घरेलू खपत हेतु प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लागने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 हेतु प्याज को राज्यवार उत्पादन ब्यौरा विवरण दिया गया है। खरीफ मौसम 2013 हेतु प्लाज का रोपण जुलाई में ही शुरू किया गया है, अत: इस वर्ष हेतु उत्पादन का आकलन इस स्तर पर उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्याज की खपत हेतु घरेलू मांग लगभग 10 लाख एमटी प्रति माह है। इसके अलावा लगभग 15-20 लाख एमटी प्याज निर्यात किया जाता है, 1 लाख एमटी प्याज बीज उत्पादन हेतु उपयोग किया जाता है और 3-5 लाख एमटी प्याज प्रतिवर्ष प्रसंस्कृत किया जाता है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) ने वर्ष 2010-11 में लगभग 230.00 लाख मूल्य के 676.18 एमटी और वर्ष 2011-12 में 68.30 लाख रुपए के मूल्य के 944.35 एमटी प्याज का प्रापण किया। वर्ष 2012-13 में नैफेड ने कोई खरीद नहीं की है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। तथापि 14.08.2013 से 650 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) प्याज के निर्यात पर लगाया गया है।

विवरण

वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13 तक प्याज के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्पादन ('000 एमटी)			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अनन्तिम)
महाराष्ट्र	3146.0	4905.0	5638.00	4763.00
कर्नाटक	2266.2	2592.2	2451.20	2523.50
मध्य प्रदेश	952.3	1021.5	1957.00	2150.69
आंध्र प्रदेश	662.6	812.6	824.77	1514.32
बिहार	972.0	1082.0	1236.74	1283.32
गुजरात	1078.6	1514.1	1562.20	704.38
राजस्थान	742.5	494.2	664.22	670.80
हरियाणा	330.3	453.9	589.83	518.48
उत्तर प्रदेश	320.3	368.6	383.47	420.91
ओडिशा	298.8	385.9	418.99	419.09
तमिलनाडु	339.7	338.9	556.45	398.93
झारखंड	240.0	305.0	318.19	321.14
पश्चिमी बंगाल	290.0	298.0	304.56	309.10
छत्तीसगढ़	160.3	174.2	222.21	269.28
पंजाब	175.1	182.3	182.69	182.94
जम्मू और कश्मीर	64.8	63.5	65.27	65.27
उत्तराखंड	40.5	38.0	39.27	39.40
हिमाचल प्रदेश	33.9	35.9	36.30	36.30
असम	19.3	22.1	23.97	30.90
दिल्ली	23.5	27.3	22.86	15.50
*अन्य	2.0	2.6	12.91	17.71
सकल योग	12158.8	15117.7	17511.1	16655.0

*अन्य में नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, पुदुचेरी शामिल हैं।

स्रोतः

2009-10: भारतीय बागवानी डाटाबेस, 2010 एनएचबी

2010-11: भारतीय बागवानी डाटाबेस, 2011 एनएचबी

2011-12: भारतीय बागवानी डाटाबेस, 2012 एनएचबी

2012-13 (अनन्तिम): द्वितीय आकलन, कृषि एवं सहकारिता विभाग

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

***250. श्री कीर्ति आजाद:**
श्री सुरेश कलमाडी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में इस समय कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य खेत्र से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा वर्तमान में ऐसे कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई/कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(घ) अगले दो वर्षों में सरकारी, निजी और सरकारी-निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत कितने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या संबंधी राज्य-वार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। तथापि, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 में प्रकाशित उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पंजीकृत यूनिटों की संख्या संबंधी सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष 2013-14 (अप्रैल-जून) में निर्यात से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अप्रैल-जून)*
निर्यात (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	20,427	31,762	36,057	9,142

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता*: अंनतिम आंकड़े।

(ग) वर्ष 2012-13 को समाप्त तीन वर्षों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रोद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम के अंतर्गत प्राप्त हुए, स्वीकृत किए गए और लंबित प्रस्तावों की स्थिति विवरण-II में दी गई है।

(घ) निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाती हैं तथा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

विवरण I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की संख्या: 2010-11

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	यूनिटें
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9,069
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4
3.	असम	1,172
4.	बिहार	530
5.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	27
6.	छत्तीसगढ़	1,029
7.	दादरा और नगर हवेली	7
8.	दमन और दीव	36
9.	दिल्ली	140
10.	गोवा	89
11.	गुजरात	1,957
12.	हरियाणा	643
13.	हिमाचल प्रदेश	167

1	2	3
14.	जम्मू और कश्मीर	136
15.	झारखंड	180
16.	कर्नाटक	1,889
17.	केरल	1,396
18.	मध्य प्रदेश	724
19.	महाराष्ट्र	2,948
20.	मणिपुर	17
21.	मेघालय	13
22.	नागालैंड	12
23.	ओडिशा	820
24.	पुदुचेरी	70
25.	पंजाब	2,787
26.	राजस्थान	713
27.	सिक्किम	22
28.	तमिलनाडु	5,211
29.	त्रिपुरा	58
30.	उत्तर प्रदेश	2,069
31.	उत्तराखंड	363
32.	पश्चिम बंगाल	1,537
	कुल	35,838

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2010-11

विवरण II

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीरण स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त प्रस्तावों, सहायता प्राप्त यूनिटों एवं लंबित मामलों की राज्यवार संख्या**

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2010-11				2011-12				2012-13** (अनंतिम)			
		आ.शे.	प्रा.	स्वी.	लं.	आ.शे.	प्रा.	स्वी.	लं.	आ.शे.	प्रा.	स्वी.	लं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	369	39	30	378	378	25	105	298	298	0	221	77
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	47	19	26	40	40	5	12	33	33	0	18	15
5.	बिहार	24	2	6	20	20	0	5	15	15	0	2	13
6.	चंडीगढ़	4	0	1	3	3	0	0	3	3	0	0	3
7.	छत्तीसगढ़	245	6	27	224	224	3	75	152	152	0	149	3
8.	दमन और दीव	2	0	0	2	2	1	0	3	3	0	0	3
9.	दिल्ली	33	3	3	33	33	0	16	17	17	0	9	8
10.	गोवा	10	7	1	16	16	1	2	15	15	0	1	14
11.	गुजरात	370	59	52	348	348	19	106	261	261	0	53	208
12.	हरियाणा	229	20	14	204	204	24	62	166	166	0	86	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	हिमाचल प्रदेश	44	12	7	49	49	2	14	37	37	0	5	32
14.	जम्मू और कश्मीर	36	7	5	38	38	5	6	37	37	0	2	35
15.	झारखंड	16	4	4	16	16	2	1	17	17	0	4	13
16.	कर्नाटक	257	36	14	279	279	14	61	232	232	0	81	151
17.	केरल	117	29	19	127	127	25	52	100	100	0	15	85
18.	मध्य प्रदेश	96	19	14	101	101	8	23	86	86	0	31	55
19.	महाराष्ट	401	88	56	433	433	53	202	284	284	0	137	147
20.	मणिपुर	12	14	1	25	25	19	11	33	33	0	21	12
21.	मेघालय	4	0	2	2	2	1	0	3	3	0	1	2
22.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	नागालैंड	0	2	1	1	1	1	0	2	2	0	2	0
24.	ओडिशा	35	7	8	34	34	1	9	26	26	0	15	11
25.	पुदुचेरी	8	0	0	8	8	0	1	7	7	0	6	1
26.	पंजाब	492	21	9	504	504	13	147	370	370	0	231	139
27.	राजस्थान	201	49	48	202	202	50	95	157	157	0	41	116
28.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	तमिलनाडु	111	38	24	125	125	19	75	69	69	0	44	25
30.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	उत्तर प्रदेश	162	29	47	144	144	15	53	106	106	0	39	67
32.	उत्तराखंड	25	6	6	25	25	3	5	23	23	0	5	18
33	पश्चिम बंगाल	58	15	10	63	63	7	19	51	51	0	8	43

*आंकड़े समन्वय बैंक अर्थात एचडीएफसी बैंक के समन्वयनाधीन हैं।

**राशि 11वीं योजना की प्रतिबद्ध देयताओं के लिए जारी की गई है। वर्ष (2012-13) से स्कीम को राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के भाग के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दी गई है। टिप्पणी: आ.शे.आदि शेष, प्रा.प्रास, स्वी.-स्वीकृत लं.-लंबित।

[अनुवाद]

दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

***251. श्री समीर भुजबल:**
श्री खगेन दास:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों में देश में दूध के उत्पादन और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान दूध की कीमतों में कई बार वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, नहीं। देश में दुग्ध का उत्पादन 1950-51 के 17 मिलियन टन से बढ़कर 2000-01 में 80.6 मिलियन टन तथा यह और बढ़कर 2011-12 में 127.9 मिलियन टन हो गया है। दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1950-51 के 130 ग्राम प्रति दिन से बढ़कर 2000-01 में 217 ग्राम प्रति दिन तथा यह और बढ़कर 2011-12 में 290 ग्राम प्रति दिन हो गई है।

(ग) से (ङ) 2010-11 के लिए दुग्ध का थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2004-05=100) 175.88; 2011-12 के लिए 194.01; और 2012-13 के लिए 108.05 था। जुलाई, 2013 में, थोक मूल्य सूचकांक 213.08 था। दुग्ध के मूल्य में बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से आदान (पशु आहार, चारा, मजदूरी आदि) अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण और विपणन की लागत में बढ़ोतरी के कारण हुई है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिनका उद्देश्य देश में दुग्ध उत्पादन और उसकी उपलब्धता को बढ़ाना है:

1. राष्ट्रीय डेयरी योजना-I
2. राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना
3. गहर डेयरी विकास कार्यक्रम
4. डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना
5. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण
6. चारा एवं आहार विकास योजना

कोयला खदानों में आग

***252. श्री नामा नागेश्वर राव:** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में लगी आग से उत्पन्न लंबे समय से चली आ रही समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आग बुझाने के लिए कोई मास्टरप्लान बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कोयला खदानों में आग बुझाने के संबंध में अब तक क्या सफलता प्राप्त की गई है?

कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) इन कोयला खानों में सदी पुराने खनन इतिहास के कारण भारत कोकिंग कोल लि. के लीजहोल्ड क्षेत्र के भीतर झरिया कोलफील्डों के खनन क्षेत्र आग तथा धंसाव की समस्या का सामना करते हैं। झरिया कोलफील्डों में आग का इतिहास 1916 से लेकर पुराना है जब भोवरा कोलियरी के 14वीं सीम से आग लगने की पहली घटना की सूचना मिली थी। उसके बाद भूमिगत खदानों, ओपनकास्ट पिटों और ओपनकास्ट ओवरबर्डन कचरे में आग लगने की कई घटनाएं घटी हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद की गई जांचों के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि. के 17.32 वर्ग किलोमीटर झरिया कोलफील्ड वाले लीजहोल्ड क्षेत्र में 70 आगें मौजूद थी, बाद में सात अन्य आगों की पहचान की गई थी, इस प्रकार यह संख्या बढ़कर कुल 77 हो गई थी।

(ग) भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) तथा ईस्टर्न कोलफील्ड लि. के लीजहोल्ड क्षेत्र में आग, धंसाव से निपटने और पुनर्वास की एक मास्टर प्लान सरकार ने झरिया कोलफील्ड्स (आरसीएफ) के लिए 7112.11 करोड़ रु. तथा रानीगंज कोलफील्ड (आरईएफ) के लिए 2661.73 करोड़ रु. की राशि की आवश्यकता के साथ 12.08.2009 को अनुमोदित की है।

(घ) मूल रूप से राष्ट्रीयकरण के दौरान जेसीएफ में आग से प्रभावित सतही क्षेत्र लगभग 17.32 वर्ग किलोमीटर था। बाद में उत्तम प्रौद्योगिकी को लागू करके आग की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यापक प्रयास किए गए थे। इसके फलस्वरूप प्रभावित सतही क्षेत्र 17.32 वर्ग किलोमीटर से घटकर 8.90 वर्ग किलोमीटर हो गया था और कोयले का ब्लाकेज 1864 मि.ट. से घटकर 1453 मि.ट. हो गया। प्राय: 10 आगों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था।

जेसीएफ की मास्टर प्लान के अधीन 41 कोलियारियों/खानों में फैली 67 आगों से निपटने के लिए कुल 45 आग स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है। मास्टर प्लान में आग से प्रभावित कुल सतही क्षेत्र 8.9 वर्ग किलोमीटर के रूप में वर्णित किया गया है। 45 आग स्कीमों में से 28 को चरण-1 अर्थात पहले 5 वर्षों में शुरू किए जाने का विचार है। आज की तारीख तक 11 आग स्कीमें तैयार कर ली गई हैं जिनमें से 4 स्कीमें पूरी कर ली गई हैं और शेष

कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आग से निपटने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बीसीसीएल की विभिन्न खानों में हेम की तैनाती करके उत्खनन पद्धतियों का सहारा लिया गया है।

कोल इंडिया लि. द्वारा सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजायन इंस्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) को थर्मल इन्फा रेड सेटेलाइट डाटा तथा खान आग सूचना प्रणाली पर आधारित कोयला खान आग की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। सीएमपीडीआईएल ने यह मूल्यांकन किया है कि आग वाले क्षेत्र को 8.9 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 7.116 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है।

रानीगंज कोलफील्ड्स में मास्टर प्लान में यथा पहचान की गई सतही आगों के साथ अभिज्ञात सभी सात स्थलों की आगों को बुझा दिया गया है।

कृषि शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

***253. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादमः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कृषि शिक्षा और इससे संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों हेतु सरकार द्वारा कितना बजट आबंटित किया गया;

(ख) ऐसा वित्तपोषण प्राप्त कर रही शिक्षण संस्थाओं के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन संस्थाओं द्वारा अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गईं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है कि अनुसंधान और विकास के लाभ देश के किसानों तक पहुंचें?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले तीन वर्षों में कृषि शिक्ष सहित कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के लिए निम्नलिखित बजट का आबंटन किया है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2010-11	2521.76
2011-12	2850.00
2012-13	2520.00

चूंकि कृषि राज्य का विषय है इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) "भारत में उच्चतर कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण तथा विकास" नामक योजना के तहत कृषि विश्वविद्यालयों को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा उनके अनुसंधान तथा शिक्षा कार्यक्रमों में सहयोग देती है। उपरोक्त कुल आवंटन में से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, मानद विश्वविद्यालयों तथा कृषि और संबद्ध विज्ञान के संकाय वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2010-11	446.00
2011-12	536.89 (केरल पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को 50.00 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान सहित)
2012-13	413.50+120.00*

*वर्ष 2012-13 में आबंटन, बजट घोषणा पर आधारित

पिछले तीन वर्षों में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (डेयर) के जरिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को दी गई वित्तीय सहायता निम्नवत है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
2010-11	80.00
2011-12	100.01
2012-13	84.99

(ख) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, मानद विश्वविद्यालयों तथा उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाती है जिनमें कृषि तथा संबद्ध विज्ञान के संकाय है।

(ग) कृषि विश्वविद्यालयों ने उच्चतर कृषि शिक्षा, अनुसंधान तथा विस्तार के क्षेत्र में राष्ट्र को व्यापक सेवा प्रदान की है। भारत में कृषि उत्पादन में इनका योगदान सराहनीय है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से कई विशिष्ट किस्मों, कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों (मृदा तथा जलवायु के लिए उपयुक्त) जैसे फसल विविधीकरण, संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों (जीरो जुताई, क्यारी रोपण, लेजर लैवलिंग, चावल गहन प्रणालियां), मृदा सुधार/सुधारात्मक उपाय, समेकित मृदा-जल-पोषण, प्रबंध, जल संग्रह एवं संरक्षण, प्रतिभागी जलसंभर मॉडल्स, सूक्ष्म सिंचाई तथा समेकित कृषि प्रणाली का विकास किया

है। उनका विशेष ध्यान, देश में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने हेतु पुष्प खेती, उन्नत कृषि यंत्रीकरण एवं सस्योत्तर प्रौद्योगिकियों और कृषि-वानिकी मॉडलों, समुद्री मात्स्यिकी, अन्तःस्थलीय मात्स्यिकीय एवं शोभाकारी मछलियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों पर भी केन्द्रित रहा है। इन सभी ने वर्ष 2011-12 के दौरान 259 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन में योगदान दिया है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में विभिन्न मेजबान संस्थानों के प्रशासनिक नियंत्रण में 634 कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की स्थापना की है जिनमें से राज्य/केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों के तहत 431, भा.कृ.अ.प. के संस्थानों के तहत 51, गैर-सरकारी संगठनों के तहत 99, राज्य सरकारों के तहत 35 एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों/संगठनों के तहत 18 केवीके शामिल हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों की गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में किसानों के खेतों में कृषि प्रौद्योगिकियों का परीक्षण तथा प्रदर्शन, किसानों तथा विस्तार कार्मिकों का प्रशिक्षण और विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों के जरिए उन्नत प्रौद्योगिकी पर जागरूकता पैदा करना शामिल है। इसके अलावा, कृषि विज्ञान केन्द्र बीजों तथा रोपण सामग्री का उत्पादन किसानों की उपलब्धता के लिए करते हैं।

सिर पर मैला ढोना

***254. शेख सैदुल हक:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान सिर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन तथा सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ गत वर्षों में प्रदान की गई धनराशि का पूरा उपयोग कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा धनराशि के अन्यत्र उपयोग और दुरुपयोग संबंधी रिपोर्टें/शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धनराशि के अन्यत्र उपयोग के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) इस मंत्रालय की मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार की योजना के तहत, वर्ष 2012-13 के दौरान 100 करोड़ रु. की राशि का आवंटन किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के तहत उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर अनुमत वित्तीय सहायता जारी करने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) को 20 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।

वर्ष 2013-14 के दौरान, 570 करोड़ रु. की राशि का आवंटन किया गया है। तथापि, प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने की वजह से वर्ष 2013-14 के दौरान, अब तक कोई व्यय नहीं किया जा सका।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नए राज्यों का सृजन

***255. श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:**
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तेलंगाना राज्य के प्रस्तावित सृजन की तर्ज पर बोडोलैंड, गोरखालैंड, विदर्भ, बुंदेलखंड आदि जैसे और नए राज्यों के सृजन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त मुद्दों से निपटने के लिए एक नया राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) जी, नहीं। ऐसे प्रस्ताव फिलहाल भारत सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

[हिन्दी]

आईडीपीएल एककों का पुनरुद्धार

***256. योगी आदित्यनाथ:**
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के एककों का पुनरुद्धार करने का है;

(ख) यदि हां, तो एकक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के एककों के पुनरुद्धार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इन एककों के पुनरुद्धार हेतु कितनी धनराशि जारी की गई; और

(ङ) इन एककों की कार्य-दशा की वर्तमान स्थिति क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी हां।

(ख) इंडियन ड्रग्स फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) को 5 अप्रैल, 1961 को निगमित किया गया था। वर्तमान में कंपनी के तीन विनिर्माण संयंत्र हैं जिनमें से ऋषिकेश (उत्तराखंड) हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) और गुड़गांव (हरियाणा) में एक-एक संयंत्र है। आईडीपीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियां हैं अर्थात आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड, चेन्नै और बिहार ड्रग्स एंड आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड, मुजफ्फरपुर (बिहार) और ओडिशा सरकार के सहयोग से प्रवर्तित एक संयुक्त क्षेत्र उपक्रम अर्थात् ओडिशा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओडीसीएल), भुवनेश्वर है। कंपनी के लिए प्रथम पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया गया था और उसे बीआईएफआर द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 1994 को अनुमोदित किया गया था। रुग्ण सीपीएसयूज के पुनरुद्धार की प्रक्रिया के अनुसार आईडीपीएल के द्वितीय पुनरुद्धार का मामला औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को रेफर गया था। बीआईएफआर ने दिनांक 23.01.1996 को आईडीबीआई को प्रचालन अभिकरण (ओए) के रूप में नियुक्त किया और आईडीबीआई को आईडीपीएल संबंधी प्रारूप पुनर्वास योजना (डीआरएस) को प्रस्तुत करने का निदेश दिया। आईडीबीआई ने अंतिम समेकित डीआरएस बीआईएफआर और मंत्रालय को दिनांक 26.03.2013 को प्रस्तुत कर दी है। पुनरुद्धार प्रस्ताव अलग-अलग यूनिट-वार नहीं है। आईडीपीएल के पुनरुद्धार के लिए मंत्रिमंडल नोट प्रक्रियाधीन है।

(ग) महोदया यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार ने आईडीपीएल की सहायक कंपनियों सहित आईडीपीएल यूनिटों के आधुनिकीकरण के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के दौरान 5.0 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

(ङ) गुड़गांव और ऋषिकेश यूनिटें कार्य करने की स्थिति में हैं जबकि हैदराबाद स्थित यूनिट उत्पादन को पुन: शुरू करने की प्रक्रिया में है। आईडीपीएल (तमिलनाडु) लिमिटेड और ओडिशा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड उत्पादन कर रही है जबकि बिहार ड्रग्स एंड आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड बंद है।

कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश

***258. श्री मंगनी लाल मंडल:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के कतिपय कृषि क्रियाकलापों में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने संबंधी निर्णय के वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा क्या इससे बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र को अपेक्षित बढ़ावा मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कृषि और पशुपालन, डेयरी फार्मिंग, मत्स्यपालन क्षेत्रों आदि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने हेतु सरकारी और निजी क्षेत्रों के अतिरिक्त सहकारी संघों और कृषि विशेषज्ञों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकारी और निजी क्षेत्रों द्वारा पूंजी निवेश तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश के किसानों के लिए किस प्रकार लाभप्रद है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) एफडीआई नीति का उद्देश्य आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए घरेलू पूंजी प्रौद्योगिकी तथा कौशल के लिए विदेशी निवेशों को आकर्षित करना तथा बढ़ाना है।

कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कृषि गतिविधियों में स्वचलित पद्धति के अंतर्गत निर्गत/साम्या 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है;

(i) निर्यात परिस्थितियों में पुष्प कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन तथा सब्जियों एवं मशरूम की खेती;

(ii) बीजों तथा रोपण सामग्री का विकास एवं उत्पादन;

(iii) नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत पशुपालन (कुत्तों के प्रजनन सहित), मत्स्य पालन, जल कृषि तथा

(iv) कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं।

इसके अलावा, बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार (एमबीआरटी) में एफडीआई नीति में प्रावधान है कि 100 मिलियन अमेरिका डालर

का कम से कम 50 प्रतिशत प्रथम भाग को बैक एंड अवसंरचना में निवेश किया जाएगा जिसमें वेयर हाउसिंग तथा शीतागारों का निर्माण शामिल है।

11वी योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह की राशि 6612 करोड़ रुपए है। बीज तथा रोपण सामग्री, बागवानी तथा पौधशाला सेवाओं, कृषि मशीनरी, पौधा संरक्षण सेवाओं, पशु मवेशी प्रजनन तथा पशुपालन, शीतागार तथा वेयरहाउसिंग के विकास तथा उत्पादन में निवेश किया गया है।

12वीं योजना में 2012-13 में एफडीआई प्रवाह 875 रुपए है तथा वर्तमान वर्ष 2013-14 में जून तक 70 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की गई है।

[अनुवाद]

खतरनाक कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर प्रतिबंध

***259. श्री उदय सिंहः**
श्री पी. लिंगमः

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार में कीटनाशी दवा से संदूषित मध्याहन भोजन खाने के बाद 23 स्कूली बच्चों की दुःखद मौत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने सरकार से बाजार से अत्यधिक खतरनाक कीटनाशक दवाओं को शीघ्र हटाने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कृषि में अत्यधिक खतरनाक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और कृषि उत्पादन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का देश में ऐसी कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने विकसित देशों में सरकारों से सिफारिश की है कि वे अपने बाजारों से अत्यधिक खतरनाक कीटनाशियों की निकासी तीव्र करे। भारत सरकार ने ''कीटनाशियों की समीक्षा के लिए'' एक विशेषज्ञ समिति गठित की है जो वर्तमान में अन्य देशों में रोके गए/प्रतिबंधित/निष्काषित किए गए हैं परन्तु भारत में घरेलू प्रयोग के लिए पंजीकृत किए जाने हेतु रखे गए हैं।

(ग) और (घ) कृमिनाशक अधिनियम, 1968 मानव जाति, पशुओं और उनसे संबंधित मामलों के लिए जोखिम रोकने की दृष्टि से कीटनाशियों का आयात, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण एवं प्रयोग विनियंत्रित करता है। कीटनाशी को केवल मानव जाति, पशु एवं पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित पाए जाने के बाद कृमिनाशी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत किए जाते हैं। कृमिनाशी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमोदित लेबल दावे, मात्रा, तरीका और प्रयोग के समय के संबंध में कीटनाशी डब्बे के लेबल एवं लीफलेट पर उल्लेखित निर्देशों के अनुसार कीटनाशी प्रयोग से मानव जाति, पशु एवं पर्यावरण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने की संभावना नहीं है।

सरकार विशिष्ट कीटनाशियों या कीटनाशी समूह के पंजीकरण की समीक्षा के लिए समय-समय पर विशेषज्ञ समूह नियुक्त करती है। परिणामस्वरूप, कई कीटनाशी/प्रतिपाद भारत में आयात, विनिर्माण और प्रयोग के लिए रोके गए/प्रतिबंधित किए गए हैं।

सरकार ने राज्य सरकारों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को भी सलाह दी है कि वे पंजीकरण समिति द्वारा अनुमोदित किए अनुसार पंजीकरण के लिए प्रतिपुष्टि से कीटनाशियों के प्रयोग की सिफारिश करें।

सरकार पादप संरक्षण और रासायनिक कीटनाशियों की आवश्यकता परम्परागत, यांत्रिक, जैविक साधनों का प्रयोग बढ़ाकर कीटों, बीमारियों एवं खरपतवारों के नियंत्रण के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) की अवधारणा को लोकप्रिय बना रही है।

केन्द्रीय और राज्य सरकारें कीटनाशियों के सुरक्षित प्रयोग के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे लेबल एवं लीफलेट पर अनुदेशों एवं सावधानियों के अनुसार सिफारिश की गई मात्रा में पंजीकृत कीटनाशी का प्रयोग करें।

वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

***260. श्री रवनीत सिंहः** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लिंग-वार वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कौन सी योजनाएं शुरू की गईं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इन योजनाओं की पुनरीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और पुनरीक्षा के दौरान क्या खामियां पाई गईं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए तथा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) 2001 की जनगणना के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, लिंगवार कुल जनसंख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की राज्यवार जनसंख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ख) से (ङ) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही कुछेक महत्वपूर्ण योजनाएं नीचे दी गई हैं:

1. वृद्ध व्यक्तियों हेतु समेकित कार्यक्रम की योजना (आईपीओपी)
2. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)
3. वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु राष्ट्रीय योजना (एनपीएचसीई)

उपर्युक्त योजनाओं के संक्षिप्त ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान (एनआईएसडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय और आईपीओपी की योजना के तहत समर्थित तीन क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आरआरटीसी), वृद्धजनों के लिए कार्यरत सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण सेवा प्रदान कर रहे हैं।

XIवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, आईपीओपी योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन करवाए गए थे। इन अध्ययनों की कुछेक प्रमुख सिफारिशें वित्तीय मानदंडों में वृद्धि करने, समर्थित परियोजनाओं के प्रकारों में वृद्धि करने, केन्द्रों आदि में विशेषज्ञ डॉक्टरों के नियोजन हेतु थीं।

उपर्युक्त सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, आईपीओपी को 1.4.2008 से संशोधित किया गया था। वित्तीय मानदंडों को संशोधित करने के अलावा कई नवीन परियोजनाएं उदाहरणार्थ एल्जाईमर्स रोग/विक्षिप्त रोगियों के लिए दिवा देखभाल केन्द्र, वृद्ध व्यक्तियों के लिए भौतिक चिकित्सा क्लीनिक, वृद्धों के लिए हेल्पलाइनें और परामर्श।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को इसके अंतर्गत पात्रता की न्यूनतम आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करते हुए और 80 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन राशि के प्रति केन्द्रीय अंशदान को 200/- रुपये प्रतिमाह से 500/- रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाकर 1.4.2011 से संशोधित किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए 2010-11 से राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम का मूलभूत उद्देश्य आउटरीच सेवाओं सहित राज्य स्वास्थ्य देखभाल सुपुर्दगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों को पृथक एवं विशिष्टीकृत व्यापक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। राज्यों में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा 17.11.2011 को आयोजित माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक बैठक में की गई थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणके प्रभारी राज्य सचिवों, क्षेत्रीय निदेशकों, राज्य कार्यक्रम अधिकारियों और जिला कार्यक्रम प्रबंधकों ने बैठक में भाग लिया था।

विवरण I

लिंगवार, राज्यवार वृद्ध जनसंख्या (60+) तथा कुल जनसंख्या 2001 के अनुसार इसका प्रतिशत

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल जनसंख्या (लगभग)		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	57.8	27.57	30.30
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.1	0.098	0.075
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.5	0.26	0.23
4.	असम	15.6	8.0	7.6
5.	बिहार	55.01	29.22	25.79
6.	चंडीगढ़	0.45	0.23	0.21
7.	छत्तीसगढ़	15.05	6.89	8.14
8.	दादरा और नगर हवेली	0.09	0.04	0.05

1	2	3	4	5
9.	दमन और दीव	0.08	0.03	0.05
10.	दिल्ली	7.20	3.66	3.53
11.	गोवा	1.12	0.5	0.6
12.	गुजरात	34.99	6.2	18.7
13.	हरियाणा	15.84	7.6	7.8
14.	हिमाचल प्रदेश	5.47	2.7	2.7
15.	जम्मू और कश्मीर	6.75	3.6	3.0
16.	झारखंड	15.79	7.8	7.9
17.	कर्नाटक	40.62	19.2	21.3
18.	केरल	33.36	14.8	18.5
19.	लक्षद्वीप	0.04	0.02	0.02
20.	मध्य प्रदेश	42.81	20.9	21.8
21.	महाराष्ट्र	84.55	39.3	45.2
22.	मणिपुर	1.45	0.7	0.7
23.	मेघालय	1.08	0.5	0.5
24.	मिजोरम	0.49	0.2	0.2
25.	नागालैंड	0.90	0.5	0.3
26.	ओडिशा	30.39	15.	15.3
27.	पुदुचेरी	0.81	0.3	0.4
28.	पंजाब	21.92	11.1	10.8
29.	राजस्थान	38.11	18.2	19.8
30.	सिक्किम	0.29	0.1	0.1
31.	तमिलनाडु	55.08	27.3	27.7
32.	त्रिपुरा	2.33	1.1	1.2
33.	उत्तर प्रदेश	116.5	61.7	54.7
34.	उत्तराखंड	6.54	3.2	3.2
35.	पश्चिम बंगाल	56.9	27.8	29.1
	कुल	766.1	377.6	388.5

स्रोत: जनगणना 2001

विवरण II

राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में आवास के आधार पर वृद्धजन जनसंख्या (60+) का आकार

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
	अखिल भारत	574.4	191.7	766.1
1.	आंध्र प्रदेश	45	12.8	57.8
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.1	0.00	0.1
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.46	0.04	0.5
4.	असम	13.61	1.99	15.6
5.	बिहार	49.66	5.35	55.01
6.	चंडीगढ़	0.03	0.42	0.45
7.	छत्तीसगढ़	12.71	2.34	15.05
8.	दादरा और नगर हवेली	0.07	0.02	0.09
9.	दमन और दीव	0.04	0.04	0.08
10.	दिल्ली	0.43	6.77	7.20
11.	गोवा	0.61	0.51	1.12
12.	गुजरात	23.19	11.80	34.99
13.	हरियाणा	11.92	3.92	15.84
14.	हिमाचल प्रदेश	5.10	0.37	5.47
15.	जम्मू और कश्मीर	5.15	1.60	6.75
16.	झारखंड	12.75	3.04	15.79
17.	कर्नाटक	28.90	11.72	40.62
18.	केरल	24.79	8.57	33.36
19.	लक्षद्वीप	0.02	0.02	0.04
20.	मध्य प्रदेश	32.65	10.16	42.81

1	2	3	4	5
21.	महाराष्ट्र	57.09	27.46	84.55
22.	मणिपुर	1.02	0.43	1.45
23.	मेघालय	0.86	0.20	1.06
24.	मिजोरम	0.26	0.23	0.49
25.	नागालैंड	0.81	0.09	0.90
26.	ओडिशा	26.84	3.55	30.39
27.	पुदुचेरी	0.27	0.54	0.81
28.	पंजाब	15.81	6.11	21.92
29.	राजस्थान	30.25	7.86	38.11
30.	सिक्किम	0.27	0.02	0.29
31.	तमिलनाडु	32.23	22.85	55.08
32.	त्रिपुरा	1.91	0.42	2.33
33.	उत्तर प्रदेश	96.25	20.25	116.50
34.	उत्तराखंड	5.23	1.31	6.54
35.	पश्चिम बंगाल	38	18.9	56.9

स्रोत: जनगणना 2001

विवरण III

वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनी 3 महत्वपूर्ण योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा

क्रम सं.	योजना का नाम	नोडल मंत्रालय	योजना का संक्षिप्त ब्यौरा
1	2	3	4
1.	वृद्धजन समेकित कार्यक्रम योजना (आईपीओपी)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	यह योजना 1992 से कार्यान्वित की जा रही है तथा 01.04.2008 से संशोधित की थी। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों/पंचायती राज्य संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों को निम्न परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: * वृद्धाश्रम: * दिवा देखभाल केन्द्र: * चल चिकित्सा एकक; * एल्जाइमर रोग/डिमेंशिया रोगियों के लिए दिवा देखभाल केन्द्र: * वृद्धजनों के लिए फिजियोथैरेपी क्लिनिक; * वृद्धजनों के लिए हेल्प-लाइन तथा परामर्श केन्द्र: * विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में विशेष रूप से सुगाहीकरण कार्यक्रम; * क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि।

1	2	3	4
2.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओ-एटीएस)	ग्रामीण विकास मंत्रालय	योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले किसी परिवार के 60 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 200 रुपए की दर से तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए 500 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन देने हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसे राज्यों द्वारा कम से कम समान अंशदान द्वारा संपूरित किया जाना होता है।
3.	वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	2010-11 में आरंभ किए गए इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं: * समुदाय आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण; * जिला अस्पतालों/सीएचसी/पीएचसी/उप केन्द्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण; * वृद्धजनों के लिए बिस्तर वार्डों के साथ 100 जिला अस्पतालों में समर्पित सुविधाए; * नई दिल्ली (एम्स), चेन्नई, मुम्बई, श्रीनगर, वाराणसी, जोधपुर, तिरुवन्तपुरम तथा गुवाहाटी में 30 बिस्तर वार्डों के साथ वृद्धजनों के लिए समर्पित तृतीयक स्तर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने हेतु 8 क्षेत्रीय चिकित्सा संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और * उक्त 8 संस्थाओं में जराचिकित्सा दवाओं में पीजी पाठ्यक्रमों का सूत्रपात और सभी स्तर पर स्वास्थ्य कार्मिकों का सेवाकालीन प्रशिक्षणण।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति भेदभाव

2761. श्री पोन्नम प्रभाकर: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित छात्रों से भेदभाव किए जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट/शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधरात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

लाल बत्तियां

2762. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री मानिक टैगोर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकारों से लाल बत्तियों का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या को कम करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार तथा अन्य संबंधित पक्षकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी बत्तियों के उपयोग को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या गृह मंत्रालय को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से उक्त लाल बत्तियों के उपयोग के संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में गृह मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) लाल बत्तियों के विषय को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देख रहा है। गृह मंत्रालय सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श से उस मंत्रालय द्वारा इसमें शामिल विषयों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

स्मारकों का रखरखाव

2763. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/राष्ट्रीय संस्कृति और कला आयोग का विचार ऐतिहासिक स्मारकों के परिरक्षण तथा रखरखाव के लिए कॉर्पोट क्षेत्र के साथ सहयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस पर कॉर्पोरेट क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक न्यास, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि ऐतिहासिक स्मारकों के विकास एवं संरक्षण के लिए कार्पोरेट क्षेत्र से अंशदान/दान स्वीकार करता है। संस्कृति एवं कला संबंधी कोई राष्ट्रीय आयोग नहीं है।

(ख) हमारी सांस्कृतिक विरात के संरक्षण और परिरक्षण के लिए निजी/सार्वजनिक उद्यमों से वित्तपोषण प्राप्त करना राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि का अधिदेश है।

(ग) इस संबंध में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की अपराध संबंधी रिपोर्ट

2764. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश में शारीरिक दंड, यौन शोषण तथा बाल श्रम जैसे अपराधों के दृष्टांतों में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, शारीरिक दंड और बाल श्रम से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 2011 और 2012 के दौरान देश में बाल-बलात्कार के क्रमशः कुल 7,112 और 8,541 मामले दर्ज हुए, जो वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में हुई 20.1% की वृद्धि को दर्शाता है।

वर्ष 2010-2012 के दौरान बच्चों के बलात्कार के अंतर्गत दर्ज मामलों, आरोपपत्रित मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोपपत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) "बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, 2012" नामक बच्चों के प्रति यौन अपराधों से संबंधित एक व्यापक विधान पहले ही राष्ट्रपति की सहमति से 19 जून, 2012 से अधिनियमित किया जा चुका है। भारत के राष्ट्रपति ने दिनांक 2 अप्रैल, 2013 को 'दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013' को मंजूरी प्रदान की, जो 3 फरवरी, 2013 से लागू है जिसकी धारा 370 क के तहत यौन शोषण के लिए बच्चों की तस्करी को अपराध घोषित किया गया है तथा दोषी के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराध की रोकथाम, पता लगाने, दर्ज करने, जांच और अभियोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि भारत सरकार, बच्चों के कल्याण के प्रति गंभीर रूप से चिंतित है तथा विभिन्न योजनाओं और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेजे गए परामर्शी-पत्रों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को सम्पुष्ट करती है।

केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 14 जुलाई, 2010 का विस्तृत परामर्शी-पत्र भेजा गया है, जिसमें सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्कूलों/संस्थानों, छात्रों द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे सार्वजनिक परिवहन, बच्चों के पार्क/खेलकूद के मैदानों, आवासीय इलाकों/सड़कों आदि पर सुरक्षा-स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सभी उपाय सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। यह भी सलाह दी गई है कि अपराध की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाए तथा इन क्षेत्रों में होने वाले उल्लंघनों को मॉनीटर करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए ताकि बच्चों विशेषकर लड़कियों की

सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसी प्रकार से, गुमशुदा बच्चे-तस्करी रोकने तथा बच्चों का पता लगाने के लिए आवश्यक उपाय के बारे में दिनांक 31 जनवरी, 2012 का विस्तृत परामर्शी-पत्र जारी किया गया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशिष्ट रूप से बच्चों को बलात्कार, यौन उत्पीड़न आदि जैसे किसी घृणित या संगठित अपराध का शिकार न होने देने के बारे में सलाह दी गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण हेतु वर्ष 2009-10 से एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) कार्यान्वित कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, वर्ष 2007 में, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था।

विवरण I

वर्ष 2010-2012 के दौरान बच्चों के बलात्कार के अंतर्गत दर्ज मामले (सीआर) आरोपपत्रित मामले, (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीवी), गिरफ्तार व्यक्ति (पीएआर) आरोप पत्रित व्यक्ति (पीसीएस) और दोषसिद्ध व्यक्ति (पीसीवी)

		2010						2011						2012					
क्र.सं.	राज्य	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी	सीआर	सीएस	सीवी	पीएआर	पीसीएस	पीसीवी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	446	453	25	559	564	30	646	468	37	720	561	55	613	624	46	604	705	56
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	15	0	14	13	0	20	19	2	20	19	2	18	11	1	18	10	1
3.	असम	39	19	1	24	13	4	40	28	1	40	24	1	156	93	0	155	93	0
4.	बिहार	114	75	5	112	98	2	91	84	10	93	99	12	137	113	17	148	141	17
5.	छत्तीसगढ़	382	361	103	426	430	89	477	446	63	555	552	78	519	524	96	531	540	78
6.	गोवा	23	33	2	35	51	2	20	24	4	21	29	4	38	23	1	49	29	1
7.	गुजरात	102	100	5	137	141	6	130	121	5	166	164	5	150	143	12	210	201	13
8.	हरियाणा	107	93	24	121	117	27	66	62	27	73	78	28	276	245	15	379	379	15
9.	हिमाचल प्रदेश	72	76	8	107	115	11	72	70	11	83	81	8	89	73	16	129	118	23
10.	जम्मू और कश्मीर	8	5	0	5	5	0	9	7	0	8	8	0	13	13	1	21	21	1
11.	झारखंड	0	4	0	0	15	0	16	14	1	16	14	2	6	2	0	4	2	0
12.	कर्नाटक	108	98	14	104	112	9	97	96	13	147	147	16	142	130	17	178	156	19
13.	केरल	208	276	18	240	323	18	423	265	16	570	281	14	455	387	22	604	476	25
14.	मध्य प्रदेश	1182	1168	228	1410	1390	291	1262	1248	245	1524	1520	324	1632	1638	232	1970	1983	279
15.	महाराष्ट्र	747	614	40	936	873	55	818	720	48	1053	971	61	917	825	43	1257	1212	47
16.	मणिपुर	11	1	0	6	1	0	19	0	0	5	0	0	17	1	0	7	1	0
17.	मेघालय	91	36	2	64	47	1	66	32	0	48	21	0	81	20	2	84	25	2
18.	मिजोरम	42	39	20	42	39	30	40	36	18	41	37	18	73	64	29	74	64	27
19.	नागालैंड	3	2	1	3	2	1	15	0	1	15	0	1	7	14	10	8	24	24
20.	ओडिशा	74	80	7	91	92	7	165	150	11	150	150	13	192	174	7	242	232	11
21.	पंजाब	144	124	47	184	167	59	166	148	40	172	182	52	295	190	54	282	234	68
22.	राजस्थान	369	219	46	277	282	63	394	272	61	328	326	68	572	408	111	491	488	142

1	2			3									4						
23.	सिक्किम	14	39	0	11	39	0	11	12	12	12	12	12	21	30	10	19	12	30
24.	तमिलनाडु	203	177	30	208	188	31	271	175	22	263	192	26	292	242	33	333	285	44
25.	त्रिपुरा	107	95	12	93	96	10	45	85	14	144	96	18	17	36	2	12	45	12
26.	उत्तर प्रदेश	451	390	266	678	598	404	1088	934	405	1573	1328	548	1040	930	250	1581	1349	333
27.	उत्तराखंड	10	10	8	11	11	30	23	21	7	25	25	5	34	31	15	33	30	13
28.	पश्चिम बंगाल	73	57	4	94	69	5	252	108	7	182	115	6	285	186	8	178	138	8
	कुल राज्य	5142	4659	916	5992	5891	1185	6742	5645	1081	8047	7032	1377	8087	7170	1050	9601	8993	1289
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	15	8	0	23	8	0	9	19	0	15	43	0	10	5	1	17	8	1
30.	चंडीगढ़	16	21	6	27	26	8	15	11	7	17	22	8	17	21	7	18	18	8
31.	दादरा और नगर हवेली	3	3	2	1	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	2
32.	दमन और दीव	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	4	1	9	9	1
33.	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	304	277	92	349	419	172	339	322	108	402	349	127	415	368	97	516	507	145
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	3	2	1	5	2	1	6	4	0	17	16	0	7	10	1	9	13	1
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	342	312	101	406	457	183	370	357	115	452	431	135	454	409	108	570	556	158
	कुल अखिल भारत	5484	4971	1017	6398	6348	1368	7112	6002	1196	8499	7463	1512	8541	7579	1158	10171	9549	1447

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: पुलिस और न्यायालयों द्वारा निपटान के मामलों में पूर्व वर्षों के लंबित मामलों की सूचना भी सम्मिलित है।

[हिन्दी]

खाद्य वस्तुओं के वायदा व्यापार पर नियंत्रण

2765. श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए खाद्य वस्तुओं के वायदा बाजार पर रोक लगाना जरूरी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट तथा उक्त संगठनों के सुझावों के मद्देनजर सरकार खाद्य वस्तुओं/कृषि उत्पादों के वायदा व्यापार पर नियंत्रण/रोक लगाने पर विचार कर रही है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) विश्व स्वास्थ संगठन की कोई ऐसी विशिष्ट रिपोर्ट इस विभाग के ध्यान में नहीं आई।

(ग) और (घ) ऐसे सरोकार प्राप्त होने पर कि भावी सौदा व्यापार से मूल्य वृद्धि होती है, योजना आयोग के सदस्य श्री अभिजीत सेन की अध्यक्षता में अन्य बातों के अलावा, इस मुद्दे की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई। समिति ने वायदा व्यापार शुरू होने से पूर्व और वायदा व्यापार शुरू होने

के बाद की अवधि में संवेदनशील वस्तुओं (खाद्यान्न और चीनी) के मूल्यों में वृद्धि दर के वार्षिक रुझान का विश्लेषण किया और यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि कुछ संवेदनशील वस्तुओं, जिनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अधिक मान है, की मुद्रास्फीति में वायदा व्यापर शुरू होने के बाद स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई, किन्तु ऐसा कोई सामान्य दावा करना संभव नहीं है कि उन वस्तुओं की मुद्रास्फीति में तेजी से वृद्धि हुई जिनमें वायदा व्यापार किया जाता है।

अन्य कारक खासतौर पर मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन, आयातों पर निर्भरता की सीमा और इन वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आदि का भी इन वस्तुओं के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ङ) ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंजों में व्यापारित किसी भी वस्तु के भावी सौदा व्यापार को निलंबित करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

सीमावर्ती क्षेत्रों के गांव

2766. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-चीन सीमा पर अनुमानत: कितने गांव हैं तथा उन गांवों की जनसंख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ते तनाव के कारण बड़े पैमाने पर पलायन, खाद्य की कमी, मूलभूत सुविधाओं की कमी की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के सभी सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बताया गया है, वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर भारत-चीन सीमा पर स्थित गांवों की अनुमानित संख्या 1334 है जिनकी जनसंख्या 233940 है।

(ख) और (ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़े तनाव के कारण बड़ी संख्या में स्थानापन्न, भोजन का अभाव, मूलभूत सुविधाओं की कमी के संबंध में ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। सरकार द्वारा अवसंरचना में वृद्धि और सुधार तथा सुरक्षा चेतना का संवर्धन और देश में सीमावर्ती जनसंख्या के कल्याण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों को संतुलित विकास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीमा प्रबंधन के एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से एक सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। सीमाओं पर बार्डर गार्डिंग फोर्स तैनात की गई है। बार्डर गार्डिंग फोर्स स्थानीय लोगों के बीच सुरक्षा चेतना विकसित करने और स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, शिक्षा को बढ़ावा देने, पशु चिकित्सा सहायता आदि में सुधार करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुधा सिविक एक्शन कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से नारियल तेल की बिक्री

2767. श्री एंटो एंटोनी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने नारियल तेल के निर्यात तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसकी बिक्री के लिए वित्तीय सहायता/राजसहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री हेतु नारियल तेल के लिए भी खाद्य तेल राजसहायता का लाभ प्रदान करने के लिए केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए थे, न कि निर्यात के लिए।

(ख) राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सका था, क्योंकि विभाग के पास केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के जरिए आयातित राजसहायता प्राप्त पामोलीन तेल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति करने की एक स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य सस्ते खाद्य तेल पर 15/- रुपए प्रति किलोग्राम की राजसहायता देने के बाद इसे समाज के कमजोर वर्गों को प्रदान करना है।

वाणिज्य विभाग की अधिसूचना संख्या 22 (आरई-2013) 2009-2014 दिनांक 18.6.2013 के अनुसार नारियल तेल का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) पत्तनों और भू-सीमाशुल्क केन्द्रों के माध्यम से करने की अनुमति है।

[हिन्दी]

महिला किसानों का सशक्तिकरण

2768. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कृषि क्षेत्र में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी, हां। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत सरकार ने महिला किसानों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और उनके सामाजिक-आर्थिक एवं तकनीकी सशक्तिकरण के लिए राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त किए गए हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लिए 75 प्रतिशत तक (उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत) वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान एमकेएसपी की कृषि स्ट्रीम के अंतर्गत राज्यों से 42 परियोजनाएं प्राप्त की गई थीं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 में एमकेएसपी की शुरूआत से 23,71,670 महिला किसानों को कवर करते हुए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) कृषि स्ट्रीम के अंतर्गत 13 राज्यों (नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) से 46 परियोजनाओं को संस्वीकृत किया है।

[अनुवाद]

कोपरे का समर्थन मूल्य

2769. श्री पी. करूणाकरन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल राज्य सरकार से नारियल किसानों की गंभीर निराशा के कारण कोपरे के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) जी हां, महोदया। भारत सरकार को केरल सरकार से एक अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि 2013 मौसम के लिए मिलिंग कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 6000 रु. /क्विंटल पर निर्धारित किया जाए।

(ग) कृषि जिंसों के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिश पर, कोपरा सहित विभिन्न अधिसूचित कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सिफारिश करती है। कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय, भारत सरकार ने राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों के विचारों एवं ऐसे अन्य संबंधित कारकों जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए महत्त्वपूर्ण माना जाता है, को भी ध्यान में रखा है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, अनेक कारकों पर विचार करता है जिसमें शामिल हैं—उत्पादन लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, बाजार मूल्यों में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति आदि।

2013 मौसम के लिए, अखिल भारतीय स्तर पर कोपरा के लिए भारी औसत उत्पादन लागत 4936 रु./क्विंटल तक अनुमानित थी। इन लागतों एवं अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर, भारत सरकार ने पहले ही उचित औसत गुणवत्ता (एपएक्यू) के लिए मिलिंग कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 2012 मौसम के लिए 5100 रु./क्विंटल से बढ़ाकर 2013 के लिए 5250 रु./क्विंटल कर दिया है, जो विगत मौसम की तुलना में 2. 94 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, बाल कोपरा की औसत उचित गुणवत्ता के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2012 मौसम के लिए 5350 रु./क्विंटल से बढ़ाकर 2013 मौसम के लिए 5500 रु./क्विंटल कर दिया है, जो विगत मौसम की तुलना में 2.80 प्रतिशत अधिक है।

रानी मंगमल्ल पैलेस को गिराना

2770. श्री ताराचंद भगोरा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी ठेकेदार द्वारा मदुरई के नायक शासकों द्वारा 17वीं शताब्दी में मदुरई में निर्मित ऐतिहासिक रानी मंगमल्ल पैलेस का एक हिस्सा गिराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार/0केंद्र सरकार ने उक्त ऐतिहासिक पैलेस के संरक्षण/सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उक्त ऐतिहासिक पैलेस की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) और (ख) मदुरई स्थित ऐतिहासिक रानी मंगमल्ल महल केंद्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। तथापि, आयुक्त, पुरातत्व विभाग, तमिलनाडु सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है।

(ग) और (घ) मदुरई स्थित ऐतिहासिक रानी मंगमल्ल महल के संरक्षण/सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं और इस महल को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी है।

(ङ) चूंकि राज्य सरकार ने इस महल को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है अत: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता कोष से अनुदान

2771. श्री महेश जोशी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों की संख्या तथा उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान जारी किया गया है; और

(ख) उपभोक्ता कल्याण कोष से गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि देने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए तथा किसी गैर-सरकारी संगठन विशेष को अधिकतम कितनी राशि अनुदत्त/जारी की जा सकती है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को रिलीज की गई सहायता अनुदान का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) उपभोक्ता कल्याण निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956, समिति पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अंतर्गत पंजीकरण के पश्चात तीन वर्ष की अवधि से उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों में संलग्न कोई भी एजेंसी/संगठन उपभोक्ता कल्याण निधि से सहायता अनुदान पाने के लिए पात्र है। प्राथमिकता निम्नलिखित को दी जाएगी-

(i) संगठन अखिल भारतीय स्तर का हो और उसके पास प्रतिष्ठा अनुभव और स्थायित्व हो, अथवा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे संगठन जिसमें महिलाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की अधिक भागीदारी हो।

परियोजना के लिए सहायता की राशि सामान्यत: 3 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी। तथापि, स्थायी समिति विशेष परिस्थितियों में उच्चतर राशि की स्वीकृति प्रदान कर सकती है। ऐसे अपवाद के कारण लिखित रूप में रिकार्ड करने होंगे।

विवरण

विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को रिलीज की गई अनुदान सहायता

2011-12

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश (राशि)

क्र.सं.	संगठन का नाम	राशि
1	2	3
1.	गोथामी संगठन प्रकाशम जिला	45.00 लाख रुपए
राज्य का नाम: दिल्ली		
1.	बिन्टी, नई दिल्ली	1.23 लाख रुपए
2.	लक्ष्य-ए राहत संगठन नई दिल्ली	11.25 लाख रुपए
3.	वॉयस सोसायटी, नई दिल्ली	90.00 लाख रुपए
राज्य का नाम: गुजरात		
1.	सीईआरसी, अहमदाबाद	94.59 लाख रुपए
राज्य का नाम: केरल		
1.	जनश्री सतत विकास मिशन, तिरुअनंतपुरम	10 लाख रुपए
राज्य का नाम: महाराष्ट्र		
1.	भारतीय दलित विकास परिषद औरंगाबाद	5.00 लाख रुपए
2.	उपभोक्ता मार्गदर्शन समाज मुंबई	1.35 लाख रुपए
राज्य का नाम: नागालैंड		
1.	अयोल्टा मानव संसाधन लि. लौंगलौंग, नागालैंड	15.00 लाख रुपए

1	2	3
2.	सूर्योदय मिशन, वोखा, नागालैंड	5.00 लाख रुपए
3.	विकास समाज संघ, कोहिमा	5.00 लाख रुपए
4.	वीखी कल्याण समाज, कोहिमा	10.00 लाख रुपए
राज्य का नामः ओडिशा		
1.	नारी मंगल महिला समिति, पुरी, ओडिशा	5.00 लाख रुपए
राज्य का नामः राजस्थान		
1.	कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर	68.67 लाख रुपए
राज्य का नामः तमिलनाडु		
1.	कंसर्ट, चेन्नई	82.02 लाख रुपए
राज्य का नामः उत्तर प्रदेश		
1.	उपभोक्ता समन्वय परिषद, नोएडा	47.19 लाख रुपए
राज्य का नामः उत्तराखंड		
1.	परमहंस देहरादून	50.00 लाख रुपए
वर्ष 2012-13		
राज्य का नामः असम		
1.	जिरोई (एनजीओ), जिला कर्बी, असम	10.00 लाख रुपए
राज्य का नामः आंध्र प्रदेश		
1.	गोथामी संगठन प्रकाशम जिला	44,41,886 रुपए
राज्य का नामः दिल्ली		
1.	बिन्टी, नई दिल्ली	1.00 लाख रुपए
2.	वॉयस सोसायटी, नई दिल्ली	90.00 लाख रुपए
3.	भारतीय परिवर्तन संस्था	10.00 लाख रुपए
4.	एफआईसीसीआई, नई दिल्ली	14,57,500 लाख रुपए
राज्य का नामः गुजरात		
1.	सीईआरसी, अहमदाबाद	25.00 लाख रुपए

1	2	3
राज्य का नामः जम्मू और कश्मीर		
1.	अंतर्राष्ट्रीय कल्याण और विकास परिषद	10.00 लाख रुपए
राज्य का नामः महाराष्ट्र		
1.	राजे समभागी, सेवाभावी संस्था, परभणी	2.00 लाख रुपए
2.	भारतीय दलित विकास परिषद औरंगाबाद	5.00 लाख रुपए
3.	उचित व्यापार व्यौहार परिषद सीएफबीपी, मुंबई	12.00 लाख रुपए
राज्य का नामः नागालैंड		
1.	चैरिटी वेलफेयर सोसायटी, पेक जिला, नागालैंड	20.00 लाख रुपए
2.	अयोल्टा मानव संसाधन लि. लौंगलौंग, नागालैंड	15.00 लाख रुपए
3.	वी. किखि वेलफेयर सोसायटी, कोहिमा	10.00 लाख रुपए
4.	समाज विकास मध्य चांदमनी, कोहिमा, नागलालैंड संघ	5.00 लाख रुपए
5.	सूर्योदय मिशन, वोखा, नागालैंड	5.00 लाख रुपए
6.	टीनक सोसायटी, नागालैंड	10,00 लाख रुपए
राज्य का नामः ओडिशा		
1.	नारी मंगल महिला समिति, पुरी, ओडिशा	5.00 लाख रुपए
राज्य का नामः राजस्थान		
1.	कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसायटी, (कट्स), जयपुर	46.00 लाख रुपए
राज्य का नामः तमिलनाडु		
1.	कंसर्ट, चेन्नई	1,41,33,000 लाख रुपए
राज्य का नामः उत्तर प्रदेश		
1.	ज्योति ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)	2.50 लाख रुपए

1	2	3
2.	मानव विकास एवं सेवा संस्थान, लखनऊ	34.00 लाख रुपए
3.	गीता ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	5.00 लाख रुपए
राज्य का नाम: उत्तराखंड		
1.	मोंडा धनपुर कल्याण समिति, उत्तरकाशी	10.50 लाख रुपए

[अनुवाद]

कृषि में जैव प्रौद्योगिकी

2772. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी/जीन क्रान्ति में अनुसंधान तथा विकास कार्य कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसे कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ-साथ जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं में कार्यरत अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन शामिल हैं। भा.कृ.अनु.प. ने कृषि फसलों के जैव प्रौद्योगिकी पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (एनआरसीपीबी) स्थापित किया है। एनआरसीपीबी द्वारा बेहतर गुणवत्ता हेतु फसल सुधार, नाशीजीव प्रतिरोधिता तथा इस तरह के अन्य पहचाने गए लक्षणों के लिए 2005 से पराजीनी फसलों में एक नेटवर्क परियोजना संचालित की गई है जिसमें भा.कृ.अनु.प. के 23 संस्थान शामिल हैं। भा.कृ.अनु.प. द्वारा कृषि में मूल, नीतिगत तथा अग्रत अनुप्रयोग अनुसंधान पर राष्ट्रीय निधि (एनएफबीएसएफएआरए) और राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एनएआईपी) द्वारा जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को सहायता दी जा रही है। अनाज, दलहन तथा तिलहन पर वस्तुओं (कौमोडिटी) की गुणवत्ता, जैविक तथा अजैविक दबाव के संबंध में मार्कर सहायतार्थ लक्षण पहचान, चयन तथा उपयोग संबंधी कार्य किया गया। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान (एनआईपीजीआर) में आनुवंशिक अभियांत्रिकी यूनिटें स्थापित की गई हैं। कृषि जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मई 2013 तक दो सौ बीस स्वीकृत परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं इनमें, फसल, पशु, जलजीवपालन तथा समुद्री जैव प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इसमें लघु व्यापार नवोन्मेषी अनुसंधान पहल के तहत 3 परियोजनाएं और जीव-प्रौद्योगिकी उद्योग साझेदारी कार्यक्रम के तहत 10 परियोजनाएं भी शामिल हैं।

(ग) मौजूदा विनियम फ्रेमवर्क के आधार पर मार्कर सहायतार्थ चयन/प्रजनन द्वारा दिल्ली, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर के बासमती उगाए जाने वाले क्षेत्रों के लिए उन्नत पूसा बासमती-1 किस्म और बाढ़ संभावित उथली भूमि के लिए स्वर्ण सब-1 किस्म जारी की गई। इसके अलावा उत्कृष्ट नस्लों के प्रगुणन के लिए भैंस, सुअर तथा याक को सफलतापूर्वक क्लोनीकृत किया गया।

एमपीलैड स्कीम

2773. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमपीलैड स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इससे संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीलैड्स) के दिशानिर्देशों के पैरा 2.5 में यह उल्लेख है कि: "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों वाली बसावटों का विकास अत्यावश्यक है ताकि ऐसे क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा सके। सांसदों द्वारा वर्ष विशेष में अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए एमपीलैड्स पात्रता का कम से कम 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति बसावट वाले क्षेत्रों के लिए 7.5 प्रतिशत लागत के कार्यों की

अनुशंसा करनी होती है। दूसरे शब्दों में, 5 करोड़ के वार्षिक आबंटन में से, प्रत्येक सांसद द्वारा अनुसूचित जाति के बसावट वाले क्षेत्रों के लिए 75 लाख रुपए तथा अनुसूचित जनजाति बसावट वाले क्षेत्रों के लिए 37.5 लाख रुपये की लागत के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा की जाएगी। यदि लोक सभा सदस्य के क्षेत्र में अपर्याप्त जनजातीय संख्या हैं, तो वे अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर किन्तु अपने निर्वाचन वाले राज्य के भीतर स्थित जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए इस राशि की अनुशंसा कर सकते हैं। यदि किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति बसावट वाले क्षेत्र नहीं हैं तो यह राशि अनुसूचित जाति के बसावट वाले क्षेत्रों में उपयोग में लाई जा सकती है तथा विपरीत स्थिति में भी ऐसा ही होगा। दिशा-निर्देश के इस प्रावधान को लागू करने का उत्तरदायित्व जिला प्राधिकारी का होगा। इस दिशानिर्देश के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के उद्देश्य से, जिला प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि राज्यों और केन्द्र सरकार के मौजूदा प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों की घोषणा करे जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लाभार्थ निर्धारित निधियों के उपयोग के लिए पात्र हैं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम के दिशा-निर्देशों के पैरा 6.4 में उल्लेख है कि: "जिला प्राधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एमपीलैड्स कार्यों के लिए निर्धारित क्रमशः 15% और 7.5% राशि के वित्तपोषण से संबंधित पैरा 2.5 में किए गए प्रावधानों को लागू करेगा।"

(ग) और (घ) वर्तमान में इस संबंध में किए गए किसी भी प्रावधान को नरम बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उर्वरकों के आयात हेतु नीति

2774. श्री श्रीपाद येसो नाईकः
श्री हरिभाऊ जावलेः
श्री लालूभाई बाबूभाई पटेलः
श्री ए.टी. नाना पाटीलः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरकों के आयात संबंधी नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या हमारा देश अपनी मांग को पूरा करने के लिए फोस्फेटिक, पोटाश तथा अन्य उर्वरकों के निर्यात पर निर्भर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ उर्वरकों संबंधी राजसहायता में कमी किए जाने के कारण देश में पोटाश तथा फोस्फेटिक उर्वरकों की खपत में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान अनुमानतः उर्वरक-वार कमी कितनी रही; और

(च) उन कंपनियों तथा देशों के क्या नाम हैं जिनसे उर्वरकों का आयात किया जाता है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश में पोटाश तथा फोस्फेटिक उर्वरक सहित उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने तथा इसके आयात को कम/रोकने के लिए उर्वरक वार क्या कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) देश में यूरिया का आयात सीमित है और इसकी अनुमति तीन राज्य व्यापार उद्यमों अर्थात एमएमटीसी लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से दी जाती है। अन्य सभी उर्वरकों का आयात मुक्त है तथा आयातक इन उर्वरकों का अपनी आवश्यकता के अनुसार खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत आयात कर रहे हैं।

(ख) और (ग) डीएपी, मिश्रित उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों तथा एसएसपी आदि जैसे पीएंडके उर्वरकों का देश में उत्पादन किया जा रहा, तथापि, देश कच्ची सामग्रियों/मध्यवर्तियों तथा तैयार फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं। देश में पोटाश का दोहन-योग्य कोई भण्डार नहीं है तथा देश पोटाशयुक्त उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित पीएण्डके उर्वरकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(आंकड़े लाख मी.टन)

वर्ष उत्पाद	डीएपी	एमएपी	टीएसपी	एनपीके	एमओपी (कृषि)
2010-11	74.11	1.88	0.98	9.81	45.00
2011-12	69.05	4.94	1.60	36.73	26.94
2012-13	57.02	1.52	0.00	4.05	18.80

(घ) और (ङ) जी हां। वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान देश मे पी एंड के उर्वरकों की बिक्री में गिरावट हुई है। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

उत्पादन	2011-12	2012-13
डीएपी	111.95	92.22
एमओपी	29.92	21.34
एनपीके	113.94	77.29
योग (लाख मी.टन में)	255.81	190.85

(च) (i) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पोटाशयुक्त और फॉस्फेटयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों को आयात करने वाली कंपनियों के नाम हैं एग्रीगोल्ड आर्गेनिक्स प्रा. लिमिटेड कारोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, फोलिएज, ग्रीन स्टार फर्टिजाइजर लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, एचपीएम केमिकल्स एंड फटिलाइजर्स, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मोजाइक इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, राष्ट्रिय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, सनफर्ट इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड, केपीआर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकौर लिमिटेड, श्रीराम फर्टिलाजर्स, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, जुआरी होल्डिंग लिमिटेड।

(ii) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जिन देशों से पीएंडके उर्वरकों का आयात किया गया है, उनके नाम हैं आस्ट्रेलिया, बेहरीन, बेलारस, चीन, कनाडा, सीआईएस, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, ईरान, इस्राइल जाइर्डन, कोरिया, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, मैक्सिको, मोरक्को, फिलिपिंस, रूस, दक्षिण अरबिया, दक्षिण अफ्रिका, सिंगापुर, स्पेन, तुर्की, ट्यूनेशिया, अमेरिका, उक्रेन तथा वियतनाम।

(iii) सरकार ने फॉस्फोरिक एसिड पर सीमा शुल्क को कम करके पीएंडके क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पहल की है ताकि पीएंडके उर्वरक के स्वदेशी उत्पदक इस महत्वपूर्ण आदान को उचित मूल्य पर खरीद सकें। पीएंडके उर्वरकों पर 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) योजना की भी घोषणा दी गई है। ताकि स्वदेशी पीएंडके उर्वरकों पर राजसहायता आयातित पीएंडके उर्वरकों के समतुल्य हो सके। उद्यम लगाने की संभावना तलाशने के लिए भी प्रोत्साहन दे रही हैं ताकि पीएंडके क्षेत्र को उर्वरक आदानो की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

[अनुवाद]

कला/कलाकारों को बढ़ावा देना

2775. श्री एन. पीताम्बर कुरूप: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोक कला और संस्कृति की ओर सरकार की उदासीनता के कारण देश के विभिन्न भागों में कुछ कलाकार दयनीय हालत में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम तथा व्यवसाय का क्षेत्र दर्शाते हुए इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कलाकारों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार कलाकारों हेतु निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित करती है:

1. राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
2. गुरु शिष्य परंपरा स्कीम
3. युवा प्रतिभावान कलाकार स्कीम
4. लुप्तप्राय कलारूपों का प्रलेखन
5. रंगमंच नवीकरण स्कीम
6. शिल्पग्राम कार्यकलाप
7. लोकतरंग-राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव तथा पूर्वोत्तर भारत का उत्सव-ऑक्टेव
8. साहित्य, कला और जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों, जो दीन-हीन परिस्थितियों में रह रहे हों तथा उनके आश्रितों हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम।

राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का कार्यनिष्पादन

2777. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो तथा चालू वर्ष के दौरान व्यवहारिक तथा वित्तीय संदर्भ में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कितनी सफलता मिली है;

(ग) इस संबंध में महाराष्ट्र सहित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है तथा राज्यों को राज्य-वार एवं परियोजना-वार कितना धन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी, हां। सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के कार्यक्रम और कार्यकलापों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2011-12 की राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की वार्षिक रिपोर्ट को 18.12.2012 को संसद के समक्ष रखा गया है।

(ख) वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धियां	
	वास्तविक	वित्तीय	वास्तविक	वित्तीय
2010-11	370	3600.00	2055	4706.80
2011-12	535	4000.00	1924	5008.07
2012-13	629	4200.00	6186	4864.60
2013-14 (उपलब्धि 31.7.13 तक)	686	4500.00	50	975.75

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने क्रमशः वर्ष 2012-13 और 2013-14 (31.7.2013) के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों (महाराष्ट्र से 45 और 17 शामिल हैं) से 5339 और 87 नए प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। इसमें से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने 5367 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। साथ ही स्वीकृत परियोजना हेतु सहायता की निर्मुक्ति प्रगति आधारित है।

अवैध अतिक्रमण

2778. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के मुख्य सतर्कता अधिकारी को एनडीएमसी द्वारा किदवई नगर व लक्ष्मीबाई नगर सहित अपने क्षेत्र की सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके उस पर भू-स्वामी एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिए बना केन्द्रीय भंडार के लिए पोर्टा-केबिन का निर्माण करने के संबंध में मुख्य सतर्कता आयोग से शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो एनडीएमसी के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन पोर्टा-केबिनों के निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिनांक 17 अप्रैल, 2013 को सचिव, शहरी विकास को इसी प्रकार की शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो सरकारी भूमि के संरक्षण के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान एनडीएमसी द्वारा अपने अधिकार-क्षेत्र तथा लुटियन जोन में भूमि का स्वामित्व रखने वाली संबंधित एजेंसी से अनापत्ती प्रमाण-पत्र लिए बिना ही निर्मित पोर्टा-केबिनों का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय भंडार द्वारा अभी ऐसे कितने पोर्टा-केबिनों का उपयोग किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इसमें अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से सामुदायिक सेवाओं के लिए पोर्टा-केबिनों का निर्माण स्थानीय लोगों को मूलभूत

सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवाओं के रख-रखाव के उद्देश्य हेतु निर्धारित भूमि पर स्ट्रीट फर्नीचर के रूप में किया गया है। अत: एनडीएमसी के अधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई पर विचार नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(च) भूमि का स्वामित्व रखने वाली एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना किसी पोर्टा-केबिन का निर्माण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद के अंतर्गत अनुसंधान/केन्द्र/परियोजनाएं

2779. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सहित देश में भारतीय कृषि और अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में चलाए जा रहे अनुसंधान केन्द्रों/कार्यान्वित परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त प्रत्येक केन्द्र/परियोजना के लिए आबंटित/खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में कृषि उत्पादन पर ऐसे केन्द्रों का क्या प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भरतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बजट राशि का आवंटन स्कीम-वार किया जाता है न कि राज्य-वार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आने वाली स्कीमों/संस्थानों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षे अर्थात 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान विभिन्न स्कीमों को आवंटित राशि तथा व्यय का ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थान/स्कीमों की मुख्य उपलब्धियां विवरण-III में दी गई हैं।

(घ) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत किए गए कृषि अनुसंधान का देश के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव का विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण I

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

(लाख रुपए)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2010-11		2011-12	
		आरई	वास्तविक व्यय	आर.ई	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6
फसल विज्ञान					
1.	राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	1515.00	1438.57	1167.02	1037.02
	राष्ट्रीय पादप अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	1300	1223.57	864.02	734.02
	एआईसीएनपी के तहत अल्पदोहित फसलें, नई दिल्ली	215	215	303	303
2.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	9837.39	9833.59	9066.98	9009.81
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान + ओबीसी	4778.39	4777.71	3873.98	3869.75
	अ.भा.स.अ. कीटनाशी अवशिष्ट, नई दिल्ली	240	239.85	544	544

1	2	3	4	5	6
	अ.भा.स.अ.प. सूत्रकृमि, नई दिल्ली	284	283.63	696	695.66
	फसल विज्ञान हेतु एनआरसी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली	990	989.98	600	599.97
	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	375	374.99	375	324.99
	अ.भा.स.अ.प. मक्का, नई दिल्ली	753	753	1516	1516
	एनसीआईपीएस, नई दिल्ली	157	157	150	150
	पुष्पोत्पाद निदेशालय, नई दिल्ली + अभासअप, पुष्पोत्पादन	260	259.53	537	536.5
	कीट जैव प्रणालीबद्ध नेटवर्क कार्यकम (भा.कृ.अ.सं. का हिस्सा)	200	198.8	175	174.99
	पराजीनी पर नेटवर्क परियोजना (एनआरसी पादप जैव प्रौद्योगिकी का हिस्सा)	1800	1799.1	600	59795
3.	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	2620.00	2619.99	3049.00	3048.70
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	400	399.99	315	314.7
	चावल अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	520	520	240	240
	अ.भा.स.अ.प. चावल, हैदराबाद	1700	1700	2494	2494
4.	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	223	223	150	150
5.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	3031.74	3031.25	4599.00	4547.66
	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	700	699.2	442	441.24
	अ.भा.स.अ.प. चना, कानपुर	713	713	1146	1146
	अ.भा.स.अ.प. मुलार्प, कानपुर	821.91	821.94	1537	1536.88
	अ.भा.स.अ.प. अरहर, कानपुर	500	499.97	1024	1024
	अ.भा.स.अ.प. शुष्क फलियां, कानपुर	296.83	297.14	450	399.54
6.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	1805.00	1788.02	1606.00	1596.34
	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	810	793.02	475	465.34
	अ.भा.स.अ.प. गेहूं एवं जौ सुधार परियोजना, करनाल	995	995	1131	1131
7.	ज्वार निदेशालय, हैदराबाद	1859.00	1854.08	27158.00	2757.17
	ज्वार अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	430	430	189	175.06
	अ.भा.स.अ.प. ज्वार, हैदराबाद	519	519	913	905.63
	अ.भा.स.अ.प. बाजरा, जोधपुर	500	495.08	932	932
	अ.भा.स.अ.प. गौण अनाज, बंगलोर	410	410	681	744.48

1	2	3	4	5	6
8.	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	2150.00	2148.15	3419.51	3379.75
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थानद्व झांसी	700	699.96	366	327.87
	अ.भा.स.अ.प. चारा फसलें, झांसी	800	798.64	1129	1128.48
	अ.भा.स.अ.प. कृषि वानिकी, झांसी	400	399.57	1659.51	1659.03
	एनआरसी कृषि वानिकी, झांसी	250	249.98	265	264.37
9.	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री	537.00	537.00	593.00	592.99
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री	207	207	250	249.99
	तम्बाकू नेटवर्क, राजामुन्द्री	330	330	343	343
10.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	1178.98	1179.26	1408.00	1406.60
	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	444	443.99	338	336.39
	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	364.98	364.99	325	324.81
	अ.भा.स.अ.प. गन्ना, लखनऊ	370	370.28	745	745.4
11.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	2468.96	2468.58	2212.00	2159.19
	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	300	299.95	82	80.93
	एआईसी कपास सुधार परियोजना, कोम्बटूर	900	899.99	1068	1038
	केन्द्रीय जूट एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	370	369.81	177	163.79
	अ.भा.स.अ.प. जूट एवं संबद्ध रेशा, बैरकपुर	210	209.94	479	476.42
	प्रौद्योगिकी मिशन-कपास (मि.मि. I) नागपुर	650	649.99	365	365.54
	प्रौद्योगिकी मिशन जूट (मि.मि. I) बैरकपुर	38.96	38.90	41	34.51
12.	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	4719.93	4664.68	6481.00	6483.22
	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	500	500.00	287	286.99
	परियोजना निदेशालय-मूंगफली, जूनागढ़	299.78	299.90	400	399.93
	अ.भा.स.अ.प.-मूंगफली, जूनागढ़	426	425.67	944	941.58
	परियोजना निदेशालय-सोयाबीन, इंदौर	250	249.98	205	204.66
	अ.भा.स.अ.प.-सोयाबीन, इंदौर	390	390.00	665	664.55
	परियोजना निदेशालय-तोरिया एवं सरसों, भरतपुर	250	249.99	250	249.99
	अ.भा.स.अ.प.-तोरिया एवं सरसों, भरतपुर	850	950.00	1190	1189.99
	अ.भा.स.अ.प.-तिलहन, हैदराबाद	840	840.00	1223	1223

1	2	3	4	5	6
	अ.भा.स.अ.प.-अलसी, कानपुर	354.15	354.15	565	673.93
	अ.भा.स.अ.प.-तिल एवं रामतिल, जबलपुर	460	404.99	752	648.6
13.	राष्ट्रीय प्रमुख कृषि कीट ब्यूरो, बंगलौर	1146.00	1146.00	1548.00	1548.00
	राष्ट्रीय प्रमुख कृषि कीट ब्यूरो, बंगलौर	306	306.00	135	135
	अ.भा.स.अ.प.-जैविक नियंत्रण, बंगलौर	235	235.00	340	340
	अ.भा.स.अ.प.-मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं परागणकर्त्ता, हिसार	214	214.00	438	438
	सफेद सूंडी एवं अन्य मृदा आर्थोपोड्स पर नेटवर्क, जयपुर	135	135.00	200	200
	कृषि एकोलोजी परियोजना, बंगलौर	156	156.00	213	213
	आर्थिक पक्षी विज्ञान नेटवर्क, हैदराबाद	100	100.00	222	222
14.	बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ	2975.00	2974.75	24.69.00	2592.72
	बीज अनुसंधान निदेशालय मऊ	504	503.75	300	300
	अ.भा.स.अ.प.-एएसपी, मऊ	1184	1184	1519	1519
	कृषि फसलों एवं मात्स्यिकी में बीज उत्पादन, मऊ	1287	1287	650	773.72
15.	राष्ट्रीय प्रमुख कृषि सूक्ष्मजीव एवं कीट ब्यूरो, मऊ	1340.00	1314.00	1010.00	1073.12
	राष्ट्रीय प्रमुख कृषि सूक्ष्मजीव एवं कीट ब्यूरो, मऊ	280	279.89	210	209.51
	कृषि एवं संवद्ध क्षेत्रों में सूक्ष्मजीव का अनुप्रयोग + सूक्ष्मजीवीय जैनोमिक संसाधन सं.				
	कुल	36600.00	36425.93	39277.00	39130.18
	बागवानी				
16.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	3120	3117.83	5643	556975
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	900	899.94	898	897.45
	अ.भा.स.अ.प.-उष्णकटिबंधीय फल, बंगलौर	395	394	2125	2125
	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	375	373.91	350	341.91
	अ.भा.स.अ.प.-उपोष्ण फल, लखनऊ	300	299.99	657	654.58
	एनआरसी-लीची, मुजफ्फरपुर	250	249.99	530	527.06
	एनआरसी-नीबूवर्गीय फल, नागपुर	300	300	258	203
	एनआरसी-अंगूर, पुणे	300	300	400	399.87
	एनआरसी-केला, त्रिचि	300	300	425	420.88

1	2	3	4	5	6
17.	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	350	349.98	280	269.42
18.	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	875	87598	280	269.42
	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	250	250	250	249.95
	अ.भा.स.अ.प. शुष्क फल, बीकानेर	300	300	595	594.48
	राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, संगोला, महाराष्ट्र	325	325.01	500	500
19.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	1900	1900.34	2345.76	2345.75
	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	400	399.99	401.26	401.26
	परियोजना निदेशालय-खुम्बी, सोलन	250	250.35	130	129.99
	अ.भा.स.अ.प.-खुम्बी, सोलन	250	250	303	303
	अ.भा.स.अ.प.-सब्जी, एनएसपी सब्जी सहित वाराणसी	475	475	1284	1284
	प्याज एवं लहसुन निदेशालय, पुणे+प्याज एवं लहसुन सुधार पर नेटवर्क	525	525	227.5	227.5
20.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	1775	1774.95	2688	2686.96
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	800	799.95	1040	1039.86
	अ.भा.स.अ.प. आलू, शिमला	320	320	739	739
	केन्द्रीय कन्दीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	355	355	400	399.99
	अ.भा.स.अ.प. केन्द्रीय फसलें, त्रिवेन्द्रम	300	300	509	508.11
21.	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड	1455	1454.72	2344	2338.63
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड	450	449.72	650	644.69
	अ.भा.स.अ.प. ताड़, केरल	345	345	597	596.95
	एनआरसी-काजू पुत्तूर	235	235	259	258.99
	अ.भा.स.अ.प. काजू, पुत्तूर	200	200	488	488
	तेलताड़, निदेशालय, पेदावेगी	225	225	350	350
22.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर	430	429.99	400	399.85
23.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	1305	1305	1877.24	187721
	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट+आउटरीच	840	840	1010	1009.97
	अ.भा.स.अ.प. मसाले, कालीकट	250	250	656.5	656.5
	एनआरसी बीज प्रजाति, अजमेर	215	215	210.74	210.74

1	2	3	4	5	6
24.	औषधीय एवं सुगंधीय पादप निदेशालय, आनन्द	630	629.9	1396	1393.66
	औषधीय एवं सुगंधीय पादप निदेशालय, आनन्द	300	300	296	293.66
	एआईसीआरपी पर औषधीय एवं सुगंधीय पादप तथा पान, आनन्द	330	329.9	1100	1100
	कुल	12400.00	12397.25	19120.00	19026.64
	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन				
25.	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर	450	449.99	510	510
26.	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	503	502.97	600	533.97
27.	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	1220	1219.87	2419	2418.78
	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	360	359.97	354	353.98
	अ.भा.स.अ.प. मृदा एवं पादपों में माइको सेकेण्डरी एवं प्रदूषक तत्व	300	299.93	720	719.94
	एआईएनपी पर जैव उर्वरक भोपाल	160	159.99	285	285.11
	अ.भा.स.अ.प. फसल अनुक्रिया के साथ मृदा परीक्षण, भोपाल	250	249.99	620	620
	अ.भा.स.अ.प. दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण, भोपाल	150	149.99	440	439.75
28.	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसधान संस्थान, करनाल	640	639.49	1049	1048.99
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	315	314.5	300	300
	अ.भा.स.अ.प. लवण प्रभावित मृदा और लवणीय जल का कृषि में उपयोग, करनाल	325	324.99	749	748.99
29.	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, पटना				
	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, मखाना सहित, पटना	583	579.11	585	584.99
30.	जल प्रबंधन निदेशालय, भुवनेश्वर	1250	1249.88	2345	2344.99
	जल प्रबंध-अनुसंधान निदेशालय, भुवनेश्वर	150	149.88	250	249.99
	अ.भा.स.अ.प.-जल प्रबंध अनुसंधान, भुवनेश्वर	900	900	1690	1690
	अ.भा.स.अ.प.-भूजल उपयोग, भुवनेश्वर	200	200	405	405
31.	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	2156	2158.39	5158	5150.84
	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	260	259.39	265	257.84
	अ.भा.स.अ.प.-बारानी कृषि, हैदराबाद	1400	1400	3888	3888

1	2	3	4	5	6
	अ.भा.स.अ.प. कृषि मौसम विज्ञान, हैदराबाद	250	250	805	805
	जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि संवेदनशीलता और अनुकूल प्रभाव, जलवायु परिवर्तन पर नेटपर्क परियोजना, हैदराबाद	246	249	200	200
32.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	493	494.78	615	577.49
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	390	3814.49	370	369.7
	कृंतक नियंत्रण नेटवर्क, जोधपुर	103	113.29	245	207.79
33.	फसलीय प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम	1645	1641.'81	3727.31	3731.11
	फसलीय प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम	145	145.01	180	179.95
	अ.भा.स.अ.प.-समेकित कृषि प्रणाली अनुसंधान + आर्गेनिक फार्म नेटवर्क सहित	1500	1496.8	3547.31	3551.16
	नेटवर्क परियोजना-जैविक कृषि				
34.	खरपतवार विज्ञान परियोजना निदेशालय, जबलपुर	540	539.13	1443.25	1436.36
	खरपतवार विज्ञान परियोजना निदेशालय, जबलपुर	140	139.13	67.65	66.2
	अ.भा.स.अ.प. खरपतवार नियंत्रण, जबलपुर	400	400	1375.6	1370.16
35.	भा.कृ.अ.अ.प अनुसंधान परिसर, गोवा	271	266.92	340.33	268.93
36.	उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर	2043.35	2042.05	3426.73	3393.53
	उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर, बड़ापानी	1000	998.73	1934	1919.47
	एनआरसी-याक, दिरांग	425	425	392	373.4
	एनआरसी-मिथुन झरनापानी, नागालैंड	318.35	318.32	836.73	836.66
	एनआरसी-आर्किड, पैकयोंग, सिक्किम	300	300	264	264
	कृषि में जल उत्पादकता वृद्धि	5	3.27	3.6	2.74
37.	राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंधन संस्थान, मालेगांव, महाराष्ट्र	1000	1000	1000	979.62
	कुल	12303.00	12280.60	23409.00	23223.87
	कृषि अभियांत्रिकी				
38.	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल	2198	1442.6	3313.5	3142.16
	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल + एपीसीएईएम	528	527.94	489	488.94
	अ.भा.स.अ.प.-कृषि उपकरण एवं मशीनरी, भोपाल	676	375.18	1310.21	1305.14

1	2	3	4	5	6
	अ.भा.स.अ.प.-कृषि सुरक्षा और सस्य विज्ञान, भोपाल	230	117.98	326.28	265.28
	अ.भा.स.अ.प.-नवीनीकृत उर्जा स्रोत, भोपाल	520	311.27	683.7	608.7
	अ.भा.स.अ.प.-पशु ऊर्जा का उपयोग, भोपाल	244	110.23	504.31	474.1
39.	केन्द्रीय फसल कटाई के उपरांत अभियायांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	2030	2029.18	2299.4	224.17
	केन्द्रीय फसल कटाई के उपरांत अभियायांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना	391	390.18	516	466.77
	कृषि में प्लास्टिक के उपयोग पर अ.भा.स.अनु. परियोजना, लुधियाना	141	141	236.6	230.6
	कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी पर अ.भा.स.अ.प., लुधियाना	1498	1498	1546.8	1546.8
40.	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान, रांची	214	213.93	367.1	326.52
	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान, रांची	190	189.95	247.1	247.08
	प्राकृतिक राल एवं गोंद की तुड़ाई तथा सस्योत्तर एवं मूल्यवर्धन पर एनडब्ल्यूपी	24	23.98	120	79.44
41.	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	613	612.87	735	734.98
42.	राष्ट्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता	208	208	225	225
	कुल	5263.00	4506.58	6940.00	6672.83
	पशु विज्ञान				
43.	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल	485.27	482.34	545.57	532.3
	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल	305.27	302.34	450	448.44
	पशु आनुवंशिकी संसाधन पर नेटवर्क करनाल	180	180	95.57	83.86
44.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	899.15	895.08	2329.29	2325.22
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	827.15	826.31	2244.29	2243.69
	देशी दुग्ध उत्पाद की उन्नयन प्रकिया के लिए आर एंड डी सहायता पर एनपी,	72	68.77	85	81.53
	शैल्टर प्रबंधन द्वारा मौसम परिवर्तन संबंधी अनुकूल पशुधान पर नेटवर्क परियोजना	-	-	-	-
45.	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, अविकानगर, राजस्थान	630	61991	926.57	834.68
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, अविकानगर	400	400	626.57	598.89

1	2	3	4	5	6
	भेड़ सुधार पर नेटवर्क कार्यक्रम, अविकानगर	130	130	185	138.04
	भेड़ सीड परियोजना	100	89.91	115	97.75
46.	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान केन्द्र, मखदूम	495	471.44	878.5	850.96
	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान केन्द्र,	315	294.89	425	424.22
	बकरी सुधार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना	180	176.55	453.5	426.74
	बकरी सीड परियोजना-(सीआईआरजी का हिस्सा)				
47.	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	678	677.99	1083.15	1080.38
	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	383	383	578.58	575.81
	भैंस सुधार पर नेटवर्क कार्यक्रम, हिसार	295	294.99	504.57	504.57
48.	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान	545	544.9	808.36	823.51
	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, बंगलौर	250	249.9	470.36	470.36
	बढ़ते हुए पशु उत्पादन के लिए खाद्य संसाधन एवं पोषण उपयोग का सुधार पर एआईसीआरपी, मिथेन उत्सर्जन पर आउटरीच, बंगलौर	295	295	338	353.15
49.	राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर	312	312	355	305.67
50.	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार	557	556.96	965	963.88
	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार	330	330	350	348.91
	वेटेनरी टाइप कल्चर, (एनआरसी के मुख्य हिस्से के रूप में)	227	226.96	615	614.97
51.	गोपशु परियोजना निदेशालय	584.11	576.58	792.36	717.56
	गोपशु परियोजना निदेशालय, मेरठ	154.73	148	166	151.03
	गोपशु अनुसंधान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, मेरठ	429.38	428.58	626.36	566.53
52.	खुरपका एवं मुंहपका रोग पर परियोजना निदेशालय, मुक्तेश्वर	550	550	3196.46	3087.34
	खुरपका एवं मुंहपका रोग पर परियोजना निदेशालय,	550	550	3196.46	3087.34
	अ.भा.स.अ.प.-मुहंपका एवं खुरपका रोग, मुक्तेश्वर				
53.	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान केन्द्र, इज्जतनगर	1481.12	1473.75	1873.53	1852.70
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान केन्द्र, इज्जतनगर	513.85	512	430.51	429.32
	मुर्गी पालन परियोजना निदेशालय, हैदराबाद	317.27	316.75	483	463.32

1	2	3	4	5	6
	मुर्गी पालन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना निदेशालय, हैदराबाद	450	445	660.02	660.02
	पोल्ट्री सीड परियोजना	200	200	300	300
54.	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	2368	220.53	4055.63	3695.61
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	1795	1679.18	2091.63	1783
	गैस्ट्रों इंटैस्टीनल पैरोसटिज्म पर नेटवर्क, इज्जतनगर	250	222.46	324	308.52
	हिमोरेजिक स्पेटिसिमिया पर नेटवर्क, इज्जतनगर			in GIP	in GIP
	नीली जीभ रोग पर नेटवर्क कार्यक्रम, इज्जतनगर			in GIP	in GIP
	पशु रोग मॉनीटरिंग और सर्वेक्षण पर परियोजना निदेशालय, बंगलौर+एआईसीआरपी एडीएमएएस	323	318.89	1640	1604.11
55.	राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	180	179.33	222	184.72
56.	राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र	760	754.87	892.85	891.37
	राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी	390	384.87	353.85	352.37
	सुअर पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, गुवाहाटी	200	200	484	484
	सुअर पर मेगासीड परियोजना, गुवाहाटी	170	170	55	55
	कुल	11268.00	11059.00	20153.00	19355.96
	मात्स्यिकी				
57.	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान,	1660	1660	2573.32	2573.14
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि	1110	1110	2019	2018.99
	केन्द्रीय खारा जल मत्स्य पालन संस्थान, चेन्नई	550	550	554.32	554.15
58.	केन्द्रीय अन्तःस्र्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	890	888.73	897	894.36
	केन्द्रीय अन्तःस्र्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	540	539.18	496	496.09
	शीत जल मात्स्यिकी परियोजना निदेशालय, भीमताल	350	349.55	401	400.27
59.	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्चि	790	779.74	855.5	754.59
60.	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई	2000	1971.9	3576.3	3373.7
61.	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर	670	669.94	896	797.23
62.	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ	490	490	601.88	601.7
	कुल	6500.00	6460.31	9400.00	8994.72

1	2	3	4	5	6
	कृषि सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र				
63.	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	300	298.65	300	298.82
	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	150	148.67	150	148.82
	राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र एवं नीति अनुसंधान, संस्थान, नई दिल्ली	150	149.98	150	150
	कुल	300.00	298.65	300.00	298.82
	कृषि विस्तार				
64.	कृषि विज्ञान केन्द्र	62498.8	59259.52	51964.18	511623.39
65.	कृषि में महिलाओं पर अनुसंधान निदेशालय, भुवनेश्वर	1026	1025.43	1610.47	1566.27
	कृषि में महिलाओं पर अनुसंधान निदेशालय, भुवनेश्वर	344	344315.57	272	
	अभासअप-गृह विज्ञान	682	681.43	1294.9	1294.27
66.	कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, नई दिल्ली	150.7	120.17	209.38	191.82
	कुल	63675.50	60404.12	53764.00	53381.48
	कृषि शिक्षा				
67.	भारत में उच्च कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण और विकास	44600.00	44600.00	53689.00	50280.49
68.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंध अकादमी (नार्म), हैदराबाद	1600	1599.81	2111	1893.17
	कुल	46200.00	46199.81	55800.00	52173.66
69.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय + डेयर	8065	8068	10101	10098
	डेयर	65	68	100	99
	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल	8000	8000	10001	10000
	कुल	8065.00	8068.00	10101.00	10099.00
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय				
70.	भा.कृ.अ.प. मुख्यालय का आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण	1529	1506.82	11733	11722.71
72.	एनएआईपी	27000	18947	17600	161555.82
73.	इंडो-यूएस ज्ञान पहल/कृषि सहयोग				
74.	राष्ट्रीय मूल, नीतिगत और अनुसंधान प्रयोग के अग्रणी क्षेत्रों के लिए निधि	811	811	3800	2702.81
	राष्ट्रीय कृषि जलवायु अनुकूल कृषि पहल	2000	15802.93	132.00	13188.19
	कुल	252175.50	235429.00	284997.00	276526.68

1	2	3	4	5	6
	नई पहलें प्रगति पर हैं				
	राष्ट्रीय जैविक दबाव प्रबंधन संस्थान	नई स्थापन		1	0
	भारतीय कृषिक जैव प्रौद्योगिकी संस्थान	नई स्थापन		1	0
	सीएयू, बुंदेलखण्ड			1	
	सीएयू बिहार			1	
	कुल (भा.कृ.अ.प.+डेयर)	252175.50	235429.00	285000.00	276526.68
	2010-11 आरई केवीके बकाया राशि क लिए अनुपूरक अनुदान सहित वित्त मंत्रालय द्वारा एमपीकेवी को रुपए 100 करोड़ सीधे भेजे गए।	750	750	854	854
	2011-12 का प्रस्तावित परिव्यय परिव्यय रुपए 4534.44 +284.56 + 300 - 5119 करोड़ है।				
	इंडो-यूएस जानकारी पहले में गलती से रुपए 2 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किया गया।				

विवरण II

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

2012-13

क्र.सं.	क्षेत्र/स्कीम का नाम	आरई	वास्तविक व्यय (लाख रुपए)
1	2	3	4
	फसल विज्ञान		
1.	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	1430.00	1455.84
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली	1100	1126.24
	एआईसीएनपी के तहत अल्पदोहित फसलें, नई दिल्ली	330	329.6
2.	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	6033.00	5304.23
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान + ओबीसी	4600	3996.48
	पराजीनी पर नेटवर्क परियोजना	933	800.23
	फसल विज्ञान हेतु एनआरसी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, नई दिल्ली	500	507.52
3.	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	1514	1571.78
	मक्का अनुसंधान निदेशालय, नई दिल्ली	415	449.88

1	2	3	4
	एआईसीआरपी मक्का, नई दिल्ली	1099	1121.9
4.	एनसीआईपीएम, नई दिल्ली	1144	1117.87
	एनसीआईपीएम, नई दिल्ली	140	125.39
	कीटनाशी अपशिष्ट पर एआईसीआपी, नई दिल्ली	558	536.53
	सूत्रकृमि पर एआईसीआरपी, नई दिल्ली	446	455.95
5.	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	3354.00	3223.42
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक	500	536.99
	डीआरआर, हैदराबाद	354	395.82
	एआईसीआरपी चावल, हैदराबाद	2500	2290.61
6.	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	3737.00	3830.29
	भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर	350	349.49
	अभासअप-चना, कानपुर	1000	1019.74
	अभासअप-मुलार्प, कानपुर	1000	1057.45
	अभासअप-अरह, कानपुर	1009	1083.95
	अभासअप-शुष्क फलिया, कानपुर	378	319.66
7.	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	4142.00	3887.54
	गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल	350	51705
	अभासअप-गेहूं एवं जौ सुधार परियोजना, करनाल	2040	1865.96
	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा	227	213
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	325	324.57
	अभासअप-चारा फसलें, झांसी	1020	966.96
8.	ज्वार निदेशालय, हैदराबाद	2681.00	2773.36
	ज्वार निदेशालय, हैदराबाद	285	284.36
	अभासअप-ज्वार, हैदराबाद	747	744.1
	अभासअप-बाजरा, जोधपुर	970	995.9
	अभासअप-गौण अनाज, बंगलौर	679	749
9.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	2335.00	1904.15

1	2	3	4
	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	355	354.84
	गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर	262	245.47
	अभासअप-गन्ना, लखनऊ	1300	1303.84
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री		417.98
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री	150	149.98
	तम्बाकू नेटवर्क, राजामुन्द्री	268	268
10.	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	2491.00	2371.86
	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर	200	185.81
	एआईसीआरपी कपास सुधार परियोजना, कोयम्बटूर	1122	1121.9
	केन्द्रीय जूट एवं सबद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	345	241.93
	अभासअप-जूट एवं सबद्ध रेशा बैरकपुर	402	401.91
	प्रौद्योगिकी मिशन-कपास (मि.मि. I) नागपुर	350	350.66
	प्रौद्योगिकी मिशन जूट (मि.मि. I) बैरकपुर	72	69.65
11.	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	6069.00	6217.72
	तिलहन अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद	365	404.98
	परियोजना निदेशालय-मूंगफली, जूनागढ़	425	424.99
	अ.भा.स.अ.प.-मूंगफली, जूनागढ़	895	956.2
	परियोजना निदेशालय-सोयाबीन, इंदौरा	270	289.95
	अ.भा.स.अ.प.-सोयाबीन, इंदौर	536	563.2
	परियोजना निदेशालय-तोरिया एवं सरसों, भरतपुर	285	285
	अ.भा.स.अ.प.-तोरिया एवं सरसों, भरतपुर	1073	1073
	अ.भा.स.अ.प.-तिलहन, हैदराबाद	1100	1100
	अ.भा.स.अ.प.-अलसी, कानपुर	500	500.4
	अ.भा.स.अ.प.-तिल एवं रामतिल, जबलपुर	620	620
12.	राष्ट्रीय प्रमुख कृषि कीट ब्यूरो, बंगलौर	11881.00	180421
	राष्ट्रीय प्रमुख कृषि कीट ब्यूरो, बंगलौर	3143	158
	अ.भा.स.अ.प.-जैविक नियंत्रण, बंगलौर	315	311.39

1	2	3	4
	अ.भा.स.अ.प.-मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं परागणकर्त्ता, हिसार	341	267.07
	सफेद सूडी एवं अन्य मृदा आर्थोपोड्स पर नेटवर्क, जयपुर	193	187.57
	कृषि एकोलोजी परियोजना, बंगलौर	212	212
	आर्थिक पक्षी विज्ञान नेटवर्क, हैदराबाद	195	188.58
	कीट जैव प्रणाली पर नेटवर्क कार्यक्रम	264	290.76
	सड़क नियंत्रण पर नेटवर्क, जबलपुर	218	188.84
13.	बीज अनुसंधान निदेशालय, मऊ	3245.00	3058.08
	बीज अनुसंधान निदेशालय मऊ	555	432.73
	अ.भा.स.अ.प.-एएसपी, मऊ	2140	2127.15
	कृषि फसलों एवं मात्स्यिकी में बीज उत्पादन, मऊ	550	498.2
14.	राष्ट्रीय प्रमुख कृषि सूक्ष्मजीव एवं कीट ब्यूरो, मऊ	944.00	866.68
	राष्ट्रीय प्रमुख कृषि सूक्ष्मजीव एवं कीट ब्यूरो, मऊ	170	148.32
	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सूक्ष्मजीव का अनुप्रयोग + सूक्ष्मजीवीय जैनोमिक संसाधन सग्रह नेटवर्क मऊ	774	718.36
15.	राष्ट्रीय जैविक स्टैस प्रबधन सस्थान	100	86.27
16.	भारतीय कृषि बायोटेक्नालॉजी संस्थान	200	200
	कुल	41300.00	40081.03
	बागवानी		
17.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलोर	1969	2009.17
	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलोर	550	1567.71
	अ.भा.स.अ.प.-उष्णकटिबंधीय फल, बंगलौर	1000	22.53
	एनआरसी-केला, त्रिचि	150	149.93
	एनआरसी साईट्रस, नागपुर	269	269
18.	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	1810	1848.27
	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ	175	174.21
	अभासअप-उपोष्ण फल, लखनऊ	500	526.2
	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, श्रीनगर	395	390.66
	एनआरसी-अंगूर, पुणे	340	340

1	2	3	4
	एनआरसी-लीची मुजफ्फरपुर	400	417.2
19.	केन्द्रीय शुष्ण बागवानी संस्थान, बीकानेर	1080	947.88
	केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर	150	167.9
	अ.भा.स.अ.प. शुष्क फल, बीकानेर	650	500
	राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केन्द्र, सगोला, महाराष्ट्र	280	279.98
20.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	2380	2438.72
	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी	360	1639.92
	परियोजना निदेशालय-खुम्बी, सोलन	120	119.23
	अ.भा.स.अ.प.-खुम्बी, सोलन	225	261.51
	अ.भा.स.अ.प.-सब्जी, एनएसपी सब्जी सहित वाराणसी	1280	215
	प्याज एवं लहसुन निदेशालय, पुणे+प्याज एवं लहसुन सुधार पर नेटवर्क	395	415.91
21.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	2390	2397.84
	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	960	959.99
	अ.भा.स.अ.प. आलू, शिमला	550	550
	केन्द्रीय कन्दीय फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम	500	499.99
	एआईसीआरपी टयूबर फसले, तिरूवन्तपुरम	380	387.86
22.	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड	1351	1320.53
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड	390	388.44
	अ.भा.स.अ.प. ताड़, केरल	396	393.3
	एनआरसी काजू, पुत्तूर	125	126.32
	तेलताड़, निदेशालय, पेदावेगी	175	175
23.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पोर्टब्लेयर	500	499.63
24.	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट	11375	1224.45
	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट+आउटीच	600	341.27
	अ.भा.स.अ.प.-मसाले, कालीकट	650	745.38
	एनआरसी-बीज प्रजाति, अजमेर	125	137.8
25.	पुष्पोत्पाद निदेशालय, नई दिल्ली	1635	1668.7

1	2	3	4
	पुष्पोत्पाद निदेशालय, नई दिल्ली + अभासअप पुष्पोत्पाद	510	504.39
	औषधीय एवं सुगंधीय पौधे निदेशालय, आनद	125	125.02
	अभासअप औषधीय एवं सुगंधीय पौधे और पान, आनद	700	699.17
	एनआरसी-आर्किड, पिकोंआग, सिक्किम	300	340.12
	नई पहलें-एनआरसी जलीय कृषि आदिवासी बागवानी संस्थान, रांची, राष्ट्रीय पैरीशेबल फल संस्थान, भावी फलों पर नेटवर्क परियोजना		
	कुल	14490.00	14355.19
	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन		
26.	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर	375	374.98
27.	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	300	299.51
28.	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	2270	2213.73
	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल	250	249.94
	अ.भा.स.अ.प. मृदा एवं पादपों में माइको सेकेण्डरी एवं प्रदूषक तत्व, भोपाल	735	714.38
	एआईएनपी पर जैव उर्वरक भोपाल	230	219.07
	अ.भा.स.अ.प. फसल अनुक्रिया के साथ मृदा परीक्षण, भोपाल	675	663.09
	अ.भा.स.अ.प. दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण, भोपाल	380	367.25
29.	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	755	754.91
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल	280	279.92
	अ.भा.स.अ.प. लवण प्रभावित मृदा और लवणीय जल का कृषि में उपयोग, करनाल	475	474.99
30.	पूर्वी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. का अनुसंधान परिसर, मखाना सहित, पटना	490	489.97
31.	जल प्रबंध निदेशालय, भुवनेश्वर	1985	1982.74
	जल प्रबंध-अनुसंधान निदेशालय, भुवनेश्वर	150	150
	अ.भा.स.अ.प.-जल प्रबंध अनुसंधान, भुवनेश्वर	1835	1832.74
32.	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	3205	2914.7
	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	250	258.25
	अ.भा.स.अ.प.-बारानी कृषि, हैदराबाद	2100	1599.21
	अ.भा.स.अ.प. कृषि मौसम विज्ञान, हैदराबाद	680	592.41
	जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि संवेदनशीलता और	175	164.83

1	2	3	4
	अनुकूल प्रभाव, जलवायु परिवर्तन पर नेटवर्क परियोजना, हैदराबाद		
33.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर	345	344.25
34.	फसलीय प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम	5450	5444.74
	फसलीय प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशालय, मोदीपुरम	140	129.41
	अ.भा.स.अ.प.-समेकित कृषि प्रणाली अनुसंधान + आर्गेनिक फार्म नेटवर्क सहित, मोदीपुरम	2650	2658.14
	नेटवर्क परियोजना-जैविक कृषि	110	112.05
	अभसअप-कृषिवानिकी, झांसी	1185	1184.59
	एनआरसी कृषिवानिकी, झांसी	200	199.66
	पीडी-डब्ल्यूएस, जबलपुर	125	121.31
	अभसअप-खरपतवार नियंत्रण, जबलपुर	1040	1039.58
35.	भा.कृ.अ.अ.प अनुसंधान परिसर, गोवा	300	299.99
36.	उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा.कृ.अ.प. अनुसंधान परिसर,	1465	1462.3
	कृषि में जल उत्पादकता को बढ़ाकर (बी.ए.)	5	4.27
37.	राष्ट्रीय अजैविक दबाव प्रबंधन संस्थान, मालेगांव, महाराष्ट्र	1555	1554.96
38.	राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पर नई पहल	7500	5824.81
	कुल	26000.00	23965.86
	कृषि अभियांत्रिकी		
39.	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल	2603	2551.16
	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल + एपीसीएईएम	267	241.21
	अ.भा.स.अ.प.-कृषि उपकरण एवं मशीनरी, भोपाल	990	973.26
	अ.भा.स.अ.प.-कृषि सुरक्षा और सस्य विज्ञान, भोपाल	270	271.5
	अ.भा.स.अ.प.-नवीनीकृत उर्जा स्रोत, भोपाल	637.	634.38
	अ.भा.स.अ.प.-पशु ऊर्जा का उपयोग, भोपाल	439	430.81
40.	केन्द्रीय फसल कटाई के उपरांत अभियायांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	1573	1599.69
	केन्द्रीय फसल कटाई के उपरांत अभियायांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना	271	332.41
	कृषि में प्लास्टिक के उपयोग पर अ.भा.स.अनु. परियोजना, लुधियाना	190	186.91
	कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी पर अभासअप, लुधियाना	1112	1080.37

1	2	3	4
41.	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान, रांची	278	270.36
	भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद अनुसंधान संस्थान, रांची	215	214.53
	प्राकृतिक राल एवं गोंद की तुड़ाई तथा सस्योत्तर एवं मूल्यवर्धन पर एनडब्ल्यूपी	63	55.83
	नई-लाख कीट आनुवंशिक संसाधनों के सक्षरण पर नेटवर्क परियोजना		
42.	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मुम्बई	418	410.49
43.	राष्ट्रीय पटसन एवं संबद्ध रेशा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता	328	327.13
	कुल	5200.00	5158.83
	पशु विज्ञान		
44.	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल	407	391.49
	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, करनाल	340	319.6
	पशु आनुवंशिकी संसाधन पर नेटवर्क करनाल	67	71.89
45.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	2100	2089.66
46.	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, अविकानगर, राजस्थान	1008	946.38
	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र, अविकानगर	600	594.26
	भेड़ सुधार पर नेटवर्क कार्यक्रम, अविकानगर	280	226.83
	भेड़ सीड परियोजना	128	125.29
47.	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	650	657.85
	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम	300	323.62
	बकरी सुधार पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, मथुरा	350	334.23
	बकरी सीड परियोजना-(सीआईआरजी में)		
48.	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	750	671.9
	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	400	364.56
	भैंस सुधार पर नेटवर्क कार्यक्रम, हिसार	350	307.34
49.	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान	399	407.69
	राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, बंगलौर	209	250.35
	बढ़ते हुए पशु उत्पादन के लिए खाद्य संसाधन एवं पोषण उपयोग का सुधार पर एआईसीआरपी, बंगलौर	190	157.34
50.	राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर	275	246.99

1	2	3	4
51.	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार	940	908.94
	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र, हिसार	360	341.59
	वेटेनरी टाइप कल्चर, (एनआरसी के मुख्य हिस्से के रूप में)	580	567.35
52.	गोपशु परियोजना निदेशालय	705	719.06
	गोपशु परियोजना निदेशालय, मेरठ	110	114.57
	गोपशु अनुसंधान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, मेरठ	595	604.49
53.	खुरपका एवं मुंहपका रोग पर परियोजना निदेशालय, मुक्तेश्वर	6350	6484.31
54.	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान केन्द्र, इज्जतनगर	1658	1623.82
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान केन्द्र, इज्जतनगर	446	439.54
	मुर्गी पालन परियोजना निदेशालय, हैदराबाद	419	414.45
	मुर्गी पालन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना निदेशालय, हैदराबाद	593	684.32
	पोल्ट्री सीड परियोजना	200	85.51
55.	भारतीय पशु चिकित्या अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	2636	2523.04
	भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर + आउटरीज कार्यक्रम	1976	1892.08
	गैस्ट्रों इंटैस्टीनल पैरोसटिज्म पर नेटवर्क, इज्जतनगर	360	367.37
	हिमोरेजिक स्पेटिसिमिया पर नेटवर्क, इज्जतनगर		
	नीली जीभ रोग पर नेटवर्क कार्यक्रम, इज्जतनगर		
	पशु रोग मॉनीटरिंग और सर्वेक्षण पर परियोजना निदेशालय, बंगलौर+एआईसीआरपी एडीएमएएस	300	263.59
	नियोनताल मोर्टालिटी (एनएनएम) पर नया नेटवर्क		
	जंगली पशु औषधी पर नया नेटवर्क		
	पालतु पशु पर नया नेटवर्क		
56.	एचएसएडीएल, भोपाल		
57.	राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पाद प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद	123	117.77
58.	राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र	1399	1374.6
	राष्ट्रीय सूअर अनुसंधान केन्द्र, गुवाहाटी	266	265.94
	सुअर पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, गुवाहाटी	350	340.53
	सुअर पर मेगासीड परियोजना, गुवाहाटी	130	102.38

1	2	3	4
	एनआरसी यॉक, दिराग	228	241
	एनआरसी मिथुन झरनापानी, नागालैंड	425	424.75
	कुल	19400.00	19163.50
	मात्स्यिकी		
59.	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान,	2269	2268.12
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, कोच्चि	1579	1578.22
	केन्द्रीय खारा जल मत्स्य पालन संस्थान, चेन्नई	690	689.9
60.	केन्द्रीय अन्त:स्र्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	1057	1043.41
	केन्द्रीय अन्त:स्र्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर	662	655.24
	शीत जल मात्स्यिकी परियोजना निदेशालय, भीमताल	395	388.17
61.	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्चि	739	738.47
62.	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुंबई	1342.25	1339.89
63.	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान, भुवनेश्वर	737.75	737.11
64.	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ	755	754.92
	नई पहलें-मैरी कल्चर, मछली स्वास्थ्य, सस्थोत्तर नुकसानों पर अभसअप/नेटवर्क, मात्स्यिकी में महिलाएं		
	कुल	6900.00	688192
	कृषि सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र		
65.	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	210	176.35
	राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली + एनएमएमआई + एसएसएन	140	140
	कुल	350.00	316.35
	कृषि विस्तार		
66.	कृषि विज्ञान केन्द्र	43490	41066.56
67.	कृषि में महिलाओं पर राष्ट्रीय अनुसंधान निदेशालय, भुवनेश्वर	1300	1289.69
	कृषिरत महिला अनुसंधान निदेशालय, भुवनेश्वर	150	139.33
	अ.भा.स.अ.प.-गृह विज्ञान	1150	1150.36
68.	कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय, नई दिल्ली	210	159.94
	कुल	210	159.94

1	2	3	4
	कृषि विस्तार		
69.	भारत में उच्च कृषि शिक्षा का सुसृढ़ीकरण और विकास	41250.00	50053.35
70.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंध अकादमी (नार्म), हैदराबाद	1250	1249.98
	कुल	42500.00	51303.33
71.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय + डेयर	8550.00	8099.07
	भारतीय कृषि कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय		
72.	भाकृअप मुख्यालय का आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण	8900	5943.84
73.	बौद्धिक सम्पदा प्रबधन तथा कृषि प्रौद्योगिकी का हस्तातरण/व्यावसायीकरण	710	480.64
	कुल	9610.00	6424.48
74.	राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना + जीईई	15000	15073.78
75.	कृषि में मूलभूत, नीति परक और अग्रणीय अनुसंधान अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय नीधि	5500	3672.86
	कुल (चल रही)	239800.00	18746.64
	बजट घोषणा 2011-12		
	केवीएएसयू केरल		
	नई पहलें		
	सीएयू, बुदेलखण्ड	99	
	सीएयू बाडापानी	इम्फाल	
	सीएयू, बिहार	1	
	राष्ट्रीय कृषि शिक्षा परियोजना	100	
	राष्ट्रीय कृषि, उद्यमशील परियोजना		
	कसोर्टिया प्लेटफार्म		
	कुल (नई पहलें)	200	
	कुल योग	240000.00	228913.32
	बजटीय घोषणा 12वीं योजना (2012-13 में)		
1.	अगराऊ, हैदराबाद		
2.	केएयू केरल		
3.	सीसीएसएचएयू हिसार		

1	2	3	4
4.	ओयूएटी भूवनेश्वर		
5.	यूएएस धारवाड़		
6.	प्रोत्साहन पुरस्कार		
		252000.00	

विवरण III

डेयर/भाकृअप की उपलब्धियां

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के विभिन्न कृषि जलवायु दशाओं के लिए उपयुक्त भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलों में उन्नत किस्में/संकरों के विकास के लिए लागातार प्रयत्न किये हैं। खाद्यान्नों का उत्पादन हमेशा से अधिक 259 मिलियन टन (वर्ष 2011-12 के दौरान चावल तथा गेहूं के उत्पादन में क्रमश: 105:31 मिलियन टन तथा 94.88 मिलियन टन), तथा उसी अवधि में दलहनों तथा तिलहनों का क्रमश: 1709 मिलियन टन तथा 29. 80 मिलियन टन रहा है। कपास की फसल में 170 कि.ग्रा. प्रत्येक की 35.2 मिलियन गांठों का उत्पादन भी एक नया रिकार्ड है। इसके अलावा फल तथा सब्जियों का 241 मिलियन टन, दूध का 128 मिलियन टन, अंडे 65 मिलियन तथा मछली 8.5 मिलियन टन, का रिकार्ड उत्पादन प्राप्त किया गया। डेयर/भाकृअप के संस्थानों/योजनाओं की कुछ प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

उत्कृष्ट विज्ञान

भारत में पहली बार

- जन्म के बाद बिना किसी पुनर्जनन असामान्यताओं के साथ क्लोनीकृति भैंस गरिमा से मादा बछिया महिमा का सामान्य जन्म।
- हस्त निर्देशित तकनीक द्वारा क्लोनीकृत पश्मिना बकरी से नूरी का जन्म
- सजीव पशु से लिये गए अंड जिसे इनविट्रो निषेचन के बाद भ्रूण को एक उपयुक्त माध्यम में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया द्वारा मवेशी से 'हॉली' बछिया का विकास
- हिमपरिक्षित भ्रूण से भ्रूण हस्तान्तरण प्रौद्योगिकी के जरिए मिथुन काफ मोहन का जन्म हुआ
- लब्धप्रतिष्ठित खुरपका तथा मुहंपका रोग के टीके तथा संक्रमित पशुओं के लिए नैदानिक उपाय विकसित किये हैं
- पूसा बासमती के आइसोजनिक वंशक्रम विकासित किये गये जो प्रमुख प्रकोप प्रतिरोधी जीन के रूप में जाते हैं।
- वैश्विक अनुसंधान प्रतिभागित के जरिए काबुली (बड़े बीज वाले) चने के लगभग 28,269 जीन का पता लगाने में सफलता मिली।
- तीन प्रमुख पशु रोगों अर्थात रिन्डरपेस्ट, अफ्रीका हाउस सिकनेस तथा गोजातीय प्लेयूरोनिमोनिया से भारत को मुक्त घोषित किया गया।

उत्पादकता बढ़ाना

- देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए फसलों की 90 से अधिक नई किस्में/संकर रिलीज की गईं तथा 10,200 टन प्रजनक बीज, 13,230 टन फाउन्डेशन बीज, 20,540 प्रमाणित बीज, 402 लाख रोपण सामग्री तथा फील्ड फसलों के 1.69 लाख टिश्यू कल्चर पादपको एवं 4,960 टन गन्ने की रोपण सामग्री का उत्पादन किया गया।
- तलिनाडु आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए को 0403, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश पश्चिम क्षेत्र के लिए गन्ने की तीन नई किस्में को 0237 तथा को 05011 जारी की गईं।

फार्म यन्त्रीकरण

- बागान प्रबन्ध के लिए स्व-चालित हाइड्रोलिक होइस्ट का डिजाइन तैयार किया गया।

- पैर से चलने वाले रागी गहाई एवं पैडलर यंत्र, लीची के छिलका उतारने वाली मशीन, तथा गुणवत्तायुक्त ग्रेडिंग के लिए नारियल रेशे को पृथक करने वाली मशीन का विकास किया गया।

गुणवर्धित उत्पाद

- मूल्यवान खाद्य के परिरक्षक एवं न्यूट्रास्यूटिकल्स के माइक्रोएनकैप्सूलेशन हेतु पूर्णतः आटोक्लेवेबल प्रणाली विकसित की गई।
- ऑयस्टर जैव पैप्टाइड को पृथक किया गया जिसमें एंटी इनफ्लेमैटरी एंटी आक्सीडेन्ट तथा एंटी बैक्टिरियल गुणधर्म हो।
- हरी शैवाल (सीवीड) आधारित एंटी इनफलेमैटरी न्यूट्रास्यूटिकल का व्यावसायीकरण किया गया।

किसान तक पहुंच

- दलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 11 राज्यों में 137 जिलों में 5400 प्रदर्शन आयोजित किये गये।
- मोबाइल मैसेज के जरिए से 11 लाख किसानों को कृषि परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
- कृषि प्रौद्योगिकियों की उत्पादन क्षमता को दर्शाने के लिए 1.6 लाख खेत पर परीक्षण तथा अग्रपंक्ति प्रदर्शन किये गये।
- किसानों को उन्नत बीजों के 1.7 लाख टन उत्कृष्ट बीज तथा 207 लाख रोपण सामग्री वितरित की गई।
- 100 कृषि विज्ञान केन्द्रों ने किसानों के खेतों में जलवायु लचीली प्रौद्योगिकियों पर 26,000 प्रदर्शन आयोजित किये तथा देश के 400 जिलों के लिए जिला स्तरीय आकस्मिक योजनाएं विकसित की गईं।

ज्ञान प्रबंधन

- 96 पेटेंट दर्ज किए गए; 13 राष्ट्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय (यूएसए) पेटेंट मंजूर किए गए।
- पादप किस्म रजिस्ट्री के 125 आवेदन दर्ज किए गए।
- क्राइजैफ-कोलकाता द्वारा "क्राइजैफ सीड" की रजिस्ट्री की गई; डीआरआर-हैदराबाद द्वारा "डीआरआर" (वर्ड एवं लोगो); एनबीएआईआई-बंगलौर और कैसी-इज्जतनगर द्वारा "शतपाड़ा।" और "कैरीउत्तम" ट्रेडमार्क हासिल किए गए।
- एफएमडी, आईबीआर, पीपीआर, ब्लू टंग और भेड़ और बकरी पॉक्स तथा पुरातन स्वाईन बुखार के विरुद्ध टीकों के उत्पादन के लिए छः प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण।
- प्रथम हिन्दी कृषि विज्ञान अनुसंधान पत्रिका "कृषिका" का शुभारंभ।

नए संस्थान

- राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएसएम) की रायपुर, छत्तीसगढ़ में और भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएबी) की रांची, झारखंड में स्थापना की गई।
- 51 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में मौजूदा 264 इकाईयों में 19 नए प्रयोगात्मक शिक्षण इकाइयों को शामिल किया गया और एक केन्द्रीयकृत सांख्यिकीय और संगणकीय जेनोमिक लैब सुविधा का सृजन किया गया है।

विवरण IV

देश के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव

भाकृअनुप के तहत संस्थानों ने देश को उत्कृष्ट सेवा प्रदान की है और कृषि अनुसंधान के कई क्षेत्रों में अग्रणीय कार्य किया है, जिससे कई क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई हैं। खाद्यान्नों में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और खाद्य उत्पादन में विविधता की उपलब्धि में भाकृअनुप का व्यापक योगदान रहा है। वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन 1950-51 में 140 मिलियन है. $\pm$ 2 स्थिर कृषि योग्य भूमि से 50 एमएमटी से बढ़कर मौजूदा समय में 259 एमएमटी हो गया है, इसी अवधि में बागवानी उत्पादन 25 एमएमटी से बढ़कर 257 एमएमटी हो गया है। वर्तमान दूध का उत्पादन 128 एमएमटी से अधिक है जिसके परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 289 ग्रा./दिन हो गई है और वार्षिक अण्डों और मछली का उत्पादन क्रमशः 66 बिलियन और 8.7 एमएमटी हो गया है। जहां तक उत्पादकता वृद्धि का संबंध है, वर्षों से आर एंड डी प्रयासों के कारण खाद्यान्न में 3.6 गुणा वृद्धि हुई है, 1.3-2.3 गुणा फलों और सब्जियों में वृद्धि हुई, 6.8 गुणा मछली में, 1.8 गुणा दूध में और 4.8 गुणा अंडों में हुई है। यह अनुसंधान प्रयासों को दर्शाता है, जिसके विशिष्ट योगदान के कारण चावल में 13.7 प्रति. गेहूं में 236 प्रति. मक्का में 13.1 प्रति. और दलहनों और तिलहनों में 8.9-11.0 प्रतिशत की सीमा तक उत्पादन वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

अवैध निर्माण

2780. श्रीमती रमा देवी:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली नगर निगम के केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के किसी अधिकारी को अनधिकृत/अवैध निर्माण के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने का दायित्व सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निकायों द्वारा अनधिकृत/अवैध निर्माण के विरुद्ध दर्ज कराए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसे मामलों में लिप्त एनडीएमसी तथा एमसीडी के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जहां तक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद क्षेत्र में अनधिकृत/अवैध निर्माण का संबंध है, अनधिकृत/अवैध निर्माण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का दायित्व निदेशक (ईबीआर) के अधीन अभियंताओं की एक समर्पित टीम को सौंपा गया है।

जहां तक दिल्ली नगर निगम का संबंध है, अनधिकृत/अवैध निर्माण की पहचान तथा उस पर नियंत्रण लगाने हेतु एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है।

(ख) अनधिकृत/अवैध निर्माण के बारे में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	अवधि	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या
1	2010	101
2	2011	104
3.	2012	72
4.	2013 (अब तक)	50

दिल्ली की सभी तीन नगर निगमों में अनधिकृत/अवैध निर्माण के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	अवधि	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या
1.	2011	21815
2.	2012	22012
3.	2013 (20.8.2013 तक)	12206

जब कभी कोई अवैध/अनधिकृत निर्माण ध्यान में आता है, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः दिल्ली नगर निगमों के भवन और भवन विनियमन प्रवर्तन विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अवैध/अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

(ग) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का कोई भी कर्मचारी अनधिकृत/अवैध निर्माण में संलिप्त नहीं पाया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, दिल्ली नगर निगम के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्रम सं.	अवधि	दर्ज आरडीए मामले	संलिप्त कर्मचारी
1.	2010	63	152
2.	2011	25	72
3.	2012 (अगस्त, 2012 तक)	10	29
4.	सितम्बर, 2012 से अब तक	03	07

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अनधिकृत/अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा एक नोडल स्टीयरिंग कमेटी गठित की गई है।

[हिन्दी]

लंबित विधेयक

2781. श्रीमती कमला देवी पटले:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री सी. राजेन्द्रन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अनुमोदनार्थ अनेक विधेयक प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्राप्त ऐसे विधेयकों के नाम क्या हैं तथा इनमें से कितने विधेयकों का अनुमोदन किया गया तथा कितने विधेयक केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं एवं इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित विधेयकों को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 254(2) के साथ पठित अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचारार्थ और मंजूरी के लिए प्राप्त विधेयकों का राज्य-वार ब्यौरा और प्रत्येक विधेयक की स्थिति विवरण में दी गई है।

राज्य विधानों की जांच केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके तीन दृष्टिकोणों की जाती है अर्थात:

(i) केन्द्रीय कानूनों के साथ प्रतिकूलता;

(ii) राष्ट्रीय अथवा केन्द्रीय नीति से उनका विचलन; और

(iii) विधिक एवं सांविधानिक वैधानिकता।

जब कभी आवश्यक होता है, तो राज्य सरकारों को उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ऐसे विधानों के प्रावधानों को आशोधित/संशोधित करने की सलाह दी जाती है। कभी-कभी किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता है। इसलिए, इस परिप्रेक्ष्य में कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

विवरण

विचारार्थ और मंजूरी के लिए प्राप्त विधेयकों का राज्यवार ब्यौरा तथा उनकी वर्तमान स्थिति

वर्ष 2010

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त विधायन का नाम	वर्तमान स्थिति अंतिम रूप दिया गया/लंबित
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश उत्पाद शुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2010	लंबित
3.	आंध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
4.	आंध्र प्रदेश	ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010	लंबित
5.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश अपराधियों की सामुदायिक सेवा विधेयक, 2010	लंबित
6.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश मनी लेंडर विधेयक, 2010	लंबित
7.	असम	असम सहकारी समिति विधेयक, 2007	अंतिम रूप दिया गया
8.	असम	असम राज्य सतर्कता आयोग विधेयक 2010	अंतिम रूप दिया गया
9.	असम	असम भूमि ग्रेविंग (निषेध) विधेयक 2010	अंतिम रूप दिया गया
10.	बिहार	पंजीकरण (बिहार संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
11.	छत्तीसगढ़	भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
12.	गुजरात	गुजरात शिक्षण संस्थान सेवा न्यायाधिकरण विधेयक, 2006	लंबित
13.	हरियाणा	हरियाणा डोहलीडार, बूटीमार भोंडेगर और मुकारिडार (स्वामित्वाधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
14.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश उत्पाद शुल्क विधेयक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
15.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश शहरी किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
16.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश माता-पिता एवं आश्रितों की देखभाल (संशोधन) विधेयक, 2010	लंबित
17.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश किराएदारी एवं भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक 2010	अंतिम रूप दिया गया
18.	झारखंड	झारखंड सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
19.	कर्नाटक	कर्नाटक सहकारी समितियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
20.	कर्नाटक	दंड प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) विधयेक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
21.	कर्नाटक	कर्नाटक पशुधन संरक्षण एवं वध निषेध विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
22.	कर्नाटक	कर्नाटक किराया (संशोधन) विधेयक, 2008	अंतिम रूप दिया गया
23.	केरल	केरल व्यापार संघों को मान्यता विधेयक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
24.	केरल	पंजीकरण (केरल संशोधन) विधेयक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
25.	केरल	केरल स्थानीय क्षेत्रों में माल-प्रवेश पर कर विधेयक, 2007	लंबित
26.	मध्य प्रदेश	भारतीय वन (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2009	अंतिम रूप दिया गया
27.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2009	लंबित
28.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश परिसर किराएदारी विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
29.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियों तथा संगठित अपराध निवारण विधेयक, 2010	लंबित
30.	मध्य प्रदेश	मध्यम प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
31.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश कपास बीज (पूर्ति वितरण) एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण विधेयक) 2010	लंबित
32.	महाराष्ट्र	अनाथालय और अन्य धर्मार्थगृह (पर्यवेक्षण और नियंत्रण), अपंग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूरी भागीदारी) तथा भवन और अन्य निर्माण कामगार (रोजगार और सेवाशर्तों का विनियमन) (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
33.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र मनी लेडिंग (विनियमन) विधेयक, 2010	लंबित

1	2	3	4
34.	महाराष्ट्र	न्यूनतम मजदूरी (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
35.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नगर निगम, नगरपालिका परिषदें और महाराष्ट्र क्षेत्रीय एवं शहरी नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया।
36.	महाराष्ट्र	मजदूरी का भुगतान एवं न्यूनतम मजदूरी (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
37.	महाराष्ट्र	बाम्बे प्राथमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
38.	महाराष्ट्र	पंजीकरण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
39.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता एवं महाराष्ट्र अनुसूचित जनजातियों को भूमि पुन: स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
40.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नगर परिषद, नगरपालिका परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक) 2010	अंतिम रूप दिया गया
41.	महाराष्ट्र	मोटर वाहन (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	लंबित
42.	पंजाब	पंजाब भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2010	लंबित
43.	पंजाब	पंजाब भूमि टेन्योर की सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
44.	पंजाब	पंजाब मानव तस्करी निवारण विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया।
45.	पंजाब	पंजाब सरकारी एवं निजी सम्पति को क्षति निवारण विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
46.	राजस्थान	राजस्थान किरायेदारी (संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया।
47.	तमिलनाडु	तमिलनाडु रोजवुड ट्रीज (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
48.	तमिलनाडु	कैदियों की पहचान (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
49.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
50.	उत्तर प्रदेश	दंड प्रक्रिया सहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
51.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल वितीय संस्थापनाओं में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण विधेयक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
52.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल विशेषकृत क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2003	अंतिम रूप दिया गया
53.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल सम्पदा अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
54.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल ग्रामीण स्वास्थ्य विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2009	लंबित
55.	पश्चिम बंगाल	कलकता यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल विधेयक, 2010	लंबित
56.	पश्चिम बंगाल	भारतीय स्टाम्प (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
57.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद् विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
58.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल कृषि मजदूरों, कलाकरों एवं मछुआरों के लिए आवासीय भूमि का अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया है
		वर्ष 2011	
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश महिला स्वयं सेवा समूह (कृषि भूमि को लीज पर दिया जाना) विधेयक, 2010	लंबित
2.	असम	असम नजरबंदी निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
3.	असम	असम शीरा नियंत्रण विधेयक, 2011	लंबित
4.	बिहार	बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (बिहार संशोधन), विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
5.	बिहार	दण्ड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
6.	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण विधेयक,	अंतिम रूप दिया गया
7.	गुजरात	मुम्बई किराया, होटल एवं विश्रामगृह दर नियंत्रण, (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
8.	गुजरात	मुम्बई किरायादारी एवं कृषि भूमि (गुजरात संशोधन विधेयक, 2011)	अंतिम रूप दिया गया
9.	गुजरात	मुम्बई जोतों का विभाजन एवं चकबंदी निवारण (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
10.	गुजरात	गुजरात किरायादारी एवं कृषि भूमि कानून (संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
11.	हिमाचल प्रदेश	आपाराधिक विधि (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
12.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश बिजली (उत्पादन पर कर) विधेयक, 2011	लंबित
13.	झारखंड	दंड प्रक्रिया संहिता (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
14.	झारखंड	झारखंड संहिता (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
15.	कर्नाटक	औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2005	लंबित
16.	कर्नाटक	कर्नाटक मूलाजेनी, अथवा वोलामुलाजेनी जेनीदरारिज मलिकाथवावन्नू प्रदान मदुवा विधेयक, 2011 (दि कर्नाटक कन्फरमेन्ट आफ ओनरशिप आन मुलाजेनी ओर वाला-मुलाजेन्ट टेनेन्ट्स विधेयक, 2011)	अंतिम रूप दिया गया
17.	कर्नाटक	कारखाना (कर्नाटक) विधेयक, 2011	लंबित
18.	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य नवीनतमाका विश्वविद्यालयगला विधेयक, 2011 (कर्नाटक राज्य नवीनीकरण विश्वविद्यालय), विधेयक, 2011	लंबित

1	2	3	4
19.	केरल	दि पलाचीम्मडा कोका कोला विक्टिम रिलीफ एंड कंपेनसेशन क्लेम्स स्पेशल ट्रिब्यूनल बिल, 2011	लंबित
20.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
21.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
22.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र झुग्गी क्षेत्र सुधार, सफाई एवं पुनर्विकास (संशोधन) विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
23.	महाराष्ट्र	बम्बे सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
24.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र शैक्षिक संस्थान (फीस का विनियमन) विधेयक, 2011	लंबित
25.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2010	लंबित
26.	महाराष्ट्र	बोनस का भुगतान (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
27.	महाराष्ट्र	मुम्बई नगर निगम, बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम, नागपुर शहर निगम, बाम्बे पुलिस और महाराष्ट्र नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक शहर नियोजन (संशोधन) विधेयक, 2009	अंतिम रूप दिया गया
28.	मेघालय	मेघालय भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
29.	मिजोरम	मिजोरम स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2011	लंबित
30.	पंजाब	पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2010	अंतिम रूप दिया गया
31.	पंजाब	कारागार (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
32.	पंजाब	दंड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2010	लंबित
33.	पंजाब	भारतीय दंड वंहिता (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2010	लंबित
34.	राजस्थान	राजस्थान राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया।
35.	सिक्किम	सिक्किम लोकायुक्त विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया।
36.	तमिलनाडु	तमिलनाडु निजी वनों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
37.	उत्तराखंड	भारतीय स्टाम्प (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
38.	उत्तराखंड	भारतीय पंजीकरण (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
39.	उत्तर प्रदेश	भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
40.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, राज्य प्राधिकरण विधेयक, 2011	लंबित
41.	उत्तर प्रदेश	दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2011	लंबित

1	2	3	4
42.	उत्तर प्रदेश	सोसायटी पंजीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
43.	पश्चिम बंगाल	गोरखालैंड प्रांतीय प्रशासन विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
		वर्ष 2012	
1.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश किराया नियंत्रण विधेयक, 2011	लंबित
2.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) इनाम (उन्मूलन और रैयतवाड़ी में परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
3.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (कृषि जोत की अधिकतम सीमा) (संशोधन) विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
4.	असम	असम मेडीकेयर सेवाकर्मी और मेडीकेयर सेवा संस्थान (हिंसा और सम्पति की क्षति निवारण) विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
5.	छत्तीसगढ़	जमाकर्ताओं का हित संरक्षण विधेयक, 2005	लंबित
6.	गोवा	गोवा लोकायुक्त विधेयक, 2003	अंतिम रूप दिया गया
7.	हरियाणा	दि हरियाणा श्री दुर्गामाता श्राइन विधेयक, 2012	लंबित
8.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विशेष न्यायालय (सम्पति की कुर्की और जब्ती) विधेयक, 2011	लंबित
9.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2012	लंबित
10.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश उत्पाद शुल्क विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
11.	झारखंड	झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय संस्थानों में) विधेयक, 2011	लंबित
12.	कर्नाटक	कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड विधेयक, 2011	लंबित
13.	कर्नाटक	कर्नाटक लैंड ग्रैबिंग (निषेध) विधेयक, 2011	लंबित
14.	कर्नाटक	कर्नाटक भूमि राजस्व (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
15.	कर्नाटक	कर्नाटक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनिवार्य सेवा प्रशिक्षण विधेयक, 2012	लंबित
16.	केरल	कामनवेल्थ ट्रस्ट, कोझीकोड (उपक्रमों का अधीन एवं अंतरण) विधेयक, 2012	लंबित
17.	महाराष्ट्र	बाम्बे किराएदारी और कृषि भूमि, हैदराबाद किराएदारी और कृषि भूमि तथा बाम्बे किराएदारी और कृषि भूमि (विदर्भ) (संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
18.	महाराष्ट्र	बाम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट (संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
19.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र क्षेत्रीय और टाउन प्लानिंग (संशोधन) विधेयक, 2011	लंबत

1	2	3	4
20.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र भूमिजल (विकास एवं प्रबंधन) विधेयक, 2009	लंबित
21.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
22.	महाराष्ट्र	बाम्बे सिटी सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2012	अंतिम रूप दिया गया
23.	महाराष्ट्र	बाम्बे काश्तकारी एवं कृषि भूमि, हैदराबाद काश्तकारी एवं कृषि भूमि और बाम्बे काश्तकारी एवं कृषि भूमि (विदर्भ) (संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
24.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र पर चिकित्सा परिषद विधेयक, 2012	लंबित
25.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र आवास (विनियमन एवं विकास) विधेयक, 2012	लंबित
26.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
27.	मणिपपुर	मणिपुर लोकायुक्त विधेयक, 2011	लंबित
29.	मणिपुर	मणिपुर जमाकर्ता संरक्षण (वित्तीय प्रतिष्ठान में) विधेयक, 2012	लंबित
30.	ओडिशा	ओडिशा जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय संस्थानों में) विधेयक, 2011	लंबित
31.	ओडिशा	ओडिशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछड़ा वर्ग (जाति प्रमाणपत्र के निर्गम का विनियमन एवं सत्यापन) विधेयक, 2011	लंबित
32.	राजस्थान	राजस्थान विशेष न्यायाल विधेयक, 2012	अंतिम रूप दिया गया
33.	सिक्किम	सिक्किम-रोलेप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (भूमि का अन्तरण एव निहितीकरण) विधेयक, 2012-13	लंबित
34.	सिक्किम	सिक्किम लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
35.	तमिलनाडु	पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2012	अंतिम रूप दिया गया।
36.	तमिलनाडु	भारतीय स्टाम्प (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
37.	तमिलनाडु	भारतीय स्टाम्प (तमिलनाडु द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
38.	तमिलनाडु	भारतीय स्टाम्प (तमिलनाडु तृतीय संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
39.	तमिलनाडु	भारतीय स्टाम्प (तमिलनाडु चौथा संशोधन) विधेयक, 2012	अंतिम रूप दिया गया
40.	तमिलनाडु	अन्नामलाई विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
41.	त्रिपुरा	त्रिपुरा निजी वाहन अधिग्रहण एवं नियंत्रण विधेयक, 2011	लंबित
42.	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2008	
43.	उत्तराखंड	उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, 2011	लंबित
44.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल भूमि अधिग्रहण विधि (संशोधन एवं वैधता) विधेयक, 2011	अंतिम रूप दिया गया
45.	पश्चिम बंगाल	भारतीय स्टाम्प (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2012	अंतिम रूप दिया गया

1	2	3	4
		वर्ष 2013	
1.	आंध्र प्रदेश	अ.जा. और अ.ज.जा. हेतु आंध्र प्रदेश राज्य आयोग (संशोधन) विधेयक, 2013	लंबित
2.	असम	पंजीकरण (असम संशोधन) विधेयक, 2013	लंबित
3.	छत्तीसगढ़	छतीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय (संशोधन) विधेयक, 2006	लंबित
4.	हिमाचल प्रदेश	गुजरात सहकारी समितियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2013	लंबित
5.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश भूमि जोत (संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
6.	कर्नाटक	विद्युत (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2013	लंबित
7.	केरल	पंजीकरण (केरल संशोधन) विधेयक, 2009	लंबित
8.	केरल	केरल वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताताओं के हितो का संरक्षण विधेयक, 2012	लंबित
9.	केरल	भारतीय भागीदारी (केरल संशोधन) विधेयक, 2011	लंबित
10.	मेघालय	मेघालय पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2013	लंबित
11.	ओडिशा	ओडिशा मैरीटाइम बोर्ड विधेयक 2011	लंबित
12.	ओडिशा	ओडिशा भू-जल (विनियमन, विकास एवं प्रबंधन) विधेयक, 2011	लंबित
13.	पंजाब	पंजाब सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2013	लंबित
14.	तमिलनाडु	अन्नामलाई विश्वविद्यालय विधेयक, 2013	लंबित
15.	तमिलनाडु	भारतीय भागीदारी (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2013	लंबित
16.	तमिलनाडु	औद्योगिक विवाद (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 2013	लंबित
17.	तमिलनाडु	तमिलनाडु स्टैम्प विधेयक, 2013	लंबित
18.	उत्तराखंड	मजूदरी का भुगतान (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2012	लंबित
19.	पश्चिम बंगाल	वित्तीय स्थापनाओं में पश्चिम बंगाल जमाकर्ताओं का हित संरक्षण विधेयक, 2013	लंबित

उर्वरक क्षेत्र का विकास

2782. श्री सज्जन वर्मा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में घरेलू प्रौद्योगिकी के विकास के संबंध में अपनी नीति की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) विश्व में उर्वरक उत्पादन प्रक्रिया के लिए कुछ प्रोसेस लाइसेंसर है और उन्होंने इस प्रौद्योगिकी को पेटेंट कराया है। तथापि, भारतीय उत्पादकों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी को अपनाया है। अमोनिया यूरिया संयंत्र के लिए केवल लाइसेंस और मूल इंजीनियरिंग का आयात किया जाता है जो परियोजना लागत का लगभग 10% बैठता है। विस्तृत इंजीनियरिंग सहित शेष परियोजना घटक में भारतीय क्षमता काफी अधिक विकसित है। घरेलू उद्योग आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर प्रौद्योगिकी में शोध करके उसमें सुधार करता है। सरकार का यह प्रयास रहता है कि उर्वरक क्षेत्र में घरेलू प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल और सहायक नीतिगत परिवेश उपलब्ध कराया जाए।

[अनुवाद]

एफसीआई में अनियमितताएं

2783. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान घटिया खाद्यान्नों की खरीद में लिप्त भारतीय खाद्य निगम अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज अनियमितताओं संबंधी मामलों का ब्यौरा एवं वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इन मामलों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान घटिया खाद्यान्नों की खरीद में शामिल भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज अनियमितताओं के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	अधिकारियों की संख्या, जिनके खिलाफ घटिया स्टॉक की खरीद के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है
2010	697
2011	623
2012	575
2013 (दिनांक 31.07.13 तक)	182

घटिया खाद्यान्नों की खरीद में अनियमितताओं के 85 बड़े मामलों और 49 छोटे मामलों में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। छोटे दंड और बड़े दंड के मामलों के निपटान के लिए निर्धारित समय-सीमा क्रमशः छह माह और एक वर्ष है।

टूना मत्स्य का विकास

2784. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री एस.आर. जयदुरई:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई) ने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में टूना मत्स्य विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या एफएसआई ने हिंद महासागर क्षेत्र में टूना एवं टूना जैसी प्रजातियों के प्रबंध तथा संरक्षण के लिए हिंद महासागर टूना आयोग के साथ भी सहयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इंटरनेट पर एफआईआर

2785. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंटरनेट पर एफआईआर अपलोड करने के लिए दिल्ली सरकार को कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुलिस एवं न्यायपालिका में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार पूरे देश में ऐसे प्रावधान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रावधान कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायालय के अपने प्रस्ताव बनाम राज्य नामक रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 468/2010 में दिनांक 06.12.2010 के अपने आदेश में निर्देश दिया है कि एफआईआर की प्रतियों, जब तक दोष की प्रकृति के संबंध में कारणों को रिकार्ड नहीं किया गया है कि यह दोष संवेदनशील प्रकृति का है, को एफआईआर दर्ज करने के चौबीस घंटों के अंदर दिल्ली पुलिस की वैब साइट पर अपलोड किया जाना चाहिए ताकि अभियुक्त अथवा इससे संबंधित

कोई भी व्यक्ति एफआईआर डाउनलोड कर सके और अपनी शिकायतों के निवारण हेतु कानून के अनुसार न्यायालय में उचित आवेदन दर्ज कर सके।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने समूचे देश में ऐसा प्रावधान बनाने के लिए कोई परामर्शी पत्र जारी नहीं किया है।

[अनुवाद]

चीनी मिलें बंद होना

2786. श्री अब्दुल रहमान:
श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में चीनी मिलों की क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ निजी चीनी मिलें उनके मालिकों द्वारा बंद कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्यों में बंद पड़ी मिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) इन बंद मिलों के मलिकों/प्रोमोटरों द्वारा किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) देश में स्थापित चीनी मिलों की संख्या को राज्य-वार दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I (15.8.2013 तक) है।

(ख) और (ग) निजी चीनी मिलें जो चालू चीनी मौसम 2012-13 के दौरान बंद हो गई हैं, की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर है।

(घ) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में गन्ना मूल्य बकाया सहित गन्ना मूल्य भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रावधान हैं। इस प्रावधान को लागू करने की शक्तियां राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को जिनके पास आवश्यक क्षेत्र संघटन हैं, को प्रदत्त की गई हैं और निहित हैं।

विवरण I

देश में स्थापित चीनी मिलों की राज्यवार संख्या (15.08.2013 के अनुसार)

(15.08.2013 के अनुसार स्थिति)

क्र.सं.	राज्य	स्थापित चीनी मिलों की संख्या
1.	पंजाब	24
2.	हरियाणा	16
3.	राजस्थान	3
4.	उत्तर प्रदेश	158
5.	उत्तराखंड	10
6.	मध्य प्रदेश	19
7.	छत्तीसगढ़	3
8.	गुजरात	25
9.	महाराष्ट्र	223
10.	बिहार	28
11.	असम	3
12.	ओडिशा	8
13.	पश्चिम बंगाल	3
14.	आंध्र प्रदेश	44
15.	कर्नाटक	71
16.	तमिलनाडु	46
17.	पुदुचेरी	2
18.	केरल	2
19.	गोवा	1
20.	नागालैंड	1
21.	दादरा और नगर हवेली	1
	कुल	691

स्रोत: शर्करा निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

विवरण II

देश में राज्यवार चालू चीनी मौसम 2012-13 के दौरान बंद हो चुकी निजी चीनी मिलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	बंद हुई निजी चीनी मिलों की संख्या
1.	पंजाब	1
2.	राजस्थान	1
3.	उत्तर प्रदेश	16
4.	उत्तराखंड	1
5.	मध्य प्रदेश	3
6.	महाराष्ट्र	5
7.	असम	1
8.	ओडिशा	2
9.	आंध्र प्रदेश	1
10.	कर्नाटक	7
11.	तमिलनाडु	2
12.	केरल	1
	कुल	41

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के गन्ना आयुक्त/निदेशक

मछुआरों के लिए योजना

2787. डॉ. एम.तम्बिदुरई: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मछुआरों की कुल संख्या पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण करायचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में मछुआरा समुदाय वु लाभार्थ हेतु कोई विशेष योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी, हां। पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2003 में 17वीं पशुधन संगणना कराई थी। इस संगणना के अनुसार देश में मछुआरों की कुल संख्या के राज्य-वार ब्यौरे सलग्नवि में दिए गए है।

(ग) और (घ) पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग कृषि मंत्रालय, विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के सर्वागीण विकास और मछुवारा समुदाय के लाभार्थ के लिए वित्तीय प्रदान करती है। मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास और मछुआरों के लाभार्थ के लिए वर्तमान समय में विभाग द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) अन्तर्देशीय मात्स्यिकी और जल कृषि विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(ii) समुद्री मात्स्यिकी अवसंरचना और पोस्ट हार्वेस्ट परिचालन संबंधी केन्द्रीय प्रायाजित योजना

(iii) समुद्री मछुवारा कल्याण योजना संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना।

(iv) मात्स्यिकी क्षेत्र के डाटा बेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना।

इसके अलावा कृषि मंत्रालय द्वारा 2006 में स्थापित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एमएफडीबी) हैदराबाद देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के साथ मछुआरों के लाभ के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं राज्यों/संघ राज्यों की आवश्यकता के अनुसार मांग प्रेरित है।

विवरण I

देश में मछुआरों की कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघीय राज्यों के नाम	पुरुष	महिला	बंच्चे	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2,49,386	2,50,877	3,93,102	8,93,365

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	1,650	1,376	1,373	4,399
3.	असम	1,31,312	97,986	1,61,082	3,90,380
4.	बिहार	13,91,166	12,66,997	23,01,353	49,59,516
5.	छत्तीसगढ़	6,21,607	5,29,697	7,60,064	19,11,368
6.	गोवा	5,521	4,863	3,586	13,970
7.	गुजरात	1,34,475	1,29,900	2,28,880	4,93,255
8.	हरियाणा	5,910	3,322	7,259	16,491
9.	हिमाचल प्रदेश	1,537	1,372	2,713	5,622
10.	जम्मू और कश्मीर	9,628	7,593	13,232	30,453
11.	झारखंड	5,77,908	5,71,584	7,81,428	19,30,920
12.	कर्नाटक	55,809	52,898	50,245	1,58,952
13.	केरल	2,24,007	3,17,758	2,06,072	7,47,837
14.	मध्य प्रदेश	2,13,888	2,00,607	3,02,479	7,16,974
15.	महाराष्ट्र	63,354	46,603	61,873	1,71,830
16.	मणिपुर	25,009	24,091	21,368	70,468
17.	मेघालय	525	504	1,354	2,383
18.	मिजोरम	5,498	5,312	7,097	17,907
19.	नागालैंड	5,762	5,519	3,581	14,862
20.	ओडिशा	70,971	48,334	60,721	1,80,026
21.	पंजाब	2,150	1,874	5,061	9,085
22.	राजस्थान	2,638	1,693	2,985	7,316
23.	सिक्किम	9,893	8,353	8,568	26,814
24.	तमिलनाडु	1,71,992	1,56,107	1,48,519	4,76,618
25.	त्रिपुरा	15,966	13,177	17,590	46,733
26.	उत्तर प्रदेश	70,373	48,892	59,799	1,79,064
27.	उत्तराखंड	32	23	35	90
28.	पश्चिम बंगाल	5,87,214	2,05,198	1,19,210	9,11,622
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9,859	7,693	0	17,552

1	2	3	4	5	6
30.	चंडीगढ़	198	109	172	479
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	7,649	7,756	10,080	25,485
33.	दिल्ली	485	475	1,555	2,515
34.	लक्षद्वीप	10,408	2,621	0	13,029
35.	पुदुचेरी	12,378	12799	12797	37,974
	कुल (खंख्या)	46,96,158	40,33,963	57,55,233	1,44,85,354

स्रोत: 17वां पशुधन गणना, 2003

बंजारा समुदाय का कल्याण

2788. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में बंजारा समुदाय के कल्याण के लिए राष्ट्रीय बंजारा विकास निगम के गठन करने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) बंजारा समुदाय सहित विमुक्त घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों के कल्याण के लिए प्रस्तावों के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इन श्रेणियों के लिए वित्त एवं विकास निगम की स्थापना करने से संबंधित प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं।

भाषा विज्ञान की शाखाओं का परीरक्षण

2789. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पर्वतीय एवं अन्य समुदायों की भाषा विज्ञान की उपशाखाओं एवं मौखिक परंपराओं के परिरक्षण के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समुदाय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारत की सभी मौखिक परंपराओं को संरक्षित एवं भंडारित करने के लिए राष्ट्रव्यापी नेटवर्क डाटाबेस स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर 10000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की भाषा वैज्ञानिक विशेषताओं के प्रलेखीकरण के माध्यम से इन भाषाओं के परीक्षण और संरक्षण के लिए चालू पंचवर्षीय योजना में एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें व्याकरण, शब्दकोश और विश्वकोश तैयार करना, लोककथाओं का एकत्रण, लिपियों तथा टाइपोग्राफी संकेतों को तैयार करना जैसे विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं। सीआईआईएल ने विभिन्न भाषा वैज्ञानिक उपशाखाओं से संबंधित सौ से अधिक भाषाओं का पहले ही प्रलेखीकरण कर दिया है जिसमें खासी (मेघालय), बोडो (असम), अका और खामप्ती (अरूणाचल प्रदेश), लिआंगमई, मेरिंग एवं तंगखुल (मणिपुर), ओ कोनयाक, लोथा, फोम, संगतम (नागालैंड), कुवि (ओडिशा), लेपचा (सिक्किम) तथा जेनु कुरूम्बा (कर्नाटक) जैसे पर्वतीय समुदायों की मौखिक परम्पराएं शामिल हैं। यह संस्थान भाषा वैज्ञानिक तथा नृजाति-विज्ञान संबंधी आंकड़ों का एकत्रण करके तथा इन्हें श्रव्य, दृश्य एवं मुद्रित फॉर्मेटों में परिरक्षित करके पर्वतीय तथा अन्य समुदायों की मौखिक

परंपराओं सहित बहुत सी अन्य भाषाओं के प्रलेखीकरण का कार्य भी कर रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के सुरक्षोपाय तथा संरक्षण के लिए फ्रेमवर्क की सिफारिश करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है इसमें भारत की मौखिक परंपराएं भी शामिल होंगी।

(ङ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग को आरक्षण

2790. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन उनके लिए आरक्षण लागू करने की दृष्टि से किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस मामले की जांच समिति गठित करके की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या आधारित आरक्षण प्रक्रिया को केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के लिए परिवर्तित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मणिकराव होडल्या गावित): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादन का लक्ष्य

2791. श्री महाबली सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2013-14 के लिए देश में कृषि उत्पादन हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 हेतु खाद्यान्नों सहित फसलों के लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वर्ष 2013-14 हेतु फसल-वार उत्पादन लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

फसलें	उत्पादन लक्ष्य (मिलियन टनों में)
कुल खाद्यान्न	259.00
चावल	105.00
गेहूं	92.50
दलहन	19.00
मोटे अनाज	42.50
तिलहन	31.00
गन्ना	340.00
कपास*	35.00
जूट एवं मेस्ता**	12.00

*(170 किग्रा. प्रति की मिलियन गाठों में)
**(180 किग्रा. प्रति की मिलियन गाठों में)

(ग) भारत सरकार विभिन्न फसलों के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों/स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है। विभिन्न फील्ड फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), समेकित तिलहन दलहन, आयॅलपाम और मक्का स्कीम (आइसोपाम), पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई), गहन कदन्न प्रोत्साहन के माध्यम से पौषणिक सुरक्षा पहल (आईएनएसआईएमपी), न्यूट्रीफार्म स्कीम, ऑयलपाम क्षेत्र विस्तार पर विशेष कार्यक्रम (ओपीएई), फसल विविधीकरण कार्यक्रम आदि का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत विभिन्न कार्यकलाप जैसे उच्च उत्पादकता किस्म/संकर (हाईब्रीड) पर प्रदर्शन, उन्नत किस्मों/संकर (हाईब्रीड) बीजों का वितरण, आवश्यकता आधारित पौध संरक्षण और मृदा सुधारक, संसाधन संरक्षण तकनीकी/ऊर्जा प्रबंधन, दक्ष जल अनुप्रयोग उपकरण, और फसलन पद्धति आधारित प्रशिक्षण आदि की शुरूआत की जा रही है ताकि उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

बीबी का मकबरा का परिरक्षण

2792. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित बीबी का मकबरा के सौंदर्यीकरण और परिरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त ऐतिहासिक स्थल के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए एएसआई/सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) से (घ) मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नियमित रूप से बीबी का मकबरा का संरक्षण कार्य किया जाता है और यह भली-भांति परिरक्षित है। बीबी का मकबरा के संरक्षण पर पिछले तीन वर्षो में किए गए व्यय और चालू वित्त वर्ष के लिए किए गए प्रावधान का ब्यौरा इस प्रकार है:

किया गया व्यय (राशि रुपए में)			आबंटन (राशि रुपए में)
2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
37,03,262	22,51,338	33,11,937	40,00,000

चीनी निधि

2793. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
श्री भरत राम मेघवाल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कॉनफेड के लेवी चीनी मूल्य समानीकरण निधि (एलएसपीईएफ) दावों का ब्यौरा एवं उक्त दावों के भुगतान नहीं करने के कारण क्या हैं; और

(ख) पिछले 11 वर्षों के लिए लेवी चीनी मार्जिन मूल्य के पुनर्गठन नहीं करने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) कॉनफैड द्वारा लेवी चीनी मूल्य समकरण निधि के दावे भुगतान के लिए भारतीय खाद्य निगम को प्रस्तुत किये जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि कॉनफैड द्वारा मार्च 2012 तक की अवधि के लिए प्रस्तुत किये गए लेवी चीनी बिलों का भुगतान 01.03.2013 को अंनतिम आधार पर पहले से ही कर दिया गया है।

(ख) 1999-2000 से 2010-11 तक के वर्षों तक लेवी चीनी मार्जिन पुनः तैयार कर लिये गये हैं और दिनांक 16.04.2013, 31.07.2013 तथा 13.08.2013 के पत्रों द्वारा राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है। कॉनफैड द्वारा समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने के कारण मार्जिनों को पहले संशोधित नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

दालों की उत्पादकता

2794. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दालों संबंधी विशेषज्ञ समूह ने दालों की उत्पादकता को आउटसोर्सिंग द्वारा बेहतर करने संबंधी कोई सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) दलहन से संबंधित विशेषज्ञ दल ने दलहन उत्पादकता में सुधार हेतु फसल बीमा के माध्यम से नई पद्धतियों के प्रभावी प्रसार, गुणवत्ताप्रद आदानों की समय पर आपूर्ति, प्रसंस्करण/विपणन, ऋण उपलब्ध कराना, जोखिम प्रशमन को सरल बनाने हेतु बिजनेस मॉडल विकसित करने के लिए कृषि क्षमता निर्माण एवं सरकारी निजी सहभागिता हेतु निजी क्षेत्र एवं गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को शामिल करने की सिफारिश की है।

(ग) भारत सरकार राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (नार्स) एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों आदि के माध्यम से किसानों के क्षमता निर्माण के लिए फसल आधारित प्रशिक्षण आयोजित कर रही है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) के माध्यम से दलहन उत्पादकता एवं मूल्य श्रृंखला एकीकरण में सुधार करने के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों के प्रदर्शन करने हेतु दलहन उत्पादक क्षेत्रों में कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का भी गठन किया गया है।

[हिन्दी]

मोसम्बी उत्पादकों को मुआवजे

2795. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के बुलढ़ाना एवं मराठवाड़ा क्षेत्रों में मोसम्बी वृक्ष हाल में सूखा पड़ने के कारण सूख गए हैं तथा किसानों को भारी हानि हुई है पर अब तक प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रभावित किसानों को मुआवजे देने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) विशेष रूप से मराठवाड़ एवं महाराष्ट्र के पश्चिमी एवं मध्य भागों में कम वर्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में फल बागानों के पुनरुद्धार के लिए 400 करोड़ रुपये के आवंटन से विशेष पैकेज का अनुमोदन किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2013-14 के दौरान इस आवंटन में 157.60 करोड़ रुपये की वृद्धि की है।

वर्तमान मानसून मौसम के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक राज्य के किसी भी भाग में सूखे की सूचना नहीं दी है।

[अनुवाद]

मयूरभंज पौराणिक स्थल पर व्यय

2796. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2010-11 के दौरान ओडिशा में मयूरभंज जिले के हरिपुरगढ़ पौराणिक स्थल के परिरक्षण पर पिछले वर्षों की तुलना में कम व्यय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन पर अपर्याप्त व्यय किए जाने के कारण हरिपुरगढ़ पौराणिक स्थल की दशा जीर्ण-शीर्ण हो गई है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) से (घ) स्मारकों के संरक्षण का कार्य एक सतत प्रक्रिया है। प्राचीन स्थल हरिपुरगढ़ में भी मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए नियमित रूप से संरक्षण कार्य किया जाता है और यह भली-भांति परिरक्षित है। स्थल विशेष की आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विभिन्न वर्षों के लिए व्यय की राशि भिन्न होती है। इन कारकों के कारण हरिपुरगढ़ प्राचीन स्थल पर वर्ष 2010-11 के दौरान किया गया व्यय पिछले वर्ष से कम है।

विशेष कोटा उठाना

2797. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में निर्णय किया है कि खाद्यान्नों के विशेष आवंटन का अपना पूरा कोटा उठाने में विफल रहने वाले राज्य अपने कोटे को खो देंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन राज्यों द्वारा अपना कोटा नहीं उठाए जाने के ठीक कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अधिकांश राज्य खाद्यान्न के भंडारण में असमर्थ हैं तथा उन्होंने भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) दिनांक 30.6.2013 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास कुल भंडारण क्षमता 746.07 लाख टन थी। भंडारण क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भंडारण निगम और राज्य भंडारण निगमों के माध्यम से भंडारण गोदामों का निर्माण करने के लिए निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के अंतर्गत 19 राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए 204 लाख टन की क्षमता अनुमोदित की गई है, जिसमें से 148. 34 लाख टन की क्षमता निर्माण हेतु संस्वीकृत/आबंटित की गई है। दिनांक 31.7.2013 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत 73.28 लाख टन की कुल क्षमता पूरी कर ली गई है। सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति से भारतीय खाद्य

निगम की समग्र भंडारण आवश्यकता के भीतर साईलोज में 20 लाख टन की क्षमता भी निर्माण हेतु अनुमोदित की है।

पीईजी स्कीम के अलावा सरकार ने विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से 5.40 लाख टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण भी अनुमोदित किया है।

चीनी उत्पादन की लागत

2798. श्री प्रबोध पांडा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न पत्तनों पर आयातित कच्ची चीनी की वर्तमान उतार लागत तथा उनसे प्रसंस्कृत उजली चीनी के कारखाने पर इसकी लागत कितनी है;

(ख) वर्ष 2012-13 के मौसम में देश के उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों में गन्ने से उत्पादित चीनी के उत्पादन की औसत लागत अलग-अलग कितनी है;

(ग) क्या घरेलू उत्पादित चीनी के उत्पादन की लागत आयातित कच्ची चीनी से प्रसंस्कृत उजली चीनी की लागत से अधिक है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) घरेलू चीनी उद्योग एवं गन्ने के किसानों के हितों के संरक्षण के लिए आयात शुल्क नहीं बढ़ाने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) आयातित कच्ची चीनी की बंदरगाह-वार उतारी गई लागत खेप-दर-खेप भिन्न होती है जोकि उद्गम देश में कच्ची चीनी के प्रचलित मूल्य, अमेरिकी डॉलर के साथ रुपये की विनिमय दर, किराया, बीमा और अन्य ऊपरी खर्चों पर निर्भर करती है। व्यापार स्रोतों के अनुसार हल्दिया को छोड़कर भारतीय बंदरगाहों पर आयातित कच्ची चीनी की वर्तमान में उतारी गई लागत (बहुतायत आयात के लिए प्रति पाउंड 16.28 सेंट के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कच्ची चीनी मूल्य और प्रति अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर 64.63 रुपये) लगभग 32,250/- रुपये प्रति टन है। हल्दिया में यह लगभग 32,400/- रुपये प्रति टन है। आयातित कच्ची चीनी को शोधशालाओं अथवा चीनी मिलों द्वारा संसाधित किया जाता है। आयातित कच्ची चीनी की संसाधन लागत मिलों और शोधशालाओं में भिन्न-भिन्न होती है जोकि प्लांट की तकनीकी दक्षता, आदानों की लागत इत्यादि पर निर्भर करती है। केन्द्रीय सरकार आयातित कच्ची चीनी की बंदरगाह-वार उतारी गई लागत अथवा आयातित कच्ची चीनी से संसाधित श्वेत चीनी के फैक्ट्री के बाहर के मूल्य के लागत संबंधी आंकड़े नहीं रखती।

(ख) गन्ने से चीनी की उत्पादन लागत विभिन्न घटकों जैसे पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता, गन्ने से वसूली, मौसम की अवधि, संयंत्र का आकार, संयंत्र की दक्षता, उन्नयन और विविधीकरण, कार्यशील पूंजी की लागत, प्रबंध की दक्षता इत्यादि पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य, खोई के नियंत्रण इत्यादि जैसे घटक जो पर्याप्त रूप से उत्पादन की लागत को प्रभावित करते हैं, का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए उत्पादन लागत मिल-दर-मिल और राज्य-दर-राज्य भी भिन्न होती है। इसलिए 2012-13 मौसम के दौरान देश के उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भागों में पृथक रूप से गन्ने से उत्पादित चीनी की औसतन उत्पादन लागत को दर्शा पाना संभव नहीं है।

(ग) जैसाकि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में दर्शाया गया है, सरकार गन्ने से उत्पादित चीनी अथवा आयातित कच्ची चीनी से संसाधित श्वेत चीनी की फैक्ट्री से बाहर की लागत संबंधी आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं करती।

(घ) सरकार ने चीनी उद्योग के शीर्ष निकायों के अनुरोध पर विचार किया है और गन्ना किसानों और उद्योग के हितों का संरक्षण करने के लिए और आयातों को हतोत्साहित करने के लिए 8 जुलाई, 2013 से कच्ची चीनी सहित चीनी के आयात पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है।

अद्यतन प्रौद्योगिकी संपन्न मिनी डेयरी इकाइयों की स्थापना

2799. श्री जगदीश ठाकोर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए गुजरात एवं उत्तराखंड सहित पूरे देश में अद्यतन प्रौद्योगिकी संपन्न मिनी डेयरी इकाइयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन इकाइयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) पर दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केदारनाथ मंदिर को नुकसान

2800. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में आयी बाढ़ एवं भूस्खलनों के कारण केदारनाथ मंदिर को हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने वहां का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एएसआई ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केदारनाथ मंदिर को हुए नुकसान के लिए मंत्रालय/एएसआई द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा केदारनाथ मंदिर के पुनरुद्धार में लगी सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) से (घ) जी, हां। मंदिर में हुई क्षति का आकलन करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के दल ने दिनांक 02 और 03 अगस्त 2013 को केदारनाथ मंदिर का दौरा किया था। उसके पश्चात् एक प्राथमिक आकलन रिपोर्ट सौंप दी गई है। कुल मिलाकर, मंदिर का ढांचा भली-भांति संरक्षित मिला है, एक विस्तुत रिपोर्ट प्रतीक्षित है। केदारनाथ मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षण स्मारक नहीं है। तथापि पुरातत्व सर्वेक्षण केदारनाथ मंदिर के संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार को आवश्यक तकनीकी सलाह और विशेषज्ञता मुहैया कराएगा।

ओबीसी वर्गों को रोजगार

2801. श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य वर्गों की तुलना में अन्य पिछड़े वर्गों में रोजगार की मांग अधिक हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनार उत्पादक किसानों को मुआवजा

2802. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बागवानी योजना के अंतर्गत सरकारी दिशा-निदेशों के अनुसार तीन वर्ष पूर्व सरकार द्वारा अनार की आपूर्ति किए गए पौधे तथा किसानों द्वारा लगाए गए पौधे पूरी तरह विफल हो गए जिससे किसानों पर कर्ज का भारी बोझ हो गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार किसानों की बर्बाद फसलों के लिए इन किसानों को मुआवजे देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन किसानों को कब तक मुआवजे दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्थान के जालौर जिले के दो गांवों में अनार के बागानों में दीमक, कुटकी और रूट नाट गोल कृमि संक्रमण से ग्रसित पाया गया है।

एक दल जिसमें फील्ड अधिकारियों के साथ कृषि अनुसंधान स्टेशन, मनडोर, जोधपुर से वैज्ञानिक एवं उप निदेशक बागवानी शामिल हैं, ने उक्त अनार बागानों का दौरा किया था। फील्ड जांच के दौरान कुछ अविकसित एवं विचित्रवर्णी अनार पौध पाई गई जिसमें कुटकी के साथ पर्ण संक्रमण भी शामिल था, का निरीक्षण किया गया था। कुछ मृत पौध की जड़ों को खोदा गया और जांच की गई और इसे गोल कृमि संक्रमित पाया गया। कुछ पौधों की जड़ों को भी दीमक द्वारा काटा हुआ पाया गया।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। हालांकि गोल कृमि के प्रसार को और अधिक बढ़ने से रोकने और दीमक एवं कुटकी के संक्रमण को रोकने के लिए कृषि अनुसंधान स्टेशन मन्डोर, जोधपुर के परामर्श पर उसी स्थान पर रोग निवारक उपाय किसानों को संस्तुत किए गए।

[अनुवाद]

सी.आई.एल. द्वारा विनिवेश प्रस्ताव

2803. श्री जोस के. मणि: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) का अपनी पूंजी धारिता का 5 प्रतिशतांश खुले बाजार में लाकर तथा अन्य 5 प्रतिशतांश अपने कर्मचारियों को प्रदान करते हुए अपनी पूंजी-धारिता को भुनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार/सी.आई.एल. से मजदूर संघों और अन्य हिस्सेदारों ने विरोध दर्ज कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) अब तक कोल इंडिया लि. (सीआईएल) में आगे विनिवेश के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) कोयला उद्योग में प्रचालनरत 5 (पांच) केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों अर्थात् इंटक (इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस), एआईटीयूसी (आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस), बीएमएस (भारतीय मजदूर संघ), एचएमएस (हिन्द मजदूर सभा) तथा सिटू (सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस) ने, अन्य मांगों के साथ-साथ, सीआईएल में आगे 10% विनिवेश के विरुद्ध माननीय कोयला मंत्री को 24 जून, 2013 तथा 5 जुलाई, 2013 को नोटिस दिया था।

कोल इंडिया लि. के अध्यक्ष को 23 से 25 सितम्बर, 2013 तक तीन दिन की हड़ताल के लिए उन्हीं 5 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का दिनांक 18.8.2013 का हड़ताल का नोटिस प्राप्त हुआ था।

(घ) 5 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के उपर्युक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में मानीय कोयला मंत्री ने विनिवेश के मामलों पर सर्वसम्मति बनाने के लिए इन केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ 8.7.2013, 28.7.2013 तथा 30.7.2013 को बैठक बुलाई थी। कोल इंडिया लि. तथा उसकी सहायक कंपनियों से संबंधित मसलों के संबंध में 5.8.2013 को कोल इंडिया लि. के स्तर पर भी एक बैठक बुलाई गई थी। जहां तक दिनांक 18.8.2013 के हड़ताल के नोटिस का संबंध है, सौहार्दपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पी.एम.ए.जी.वाई. का कार्यान्वयन

2804. श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री राजेन गोहैन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) के अंतर्गत राज्य-वार कितने राज्यों में अब तक विकास कार्य शुरू किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का उक्त योजना का शेष अन्य राज्यों में भी विस्तार करने का विचार है और सरकार ने देश में और अधिक संख्या में आदर्श ग्राम विकसित करने के लिए उक्त योजना का आमूल परिवर्तन/पुनरीक्षा/संशोधन करने का भी निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने पी.एम.ए.जी.वाई. के अंतर्गत परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए राज्यों में कोई निरीक्षण एजेंसियां स्थापित की हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त एजेंसियों ने कोई रिपोर्ट तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) 1000 अनुसूचित जाति (एससी) बहुसंख्यक गांवों के समेकित विकास हेतु पीएमएजीवाई की एक प्रायोगिक योजना मार्च, 2010 में आरंभ की गई थी। इस समय यह योजना असम (100 गांव), बिहार, हिमाचल प्रदेश,

राजस्थान तथा तमिलनाडु (प्रत्येक में 225 गांव) नामक पांच राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। योजना का उद्देश्य चयनित गांवों का मुख्यतया (i) मौजूदा केन्द्रीय और राज्यीय योजनाओं के अभिसारी कार्यान्वयन के माध्यम से और (ii) औसतन 20 लाख रुपये प्रति गांव की 'अंतर-पूर्ति' केन्द्रीय सहायता के माध्यम से (जिसमें राज्यों से भी अनुकूलन अंशदान किए जाने की आशा है), चयनित गांवों की ऐसी आवश्यकता को पूरा करके समेकित विकास करना है जिसे उपर्युक्त (i) के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त राज्यों ने चयनित गांवों के संबंध में गांव विकास योजनाओं (वीडीपीएस) को अंतिम रूप दे दिए जाने की सूचना दी है तथा परिणामी कार्रवाई परिवर्ती प्रगति दर्शाती है।

(ख) और (ग) इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) से (च) पीएमएजीवाई योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार दो एजेंसियां अर्थात राज्य स्तरीय संचालन व निगरानी समिति और राज्य स्तरीय सलाहकार समिति को योजना की प्रगति पर निगरानी रखने का अधिदेश प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन की मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षा भी की गई है तथा राज्यों को वांछनीय उपचारी उपायों की सूचना दे दी गई है।

छात्रवृत्ति का उपयोग

2805. श्री एम. कृष्णास्वामी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति का अधिकतम और व्यापक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का कार्यान्वयन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार अब तक जारी की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने चयनित जिलों में निम्नवत छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियों का संवितरण करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली को कार्यान्वित कर रहा है।

1. अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
2. अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।
3. "अस्वच्छ" कारोबारों में लगे हुए लोगों के बच्चों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति।
4. कक्षा IX तथा X में पढ़ रहे अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (नई योजना 1.7.2012 से कार्यान्वित की गई है)।
5. अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता का उन्नयन।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, उपरोक्त योजनाओं के तहत, उनके द्वारा 31.3.20113 तक लगभग 10 लाख लाभार्थियों को छात्रवृत्ति राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से अदा की गई है।

एफ.सी.आई. द्वारा देय किराया-भाड़ा

2807. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब राज्य में गोदामों को किराये पर लेने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा कितने किराए-भाड़े का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या इस किराए-भाड़े को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) पंजाब में भारतीय खाद्य निगम निजी पार्टियों से किराए पर लिए गए गोदामों के लिए, गोदामों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 1.69 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 1.94 रुपए प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह (जून 2013 से प्रभावी) किराए का भुगतान कर रहा है। केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगम के गोदामों के मामले में सरकार के दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार किराए का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में केन्द्रीय भंडारण निगम का किराया 2.73 रुपए प्रति बोरी/प्रतिमाह है। इसके अलावा सरकार की निजी उद्यमी गारंटी स्कीम-2008 के अंतर्गत किराए पर लिए गए गोदामों के लिए किराए का निर्धारण पनग्रेन के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित करके किया जाता है।

(ख), जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मातृतीर्थ सिंधखेड़ा राजा को राष्ट्रीय महत्व

2808. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्रपति शिवाजी की माताश्री जीजाबाई से संबंधित महाराष्ट्र के मातृतीर्थ सिंधखेड़ा राजा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के संबंध में सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या सरकार का मातृतीर्थ सिंधखेड़ा राजा में जीजाबाई के जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन की लागत

2809. श्री रामसिंह राठवा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन की लागत लगभग 15 प्रतिशत बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नकदी फसलों और गैर-नकदी फसलों की उत्पादन लागत विभिन्न दरों से बढ़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान नकदी फसलों और गैर-नकदी फसलों की उत्पादन लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (घ) वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा यथाप्रक्षेपित मुख्य फसलों की अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत (नकद एवं गैर नकद) तथा इस अवधि के दौरान प्रतिशत परिवर्तन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	उत्पादन लागत (रु./क्विंटल)				2009-10 से 2012-13 तक प्रतिशत परिवर्तन
फसल	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
धान	644.94	742.43	887.72	1152.2	79
गेहूं	700.63	826.29	926.98	1066.26	52
अरहर	2197.04	2421.82	2702.31	4167.18	90
मूंगफली	1879.19	2100.36	2633.18	3714.47	98
गन्ना	81.15	90.12	102.34	147.96	82
कपास	2111.49	2128.59	2528.37	2772.16	31

'एमपीलैड' के अंतर्गत प्रस्ताव

2810. श्री यशवीर सिंह:
श्री दिलीपकुमार मुनसुखलाल गांधी:
श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले छह महीनों के दौरान अनेक संसद सदस्यों की ओर से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और अमरोहा जिलों सहित उनके अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य कराने हेतु कोई प्रस्ताव/अनुशंसाएं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्तावों की संस्वीकृति में कोई विलंब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के दिशानिर्देशों के पैरा 2.6 के अनुसार, प्रत्येक संसद सदस्य संबंधित जिला प्राधिकारी को वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी वार्षिक पात्रता की सीमा तक कार्यों की अनुशंसा करता है। राज्य सरकार के अंतर्गत जिला प्राधिकारी राज्य सरकार के वित्तीय, तकनीकी तथा प्रशासनिक नियमों के अनुसार पात्र स्वीकृत कार्यों को निष्पादित करता है।

जिला प्राधिकारियों को संसद सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों से संबंधित सूचना का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयमें केंद्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) दिशानिर्देशों के पैरा 3.12 के अनुसार सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् सभी अनुशंसित पात्र कार्य सिफारिश की प्राप्ति की तिथि से 75 दिनों के भीतर स्वीकृत किए जाने चाहिए। तथापि, जिला प्राधिकारी अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अस्वीकृति यदि कोई है, के संबंध में कारणों सहित संसद सदस्य को सूचित करेगा।

स्वीकृति में विलम्ब के उदाहरण समय-समय पर मंत्रालय के ध्यान में आते हैं। मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार से इस मामले की जांच करने और उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध करता है।

कृषि उत्पादन लागत

2811. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टी.आई..एस.एस.) द्वारा संकलित रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कृषि उत्पादन प्रणाली के पुनर्वासन के लिए कोई व्यापक दीर्घावधिक उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) माननीय मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा पीआईएल में दिए गए निर्देशों के अनुसरण में महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुरोध पर वर्ष 2005 में टीआईएसएस द्वारा महाराष्ट्र में कृषक आत्महत्या पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। कुछ एजेंसियों द्वारा भी कुछ अन्य सर्वेक्षण/अध्ययन किए गए। यशवंत राव चौहान विकास प्रशासन अकादमी (यशदा), पुणे में महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में किसानों की मृत्यु पर विचार करने के लिए जनवरी, 2001 से नवंबर, 2005 के दौरान सर्वेक्षण किया था। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई में महाराष्ट्र में कृषकों द्वारा आत्महत्या पर वर्ष 2006 में एक रिपोर्ट तैयार की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), हैदराबाद ने भी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कृषक आत्महत्या के संबंध में अप्रैल, 2003 में एक अध्ययन किया था। तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय करने के लिए इन रिपोर्टों/सर्वेक्षणों आदि के निष्कर्षों पर विचार किया।

(ख) भारत सरकार ने 4 राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में आत्महत्या संभावित 31 जिलों के लिए 16,978.69 करोड़ रु. के प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज; केरल में कुट्टानाड नमभूमि पारिस्थितिकी के विकास हेतु 1,840.75 करोड़ रु. के विशेष पैकेज; केरल के इडुक्की जिले में कृषि संबंधी आपदाओं को कम करने के लिए 764.45 करोड़ रु. के विशेष पैकेज; 52,516.86 करोड़ रु. की धनराशि से देश के सभी जिलों में कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम 2008 का कार्यान्वयन किया।

भारत सरकार ने 11वीं और 12वीं योजना अवधियों के दौरान कृषि और समवर्गी क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय और निवेश बढ़ाकर दीर्घकालिक संधारणीय आधार पर कृषि क्षेत्र को पुन: जीवित करने तथा कृषक समुदाय की वित्तीय हालत में सुधार करने के लिए भी कई अन्य उपाय किए हैं। इनमें शामिल हैं: कृषि क्षेत्र हेतु संस्थागत ऋण प्रवाह में वृद्धि; फसल ऋणों पर ब्याज संबंधी छूट; कृषि पद्धतियों और ग्रामीण-अवसंरचना में सुधार और विस्तार मशीनरी का सुदृढ़ीकरण; फसलों और पशुधन के विस्तृत बीमा कवरेज के जरिए किसानों के जोखिम में कमी लाना; किसानों को अपने कृषि उत्पाद हेतु लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को बढ़ाना; किसानों द्वारा अपने कृषि उत्पाद की मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को रोकने के लिए पराक्राम्य रसीद तंत्र लागू करना; अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए स्वावलंबी/संयुक्त देयता समूहों के गठन के लिए किसानों को सुविधा देना।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसानों द्वारा विश्व के देशों की यात्रा

2812. श्री बैधनाथ प्रसाद महतो: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार परिश्रमी और लगनपूर्ण अध्यवसाय करने वाले किसानों को विश्व के देशों की यात्रा कराने का विचार कर रही है ताकि के कृषि के सर्वत्तम तरीकों से परिचित हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने किसानों को ऐसी यात्रा पर ले जाया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी हां।

(ख) और (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग की राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) की स्कीम और कृषि पर डेयर द्वारा गठित आसियान-भारत कार्य समूह के तहत भारतीय किसानों के विदेश में विगोपन दौरे का प्रावधान है।

अब तक एनएचएम के तहत एक सौ सत्रह किसान और कृषि पर आसियान-भारत कार्य समूह के तहत अठारह किसानों को वैश्विक दौरे पर ले जाया गया है।

भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष

2813. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अफगानिस्तान में काबुल के एक संग्रहालय में भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध और पवित्र भिक्षापात्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां के भारतीय दूतावास ने विदेश मंत्रालय को उक्त भिक्षापात्र का एक छायाचित्र भेजा है और मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) से इसके इतिहास के बारे में जानकारी मांगी हैं;

(ग) क्या ए.एस.आई. के प्रथम महानिदेशक डॉ. कनिंघम के एक आलेख में और एएसआई द्वारा उस समय प्रकाशित पुस्तकों में इस भिक्षापात्र के संबंध में उल्लेख है;

(घ) क्या फाह्यान और ह्वेन-सांग के यात्रा वृत्तांतों में भी इसका उल्लेख है;

(ङ) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय के इतिहास और पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी इस संबंध में ए.एस.आई. को जानकारी भेजी है;

(च) क्या ऐसा ऐतिहासिक साक्ष्य मिला है कि मुहम्मद गजनी ने उस भिक्षापात्र के बारे में फारसी भाषा में कुछ अन्य ब्यौरा दिया है;

(छ) क्या इस बारे में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फ्रांस के विद्वानों के लेख भी उपलब्ध हैं; और

(ज) क्या विदेश मंत्रालय ने इसके आविर्भाव के संबंध में भी जानकारी मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उपलब्ध साक्ष्यों को विदेश मंत्रालय को कब तक भेजे जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) भिक्षापात्र को वर्तमान में काबुल (अफगानिस्तान) के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है।

(ख) भारतीय दूतावास ने भिक्षापात्र का एक छायाचित्र भेजा है।

(ग) से (छ) भिक्षापात्र पर स्थित अभिलेखों की जांच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरालेख शाखा, नागपुर द्वारा की गई है और यह पाया गया है कि ये अभिलेख नास्तालिक (फारसी) में लगभग 16वीं शताब्दी ईस्वी के हैं।

विभिन्न रिपोर्टें और यात्रा-वृत्तांतों में प्रदत्त सूचना के आधार पर किसी प्रकार का नतीजा निकालना संभव नहीं है जब तक कि उसे वास्तविक पुरातत्वीय साक्ष्यों के साथ प्रमाणित न किया जाए।

(ज) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टिप्पणियों सहित उपलब्ध सूचनाओं को पहले ही विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया है।

भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण

2814. श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री एंटो. एंटोनी:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (बीआरएआई) की स्थापना करने के संबंध में कोई विधेयक पुर: स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कतिपय मंचों जैसे हितधारकों, गैर-सरकारी संगठनों, कृषक संगठनों, विशेषज्ञों और अन्य समितियों ने सरोकार व्यक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 अप्रैल, 2013 को लोक सभा में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (बीआरएआई) विधेयक, 2013 पेश किया। विधायी प्रक्रिया के अनुसार विधेयक को परीक्षण एवं रिपोर्ट के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वानिकी पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग को भेज दिया गया। समिति ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता से टिप्पणियां आमंत्रित कीं, टिप्पणियां प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 25 अगस्त, 2013 थी। विभिन्न पणधारियों से याचिका प्राप्त की जा रही है। विधेयक का क्षेत्र अनुसंधान, परिवहन, आयात, विनिर्माण के विनियमन एवं आर्गेनिज्म के उपयोग एवं सुरक्षा एवं दक्षता के सन्दर्भ में आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादों के उपयोग के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करना है। कृषि एवं स्वास्थ्य सहित आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के सभी उत्पादों की बिक्री, लाइसेसिंग, मूल्य नियंत्रण और वितरण के वाणिज्यिक पहलू बीआरएआई विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर है और इस पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों में विद्यमान नीति, अधिनियमों और नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ग) से (ङ) बीआरएआई विधेयक को राज्य सरकारों एवं अन्य सम्बद्ध पणधारियों जिनमें किसानों और उपभोक्ताओं, संगठनों, उद्योगों, कानूनी विशेषज्ञों, अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों से मीडिया एवं शिक्षाविद्/वैज्ञानिकों से प्रतिनिधि होते हैं, के साथ कई परामर्श बैठकों के पश्चात तैयार किया गया है। अंत: मंत्रालयी परामर्श की सरकारी प्रक्रिया को विधेयक को पेश करने से पहले पूरा कर लिया गया था।

विधेयक पर कुछ पणधारियों से प्राप्त आपत्तियों में शामिल हैं: जैव प्रौद्योगिकी बनाम विनियमन के प्रोत्साहन के संबंध में मंत्रालयों में हितों का टकराव; आवेदकों की गोपनीय वाणिज्यिक सूचना को व्यवसायिक एवं स्वायत्त वैधानिक निकाय के संबंध में आरटीआई अधिनियम के साथ कुछ खंडों को श्रेणीबद्ध करना; जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए एक अलग अपील ट्रिब्यूनल की स्थापना के संबंध में आवश्यकता एवं प्रावधान (सर्वोच्च न्यायालय जाने की तत्कालीन पद्धति); प्रस्तावित प्राधिकरण में राज्य सरकारों की भूमिका आदि।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं वानिकी पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित विभाग की सिफारिशों सहित उचित प्रशासनिक एवं विधायी प्रक्रिया से विधेयक को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

सेल्युलोज फाइबर का उत्पादन

2815. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपास से सेल्युलोज फाइबर के उत्पादन में कम पानी की जरूरत होती है; और

(ख) देश में कपास और सेल्युलोज फाइबर के उत्पादन में प्रतिवर्ष कितना सिंचाई जल इस्तेमाल होता है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) कपास फसल से अच्छी गुणवत्ता वाले सेल्युलोज फाईबर और इष्टतम बिनौला (सीड काटन) पैदावार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सिंचाई आवश्यक है।

(ख) देश के नौ मुख्य कपास उगाने वाले राज्यों में अलग-अलग कृषि जलवायु स्थितियों तथा मृदा में कपास उगाई जाती है, अत: कपास की फसल में 'सेल्युलोज फाइबर' के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक सिंचाई जल की मात्रा सम्पूर्ण फसल अवधि के दौरान 30 से.मी. से 55 से.मी. के बीच है। कपास फसल के लिए अपेक्षित वार्षिक सिंचाई जल का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत में कपास उत्पादन के लिए उपयोग किया गया सिंचाई जल (2012-13)

राज्य	क्षेत्र लाख है. में	सिंचाई प्रतिशत	सिंचाई जल लि./है.	सिंचाई जल बिलियन लिटर
1	2	3	4	5
पंजाब	5.06	100	4500,000	2280
हरियाणा	6.14	99.8	4500,000	2760

1	2	3	4	5
राजस्थान	4.5	91.9	5480,000	2270
गुजरात	24	56.7	3000,000	4080
महाराष्ट्र	41.46	2.7	5400.000	600
मध्य प्रदेश	6.08	44.2	5400,000	1450
आंध्र प्रदेश	22.69	16.3	4500,000	1660
कर्नाटक	4.85	17.5	3000,000	250
तमिलनाडु	1.26	28.6	3000,000	110
अन्य	1.69	10	70	
कुल				15530

[अनुवाद]

विरासती भवनों/स्मारक-स्थलों की सूची

2816. श्री वैजयंत पांडा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/विरासत आयोग ने देश के विभिन्न भागों में स्थित सभी विरासती ढांचों/स्मारक-स्थलों/भवनों की एक सूची तैयार करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे विरासतों ढांचों/स्मारक-स्थलों का चयन करने हेतु क्या कार्यविधि अपनाई गई है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) जी, हां। राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरावशेष मिशन (एनएमएमए) की स्थापना निर्मित विरासत स्थलों और पुरावशेषों पर माध्यमिक स्रोतों से एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के लिए की गई थी।

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कार्यविधि में विभिन्न विश्वविद्यालयों, राज्य विभागों, अनुसंधान संस्थानों में उपलब्ध प्रलेखन कार्य सहित, प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही माध्यमिक स्रोतों से स्मारकों और स्थलों का चयन करना शामिल था।

विवरण

भारत में असंरक्षित स्मारकों और स्थलों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3
1.	आध्र प्रदेश	2379
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	73
3.	असम	89
4.	अरुणाचल प्रदेश	22
5.	बिहार (झारखंड सहित)	2330
6.	चंडीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	10
7.	छत्तीसगढ़	718
8.	दादरा और नगर हवेली	16
9.	दिल्ली	1245
10.	दीव	290
11.	गोवा	1491
12.	गुजरात	3179
13.	हरियाणा	4355
14.	हिमाचल प्रदेश	1557
15.	जम्मू और कश्मीर	5187
16.	कर्नाटक	3598
17.	केरल	1058
18.	मध्य प्रदेश	3440
19.	महाराष्ट्र	3201
20.	मणिपुर	65
21.	मिजोरम	39
22.	मेघालय	47
23.	नागालैंड	07
24.	ओडिशा	7439
25.	पंजाब	2309

1	2	3
26.	राजस्थान	9717
27.	सिक्किम	305
28.	तमिलनाडु (पुदुचेरी सहित)	6812
29.	त्रिपुरा	388
30.	उत्तराखंड	1635
31.	उत्तर प्रदेश	7193
32.	पश्चिम बंगाल	5025
	कुल	75,307

नकली शराब का सेवन

2817. डॉ. संजय सिंह:
डॉ. बलीराम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गैर-कानूनी और जहरीली देशी शराब तथा नकली/जहरीली शराब पीने के कारण अनेक व्यक्तियों के मरने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार इस तरह कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की-गई-कार्रवाई का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों को कोई निदेश जारी किया है।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) ऐसे गैर-कानूनी व्यापार को रोकने तथा इस संबंध में कानून को और अधिक कठोर बनाने के लिए क्या अन्य उपाय किए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) वर्ष 2009, 2010 और 2011 के दौरान नकली और अवैध शराब पीने के कारण बताई गई मरने वालों की संख्या के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) से (ड.) नशीली शराबों का उत्पादन, निर्माण, रखना, एक स्थान से दूसर स्थान पर ले जाना और बिक्री को विशेष रूप से भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II राज्य सूची की प्रविष्टि 8 (राज्य सूची) में शामिल किया गया है, और इसलिए, राज्यों के पास अपने उत्पादन, निर्माण, रखने, लाने ले जाने, खरीद और बिक्री नियंत्रित करने के अपने विशेष अधिकार हैं। इसलिए, राज्य सरकारें नकली शराब की बिक्री को नियंत्रित करने, नकली शराब पीने के कारण मरने की घटनाओं को रोकने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए जांच करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और "लोक व्यवस्था" राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें अपराध रोकने, उसका पता लगाने, दर्ज करने और जांच करने तथा वर्तमान और उपयुक्त कानूनों के तहत, नागरिकों के जान-माल की रक्षा करने के लिए भी अपनी कानून लागू करने वाली एजेंसियों की मशीनरी के माध्यम से अपराधियों के अभियोजन हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तथापि, केन्द्र सरकार अपराध को रोकने के मामले को सर्वाधिक महत्व देती है और इसलिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में अपराध रोकने और नियंत्रित करने हेतु ऐसे जरूरी उपाय करने के लिए समय-समय पर सलाह देती रही है।

विवरण

वर्ष 2009-2011 के दौरान नकली/जहरीली शराब पीने के कारण मरने वालों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	2009	2010	2011
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	42	164	78
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	32	3	0
4.	बिहार	42	25	50
5.	छत्तीसगढ़	5	18	2
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	68	107	221
8.	हरियाणा	6	27	7
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1

1	2	3	4	5
10.	जम्मू और कश्मीर	4	3	8
11.	झारखंड	45	27	20
12.	कर्नाटक	180	235	184
13.	केरल	0	0	3
14.	मध्य प्रदेश	68	45	15
15.	महाराष्ट्र	20	8	2
16.	मणिपुर	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0
20.	ओडिशा	69	15	2
21.	पंजाब	185	183	105
22.	राजस्थान	12	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	429	185	481
25.	त्रिपुरा	1	1	0
26.	उत्तर प्रदेश	82	47	43
27.	उत्तराखंड	0	0	6
28.	पश्चिम बंगाल	136	88	181
	कुल (राज्य)	1426	1181	1409
	संघ राज्य क्षेत्र			
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	1	2	5
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0
33.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	23	19	21
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0
	कुल (संधा राज्य क्षेत्र)	24	21	26
	कुल (अखिल भारत)	1450	1202	1435

स्रोत: 'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं'

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किया जाना

2818. श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्री ए.टी. नाना पाटील:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान सरकार/मंत्रालय को विशेषकर दिल्ली पुलिस के अधिकार-क्षेत्र के उत्तर-पूर्वी जिले में दिल्ली पुलिस के कार्मिकों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक मामले में क्या जांच की गई और दोषी कार्मिकों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ग) पीड़ित नागरिकों की प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हेतु दिल्ली पुलिस को निदेश देने के लिए सरकार/मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है/करने का विचार किया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन माह अर्थात् मई, जून और जुलाई, 2013 के दौरान, उत्तर-पूर्व जिले में एफआईआर दर्ज न किए जाने के बारे में दिल्ली पुलिस को 26 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन 26 शिकायतों में से, केवल तीन शिकायतें ही सिद्ध हो सकीं और इस संबंध में एक स्टेशन हाउस ऑफिसर, दो उप-निरीक्षकों तथा एक हेड कांस्टेबल को स्पष्टीकरण संबंधी नोटिस जारी किया गया है।

(ग) भारत सरकार ने, दिनांक 16 जुलाई, 2010 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शी पत्र जारी किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एफआईआर दर्ज करने के बारे में निम्नलिखित अनुदेश शामिल हैं:

(i) प्रत्येक पुलिस थाने में चौबीसों घंटे एक स्वागत अधिकारी (हेड कांस्टेबल के रैंक का) मौजूद रहेंगे। प्रत्येक

याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता से उसके दर्जे, जाति अथवा धर्म पर ध्यान दिए बिना, समान और निष्पक्ष व्यवहार किया जाएगा और इस संबंध में, प्रत्येक शिकायत के लिए उचित रसीद प्रदान की जाएगी। सामान्यत: उक्त शिकायत का निपटान, संबंधित वार्ड/गांव में मौके पर जांच करके सुनिश्चित किया जाएगा। जहां कहीं शिकायत उचित पाई जाएगी, उक्त शिकायत एफआईआर में बदल दी जाएगी।

(ii) जब कभी एफआईआर दर्ज की जाती है, तब एफआईआर की एक हस्ताक्षरित प्रति शिकायतकर्ता को मौके पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन यह अवश्य सुनिश्चित करेंगे कि मामले चौबीसों घंटे दर्ज हो सकें और इस संबंध में ड्यूटी के प्रति बरती गई किसी भी प्रकार की लापरवाही से कड़ाई से निपटा जाए।

(iii) प्रत्येक पुलिस थाने में 'महिलाओं/बच्चों के प्रति अपराध' डेस्क स्थापित किए जाएंगे।

[हिन्दी]

उर्वरक-संयंत्रों हेतु गैस की आवश्यकता

2819. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंद उर्वरक-विनिर्माण इकाइयों के पुनरुद्धार, ईंधन नैफ्था-एफओ तथा एलएसएलएच आधारित उर्वरक-संयंत्रों में ईंधन परिवर्तन, पुनरुद्धरित बंद इकाइयों की संख्या और विद्यमान इकाइयों के प्रस्तावित भावी विस्तार, जैसे धारकों को ध्यानगत रखकर उर्वरक-उद्योग में प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का ब्यौरा है;

(ख) वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान उर्वरक उद्योग हेतु संयंत्र-वार कितनी गैस की आवश्यकता का अनुमान है;

(ग) नैफ्था-एफओ तथा एलएसएलएच आधारित बंद उर्वरक-संयंत्रों को गैस-पाइपलाइन से किस वर्ष तक जोड़े जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त वर्ष के दौरान इस उद्योग को आवश्यक प्राकृतिक गैस के स्रोत क्या होंगे?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) गैर को फीडस्टॉक और ईंधन के रूप में प्रयोग करके घरेलू यूरिया के उत्पादन के लिए गैस की आवश्यकता को संलग्न विवरण-I में दर्शाया गया है। उपर्युक्त के अलावा, यूरिया के उत्पादन के लिए गैस की भावी आवश्यकता इस प्रकार है:

इकाई का नाम	2013-14	2016-17	2017-18
नेफ्था इकाइयों का परिवर्तन			
जेडआईएल-गोवा	1.28		
एमसीएफएल-मंगलौर	1.00		
एमएफएल-मणलि	1.54		
स्पिक-तूतीकोरिन	1.66		
केएफसीएल-कानपुर	1.70		
ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड परियोजनाएं			
मैटिक्स फर्ट एवं केमिकल्स बर्दवान (सीबीएम)	2.4 (सीबीएम)		
पुनरुद्धार सहित 6 विस्तार इकाइयां		6*2.4=14.40	

पीएंडके उर्वरकों के उत्पादन के लिए गैस की आवश्यकता को संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) ईंधन तेल/नेफ्थ आधारित उर्वरक संयंत्रों की गैस आवश्यकता और गैस पाइपलाइन (पी/एल) की संयोजकता की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दर्शाया गया है।

उपर्युक्त अनुमानित आवश्यकता के अनुसार सभी इकाइयों के लिए घरेलू गैस के आबंटन का मामला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ उठाया गया था लेकिन अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण I

गैस को फीडस्टॉक और ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए घरेलू यूरिया के उत्पादन हेतु गैस आवश्यकता

क्र.सं.	यूरिया इकाई का नाम	पुन: आकिलत क्षमता (मी.टन/ वर्ष)	वास्तविक उत्पादन 2012-13	एनपीएस-III पूर्वनिर्धारित (जीकैल/ मी.टन यूरिया)	गैस का एनसीवी (जीकैल/ एसएम³)	वार्षिक गैस आवश्यकता: पुन: आकलित क्षमता पर उत्पादन का स्तर (मिलियन (एसएम³)	वार्षिक गैस आवश्यकता: वर्ष 2013-13 में उत्पादन का स्तर (मिलियन (एसएम³) 2012-13	(मिलियन (एसएम³) 2013-14	(मिलियन (एसएम³) 2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बीवीएफसीएल-नामरूप-III	315000	281265	12.688	8200	487.40	435.21	435.21	435.21
2.	इफ्को-आंवला-I	864600	1091952	5.690	8200	599.95	757.71	757.71	757.71
3.	इंडो-गल्फ-जगदीशपुर	864600	1085358	5.534	8200	583.50	732.48	732.48	732.48
4.	कृभको-हजीरा	1729200	2135590	5.952	8200	1255.15	1550.13	1550.13	1550.13
5.	एनएफएल-विजयपुर-I	864600	966450	5.952	8200	627.57	701.50	701.50	701.50
6.	आरसीएफ-ट्राम्बे-V	330000	384110	9.569	8200	385.09	448.24	448.24	448.24
7.	एनएफसीएल-काकीनाडा-I	597300	787848	5.712	8200	416.07	548.80	548.80	548.80
8.	सीएफसीएल गढ़ेपान-I	864600	1035794	5.621	8200	592.67	710.02	710.02	710.02
9.	टीसीएल-बबराला	864600	1127421	5.417	8200	571.16	744.79	744.79	744.79
10.	केएसएफएल-शाहजहांपुर	864600	1008296	5.712	8200	602.27	702.36	702.36	702.36
11.	एनएफसीएल-काकीनाडा-II	597300	777954	5.712	8200	416.07	541.91	541.91	541.91
12.	इफ्को-आंवला-II	864600	1152829	5.522	8200	582.23	776.33	776.33	776.33
13.	एनएफएल-विजयपुर-II	864600	964860	5.712	8200	602.27	672.11	672.11	672.11
14.	केएफसीएल-कानपुर(*)	722800	722800	7.847	8200	691.68	691.68	691.68	691.68
15.	एसएफसी-कोटा	379500	385360	7.847	8200	363.16	368.77	368.77	368.77
16.	इफ्को-फूलपुर-I	551100	673102	7.584	8200	509.70	622.54	622.54	622.54
17.	एमसीएफएल-मंगलौर	379500	379500	7.356	8200	340.44	340.44	340.44	340.44
18.	एमएफएल-मद्रास	486750	435771	8.337	8200	494.88	443.05	443.05	443.05
19.	स्पिक-तूतीकोरिन	620400	481820	7.382	8200	558.51	433.76	433.76	433.76
20.	जेडआइएल-गोवा	399300	386718	7.308	8200	355.86	344.65	344.65	344.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	इफ्को-फुलपुर-II	864600	992011	5.883	8200	620.30	711.71	711.71	711.71
22.	सीएफसीएल-गढ़ेपान-II	864600	1055986	5.678	8200	598.68	731.21	731.21	731.21
23.	जीएनवीएफसी-भरूच	636900	708795	7.989	8200	620.51	690.56	690.56	690.56
24.	एनएफएल-नांगल	478500	471380	9.517	8200	555.35	547.09	547.09	547.09
25.	एनएफएल-बठिण्डा	511500	413794	10.221	8200	637.57	515.78	515.78	515.78
26.	एनएफएल-पानीपत	511500	394491	9.654	8200	602.20	464.44	464.44	464.44
27.	जीएसएफसी-बड़ौदा	370590	347206	6.935	8200	313.42	293.64	293.64	293.64
28.	इफ्को-कलोल	544500	600325	6.607	8200	438.72	483.70	483.70	483.70
29.	आरसीएफ-थाल	1706760	1951200	6.938	8200	1444.09	1650.91	1650.91	1650.91
30.	बीवीएफसीण्डल-नामरूप-II	240000	109428	12.61	8200	369.07	168.28	168.28	168.28
	योग	20754400	23309414		=	17236	18824	18824	18824
	एमएमएससीएमडी	(1 एमएमएससीएमडी=मिलियन $sm^3/330$)			=	52.23	57.04	57.04	57.04

टिप्पणी:

1. प्रति एसएम^3 एनसीवी को 8200 केकैल के रूप में विचार किया गया है।
2. वर्ष 2012-13 की गैस आवश्यकता की गणना उत्पादन के वास्तविक स्तर हेतु इकाइयों के पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानदण्डों के आधार पर की गई है।
3. वर्ष 2013-14 और 2014-15 की गैस आवश्यकता को वर्ष 2012-13 के प्रचालन के समान स्तर पर माना गया है क्योंकि किसी इकाई के विस्तार के संबंध में कोई सूचना ज्ञात नहीं है।
4. एनएफएल के तीन संयंत्रों और जीएनवीएफसी के एक संयंत्र को गैस में परिवर्तित किया गया है और वर्तमान में गैस की आवश्यकता को स्पॉट गैस की खरीद के जरिए पूरा किया जाता है।

विवरण II

क्र.सं.	कंपनी/इकाई का नाम	प्राकृतिक गैस की आवश्यकता			
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
	1	2	3	4	5
	आरसीएफ (ट्राम्बे इकाई)	0.91 (प्रतिदिन)	0.91 (प्रतिदिन)	0.91 (प्रतिदिन)	0.91 (प्रतिदिन)
	जीएसएफसी (बड़ौदा इकाई)	72 (वार्षिक)	72 (वार्षिक)	72 (वार्षिक)	72 (वार्षिक)
	जीएसएफसी (सिक्का इकाई)	8 (वार्षिक)	8 (वार्षिक)	8 (वार्षिक)	8 (वार्षिक)
	इफ्को (कांडला इकाई)	0.1 (प्रतिदिन)	0.1 (प्रतिदिन)	0.1 (प्रतिदिन)	0.1 (प्रतिदिन)
	कोरोमंडल	6 (वार्षिक)	8 (वार्षिक)	9 (वार्षिक)	9 (वार्षिक)
	फैक्ट	1.26 (प्रतिदिन)	1.28 (प्रतिदिन)	1.28 (प्रतिदिन)	1.28 (प्रतिदिन)

1	2	3	4	5
दीपक फर्टिलाजर्स (तजोला)	398 (वार्षिक)	398 (वार्षिक)	398 (वार्षिक)	398 (वार्षिक)
स्पिक (तूतीकोरिन)	0.25 (प्रतिदिन)	0.25 (प्रतिदिन)	0.25 (प्रतिदिन)	0.25 (प्रतिदिन
मंगलौर केमिकल्स	गैस मौजूद नहीं है।	गैस मौजूद नहीं है।	11 (वार्षिक)	22* (वार्षिक)
एमएफएल	0.3 (प्रतिदिन)	1.0 (प्रतिदिन)	1.54 (प्रतिदिन)	1.54 (प्रतिदिन)

*वर्ष 2014-15 में विस्तार की आवश्यकता सहित (मौजूदा 11+विस्तारित 11)

विवरण III

क्र.सं.	इकाई का नाम	12-13	13-14	14-15	पाइपलाइन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
नाफ्था आधारित इकाई					
1.	जुआरी इंडस्ट्रीस लिमिटेड	1.28	1.28	1.28	जोड़ दी गई। डीबीपीएल के जरिए गैस आपूर्ति जनवरी 2013 में शुरू हुई थी।
2.	एमसीएफएल-मंगलौर		1.00	1.00	केकेएमबीपीएल के जरिए संयोजनकता। पाइपलाइन के पूरा होने की संभावित तारीख 2015 के अंत तक है।
3.	एमएफएल मणलि		1.54	1.54	एमएफएल के साथ गैस पारेषण करार (जीटीए) पर चर्चा चल रही है। केकेएमबीएल से पाइपलाइन विस्तार के निर्देश सरकार से प्राप्त होने हैं।
4.	फैक्ट-उद्योगमंडल		0.94	0.94	जोड़ दी गई। केकेएमबीपीएल (चरण-I) के जरिए गैस आपूर्ति जोड़ दी गई।
5.	कानपुर फर्टिलाइजर एंड सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड		1.7	1.7	औरिया-जगदीशपुर पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति। उन्नयन अप्रैल 2013 में शुरू हुआ।
6.	स्पिक तूतीकोरिन		1.0	1.0	स्पिक के साथ जीटीए पर हस्ताक्षर किए गए। पूर्व शर्तों (सीपी) के संतोषजनक पाए जाने के बाद पाइपलाइन संयोजकता का कार्य शुरू होगा।
योग नाफ्था आधारित संयंत्र		1.28	8.12	8.12	
ईंधन तेल आधारित इकाई					
7.	एनएफएल-पानीपत	0.9	0.9	0.9	जोड़ दी गई। डीबीएनपीएल के जरिए गैस आपूर्ति नवम्बर 2012 के दौरान शुरू हुई।

1	2	3	4	5	6
8.	एनएफएल-नांगल	1	1	1	जोड़ दी गई। डीबीएनपीएल के जरिए गैस आपूर्ति नवम्बर 2012 के दौरान शुरू हुई।
9.	एनएफएल-बठिण्डा	0.9	0.9	0.9	जोड़ दी गई। डीबीएनपीएल के जरिए गैस आपूर्ति नवम्बर 2012 के दौरान शुरू हुई।
10.	जीएनवीएफसी, भरूच	0.95	0.95	0.95	डीवीपीएल-उन्नयन के जरिए जोड़ी गई। गैस आपूर्ति प्रारंभ।
	ईंधन तेल आधारित संयंत्रों का योग	3.8	3.8	3.8	

पाइपलाइन में होने वाले संक्षिप्त रूप का प्रयोग:
डीवीपीएल: दाहेज विजयपुर पाइपलाइन
डीबीएनपीएल: दादरी बवाना नांगल पाइपलाइन
डीबीपीएल: दाभौल-बंगलौर पाइपलाइन
केकेएमबीपीएल: कोच्चि-कूटलनाड-मंगलौर-बंगलौर-पाइपलाइन

इकाइयों/आवश्यकता की अनुसूची पर विचार करते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना के मांग आंकड़ों में संशोधन किया गया।

[अनुवाद]

डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार

2820. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रतिष्ठान ने पिछले कई वर्षों से किसी व्यक्ति/संगठन को डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार और डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इतने लंबे समय से ये पुरस्कार प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नोक्त योजनाएं तथा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

(i) बाबासाहेब अम्बेडकर परियोजना के संगृहीत कार्य (सीडब्ल्यूबीए),

(ii) प्रतिवर्ष संसद प्रांगण में डॉ. अम्बेडकर का जन्म दिवस मनाना तथा उनकी पुण्यतिथि पर मौन रखना,

(iii) माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं के मेधावी छात्रों के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार,

(iv) डॉ. अम्बेडकर चिकित्सा सहायता योजना,

(v) अनुसूचित जाति के अत्याचार पीड़ितों को अम्बेडकर राष्ट्रीय राहत,

(vi) डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता स्कीम, और

(vii) विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में डॉ. अम्बेडकर पीठ।

(ख) और (ग) **डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार:** सामाजिक समझ तथा कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु वर्ष 1998 हेतु डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, वर्ष 2000 में अंतिम बार कस्तूरबा गांधी कन्या गुरुकुलम, वेदरनियम, तमिलनाडु को दिया गयाा था। इसके बाद, 2010 तक यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जा सका।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा 2011 हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए थे। तथापि, वर्ष 2011 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ता (कर्ताओं) के चयन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार: वर्ष 2000 के लिए सामाजिक परिवर्तन के लिए डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अंतिम बार स्पेन के श्री रेमी फर्नान्ड क्लौडे स्तोरे को वर्ष 2002 में दिया गया था। इसके बाद कोई पुरस्कार नहीं दिया जा सका।

बाढ़-प्रवण कृषि क्षेत्र

2821. श्री संजय धोत्रे:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बाढ़-प्रवण कृषि क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कृषि क्षेत्रों में विकास दर का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे कृषि क्षेत्रों के किसानों को पर्याप्त सहायता/राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) बाढ़-प्रबंधन एवं क्षेत्र विशिष्ट मालों पर 12वीं योजना से संबंधित कार्य दल ने देश में अधिकतम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में 49. 815 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की सूचना दी है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया।

(घ) और (ङ) कृषि विकास दर का मूल्यांकन पूरे राज्य के लिए किया जाता है, न कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए अलग से किया जाता है। चूंकि कृषि राज्य का विषय हे, अत: राज्य सरकारे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि विकास के उपायों को नियोजित, वित्त पोषित और निष्पादित करती है। भारत सरकार राष्ट्रीय विकास योजना (आरकेवीवाई), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्री बागबानी मिशन (एनएचएम) आदि विभिन्न स्कीमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयोसों में सहायता करती है।

इसके अलावा भारत सरकार उन किसानों को जिन्हें बाढ़ के कारण 50 प्रतिशत या उससे अधिक की फसल हानि हुई है को आदान राजसहायता के रूप में वर्तमान प्रतिमानों एव प्रक्रियाओं के अनुसार राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है।

विवरण

बाढ़ प्रबंधन एवं क्षेत्र विशिष्ट मसलों पर बारहवीं योजना से संबंधित कार्य समूह को राज्यों द्वारा सूचित बाढ़ संभावित क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य	अधिकतम प्रभावित क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर) (एमएचए)
1	2	3
1.	आध्र प्रदेश	9.040
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.207
3.	असम	3.820
4.	बिहार	4.986
5.	छत्तीसगढ़	0.089
6.	दिल्ली	0.458
7.	गोवा	0.000
8.	गुजरात	2.050
9.	हरियाणा	1.000
10.	हिमाचल प्रदेश	2.870
11.	जम्मू और कश्मीर	0.514
12.	झारखंड	0.000
13.	कर्नाटक	0.900
14.	केरल	1.470
15.	मध्य प्रदेश	0.377
16.	महाराष्ट्र	0.391
17.	मणिपुर	0.080

1	2	3
18.	मेघालय	0.095
19.	मिजोरम	0.541
20.	नागालैंड	0.009
21.	ओडिशा	1.400
22.	पंजाब	2.790
23.	राजस्थान	3.260
24.	सिक्किम	1.170
25.	तमिलनाडु	1.466
26.	त्रिपुरा	0.330
27.	उत्तर प्रदेश	7.340
28.	उत्तराखंड	0.002
29.	पश्चिम बंगाल	3.080
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.030
31.	चंडीगढ़	
32.	दादरा और नगर हवेली	
33.	दमन और दीव	
34.	लक्षद्वीप	
35.	पुदुचेरी	0.050
	कुल	49.815

स्रोत: बाढ़ प्रबंधन एवं क्षेत्र विशिष्ट मसलों पर बारहवीं योजना से संबंधित कार्य समूह की रिपोर्ट दिसम्बर, 2011, वर्ष 2003 से आगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के आंकड़ों को राज्यों से जांच कराए बिना उपयोग किया गया।

नि:शक्त जनों को भूमि का आबंटन

2822. श्री पूर्णमासी राम:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 में यह उपबंध किया गया है कि समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण व्यवसाय, गृह आदि के स्थापन हेतु रियायती दर पर भूमि के अधिमानित आबंटन के संबंध में नि:शक्तजनों के हित में संबंधित अधिसूचना जारी करते हुए योजनाएं बनाएंगे;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा इस प्रयोजनार्थ नि:शक्त व्यक्तियों के हित में बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में समुचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा व्यवसाय व गृह आदि के स्थापन के लिए रियायती दर पर कितने नि:शक्त व्यक्तियों को भूमि का आबंटन किया गया है;

(घ) क्या मुख्य आयुक्त, नि:शक्तजन कार्य और दिल्ली के आयुक्त (नि:शक्तता), को नि:शक्तजनों को व्यवसाय, गृह आदि में स्थापन के लिए रियायती दर पर भूमि का अधिमानित आबंटन करने हेतु योजनाएं न बनाए जाने के संबंध में शिकायते प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) जी, हां।

(ख) नि:शक्तजनों के लिए दुकानों/स्टालों के आबंटन में 3% का आरक्षण संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार, नि:शक्त व्यक्तियों के लिए 5% दुकान/स्टाल आरक्षित किए जाते हैं, जैसा कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 में उल्लिखित है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के माध्यम से आरक्षित कीमत पर दुकानों का आबंटन किया जाता है।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा सूचना का केन्द्रीय रूप से रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(घ) और (ङ) मुख्य आयुक्त, नि:शक्तजन कार्यालय ने यह बताया है कि इसे दिल्ली में विगत तीन वर्षों के दौरान व्यवसाय, मकानों इत्यादि के निर्माण हेतु नि:शक्त व्यक्तियों को रियायती दरों पर भूमि के अधिमानी आबंटन के लिए योजनाओं को तैयार किए जाने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि, वर्ष 2003 में, मुख्य आयुक्त, नि:शक्तजन ने दिनांक 27.6.2003 के अपने आदेश के तहत वर्ष 1999 में प्राप्त शिकायत

के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को रियायती दर पर मकानों/भूमि के अधिमानी आबंटन हेतु नि:शक्तजनों के पक्ष में योजना तैयार करने के लिए निदेश दिया था। तदनुसार, दिनांक 19.4.2004 को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तदनुपरांत नि:शक्त व्यक्तियों के मकानों/भूमि के वरीय आबंटन के लिए नीति तैयार की।

इसके बाद, शहरी विकास मंत्रालय (दिल्ली प्रभाग) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की उक्त नीति की समीक्षा की तथा नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 43 के संदर्भ में नि:शक्तजनों को मकान/भूमि के अधिमानी आबंटन हेतु मौजूदा नीति तैयार की।

आयुक्त (विकलांगता), दिल्ली द्वारा प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे के बारे में, इस मंत्रालय द्वारा सूचना का केन्द्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है।

भूमि की प्रतिपूर्ति

2823. श्री विष्णु पद राय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए.) सरकार के कार्यकाल के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में तटीय भूमि के कटाव और/या कंकड़ पत्थरों के जमाव के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से अपनी भूमि खो देने वाले व्यक्तियों को वैकल्पिक प्रतिपूरक भूमि देने के लिए द्वीप विकास प्राधिकारण संबंधी एक स्थायी समिति की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने इस ओर क्या कार्रवाई की है; और

(ग) भूमि खोने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति और प्रतिपूरक भूमि कब तक दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस मामले को दिनांक 17 अक्तूबर, 2001 को आयोजित द्वीप विकास प्राधिकरण की स्थायी समिति की 8वीं बैठक में उठाया गया था और यह निर्णय लिया गया कि अंडमान एवं निकोबार प्रशासन खारे जल के प्रवेश, तटबंध अपरदन आदि के कारण खो गई भूमि तथा प्रभावित किसानों की संख्या के साथ-साथ सामुदायिक भूमि को छोड़कर भूमि की उपलब्धता, जो प्रभावित लोगों को आबंटित की जा सकती है, का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण करायेगा। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती 42 अधिवासियों के विस्तारित परिवार को वासभूमि उपलब्ध कराने के लिए भूमि की आवश्यकता का पता लगाया जाना था। स्थायी समिति के निर्णय के आलोक में निम्नलिखित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाना अपेक्षित था:

- अतिरिक्त 9 पॉकेटों में पूर्ववर्ती 78 अतिक्रमणकर्ताओं के लिए भूमि की व्यवस्था।
- उत्तरवर्ती 78 अतिक्रमणकर्ताओं के लिए भूमि की व्यवस्था तथा विस्तारित परिवार अधिवासियों को वासभूमि का आबंटन।
- अधिवासियों के आबंटन में कमी की क्षतिपूर्ति करने के लिए भूमि की आवश्यकता।
- मृदा अपरदन/कंकड़ पत्थरों के जमाव के कारण खो गई भूमि के स्थान पर वैकल्पिक आबंटन के लिए भूमि।

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने उन उत्तरवर्ती 78 वन अतिक्रमणकर्ताओं के लिए एक पुनर्वास पैकेज तैयार किया है, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के डब्ल्यू.पी.(सी). नं. 202 में दिनांक 7.5.2002 के आदेश में निहत निदेश के अनुसार बेदखल किया जाना था। इस पुनर्वास पैकेज में, वन अतिक्रमण के बेदखलियों के लिए 1.00 हेक्टेयर भूमि का आबंटन तथा नगद प्रोत्साहन शामिल है। इस पुनर्वास पैकेज को लोकल बॉर्न्स एसोसिएशन द्वारा 2003 की एसएलपी संख्या 18030 के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनर्वास पैकेज पर रोक लगा दी।

अंडमान और निकोबार प्रशासन ने उत्तरवर्ती 78 वन अतिक्रमणकर्ताओं के लिए पुन: स्थाननिर्धारण के लिए एक अन्य बंदोबस्त योजना तैयार की। भूमि की व्यवस्था से संबंधित यह योजना दिनांक 12.6.2007 को गृह मंत्रालय में भेजी गई। यह योजना, ग्रामीण क्षेत्र में 340 वर्ग मीटर भूमि तथा शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर भूमि में उत्तरवर्ती 78 राजस्व अतिक्रमणकर्ताओं के नियमितीकरण के माध्यम से उत्तरवर्ती 78 वन अतिक्रमणकर्ताओं को बसाने के लिए तैयार की गई थी। राजस्व अतिक्रमणकर्ताओं की भूमि के नियमितीकरण के पश्चात् राजस्व अतिक्रमणकर्ताओं के कब्जे में मौजूद अधिक भूमि वापस ली जानी थी और खाली कराई गई भूमि में उत्तरवर्ती 78 वन अतिक्रमणकर्ताओं को आबंटन प्रदान किया जाना था।

भूमि व्यवसाय की यह योजना दिनांक 26.6.2009 को मंत्रालय द्वारा यह प्रमाणित किए जाने के अध्यधीन कि इस विषय पर किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक-आदेश पारित नहीं किया गया है या भूमि-व्यवस्था संबंधी इस प्रस्तावित योजना पर किसी न्यायालय के आदेश/निदेश के तहत रोक नहीं लगाई गई है, अनुमोदित की गई।

प्रशासन ने आवास सहित विभिन्न विकास और सुरक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिए भूमि की आवश्यकता का आकलन किया। कुल आवश्यकता 11280.33 हेक्टेयर की थी जो केवल अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के पास उपलब्ध राजस्व भूमि (वन माने गए), जो मूलत: भविष्य में होने वाली विकास संबंधी गतिविधियों के लिए निर्धारित की गई थीं, से पूरी हो सकती है।

भूमि संबंधी प्रमुख आवश्यकताओं में निम्नलिखित के लिए भूमि शामिल है:

i. रक्षा-2111.17 हेक्टेयर

ii. आवास-2500 हेक्टेयर

iii. पोर्ट ब्लेयर मास्टर प्लान-2294 हेक्टेयर

iv. पर्यटन-656 हेक्टेयर

v. नगार विमानन-591 हेक्टेयर

vi. इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल-525 हेक्टेयर।

आबंटन हेतु उपलब्ध राजस्व भूमि काफी कम है और इसलिए माने गए वन का उपयोग भविष्य के आबंटनों के लिए किया जाना अपरिहार्य है। राजस्व भूमि के अंतर्गत माने गए वन के 16275. 5 हेक्टेयर का सर्वेक्षण करने के बाद, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने माने गए वन के 16275.5 हेक्टेयर के उपयोग के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति हेतु वर्ष 2010 का वादकालीन आवेदन (इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन) 2784 दायर किया है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन के बिना, वन संबंधी गतिविधियों से इतर गतिविधियों के लिए माने गए वन के उपयोग की अनुमति नहीं है।

वर्ष 2010 के आईए 2784 का निपटान अभी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाना है और इसलिए भूमि के आबंटन से संबंधित प्रस्ताव अभी लंबित है।

(ग) मामला निर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

राजभाषा संबंधी समिति

2824. श्री रतन सिंह:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 18 जनवरी, 1968 के राजभाषा संकल्प की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए किसी उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति का गठन कब किया गया तथा उसके सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त संकल्प के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बांग्लादेशियों को वीजा

2825. श्री रमेन डेका: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों को कितने वीजा दिए गए;

(ख) क्या इस बात का कोई रिकार्ड है कि सभी वीजाधारी बांग्लादेशी नियत समय में वापिस लौट गए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें वापिस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों को प्रदान किए गए वीजा की कुल संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष (अवधि)	प्रदान किए गए वीजा की संख्या
2010-11	4,48,915
2011-12	4,81,810
2012-13	4,83,464

(ख) और (ग) 31.12.2012 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार मान्य यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत आने वाले 16,530 बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अधिक समय तक रहते पाया गया।

(घ) देश में गैर-कानूनी प्रवास का पता लगाना और संबंधित निर्वासन करना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। केंद्र सरकार के पास विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2) (ग) के अंतर्गत देश में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे किसी विदेशी नागरिक को निर्वासित करने का अधिकार प्राप्त है। गैर-कानूनी तरीके से रह रहे ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने के अधिकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी दिए गए हैं। गैर-कानूनी बांग्लादेशी प्रवासियों का पता लगाने एवं उनके निर्वासन के लिए एक संशोधित कार्यविधि भी तैयार की गई और इसे नवंबर, 2009 में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किया गया, जिसमें फरवरी, 2011 में आंशिक संशोधन किया गया। इस कार्यविधि में अनधिकृत तरीके से भारत में प्रवेश करते समय सीमा पर पकड़े जाने वाले गैर-कानूनी प्रवासियों को उसी स्थान से तत्काल वापिस भेजना शामिल है।

[हिन्दी]

पुलिस प्रणाली में सुधार

2826. श्री विलास मुत्तेमवारः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में योजना आयोग से पुलिस प्रणाली में सुधार करने और पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रत्यर्पण संधि

2827. डॉ. पी. वेणुगोपालः क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और थाईलैंड के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि हुई है जिसमें धनशोधन तथा आतंकवाद का वित्तपोषण करने संबंधी आसूचचना इनपुट का विनिमय करने तथाा सजायाफ्ता व्यक्तियों के हस्तांतरण पर संधि का अनुसमर्थन करने संबंधी समझौता ज्ञापन शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ इस प्रकार की संधियां हुई हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) दिनांक 30-31 मई, 2013 को माननीय प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा के दौरान बैंकाक में भारत तथा थाईलैंड के बीच एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों द्वारा अनुसमर्थन के उपरांत संधि लागू होगी तथा इससे वित्तीय अपराधों के दोषियों सहित फरार अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए एक पुख्ता विधायी ढांचा उपलब्ध होगा।

धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग एवं समन्वय को बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 30.5.2013 को थाईलैंड में भारतीय वित्तीय आसूचना यूनिट (एफआईयू-आईएनडी) ने एंटी मनी लॉड्रिंग ऑफिस (एएमएलओ), फाइनेनशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ थाईलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार तथा थाईलैंड सरकार के बीच सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण संबंधी एक करार पर दिनांक 25 जनवरी, 2012 को हस्ताक्षर किए गए हैं तथा दिनांक 30 मई, 2013 को अनुसमर्थन संबंधी लिखित का आदान-प्रदान किया गया है।

(ग) फिलहाल भारत तथा निम्नलिखित देशों के बीच 35 प्रत्यर्पणा संधियां लागू हैं:

ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेलारूस, बेल्जियम, भूटान, बुल्गारिया, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, कोरिया गणतंत्र, कुवैत, मलेशिया, मॉरीशस, मेक्सिको, मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैंड, ओमान, पोलैंड, पुर्तगाल, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्विटजरलैंड, तजाकिस्तान, टर्की, ट्यूनिशिया, यू.के., यू.एस.ए., उजबेकिस्तान, यू.ए.ई. तथा यूक्रेन।

भारत ने 10 देशों नामतः फिजी, इटली, पुपुआ न्यू गुआना, सिंगापुर, श्रीलंका, स्वीडन, तंजानिया, थाईलैंड, क्रोएशिया तथा पेरु के साथ पारस्परिक प्रत्यर्पण समझौते भी किए गए हैं।

एफआईयू-आईएनडी ने धन शोधन तथा आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी आसूचना जानकारी (इनपुट) के आदान-प्रदान के लिए 23 देशों/अधिकारिताओं नामतः ऑस्ट्रेलिया, बरमूडा, ब्राजील, कनाडा, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, इजरायल, जापान, मलेशिया, मॉरीशस, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपींस, पोलैंड, रूस, सैन मैरिनो, सिंगापुर, श्रीलंका, यू.एस.ए., थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मोंटेनेग्रो तथा गुअर्नसे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत सरकार ने अब तक 18 देशों अर्थात् यूनाइटेड किंगडम, मॉरीशस, बुल्गारिया, कम्बोडिया, इजिप्ट, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ईरान, सऊदी अरब, यू.ए.ई., मालदीव, इजरायल, थाईलैंड, टर्की, बोस्निया तथा हरजोगोविना एवं इटली के साथ सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

उपभोक्ता अदालतें

2828. श्री कमल किशोर 'कमांडो':
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुल कितनी उपभोक्ता अदालतें काम कर रही हैं और कितनी बंद पड़ी हैं;

(ख) इन अदालतों में कुल कितने न्यायाधीश तैनात हैं और इनमें राज्य-वार न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं तथा उपभोक्ता अदालतों में इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कितने मामले पंजीकृत, निपटाए गए और लंबित हैं तथा इन अदालतों के कार्यकरण में सुधार करने और लंबित उपभोक्ता मामलों के निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) राष्ट्रीय आयोग और सभी 35 राज्य आयोग कार्य कर रहे हैं। जहां तक जिला उपभोक्ता मंचों का संबंध है, देश में कुल 641 जिला उपभोक्ता मंचों में से 613 कार्य कर रहे हैं और 28 कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) जहां तक राष्ट्रीय आयोग का संबंध है न्यायिक सदस्यों (अध्यक्ष सहित) की कुल स्वीकृत संख्या छः है, जिसमें से एक पद रिक्त है। राज्य आयोग और जिला मंच के अध्यक्ष सहित सदस्यों की रिक्तियों की राज्य-वार स्थिति विवरण में दी गई है। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों और राज्य आयोगों के अध्यक्षों नियमित रूप से पत्र लिखते रहते हैं तथा सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग राज्य आयोगों और जिला मंचों के अध्यक्षों और सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को नियमित रूप से पत्र लिख रहे हैं।

(ग) राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों और जिला मंचों में दर्ज किए गए, निपटाए गए, और लंबित मामलों की संख्या निम्नलिखित तालिका के अनुसार हैं

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	आरंभ से दायर किए गए मामले	आरंभ से निपटाए गए मामले	लंबित मामले
1.	राष्ट्रीय आयोग	82612	71915	10697
2.	राज्य आयोग	611051	515415	95636
3.	जिला मंच	3304141	3046395	257747
	कुल	3997804	3633724	364080

इन न्यायालयों के कार्यकरण में सुधार लाने और लंबित उपभोक्ता मामलों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय आयोग देश भर में उपभोक्ता मंचों के कार्यकरण के मूल्यांकन करने और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों के अध्यक्षों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपभोक्ता मामले के प्रभारी सचिवों के साथ वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है।

(ii) मामले के तुरंत निपटान के लिए कुछ राज्यों में निम्नलिखित तालिका के अनुसार अतिरिक्त/सर्किट पीठें कार्य कर रही हैं:

क्र.सं.	राज्य और बैंच	
1.	गुजरात	(3 अतिरिक्त पीठ)
2.	हरियाणा	(1 अतिरिक्त पीठ)
3.	महाराष्ट्र	(2 सर्क्रिक पीठ)
4.	उत्तर प्रदेश	(1 अतिरिक्त पीठ)
5.	पश्चिम बंगाल	(1 अतिरिक्त पीठी)
6.	मध्य प्रदेश	(1 अतिरिक्त पीठ)
7.	पंजाब	(1 अतिरिक्त पीठ)

(iii) कुछ राज्य आयोग और जिला मंच मामलों के तुरंत निपटान के लिए लोक अदालत आयोजित करने की प्रक्रिया अपना रहे हैं।

विवरण

राज्य आयोगों तथा जिला फोरमों में रिक्त पदों के संबंध में जानकारी

(दिनांक 1408.2013 को अद्यतन)

क्र.सं.	राज्य	राज्य आयोग		जिला फोरम		तारीख तक
		अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य	
1	2	3	4	5	6	7
	राष्ट्रीय आयोग	0	1			31.07.2013
1.	आंध्र प्रदेश	1	0	11	9	30.06.2013
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	31.3.2006
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	14	30.04.2013
4.	असम	0	1	1	9	31.12.2012
5.	बिहार	0	1	3	15	31.03.2013
6.	चंडीगढ़	0	1	1	0	30.06.2013
7.	छत्तीसगढ़	0	1	2	13	30.06.2013
8.	दमन और द्वीव तथा दादरा और नगर हवेली	0	0	0	2	31.03.2011
9.	दिल्ली	0	1	0	1	30.06.2013
10.	गोवा	0	0	0	1	30.06.2013
11.	गुजरात	0	0	4	2	30.06.2013
12.	हरियाणा	0	1	0	4	30.06.2013
13.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	3	30.06.2013
14.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	31.12.2011
15.	झारखंड	0	0	7	14	30.06.2013

1	2	3	4	5	6	7
16.	कर्नाटक	0	1	11	23	30.06.2013
17.	केरल	0	1	0	1	31.05.2012
18.	लक्षद्वीप	1	1	0	1	30.06.2013
19.	मध्य प्रदेश	0	1	0	12	31.05.2013
20.	महाराष्ट्र	1	2	33	54	31.03.2013
21.	मणिपुर	0	0	0	1	31.12.2008
22.	मेघालय	1	0	0	1	31.10.2012
23.	मिजोरम	0	0	0	0	08.03.2010
24.	नागालैंड	0	0	0	0	31.12.2011
25.	ओडिशा	0	1	2	3	31.05.2013
26.	पुदुचेरी	0	0	1	0	31.12.2012
27.	पंजाब	0	1	4	4	30.04.2013
28.	राजस्थान	0	0	11	3	31.05.2013
29.	सिक्किम	0	0	0	4	31.12.2012
30.	तमिलनाडु	0	1	10	33	30.06.2013
31.	त्रिपुरा	1	0	0	0	30.06.2013
32.	उत्तर प्रदेश	0	0	4	10	30.04.2013
33.	उत्तराखंड	0	0	0	5	30.06.2013
34.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	31.12.2012
	कुल	5	15	105	242	

[अनुवाद]

सीमा विवाद

2829. डॉ. थोकचोम मैन्या:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मणिपुर बॉर्डर के साथ लगे भारत और म्यांमार की सीमा के संबंध में कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं; और

(ङ) इस मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और भारत तथा म्यांमार के बीच सीमा रेखा से संबंधित कोई विवाद नहीं है। तथापि, भारत-म्यांमार सीमा के मणिपुर क्षेत्र पर 9 अनसुलझे सीमा खंभे (पिलर) हैं। दोनों देशों के सर्वेक्षण विभाग सीमांकन करने की प्रक्रिया में है और मुद्दे का समाधान कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) भारत और बांग्लादेश के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है। तथापि, सीमांकन न किए गए भाग, विदेशी अंत:क्षेत्रों तथा भूमि के प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कुछ मुद्दों को सुलझाया जाना है।

बांग्लादेश के साथ सीमावर्ती सीमा पर कुल 6.1 किमी. की दूरी के सीमांकित न किए गए भाग हैं। भारतीय भूमि का प्रतिकूल कब्जा, बांग्लादेश द्वारा प्रतिकूल रूप से कब्जा की गई, 2595.67 एकड़ है भारत द्वारा प्रतिकूल रूप से कब्जा की गई बांग्लादेश की भूमि 3068.44 एकड़ है। भारत को मिलने वाले 51 बांग्लादेशी विदेशी अंत:क्षेत्र भारत में हैं और 111 विदेशी अंत:क्षेत्र बांग्लादेश में हैं जिन्हें बांग्लादेश को हस्तांतरित किया जाना है।

सितम्बर, 2011 में प्रधानमंत्री के बांग्लादेश के दौरे के दौरान हस्ताक्षरित भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा के सीमांकन और संबंधित मामलों से संबंधित "भारतर सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच समझौता प्रोटोकाल" का भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया है। प्रोटोकाल का दोनों देशों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना है और यह अनुसमर्थन के दस्तावेज के आदान-प्रदान की तिथि से लागू होगा।

जाली पासपोर्ट

2830. प्रो. सौगत राय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जाली पोसपोर्ट के कितने मामले सामने आए हैं;

(ख) क्या उन व्यक्तियों को नए पासपोर्ट जारी करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने जाली पासपोर्ट प्राप्त किए हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिनांक 30.6.2013 तक) के दौरान आप्रवासन ब्यूरो द्वारा नियंत्रित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पकड़े गए जाली पासपोर्टों के मामलों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या
2010	583
2011	389
2012	440
2013 (दिनांक 30.6.2013 तक)	402

(ख) जाली पासपोर्ट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नए पासपोर्ट जारी करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

घुमंतू जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं

2831. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घुमंतू जनजातियों के लिए बनाई गई कल्याण योजनाएं देश में अधिसूचित और घुमंतू जनजाति जनसंख्या को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित देश में इन जनजातियों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की गई योजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी की गई, तथा उनके द्वारा उपयोग की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन जनजाति समूहों को आश्रय और अन्य लाभ मुहैया कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याया और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार ने विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं।

बड़ी संख्या में विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों (डीएनटी) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों की सूची में अथवा विभिन्न राज्यों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित हैं, जो उन्हें अन्य बातों के साथ आश्रय सहित अपनी-अपनी श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक अधिकार और उपलब्ध अन्य लाभ का अधिकार प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय की राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति/पारगमन अनुदान योजना में डीएनटी के लिए दो छात्रवृत्तियां आरक्षित हैं।

दवाओं की कीमत

2832. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या व्यापक रूप से

उपयोग होने वाली दवाओं सहित तकरीबन 652 संपाकों की कीमतें जुलाई, 2013 तक 50 प्रतिशत तक कम हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महत्त्वपूर्ण दवाओं को और अधिक वहनीय बनाने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में भेषज कंपनियों ने टायकर्ब की कीमत घटाकर एक-तिहाई कर दी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) सरकार द्वारा इस तरह से निर्धारित और अधिसूचित उच्चतम मूल्य (स्थानीय करों यथा लागू को जोड़कर) से अधिक मूल्य पर अनुसूचित फार्मूलेशनों के ब्रांडेड अथवा जेनरिक अथवा दोनों रूपों को बेचने वाले अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के सभी मौजूदा विनिर्माता सभी ऐसे फॉर्मूलेशनों के मूल्यों में कमी करेंगे जो उच्चतम मूल्य (स्थानीय करों यथा लागू को जोड़कर) से अधिक नहीं होंगे। इस तरह से निर्धारित और अधिसूचित उच्चतम मूल्य (स्थानीय करों यथा लागू को जोड़कर) से निम्नतर मूल्य पर अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के ब्रांडेड अथवा जेनरिक अथवा दोनों रूपों को बेचने वाले अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के सभी मौजूदा विनिर्माता अपने मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य को बनाए रखेंगे। एनपीपीए ने अब तक डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 300 फॉर्मूलेशनों के उच्चतम मूल्य अधिसूचित किए हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वसैनिकों का पुनर्नियोजन

2833. श्री अभिजीत मुखर्जी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सहायक/केन्द्रीय बल बनाकर सशस्त्र बलों तथा केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों से तुलनात्मक रूप से कम आयु में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर पुनर्नियोजित करने की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक सहायक/केन्द्रीय बल का गठन करके सशस्त्र बलों और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों से तुलनात्मक रूप से कम आयु में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पुनर्नियोजित करने की कोई नहीं है।

तथापि, खतरनाक आपदा स्थिति अथवा आपदा आने पर विशेषज्ञतापूर्ण कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एनडीआरएफ) का सृजन किया गया है। एनडीआरएफ के कार्मिकों को विभिन्न केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीआरपीएफ) से उनके पांच वर्ष के निर्धारित कार्यकाल के पूरा होने के पश्चात् प्रतिनियुक्ति आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए और उपलब्ध कार्मिक शक्ति के 20% कार्मिकों को प्रतिवर्ष बारी-बारी से लिया जाता है।

सीमा सड़क का निर्माण

2834. श्री हरिन पाठक:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में गाधुली-हाजीपुर-संतालपुर मार्ग के निर्माण की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) भारत सरकार ने गुजरात राज्य में गाधुली-संतालपुर मार्ग के निर्माण को अनुमोदित कर दिया है। 550 करोड़ रु. की अनंतिम लागत के साथ इस परियोजना का अनुमोदन लगभग 255.013 किलोमीटर है और इस परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-12 के आरंभ से 5 वर्षों के अंदर पूरा किया जाना है। इसमें से 132.367 किलोमीटर विद्यमान बी.टी. परत (सरफेस) मार्ग है और 122.646 किलोमीटर मिसिंग लिंक है।

विद्यमान बी.टी. परत की लंबाई

• कुल 132.67 किलोमीटर वाले 6 खंडों के विद्यमान बी.टी. परत मार्ग को अद्यतन करने और सुदृढ़ करने और 124.34 करोड़ रु. की लागत हेतु प्रशासनिक अनुमोदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया था। कार्य पूर्ण कर लिया है।

मिसिंग लिंक हेतु

• 122.646 किलोमीटर की लंबाई वाले कुल मिसिंग लिंक में से 39.77 किलोमीटर मार्ग वन्य जीवन अभ्यारण से गुजरता है (34.97 किलोमीटर कच्छ वन्य जीवन रेगिस्तान क्षेत्र से गुजरता है और 4.76 किलोमीटर वन्य जीवन अभ्यारण्य क्षेत्र से गुजरता है)। इसलिए गुजरात सड़क एवं भवन (आरएंडबी) विभाग ने 581.09 करोड़ रु. वाली मिसिंग लंबाई (122.646 कि.मी.) हेतु संशोधित डीपीआर तकनीकी अनुमोदन हेतु अपर महानिदेशालय (सीमा), सीपीडब्ल्यूडी, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया है। संशोधित प्रस्ताव सभी बाधाओं से मुक्त है और वह वन/वन्य जीवन क्षेत्र में नहीं आता है।

[हिन्दी]

मछुआरों का प्रशिक्षण

2835. श्री मकनसिंह सोलंकी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बांध बनाने से निर्मित हुए जलाशयों और झीलों में मत्स्यन के लिए मछुआरों को प्रशिक्षण देने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना मत्स्य पालन के लिए इकाइयों की स्थापना करने की है;

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन इकाइयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) बांध बनाने से निर्मित जलाशयों तथा झीलों में मत्स्यन के लिए मछुआरों को प्रशिक्षण देने के लिए ऐसी कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और विस्तार एक घटक है जिसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को मानव संसाधन विकास कार्यशालाओं/सेमिनारों के आयोजन आदि के लिए तथा मत्स्य पालक प्रशिक्षण और जागरूकता केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) भी जलाशय प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और जलकृषि प्रसंस्करण और विस्तार संबंधी विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करता है।

(ग) से (ङ) सरकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना: 'अन्तर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास' योजना है जिसके अन्तर्गत मीठा जलकृषि, खारा जल जलकृषि नदीय मात्स्यिकी, जलाशय मात्स्यिकी के विकास आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड भी पोखरों और तालाबों में गहन जलकृषि, ताजा जल सजावटी मात्स्यिकी, जलाशय मात्स्यिकी विकास तटीय जलकृषि आदि के लिए सहायता देता है। ये योजनाएं राज्यों द्वारा मांग आधारित हैं न कि स्थान विशिष्ट।

विमानपत्तनों को खतरा

2836. श्री राकेश सिंह:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विमानपत्तनों पर आतंकी हमलों संबंधी आसूचना इनपुट प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विमानपत्तनों पर संभावित आतंकी हमलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं/जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

जगदलपुर दूरदर्शन केन्द्र पर नक्सली हमला

2837. श्रीमती अश्वमेध देवी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि मई, 2013 के दौरान जगदलपुर दूरदर्शन केन्द्र पर नक्सली हमला हुआ था जिसमें तीन जवान मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सुरक्षा प्रबंधनों की कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आसूचना तंत्र इस संबंध में पूर्व सूचना देने में नाकाम रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस नाकामी के पीछे क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) दिनांक 12.05.2013 को सीपीआई (माओवादी) काडरों ने ग्राम मरेन्गा, पुलिस थाना पारमा, बस्तर, छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन रिले प्रसारण केन्द्र पर हमला कर दिया जिसमें छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (सीएएफ) के 03 पुलिस कार्मिक मारे गए। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची।

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 147, 148, 149, 302, 307 आयुध अधिनियम की धारा 25, 27, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 की धारा 23, 38 (2), 39 (2) के तहत एक आपराधिक मामला संख्या 86/13 दर्ज किया गया है तथा मामले की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ) हाल ही में हुए नक्सलवादी हमलों के विश्लेषण से यह पता चला है कि हमले मुख्य रूप से कुछ राज्य पुलिस बलों द्वारा पुलिस व्यवस्था संबंधी मूलभूत युक्तियों एवं पद्धतियों का अनुपालन न किए जाने की वजह से सफल हो पाए।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में नक्सलवादियों द्वारा कुछ ऐसी मानक पद्धतियों को अपनाया जाता है। जिनका आसानी से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तथा सुरक्षा बलों द्वारा इनसे निपटने के लिए रक्षोपाय भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सीपीआई (माओवादी) प्रमुख राजनेताओं को निशाना बनाकर उनकी हत्या करते हैं, वे महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करते हैं आदि। इसी प्रकार, वे अपनी घोषित गोरिल्ला रणनीति के एक भाग के रूप में सुरक्षा बलों को मारकर उनके हथियार लूटेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त आसूचना संबंधी जानकारी उपलब्ध न होने के बावजूद भी सुरक्षा बलों को सजग रहने की जरूरत है। सुरक्षा बलों को इस ढंग से अभ्यस्त होना चाहिए कि ऐसे हमलों के जवाबी उपाय सामान्य पुलिस व्यवस्था संबंधी कार्यों का ही एक हिस्सा बन जाए। तथापि, जैसा कि हाल ही में हुए कुछ हमलों से स्पष्ट है कि घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने तथा उन घटनाओं से निपटने के लिए जरूरी उपाय करने में चूक हुई थी।

[अनुवाद]

आपराधिक न्याय प्रणाली

2838. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्रीमती अन्नू टंडन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में अपराधियों का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने और आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएन) परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। अपनी सेवाओं के भाग के रूप में सीसीटीएन परियोजना में अभियुक्तों के राष्ट्रीय डाटाबेस के रख रखाव हेतु प्रावधान हैं और बकाया वारंटों पर वांछित व्यक्तियों, दोषी, आरोप पत्रित, नियमित अपराधियों, राष्ट्रीय डाटाबेस में दोष सिद्ध व्यक्तियों हेतु डाटाबेस से पता लगाने के लिए यह पुलिस अधिकारियों को सक्षम भी बनाती है। पुलिस अधिकारी विभिन्न मानदंडों जैसे राज्य, जिला, पुलिस स्टेशन, अपराध, कृत्यों, धाराओं के प्रकार, घटनास्थल, स्थिति, अपराधी का नाम, लिंग, पहचान चिह्न, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर पता लगाना और जांच कर सकेंगे। सीसीटीएन (क्राइम एवं क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम) का प्रायोगिक आरंभ दिनांक 4 जनवरी, 2013 को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा किया गया था। केन्द्रीय प्रायोगिक लांच के बाद दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, झारखंड, केरल, सिक्किम, ओडिशा, हरियाणा, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और त्रिपुरा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने भी अपना संबंधित प्रायोगिक लांच किया।

पूर्व सैनिकों की भर्ती

2839. श्री सतपाल महाराज: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) में पूर्व सैनिकों की पार्श्विक भर्ती करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में पूर्व सैनिकों की पार्श्विक भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

अनुत्पादक पशु

2840. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुत्पादक पशुओं की संख्या बढ़ गयी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पशुओं की अनुमानित संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इसमें वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है; और

(ग) मामले के समाधान के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) जी नहीं। 17वीं पशुधन संगणना, 2003 के दौरान 35.80 मिलियन की तुलना में देश में 18वीं पशुधन संगणना, 2007 के अनुसार, उत्पादक गोपशुओं की संख्या 41 मिलियन है। राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों को पूरक और संपूरक करने के लिए, भारत सरकार, राष्ट्रीय

गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अन्तर्गत फ्रिटीलिटी कैंपों के आयोजन हेतु राज्यों को सहायता जारी की जाती है ताकि बोवाइनों में बांझपन रोका जा सके।

उर्वरकों का उत्पादन

2841. श्री पी.सी. मोहन:
श्री उदय प्रताप सिंह:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों का उत्पादन/विनिर्माण करने वाली कंपनियों ने देश में उर्वरकों के उत्पादन/विनिर्माण के लिए तय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कंपनी इकाई और उर्वरक-वार उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों/उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) जी नहीं। देश में कुछ उर्वरक इकाइयां (i) पर्याप्त प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता, (ii) अप्रत्याशित बंदी तथा (iii) फॉस्फोरिक एसिड जैसी कच्ची सामाग्रियों की कमी, आदि के कारण अपनी निर्धारित उत्पादन योजना के अनुसार उत्पादन नहीं कर रही हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी-वार/इकाई-वार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जहां तक पीएंडके उर्वरकों का संबंध है, देश तैयार उत्पादों या उसकी कच्ची सामग्रियों के रूप में पोटाशयुक्त क्षेत्र में पूरी तरह आयात पर निर्भर है क्योंकि कोई स्वदेशी प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं हैं तथा फॉस्फेटयुक्त क्षेत्र में 90% तक आयात पर निर्भर है। यूरिया की अतिरिक्त स्वदेशी क्षमता की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति 2012 की घोषणा की है ताकि यूरिया क्षेत्र में नया निवेश किया जा सके तथा खपत और उत्पादन के बीच के अंतर को दूर किया जा सके।

विवरण

वर्ष 2010-11 से 2012-2013 तथा 2013-2014 (अप्रैल से जुलाई 2013 तक) के लिए यूरिया का संयंत्र-वार लक्ष्य और उत्पादन

उत्पादन, ('000' मी.टन.)

संयंत्रों का नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (अप्रैल से जुलाई)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सार्वजनिक क्षेत्र:								
एनएफएल-नांगल-II	478.4	478.5	478.4	503.4	433.6	471.3	171.1	130.1
एनएफएल-बठिण्डा	511.5	553.0	511.5	482.9	395.0	394.4	182.9	184.0
एनएफएल-पानीपत	511.5	470.0	511.4	500.3	426.1	413.8	182.9	133.2
एनएफएल-विजयपुर	884.5	916.6	870.8	902.1	1014.6	966.4	304.7	296.6
एनएफएल-विजयपुर विस्तार	914.5	961.5	927.8	1011.7	1034.5	965.2	317.7	358.5
कुल (एनएफएल)	3300.4	3379.6	3299.9	3400.4	3303.8	3211.1	1159.3	1102.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
बीवीएफसीएल-नामरूप-II	97.0	86.1	120.0	102.3	120.0	109.4	32.0	27.9
बीवीएफसीएल-नामरूप-III	225.0	198.9	258.0	176.5	270.0	281.3	72.0	53.2
कुल (बीवीएफसीएल)	322.0	285.0	378.0	278.8	390.0	390.7	104.0	81.1
आरसीएफ-ट्राम्बे-V	330.0	341.1	330.0	336.0	330.0	384.1	111.9	129.2
आरसीएफ-थाल	1707.0	1783.4	1745.0	1772.5	1950.0	1951.6	655.3	634.0
कुल (आरसीएफ)	2037.0	2124.5	2075.0	2108.5	2280.0	2335.7	767.2	763.2
एमएफएल-चेन्नै	425.0	477.9	460.0	486.7	470.0	435.8	156.0	183.6
कुल सार्वजनिक क्षेत्र	6084.4	6267.0	6212.9	6274.4	6443.8	6373.3	2186.5	2130.3
सहकारी क्षेत्र								
इफ्को-कालोल	575.0	600.1	575.0	600.0	575.0	600.3	187.5	195.9
इफ्को-फूलपुर	700.0	745.1	700.2	701.3	700.0	673.1	213.5	258.0
इफ्को-आंवला विस्तार	999.8	1026.2	1000.0	1132.8	1000.0	992.0	350.0	349.0
इफ्को-आंवला	970.0	988.5	1000.0	1065.9	1000.0	1091.9	369.2	355.5
इफ्को-आंवला विस्तार	1000.0	1042.6	1000.0	986.8	1000.0	1152.8	369.2	352.8
कुल (इफ्को)	4244.8	4402.5	4275.2	4486.8	4275.0	4510.1	1489.4	1511.2
कृभको-हजीरा	1753.0	1840.3	1730.0	1432.4	2213.5	2132.0	622.5	678.8
कुल सहकारी क्षेत्र	5997.8	6242.8	6005.2	5919.2	6488.5	6642.1	2111.9	2190.0
कुल (सार्वजनिक+सहकारी)	12082.2	12509.8	12218.1	12193.6	12932.3	13015.4	4298.4	4320.3
निजी क्षेत्र								
जीएसएफसी-वड़ोदरा	302.9	245.5	306.1	286.6	320.9	347.7	72.9	78.0
एसएफसी-कोटा	379.5	403.4	389.0	385.9	400.0	384.8	134.9	140.8
डीआईएल-कानपुर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.2
जेडआईएल-गोवा	399.3	396.8	399.3	365.4	399.3	385.6	118.3	82.7
स्पिक-तूतीकोरिन	620.4	300.9	620.0	621.7	620.4	483.4	197.0	28.4
एमसीएफ मंगलौर	379.5	379.4	379.5	379.4	379.5	379.5	148.0	115.7
जीएनएफसी-भरूच	636.0	643.2	636.0	701.8	636.0	708.8	198.0	187.4
ओईजीएफ-जगदीशपुर	1110.5	1098.5	1293.7	1162.2	1157.9	1084.7	366.8	364.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
एनएफसीएल-काकीनाडा-I	813.7	831.6	786.5	792.5	824.8	787.6	248.8	228.8
एनएफसीएल-काकीनाडा-II	798.3	824.0	779.5	769.1	805.0	777.7	224.7	250.2
सीएफसीएल: गडेपान-I	1042.3	1032.2	1063.2	1106.5	989.9	1035.8	368.9	342.7
सीएफसीएल: गडेपान-II	1037.5	1068.0	1017.0	1039.5	1047.1	1056.0	315.3	292.7
टीसीएल-बबराला	1155.0	1116.7	1136.0	1164.6	1080.9	1119.8	403.9	397.2
केएसएफएल-शाहजहांपुर	960.0	1030.5	960.0	1015.6	980.0	1007.9	339.3	360.1
कुल निजी क्षेत्र	9634.9	9370.7	9765.8	9790.8	9641.7	9559.3	3136.8	2894.4
कुल (सार्वजनिक+सहकारी+निजी)	21717.1	21880.5	21983.9	21984.4	22574.0	22574.7	7435.2	7214.7

वर्ष 2010-11 से 2012-2013 तथा 2013-2014 (अप्रैल से जुलाई 2013 तक) के लिए डीएपी का संयंत्र-वार लक्ष्य और उत्पादन

उत्पादन, ('000' मी.टन.)

संयंत्रों का नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (अप्रैल से जुलाई)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
सहकारी क्षेत्र:								
इफ्को कांडला	400.0	60.1	50.0	496.6	50.0	782.7	330.0	150.1
इफ्को कांडला	604.0	916.5	930.0	995.1	800.0	1159.9	260.0	257.7
कुल सहकारी क्षेत्र	1004.0	976.6	980.0	1491.7	850.0	1942.6	590.0	407.8
निजी क्षेत्र								
जीएसएफसी: बड़ोदरा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
जैडआईएल: गोवा	225.0	151.6	200.0	180.2	200.0	56.3	62.5	0.0
स्पिक तूतीकोरिन	310.0	30.4	300.0	180.5	230.0	154.7	120.0	27.2
एमसीएफ-मंगलोर	200.0	177.8	200.0	128.2	120.0	119.4	57.5	58.7
टीसीएल: हल्दिया	248.0	190.3	248.0	269.3	242.3	204.9	83.2	29.0
जीएसएएफसी: सिक्का-I और	950.0	706.1	950.0	534.0	950.0	424.5	125.0	120.9
जीएसएएफसी: सिक्का-II	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(सिक्का: I और II)	950.0	706.1	950.0	534.0	950.0	424.5	125.0	120.9
सीआईएल: काकीनाडा	649.7	402.5	680.0	360.0	600.0	224.9	209.5	165.8
सीआईएल: विजाग	0.0	31.8	51.0	6.6	50.0	0.0	0.0	19.3
हिण्डाल्को इन्ड.: दाहेज	223.9	214.2	241.4	209.8	250.0	209.1	82.1	62.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पीपीएल: पारादीप	750.0	655.6	750.0	602.3	820.0	310.6	245.0	135.5
कुल निजी क्षेत्र:	3556.6	2560.3	3620.4	2470.9	3462.3	1704.4	984.8	618.9
कुल (सहकारी+निजी):	4560.6	3536.9	4600.4	3962.6	4312.3	3647.0	1574.8	1026.7

वर्ष 2010-11 से 2012-2013 तथा 2013-2014 (अप्रैल से जुलाई) के लिए मिश्रित उर्वरकों का संयंत्र-वार लक्ष्य और उत्पादन

उत्पादन, ('000' मी.टन.)

कंपनी/इकाई का नाम	उत्पाद	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (अप्रैल से जुलाई)	
		लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
सार्वजनिक क्षेत्र:									
फैक्ट: उद्योगमंडल	20:20	125.0	147.6	132.5	137.6	145.0	103.8	43.0	42.1
फैक्ट कोचीन-II	22:20	480.0	496.2	532.5	448.8	535.0	434.1	133.0	118.1
फैक्ट:यूडी/कोचीन		605.0	643.8	665.0	616.4	680.0	537.9	176.0	160.2
आरसीएफ:ट्राम्बे	15:15:15	410.0	446.0	355.0	458.3	330.0	474.8	672	122.5
	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
आरसीएफ: ट्राम्बे-IV	20:8:20:8	0.0	157.9	0.0	191.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	270.0	0.0	250.0	0.0	270.0	135.6	65.1	49.5
कुल आरसीएफ		680.00	603.9	605.0	649.8	600.0	610.4	132.3	172.0
एमएफएल: चेन्नई	17:117:17	0.0	0.0	330.0	7.6	421.0	99.4	57.0	20.1
	19:19:19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0	0.7	48.0	0.0
एमएफएल: चेन्नई		0.0	0.0	330.0	35.9	421.0	100.1	105.0	20.1
कुल सार्वजनिक क्षेत्र		1285.0	1247.7	1600.0	1302.1	1701.0	1248.4	413.3	352.3
सहकारी क्षेत्र									
इफ्को कांडला	10:26:26	1160.0	1610.1	1750.0	474.9	1450.0	495.1	130.0	157.9
	12:32:16	855.0	846.2	800.0	1029.9	700.0	618.6	200.0	190.0
	20:20	0.0	0.0	0.0	106.9	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल (इफ्को/कांडला):		2015.0	2456.3	2550.0	1611.7	2150.0	1113.7	330.0	347.9

1		2	3	4	5	6	7	8	9
इफ्को-पारादीप	20:20	1026.0	745.3	750.0	845.9	1000.0	314.6	143.4	101.9
	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	143.4	104.5
कुल (इफ्को): पारादीप		1026.0	745.3	750.0	845.9	1000.0	320.1	286.8	218.4
कुल (इफ्को)		3041.0	3201.6	3300.0	2457.6	3150.0	1433.8	616.8	566.3
निजी क्षेत्र									
जीएसएफसी: बड़ोदरा	20:20	280.0	280.3	285.0	302.5	277.0	294.3	83.7	71.6
सीआईएल:विजाग	28:28	510.0	129.3	263.0	284.9	579.8	259.5	84.0	87.7
	14:35:14	181.7	137.0	288.0	56.3	0.0	5.9	0.0	0.0
	20:20	574.7	592.5	605.0	631.2	569.5	429.3	164.8	91.2
	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल (सीआईएल)		1266.4	858.8	1156.0	972.4	1149.3	694.7	248.8	178.9
जेडआईएल, गोवा	19:19:19	0.0	0.0	0.0	18.3	120.0	8.7	0.0	0.0
	28:28	0.0	0.0	0.0	0.0	310.0	0.0	0.0	0.0
	14:35:14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10:26:26	350.0	332.8	383.3	172.7	100.0	158.5	161.2	2.2
	20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	1500	176.7	146.7	179.6	0.0	27.8	33.0	0.0
कुल (जेडआईएल):		500.0	509.5	530.0	370.6	530.0	195.0	194.2	2.2
स्पिक: तूतीकोरिन	20:20	240.0	175.4	200.0	209.5	240.0	156.3	80.0	20.7
	17:17:17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कुल (स्पिका):		240.0	175.4	200.0	209.5	240.0	156.3	80.0	20.7
एमसीएफ: मंगलोर	20:20	80.0	45.7	50.0	40.2	50.0	42.7	28.0	4.0
	16:20	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	3.0	0.0
	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	3.4	0.0	0.0
कुल (एमसीएफ)		80.0	45.7	50.0	44.0	130.0	46.1	31.0	4.0
सीआईएल: एन्नोर		16:20	330.8	248.3	330.4	243.6	329.7	67.9	47.9
	20:20	0.0	12.5	0.0	11.1	0.0	15.3	0.0	0.0

1		2	3	4	5	6	7	8	9
कुल (सीआईएल):		330.8	2608	330.4	254.7	329.8	185.0	67.9	47.9
जीएनएफसी: भरुच	20:20	197.0	166.2	206.9	196.3	206.2	200.9	60.4	60.7
कुल (जीएनएफसी):		197.0	166.2	206.9	196.3	206.2	200.9	60.4	60.7
टीसीएल: हल्दिया	28:28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14:35:14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15:15:15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	0.0	9.8	0.0	0.0	100.0	44.3	48.0	0.0
	10:26:26	511.5	351.4	511.6	311.9	354.0	214.0	105.6	56.9
कुल (टीसीएल):		511.5	361.2	511.6	311.9	454.0	258.3	153.6	56.9
जीएसएफसी: सिक्का-I	20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10:26:26	37.5	0.0	037.5	0.0	12.5	10.3	0.0	10.1
	12:32:16	12.5	0.0	12.5	0.0	37.5	0.0	0.0	9.5
जीएसएफसी: सिक्का-II	12:32:16	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
सीआईएल: काकीनाडा	20:20	0.0	0.0	0.0	28.0	0.0	179.8	0.0	0.0
	14:35:14	702.7	515.4	345.6	216.2	200.0	191.0	113.5	14.3
	17:17:17	0.0	0.0	0.0	0.0	240.0	0.0	39.9	0.0
	12:32:16	0.0	36.1	0.0	15.2	400.0	19.5	0.0	22.4
	10:26:26	150.1	407.3	474.0	239.8	0.0	263.7	66.5	41.2
	14:28:14	0.0	0.0	0.0	248.2	250.0	0.0	0.0	0.0
कुल (सीआईएल):	852.8	958.8	819.6	747.4	1090.0	654.0	219.9	77.9	
हिण्डाल्को इंड. दाहेज	10:26:26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	0.0	00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
डीएफपीसीएल: तलोजा	23:23	200.0	123.5	220.4	175.2	250.0	167.2	85.5	74.3
पीपीएल पारादीप*	20:20	200.0	304.7	200.0	255.4	180.0	447.1	100.0	84.8
	28.28	0.0	0.0	0.0	40.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	16.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14:35:14	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12:32.16	100.0	53.3	100.0	0.0	0.0	23.6	15.0	0.1

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	10:26:26	200.0	149.5	200.0	130.3	150.0	159.0	30.0	23.0
	15:15:15	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	5.6	0.0	0.0
कुल (पीपीएल):		500.0	537.5	500.0	426.0	430.0	635.9	145.0	107.9
कुल निजी क्षेत्र:		5008.5	4277.7	4859.9	4010.5	5136.3	3498.0	1370.0	722.6
कुल (सार्वजनिक+सहकारी+निजी)		9334.5	8727.0	9759.9	7770.2	9987.3	6180.2	2400.1	1641.2

[अनुवाद]

राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा

2842. श्री के. सुगुमार:
श्री मधुसूदन यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा में सुधार करने और माओवादियों द्वारा किए जाने वाले हमलों से बचाने के लिए राजनीतिक कार्यक्रमों का समन्वय करने हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्देश देते हुए सभी वामपंथ चरमपंथ प्रभावित राज्य को परामर्श जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में नक्सल हमले के खतरे की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पूर्व उपाय किए गए हैं; और

(ङ) छत्तीसगढ़ के जिरम घाटी क्षेत्र में नक्सली हमले में की गई जांच की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 25.5.2013 को जिराम घाटी, बस्तर, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की घटना, जिसमें सीपीआई (माओवादी) द्वारा राजनैतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं निर्दोष नागरिकों की निर्ममता से हत्या की गई थी, के बाद गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों को दिनांक 27.5.2013 को परामर्शी पत्र जारी किया था जिसमें यह सलाह दी गई थी कि मुख्य धारा के राजनैतिक क्रियाकलापों तथा राजनैतिक व्यक्तियों की सुरक्षा को सुगम बनाने की दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी राजनैतिक दलों के कार्यक्रमों का समन्वय करने के लिए पुलिस मुख्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए।

(ग) और (घ) ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चले कि शहरी क्षेत्रों में माओवादी हमलों का खतरा है। तथापि, प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) दल ओवरग्राउंड अग्रणी संगठनों के जरिए शहरी क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ओवरग्राउंड अग्रणी संगठनों के सदस्य छद्म 'कार्यकर्ताओं' के रूप में उन हितों के समर्थन में कार्य करते हैं जिनसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य रूप से अंडरग्राउंड काडरों की गतिविधियों को सहायता मिलती है। अग्रणी संगठन सशस्त्र काडरों को छिपने का सुरक्षित स्थान मुहैया प्रदान करते हैं तथा माओवादी युद्ध मशीनरी को आपूर्तियों आदि के प्रापणको भी सुगम बनाते हैं। वे प्रवर्तन व्यवस्था को मंद करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू करते हैं। वे राज्य एवं सुरक्षा बलों को पैशाचिक रूप में चित्रित करने के लिए अफवाह एवं गलत सूचना के प्रचार-प्रसार में भी कुशल होते हैं।

शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई (माओवादी) की रणनीति को 'शहरी परिदृश्य (अर्बन पर्सपेक्टिव)' नामक लेख में प्रलेखित किया गया है। संक्षेप में, देश के शहरी क्षेत्रों की रणनीति में कामकाजी वर्गों को एकजुट एवं संगठित करना, कामकाजी वर्गों के समान वर्गों का संयुक्त फ्रंट बनाना तथा 'कार्य दलों' द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाइयों एवं चयनित हत्याओं संबंधी सैन युक्तियां शामिल हैं।

सीपीआई (माओवादी) की एक कार्ययोजना है जिसमें उनकी गतिविधियों को अखिल भारतीय कार्यढांचे में एकीकृत किया गया है। तथापि, अब तक, वे मध्य भारत में अपने गढ़ में नागरिकों एवं सुरक्षा बलों के प्रति बेकार की हिंसा, उत्पीड़न, सर कलम करने एवं अन्य अत्याचारों के प्रति शहरी लोगों के गुस्से के कारण भारत के शहरी क्षेत्रों में कोई खास पकड़ बनाने में सफल नहीं हो रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में सीपीआई (माओवादी) और उसके अग्रणी संगठनों की गतिविधियों की गहनता से मानीटरिंग की जाती है तथा आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ङ) मामले की जांच चल रही है।

[हिन्दी]

आर्गेनिक खाद

2843. श्री हरिशचंद्र चव्हाण:
श्रीमती अन्नू टन्डन:
श्री महाबली सिंह:
श्री प्रदीप माझी:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री घनश्याम अनुरागी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आर्गेनिक खाद को शामिल करने के लिए 1985 के उर्वरक नियंत्रण आदेश में संशोधन करने पर विचार कर रही है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैश्विक तापन की चुनौतियों से निपटने तथा किसानों को उचित दरों पर खाद मुहैया कराने के मद्देनजर मृदा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा में आर्गेनिक कार्बन बढ़ाने हेतु उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुसार शहर में निर्मित खाद के विपणन हेतु सरकार का विचार कृषकों को कोई वित्तीय सहायता मुहैया कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कृषकों द्वारा आर्गेनिक खाद और जैव उर्वरकों को उपयोग किए जाने को बढ़ावा देने तथा संपोषणीय कृषि व्यवहार को सहयोग देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 16.08.2013 की अधिसूचना के तहत उर्वरक नियंत्रण आदेश की अनुसूची 4 में जैविक खादों के सामान्य विनिर्देशों को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। जैविक खाद का स्रोत पादप बायो मास/पशु बायो मास/पशुओं के मल मूत्र आदि है।

(ग) से (ङ) उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुसार शहरी कम्पोस्ट के विपणन के लिए प्रत्यक्ष रूप से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

तथापि, राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना (एनपीओएफ) के अन्तर्गत परियोजना के कुल वित्तीय परिव्यय की 33% की दर पर या 60.00 लाख रुपए प्रति यूनिट, जो भी कम हो, की दर पर फल/सब्जी अपशिष्ट/कृषि अपशिष्ट कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना करने के लिए नाबार्ड के माध्यम से ऋण से जुड़ी हुई पार्श्वान्त राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच) लागत की 50% की दर वर्मी कम्पोस्ट यूनिटों की स्थापना के लिए 4 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी की अधिकतम क्षेत्र के लिए 10,000 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर पर जैविक कृषि को अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो 30,000 रुपए की अधिकतम के अध्यधीन है प्रतिलाभार्थी, और 50 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए किसानों के समूहों के लिए 5.00 लाख रुपए की दर पर जैविक कृषि प्रमाणन के लिए, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना (एनपीएमएसएचएम) जैविक खादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 500 रुपए प्रति हैक्टेयर की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, राज्य स्तरीय संस्वीकृत समिति द्वारा तैयार एवं अनुमोदित परियोजना के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अन्तर्गत विभिन्न घटकों पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

जैव उर्वरता और जैविक उर्वरता के गुणवत्ता मानक सुधार के लिए सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में सात जैव उर्वरकों (अर्थात राइजोवियम, अजोटोवेक्टर, एजोस्प्रीजियम, फोस्फेट सोलूब्लाइजिंग माईकूरगैनिज्य, माईकोरिज्य, पोटेशियम मोनीलाईजिंग जैव उर्वरक, जिंक सोलूव्लाईजिंग वैक्टिरिया) और जैविक उर्वरकों (जैसे वर्मी कम्पोस्ट, शहरी अपशिष्ट, कम्पोस्ट तेल निकाली हुई अरण्ड खली और पीआरजोएम (फोस्फेट रिच जैविक खाद) को अधिसूचित किया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय औषध मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण

2844. श्री महेश जोशी: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय औषध मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा

संगठन के दैनिक कार्यकरण में कथित अनियमितताओं की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं के कारण इस संगठन को कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या कुछ पूर्व-अधिकारियों/कर्मचारियों सहित मंत्रालय के सेवारत अधिकारियों को भी इन अनियमितताओं में संलिप्त पाया गया था;

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इस संगठन से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ङ) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के कुछ अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया गया है। आरोप का मुख्य जोर इस बात पर दिया गया है कि भेषज कंपनियों को इन अधिकारियों के कार्यकाल के दौरान औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत मूल्य का उल्लंघन करने के लिए वसूली के नोटिस जारी नहीं किए गए हैं। इनमें से एक मामले में, विषय केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजा गया था और उनकी सलाह के आधार पर विभाग ने मामले को अध्यक्ष, एनपीपीए को एक स्वतंत्र जांच कराने के लिए रेफर किया है।

(च) एनपीपीए के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए विभाग ने एनपीपीए को अनुदेश दिए हैं कि:

(i) एनपीपीए को औषधियों/फार्मूलेशनों के मूल्यों का निर्धारण/संशोधन करते समय एनपीपीए द्वारा अनुपालित आंतरिक दिशा-निर्देशों को औषध कंपनियों की सूचना के लिए अपनी वेबसाइट में डालना चाहिए।

(ii) एनपीपीए के दिशा-निर्देशों से कोई भी विचलन उनके प्राधिकरण के विशिष्ट अनुमोदन से होना जाना चाहिए जिनके कारणों को लिखित में रिकार्ड किया जाए और किसी भी ऐसे अभिज्ञ निर्णय को एनपीपीए की वेबसाइट में डाला जाए।

(iii) फार्मूलेशनों के मूल्यों के निर्धारण/संशोधन की परिकलन शीट को भी एनपीपीए की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए ताकि मूल्यों के ऐसे निर्धारण/संशोधन में किसी भी मनमानेपन को नामुमकिन किया जा सके।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण

2845. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री मधु गौड़ यास्खी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नक्सल प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में सड़कें बनाने के लिए इंजीनियरिंग बटालियनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित राज्य, माओवादियों द्वारा बाधा डालने के कारण विकास संबंधी कार्य करने में घोर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, माओवादी, योजनाबद्ध तरीके से विकास अवसंरचना को निशाना बनाते हैं और नष्ट भी करते हैं ताकि लोग उनके प्रभुत्व वाले क्षेत्र में उपेक्षित रहें और अपनी पुरानी विचारधारा के दास बने रहें। इसे देखते हुए, भारत सरकार ने 10 'स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियनों' (एसआईआरबी) की मंजूरी दी और 3 इंडिया रिजर्व बटालियनों (आईआरबी) को स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियनों (एसआईआरबी) में परिवर्तित करना अनुमोदित किया। प्रत्येक बटालियन में 2 इंजीनियरिंग और 5 सुरक्षा कम्पनियों के घटक होंगे। इंजीनियरिंग कम्पनियां वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र में सड़कों के निर्माण सहित विकास कार्य करेंगी और बटालियन का सुरक्षा घटक विकास कार्यों में लगे इंजीनियरिंग घटक को सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। नई स्वीकृत एसआईआरबी और परिवर्तित एसआईआरबी के राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम. सं.	राज्य	नई स्वीकृत एसआईआरबी	पहले से स्वीकृत आईआर बटालियन का एसआईआरबी में परिवर्तन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	–	01
2.	बिहार	02	–

1	2	3	4
3.	छत्तीसगढ़	02	–
4.	झारखंड	01	01
5.	मध्य प्रदेश	01	–
6.	महाराष्ट्र	–	01
7.	ओडिशा	03	–
8.	पश्चिम बंगाल	01	–
	कुल	10	03

ऊपर उल्लिखित बटालियनों को वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान स्थापित किया जाना है।

[हिन्दी]

शीतागार सुविधाएं

2846. डॉ. भोला सिंह:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री हरीश चौधरी:
श्री उदय प्रताप सिंह:
डॉ. एम. तम्बिदुरई:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए शीतागारों/भांडागारों को स्थापित करने/खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या देश के विभिन्न भागों में शीतागार सुविधाओं की अत्यधिक कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2015 तक देश में शीतागारों की आवश्यकता का कोई आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी-निजी साझेदारी मॉडल के अंतर्गत और विभन्न स्थानों पर और अधिक शीतागारों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्य वृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना विकास स्कीम का एक घटक है, का कार्यान्वियन कर रहा है जिसके अंतर्गत देश में शीत श्रृंखला अवसंरचना के सृजन हेतु संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और पूर्वोत्तर राज्यों सहित दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परंतु अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के रूप में वितीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना प्रस्तावों का निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है:

* आवेदक/प्रमोटर का निवल मूल्य मांगे गए अनुदान से डेढ़ गुना हो,
* बैंक/वित्तीय संस्थान (एफआई) की मूल्यांकन रिपोर्ट,
* अंतिम सावधि ऋण का मंजूरी पत्र, यदि सावधि ऋण लिया जाए,
* परियोजना संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
* स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार घटक (अर्थात शीत श्रृंखला परियोजना में स्कीम के तीन घटकों में से दो घटक होने चाहिए।)।

(ख) से (घ) कृषि उपज के अधिक दक्ष वितरण हेतु शीतागारों के उपबंध सहित आपूर्तिश्रृंखला में निवेश प्रोत्साहित करने संबंध 2012 में योजना आयोग द्वारा गठित डॉ. सौमित्र चौधरी समिति ने देश में 61.13 मिलियन टन की शीतागार आवश्यकता और लगभग 29 मिलियन टन की वर्तमान शीत भंडारण क्षमता का उल्लेख किया है। वर्तमान क्षमता अंतर लगभग 32 मिलियन मीट्रिक टन है।

(ङ) सरकार ने 12वीं योजना के दौरान एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत 75 और परियोजनाओं का शुरू करने का अनुमोदन दिया है।

मंत्रालय राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के अंतर्गत (i) निर्माण (आईडीसी) के दौरान ब्याज सहित बैंक द्वारा आंकी गई परियोजना लागत की सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दुर्गम क्षेत्रों के लिए 50% की दर से परन्तु अधिकतम 5.00 करोड़ रुपए की पूंजी सब्सिडी और (ii) सामान्य क्षेत्रों में परियोजना पूरी होने के पश्चात 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की दर से परन्तु अधिकतम 2.00 करोड़ रुपए प्रति

परियोजना ब्याज सब्सिडी अथवा सावधि ऋण पर प्राप्त वास्तविक ब्याज, जो भी कम हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दुर्गम क्षेत्रों के लिए परियोजना पूरी होने के पश्चात 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% वार्षिक की दर से परन्तु अधिकतम 3.00 करोड़ रुपए प्रति परियोजना ब्याज सब्सिडी अथवा सावधि ऋण पर प्राप्त हुआ वास्तविक ब्याज, जो भी कम हो, की अनुदान सहायता के रूप में गैर-बागवानी आधारित शीत शृंखला परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

आधुनिक भंडारण क्षमता सृजन में पूंजी निवेश वित्त मंत्रालय की व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण स्कीम के लिए पात्र बनाया गया है। शीत शृंखला तथा फसलोत्तर भंडारण को एक अवसंरचना उप-क्षेत्र माना गया है।

[अनुवाद]

आरएडीपी के अंतर्गत उपलब्धियां

2847. श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:
श्री जयप्रकाश अग्रवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी) का देश में कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए राज्यों के नाम क्या हैं और राज्यवार कितना धन आबंटित और जारी किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान वर्षा सिंचित क्षेत्रों तथा किसानों की समस्याओं का समाधान करने में आरएडीपी और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) वर्ष 2011-12 से देश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की उपस्कीम के रूप में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम आरएडीपी कार्यान्वयनाधीन है।

(ख) कार्यक्रम का उद्देश्य फार्म पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को उनके खाद्य तथा आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए गतिविधियों का पूर्ण पैकेज प्रदान कर विशेष रूप से छोटे तथा सीमांत किसानों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है। इसके व्यापक उद्देश्य हैं:

i. उपयुक्त फार्मिंग प्रणाली आधारित पद्धतियों को अपनाकर एक संधारणीय तरीके से वर्षा सिंचित क्षेत्रों की कृषि उत्पादकता बढ़ाना।

ii. विवधिकृत तथा समिश्रित फार्मिंग सूखा, बाढ़ अथवा असमान वर्षा वितरण के कारण प्रणालियों के माध्यम से संभावित फसल नुकसान के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना।

iii. उन्नत ऑन-फार्म प्रौद्योगिकियों तथा कृषि प्रचालनों के माध्यम से सतत रोजगार सुअवसरों के सृजन द्वारा वर्षा सिंचित कृषि में विश्वास को पुनः बहाल करना।

iv. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में गरीबी कम करने के लिए किसानों की आय बढ़ाना तथा आजीविका समर्थन।

v. समेकित तथा समन्वित प्रणाली स्थापित कर संसाधनों के सकारात्मक उपयोगिता हेतु परियोजना क्षेत्रों में प्रासंगिक विकासात्मक कार्यक्रमों का अभिसरण जिसमें विभिन्न क्षेत्र तथा संस्थान शामिल हैं।

(ग) वर्तमान वर्ष सहित आर.ए.डी.पी. के अंतर्गत शामिल किए गए राज्य, वर्ष वार आबंटन तथा निर्मुक्ति के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) आर.ए.डी.पी. (2011-12 तथा 2012-13) के कार्यान्वयन के प्रथम 2 वर्षों के दौरान लगभग 2.62 लाख हैक्ट. वर्षा सिंचित क्षेत्र को समेकित फार्मिंग/फसलीय प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है जिससे लगभग 4 लाख किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की एक राज्य योजना स्कीम है, जिसका उद्देश्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों का जीर्णोद्धार करना है। आर.के.वी.वाई. अपनी प्रमुखताओं तथा कृषि जलवायवीय आवश्यकताओं के अनुसार हस्ताक्षेपों में निवेश करने के लिए स्कीम के चयन, नियोजन, अनुमोदन तथा संचालन में राज्यों को लचीलापन तथा स्वायत्ता प्रदान करता है। सभी गतिविधियों को जिसमें वर्षा सिंचित कृषि का विकास शामिल है, आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाता है। विशेष उप स्कीमों जैसे पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना; वर्षा सिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन गांवों का समेकित विकास, आयलपाम, पोषक अनाजों का संवर्धन, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम आदि जैसी विशेष उप-स्कीमों को भी आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत बढ़ावा दिया जाता है जो वर्षा सिंचित क्षेत्रों के किसानों को व्यापक रूप से लाभ पहुंचाता है। विगत 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान उप स्कीमों

सहित आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत आबंटित, निर्मुक्त तथा प्रयुक्त निधियों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

वर्ष	आबंटन	निर्मक्ति	उपयोगिता
1	2	3	4
2010-11	6722.00	6720.08	6712.90
2011-12	7810.87	7794.09	7467.04
2012-13	9317.00	8400.00	5425.04
2013-14	9954.02	2984.06	

विवरण

वर्षासिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार आंवटन और निर्मुक्तियां *(करोड़ रुपये में)*

क्रम.सं.	राज्य	आवंटित राशि			निर्मुक्त राशि		
		2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आध्र प्रदेश	15.0	20.0	20.0	15.0	10.0	10.0
2.	छत्तीसगढ़	15.0	0.0		15.0	0.0	
3.	गुजरात	30.0	20.0	40.0	30.0	20.0	
4.	कर्नाटक	20.0	10.0	20.0	20.0	10.0	10.0
5.	मध्य प्रदेश	25.0	10.0	10.0	25.0	10.0	5.0
6.	महाराष्ट्र	35.0	25.0	45.0	35.0	25.0	22.5
7.	ओडिशा	20.0	0.0		20.0	0.0	
8.	राजस्थान	35.0	25.0	40.0	35.0	25.0	20.0
9.	तमिलनाडु	25.0	10.0	20.0	25.0	10.0	10.0
10.	उत्तर प्रदेश	30.0	0.0	20.0	30.0	0.0	10.0
11.	झारखंड		5.0	5.0		2.5	
12.	अरुणाचल प्रदेश		2.0	5.0		1.0	2.5
13.	असम		5.0	7.0		5.0	
14.	मणिपुर		1.0	3.0		0.5	
15.	मिजोरम		1.0	4.0		1.0	
16.	नागालैंड		2.0	4.0		2.0	
17.	सिक्किम		1.0	3.0		0.5	

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	त्रिपुरा		1.0	4.0		1.0	
19.	केरल		1.0	0.0		0.5	
20.	मेघालय		1.0	0.0			
21.	बिहार		5.0	0.0			
22.	पश्चिम बंगाल		5.0	0.0			
कुल	250.0	150.0	250.0	250.0	124.0	90.0	

*अगस्त, 2013 तक के अनुसार

कोयले की जमाखोरी

2848. श्री हेमानंद बिसवाल:
श्रीमती रमा देवी:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में कोयले की बड़े स्तर पर जमाखोरी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान जमाखोरी का पता लगाए गए कोयले की मात्रा और मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जमाखोरी करने वाले ऐसे समूहों/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की है/करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार को देश में कोयले की बड़े स्तर पर जमाखोरी की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पादपों एवं जंतुओं के कीट और रोग

2849. श्री अधि शंकर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयात के माध्यम से देश में पादपों और जंतुओं के कीटों और रोगों का अंत:प्रवाह जैव विविधता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है और इससे अत्यधिक आर्थिक हानि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में एविएन इन्फ्लुएंजा, यूजी-99, व्हीट स्टेम रस्ट फंगस जैसे विभिन्न देशों में फैले रोगों की उत्पत्ति और प्रसार पशुओं, पौधों तथा मनुष्यों के लिए खतरा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बाहरी कीटों और खरपतवार से किसानों को खतरे से बचाने के लिए किसी स्वायत्तशासी निकाय का गठन किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) जी हां। विगत वर्षों में बीजों, रोपण सामग्री, पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात के माध्यम से अनेक पादप, पशु एवं समुद्री बीमारियों एवं कीट भारत में प्रवेश कराए गए हैं उनमें से कई, जिनमें पार्थेनियम, फेलारिज माईनर एवं लैनटेना कामरा जैसे खरपतवार शामिल हैं, देश में स्थापित हो गए हैं और निरंतर भारी आर्थिक नुकसान का कारण बने हुए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। परंतु अभी तक भारत में गेहूं रतुआ (व्हीट रस्ट) (यूजी-99) होने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कनॉट प्लेस का सौंदर्यीकरण

2850. श्री महाबल मिश्रा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के मद्देनजर कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए शुरू किए गए कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि तक इस संबंध में जारी/उपयोग किए गए धन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त सौंदर्यीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि कनाट प्लेस का सौंदर्यीकरण पूरा करने की समय-सीमा को निम्नलिखित करणों से संशोधित किया गया है:

(i) चूंकि नीचे किए गए उल्लेख के अनुसार इस परियोजना के लिए सांविधिक स्वीकृतियां अपेक्षित थी, इसलिए कार्य सौंपे जाने में विलम्ब हुआ:

(क) जेएनएनयूआरएम द्वारा अनुमोदन 29.08.2008

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन अगस्त, 2008

(ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमोदन 23.09.2008

(घ) पायलट परियोजना के पूरा होने के बाद डीयूएसी द्वारा संशोधित अनुमोदन 17.11.2008

(ii) स्थान की कमी तथा चार्टर्ड तथा गैर-चार्टर्ड यूटीलिटीज से कार्य की गति प्रभावित हुई, दिल्ली यातायात पुलिस से समिति अनुमति।

(iii) राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के कारण अगस्त, 2010 से फरवरी, 2011 तक कार्य का रुकना, राष्ट्रमण्डल खेल, 2010 के कारण मोबिलाइजेशन एवं रिमोबिलाइजेशन

(ग) इस उद्देश्य के लिए 400 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 368.93 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया गया है।

(घ) एनडीएमसी द्वारा गठित परियोजना समन्वय समिति कार्य की प्रगति मानीटरिंग करती है तथा कार्य की प्रगति के दौरान अपेक्षित आवश्यक निर्णय/अनुमोदन प्रदान करती है। दिन-प्रतिदिन के सम्पर्क के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) एवं एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (सीपी) की सहायता करने के लिए कार्य बल भी गठित किया गया है।

[अनुवाद]

केले की खेती

2851. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में ओलावृष्टि, कीटों, खरपतवार तथा अन्य रोगों से केले की खेती के बुरी तरह प्रभावित होने और उसके कारण केले के कम उत्पादन का संज्ञान लिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान हुए घाटों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(घ) क्या बीमा कंपनियों ने मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत नष्ट केलों के लिए किए गए दावों का निपटान नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ओलावृष्टि, कीटों, खरपतवारों एवं अन्य बीमारियों द्वारा महाराष्ट्र में प्रभावित क्षेत्र और प्रदत्त क्षतिपूर्ति नीचे दिए अनुसार है:

अवधि	क्षेत्र (है.)	राशि (लाख रु. में)
2010-11	170.19	17.02
2011-12	646.00	64.61
2012-13	590.63	59.06

आंध्र प्रदेश या अन्य किसी राज्य में ओलावृष्टि, कीटों, खरपतवारों एवं अन्य बीमारियों द्वारा केला बागानों के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) और (ङ) केला फसल को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस)/मौसम आधारित बीमा स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) और महाराष्ट्र में डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत शामिल किया गया है। इन स्कीमों के अंतर्गत दावे संबंधित स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार तय किए जाते हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मौसम आधारित बीमा स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) के अंतर्गत शामिल की गई केला फसल के दावों के निपटान के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

राज्य	वर्ष	किसानों की सं.	दावे (रु. करोड़ मे)
महाराष्ट्र	2011-12	3045	29.47
	2012-13	564	5.10
आंध्र प्रदेश	2010-11	0	0
	2011-12	2386	2.19

सीआईएल का सामाजिक-आर्थिक विकास कार्य

2852. श्री निशिकांत दुबे: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर झारखंड में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्रारंभ किए गए सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए नीति के अंतर्गत कोल इंडिया लि. (सीआईएल) एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास कार्य किए जाते हैं। सीएसआर के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यकलाप/कार्य शिक्षा, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, खेलकूद एवं संस्कृति, सामाजिक सशक्तिकरण, ग्रामीण अवसंरचना, रोजगार सृजन एवं सहकारी सोसायटी की स्थापना करने, स्व-रोजगार हेतु महिलाओं का सशक्तिकरण, अवसंरचनात्मक विकास हेतु गांव को अपनाने आदि के क्षेत्र में किए जाते हैं। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की चार सहायक कंपनियां नामत: ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल), भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल), सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल) एवं झारखंड में स्थित सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीच्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) भी उस राज्य के इन क्षेत्रों में सीएसआर से जुड़े कार्य करती हैं।

(ख) सीआईएल एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान उपयोग की गई राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(आंकड़ें करोड़ रु. में)

कंपनी	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14(जून तक)
1	2	3	4	5
ईसीएल	04.74	13.14	09.42	0.35
बीसीसीएल	03.15	05.53	07.43	01.73
सीसीएल	10.98	11.00	13.66	02.08
डब्ल्यूसीएल	07.12	07.85	20.96	02.33

1	2	3	4	5
एसईसीएल	15.70	17.66	46.63	14.71
एमसीएल	53.45	14.47	25.56	17.19
एनसीएल	04.35	09.25	17.64	03.84
सीएमपीडीआईएल	00.19	00.49	01.06	0.00
सीआईएल एंड एनईसी	08.71	02.59	07.19	53.13
कुल	108.42	82.00	149.55	95.36

भेषज उद्योग को बढ़ावा देना

2853. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को विश्व की फार्मेसी के रूप में बढ़ावा देने के वाणिज्य मंत्रालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) भेषज क्षेत्र सहित भेषज उद्योग के उन्नयन के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और एसएमई भेषज क्षेत्र सहित भेषज उद्योगों को उन्नत करने/बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अपनी क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) के माध्यम से औषध क्षेत्र में एसएमई यूनिटों को सहायता प्रदान कर रहा है। सूक्ष्म एवं लघु औषधि और भेषज यूनिटें भी इस स्कीम के अंतर्गत लाभ उठा रही हैं।

[हिन्दी]

स्मारकों का लुप्त होना

2854. श्री राधा मोहन सिंह:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री यशवीर सिंह:
श्री भूदेव चौधरी:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री रतन सिंह:
श्री नित्यानंद प्रधान:
श्री नीरज शेखर:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की हाल की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार देश में अनेक ऐतिहासिक/संरक्षित स्मारक लुप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्मारक-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पुराने रिकॉडों, राजस्व मानचित्रों तथा प्रकाशित सामग्रियों के माध्यम से लुप्त स्मारकों का पता लगाने/की पहचान करने के लिए प्रयास किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन स्मारकों के जीर्णोद्धार के लिए संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्मारक-वार कितनी धनराशि निर्धारित/जारी/उपयोग की गई; और

(च) इन स्मारकों के जीर्णोद्धार और सुरक्षा के लिए नई नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) और (ख) जी, हां। सीएजी ने दिनांक 23.08.2013 को संसद के पटल पर रखी अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि 92 स्मारक/स्थल लुप्त हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुराने रिकॉर्डों, राजस्व नक्शों और प्रकारिश रिपोर्टों और प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर फील्ड कार्यालयों द्वारा लुप्त स्मारकों को ढूढने/पहचानने के लिए प्रयास किए हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे स्मारकों को लुप्त/खोया हुआ नहीं माना जा सकता। प्राथमिक सूची विवरण-II में दी गई है।

(ङ) कोई निधि आंबटित नहीं की गई।

(च) इन स्मारकों के पुनरुद्धार और परिरक्षण के लिए किसी नई नीति की जरूरत नहीं है। ज्योंकि लुप्त स्मारकों/स्थलों का पता लग जाएगा, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार उनका परिरक्षण किया जाएगा तथा संरक्षण सिद्धान्तों के अनुसार उनका संरक्षण किया जाएगा।

विवरण I

लेखा परीक्षा द्वारा पहचान किए गए लुप्त स्मारकों/स्थलों की सूची

क्र.सं.	निष्पादन लेखा परीक्षा द्वारा लुप्त दिखाने गए स्मारकों के नाम
1	2
	असम
1.	i. शेरशाह की बन्दूकें
2.	ii. कोपर मंदिर के अवशेष
3.	iii. लैफ्टीनेंट कैसवेल की कब्र
4.	iv. भैरवी की मूर्ति, कामाख्या पहाड़ी
5.	v. चाम्मेरी परिसर में मूर्तियां, तेजपुर
6.	vi. उ-माथोह-दुर की स्मृतिशिला, शिलांग
	आंध्र प्रदेश
7.	i. प्राचीन बौद्ध अवशेष और ब्राह्मी अभिलेख
8.	ii. मूर्तियां, उत्कीर्ण, प्रतिरूप अथवा ऐसी ही अन्य वस्तुएं
9.	iii. प्राचीन अवशेषों सहित नागार्जुनकोंडा की पहाड़िया
10.	iv. प्राचीन टीले पर मूर्तियां, उत्कीर्ण, प्रतिरूप
11.	v. मस्जिद के प्रतिवेश में पाई गई मूर्तियां, उत्कीर्ण, प्रतिरूप ऐसी ही अन्य वस्तुएं
12.	vi. विशाल डोलमेन
13.	vii. टीले-डिब्बा सं. 1 से 5
14.	viii. टीला, नगुलवरम
	तमिलनाडु
15.	i. एक जैन प्रतिमा
16.	ii. पुरानी टाऊन वॉल और डेविड येल
17.	iii. डेविड येल एवं जोसेफ हेनमेर की कब्र
	हरियाणा
18.	i. कोस मीनार, शाहबाद
19.	ii. कोस मीनार, मुजेस्सर
	उत्तराखंड
20.	i. खेड़ा की बांदी रूड़की
21.	ii. कुटुम्बरी मंदिर द्वाराहाट, अल्मोड़ा
	दिल्ली
22.	i. शेरशाह की दिल्ली का मोती द्वार
23.	ii. फूल चादर, मौजा चौकड़ी, मुबारकबाद
24.	iii. अलीपुर कब्रिस्तान, अलीपुर छावनी
25.	iv. बाराखम्बा कब्रिस्तान, इम्पीरियल सिटी
26.	v. कैप्टन मैक बारनेट तथा अन्यों की कब्रें जो किशनगंज पर हुए आक्रमण में गिर गईं, किशनगंज
27.	vi. रेलवे स्टेशन के निकट तीन गुम्बदों वाला मकबरा, निजामुद्दीन
28.	vii. "राइट अटैक, लैफ्टीनेंट एफ.आर. मानसेल, आर.ई. डायरेक्टिंग इन्जीनीयर, सं.। बैटरी-राइट, मेजर जेम्स ब्राइन्ड, आर.ए., कमांडिंग, आर्मामेंट फाइव 18-पाउंडर्स: 18 इंच हॉविटजर, टू साइलेन्स मोरी बेस्टन" अंकित सीज बैटरी स्थल, पुलिस लाइन में हॉस्पिटल का पूर्व, जिला उत्तर दिल्ली
29.	viii. "सं, ।। बैटरी-राइट, मेजर एडवर्ड काये, आर.ए.ए कमांडिंग आर्मामेन्ट टू 18-पाउंडर्स; सेवन 8-इंच हॉविटजर, टू ब्रीच कश्मीर बेस्टन' अंकित सीज बैटरी का स्थल, कर्जन हाउस का आहाता, जिला उत्तर दिल्ली।

1	2
30.	ix. इंचला वाली गुमटी, गांव मुबारकपुर कोटला
31.	x. सर्वेक्षण भूखण्ड सं. 167 के भाग में सम्मिलित जोगाबाई के नाम से प्रसिद्ध टीला, जामिया नगर
32.	xi. प्लेटफार्म के दोनों प्रवेश द्वारों के साथ शमसी तालाब, महरौली
33.	xii. कश्मीरी गेट के बाहर की ओर निकलसन मूर्ति, इसका प्लेटफार्म, इसके आस पास के उद्यान, मार्ग एवं अहाता दीवार
34.	xiii. कुदासीया मस्जिद बाग स्थित सीज बैटरी स्थल
35.	xiv. कुदासीया मस्जिद बाग स्थित सीज बैठरी स्थल
36.	xv. सत नारायण भवन
	गुजरात
37.	i. प्राचीन स्थल, सेजकपुर, जिला सुरेन्द्रनगर
38.	ii. ऐतिहासिक स्थल सं. 431 से 435 , वडोदरा
	जम्मू और कश्मीर
39.	i. शीतला, नारद, बाहा तथा राधा कृष्ण की शैल नक्काशी (बसोहली)।
40.	ii. शेर पर सवार देवी की शैली नक्काशी
41.	iii. विश्वेश्वर गुफा मंदिर, तथा अन्य गुफा मंदिर (बसोहली)
	कर्नाटक
42.	i. प्रागैतिहासिक स्थल, किटूटर
43.	ii. प्रागैतिहासिक स्थल, चिकाजला
44.	iii. प्रागैतिहासिक स्थल, हैजला
45.	iv. बीजापुर स्थित नंदीकेश्वर उत्कीर्ण
	मध्य प्रदेश
46.	i. शैलउत्कीर्ण
47.	ii. फ्रेसको बछाऊं चित्रकारियां, गहिरा, रेवा
	महाराष्ट्र
48.	i. जरासंघ नगरी, जोर्व, अहमदनगर
49.	ii. प्रस्तर मंडल, अरसोदा, गढ़चिरौली
50.	iii. बीस महापाषाण समाधि अथवा किस्टवेंस समूह, चमोरशी गढ़चिरौली

1	2
51.	iv. प्रस्तर मंडल, निल्ढो
52.	v. प्रस्तर मंडल, टकलघाट नागपुर
53.	vi. पुरानी यूरोपीयन कब्र, पुणे
54.	vii. एक बुर्ज, अगरकोट
55.	viii. गुफा के ऊपर पुर्तगाली मठ और उससे लगी पहाड़ी पर विशाल गुमटी, मडंपेश्वर बौरीवली
	राजस्थान
56.	i. मंदिर, बारन, अभिलेख, नागर, टोंक
57.	ii. अवशेष, जेओरा, निलोध
58.	iii. पुरातत्वीय स्थल
	उत्तर प्रदेश
59.	i. ओनला रेलवे स्टेशन स्थल, बरेली
60.	ii. कच्ची ईटों के किले में लेफ्टेनेंट कर्नल जोन गुथरी की कब्र, फर्रूखाबाद
61.	iii. प्राचीन मूर्तियां, उत्कीर्ण, प्रतिरूप, नक्काशी, अभिलेख, प्रस्तर और अन्य ऐसी ही वस्तुएं मथुरा
62.	iv. कटरा टीले का भाग जो नजुल भू-स्वामियों के स्वामित्व में नहीं है जिस पर औपचारिक रूप से कृष्ण देव का मंदिर है जो विखंडित हो गया था और इस स्थल का उपयोग औरंगजेब की मजिस्द के लिए किया गया, मथुरा
63.	v. किला स्मारक चंद्रपुर किला, बिजनौर
64.	vi. किला रेलवे स्टेशन के पास स्मारक, हाथरस
65.	vii. पुराना ब्रिटिश कब्रिस्तान, बिजनौर
66.	viii. बन्द कब्रिस्तान, कटरा नाका, बांदा
67.	ix. संडी खेड़ा नामक विशाल ध्वस्त स्थल, पाली, शाहबाद, जिला हरदोई
68.	x. कब्रिस्तान, जालौन (बस स्टैंड), जिला जालौन
69.	xi. तोपची बरकिल का मकबरा, रनगांव, महरेनी, ललितपुर
70.	xii. इमामबाड़ा अकतन-उद-दौला,
71.	xiii. लखनऊ फैजाबाद रोड पर 3, 4 और 5 मील पर स्थित तीन मकबरे, लखनऊ
72.	ivx. 6 तथा 7 मील पर कब्रिस्तान, जहरैला रोडद्व तहसील लखनऊ,

1	2
73.	xv. गौ घाट स्थित कब्रिस्तान, लखनऊ
74.	xvi. विशाल मंदिर, रामनगर, चित्रकूट के अवशेष
	पश्चिम बंगाल
75.	i. टीला और सूर्य की मूर्ति
76.	ii. जैन मूर्ति वाला टीला
77.	iii. पेड़ के नीचे महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा का प्रतिरूप
78.	iv. मंदिर स्थल जहां केवल एक टीला है।
79.	v. टीला और उस पर नंदी की मूर्ति
80.	vi. गणेश और नंदी की मूर्तियों वाला टीला
81.	vii. किला नाडिया के अवशेष, पश्चिम बंगाल
	बिहार
82.	i. तीन छोटे लिंग मंदिर मंडल 1000 ई. के अवशेष, अहूगी मिर्जापुर
83.	ii. पहाड़ी की पश्चिमी और पूर्वोत्तर तलहटी पर महापाषाण सहित तीन स्थल, चंदौली
84.	iii. कोषागार भवन पर फलक, वाराणसी
85.	iv. तेलिया नाला बौद्ध अवशेष, वाराणसी
86.	v. प्राचीन भवन के भग्नावशेष सहित वट वृक्षों का उपवन, अमावे, बलिया
87.	vi. सुरी-का-राज नाम से विख्यात डीह या टीले के अवशेष
88.	vii. ईंट के भग्नावशेषों का टीला, साहिया, कुशीनगर
89.	viii. विशाल टीला श्रृंखला, गोरखपुर
90.	ix परकोटों और किला के नाम से विख्यात पुराने किले में "रानी के महल" के रूप में विख्यात टीले के अवशेष, बिहार शरीफ, नालंदा
91.	x. विशाल डीह अथवा टीला, चेशन, कसिया, कुशीनगर
92.	xi. सरिया कहे जाने वाले टीले के अवशेष, कुशीनगर

विवरण II

स्मारकों की सूची जिन्हें लुप्त/न खोजे जा सकने योग्य के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।

क्र.सं.	निष्पादन लेखा परीक्षा द्वारा लुप्त दिखाये गए स्मारकों के नाम	टिप्पणियां
1	2	3
असम (गुवाहाटी मंडल)		
1.	चूमड़ी परिसर, तेजपुर में प्रतिमाएं	चूकिं प्रतिमाओं को अन्य स्थलों पर स्थान्तरित कर दिया गया है इसलिए इन्हें खोया हुआ नहीं माना जा सकता है।
आंध्र प्रदेश (हैदराबाद मंडल)		
2.	पुरातन बौद्ध अवशेष और ब्रामी उत्कीर्ण	स्थल का स्थान पहचाना हुआ है अत: इसे खोया हुआ नहीं माना जा सकता है।
3.	प्रतिमाएं, उत्कीर्ण, प्रतिकृति या ऐसी ही अन्य वस्तुएं	
4.	नागर्जुनाकोंडा की पहाड़ियों सहित प्राचीन अवशेष	ये स्थल डूब गए है अत: इन्हें खोया हुआ नहीं माना जा सकता है।
5.	प्राचीन टिले पर प्रतिमाएं, उत्कीर्ण, प्रतिकृतियां।	
6.	प्रतिमाएं उत्कीर्ण, बिंब या ऐसी ही पायी गई अन्य वस्तुएं।	

1	2	3
	तमिलनाडु (चैन्ने मंडल)	
7.	एक जैन मूर्ति	
8.	प्राचीन कस्बे की दीवार और डेविड येल।	ये स्मारक विलुप्त नहीं है।
9.	जोजफ हेनमर का मकबरा	
	उत्तराखंड (देहरादून मंडल)	
10.	वेराटापट्टना सहित स्थानीय रूप से पहचाने गए प्राचीन भवनों के अवशेष	स्थल को ढूंढा जा चुका है।
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली मंडल)	
11.	शेरशाह का मोती दरवाजा, दिल्ली	मोती दरवाजा और शेरशाह दरवाजा एक ही है और इन्हें खोया हुआ नहीं माना जा सकता है।
12.	नजफगढ़ झील के पास पूल चदर मुगल जल का स्रोत	पूल चदर का स्थान का पता लग चुका है।
13.	अलीपुर कब्रगाह	कब्रगाह के स्थान का पता लग चुका है।
14.	कैप्टन मैक बारनेट और अन्यों का मकबरा	मकबरे के स्थान का पता लग चुका है।
15.	जोगाबाई नामक टीला	जोगाबाई टीले के स्थान का पता लग चुका है।
16.	चबूतरा प्रवेश दरवाजों सहित शमसी तलाब	शमसी तलाब को विलुप्त नहीं माना जा सकता है।
17.	निकोलसन मूर्ति और उसका चबूतरा	मूर्ति के स्थल का पता चल चुका है।
18.	सत नारायण भवन	सत नारायण भवन को पहले से ही माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार अधिसूचना से बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार इसे विलुप्त नहीं माना जा सकता है।
गुजरात (वडोदरा मंडल)		
19.	प्राचीन स्थल	इस स्थान का पता लग चुका है।
20.	ऐतिहासिक स्थल सं. 431 से 435	इस स्थान का पता लग चुका है।
जम्मू और कश्मीर (श्रीनगर मंडल)		
21.	शीतला, नारदा, ब्रह्मा, और राधा कृष्ण के शैलकृत उत्कीर्ण	स्थल को लुप्त नहीं माना जा सकता है चूंकि यह डूब चूका है।
23.	शेर पर सवार देवी का शैलकृत उत्कीर्ण	स्थल को लुप्त नहीं माना जा सकता है चूंकि यह डूब चूका है।
23.	विश्वेश्वर और अन्य गुफा मंदिर	स्थल को लुप्त नहीं माना जा सकता है चूंकि यह डूब चूका है।

1	2	3
कर्नाटक (बंगलुरू मंडल)		
24.	प्रागेतिहासिक स्थल, किट्टूर	स्थल को लुप्त नहीं माना जा सकता है चूंकि यह डूब चूका है।
25.	प्रागेतिहासिक स्थल, चिकाजला	
26.	प्रागेतिहासिक स्थल, हैजला	दोनों स्थलों का पता लग चुका है परंतु इसका पूर्ण रूप से अतिक्रमण किया जा चुका है।
कर्नाटक (धारवाड़ मंडल)		
27.	बीजापुर में नंदीकेशवर अभिलेख	यह स्मारक मौजूद है और इसे लुप्त नहीं माना जा सकता है।
महाराष्ट्र (औरंगाबाद मंडल)		
28.	जोरव, अहमदाबाद में जरासंघ नगरी।	
29.	अरसोडा, गढ़चिरोली में पत्थर का वर्तुल	यहां कोई स्मारक लुप्त नहीं हुआ है।
30.	महापाषाणीय समाधियों का समूह और किस्तवियन्स चामोरसी, गढ़चिरोली	
31.	नीलडहो में पत्थर का वर्तुल	
32.	तालाघाट, नागपुर में पत्थर का वर्तुल	
राजस्थान (जयपुर मंडल)		
33.	जेओरा, नीलोढ़ में पुरातत्वीय स्थल और अवशेष	स्थान का पता लग चुका है।
	उत्तर प्रदेश (आगरा मंडल)	
34.	खेड़ा की बाड़ी, पुरानी कब्रगाह	खेड़ा की बानी का पता लग चुका है।
35.	अनोला रेलवे स्टेशन स्थल, बरेली	आगरा मंडल के इन स्मारकों में से कोई भी लुप्त नहीं है।
36.	लैफ्टीनेंट कर्नल जोन गुथरी मढ़ फोर्ट, फर्रूकाबाद	
37.	प्राचीन प्रतिमाएं, उत्कीर्ण, बैस रैलिक्स, प्रतिकृति, अभिलेख, प्रस्तर और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं, मथुरा	
38.	कटरा टीले का भाग जो कि नजुल के किरायेदारों के अधिकार में नहीं है जिस पर पहले केशव देव का एक मंदिर था जिसे हटाकर स्थल का उपयोग औरंगजेब की मस्जिद के लिए किया गया, मथुरा।	

1	2	3
39.	चांदपुर किले का स्मारक, बिजनोर	
40.	रेलवे स्टेशन किले के नजदीक का स्मारक, हाथरस	
41.	प्राचीन ब्रिटिश कब्रगाह, बिजनोर पश्चिम बंगाल (कोलकाता मंडल)	
42.	एक टीला और सूर्य की मूर्ति सभी छह स्मारक डूब चुके है अतः इन्हें लुप्त नहीं माना जा सकता है।	
43.	एक टीले सहित जैन मूर्ति	
44.	वृक्ष के नीचे महिषासुर का मर्दन करती हुई दुर्गा की प्रतिकृति	
45.	एक टीले के रूप में मंदिर का स्थल	
46.	एक टीले सहित नंदी की प्रतिकृति	
47.	एक टीले सहित गणेश और नंदी की मूर्ति	

[अनुवाद]

बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर

2855. श्रीमती प्रिया दत्त:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा'
श्री प्रेमचन्द गुड्डू

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों के निर्माण हेतु क्या मानदंड हैं;

(ख) देश में स्थापित किए गए ऐसे परिसरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई धनराशि का परिसर-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) से (ग) बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर स्कीम नामक (बच्चों के लिए स्कीम सहित) पूव्र स्कीम के अन्तर्गत देश भर में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों का निर्माण किया गया है। स्कीम में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, सृजनात्मक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता परिसरों की स्थाना हेतु राज्य सरकार द्वारा सृजित स्वायत्तशासी निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता की राशि परियोजना लागत का 50% थी। तथापि, उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए इसका अनुपात 90:10 था। उक्त स्कीम दिनांक 01.04.2007 से बंद कर दी गई थी। निर्मित किए गए 49 बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों तथा संस्वीकृत धनराशियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये है।

(घ) और (ङ) जी, हां। संस्कृति मंत्रालय की बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में भारत सरकार से वित्तीय सहायता की

राशि दो किस्तों किस्तों में जाती है। बहु उद्देशीय सांस्कृतिक परिसर, उज्जैन के संबंध में वित्तीय सहायता की प्रथम किस्त को मध्य प्रदेश सरकार को पहले ही जारी किया जा चुका है जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है;

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	एमपीसीसी परियोजना का नाम	जारी की गई प्रथम किस्त की राशि	प्रथम किस्त को जारी करने की तारीख	जारी किए जाने हेतु देय द्वितीय किस्त की राशि
1.	उज्जैन	60.00	13.09.2005	40.00

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी तक स्कीम के प्रावधानों के अनुसार उज्जैन में परियोजना के संबंध में अपेक्षित वास्तविक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट तथा द्वितीय एवं अंतिम किस्म को जारी करने के लिए जरूरी अन्य संगत सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

विवरण

बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की सूची

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	एमपीसीसी की अवस्थिति	श्रेणी	संस्वीकृत राशि	राज्यवार कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आध्र प्रदेश	हैदराबाद	II	100.00	650.00
	(5)	करीमनगर	II	100.00	
		कावुरी हिल्स, हैदराबाद	I	250.00	
		मिरयलगुडा	II	100.00	
		सूर्यपेट	II	100.00	
2.	अरूणाचल प्रदेश (4)	किमिन	II	180.00	990.00
		नाहरलागुन	I	450.00	
		सिंगचुंग	II	180.00	
		शाली	II	180.00	
3.	असम (3)	गुवाहाटी	II	180.00	513.00
		नाजिरा	II	166.5	
		जोनांकी	II	166.5	

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	पटना	II	35.00	35.00
5.	छत्तीसगढ़	रायपुर	II	100.00	100.00
6.	गुजरात	गांधीनगर	I	250.00	250.00
7.	हरियाणा	कुरूक्षेत्र	I	250.00	250.00
8.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	I	250.00	250.00
9.	जम्मू और कश्मीर (2)	जम्मू	II	100.00	320.32
		लेह	I	220.32	
10.	झारखंड	हजारीबाग	II	100.00	100.00
11.	कर्नाटक (2)	बेल्लारी	II	100.00	140.00
		हस्सन	II	40.00	
12.	केरल (2)	त्रिवेंद्रम	II	100.00	200.00
		कोजिकोड	II	100.00	
13.	मध्य प्रदेश (4)	रेवा	II	100.00	400.00
		ग्वालियर	II	100.00	
		जबलपुर	II	100.00	
		उज्जैन	II	100.00	
14.	महाराष्ट्र	नांदेड	I	250.00	250.00
15.	मणिपुर	इम्फाल	I	450.00	450.00
16.	मेघालय	शिलांग	II	135.00	135.00
17.	मिजोरम	बेरा लांग	II	180.00	360.00
		लुंगलई	II	180.00	
18.	नागालैंड (4)	मोकोचुंग	II	180.00	
		लुंगलई	II	180.00	
18.	नागालैंड (4)	मोकोचुंग	II	180.00	720.00
		जुन्हेबोटो	II	180.00	
		दीमापुर	II	180.00	
		कोहिमा	II	180.00	

1	2	3	4	5	6
19.	ओडिशा	भुवनेश्वर	I	230.00	230.00
20.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	II	100.00	100.00
21.	पंजाब	चंडीगढ़	II	50.00	50.00
22.	राजस्थान	भीलवाड़ा	II	100.00	100.00
23.	त्रिपुरा	अगरतला	I	450.00	450.00
24.	उत्तर प्रदेश (2)	वाराणसी	II	100.00	200.00
		गौतम बुद्ध नगर नोएडा	II	100.00	
25.	पश्चिम बंगाल	रॉडन स्कवेयर	I	250.00	
		सॉल्ट लेक, (कोलकाता)	II	100.00	
		आचार्य जे सी बोस मार्ग	II	100.00	
		धाकुरिया	II	100.00	
		कोलकाता	II	100.00	
परियोजनाओं की कुल संख्या		49			

[हिन्दी]

खरीद प्रणाली

2856. श्री प्रदीप कुमार सिंह: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना को कार्यान्वित करने हेतु खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण से संबंधित प्रणाली से खामियों को दूर करने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा खरीदे गए धान में से चावल मिलों द्वारा प्रसंस्कृत चावल की आपूर्ति में विलंब के कारण सरकार को हुई राजस्व हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से उपायों का प्रस्ताव किया गया है?

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के वी. थॉमस): (क) और (ख) प्रत्येक विपणन मौसम की शुरूआत से पहले, सरकार राज्यों के खाद्य सचिवों, भारतीय खाद्य निगम और अन्य हितधारकों की एक बैठक बुलाती है ताकि आगामी विपणन मौसम में खरीद संबंधी व्यवस्था के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा सके। खोले जाने वाले खरीद केन्द्रों की संख्या, पैकेजिंग सामग्री एवं भंडारण स्थान आदि जैसी व्यवस्थाओं पर इस बैठक में विचार-विमर्श किया जाता है। अतिरिक्त खरीद केन्द्र खोलने की आवश्यकता, यदि कोई हो तो, समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाती है। खरीद मौसम के दौरान अपेक्षित अतिरिक्त खरीद केन्द्र भी खोले जाते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाद्ययान्नों के उठान की भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(ग) खरीफ विपणन मौसम 2012-13 से सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें केन्द्रीय पूल में चावल की डिलीवरी के लिए समय-सीमा और राज्य सरकारों को डिलीवरी पूरी करने हेतु समय बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। यदि कोई राज्य सरकार अपने लिए अंतिम रूप से निर्धारित अंतिम तारीख तक कस्टम मिल्ड चावल (सीएमआर)/लेवी चावल की डिलीवरी करने में असफल रहता है तो उसे संबंधित मिलरों से सीएमआर की डिलीवरी न करने के कारण हुई हानियों की वसूली करनी होगी और मिलरों द्वारा विलम्ब से डिलीवर किए गए सीएमआर का निपटान स्वयं करना होगा तथा परिणामी हानि, यदि कोई हो, तो उसे वहन करना होगा।

[अनुवाद]

पीडीएस का कम्प्यूटरीकरण

2857. श्री एस. सेम्मलई:
राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अपेक्षित लाभार्थियों को वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि तक इस प्रयोजनार्थ राज्यों द्वारा मांगी गई सहायता और उनको प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार पीडीएस की कार्यकुशलता में सुधार करने और अनियमितताओं को रोकने के लिए इसमें बायोमीट्रिक प्रौद्योगिकी को लाना और उसका विस्तार करना चाह रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया पूरी करने में और बायोमीट्रिक प्रौद्योगिकी लाने में देरी के क्या कारण हैं और इसके विस्तार को सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) आशयित लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित करने सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने टीपीडीएस प्रचालनों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कम्प्यूटरीकरण के लिए योजना स्कीम का घटक-1 अनुमोदित किया है। स्कीम के घटक-1 में राशन कार्डो/लाभार्थियों और अन्य डाटाबेसों का डिजिटीकरण, आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन का कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता पोर्टल और शिकायत निपटान तंत्रों की स्थापना शामिल हैं।

यह स्कीम 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अंतर्गत 884.07 करोड़ रुपए की कुल लागत से लागत-साझेदारी के आधार पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई है, जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 489.37 करोड़ रुपए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्सा 394.70 करोड़ रुपए है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच लागत-साझेदारी 90:10 आधार पर होगी जबकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागत साझेदारी 50:50 आधार पर होगी। स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) तकनीकी भागीदार है और इसने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार प्रयोग के लिए एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (सीएएस) तैयार किया है। टीपीडीएस के कम्प्यूटरीकरण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। दिनांक 23.8.2013 तक 13 राज्यों को कुल 132.32 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी हां। बायोमीट्रिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से टीपीडीएस के अंतर्गत लाभार्थियों की सही पहचान और अधिप्रमाणन सुनिश्चित होगा। इससे जाली/अपात्र राशन कार्डों और उनमें उल्लिखित यूनिटों की डी-डुप्लीकेशन किया जाएगा। वर्तमान में ऊपर पैरा (क) और (ख) में उल्लिखित स्कीम के घटक-1 का कार्यान्वयन किया जा रहा है, उचित दर दुकानों (एफपीएस) के स्वचलन के सही मॉडल अर्थात स्कीम के घटक-2 को सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

विवरण-I

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण के संबंध में योजना स्कीम के घटक-1 के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति

i. लाभभोगियों के डाटाबेस के डिजिटाइजेशन से जाली राशन कार्ड समाप्त करने और राजसहायता का बेहतर लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिलेगी। अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दमण एवं दीव, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पंजाब, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में राशन कार्डो/लाभार्थियों के डाटाबेस का डिजिटाइजेशन पूरा कर लिया गया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इस कार्य के प्रगति पर होने की सूचना है।

ii. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कम्प्यूटरीकरण से भारतीय खाद्य निगम से लेकर उचित दर दुकानों तक आबंटित खाद्यान्नों के संचलन का पता लगाए जाने में मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला के स्वचलन का कार्य पूरा हो गया है। आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दमण एवं दीव, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह कार्य प्रगति पर है।

iii. लाभभोगियों की सूची उन से संबंधित उचित दर दुकानों, भंडारण गोदामों/डिपुओं, राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालयों/अधिकारियों, आबंटित खाद्यान्नों आदि के बारे में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना को सार्वजनिक करने से पारदर्शिता बढ़ेगी। अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना का पारदर्शी पोर्टल सृजित कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में यह कार्य प्रगति पर है।

iv. उचित दर दुकानों पर भेजे गए/उपलब्ध खाद्यान्नों के संबंध में एसएमएस अलर्ट के माध्यम से सूचना का प्रसार छत्तीसगढ़, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र और पश्चिम बंगाल राज्य में किया जा रहा है। असम, चंडीगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश राज्यों में यह कार्य प्रगति पर है।

अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कॉल सेंटर/टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर स्थापित कर दिया गया है। झारखंड, मिजोरम, नागालैंड और पुडुचेरी में यह कार्य प्रगति पर है।

छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में शिकायतों के पंजीकरण करने और उनका पता लगाने के लिए ऑन लाइन शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध है। झारखंड, केरल और महाराष्ट्र मं यह कार्य प्रगति पर है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 (23.08.2013 तक) के दौरान 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों के संपूर्ण कंप्यूटरीकरण' से संबंधित योजना स्कीम के घटक-1 के तहत जारी की गई राज्यवार निधियां दर्शाने वाला ब्यौरा

(रुपए करोड़ में)

		निधियां जारी		
क्र.सं.	राज्य	2012-13	2013-14 (23.08.2013 तक)	जोड़
1.	जम्मू और कश्मीर	-	6.11	6.11
2.	झारखंड	-	9.47	9.47
3.	मध्य प्रदेश	5.43	11.91	17.34
4.	महाराष्ट्र	-	20.92	20.92
5.	मणिपुर	2.60	1.64	4.24
6.	मेघालय	-	5.51	5.51
7.	मिजोरम	4.91	-	4.91
8.	नागालैंड	3.39	2.14	5.53
9.	ओडिशा	11.08	-	11.08
10.	पंजाब	7.79	-	7.79
11.	त्रिपुरा	-	5.85	5.85
12.	उत्तर प्रदेश	-	28.33	28.33
13.	उत्तराखंड	5.24	-	5.24
	कुल	40.44	91.88	132.32

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी

2858. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री पी. करूणाकरन:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री हरिन पाठक:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

श्री सुशील कुमार सिंह:
श्री एस. अलागिरी:
श्री रतन सिंह अजनाला:
श्री रतन सिंह:
श्री सुदर्शन भगत:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्री अंजनकुमार एम.यादव:
श्री हरीश चौधरी:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री एम.तम्बिदुरई:
श्री जोस के. मणि:
श्री शिवराम गौडा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राइस मॉनिटरिंग सैल को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आवश्यक वस्तुओं में मूल्य प्रवृत्ति संबंधी सूचना का संग्रहण और विश्लेषण करने और उसे समितियों/सरकार को पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त रिपोर्टों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, कालाबाजारी और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को विभिन्न विनियमों को कड़ाई से लागू करने के निदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं और उक्त अवधि के दौरान उल्लंघनों की संख्या, मारे गए छापों और जब्त की गई विभिन्न मदों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या उक्त अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि की कम दर के कारण कालाबाजारी और जमाखोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) मूल्य निगरानी कक्ष की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ चुनिन्दा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को मॉनीटर करने के उद्देश्य से की गई है। यह मॉनीटरिंग दैनिक आधार पर खुदरा एवं थोक दोनों कीमतों के संबंध में की जाती है। यह कक्ष 22 आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को मॉनीटर करता है जिनमें चावल, गेहूं, ढालें, चीनी, खाद्य तेल और सब्जियां शामिल हैं। ये कीमतें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नागरिक आपूर्ति विभागों द्वारा पूरे देश के 57 रिपोर्टिंग केन्द्रों से एकत्रित की जाती हैं।

प्राप्त मूल्य आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट हस्तक्षेप किए जाते हैं। निरंतर मूल्य निगरानी और अंतर मंत्रालयी परामर्शों के आधार पर मूल्य वृद्धि को रोकने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं। ये मुख्यत: शून्य अथवा रियायती आयात शुल्क पर आम खपत की विभिन्न वस्तुओं के आयात की अनुमति देने के साथ निर्यात पर प्रत्रिबंध, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक होल्डिंग सीमाओं को निर्धारित करना और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करना है।

(ग) से (च) आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जमाखोरी रोधी कार्य करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रभावी कार्रवाई करने में समक्षम बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। राज्य सरकारों को 15.2.2002 के केन्द्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को प्रास्थगन में रखकर स्टॉक सीमा अधिरोपित करने में सक्षम बनाने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में दालें, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में स्टॉक सीमा 30.9.2013 तक और चावल और धान के संबंध में 30.11.2013 तक है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की भी शक्ति दी गई है जिनकी गतिविधियां समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाएं। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट की गई नजरबंदियों की कुल संख्या विवरण-I पर संलग्न है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नियमों के उल्लंघन के संबंध में वर्ष 2013 के दौरान (30.07.2013 तक) मारे गए छापों, जब्त किए गए माल के मूल्य और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा विवरण-II पर संलग्न है।

विवरण I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथासूचित गिरफ्तारियो की संख्या

(30.07.2013 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5
गुजरात	79	67	41	21
तमिलनाडु	120	198	187	92

1	2	3	4	5
ओडिशा	02	-	-	-
महाराष्ट्र	02	05	03	01
आंध्र प्रदेश	01	-	-	-
छत्तीसगढ़	01	-	-	-
कुल	205	270	231	114

विवरण II

वर्ष 2013 के दौरान (30.7.2013 तक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई छापेमारी का ब्यौरा

मारे गए छापों की संख्या	67228
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	2836
अभियोजित व्यक्तियों की संख्या	1554
दोषसिद्ध व्यक्तियों की संख्या	898
जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य	53529.11 लाख रुपए

[अनुवाद]

पीडीएस के अंतर्गत गेहूं की आपूर्ति

2859. श्री आनंदराव अडसुलः
श्री राजय्या सिरिसिल्लाः
श्री गजानन ध. बाबरः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः
श्रीमती श्रुति चौधरीः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री जी.एम. सिद्देश्वरः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत आपूर्ति किए जा रहे घटिया गुणवत्ता वाले और पौष्टिक रूप से घटिया गेहूं और खाद्यान्नों के संबंध में राज्य सरकारों सहित विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें/रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों में विभिन्न गोदामों का स्टॉक भी घटिया गुणवत्ता वाला पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घटिया गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, पौषणिक रूप से घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2012-13 तथा चालू वर्ष (दिनांक 1.8.2013 की स्थिति के अनुसार) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घटिया गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों की खरीद विभाग द्वारा तैयार किए गए एकसमान मानदंडों के अनुसार की जाती है। खरीदा गया खाद्यान्न कवर्ड गोदामों तथा कैप (कवर और प्लिंथ) भंडारों (केवल गेहूं और धान) में अलग-अलग अवधि के लिए रखा जाता है। चावल का भंडारण केवल कवर्ड गोदामों में किया जाता है। भंडारण के दौरान भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए भंडारण की वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाई जाती हैं। कीटों के नियंत्रण के लिए नियमित रोगनिरोधक तथा रोगहर उपचार किए जाते हैं। नियमित रूप से उचित वातन, सफाई तथा ब्रशिंग (खाद्यान्नों की बोरियों की) की जाती है। भंडारों में खाद्यान्नों की गुणवत्ता के परिरक्षण के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जाते हैं, तथापि विभिन्न कारणों जैसे कीटों के आक्रमण, छतों के लीक होने, अवैज्ञानिक भंडारण की स्थिति में नमी के संपर्क में आने, बाढ़ अथवा निवारक उपाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा लापरवाही आदि के कारण खाद्यान्नों की कुछ मात्रा क्षतिग्रस्त हो जाती है। दिनांक 1.8.2013 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य खाद्यान्नों का राज्यवार तथा जिंसवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केवल अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न ही जारी किया जाए, भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

दिनांक 1.8.2013 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2012-13 तथा 2013 तथा 2013-14 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत घटिया किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में प्राप्त शिकायतें

वर्ष	राज्य	शिकायत	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
2013-14	उत्तर प्रदेश	श्री अतुल गुप्ता, निवासी बहराईच सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शाहजहांपुर से घटिया चावल का स्टॉक जारी करने के संबध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से राज्य सरकारों को अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। प्रधान सचिव (खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग), से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न जारी करना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
	केरल	श्री सुरेश कुमार, निवासी कालीकट से केरल में सार्जजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घटिया गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	इस मंत्रालय के एक अधिकारी तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों को तैनात करके शिकायत की जांच करवाई गई थी। रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए स्टॉक जारी करने से पहले स्टॉक की ग्रेड बढ़ाने के लिए उपचारात्मक उपाय करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केवल अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न ही जारी करना सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया था। इसके अलावा चूककर्ता स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। प्रधान सचिव (खाद्य से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न जारी करना सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
	महाराष्ट्र	श्री अनिल मिश्रा, महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य से महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घटिया गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम तथा प्रधान सचिव (खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग) महाराष्ट्र सरकार से भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति तथा वितरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।
2012-13	पुदुचेरी	राज्य में घटिया किस्म के चावल के स्टाक की आपूर्ति के संबंध में राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पुदुचेरी से शिकायत प्राप्त हुई थी।	भारतीय खाद्य निगम तथा पुदुचेरी राज्य सरकार के जरिए मामले की जांच करवाई गई थी। शिकायत सही नहीं पाई गई थी।

1	2	3	4
	महाराष्ट्र	भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए संदूषित गेहूं के स्टाक जारी किए जाने के संबंध में मार्च/अप्रैल, 2012 के दौरान महाराष्ट्र राजय भंडारण निगम औरंगाबाद से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र की जांच करवाई गई थी जिन्होंने यह सूचित किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संदूषित स्टाक प्रदान नहीं किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केवल अच्छी किस्म का खाद्यान्न ही जारी किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह सूचित किया है कि एक प्रकरण में मौजे गनोरी, तालुका, फुलांबरी और औरंगाबाद में उचित दर दुकान पर प्राप्त संदूषित गेहूं को बदल दिया गया था और कार्ड धारकों को उचित औसत किस्म का गेहूं वितरित किया गया था।
	गुजरात	भारतीय खाद्य निगम से आपूर्ति किए जा रहे घटिया किस्म के खाद्यान्नों के बारे में मई, 2012 में श्री जीवाभाई अंबालाल पटेल, पूर्व संसद सदस्य (लोक सभा) से एक शिकायत प्रापत हुई थी और अनुदेश जारी किए जाने का अनुरोध किया गया था।	शिकायत में कोई विशिष्ट प्रकरण नहीं बताया गया था, तथा, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अच्छी किस्म के खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए व्यापक प्रक्रिया से शिकायतकर्ता को अवगत करा दिया गया है।
	उत्तर प्रदेश	सुश्री अन्नू टंडन, माननीय सांसद, लोक सभा से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के संजरखेड़ा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत घटिया गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी।	शिकायत की जांच करने के लिए माह अप्रैल, 2013 में मंत्रालय के एक अधिकारी को तैनात किया गया था जिसने उस क्षेत्र में उचित दर दुकानों तथा गोदामों, जहां से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई थी का निरीक्षण किया था तथा पाया कि उचित दर दुकान तथा गोदानों में रखा गया स्टॉक जारी करने संबंधी मानदंडों के भीतर था।

विवरण-II

क्षेत्र का नाम	गेहूं	चावल	धान	अन्य	जोड़
1	2	3	4	5	6
		पूर्वी अंचल			
बिहार	596	88	11	0	695
झारखंड	3.42	6.54	0	0	9.96
ओडिशा	11.63	0	0	0	11.63

1	2	3	4	5	6
पश्चिम बंगाल	7969	589	0	0	8558
"अंचल कुल"	8580.05	683.54	11	0	9274.59
		पूर्वोत्तर अंचल			
असम	0	90.58	0	0	90.58
अरुणाचल प्रदेश	0	5	0	0	5
पूर्वोत्तर सीमांत (मेघालय/ मिजोरम/त्रिपुरा)	470.88	117.16	0	0	588.04
नागालैंड एवं मणिपुर	0	0	0	0	0
"अंचल कुल"	470.88	212.74	0	0	683.62
		उत्तरी अंचल			
दिल्ली	18.69	0	0	0	18.69
हरियाणा	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
पंजाब	0	1.35	0	0	1.35
राजस्थान	185.75	0	0	0	185.75
उत्तर प्रदेश	229.42	9.99	0	0	239.41
उत्तराखंड	11.4	0	0	0	11.4
"अंचल कुल"	445.26	11.34	0	0	456.6
दक्षिणी अंचल					
आंध्र प्रदेश	24.72	7.38	0	0	32.1
केरल	29	136	0	0	165
कर्नाटक	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	734.25	6.37	0	0	740.62
"अंचल कुल"	787.97	149.75	0	0	937.72
पश्चिम अंचल					
गुजरात	325	11	0	0	336
महाराष्ट्र	181	27	0	0	208

1	2	3	4	5	6
मध्य प्रदेश	17.13	0	0	0	17.13
छत्तीसगढ़	55.74	47.73	0	0	103.47
"अंचल कुल"	578.87	85.73	0	0	664.6
"देश कुल"	10863.03	1143.1	11	0	12017.13

राज्य एजेंसियों के पास स्टॉट	फसल वर्ष	पंजाब	हरियाणा
	2011-12	2430	796
	2010-11	6897	5084
	2009-10	29092	2329
गेहूं	2008-09	23435	0
	2007-08	1024	0
	2006-07	0	0
	2005-06	0	0
	2004-05	0	0
	पुराना	1	0
	जोड़	62879	8209

पंजाब की राज्य एजेंसियों के पास जारी न करने योग्य गेहूं की कुल मात्रा 62879 टन (पीएएफसी 35322, पीएसडब्ल्यूसी-2820, एनग्रेन-13469, पनसप-721 ओर मार्कफेड-10547) तथा हरियाणा की राज्य एजेंसियों के पास 8209 टन (एफ एंड एस-2998, हेफेड-2467, एचएआईसी-991, एचडब्ल्यूसी-0 और कॉनफेड-1753) मात्रा उपलब्ध होने की सूचना है और इसे आवधिक और 100% निरीक्षणों के दौरान उन्नयन योग्य चिन्हित किए गए अनुसार अलग करने/बचाने और साउंड स्टॉक के जारी होने के बाद कैप/कवर्ड सटॉक से एकत्रित किया गया है

विवरण-III

राज्य सरकारों और भारतीय खाद्य निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति के जारी किए गए अनुदेश

(i) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कीट जंतु बाधा से मुक्त और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के मानकों/नियमों (पूर्व में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम) के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न ही जारी करने होते हैं।

(ii) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टाक का उठान करने से पहले खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने होते हैं।

(iii) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के स्टाक में से खाद्यान्नों के नमूने भारतीय खाद्य निगम और राज्य खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लिए और सील बंद किए जाते हैं। उचित दर दुकानों के मालिकों को एक शिकायत रजिस्टर रखना होता है ताकि यदि जारी किए गए खाद्यान्नों की गुणवत्ता उचित न हो तो उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।

(iv) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के स्टाक की सुपुर्दगीलेने के लिए तैनात किए जाने वाला राज्य सरकार प्राधिकारी निरीक्षक के पद से कम का नहीं होना चाहिए।

(v) राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा खाद्यान्नों की गुणवत्ता

की जांच करने के लिए नियमित निरीक्षण किया जाना होता है और मंत्रालय के गुण नियंत्रण सैल के अधिकारियों द्वारा औचक जांच की जानी होती है।

(vi) यह सुनिश्चित करना संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी होती है कि वितरण शृंखला में ढुलाई और भंडारण की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान खाद्यान्नों की अपेक्षित गुणवत्ता विनिर्दिष्टियां बनी रहें।

(vii) राज्य सरकार, जहां विकेन्द्रीकृत खरीद योजना प्रचालन में है, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अधीन जारी खाद्यान्नों की गुणवत्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अधीन वांछित मानकों को पूरा करें।

[हिन्दी]

सीआईएल का लाभ

2860. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ **ललन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी अनुषंगी कंपनियों का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2012-13 में 18% बढ़ा है लेकिन चालू वर्ष में इसका उत्पादन पिछले वर्ष के मुकाबले केवल 3.7% ही बढ़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुषंगी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कोयला उत्पादन और संबंधित विकासकारी योजनाओं में उक्त लाभ का निवेश करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) सहायक कंपनी-वार पिछले वर्ष अर्थात 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के संबंध में लगभग 18% की वृद्धि हुई है।

(करोड़ रुपए में)

कंपनी	कर पूर्व लाभ			
	2012-13	2011-12	अंतर	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	1897.18	962.13	935.05	97.19
भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल)	1709.06	822.36	886.70	107.82
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	2683.56	1970.24	713.32	36.20
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	4420.58	4265.67	154.91	3.63
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)	428.87	440.50	-11.63	-2.64
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	6290.37	6002.87	284.50	4.79
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	6202.48	5463.69	738.69	13.52
सीआईएल एनईसी एंड अन्य	1346.94	1345.20	1.74	0.13
समग्र सीआईएल	24979.04	21272.66	3706.38	17.42

वर्ष 2012-13 के दौरान सहायक कंपनी-वार कोयला उत्पादक और कोल इंडिया लि. की वृद्धि प्रतिशतता नीचे दी गई है।

कंपनी	उत्पादन (मि.ट)		वृद्धि%
	2012-13	2011-12	
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल)	33.911	30.558	11.0
भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल)	31.213	30.207	3.3
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (सीसीएल)	48.061	48.004	0.1
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल)	70.021	66.401	5.5
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यूसीएल)	42.287	43.110	-1.9
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल)	118.219	113.837	3.8
महानदी कोलफील्ड्स लि. (एमसीएल)	107.894	103.119	4.6
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एनईसीएल)	0.605	0.602	0.5
कुल कोल इंडिया लि.	452.211	435.838	3.8

(ग) और (घ) सीआईएल ने 2012-13 में 482.00 मि.ट. के उत्पादन की योजना बनायी है और 12वीं योजना के अन्तिम वर्ष (2016-17) में 615 मि.ट. का उत्पादन करने का विचार किया गया है। 2013-14 में अपने घरेलू क्रियाकलापों के लिए 5000 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय तथा विदेशों में परिसम्पतियों के अर्जन एवं मोजाम्बिक में कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए 4000 करोड़ रुपए का तदर्थ प्रावधान करने का विचार किया गया है:

(i) सीआईएल ने अपने घरेलू क्रियाकलापों के लिए 12वीं योजना (2012-17) के दौरान 25,400.00 करोड़ रुपए का निवेश करने का विचार किया है जिसमें से रेल अवसंरचना परियोजनाओं के लिए लगभग 7500.00 करोड़ रुपए का निवेश करने का विचार है।

(ii) 12वीं योजना (2012-17) के दौरान 35,000.00 करोड़ रुपए (विदेशों में कोयला परिसम्पतियों के अर्जन के लिए 25,000.00 करोड़ रुपए तथा मोजाम्बिक में कोयला ब्लॉकों के विकास के लिए 10,000.00 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त तदर्थ प्रावधान रखा गया है।

(iii) सीआईएल की गत वर्ष के कोयला उत्पादन के प्रति टन पर 5 रुपए की शर्त पर गत वर्ष की सुरक्षित आय के 5% पर आधारित अपनी सीएसआर क्रियाकलापों की वित्त-व्यवस्था की एक नीति है। उपर्युक्त में से, परियोजना स्थल के 15 किलोमीटर की परिधि के भीतर कार्यान्वित किए जा रहे सीएसआर क्रियाकलापों के लिए 4% की अनुमति होगी और शेष 1% उन राज्यों में सहायक कंपनियों द्वारा सीएसआर क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने के लिए आबंटित किया जाएगा जो सहायक कंपनी से संबंधित है।

(iv) अपने आरएंडआर क्रियाकलापों में लाभ का एक भाग निवेश किया जाता है।

[अनुवाद]

मौसम के पूर्वानुमान संबंधी कार्रवाई

2861. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात के समाचार मिले हैं कि कुछ राज्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में मौसम विभाग की चेतावनियों पर अमल नहीं करते हैं और इसके परिणामस्वरूप उनको जान-माल की भारी क्षति का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि राज्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में मौसम विभाग की चेतावनियों पर अमल नहीं करते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बी.आई.एस. द्वारा छापे

2862. राजकुमारी रत्ना सिंहः
श्री रतन सिंहः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) अधिनियम, 1986 के अधीन मारे जाने वाले छापों की संख्या में गिरावट के रूख के कारण उक्त अधिनियम के अंतर्गत मानकों के उल्लंघन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में कितने छापे मारे गए, कितने उल्लंघनों का पता चला और कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए; और

(ग) उक्त अधिनियम की कड़ाई से अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) भारतीय मानक ब्यूरो उन मामलों का निपटान करता है जहां विनिर्माता मानक ब्यूरो के मानक चिह्न का प्रयोग बिना किसी वैध लाइसेंस के करते हैं। ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के उपबंधों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए छापे मारे जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान मारे गए छापों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (21.08.2013 के अनुसार)
मारे गए छापों की सं.	135	125	112	30

ऐसे छापों की संख्या को उक्त अधिनियम के उल्लंघरों के बढ़ने/घटने से नहीं जोड़ा जा सकता।

छापों के निष्कर्षों के आधार पर अपराधियों के बढ़ने/घटने से नहीं जोड़ा जा सकता।

छापों के निष्कर्षों के आधार पर अपराधियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए आगे की कार्रवाई की जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान संबंधित न्यायालयों में दायर मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (21.08.2013 को)
न्यायालय में दायर मामलों की सं.	124	115	78	04

(ग) अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने और विनिर्माताओं/व्यापारियों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिह्न के दुरूपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i) नकली और घटिया उत्पादों का पता लगाने के लिए नियमित बाजार सर्वेक्षण और छापे मारना।

(ii) असली और नकली आईएसआई चिह्न में भेद करने के लिए जागरूकता अभियान।

(iii) अभियोजन मामलों की नियमित निगरानी।

कोयले हेतु प्राइस पूलिंग तन्त्र

2863. श्री सी. शिवासामीः
श्री सुशील कुमार सिंहः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयले हेतु प्राइस पूलिंगतन्त्र को कार्यान्वित करने के लिए एक मंत्रिसमूह का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समूह की सिफारिश क्या हैं; और

(ग) उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) सरकार ने कोयले के प्राइस पूलिंग तंत्र को कार्यान्वित करने` लिए किसी मंत्री समूह का गठन नहीं किया है। घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयले के प्राइस पूलिंग का मुद्दा आर्थिक मामलों संबंधी, मंत्री मंडल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सीसीईए ने घरेलू कोयले के साथ आयातित कोयला के प्राइस पूलिंग के प्रस्ताव सहित देश में तापीय विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) को कोयला आपूर्तियां बढ़ाने के विभिन्न विकल्पों पर विचार किया था। सीसीईए ने दिनांक 21.06.2013 को हुई अपनी बैठक में 12वीं योजना के शेष चार वर्षों के दौरान 78,000 मे. वा. की क्षमता सहित विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति हेतु ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया था। तथापि, वास्तविक कोयले की आपूर्ति अपेक्षित दीर्घावधिक विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) हो जाने के पश्चात ही उपलब्ध होगी। कोयले की उपलब्धता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन चार वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए घरेलू कोयले की आपूर्ति 65%, 65%, 67% तथा 75% तक सीमित कर दी गई है। शेष ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) बाध्ययताओं को पूरा करने हेतु कोल इंडिया लि. (सीआईएल) इच्छुक विद्युत संयंत्र से लागत जमा आधार पर कोयले का आयात तथा उसकी आपूर्ति कर सकता है। विद्युत संयंत्र यदि चाहें स्वयं भी कोयले का सीधा आयात कर सकते हैं। तदनुसार कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति की ओर से निदेश सीआईएल को 17.07. 2013 को जारी किए गए हैं।

सी.ए.पी.एफ. में जनजातीय युवकों की भर्ती

2864. श्री पी. कुमार:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री संजय भोई:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का माओवादी उग्रवाद से प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों से पूर्णत: स्थानीय जनजातीय युवकों की भर्ती करके एक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल का गठन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव के क्या प्रयोजन हैं;

(ग) क्या सरकार संभावित उम्मीदवारों हेतु भर्ती मानकों को शिथिल करने पर भी विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मानकों में शिथिलता लाए जाने की आवश्यकता क्या है; और

(ङ) जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं को माओवादी संगठनों में शामिल होने से रोकने के लिए उनको अधिक से अधिक संख्या में भर्ती करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) मंत्रालय, 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) जिलों के जनजातीय युवकों सहित सभी वर्ग के युवाओं की भर्ती करने के लिए, ताकि इन जिलों के युवाओं को लाभप्रद कार्य में लगाया जा सके और उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सके, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के पहले से ही स्वीकृत दो बटालियनों को ऑक्जीलियरी बटालियनों में बदलने पर विचार कर रहा है।

(ग) और (घ) सरकार सभी वर्गों के संभवित अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के मापदण्ड में रियायत देने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि पूर्व की भर्तियों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलो (सी.ए.पी.एफ.) द्वारा यह नोट किय गया है कि बहुत से संभावित अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं आयु के मापदण्ड को पूरा नहीं कर पाने के कारण इसमें अयोग्य हो जाते हैं।

(ङ) जनजातीय क्षेत्रों सहित सरकार द्वारा उन क्षेत्रों/जिलों में सीएपीएफ द्वारा विशेष भर्ती रैलियों का संचालन किया जाता है, जहां कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी)/बल द्वारा संचालित भर्ती में निर्धारित निक्तियों में बड़ी संख्या खाली रह जाती है। ऐसी भर्तियों पर कुल व्यय, उन जिलों की संख्या जहां कि विशेष भर्ती रैलियों का संचालन किया जाना है, रिक्तियों की संख्या, पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, यदि संभावित अभ्यर्थियों को बलों द्वारा प्रदान किया जाता है तो भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या आदि जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है।

जनजातीय युवकों पर विशेष रूप से किए जाने वाले व्यय के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा संचालित कांस्टेबल/जीडी भर्ती-2012-13 में कुल 12.52 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। वर्ष 2013 में वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में सीएपीएफ द्वारा संचालित कांस्टेबल/जीडी की वर्ष 2011-12

की भरी न जा सकने वाली रिक्तियों के विरूद्ध विशेष भर्ती रैलियों में संभावित अभ्यर्थियों के भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण और भर्ती रैलियों के संचालन हेतु 1,57,27,600/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

गेहूं और चावल की किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान

2865. श्री चार्ल्स डिएस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम पानी से पैदा होने वाली और अधिक पैदावार देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों के विकास हेतु अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में इस्तेमाल में लाई जा रही अधिक पैदावार देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों का ब्यौरा क्या है और ये किन स्थानों पर उपलब्ध हैं; और

(ग) वर्तमान में विकासाधीन बीजों के नाम और ब्यौरा तथा उनसे कितनी पैदावार होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) चावल के लिये चावल अनुसंधान निदेशालय (डीआरआर), हैदराबाद और केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), कटक और गेहूं के लिये गेहूं अनुसंधान निदेशालय (डीडब्ल्यूआर), करनाल के साथ-साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली और विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (वीपीकेएएस), अल्मोड़ा उच्च उपज देने वाली ऐसी किस्मों के विकास में संलग्न हैं जिनकी जल आवश्यक कम होती है। डीआरआर और डीडब्ल्यूआर देश में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के केन्द्रो जो विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) में स्थित है, के माध्यम से क्रमश: धान और गेहूं पर शोध कार्यक्रमों का समन्वय भी कर रहे है।

(ख) किस्मों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

विवरण I

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा आश्रित एवं प्रतिबंधित सिंचाई दशाओं के तहत खेती के लिए उपयुक्त गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों की सूची

किस्में	क्षेत्र	संस्थानों के पास उपलब्ध बीज
1	2	3
एचएस 240, एचएस 365, एचएस 507, (पूसा सुकेती), यूपी 1109, वीएल 738, वीएल 804, वीएल 832, वीएल 907	उत्तर पहाड़ी क्षेत्र	एचएस: आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र शिमला वीएल: वीपीकेएएस, अल्मोड़ा यूपी: पंतनगर एचपीडब्ल्यू: सीएसके एचपीकेवी पालमपुर
एचपीडब्ल्यू 251, एचएस 277, वीएल 892 एचएस 420, (शिवालिक), एचएस 490, वीएल 892		
पीबीडब्ल्यू 396, डब्ल्यूएच 1025, डब्ल्यू एच 1080, एचडी 3043, पीबीडब्ल्यू 644	उत्तर पश्चिम मैदानी क्षेत्र	पीबीडब्ल्यू:पीएयू, लुधियाना डब्ल्यूएच: सीसीएस एचएयू, हिसार एचडी: आईएआरआई, नई दिल्ली
एचडीआर 77, एचडी 2888, के 8027, (माघर), के 8962 (इन्दिरा), के 9465, (गोमती), एमएसीएस 6145	उत्तरी पूर्वी समतल क्षेत्र	एचडीआर: आईएआरआई, नई दिल्ली एचडी: आईएआरआई, नई दिल्ली के: सीएसएयूए एण्ड टी, कानपुर एमएसीएस: एआरआई, पुणे

1	2	3
एचडी 2987, (पूसा बहार), एचडी 4672, (माल्वा रत्न), एचआई 1500, (अमृपा), एचआई 1531 (हर्षिता), एचआई 7483 (मेघदूत), एचडब्ल्यू, 2004 (अमर), जेडब्ल्यूएस 17 (स्वपनील), एमपी 4388	केन्द्रीय क्षेत्र	एचडी: आईएआरआई, नई दिल्ली एचआई: आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर एचडब्ल्यू: आईएआरआई, क्षेत्रीय केन्द्र, वेलिंगटन, तमिलनाडु जेडब्ल्यूएस: जेएनकेवीवी, जबलपुर एमपी: जेएनकेवीवी, जबलपुर
एकेडीडब्ल्यू 2997-16, एचडी 2781 (आदित्य), के 9644 (अटल), एनआई 5439	प्रायद्वीपीय क्षेत्र	एकेडीडब्ल्यू: पीडीकेवी, अकोला के: सीएसएयूए एण्ड टी, कानपुर एनआई: एमपीकेवी अनुसंधान केन्द्र एनआईपीएचएडी
एचडब्ल्यू 1085 (भवानी), एचडब्ल्यू 2044	दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र	एचडब्ल्यू: आईएआरआई वेलिंगटन, तमिलनाडु

ऊंची भूमि दशाओं के तहत खेती के लिए कम जल आवश्यकता वाले उच्च उपज देने वाली धान की कुछ किस्मों की सूची

किस्म	संस्तुत राज्य	संस्थान के पास बीज उपलब्धता
सीआर धान 201	छत्तीसगढ़ और बिहार	सीआरआरआई, कटक
सीआर धान 202	झारखण्ड और ओडिशा	सीआरआरआई, कटक
सीआर धान 204	झारखण्ड और तमिलनाडु	सीआरआरआई, कटक
प्यारी	ओडिशा	सीआरआरआई, कटक
सीआर धान 40	झारखण्ड और महाराष्ट्र	सीआरआरआई, कटक
सहभागीधान	झारखण्ड और ओडिशा	सीआरआरआई, कटक
अंजली	झारखण्ड और ओडिशा असम, त्रिपुरा	सीआरआरआई क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, हजारी बाग
पंत धान 16	पश्चिम बंगाल, बिहार,	जीबीपीयूएण्डटी, पंतनगर
अभिषेक	उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, झारखण्ड	सीआरआरआई अनुसंधान केन्द्र, हजारी बाग
शुष्क सम्राट	उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार	एनडीएयूएण्डटी, फैजाबाद
वीरेन्द्र	ओडिशा, गुजरात	डीआरआर, हैदराबाद
आरसी मणिफोऊ 11	मेघालय, मणिपुर	लाम्फलपेट, मणिपुर
अन्नाडा	ओडिशा	सीआरआरआई, कटक
गोविंद	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	जीबीपीयूएण्डटी, पंतनगर
मारूतारू सन्नालू	आंध्र प्रदेश	एएनजीआरएयू, हैदराबाद
पंत धान 16	पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा	जीबीपीयूएण्डटी, पंतनगर
राजेन्द्र भगवती	बिहार	आरएयू, पूसा बिहार

विवरण II

कम पानी की जरूरत वाली रिलीज हेतु अधिसूचना की प्रक्रिया के तहत किस्में

संवर्धन नाम और विवरण	खेती के लिए संस्तुत राज्य	पैदावार क्षमता (टन/है.)
चावल		
सीआर 2696–आईआर 83920	झारखंड एंड तमिलनाडु	4.0
सीआर 2715–13–आईआर 84899	झारखंड और ओडिशा	3.8
सीआर 2721–81–3	छत्तीसगढ़ और बिहार	3.8
आर 1570–2649–1–1546–1	गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु	4.0
गेहूं		
एचपीडब्ल्यू 349	नार्थ हिल जोन	2.59
एचडब्ल्यू 5216 (पूसा थनमलाई)	तमिलनाडु, कर्नाटक	4.21

नक्सल प्रभावित राज्यों में पुलों का निर्माण

2866. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री एन. पीताम्बर कुरूप:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संपर्क शुरू करने के लिए अंतर-राज्यीय पुलों के निर्माण का कार्य अपने हाथों में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं के राज्य-वार नाम क्या हैं जिन्हें शुरू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (ग) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) 8 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में फरवरी, 2009 में सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी-1) का कार्यान्वयन कर रहा है। आरआरपी-1 में अंतरराज्यीय पुल भी शामिल हैं। आरआरपी-1 के अंतर्गत सामरिक महत्व के मुख्य अंतर राज्य के पुलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	अंतर-राज्य पुल का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	ओडिशा/आंध्र प्रदेश सीमा पर मल्कानगिरि में मोटु चिन्तुरू पर सिलेरु पुल	दिनांक 08.03.2011 को 33.97 करोड़ रुपये हेतु व्यापक अनुमान स्वीकृत किया गया। कार्य फरवरी, 2012 में दिया गया। पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 02.02.2014 है।
2.	ओडिशा/आंध्र प्रदेश सीमा के निकट मल्कानगिरि में चित्राकोंडा पेपरमेटला पर गुरूप्रिया पुल	दिनांक 06.12.2010 को 45.00 करोड़ रुपये का व्यापक-अनुदान स्वीकृत किया गया। 3 बार टेण्डरों पर कोई कार्रवाई नहीं।

1	2	3
3.	ओडिशा/छत्तीसगढ़ सीमा पर मल्कानगिरी में पोडिया डोमापाल मार्ग पर सबरी पुल	छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी ने अपनी राज्य योजना के तहत योजना का अनोमदन किया। जनवरी, 2012 में कार्य दिया गया और स्थल पर आरंभ हो गया है।
4.	ओडिशा/छत्तीसगढ़ सीमा पर गोविंदपल्ली महुपदा पर चकाबुका नाला पर पुल	दिनांक 15.12.2010 को 80.54 करोड़ रुपये हेतु व्यापक अनुमान स्वीकृत किया गया। सितम्बर, 2011 में काम दिया गया और कार्य प्रगति पर है। कुल 8% कार्य पूर्ण है।
5.	महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश सीमा पर गढ़चिरौली पर सीरोंचा नगरम कलेश्वर पर गोदावरी नदी पर पुल	दिनांक 10.03.2011 को 185.82 करोड़ रुपये हेतु व्यापक अनुमान स्वीकृत किया गया। अप्रैल, 2011 में कार्य दिया गया और कार्य प्रगति पर है। कुल 25% कार्य पूर्ण है।
6.	महाराष्ट्र/छत्तीसगढ़ सीमा पर निजामाबाद-जगदलपुर मार्ग पर (एनएच-16) इंदिरावती नदी पर पुल	दिसम्बर, 2011 में 156.26 करोड़ रुपये का अनुमान स्वीकृत किया गया। टेण्डरों में कमजोर प्रतिक्रिया मिली। सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य पीडब्ल्यूडी को टेण्डरों की ईपीसी पद्धति अपनाने का निर्देश दिया जो प्रगति पर हैं।
7.	सोनभ्रद (उत्तर प्रदेश) में कौन नकटवर रानीडीह पर चांचीकला पर पुल	अक्तूबर, 2012 में 8825.61 लाख रुपये का अनुमान स्वीकृत किया गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य पीडब्ल्यूडी को टेण्डर देने की ईपीसी पद्धति अपनाने का निर्देश दिया जो प्रगति पर है।

[हिन्दी]

सूखा राहत

2867. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
श्री भरत राम मेघवाल:
श्री पी. विश्वनाथन:
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में सूखा प्रवण जिलों को चिह्नित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा मांगी गई और दी गई सूखा राहत की धनराशि कितनी है;

(घ) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने केन्द्र सरकार से अतिरिक्त सूखा राहत की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कितनी धनराशि दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) प्रो. एच.सी. हनुमन्त राव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की रिपोर्ट के अनुसार सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के कार्यान्वयन के लिए 74.59 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र अभिज्ञात किया गया था। राज्यवार ब्यौरे विवरण-I पर हैं।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों (2010-11 से 2012-13) तथा चालू वर्ष (2013-2014) के दौरान सूखा राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से राज्यों द्वारा मांगी गई तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता के ब्यौरे विवरण-II पर हैं।

विवरण I

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अंतर्गत शामिल किए गए राज्य, जिले तथा प्रखंड

क्र.सं.	राज्य	जिलों की सं.	प्रखंडों की सं.	क्षेत्र मि.है. में
1.	आंध्र प्रदेश	11	94	9.9218
2.	बिहार	6	30	.9533
3.	छत्तीसगढ़	9	29	2.1801
4.	गुजरात	14	67	4.3938
5.	हिमाचल प्रदेश	3	10	.3319
6.	जम्मू और कश्मीर	6	22	1.4705
7.	झारखंड	15	100	3.4843
8.	कर्नाटक	17	81	8.4332
9.	मध्य प्रदेश	26	105	8.9101
10.	महाराष्ट्र	25	149	19.4473
11.	ओडिशा	8	47	2.6178
12.	राजस्थान	11	32	3.1968
13.	तमिलनाडु	18	80	2.9416
14.	उत्तर प्रदेश	15	60	3.5698
15.	उत्तराखंड	7	30	1.5796
16.	पश्चिम बंगाल	4	36	1.1594
	कुल	195	972	74.5913

विवरण II

2010-10, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-13 (22.08.2013 तक) के सूखा हेतु राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से मांगी गई तथा अनुमोदित सहायता

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11 का सूखा		2011-12 का सूखा		2012-13 का सूखा		2013-14 का सूखा	
		राज्य द्वारा की गई मांग	अनुमोदित सहायता*	राज्य द्वारा की गई मांग	अनुमोदित सहायता*	राज्य द्वारा की गई मांग	अनुमोदित सहायता*	राज्य द्वारा की गई मांग	अनुमोदित सहायता*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	3006.41	706.15	1090.78	142.97**	किसी भी राज्य ने सूखे की	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	बिहार	6573.45	1459.54	-	-	-	-	घोषणा नहीं की है तथा 2013-14 के दौरान एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता की मांग नहीं की है।	
3.	गुजरात	-	-	-	-	7357.54	864.71		
4.	झारखंड	2871.00	855.30	-	-	-	-		
5.	कर्नाटक	-	-	2605.99	469.03	7672.40	526.06		
6.	केरल	-	-	-	-	2528.85	170.5		
7.	महाराष्ट्र	-	-	1073.15	574.71	5033.47	1815.07		
8.	ओडिशा	1576.80	376.55	-	-	-	-		
9.	राजस्थान	-	-	-	-	1107.99	320.64		
10.	तमिलनाडु					19665.13	642.69**		
11.	पश्चिम बंगाल	1100.00	724.99	-	-	-	-		

* संबंधित राज्य सरकार से राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध शेष 75 प्रतिशत के समायोजन के अध्यधीन।

** अंतरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा अनुशंसित।

[अनुवाद]

फसलों की बुआई

2868. श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री जितेन्द्र सिंह मलिक:
श्री एम. कृष्णास्वामी:
श्री जगदीश ठाकोर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की बुआई असमान और कम वर्षा के कारण प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान मानसून के दौरान कृषि संबंधी/कृषि जलवायु क्षेत्र का राज्य-वार और क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है हां अत्यधिक या कम वर्षा हुई है;

(घ) क्या सरकार ने असमान/कम वर्षा के पैटर्न एवं इसके कृषि पर प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है और इस संबंध में राज्य सरकारों को अनुदेश दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा किसानों को विपरीत मौसम में फसल उगाने के बारे में जानकारी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं एवं किसानों को इस संबंध में क्या वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों में चालू फसल मौसम सहित देश के कुछ हिस्सों में असमान/कम वर्षा के कारण फसल की बुआई प्रभावित हुई है। फसलों की बुआई 2010 में झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में, 2011 में ओडिशा, बिहार, गुजरात, तथा हरियाणा तथा 2012 में कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान में प्रभावित हुई थी। चालू मौसम में बिहार, झारखंड तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में फसल की बुआई प्रभावित हुई है।

(ख) वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के अंतर्गत राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) चालू मानसून में राज्यवार तथा मौसम विज्ञानीय उप-खंडवार वर्षा वितरण संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार नियमित रूप से देश के वर्षा तथा फसल बुआई स्थिति को मानिटर करती है। उपयुक्त कृषि अनुदेश संबंधित राज्य सरकारों को भेजे जा रहे हैं। केन्द्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए) ने विभिन्न असामान्य मौसम परिस्थितियों के लिए राज्यवार आकस्मिकता फसल योजना भी तैयार की है। भारत सरकार के अधिकारियों ने स्थान मूल्यांकन तथा उपयुक्त कार्य हेतु राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए क्षेत्रीय दौरे किए हैं।

(च) भारत सरकार आकस्मिकता फसल योजनाओं के संबंध में विस्तार एजेंसियों के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श देती है। चल रहे फसल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अनिवार्य वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण I

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान प्रमुख खरीफ फसलों का राज्यवार क्षेत्र

('000 हेक्टेयर)

राज्य	चावल				मोटे अनाज				दलहन				खाद्यान्न			
	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
आंध्र प्रदेश	2922.0	2874.0	2487.0	1020.0	693.0	748.0	814.0	734.0	996.8	711.0	702.0	531.0	4611.8	4333.0	4003.0	2285.0
असम	2171.6	2152.1	1841.0	1864.0	25.0	26.9	25.0	19.0	7.1	5.7	5.0	6.0	2203.7	2184.7	1871.0	1889.0
बिहार	2743.7	3254.8	3170.3	1666.0	253.4	283.9	295.1	455.0	63.1	56.1	57.5	77.0	3060.2	3594.7	3522.9	2198.0
छत्तीसगढ़	3702.5	3773.8	3784.8	3394.0	277.7	265.9	260.9	254.0	219.0	219.3	195.9	248.0	4199.2	4259.0	4241.6	3896.0
गुजरात	728.0	752.0	672.0	744.0	1426.0	1407.0	1098.0	725.0	612.0	620.0	447.0	222.0	2766.0	2779.0	2217.0	1691.0
हरियाणा	1245.0	1235.0	1215.0	1154.0	743.0	651.0	476.0	529.0	59.0	39.0	25.0	21.0	2047.0	1925.0	1716.0	1704.0
हिमाचल प्रदेश	77.1	77.2	81.3	76.0	304.4	302.3	291.9	305.0	20.2	21.1	21.4	20.0	401.7	400.7	394.6	401.0
जम्मू और कश्मीर	261.3	262.2	261.7	111.0	334.2	347.3	344.7	218.0	25.8	23.7	24.6	18.0	621.3	633.1	631.0	347.0
झारखंड	720.3	1469.0	1352.7	718.0	241.6	220.7	238.9	234.0	299.2	240.0	336.3	282.0	1261.1	1929.7	1927.8	1234.0
कर्नाटक	1130.0	1118.0	1051.0	541.0	2478.1	2392.0	2249.0	2059.0	1639.0	1337.0	1146.0	1305.0	5247.1	4847.0	4446.0	3905.0
केरल	162.1	160.9	150.0	177.0	2.6	0.7	0.5		2.6	1.8	0.7		167.3	163.4	151.1	177.0
मध्य प्रदेश	1602.9	1662.0	1882.6	1736.0	1676.9	1681.8	1554.6	1628.0	1172.0	1195.8	1272.8	1277.0	4451.8	4539.6	4710.0	4641.0
महाराष्ट्र	1486.0	1516.0	1520.0	1288.0	2976.0	2667.0	2271.0	2477.0	2467.0	2118.0	1903.0	1876.0	6929.0	6301.0	5694.0	5641.0
ओडिशा	3932.7	3769.2	3748.5	2643.0	206.9	182.8	176.1	403.0	512.7	418.4	498.3	398.0	4652.3	4370.4	4423.0	3444.0
पंजाब	2831.0	2818.0	2845.0	2773.0	136.0	129.0	132.0	152.0	14.8	13.0	10.4	15.0	2981.8	2960.0	2987.4	2940.0
राजस्थान	131.1	134.3	125.6	115.0	7376.1	6628.6	5661.0	5561.0	2916.1	2971.5	1955.6	1868.0	10423.4	9734.4	7742.3	7544.0
तमिलनाडु	1743.0	1741.3	1443.6	257.0	480.7	470.2	372.4	58.0	174.9	205.8	168.9	46.0	2398.6	2417.3	1985.0	361.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
उत्तर प्रदेश	5657.0	5923.0	5837.0	5788.0	1893.0	1834.0	1792.0	1846.0	989.0	865.0	875.0	982.0	8539.0	8622.0	8504.0	8616.0
उत्तराखंड	273.7	266.0	249.0	246.0	232.3	225.0	227.0	217.0	37.8	39.0	43.0	42.0	543.7	530.0	519.0	505.0
पश्चिम बंगाल	3574.3	4212.6	4216.1	3315.0	45.6	43.6	53.8	58.0	48.3	47.2	54.9	52.0	3668.2	4303.4	4324.8	3425.0
अन्य	953.5	967.6	920.3	836.0	250.3	244.8	231.9	220.0	43.1	42.0	53.6	39.0	1246.9	1254.3	1205.8	1095.0
अखिल भारत	38048.8	40139.0	38854.5	30462.0	22052.7	20752.5	18565.7	18152.0	12319.6	11190.3	9797.0	9325.0	72421.1	72081.7	67217.1	57939.0

*चौथा अग्रिम अनुमान स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

**16 अगस्त, 2013 तक, साप्ताहिक मौसम निगरानी रिपोर्ट के अनुसार

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान प्रमुख खरीफ फसलों का राज्यवार क्षेत्र

('000 हेक्टेयर)

राज्य	तिलहन				गन्ना				कपास			
	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**	2010-11	2011-12	2012-13*	2013-14**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	1840.0	1537.0	1521.0	1168.0	192.0	204.0	196.0	168.0	1879.0	1879.0	2400.0	1941.0
असम	20.7	20.7	21.0	1.0	29.7	25.7	28.0	30.0				
बिहार	5.8	5.2	6.4	7.0	248.0	218.3	262.8	275.0				
छत्तीसगढ़	225.4	218.8	216.8	230.0	8.3	9.1	13.5					
गुजरात	2555.0	2631.0	2233.0	2175.0	190.0	202.0	185.0	185.0	2633.0	2962.0	2497.0	2663.0
हरियाणा	5.5	8.0	6.2	3.0	85.0	95.0	101.0	120.0	492.0	641.0	614.0	556.0
हिमाचल प्रदेश	4.5	3.9	3.7		1.7	2.1	1.7					
जम्मू और कश्मीर	4.6	4.4	4.8	5.0	0.0	0.0	0.0			0.0		
झारखंड	54.6	29.2	35.6		6.6	6.6	6.7					
कर्नाटक	1150.0	990.0	861.0	944.0	423.0	430.0	425.0	348.0	545.0	554.0	485.0	505.0
केरल	2.0	1.8	1.0	0.0	2.8	2.6	1.7					
मध्य प्रदेश	6159.8	6296.3	6646.3	6918.0	65.1	69.2	59.5	77.0	650.0	706.0	608.0	621.0
महाराष्ट्र	3174.0	3381.0	3508.0	4161.0	965.0	1022.0	937.0	570.0	3942.0	4125.0	4146.0	3847.0
ओडिशा	195.1	155.5	140.0	125.0	13.1	14.5	14.5	39.0	74.0	102.0	119.0	124.0
पंजाब	7.9	7.0	6.8	9.0	70.0	80.0	83.0	96.0	530.0	560.0	481.0	505.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजस्थान	1808.1	2115.7	2075.8	1952.0	5.5	6.4	5.5	0.0	335.0	470.0	450.0	293.0
तमिलनाडु	326.1	305.2	257.2	120.0	316.0	346.4	382.5	262.0	122.0	133.0	128.0	5.0
उत्तर प्रदेश	432.0	455.0	453.0	507.0	2125.0	2162.0	2212.0	2517.0				23.0
उत्तराखंड	13.0	15.0	14.0	8.0	106.7	108.0	110.0	111.0				
पश्चिम बंगाल	189.8	187.6	194.7	4.0	15.0	16.1	16.1	19.0				
अन्य	54.4	54.0	55.9	0.0	16.3	17.7	22.2	36.0	33.0	46.0	50.0	10.0
अखिल भारत	18228.3	18422.2	18262.1	18337.0	4884.8	5037.7	5063.7	4853.0	11235.0	12178.0	11978.0	11093.0

*चौथा अग्रिम अनुमान स्रोत: अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

**16 अगस्त, 2013 तक, साप्ताहिक मौसम निगरानी रिपोर्ट के अनुसार

विवरण II

चालू मानसून में राज्यवार वर्षा का वितरण

(मि.मी. में)

क्र. सं.	राज्य	अवधि 01.06.13 से 21.08.13 वास्तविक	सामान्य	%विचलन
1	2	3	4	5
पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत				
1.	अरूणाचल प्रदेश	718.6	1280.6	-44%
2.	असम	846.8	1121	-24%
3.	मेघालय	915	2113.9	-57%
4.	नागालैंड	552.9	996.3	-45%
5.	मणिपुर	473.5	1632.3	-71%
6.	मिजोरम	749.6	1195.8	-37%
7.	त्रिपुरा	788.9	1123.3	-30%
8.	सिक्किम	1023	1275.8	-20%
9.	पश्चिम बंगाल	948.1	965.5	-2%
10.	झारखंड	584.2	760	-23%
11.	बिहार	503.9	708.3	-29%

1	2	3	4	5
उत्तर पश्चिम भारत				
1.	उत्तर प्रदेश	663.2	583.4	14%
2.	उत्तराखंड	1200.1	907.6	32%
3.	हरियाणा	299.8	332.7	-10%
4.	चंडीगढ़ (सं.शा.)	672.8	632	6%
5.	दिल्ली	462.1	465.6	-1%
6.	पंजाब	439.9	361.7	22%
7.	हिमाचल प्रदेश	668.7	614	9%
8.	जम्मू और कश्मीर	572.4	394.2	45%
9.	राजस्थान	446	311.2	43%
मध्य प्रदेश				
1.	ओडिशा	875.1	810	8%
2.	मध्य प्रदेश	1055.1	676.3	56%
3.	गुजरात	623.7	492	27%
4.	दादरा और नागर हवेली	2108.8	1727.4	22%
5.	डीआईयू (सं.शा.)	629.4	557.9	13%
6.	गोवा	2908.2	2540.3	14%
7.	महाराष्ट्र	1039.6	746.4	39%
8.	छत्तीसगढ़	938.1	828	13%
दक्षिण प्रायद्वीप				
1.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह (सं.शा.)	1598.4	1117.8	43%
2.	आंध्र प्रदेश	501.4	401.9	25%
3.	तमिलनाडु	173.9	167	4%
4.	पुदुचेरी (सं.शा.)	371.6	198.3	87%
5.	कर्नाटक	740.6	621.1	19%
6.	केरल	2217.3	1688.2	31%
7.	लक्षदीप (सं.शा.)	859.7	766.4	12%
समग्र देश समग्र रूप में		728.8	638.4	14%

स्रोत: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

विवरण III

चालू मौसम में मौसम विज्ञानीय उपखंड-वार वर्षा वितरण

(मि.मी. में)

क्र.सं.	मौसम विज्ञान उपप्रभाग	अवधि वास्तविक	01.06.2013 से 21.08.2013 सामान्य	%विचलन
1	2	3	4	5
पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत		720.6	1030.8	-30%
1.	अरूणाचल प्रदेश	718.6	1280.6	-44%
2.	असम और मेघालय	860.4	1332.4	-35%
3.	एनएमएमटी	650.4	1094.9	-41%
4.	एसएचडब्ल्यूबी एवं सिक्किम	1288.1	1434.5	-10%
5.	पश्चिम बंगाल गंगा तटीय	808.9	795.3	2%
6.	झारखंड	584.2	760	-23%
7.	बिहार	503.9	708.3	-29%
उत्तर पश्चिम भारत		568.2	444.5	28%
1.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	701.3	613.3	14%
2.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	605.3	538.5	12%
3.	उत्तराखंड	1200.1	907.6	32%
4.	हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली	305.6	337.5	-9%
5.	पंजाब	439.9	361.7	22%
6.	हिमाचल प्रदेश	668.7	614	9%
7.	जम्मू और कश्मीर	572.4	394.2	45%
8.	पश्चिम राजस्थान	279	198	41%
9.	पूर्व राजस्थान	656.4	454.4	44%
मध्य प्रदेश		941.2	707	33%
1.	ओडिशा	875.1	810	8%
2.	पश्चिम मध्य प्रदेश	1028.6	617.5	67%
3.	पूर्वी मध्य प्रदेश	1089.1	751.9	45%

1	2	3	4	5
4.	गुजरात क्षेत्र	833.3	664.3	25%
5.	सौराष्ट्र एवं गोवा	466.2	362.5	29%
6.	कोंकण एवं गोवा	3065.2	2377.1	29%
7.	मध्य महाराष्ट्र	643.5	524.1	23%
8.	मराठवाड़ा	576.3	454.4	27%
9.	विदर्भ	1174.1	697.7	68%
10.	छत्तीसगढ़	938.1	828	13%
दक्षिण प्रायद्वीप		622.9	505.7	23%
1.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1598.4	1117.8	43%
2.	आंध्र प्रदेश तटीय	375.6	368.9	2%
3.	तेलंगाना	763.6	529	44%
4.	रायलसीमा	227.4	231.2	-2%
5.	तमिलनाडु	174.5	167	5%
6.	कर्नाटक तटीय	3150.9	2609	21%
7.	एनआई कर्नाटक	325.6	322.8	1%
8.	एसआई कर्नाटक	612.3	477.5	28%
9.	केरल	2217.3	1688.2	31%
10.	लक्षद्वीप	859.7	766.4	12%
समग्र देश समग्र रूप में		728.8	638.4	14%

स्रोत: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

[हिन्दी]

पशुधन की संख्या

2869. श्री रमाशंकर राजभर:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित देश में पशुधन की गणना की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में दुधारू और संकर नस्ल के पशुओं की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) क्या देश में दुधारु पशुओं की संख्या लगातार गिर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पशुओं की संख्या में वृद्धि एवं उनकी नस्ल में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी हां।

सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में 19वीं पशुधन संगणना आयोजित की है।

(ख) 18वीं पशुधन संगणना, 2007 के अनुसार राज्यवार दुधारू पशुओं अर्थात् गोपशुओं (विदेशी वर्णसंकर तथा स्वेदशी) तथा भैंसों की कुल संख्या विवरण-I में तथा पशुधन प्रजातियों अर्थात गोपशु भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा टट्टू, ऊँट तथा सूअर के संकर/वर्णसंकरित पशुओं की कुल संख्या विवरण-II पर दी गई है।

(ग) और (घ) दुधारू पशुओं की कुल संख्या 2003 में 10.53 करोड़ से बढ़कर 2007 में 11.11 करोड़ हो गई है।

(ङ) विभाग देश में उत्पादकता बढ़ाने के लिए तथा दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

1. राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना
2. राष्ट्रीय डेयरी योजना
3. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ)
4. केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन तथा प्रशिक्षण
5. केन्द्रीय यूथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस)

विवरण I

2007 में दुधारू पशुओं की संख्या

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य	विदेशी/वर्णसंकरित गोपशु	स्वदेशी गोपशु	भैंस	कुल दुधारू पशु
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	828.11	2232.82	6223.72	9284.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.55	90.31	0.50	96.35
3.	असम	152.81	2532.96	148.36	2834.13
4.	बिहार	836.46	2989.88	2845.96	6672.30
5.	छत्तीसगढ़	58.80	2359.56	315.88	2734.24
6.	गोवा	8.30	16.09	16.46	40.85
7.	गुजरात	524.98	2003.55	4389.98	6918.51
8.	हरियाणा	267.81	339.75	2704.05	3311.61
9.	हिमाचल प्रदेश	409.26	459.93	447.64	1316.83
10.	जम्मू और कश्मीर	677.65	591.87	551.03	1820.55
11.	झारखंड	67.26	2146.66	411.85	2625.78
12.	कर्नाटक	1258.92	2655.88	2373.90	6288.70
13.	केरल	745.19	47.77	13.41	806.37
14.	मध्य प्रदेश	204.83	5994.95	3979.50	10179.28
15.	महाराष्ट्र	1622.60	3283.93	3324.93	8231.47
16.	मणिपुर	24.15	73.74	15.56	113.46

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	16.90	276.28	4.11	297.29
18.	मिजोरम	4.37	8.38	1.80	14.55
19.	नागालैंड	79.01	59.87	8.49	147.37
20.	ओडिशा	332.24	2377.45	281.38	2991.06
21.	पंजाब	683.07	166.49	2779.36	3628.92
22.	राजस्थान	397.37	4630.46	5399.95	10427.77
23.	सिक्किम	23.41	18.87	0.07	42.35
24.	तमिलनाडु	3071.47	1240.43	806.08	5117.98
25.	त्रिपुरा	30.19	246.33	4.39	280.91
26.	उत्तर प्रदेश	791.17	5536.56	10564.56	16892.29
27.	उत्तराखंड	156.86	604.89	664.78	1426.53
28.	पश्चिम बंगाल	1054.99	5004.12	174.19	6233.30
29.	अंदमान और निकोबार दीपसमूह	5.42	9.87	2.79	18.08
30.	चंडीगढ़	2.89	0.72	12.17	15.78
31.	दादरा और नागर हवेली	0.55	10.76	1.48	12.78
32.	दमण और दीव	0.02	0.82	0.42	1.26
33.	दिल्ली	25.36	27.59	170.74	223.69
34.	लक्षद्वीप	0.95	0.59	0.00	1.54
35.	पुडुचेरी	38.54	1.82	2.02	42.37
	कुल योग	14407.43	48041.96	48641.48	111090.87

स्रोतः 18वीं पशुधन संगणना 2007 क्विक टेबुलेशन ग्राम स्तरीय कुल (अनतिम) पर आधारित अखिल भारतीय रिपोर्ट

विवरण II

2007 में अन्य ग्रेडिड पशुओं सहित वर्णसंकरित पशुओं की संख्या

(हजार में)

क्र.सं.	राज्य	गोपशु	भैंस	भेड़	बकरी	घोड़ा	टट्टू	ऊंट	सुअर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1897.56	3709.40	15.53	0.00	6.54	0.00	0.00	26.72	5655.75
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.18	3.21	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	49.35	86.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	असम	410.47	0.00	5.18	26.83	0.00	0.14	0.00	974.10	1416.72
4.	बिहार	1885.44	0.00	5.03	0.00	0.00	10.01	0.00	33.69	1934.17
5.	छत्तीसगढ़	210.92	7.63	2.09	25.84	0.10	0.06	0.00	128.35	374.98
6.	गोवा	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	18.51
7.	गुजरात	1141.95	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1156.03
8.	हरियाणा	512.74	0.00	19.06	0.00	0.00	0.01	0.00	31.18	562.99
9.	हिमाचल प्रदेश	776.17	99.50	197.24	0.00	1.44	0.00	0.00	0.54	1074.89
10.	जम्मू और कश्मीर	1682.90	0.00	2449.08	0.25	1.14	0.01	0.01	0.00	4133.40
11.	झारखंड	147.38	5.89	6.38	28.58	0.00	0.00	0.00	81.84	270.08
12.	कर्नाटक	2191.86	53.15	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	204.69	2466.78
13.	केरल	1561.48	4.01	0.00	130.82	0.01	0.00	0.00	43.23	1739.54
14.	मध्य प्रदेश	475.21	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	4.46	11.92	497.41
15.	महाराष्ट्र	3119.86	10.21	66.46	67.92	0.97	0.17	0.00	28.27	3293.85
16.	मणिपुर	66.57	0.00	0.97	1.10	0.00	0.28	0.00	188.66	257.58
17.	मेघालय	26.06	0.00	0.24	0.18	0.01	0.00	0.00	68.83	95.32
18.	मिजोरम	10.69	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	219.77	230.65
19.	नागालैंड	244.73	0.05	1.03	20.36	0.00	0.00	0.00	435.81	701.98
20.	ओडिशा	2074.90	117.23	316.26	692.49	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.89
21.	पंजाब	930.68	3208.85	7.20	0.01	2.63	0.01	0.00	8.46	4157.84
22.	राजस्थान	848.89	188.62	121.49	221.61	0.12	0.09	3.28	161.81	1545.92
23.	सिक्किम	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.20	108.18
24.	तमिलनाडु	7309.83	474.20	981.41	7.99	0.73	0.10	0.00	50.88	8825.14
25.	त्रिपुरा	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.54	173.60
26.	उत्तर प्रदेश	3922.93	6268.64	187.74	1944.20	29.53	7.13	2.26	525.63	12888.04
27.	उत्तराखंड	469.97	329.48	87.53	21.94	0.88	0.06	0.00	9.53	919.38
28.	पश्चिम बंगाल	3289.43	0.00	11.35	120.92	0.00	0.00	0.00	39.65	3461.34
29.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	12.17	0.12	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	6.64	21.32
30.	चंडीगढ़	3.85	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	4.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	दादरा और नागर हवेली	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
32.	दमण और दीव	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
33.	दिल्ली	44.33	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	47.59
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुडुचेरी	78.81	3.27	0.00	68.78	0.00	0.00	0.00	0.00	150.85
	कुल योग	35545.68	14484.39	4523.26	3382.20	44.09	18.06	10.02	3464.26	61471.95

स्रोत: 18वीं पशुधन संगणना 2007 क्विक टेबुलेशन ग्राम स्तरीय कुल (अनंतिम) पर आधारित अखिल भारतीय रिपोर्ट

[अनुवाद]

नारियल उत्पादक किसानों को सहायता

2870. श्री नलिन कुमार कटील:
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नारियल उगाने वाले राज्यों में नारियल उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में फसल खराब हो जाने के कारण नारियल उगाने वाले किसानों को घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने मामले के अध्ययन के लिए केन्द्रीय दल भेजा/भेजने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय दल ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किसी पुरस्कार की घोषणा की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) नारियल उत्पादक राज्यों में 2009-10, 2010-11 और 2011-12 में नारियल उत्पादन के ब्यौर संलग्न विवरण-I पर हैं। 2012-13 के लिए नारियल उतदन के आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) विगत कुछ वर्षों के दौरान कम वर्षा और 2013-14 (जुलाई, 2013 तक) के दौरान सामान्य से कम वर्ष के कारण कर्नाटक में कीटों एवं बीमारियों से नारियल बागान प्रभावित होने की रिपोर्ट मिली है। इसमें अन्य राज्यों में फसल विफलता की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ) और (ङ) बागवानी आयुक्त के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल ने 27 से 29 जुलाई, 2013 के बीच कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र के विभिन्न जिलों का दौरा किया। दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(च) और (छ) नारियल विकास बोर्ड ने संलग्न विवरण-II पर दिए ब्यौरे अनुसार बारहमासी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारम्भ किए हैं।

विवरण I

नारियल उत्पादक राज्यों में नारियल उत्पादन के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन मिलियन टनों में		
		2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	88	102	113
2.	आंध्र प्रदेश	1043	1043	1985

1	2	3	4	5
3.	असम	158	158	158
4.	छत्तीसगढ़	0	10	10
5.	गोवा	138	138	139
6.	गुजरात	169	169	341
7.	कर्नाटक	2340	2340	5893
8.	केरल	6239	6239	6211
9.	लक्षद्वीप	63	63	63
10.	महाराष्ट्र	188	188	188
11.	नागालैण्ड	0	0	0
12.	ओडिशा	297	297	403
13.	पुदुचेरी	31	31	31
14.	तमिलनाडु	5771	5771	5771
15.	त्रिपुरा	13	13	13
16.	पश्चिम बंगाल	383	383	574
	कुल	16918	16943	21892

स्रोत: कृषि एवं सहकारिता विभाग (बागवानी प्रभाग)

विवरण II

नारियल विकास बोर्ड द्वारा प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार श्रेणी	नकद पुरस्कार
1	2	3
1.	सर्वोत्तम नारियल किसान	
	(i) राष्ट्रीय स्तर	रुपये 50,000/-
	(ii) दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र (केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप)	
	(क) बड़े किसान-1 हेक्टे. से उपर नारियल खेती रखने वाले	रुपये 25,000/-
	(ख) छोटे किसान-1 हेक्टे. तक नारियल खेती रखने वाले	रुपये 25,000/-
	(iii) पूर्वी एवं उत्तर क्षेत्र (सभी अन्य राज्य जिन्हें दक्षिण एवं पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत समूहित नहीं किया गया है)	
	(क) बड़े किसान-1 हेक्टे. से उपर नारियल खेती रखने वाले	रुपये 25,000/-
	(ख) छोटे किसान-1 हेक्टे. तक नारियल खेती रखने वाले	रुपये 25,000/-
2.	**सर्वोत्तम नारियल संसाधन**	
	(क) परंपरागत नारियल उत्पादों के लिए	रुपये 50,000/-
	(ख) गैर-परंपरागत नारियल उत्पादों के लिए	रुपये 50,000/-
3.	**सर्वोत्तम अनुसंधान कामगार**	
	(i) नारियल/पोषकीय एवं जैव रसायन निष्कर्षों के लिए उत्पाद विकास/नए अनुप्रयोग और प्रयोग	रुपये 50,000/-

1	2	3
	(ii) मशीनरी/उपस्कर विकास	रुपये 50,000/-
4.	**नारियल आधारित हैंडीक्राफ्ट विनिर्माण में मास्टर क्राफ्टमैन**	
	(i) मास्टर क्राफ्टमैन (बड़ा पैमाना श्रेणी)	रुपये 50,000/-
	(ii) मास्टर क्राफ्टमैन (छोटा पैमाना श्रेणी)	रुपये 25,000/-
5.	**नारियल उत्पादों का सर्वोत्तम निर्यातक**	
	(i) श्रेणी-क (10 करोड़ रु./वर्ष से ऊपर)	रुपये 50,000/-
	(ii) श्रेणी-ख (10 करोड़ रु./वर्ष तक)	रुपये 25,000/-
6.	**नारियल निकास के क्षेत्र में सर्वोत्तम विस्तार कामगार**	रुपये 50,000/-
7.	**नारियल विकास के क्षेत्र में सर्वोत्तम सहकारी समिति/एनजीओ**	रुपये 50,000/-
8.	**सर्वोत्तम पाम क्लाईम्बर**	
	(i) परंपरागत तरीके प्रयोग करते हुए क्लाईन्बर	रुपये 25,0000/-
	(ii) गैर-परंपरागत तरीके प्रयोग करते हुए क्लाईम्बर (क्लाइम्बिंग डिवाईस प्रयोग करते हुए) रुपये 25,000/-	रुपये 25,0000/-
	(iii) बोर्ड की एफओसीटी स्कीम के अंतर्गत आने वाले नारियल क्लाईम्बर	रुपये 25,0000/-
9.	**सर्वोत्तम नारियल उत्पादक समिति (सीपीएस) (दो पुरस्कार)**	रुपये 25,0000/-(प्रत्येक)
10.	**महिलाओं द्वारा संभाली गई सर्वोत्तम नारियल प्रसंस्करण इकाई**	रुपये 25,0000/-

शिक्षकों की रिक्तियां

2871. डॉ. बलीराम: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के अधीन विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों/कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के पद वर्षों से खाली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पद/श्रेणी-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी ने अपने विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए अतिथि अध्यापकों की नियुक्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे अतिथि अध्यापकों को स्थायी करने सहित विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त अतिथि अध्यापकों को प्रदान किए जा रहे वेतन और अन्य भत्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी खाली पदों को कब तक स्थायी आधार पर भरे जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि एनडीएमसी विद्यालयों में शिक्षकों/कर्मचारियों का कोई रिक्त पद नहीं है। स्थायी भर्ती किए जाने तक रिक्त पदों को संविदा शिक्षकों, दिहाड़ी और अतिथि शिक्षकों/अधिकारियों द्वारा भरा जाता है।

दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में खाली पदों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

पद	स्वीकृत	नियमित आधार पर कार्यरत	रिक्त पद
1	2	3	4
शिक्षक	23353	17026	6327

1	2	3	4
सफाई कर्मचारी	1368	1280	88
चौकीदार	1268	1162	106
विद्यालय सहायक	1742	1149	593
नर्सरी आया	956	788	158

ये पद लंबित नियमित नियुक्तियों के कारण रिक्त हैं।

दिल्ली सरकार के विद्यालयों के बारे में ऐसी कोई रिक्त संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इसी वर्ष 225 अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया है। इन अतिथि शिक्षकों को अपनी श्रेणियां अर्थात पीजीटी, टीजीटी आदि के आधार पर प्रति घंटा केवल एक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। इन अतिथि शिक्षकों को पारिश्रमिक के अलावा किसी अन्य सुविधाओं का भुगतान नहीं किया जाता है।

एमसीडी स्कूलों में किसी भी अतिथि शिक्षक की नियुक्ति नहीं की गई। तथापि, रिक्त पदों के लिए संविदा के आधार पर 4279 शिक्षकों को नियुक्त किया गया है।

(ङ) नियमित आधार पर सभी क्ति पदों को भरने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि यह एक नियमित प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

विकेन्द्रीकृत खरीद

2872. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने विकेन्द्रीकृत खरीद योजना को अपनाया है तथा इस योजना से राज्यों को क्या लाभ हुआ है;

(ख) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी योजना की अपनाने में अपनी रुचि दिखाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस योजना ने किस तरह से और किस हद तक केन्द्र सरकार के भण्डारण भार को कम करने में मदद की है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) गेहूं हेतु विकेंद्रीकृत खरीद वाले राज्य

1. मध्य प्रदेश
2. उत्तराखंड
3. छत्तीसगढ़
4. गुजरात
5. पश्चिम बंगाल
6. राजस्थान (वर्ष 2013-14 में अलवर जिला)

चावल हेतु विकेन्द्रीकृत खरीद वाले राज्य

1. उत्तराखंड
2. छत्तीसगढ़
3. ओडिशा
4. तमिलनाडु
5. पश्चिम बंगाल
6. केरल
7. अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह
8. कर्नाटक
9. मध्य प्रदेश
10. आंध्र प्रदेश (वर्ष 2012-13 से केवल 7 जिलों के लिए)

विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के तहत राज्यों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:

(i) राज्यों को खाद्यान्नों की खरीद और उनका वितरण करने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाता है, इस प्रकार खाद्यान्नों की खरीद हेतु केन्द्र सरकार की एजेंसियों पर निर्भरता कम होती है।

(ii) राज्य स्थानीय कृषि को बढ़ावा दे सकता है तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के कवरेज में वृद्धि कर सकता है।

(iii) अधिक स्थानीय उत्पादन और खरीद करने से राज्यों की बाहर से स्टाक लाने में लगने वाले माल भाड़े की बचत होती है।

(vi) अधिक खरीद करने से उच्च लेवी और कर से संबंधित राज्य सरकारें अतिरिक्त राजस्व का अर्जन करेंगी।

(v) राज्यों को केन्द्रीय पूल हेतु अधिक खाद्यान्नों देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कि खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होगी।

(ख) और (ग) भारत सरकार राज्य सरकारों को विकेन्द्रीयकृत खरीद प्रणाली स्कीम को अपनाने के लिए सहमत करने हेतु सक्रिय प्रयास करती है। विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली स्कीम को अपनाने का निर्णय राज्य सरकारों का होता है। इसके निर्धारण कारक संबंधित राज्य सरकारों के पास उपलब्ध अवसंरचना और संसाधन हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सात जिलों में खरीद विपणन मौसम 2012-13 से खरीद की विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली अपनाई है। राजस्थान सरकार ने भी प्रारंभिक रूप से राज्य के अलवर जिले में खरीफ विपणन मौसम 2013-14 से विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली अपनाई है।

(घ) विकेन्द्रीयकृत खरीद प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकारों लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण और वितरण स्वयं इस प्रकार करती हैं कि खरीदे गए खाद्यान्नों का भंडारण राज्यों द्वारा किया जाता है और केन्द्रीय सरकार का भंडारण सुविधा की व्यवस्था करने का बोझ कम हो जाता है।

भूमि संसाधनों का प्रबंधन

2873. श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भूमि संसाधनों के विकास, संरक्षण और प्रबंधन के लिए किसी संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं कि वे कृषि भूमि को 'विशेष श्रेणी' के रूप में अधिसूचित करें जिसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं हो सकता है।;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अपने अनुसंधान संस्थानों नामत: राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो, नागपुर, केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल तथा केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल के माध्यम से भूमि संसाधनों के विकास, संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की जा रही हैं जिनका उपयोग देश में टिकाऊ उच्च कृषि उत्पादकता के लिए अनेक केन्द्रीय तथा राज्य एजेंसियों/संस्थानों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार भूमि राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आती है अत: कृषि भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन हेतु परिवर्तन को रोकने के संबंध में उचित नीति/कानून बनाना राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आता है। यद्यपि कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग की रोकथाम तथा देश की टिकाऊ खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने "किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति-2007" (एनपीएफ-2007) बनाई है इसमें स्पष्ट किया गया है कि "मुख्य कृषि भूमि को सिर्फ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कृषि के लिए अवश्यक सुरक्षित रखा जाए, बशर्ते कि जिन एजेंसियों को गैर कृषि परियोजनाओं के लिए कृषि भूमि प्रदान की जा रही है उनके द्वारा अन्य दूसरे स्थान पर अवक्रमित/बंजर भूमि के समान क्षेत्र का उपचार और पूर्ण विकास किया जाए। जहां तक संभव हो गैर कृषि प्रयोजन हेतु कृषि के लिए निम्न स्तर की जैविकीय क्षमता वाली भूमि को आवंटित और चिह्नित किया जाए"। राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि "गैर कृषि विकास कार्यकलापों सहित औद्योगिक और निर्माण कार्यों के लिए निम्न स्तरीय जैविकीय क्षमता वाली भूमि जैसे गैर कृषि योग्य, लवणता, अम्लीयता द्वारा प्रभावित भूमि आदि को चिह्नित किया जाए"।

कुक्कुट पालन क्षेत्र का विकास

2874. श्री कामेश्वर बैठा:
श्री देवजी एम. पटेल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार झारखंड सहित देश में कुक्कुट पालन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए नई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा कुक्कुट पालन क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी नहीं। झारखंड समेत देश में कुक्कुट पालन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नई योजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, धारणीय विकास और वृद्धि प्राप्त के मुख्य उद्देश्य के साथ वर्तमान कुक्कुट योजनाओं में संशोधन करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

(ग) सरकार ने कुक्कुट पालन क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर कई उपाय किए हैं। हाल में निम्नलिखित राजकोषीय और गैर-राजकोषीय उपाय किए गए हैं:—

भारत सरकार ने 21 अगस्त, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक वितेलित सोया सत्र, मूंगफली तेल की खली/तेल की खल आहार, सूरजमुखी तेल खली/तेल की खली आहार और सरसों के तेल की खली/तेल की खली आहार के मामले में आयात शुल्क की दरें कम करके शून्य कर दी गई हैं। यह अवधि बढ़ा कर सितम्बर, 2013 तक कर दी गई थी। चावल की भूसी तथा चावल की भूसी के तेल की खली पर आयात शुल्क भी कम करके सितम्बर, 2013 तक शून्य कर दिया गया है। 17 सितम्बर, 2012 से मक्का की भूसी पर आयात शुल्क भी माफ कर दिया है।

जुलाई, 2011 में, भारत सरकार ने राज्यों के विभागों और एजेंसियों जिनके पास कुक्कुट आहार विनिर्माण संयंत्र हैं, को भारतीय खाद्य निगम के आहार के स्टाक के लिए खुली बोली (टेंडर/नीलामी) के लिए पात्र एजेंसियों के रूप में शामिल किया है बशर्ते कि वे यह पुष्टि करें कि उनके पास आहार स्टाक विनिर्माण संयत्र और/अथवा कुक्कुट आहार विनिर्माण संयंत्र हैं।

जहां तक वित्तीय उपायों का संबंध है, वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से राज्य स्तरीय सभी बैंकर्स समिति संयोजनकों/बैंकों को सलाह जारी की है कि वे पुनर्संरसचना अतिरिक्ति कार्यशील पूंजी की सीमाएं स्वीकृत करने और चुकौती में एक वर्ष की छूट देने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंकों के मानदंडों के अनुसार प्रत्येक मामले पर विचार करें।

[अनुवाद]

अल्ट्रा मेगा पावर प्लांटों में कोयले की आवश्यकता

2875. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्ट्रा मेगा पावर प्लांटों (यूएमपीपी) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कोयले की जरूरत है;

(ख) क्या यूएमपीपी के प्रयोग के लिए कोयले के अधिकांश भाग के आयात की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यूएमपीपी द्वारा प्रति वर्ष कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन का आंकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पत्तनों की सुरक्षा

2876. श्री नरेनभाई काछाड़िया: क्या **गृह मंत्री** 4 दिसम्बर, 2012 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1713 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में पत्तनों, जहां संस्थागत तंत्र का अभाव है, में सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना से संबंधित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना को कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी हां। गुजरात में कांडला सहित देश में मौजूदा 12 बड़े पत्तनों की सुरक्षा की जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की है। गुजरात में कांडला पत्तन की सुरक्षा की जांच की गई है और इसे पर्याप्त पाया गया है।

छोटे पत्तनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। गुजरात सरकार ने यह स्वीकार किया है कि गुजरात में छोटे पत्तनों की सुरक्षा को मजबूती प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी गुजरात में 21 छोटे पत्तनों की सुरक्षा संबंधी जांच की है और पत्तनों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उनकी रिपोर्टें संबंधित प्राधिकरणों सहित गुजरात राज्य सरकार और पोत परिवहन मंत्रालय को भेज दी गई है।

पोत परिवहन मंत्रालय ने पत्तन सुरक्षा के मानकीकरण के लिए एक कार्यकारी समूह का भी गठन किया है।

इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी (इनपुट्स) के आधार पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए संबंधित प्राधिकरणों को समय-समय पर परामर्शी-पत्र जारी किए जाते हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विकास परियोजनाएं

2877. **श्री थांगसो बाइते:**
श्री पी. करूणाकरन:
श्री सोमेन मित्रा:
श्री तूफानी सरोज:

क्या **उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी विकास परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में चल रही हैं तथा आबंटित की गई, जारी की गई, उपयोग की गई/अनुप्रयुक्त रही निधि का ब्यौरा क्या है एवं इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धि का राज्य और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसी प्रत्येक परियोजना की रोजगार सृजन क्षमता का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार नौकरी/रोजगार के अवसरों में सृजन के लिए क्षेत्र में ऐसी और अधिक परियोजनाओं को शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा वित्तपोषित/कार्यान्वित अवसंरचना और संपर्क उन्नयन के विभिन्न पहलुओं वाली कई विकासात्मक परियोजनाएं प्रगति पर हैं। तथापि, इस क्षेत्र में रेलवे, पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर, विशेष त्वरित सड़ विकास कार्यक्रम, दूरसंचार, विद्युत और हवाई संपर्क से जुड़ी चालू परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सामाजिक-आर्थिक लाभों का आकलन, जिसमें अन्य के साथ-साथ रोजगार सृजन को भी कवर किया जाता है, परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) का अभिन्न हिस्सा है। स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों में भी विकासात्मक परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं की जांच की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) इस क्षेत्र के लोगों की यथार्थ अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए विकासात्मक परियोजनाएं आरंभ करना एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

क. रेलवे

रेल की राष्ट्रीय परियोजनाओं की प्रगति निम्नानुसार है:

परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपये)	प्रगति (%)
1	2	3
लम्डिग-सिलचर (482.73 कि.मी.)	4,255	80%
लिंक्ड फिगर्स सहित रंगिया-मरकोंगसेलेक	2,232	66%
लिंकिंग लाइनों के साथ बोगीबिल पुल (73 कि.मी.)	4,500	61%
जिरिबाम-इंफाल (124 कि.मी.)	4,478	27%

1	2	3
अगरतला-सबरूम (110 कि.मी.)	1,141	43%
भैरावी-सायरन (51.38 कि.मी.)	2,393	4%
दीमापुर-कोहिमा (88 कि.मी.)	850	1%
ततेलिया-बर्नीहाट (21.50 कि.मी.)	385	39%
बर्नीहाल-शिलांग (108.40 कि.मी.)	4,083	0%
सीवोक-रंगपो (44.39 कि.मी.)	3,380	3%

ख. सड़क

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए आरंभ किए गए विशेष कार्यक्रम में पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर, विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम-चरण 'क' एवं 'ख' और अरूणाचल पैकेज में उत्तर पूर्व (एसएआरडीपी-एनई) शामिल हैं।

(i) पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर

यह पोरबंदर से सिलचर तक है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 3,300 कि.मी. है और इसमें अन्य के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सड़क पुल शामिल है। कुल 3,300 कि.मी. में से 670 कि. मी. असम राज्य में है। इसमें से 472 कि.मी. लम्बी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है (69%)।

(ii) एसएआरडीपी-एनई के तीन प्रमुख घटक हैं:

चरण 'क'	- 4,099 कि.मी. (21,769 करोड़ रुपये)
अरूणाचल पैकेज	- 2,319 कि.मी. (11,919 करोड़ रुपये)
चरण 'ख'	3,723 कि.मी.
कुल योग	10,141 कि.मी. (33,752 करोड़ रुपये)

एसएआरडीपी-एनई के तहत राज्यवार सड़क लंबाई का वितरण:

राज्य	एसएआरडीपी-एनई फेज 'ए'			सड़कों और राजमार्गों का अरूणाचल प्रदेश पैकेज			एसएआरडीपी-एनई फेज 'बी'			कुल योग		
	एनएच	एसआर/ जीएस	कुल	एनएच	एसआर/ जीएस/ सामरिक	कुल	एनएच	एसआर/ जीएस/ सामरिक	कुल	एनएच	एसआर/ जीएस/ सामरिक	कुल
अरूणाचल प्रदेश	52	212	264	1346	835	2181	0	931	931	1398	1978	3376
असम	1179	177	1356	126	12	138	0	285	285	1305	474	1779
मणिपुर	39	166	205	0	0	0	0	202	202	39	368	407
मेघालय	259	526	785	0	0	0	161	201	362	420	727	1147
मिजोरम	221	100	321	0	0	0	416	272	688	637	372	1009
नागालैंड	81	350	431	0	0	0	622	169	791	703	519	1222
सिक्किम	80	505	585	0	0	0	0	68	68	80	573	653
त्रिपुरा	130	22	152	0	0	0	86	310	396	216	332	548
कुल	2041	2058	4099	1472	847	2319	1285	2438	3723	4798	5343	10141

एनएचः राष्ट्रीय राजमार्ग; एसआरः राज्य सड़क; जीएसः सामान्य स्टाफ एवं स्ट्रैटजिकः सामरिक सड़कें।

एसएआरडीपी-एनई की प्रगतिः

मद	चरण-क (कि.मी.)	अरूणाचल प्रदेश (कि.मी.)	कुल (कि.मी.)
लक्षित कुल लम्बाई	4,099	2,319	6,418
स्वीकृत/सौंपे गए कार्य	2,497	1,341	3,838 (59.80%)
पूर्ण की गईं सड़कें	1,064	88	1,152 (17.94%)

ग. विद्युत

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कई विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं। पूर्वोत्तर में पनबिजली संभावनाओं के विकास की स्थिति निम्नानुसार हैः–

राज्य	विकसित क्षमता	विकासशील क्षमता	विकसित+ विकासशील क्षमता
	मेगावाट	मेगावाट	मेगावाट
सिक्किम	570	2162	2991
मेघालय	240	82	322
त्रिपुरा	0	0	0
मणिपुर	105	0	105
असम	375	0	375
नागालैंड	75	0	75
अरूणाचल प्रदेश	405	2710	3115
मिजोरम	0	60	60
कुल (एनईआर)	1770	5014	7043

घ. दूरसंचार

सभी आठ राज्यों की राजधानियां, 82 (86.3%) जिला मुख्यालय, 195 (81.6%) उपमंडल मुख्यालय (एसडीएचक्यू) और 424 (79.1%) खंड मुख्यालय (बीएचक्यू) ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी (ओएफसी) से जुड़े हुए हैं। 73% आबादी वाले गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दूरसंचार सघनता और मोबाइल कवरेज का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः-

दूरसंचार सघनता (दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार)	असम	एनई (असम को छोड़कर)	अखिल भारत
ग्रामीण	30.18	39.63	39.85
शहरी	136.38	149.58	149.90
समग्र	46.50	66.53	73.34

एनईआर में मोबाइल कवरेज

एलएसए	टेलीकॉम सर्किल		कुल	मोबाइल सेवाएं रहित
असम	असम	डीएचक्यूज़	27	0
		बीएचक्यूज़	223	5 (बीएसएनएल)
		गांव	25124	2976 (11.85%) किसी भी ऑपरेटर द्वारा
उत्तर पूर्व	एनई-1	डीएचक्यूज़	27	0
	(मेघालय, त्रिपुरा)	बीएचक्यूज़	106	0
	एवं मिजोरम	गांव	7347	4020 (54.73%) किसी भी ऑपरेटर द्वारा
	एनई-2	डीएचक्यूज़	36	0
	(अरूणाचल	बीएचक्यूज़	177	37 (बीएसएनएल)
	प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर)	गांव	7456	3873 (51.94%) किसी भी ऑपरेटर द्वारा

दूरसंचार विभाग ने यूनिसर्वल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जिला एवं खंड स्तर पर ऑप्टिकल फाइबर कनैक्टिविटी (ओएफसी) के संवर्द्धन के लिए स्कीमें शुरू की हैं। असम राज्य के लिए बीएसएनएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीम पूरा होने को है जबकि उत्तर पूर्व में अन्य राज्यों के लिए रेल टैल द्वारा क्रियान्वयनाधीन स्कीमें दिसम्बर, 2014 तक पूरी हो जाऐगी। यूएसओएफ के निधीयन से उत्तर पूर्व में सभी 8117 पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ऑटिप्कल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) भी शुरू किया गया है। असम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी बीएसएनएल है और उत्तर पूर्व में अन्य राज्यों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी रेलटैल है। यूनिवर्सल सर्विस फ्रंट के तहत जिले से ब्लॉक तक ऑप्टिकल फाइबर कनैक्टिविटी और राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर स्कीम के तहत ब्लॉक से पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर कनैक्टिविटी उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

ङ. हवाई संपर्क की स्थिति

पश्चिम बंगाल के बागडोगरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में 12 प्रचालनगत हवाई अड्डे हैं। गुवाहाटी, अगरतला, इंफाल, शिलांग, जोरहाट, सिलचर, लीलाबाड़ी, डिब्रूबढ़ और दीमापुर हवाई अड्डों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत व्यय की योजना बनाई गई है और सिक्किम में पैकियोंग के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का काम प्रगति पर है। विभिन्न आधुनिकीकरण और विकासात्मक कार्यों के परिणामस्वरूप उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हवाई अड्डों से विमानों की प्रति सप्ताह रवानगी वर्ष 2001 में 226 से बढ़कर वर्ष 2011 में 5814 हो गई है।

सिंगल क्राइसिस रिस्पांस नम्बर

2878. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री संजय भोई:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में पुलिस, मेडिकल एवं अग्नि शमन आपात परिस्थिति में सिंगल क्राइसिसि रिस्पांस नंबर शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास त्वरित प्रत्युत्तर देने के लिए स्थानीय सेवाओं को भी शामिल करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त 'क' के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक संबंधी राष्ट्रीय नीति

2879. श्री एम.आई. शानवासः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में उर्वरकों के आयात को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या घरेलू उत्पादन स्वायत्ता को बढ़ावा देने एवं स्वायत्त उत्पादन सुविधाओं के सृजन के लिए उत्पादन और वितरण के संदर्भ में उर्वरक संबंधी राष्ट्रीय नीति को संशोधित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार उर्वरकों संबंधी नई राष्ट्रीय नीति में संशोधनों के बारे में सभी राज्यों को सूचित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अधीन है तथा आकलित मांग और अनुमानित स्वदेशी उत्पादन के बीच अंतर को दूर करने के लिए सरकार द्वारा इसका आयात किया जाता है। सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नया निवेश करने तथा आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए 2 जनवरी, 2013 को एक नई नीति 2012 अधिसूचित की है। नई निवेश नीति, 2012 के प्रत्युत्तर में उर्वरक विभाग को 14 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

देश में डीएपी, मिश्रित उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों और एसएसपी आदि जैसे पीएण्डके उर्वरकों का उत्पादन किया जा रहा है, तथापि, देश कच्ची सामाग्रियों/मध्यवर्तियों तथा तैयार फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के लिए लगभग पूरी तरह आयात पर निर्भर है। सरकार ने फॉस्फोटिक एसिड पर सीमा शुल्क को कम करके पीएण्डके क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल की है ताकि पीएण्डके उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादक इस महत्वपूर्ण आदान को उचित मूल्य पर खरीद सकें। सरकार विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावना को तलाशने के लिए निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी प्रोत्साहन दे रही है ताकि पीएण्डके क्षेत्र को उर्वरक आदानों की निर्बाध आपूर्ति की जा सके। देश में पोटाश का दोहन-योग्य कोई भण्डार नहीं है तथा देश पोटाशयुक्त उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है।

विवरण

क्र.सं.	इकाई	राज्य
1	2	3
1.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (एनएफसीएल)-III, काकीनाडा	आंध्र प्रदेश
2.	इण्डो गल्फ, जगदीशपुर-II	उत्तर प्रदेश
3.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑप. लि. (इफ्को)-कलोल-II	गुजरात
4.	चंबल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (सीएफसीएल), गड़ेपान-III	राजस्थान
5.	कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको) हजीरा-II	गुजरात
6.	टाटा केमिकल्स लिमिटेड (टीसीएल) बबराला-II	उत्तर प्रदेश
7.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड (जीएसएफसी)	गुजरात
8.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड (जीएनएफसी)	गुजरात

1	2	3
9.	मैटिक्स-II	पश्चिम बंगाल
10.	कानपुर फर्टिजाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (केएफसीएल)-II	उत्तर प्रदेश
11.	कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (केएसएफएल)	उत्तर प्रदेश
12.	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) थाल-III	महाराष्ट्र
13.	फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट)	केरल
14.	ईपीसी-श्रीराम	ओडिशा

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

2880. श्री राम सिंह कस्वां: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फसलों को हुई हानि के मूल्यांकन और लेखाकरण से संबंधित कार्य की जिम्मेदारी बीमा कंपनियों पर डाल दी गई है तथा इसके मूल्यांकन के लिए कोई प्रभावी मानक तैयार नहीं किए गए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या किसानों ने प्रीमियम जमा किया है तथा राजस्थान में बैंकों/सरकारी समितियों ने किसानों को विश्वास में लिए बिना फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी की 2012-13 की फसल हेतु उनके खातों से अनिवार्य रूप से प्रीमियम निकाल लिया गया है;

(ग) क्या बीमा कंपनियां बीमित राशि के अनुसार दावों को स्वीकार नहीं कर रही है और किसान राजस्थान में बड़े लंबे समय से इस संबंध में आंदोलन कर रहे हैं एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने जमा प्रीमियम के अनुसार किसानों को हर्जाना देने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है तथा यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस)/संशोधित एनएआईएस (एमएनएआईएस) और मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) के अंतर्गत संबंधित स्कीम के प्रावधानों के अनुसार दावों की गणना की जाती है। एनएआईएस/एमएनएआईएस के अंतर्गत, दावों का मूल्यांकन फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) की अपेक्षित संख्या पर आधारित संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए वास्तविक उपज डाटा के आधार पर किया जाता है। डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत दावों की गणना राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए मौसम केन्द्रों द्वारा रिकार्ड किए गए डाटा और मौसम पैरामीटरों और तत्संबंधी ट्रिगरों के आधार पर की जाती है।

(ख) एनएआईएस, डब्ल्यूबीसीआईएस और एमएनएआईएस का कार्यान्वयन राज्यों के लिए वैकल्पिक है और केवल उन क्षेत्रों/फसलों के लिए कार्यान्वित किया जाता है जिनके लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। इन स्कीमों के प्रावधानों के अनुसार, ऋणी किसानों को अनिवार्य आधार पर शामिल किया जाता है और इसीलिए, अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिए ऐसे किसानों के प्रीमियम का भाग ऋण देने वाली एजेंसी द्वारा संबंधित किसानों के खाते के नामे डाला जाता है।

(ग) दावों की गणना और निपटान बीमा स्कीमों के अंतर्गत संबंधित स्कीम के प्रावधानों के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। तथापि, कभी-कभी जब बुआई किए गए क्षेत्र और बीमित क्षेत्र/मौसम पैरामीटरों इत्यादि से संबंधित डाटा में कुछ विसंगतियां ध्यान में लाई जाती हैं, उस समय दावे यदि कोई हो, तो क्षेत्र कमी घटक के आधार पर या अन्यथा मामले में उचित अध्ययन/जांच के बाद गणना की जाती है। एक ऐसी विसंगति डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत रबी 2012-13 मौसम के लिए राजस्थान के चुरू जिले में देखी गई है और संबंधित बीमा कंपनी द्वारा राज्य सरकार से परामर्श करके इसका समाधान किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

सोयाबीन की खेती

2881. श्री रमेश बैस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में सोयाबीन के उत्पादन और इसमें खेती के रकबो का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी रिपोर्ट मिली है कि सोयाबीन की खेती से उसी खेत में अन्य फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) विगत तीन वर्षों अर्थात 2010-11 से 2012-13 के दौरान सोयाबीन की खेती के तहत उत्पादन एवं क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। मौजूदा वर्ष के लिए सोयाबीन के क्षेत्र एवं उत्पादन अनुमानों का ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सोयाबीन एक फलीदार फसल है तथा फलीयों की लम्बे समय से 'भू-निर्माण' फसलों के रूप में पहचान की गई है तथा इसका मूल्य आंका गया है। सोयाबीन वायुमंडल से नाईट्रोजन का निर्धारण करता है तथा मिट्टी में नाईट्रोजन को मिश्रित करता है, कार्बनिक पदार्थों के भू-रिज़र्व एवं भू-वायु मिश्रण में बढ़ोतरी करता है, भू-ढांचा एवं भू-जल धारण क्षमता में सुधार करता है एवं जुताई करने के लिए मिट्टी को आसान बनाता है और इस प्रकार सामान्य भू-स्वास्थ्य स्थिति का रखरखाव करता है। इसके अतिरिक्त, बाद की फसलों को उगाने के लिए जुताई अपेक्षा को नियंत्रण करता है जो इसके बदले में खेती की लागत को कम करता है और समयानुकूल बुआई की संभावना में बढ़ोतरी करता है। संबंधित फसलों के लिए पौषाहारों संबंधी सिफारिश की गई खुराकों का उपयोग करने के साथ सोयाबीन की कटाई के बाद गेहूं, मटर, सरसों, आलू आदि को सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है।

(घ) और (ङ) देश में सोयाबीन सहित तिलहनों की खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश के 14 मुख्य तिलहन उत्पादक राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत तिलहन, दलहन, पॉम आयल एवं मक्का योजना (आईसोपाम) क्रियान्वित की जा रही है। इन योजना के तहत, प्रजनक बीज की खरीद, मूल बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीज के उत्पादन एवं वितरण, बीज मिनीकिटों के वितरण, पौध संरक्षण रसायनों/उपकरणों के वितरण, विडीसाईडों, सूक्ष्म पोषाहारों एवं उन्नत कृषि उपकरणों की आपूर्ति, रिजोबियम कल्चर/फास्फेट सोल्यूबिलाईजिंग बेक्टिरिया की आपूर्ति, जिप्सम/पाईराईट/लाईमिंग/डोलोमाईट के वितरण, छिड़काव सैटों तथा जल ढुलाई पाईपों के वितरण, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

विवरण

2010-11 से 2012-13 के दौरान सोयाबीन के क्षेत्र एवं उत्पादन के राज्य-वार अनुमान

राज्य	उत्पादन ('000' टन)		
	2010-11	2011-12	2012-13*
आंध्र प्रदेश	14418.0	12895.0	10914.6
असम	4736.6	4516.3	4562.0
बिहार	3102.1	7162.6	7336.0
छत्तीसगढ़	6159.0	6028.4	6608.8
गुजरात	1496.6	1790.0	1503.0
हरियाणा	3472.0	3759.0	3976.0
हिमाचल प्रदेश	128.9	131.6	134.3
जम्मू और कश्मीर	507.7	544.7	545.6
झारखंड	1110.0	3130.6	3026.7
कर्नाटक	4188.0	3955.0	3283.0
केरल	522.7	569.0	531.0
मध्य प्रदेश	1772.1	2227.3	2775.0
महाराष्ट्र	2696.0	2841.0	3042.0
ओडिशा	6827.7	5807.0	7639.5
पंजाब	10837.0	10542.0	11374.0
राजस्थान	265.5	253.4	222.5
तमिलनाडु	5792.4	7458.7	4399.5
उत्तर प्रदेश	11992.0	14022.0	14413.0
उत्तराखंड	550.4	594.0	581.0
पश्चिम बंगाल	13045.9	14605.8	14961.7
अन्य	2349.3	2467.7	2569.5
अखिल भारत	95970.0	105301.0	104398.7

*चौथे अग्रिम अनुमान

[अनुवाद]

नियंत्रण मुक्त औषधियों की उत्पादन लागत

2882. श्री प्रेमदासः क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रणमुक्त औषधियों की उत्पादन लागत नियंत्रित औषधियों की उत्पादन लागत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने आम आदमी के लिए कैंसर और एड्स सहित जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों को कम करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ औषधि विनिर्माता कंपनियों ने सरकार के निर्णय के विरोध-स्वरूप उत्पादन रोकने की धमकी दी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है एवं इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) नियंत्रित औषधियों की तुलना में विनियंत्रित औषधियों के उत्पादन की लागत का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जा रहा है।

(ग) और (घ) सरकार ने डीपीओ, 1995 के अतिक्रमण में दिनांक 15 मई, 2013 को औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है और उन्हें मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है। एनएलईएम में भी कैंसर और एड्स आदि के इलाज के लिए प्रयुक्त कुछ दवाइयां शामिल है। कुल एनएलईएम औषधियों में से, एनपीपीए ने उक्त आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत 300 दवाइयों के संबंध में उच्चतम मूल्य पहले ही निर्धारित कर दिए हैं।

सरकार द्वारा इस तरह से निर्धारित और अधिसूचित उच्चतम मूल्य (स्थानीय करों यथा लागू को जोड़कर) से अधिक मूल्य पर अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के सभी मौजूदा विनिर्माता सभी ऐसे फॉर्मूलेशनों के मूल्यों में कमी करेंगे जो उच्चतम मूल्य (स्थानीय करों यथा लागू को जोड़कर) से निम्नतर मूल्य पर अनुसूचित फार्मूलेशनों के ब्रांडेड अथवा जेनरिक अथवा दोनों रूपों को बचने वाले अनुसूचित फार्मूलेशनों के सभी मौजूदा विनिर्माता अपने मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य को बनाए रखेंगे। एनपीपीए ने अब तक डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 300 फार्मूलेशनों के उच्चतम मूल्य अधिसूचित किए हैं।

(ङ) और (च) विनिर्माण कंपनियों द्वारा जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन को बंद करने की धमकी देने के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

दुग्ध उत्पादन के लिए पशुधन का पालन

2883. श्री जितेन्द्र सिंह मलिकः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुग्ध उत्पादन के लिए पशुधन का पालन विशेष रूप से देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक लाभकारी पेशा नहीं रह गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पेशे को लाभकारी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, नहीं, दुग्ध उत्पादन के लिए पशुधन का पालन, लाभकर रोजगार सृजित करने तथा कम लागत का पौषणिक आहार प्रदान करने के अलावा ग्रामीण सेक्टर, विशेषकर छोटे तथा सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों की पारिवारिक आय में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग पशुओं की बीमारियों के नियंत्रण, आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन तथा उन्नयन, पौष्टिक आहार तथा चारे की उपलब्धता बढ़ाने दुग्ध प्रसंस्करण तथा विपणन सुविधाओं का सतत विकास तथा पशुधन की उत्पादकता तथा लाभप्रदता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता रहा है:

(i) राष्ट्रीय डेयरी योजना-I

(ii) राष्ट्रीय गोपशु तथा बोवाइन प्रजनन परियोजना

(iii) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

(iv) गुणवत्तापूर्ण तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण

(v) डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना

(vi) पशुधन स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण

(vii) चारा तथा आहार विकास योजना

(viii) पशुधन बीमा

[हिन्दी]

खरीद एजेंसियों का चयन

2884. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री रतन सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदारी करने के लिए एजेंसियों के चयन की समय-सीमा क्या है तथा इसके लिए क्या मानदण्ड/प्रक्रिया अपनाई गई हैं;

(ख) एक विशेष मौसम के दौरान कितनी अवधि के लिए ये एजेंसियां खरीद के कार्य में लगी होती है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) प्रत्येक विपणन मौसम के शुरू होने से पहले सरकार आगामी विपणन मौसम में खरीद संबंधी व्यवस्थाएं करने हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए राज्यों के खाद्य सचिवों, भारतीय खाद्य निगम और अन्य हितधारकों के साथ एक बैठक का आयोजन करती है। खोले जाने वाले खरीद केन्द्रों की संख्या और पैकेजिंग सामग्री की खरीद तथा भंडारण स्थान आदि जैसी व्यवस्थाओं के बारे में बैठक में विचार-विमर्श किया जाता है। अतिरिक्त खरीद केन्द्र खोलने की आवश्यकता यदि कोई हो, के बारे में समय-समय पर समीक्षा की जाती है। खरीद मौसम के दौरान आवश्यक अतिरिक्त खरीद केन्द्र भी खोले जाते हैं। राज्य विशेष में खरीदी जाने वाली अनुमानित मात्रा संबंधित विपणन मौसम शुरू होने से पहले संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिक एजेंसियों को उनकी क्षमता तथा पिछले कार्य निष्पादन के आधार पर सौंप दी जाती है। राज्य सरकारों द्वारा एजेन्सियों का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों/प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। खाद्यान्नों की खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संबंध में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम में बारह (12) शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शिकायतों को जांच और समुचित कार्रवाई के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया गया है।

विवरण

खरीद प्रक्रिया में काथित अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त शिकायतें

क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम सर्वश्री/श्रीमती	शिकायत का प्रकार	की गई कार्रवाई	राज्य
1	2	3	4	5
1.	श्री अवधपाल सिंह यादव, विधायक, उत्तर प्रदेश	गेहूं की खरीद में अनियमितताएं।	मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है और उत्तर प्रतीक्षित है।	उत्तर प्रदेश
2.	श्री प्रेम चंद गुड्डू, संसद सदस्य	मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद में अनियमितताएं।	मामले की जांच की गई थी और उत्तर मामले को भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार के साथ उठाया गया है और उत्तर प्रतीक्षित है।	मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश

1	2	3	4	5
3.	श्री दिग्विजय सिंह	मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद में कथित कदाचार।	माननीय संसद सदस्य को अंतरिम उत्तर भेज दिया गया था और मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।	मध्य प्रदेश
4.	श्री उदय प्रताप सिंह, संसद सदस्य	मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद में अनियमितताएं।	मामले की जांच की गई थी और आरोपों को सही नहीं पाया गया था। और मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।	राजस्थान
5.	वंदना सिंह से दिनांक 22.6.2012 को प्राप्त शिकायत	सवाइमाधोपुर जिले में खरीद में अनियमितताएं।	मामले की जांच की गई थी और आरोपों को सही नहीं पाया गया था।	राजस्थान
6.	जाहिदा खान से दिनांक 19.9.2012 को प्राप्त शिकायत	भरतपुर, अलवर में खरीद में अनियमितताएं।	मामले की जांच की गई थी और आरोपों को सही नहीं पाया गया था।	राजस्थान
7.	राम प्रसाद निराला, सदस्य, राज्य सलाहकार समिति, भारतीय खाद्य निगम (बिहार) से प्राप्त शिकायत	नसीरगंज, नोखा, बिक्रमगंज और कुदरा में खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में हुई अनियमितताएं।	मामले की जांच की गई थी और आरोपों को सही नहीं पाया गया था।	बिहार
8.	श्री रेवती रमण सिंह, संसद सदस्य से दिनांक 15.5.2012 को प्राप्त शिकायत	भारतीय खाद्य निगम, इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश) में गेहूं की खरीद में अवैध धन की मांग।	दो सहायक महाप्रबंधकों की एक समिति के माध्यम से शिकायत की जांच करवाई गई थी और समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ द्वारा किसी धन की मांग नहीं की जा रही थी।	उत्तर प्रदेश
9.	श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य-लोक सभा के माध्यम से दिनांक 11.5.2012 को श्री केसव शरण भट्ट, सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश) की शिकायत	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बस्ती, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर जिलों में घटिया किस्म के खाद्यन्नों की खरीद के संबंध में।	भारतीय खाद्य निगम द्वारा जांच की जा रही है।	उत्तर प्रदेश
10.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली के माध्यम से	कानपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर गेहूं की खरीद के संबंध में।	समिति के माध्यम से शिकायत की जांच करवाई गई थी। समिति के रिपोर्ट के अनुसार तथ्यों को सही नहीं पाया गया।	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
	श्री भानू प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, कानपुर से प्राप्त शिकायत।			
11.	श्री अनिन्द्य बनर्जी, महाप्रबंधक (सतर्कता), भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय (पूर्व), कोलकाता को दिनांक 2.4.2013 को दूरभाष पर कुछ सुराग मिला था।	बीएसएफसी के कर्मचारियों की मिलीभगत से बीएसडब्ल्यूसी छपरा में भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ द्वारा दिनांक 25.3.2013 और 26.3.0213 को चावल के 22 लॉट की फर्जी खरीद/कागजी लेन-देन।	श्री ए.के. बिस्वास, क्षेत्रीय प्रबंधक, छपरा को निलम्बित कर दिया गया है।	बिहार
12.	श्री अमन कुमार, दलतोनगंज, जिला-पलामू, झारखंड	झारखंड में भारतीय खाद्य निगम के ढुलमुल कार्यकरण के संबंध में।	महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, झारखंड से टिप्पणियां मांगी गई हैं।	झारखंड

[अनुवाद]

बीज प्रसंस्करण केन्द्र

2885. श्री राजेन गोहैन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीज प्रसंस्करण केन्द्रों का राज्य-वार और क्षमता-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास कृषि बीजों के प्रसंस्करण एवं भण्डारण के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ छोटे बीज भण्डारण केन्द्रों की स्थापना के लिए कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) बीज प्रसंस्करण केन्द्रों की संख्या के राज्य-वार विवरण तथा उनकी कुल बीज प्रसंस्करण क्षमता संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

(ख) और (ग) सरकार बीज ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत बीज उत्पादन पर किसानों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसमें बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) सरकार 1000 मीट्रिक टन क्षमता तथा इससे अधिक के लिए क्षमता के अनुपात में 25 लाख रुपये की दर पर बीज भण्डारण गोदाम के निर्माण के लिए राज्य सरकार को राजसहायता प्रदान करती है।

विवरण

बीच प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या, कुल बीज प्रसंस्करण क्षमता के राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	बीज प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या	कुल बीज प्रसंस्करण क्षमता (लाख क्विंटल में)
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	412	45.00
2.	मध्य प्रदेश	53	8.32

1	2	3	4
3.	राजस्थान	21	15.44
4.	उत्तराखण्ड	8	5.55
5.	हरियाणा	6	3.80
6.	कर्नाटक	53	7.24
7.	आंध्र प्रदेश	473	65.00
8.	गुजरात	7	2.75
9.	महाराष्ट्र	20	10.17
10.	जम्मू और कश्मीर	3	1.00
11.	पंजाब	4	2.10
12.	छत्तीसगढ़	26	10.10
13.	ओडिशा	142	14.91
14.	केरल	3	0.60
15.	असम	9	0.47
16.	तमिलनाडु	81	3.00
17.	त्रिपुरा	6	0.15
18.	बिहार	40	7.56
19.	पश्चिम बंगाल	248	92.85
20.	हिमाचल प्रदेश	10	1.00
21.	सिक्किम	2	0.02
22.	मिजोरम	3	0.02
23.	झारखण्ड	36	1.94
24.	मेघालय	4	0.04
25.	राष्ट्रीय बीज निगम	43	12.04
26.	भारतीय राज्य फार्म निगम	17	2.55
	कुल	1730	313.62

बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा

2886. श्री पवन कुमार बंसलः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** क्या बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़ द्वारा बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) संघ राज्यक्षेत्र में मलीन बस्तियों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए कितनी चिकित्सा इकाइयां हैं; और

(ग) संघ राज्यक्षेत्र में बुजुर्ग लोगों को प्रदान की गई अन्य सुविधाएं, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तंत्र और अन्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तंत्र और अन्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किए गए उपाए।

* समाज कल्याण विभाग, चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र उन 10594 वृद्धों को वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 500/- रुपये पेंशन उपलब्ध करा रहा है, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उपर्युक्त के अलावा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे के स्तर में आने वाले 3648 वृद्ध व्यक्तियों को 200 रुपए, और गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर में आने वाले 80 वर्ष से अधिक आयु वाले 95 वृद्ध व्यक्तियों को 200 रुपये और गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर में आने वाले 80 वर्ष से अधिक आयु वाले 95 वृद्ध व्यक्तियों को 500/- रुपये प्रतिमास एनएसएपी के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है।

* चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में वृद्धों और निराश्रित लोगों के लिए सेक्टर 15 में एक वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है। इस आश्रम में रहने वालों को निःशुल्क आवास, भोजन चिकित्सा सुविधाएं और 500/- रुपये की दर से जब खर्च प्रदान किए जाते हैं। इस आश्रम में रहने वाले लोगों की रिहाइश की क्षमता 50 है और इस समय इस आश्रम में 22 वरिष्ठ नागरिक रह रहे हैं।

* सेक्टर 43 में एक वरिष्ठ नागरिक गृह भुगतान आधार पर पेंशनों और संभ्रांत परिवार के लोगों के लिए

संचालित किया जा रहा है। इस समय, इस गृह में 22 वरिष्ठ नागरिक रह रहे हैं। इसके अलावा, सेक्टर 30 में सत्य साई वृद्धाश्रम वृद्धों के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित किया जा रहा है।

* सेक्टर 43, चण्डीगढ़ में स्थित वरिष्ठ नागरिक गृह स्वयं में एक दिवा देखभाल केन्द्र हैं और वरिष्ठ नागरिकों को अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

  चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम (सीटीयू) में बस किराए में 50% की रियायत पाने के हकदार हैं।

* वृद्धों और विक्लांग व्यक्तियों के लिए चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम, संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ में आरामदायक और सुरक्षित यात्रा के लिए "लो फ्लोर" बसें चलाना प्रारंभ की हैं।

* सीटीयू बसों में दो सीटें वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित रखी गई हैं।

* सरकारी मेडिकल कालेज और अस्पताल, सेक्टर 32 और पीजीआईएमईआर, संघ राज्यक्षेत्र, चण्डीगढ़ में जराचिकित्सा वार्ड बनाए गए हैं।

* सरकारी मल्टी स्पेशियलटी अस्पताल, सेक्टर 16 में प्राथमिकता के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के उपचार के लिए उन्हें आसानी से पहचान करने के योग्य ओपीडी कार्ड जारी किए जाते हैं।

* वृद्धों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग, संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ द्वारा शिविरों का आयोजन किया जाता है।

* जरुरतमंद लोगों के लिए रेड क्रॉस सोसायटी और जनरल अस्पताल, सेक्टर 16, चण्डीगढ़ द्वारा एम्बुलेंस की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस कार्य में किसी गैर सरकारी संगठन को सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है।

* हैल्प एज इंडिया नामक स्वैच्छिक संगठन भी सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और इसके द्वारा चल मेडिकेयर यूनिट संचालित की जा रही है। यह मेडिकेयर यूनिट वृद्धों को निशुल्क चिकित्सा सहायता और दवाइयां प्रदान करने के लिए कालोनियों में आती जाती रहती हैं।

* चण्डीगढ़ पुलिस अकेले रह रहे वृद्धों की सुरक्षा जरूरतों का विशेष ध्यान रख रही है। वरिष्ठ नागरिकों की वैयक्तिक सुरक्षा के संबंध में उनके आस-पड़ोस और निवास स्थानों के संसाधनों का उपयोग करने के अतिरिक्त, बीट अधिकारियों और अन्य स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के साथ कारगर सम्पर्क स्थापित करने पर बल दिया जाता है।

* चण्डीगढ़ पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए टोल फ्री हैल्प लाइन 1090 भी स्थापित की है। शहर में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिक हैल्पलाइन भी स्थापित की गई है।

* वरिष्ठ नागरिकों को अपने पड़ोसियों, मित्रों, संबंधियों से फोन पर संपर्क करने, घरेलू/आकस्मिक मदद, फेरी वालों/विक्रेताओ के साथ बात करते समय और नकदी एवं मूल्यवान वस्तुओं को संभालने के संबंध में सावधानी बरतने के लिए निशुल्क सला दी जाती है। पड़ोस निगरानी योजना (एनडब्ल्यूएस) में वरिष्ठ नागरिकों को प्रेरित किया जाता है कि वो आपात स्थिति में पड़ोसियों की कॉल बैल बजाएं/इंटरकॉम पर बात करें। सामान्यतया पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से यातायात पुलिस कार्मिकों को इस बात के लिए सुग्राह्य बनाया गया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों के साथ पूछताछ के दौरान विनम्रता से पेश आएं।

* चण्डीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विास निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्यटन-दौरों का आयोजन करता है।

आगमन पर ही वीजा देने की सुविधा

2887. श्री भर्तृहरि महताब:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री रमेश बैस:
श्री संजय धोत्रे:
श्री ताराचंद भगोरा:
श्री पी. कुमार:
श्री हरि मांझी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आगमन पर ही वीजा देने की सुविधा को और अधिक विमानपतनों तक तथा और अधिक देशों के लिए विस्तारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जहां यह सुविधा पहले से ही प्रचलित है और किन-किन देशों के लिए यह सुविधा प्रचालित है;

(घ) क्या देश के और अधिक विमानपत्तनों तक तथा और अधिक देशों के लिए इस सुविधा को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) गृह मंत्रालय ने चार अतिरिक्त विमानपत्तनों अर्थात त्रिवेन्द्रम, बेंगलूरू, हैदराबाद और कोच्चि में आगमन पर पर्यटक वीज़ा (टीवीओए) की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है।

(ग) देश के चार अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों, अर्थात, दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में जापान, सिंगापुर, फिनलैण्ड, लक्ज़मबर्ग, न्यूजीलैण्ड, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपीन्स,म्यांमार और इण्डोनेशिया के नागरिकों के लिए आगमन पर पर्यटक वीज़ा की सुविधा उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) जैसे ही अवसंरचना एवं जनशक्ति की आवश्यकताएं पूरी कर ली जाती हैं, आगमन पर पर्यटक वीज़ा की सुविधा गोवा विमानपत्तन पर भी प्रदान कर दी जाएगी।

संवर्धित धान-बीज

2888. श्री के. सुधाकरण: क्या **कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार का केरल में संवर्धित/कृत्रिम धान-बीज की खेती का प्रयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन अन्य फसलों का ब्यौरा क्य है जिनके बीजों का परीक्षण/संवर्धन/खेती किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केरल राज्य में इस संबंध में किसी अन्य फसल में कोई कार्यक्रम नहीं है।

'वन एम.पी. वन आइडिया' योजना

2889. श्री अजय कुमार: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एक सांसद: एक विचार (वन एमपी.: वन आइडिया) योजना का वर्ष 2012 से कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या इसमें विकास संबंधी परियोजनाओं के संबंध में सर्वोत्तम नवाचारी सुझाने के लिए स्थानीय लोगों को सम्मान-पत्र प्रदान करने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक प्रदान किए ग ऐसे पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.36 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ यह उल्लेख किया गया है: "नवाचार और विकास में आम आदमी सहित समाज के प्रत्येक वर्ग से संबंधित दृष्टिकोण को अपनाने और स्थानीय समस्याओं के स्थायी और सुसाध्य समाधान प्राप्त करने के लिये, एक ऐसा अभियान चलाने की जरूरत है, जिसके जरिये चुनौतियां हल करने में समर्थ समाधान खोजे जा सकें। तदनुसार, विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में स्थानीय लोगों से प्राप्त नए विचारों पर आधारित "वन एमपी-वन आइडिया" प्रतिस्पर्धा प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हर वर्ष आयोजित की जा सकती है, ताकि तीन सर्वश्रेष्ठ नवाचारों का नगद पुरस्कार के लिए तथा अगले पांच श्रेष्ठ नवाचारों का प्रशंसा प्रमाण-पत्रों के लिए चयन किया जा सके। ये पुरस्कार माननीय संसादों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह की स्कीम को बढ़ावा देने के लिए उनके विशेष अनुरोध पर दिए जाएंगे। इस प्रतिस्पर्धा में शिक्षा एवं कौशल, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता, आवास तथा अवसंरचना, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, समुदाय और सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में नवाचारी समाधान आमंत्रित किए जाएंगे। ये नवाचारी समाधान निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह, उद्योग, उद्योग संघ, शैक्षणिक संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(घ) एमपीलैड्स के अंतर्गत किए गए कार्यों/कार्यकलापों से संबंधित सूचना का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर रखरखाव नहीं किया जाता है।

बोतलबंद जल की गुणवत्ता

2890. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री जगदीश सिंह राणा:
श्री सी. राजेन्द्रन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पैकबंद/मिनरल पेयजल का उत्पादन करने वाले संयंत्र/कारखाने की स्थापना हेतु लाइसेंस प्रदान करने में अनियमितताएं सूचित/प्रकाशित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे कुल कितने लाइसेंस जारी किए गए और अनियमितताओं की कितनी शिकायतें सामने आई हैं और इन पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या पैकबंद/मिनरल पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए कोई तंत्र विद्यमान है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार इसके कितने नमूनों की जांच की गई और कितनों को मानकों के उल्लंघन में दोषी पाया गया और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (ग) भारतीय मानक ब्यूरो संयंत्र/कारखानों की स्थापना हेतु लाइसेंस नहीं देता। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो आईएस 14543 के अनुसार पैकबंद पेयजल और आईएस 13428 के अनुसार पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल के लिए केवल उत्पाद लाइसेंस प्रदान करता है क्योंकि ये उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन 2011 के अंतर्गत अनिवार्य प्रमाणन के तहत आते हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन स्कीम के तहत अपने लाइसेंसधारियों द्वारा विनिर्मित पैकबंद पेय जल और पैकबंद प्राकृतिक खनिज जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है जहां कारखानों और बाजार से नमूने उठाकर कारखानों का निरीक्षण करके लाइसेंस की नियमित रूप से जांच की जाती है और संबद्ध भारतीय मानक (आई 14543 और आईएस 13428) से उत्पाद की अनुरूपता की जांच करने के लिए उसका स्वतंत्र परीक्षण किया जाता है।

यदि उत्पाद को भारतीय मानक में निर्धारित मानदण्डों से हटकर पाया जाता है तो चेतावनी देना/मार्किंग बंद करवाना/लाइसेंस स्थगित करना/लाइसेंस का नवीनीकरण न करना/लाइसेंस को रद्द करना जैसी कारवाइयां की जाती है/ऐसी कार्रवाइयां गैर-अनुरूपता की गंभीरता और/विफलता की पुनरावृत्ति और/अथवा लाइसेंस के असंतोषजनक प्रचालन पर निर्भर करती हैं।

पैकबंद पेय जल के लिए गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान नमूनों की संख्या, विफल पाए गए नमूनों की संख्या, जारी किए गए चेतावनी पत्तों की संख्या/बंद कराई गई मार्किंग की सं./रद्द किए गए/नवीकृत नहीं किए गए लाइसेंसों की संख्या संलग्न विवरण-I से IV पर दी गई है और पैकबंद प्राकृतिक खनिज पेय जल के ब्यौरे संलग्न विवरण-V में दिए गए हैं।

विवरण I

दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2013 की अवधि के आंकड़े (बोतलबंद पेयजल)

क्र.सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	असफल नमूनों की संख्या	जारी किए गए चेतावनी पत्रों की संख्या	जारी किए गए स्टॉप मार्किंग की संख्या	रद्द/नवीनीकरण न किए गए लाईसेंसों की संख्या*
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली एवं नोएडा	190	23	05	00	02
2.	उत्तर प्रदेश	224	14	13	02	00
3.	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	466	46	42	04	00
4.	राजस्थान	53	08	01	07	00

1	2	3	4	5	6	7
5.	उत्तराखंड	28	03	00	03	00
6.	हरियाणा	127	16	03	05	01
7.	हिमाचल प्रदेश	18	00	00	00	00
8.	जम्मू और कश्मीर, पंजाब चंडीगढ़	113	09	09	00	00
9.	ओडिशा	146	18	13	03	00
10.	बिहार, झारखंड	56	06	03	03	00
11.	मेघालय, मणिपुर, मिजोरम त्रिपुरा, तथा असम	123	57	11	03	00
12.	पश्चिम बंगाल	336	39	25	05	08
13.	गुजरात	827	69	52	17	03
14.	महाराष्ट्र एवं गोवा	729	104	67	22	03
15.	तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1422	163	130	18	04
16.	आंध्र प्रदेश	1483	182	131	51	06
17.	कर्नाटक	101	20	15	03	02
18.	केरल	206	28	23	04	01
	कुल	6648	805	543	150	30

*ऐसे लाईसेंस शामिल हैं जिनके संबंध में वैध अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण आवेदन प्राप्त नहीं हुए।

विवरण II

दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि के आंकड़े (बोतलबंद पेयजल)

क्र.सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	असफल नमूनों की संख्या	जारी किए गए चेतावनी पत्रों की संख्या	जारी किए गए स्टॉप मार्किंग की संख्या	रद्द/ नवीनीकरण न किए गए लाईसेसों की संख्या*
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली और नोएडा	144	28	00	15	07
2.	उत्तर प्रदेश	252	25	20	4	02

1	2	3	4	5	6	7
3.	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	472	36	24	12	00
4.	राजस्थान	101	05	04	01	00
5.	उत्तराखंड	41	07	02	05	00
6.	हरियाणा	115	12	02	05	01
7.	हिमाचल प्रदेश	38	02	02	00	00
8.	जम्मू और कश्मीर, पंजाब चंडीगढ़	154	11	11	06	00
9.	ओडिशा	237	33	26	07	00
10.	बिहार, झारखंड	41	07	04	02	01
11.	मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम	128	21	27	06	00
12.	पश्चिम बंगाल	97	01	01	00	00
13.	गुजरात	1039	45	26	17	02
14.	महाराष्ट्र और गोवा	989	123	99	13	05
15.	तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1829	183	159	16	04
16.	आंध्र प्रदेश	1526	136	106	32	07
17.	कर्नाटक	280	33	29	03	01
18.	केरल	249	12	05	05	02
	कुल	7732	720	547	149	32

*ऐसे लाईसेंस शामिल हैं जिनके संबंध में वैध अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण आवेदन प्राप्त नहीं हुए।

विवरण III

दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के आंकड़े (बोतलबंद पेयजल)

क्र.सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	असफल नमूनों की संख्या	जारी किए गए चेतावनी पत्रों की संख्या	जारी किए गए स्टॉप मार्किंग की संख्या	रद्द/नवीनीकरण न किए गए लाईसेसों की संख्या*
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली और नोएडा	271	20	10	25	15
2.	उत्तर प्रदेश	355	24	14	12	00

1	2	3	4	5	6	7
3.	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	367	17	13	20	09
4.	राजस्थान	52	07	07	06	04
5.	उत्तराखंड	82	04	03	01	04
6.	हरियाणा	224	12	11	09	49
7.	हिमाचल प्रदेश	28	00	00	02	02
8.	जम्मू और कश्मीर, पंजाब चंडीगढ़	209	01	01	02	01
9.	ओडिशा	269	25	14	16	00
10.	बिहार, झारखंड	145	23	20	04	06
11.	मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम	190	34	32	02	01
12.	पश्चिम बंगाल	393	23	6	17	01
13.	गुजरात	630	36	29	11	04
14.	महाराष्ट्र और गोवा	849	52	38	11	26
15.	तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	1361	104	94	31	38
16.	आंध्र प्रदेश	1343	170	144	50	18
17.	कर्नाटक	337	39	30	14	09
18.	केरल	351	16	13	07	03
	कुल	7456	607	479	240	190

*ऐसे लाईसेंस शामिल हैं जिनके संबंध में वैध अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण आवेदन प्राप्त नहीं हुए।

विवरण IV

दिनांक 01.04.2013 से 31.07.2013 की अवधि के आंकड़े (बोतलबंद पेयजल)

क्र.सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	असफल नमूनों की संख्या	जारी किए गए चेतावनी पत्रों की संख्या	जारी किए गए स्टॉप मार्किंग की संख्या	रद्द/ नवीनीकरण न किए गए लाईसेसों की संख्या*
1	2	3	4	5	6	7
1.	दिल्ली और नोएडा	40	02	02	00	04
2.	उत्तर प्रदेश	57	04	05	07	11

1	2	3	4	5	6	7
3.	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़	83	11	07	10	03
4.	राजस्थान	56	01	01	01	00
5.	उत्तराखंड	33	04	02	01	02
6.	हरियाणा	71	05	05	08	00
7.	हिमाचल प्रदेश	15	01	02	03	02
8.	जम्मू और कश्मीर, पंजाब चंडीगढ़	63	04	03	03	11
9.	ओडिशा	57	12	05	07	00
10.	बिहार, झारखंड	11	01	02	03	02
11.	मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम	43	09	09	04	00
12.	पश्चिम बंगाल	68	03	02	06	04
13.	गुजरात	121	14	09	14	03
14.	महाराष्ट्र और गोवा	403	42	70	09	15
15.	तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	402	26	19	35	14
16.	आंध्र प्रदेश	594	17	07	22	13
17.	कर्नाटक	159	10	00	24	13
18.	केरल	35	15	10	07	02
	कुल	2311	181	160	164	99

*ऐसे लाईसेंस शामिल हैं जिनके संबंध में वैध अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण आवेदन प्राप्त नहीं हुए।

विवरण V

दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि के आंकड़े (बोतलबंद प्राकृतिक खनिज जल)

क्र.सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	असफल नमूनों की संख्या	जारी किए गए चेतावनी पत्रों की संख्या	जारी किए गए स्टॉप मार्किंग की संख्या	रद्द/ नवीनीकरण न किए गए लाईसेसों की संख्या*
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	03	00	00	00	00
2.	उत्तराखंड	04	04	03	01	00

1	2	3	4	5	6	7
3.	हिमाचल प्रदेश	13	00	00	00	00
4.	गुजरात	03	00	00	00	00
5.	महाराष्ट्र और गोवा	00	00	00	00	00
	कुल	23	04	03	01	00

दिनांक 01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि के आंकड़े (बोतलबंद प्राकृतिक खनिज जल)

क्र.सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	असफल नमूनों की संख्या	जारी किए गए चेतावनी पत्रों की संख्या	जारी किए गए स्टॉप मार्किंग की संख्या	रद्द/नवीनीकरण न किए गए लाईसेसों की संख्या*
2.	उत्तर प्रदेश	00	00	00	00	00
5.	उत्तराखंड	05	00	00	00	00
7.	हिमाचल प्रदेश	40	00	00	00	00
13.	गुजरात	05	00	00	00	00
14.	महाराष्ट्र और गोवा	00	00	00	00	00
	कुल	50	00	00	00	00

दिनांक 01.04.2012 से 31.03.2013 की अवधि के आंकड़े (बोतलबंद प्राकृतिक खनिज जल)

क्र.सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	असफल नमूनों की संख्या	जारी किए गए चेतावनी पत्रों की संख्या	जारी किए गए स्टॉप मार्किंग की संख्या	रद्द/नवीनीकरण न किए गए लाईसेसों की संख्या*
2.	उत्तर प्रदेश	00	00	00	00	00
5.	उत्तराखंड	18	00	00	00	00
7.	हिमाचल प्रदेश	38	01	01	01	00
13.	गुजरात	03	00	00	00	00
14.	महाराष्ट्र और गोवा	00	00	00	00	00
	कुल	59	01	01	01	00

दिनांक 01.04.2013 से 31.07.2013 की अवधि के आंकड़े (बोतलबंद प्राकृतिक खनिज जल)

क्र.सं.	राज्य	लिए गए नमूनों की संख्या	असफल नमूनों की संख्या	जारी किए गए चेतावनी पत्रों की संख्या	जारी किए गए स्टॉप मार्किंग की संख्या	रद्द/नवीनीकरण न किए गए लाईसेसों की संख्या*
2.	उत्तर प्रदेश	00	00	00	00	00
5.	उत्तराखंड	01	01	01	00	00
7.	हिमाचल प्रदेश	26	04	04	02	00
13.	गुजरात	02	00	00	00	00
14.	महाराष्ट्र और गोवा	00	00	00	00	00
	कुल	29	05	05	02	00

[हिन्दी]

कुंभ मेले में भगदड़

2891. श्री जयवंत गंगाराम आवले: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश में हुए कुंभ मेले के दौरान भगदड़ में कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए और पीड़ितों के परिवारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे घटना की पुनरावृत्ति न होने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में राज्य सरकारों और पुलिए विभाग को क्या परामर्श जारी किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद के कुंभ मेला, 2013, 2013 के दौरान दिनांक 10.02.2013 को 37 लोगों की जान गई और 43 लोग घायल हुए। ऐसी घटनाओं के दौरान कानून और व्यवस्था के रख-रखाव का उत्तरायित्व संबंधित राज्य सरकार का है और इस प्रकार, पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता का प्रावधान उनके द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है।

(ख) इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में व्यवस्था का इंतजाम जिला प्रशासन/राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, ऐसी अनहोनी घटनाओं को रोकने के लिए जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय प्राधिकारी हर प्रकार की सावधानी बरतते हैं। सुरक्षा/आसूचना एजेंसियों से प्राप्त इनपुट्स के आधार पर, भारत सरकार भी समय-समय पर विशिष्ट परामर्शी-पत्र जारी करती है।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 01.10.2008 को एक विस्तृत परामर्शी-पत्र/दिशानिर्देश भी जारी किया गया है जिनमें लोगों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए ऐसी भीड़-भाड़ को प्रभावकारी तरीके से संभालने के सुझाव दिए गए हैं। भविष्य में भगदड़ की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुझाए गए उपायों में किसी विशेष समय में मंदिरों/शक्तिपीठों में दर्शन हेतु व्यवस्था करने लायक तादाद में लोगों को अनुमति देना प्रत्येक/निवास स्थानों पर उपयुक्त पहुंच नियंत्रण प्रक्रिया/प्रणाली; साउण्ड एलर्ड सिस्टम लगाना, लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया में स्टाफ को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है।

राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन

2892. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है/गठन नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्यों से अपने-अपने यहां राज्य मानवाधिकार आयोग गठित करने और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद भरने का निदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) अब तक 23 राज्य, राज्य मानवाधिकार आयोग (एसएचआरसी) गठित कर चुके हैं। ये राज्य हैं, असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। शेष पांच राज्यों अर्थात, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ने अब तक राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन नहीं किया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 के अनुसार, राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन तथा उक्त के संबंध में अपेक्षित अवसंरचना, मानवशक्ति आदि उपलब्ध कराने के संबंध में भी कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जानी है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समय-समय पर राज्य सरकारों से यथशीघ्र राज्य मानवाधिकार आयोग गठित किए जाने का अनुरोध करता रहा है। सरकार ने भी राज्य मानवाधिकार आयोगों के गठन में तेजी लाने के लिए संबंधित राज्यों को निरंतर लिखा है। जबकि अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ने कतिपय राज्यों से वार्षिक व्यय, राज्य मानवाधिकार आयोग के ढांचे तथा स्टाफ संबंधी पैटर्न के ब्यौरे मांगे हैं वहीं त्रिपुरा कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ मिलकर एक साझे राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की संभावना तलाश रहा है। मिजोरम और नागालैंड से इस संबंध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र के विकास हेतु सहायता

2893. श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनन्द राव अडसुल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषि क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान बढ़ाने की दृष्टि से उसे बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में चार प्रतिशत की लक्षित विकास दर प्राप्त करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता/अनुदान देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य को दिए जाने वाले प्रस्तावित केन्द्रीय अनुदान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि क्षेत्र के पुनरूद्धार हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी हां। सरकार कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कृषि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान उपलब्ध कराती है। सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 61528 करोड़ रुपये से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1.34746 करोड़ रुपये तक कृषि का योजना परिव्यय भी बढ़ाया है। वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन महत्वपूर्ण स्कीमें/कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; राष्ट्रीय बागवानी मिशन; उत्तर पूर्व एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन; राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन; एकीकृत तिलहन, दलहन, ऑयल पाम एवं मक्का स्कीम; विस्तार सुधारों के राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता इत्यादि हैं।

(ख) वर्ष 2013-14 के लिए 21609 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। इसमें से 7390.54 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों को उनकी आवश्यकता और कृषि विकास के लिए विगत प्रदर्शन के अनुसार विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निर्मुक्त (5.8.2013 तक) की गई है।

(ग) किसानो के लाभ के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि, ऋण माफी/राहत, फसल ऋणों पर ब्याज छूट इत्यादि शामिल हैं।

आई.पी.एस. अधिकारियों की अचल संपत्ति का ब्यौरा

2894. श्री बाल कुमार पटेल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) विलंब से प्रस्तुत करने पर उन्हें नोटिस जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय सेवा नियमों के अनुसार प्रत्येक आईपीएस अधिकारी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्यत: प्रस्तुत करना होता है;

(घ) यदि हां, तो कुल कितने आईपीएस अधिकारियों ने उक्त ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया है; और

(ङ) इन अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई शुरू की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) से (घ) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 के अंतर्गत भारत सरकार के निर्णय (2) के संदर्भ में सेवा के सदस्यों द्वारा सेवा में अपनी प्रथम नियुक्ति पर, ऐसी नियुक्ति के एक माह के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में अपनी अचल सम्पत्ति से संबंधित रिटर्न जमा किया जाना है। 20.08.2013 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय में वर्ष 2012 के लिए 3490 आईपीएस अधिकारियों में से 2791 आईपीएस अधिकारियों की अचल सम्पत्ति का रिटर्न (आपीआर) प्राप्त हुआ है, जबकि 699 आईपीएस अधिकारियों की ओर से यह प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अखिल भारतीय सेवा (एआईएस) के अधिकारियों को विजिलेंस क्लीयरेंस प्रदान करने के ऊपर दिनांक 07.09.2011 को अपने दिशा-निर्देशों में उपयुक्त संशोधन किया है, जिसमें यहा गया है कि वैसे अधिकारी, जिन्होंने निर्धारित समय में अपनी आईपीआर जमा नहीं की है, उन्हें विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दिनांक 05. 05.2011, 05.09.2011, 29.09.2011, 31.10.2011, 29.11.2011, 06.06.2012 और 27.06.2012 को गृह मंत्रालय के द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि समय पर सम्पत्ति रिटर्न जमा नहीं करने वाले अधिकारियों को विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दिया जाएगा और उनकी पदोन्नति, भारत सरकार में एमपैनलमेंट तथा उन्हें प्रशिक्षण, पुरस्कार आदि देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

राजभाषा हिन्दी का प्रयोग

2895. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और बैंक अपने पत्राचार में केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उपक्रमों और बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त उपक्रमों और बैंकों को हिन्दी भाषा में पत्राचार करने के अनुदेश जारी करने सहित सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों के पत्राचार की व्यवस्था राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके तहत बने राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 के अनुसार अपेक्षित है जिसका उद्धरण विवरण संलग्न है।

(ग) प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी कार्यालय/उपक्रम/बैंक के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और नियम का अनुपालन सुनिश्चित करे। तथापि, जब भी उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा राजभाषा नियमों के उल्लंघन का मामला राजभाषा विभाग के संज्ञान में आता है तो सुधार हेतु कार्रवाई की जाती है।

विवरण

राजभाषा नियम 1976 का नियम 4-केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-

(क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करें;

(ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

(घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि-

(i) क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित है वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

(ii) क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अनुसंधान और विकास हेतु अनुदान

2896. श्री भक्त चरण दास: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में खाद्य प्रसंस्करण प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधानार्थ किन्हीं अनुसंधान और विकास संस्थानों को अनुदान प्रदान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिए उक्त अनुसंधान के अनुप्रयोग सहित इन अनुदान से प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निधि के दुरूपयोग के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो निधि के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और स्वीकृत राशि की वसूली करने क लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी हां,। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम के अंतर्गत खा‍ प्रसंस्करण में अनुसंधान हेतु अनुदान-सहायता प्रदान करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, सहायता हेतु निम्नलिखित आरएंडडी परियोजनाओ को अनुमोदन दिया गया था:

क्र.सं.	वर्ष	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	जारी की गई अनुदान-सहायता (करोड़ रुपये)
1.	2010-11	10	5.60
2.	2011-12	14	6.38
3.	2012-13	36(**)	9.85
4.	2013-14 (20.8.2013 तक)	14(**)	7.90
	कुल	74	29.73@

(**) 12वीं योजना के दौरान, इस मंत्रालय की आरएंडडी स्कीम का कार्यान्वयन करने वाले विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता प्राप्त परियोजनाएं शामिल हैं।

(@) जारी की गई अनुदान-सहायता में चालू परियोजनाओं के साथ-साथ नई अनुमोदित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता शामिल है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में देखी जा सकती है।

आरएंडडी स्कीम के विशिष्ट परिणाम के रूप में प्रौद्योगिकियों के शेल्फ तथा नवीन उत्पादों का सृजन करना होगा जो वाणिज्यीकरण हेतु उद्योग के लिए उपलब्ध होंगे। इन परियोजनाओं का भी लक्ष्य प्रौद्योगिकीय समाधानों तथा नए उत्पादों और प्रक्रियाओं का विकास करने की दृष्टि से खाद्य विज्ञान के क्षेत्र की समस्याओं को समझने तथा उन पर कार्य करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय को सक्षम बनाना है। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास को गति मिलने की आशा है।

(ग) अब तक ऐसा कोई भी मामला सूचित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्कीम का नाम: गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम।

घटक का नाम: अनुसंधान एवं विकास

वर्ष 2010-11

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 31.3.2011 तक जारी किया गया अनुदान। (लाख रुपये)

क्र. सं.	सारांश सहित अनुसंधान का विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राज्य	अनुमोदित अनुदान सहायता	जारी की गई किश्त	जारी की गई अनुदान सहायता की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	मोठ बीन के पोषणज मूल्यांकन का मोलक्यूलर चित्रण	सीसीएस, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार	हरियाणा	20.35	दूसरी	9.64
2.	ग्वारगम (साइमौप्सिस टेट्रागोनोलोवा एलटौव) के मूल्य वृद्धि उत्पादों का विकास	सीसीएस, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार	हरियाणा	32.50	दूसरी	13.63
3.	उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए घरेलू प्रोबायोटिक स्ट्रेन से भरपूर परंपरागत किण्वित डेयरी उत्पादों का विकास	आणविक जीव विज्ञान यूनिट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	हरियाणा	67.83	प्रथम	53.668
4.	"फलों के प्रसंस्करण अपशिष्ट की उपयोगिता की संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रक्रिया का विकास"	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	तमिलनाडु	24.50	दूसरी	9.26
5.	सजावटी फूलों का प्राकृतिक खाद्य कलरेंट के रूप में उपयोगिता का पता लगाना	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर	तमिलनाडु	24.595	प्रथम	16.77
6.	सामान्य ताप पर चिकन मांस की मूल्य वृद्धि एवं परिरक्षण के लिए हर्डिल प्रौद्योगिकी का उपयोग	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट	असम	48.36	दूसरी	22.21
7.	"अमरोक मिर्च एवं हल्दी को सुखाने के लिए आर्थिक प्रक्रिया विकास तथा उनके स्थायित्व अध्ययन सहित गुणवत्ता मूल्यांकन"	पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट	असम	31.04	प्रथम	15.52
8.	स्वास्थ्य वर्धक एक्सट्रूडेड आरटीई नाश्ता अन्न का विकास	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम	असम	40.32	प्रथम	20.16
9.	वेक्यूम पफिंग तकनीक के उपयोग से शुष्क शहद चूर्ण का उत्पादन	असम विश्वविद्यालय, असम	असम	24.75	प्रथम	12.37

1	2	3	4	5	6	7
10.	पूर्वोत्तर भारत में शून्य वर्धित सूकर मांस उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकियों का परिष्करण, मानकीकरण एवं उन्हें लोकप्रिय बनाना	राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केन्द्र आईसीएआर, गुवाहाटी	असम	32.55	प्रथम	27.67
11.	पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों द्वारा पारंपरिक पद्धति से उत्पादित राइस बियर की गुणवत्ता में सुधार	तेजपुर, विश्वविद्यालय, नपाम	असम	78.68	दूसरी	30.34
12.	सतह अभिवृद्ध रमन प्रकीर्णन विधि के उपयोग से खाद्य पदार्थों के रासायनिक एवं जैविक टॉक्सिस का पता लगाने के लिए गैर विनाशकारी नैनो-सैंसर्स	अमृता नैनो विज्ञान केन्द्र, अमृता विश्व विद्यापीठ विश्वविद्यालय, अमृता आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर, एलामक्कारा, कोचीन-682026	केरल	65.00	प्रथम	32.50
13.	साइटोक्रोम ऑक्सीडेस जीन-1 का उपयोग करके डीएनए बार-कोडिंग द्वारा भारत की आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों का मान्यीकरण	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	महाराष्ट्र	220.11	दूसरी	88.00
14.	फलीदार एवं पत्तेदार सब्जियों के अनुपूरन से स्वास्थ्यकर एवं पोषक नूडल्स का विकास	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर	महाराष्ट्र	31.13	प्रथम	15.56
15.	फिनिक्स सिल्वेस्टर से प्राप्त नीरा द्वारा सीरप एवं गुड, तैयार करने संबंधी अध्ययन	पूणे विश्वविद्यालय, पुणे-411007	महाराष्ट्र	24.67	प्रथम	20.46
16.	डिजाइन्ड बकरा मांस आधारित उपयोगी उत्पादों के लिए पोषणज दृष्टिकोण	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मथुरा (उ.प्र.)	उत्तर प्रदेश	107.29	दूसरी	41.79
17.	एंजाइम जैवसक्रिय घटकों एवं प्रोटीन उत्पादों के उत्पादन के लिए डीओइल्ड सोयाबीन केक का उपयोग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	दिल्ली	15.60	प्रथम	7.80
18.	उच्च मूल्य न्यूट्रॉस्यूटिकल केटेचिन्स एवं थीफ्लेविन्स चाय के लिए जैव प्रसंस्करण एवं प्रायोगिक उत्पादन	हिमालयन बायोरिसोर्स प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएचबीटी), पालमपुर (हि.प्र.) 176061	हिमाचल प्रदेश	163.00	दूसरी	65.20
19.	मूल्य वर्धित उत्पाद विकास के लिए सेब के रस निकाले हुए गूदे का प्रसंस्करण	हिमालयन बायोरिसोर्स प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएचबीटी), पालमपुर (हि.प्र.) 176061	हिमाचल प्रदेश	107.44	दूसरी	38.85
20.	झारखंड की जनजातियों की संधारणीय पोषणज सुरक्षा के लिए मोटे अनाजों का मूल्य वर्धित प्रसंस्करण	गृह विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	झारखंड	40.40	दूसरी	18.43
		कुल				559.89

वर्ष 2011-12

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 31.3.2012 तक जारी किया गया अनुदान (लाख रुपये)

क्र. सं.	सारांश सहित अनुसंधान का विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राज्य	अनुमोदित अनुदान सहायता	जारी की गई किश्त	जारी की गई अनुदान सहायता की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	चुनिंदा पारंपरिक एवं औद्योगिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त एन्नाटो डाई संरचना तैयार करना	सीएफटीआरआई, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	7.00	दूसरी	2.05879
2.	माइक्रोवेव तापन तथा अविरल माइक्रोवेव पौश्च्यूरीकरण प्रोटोटाइम मॉडल विकास/स्टेरिलाइजेशन पद्धति द्वारा सब्जी के रसों तथा गैर-अम्लीय फलों के रसों के परिरक्षण संबंधी अध्ययन	सीएफटीआरआई, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	38.82	पहली	34.163.
3.	अविरल एक्सप्लोजन पफिंग प्रक्रिया (सीईपीपी) का उपयोग करके फलों एवं सब्जियों का कम लागत पर निर्जलीकरण	मैसर्स घाटगे प्रेसिजन इंजीनियरिंग प्रा. लि., सतारा	महाराष्ट्र	34.16	दूसरी	13.664
4.	साइटोक्रोम ऑक्सीडेस जीन-1 का उपयोग करके डीएनए बार-कोडिंग द्वारा भारत की आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों का मान्यीकरण	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	महाराष्ट्र	220.11	तीसरी	19.75
5.	एक्सट्रूजन पाक प्रौद्योगिकी द्वारा फिंगरमिलर की पोषकता में सुधार	कृषि प्रक्रिया इंजीनियरिंग विभाग, कृषि अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, डॉ.बी.एस. कौंकण कृषि विद्यापीठ, दापोली-415712	महाराष्ट्र	37.51	दूसरी	11.61
6.	फिनिक्स सिल्वेस्टर से प्राप्त नीरा द्वारा सीरप एवं गुड़ तैयार करने संबंधी अध्ययन	पुणे विश्वविद्यालय, पूणे-411007	महाराष्ट्र	24.38	दूसरी	2.32472
7.	व्यवसायिक: मसालों से अपमिश्रित पदार्थों के विभेदन हेतु डीएनए बार कोडिंग	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट-673012	केरल	28.466	पहली	18.958
8.	सतह अभिवृद्ध रमन प्रकीर्णन विधि के उपयोग से खाद्य पदार्थों के रासायनिक एवं जैविक टॉक्सिस का पता लगाने के लिए गैर विनाशकारी नैनो-सेंसर्स	अमृता नैनो विज्ञान केन्द्र, अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय, अमृता आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर, एलामक्कारा, कोचीन-682026	केरल	65.00	दूसरी	26.00
9.	उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए घरेलू प्रोबोटिक स्ट्रेन से भरपूर परंपरागत किण्वित डेयरी उत्पादों का विकास	निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	हरियाणा	53.66	पहली किस्त के लिए अतिरिक्त जारी किया गया अनुदान	1.056

1	2	3	4	5	6	7
10.	उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए घरेलू प्रोबायोटिक स्ट्रेन से भरपूर परंपरागत किण्वित डेयरी उत्पादों का विकास	निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	हरियाणा	69.948	दूसरी किस्त	11.07
11.	भारत के उप-हिमालयांन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के पोषकता से भरपूर एवं खाने योग्य बांस के कल्लों के परिरक्षण के लिए प्रसंस्करण तकनीकों का विकास	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	पंजाब	106.92	पहली	86.51
12.	मांस आधारित उत्पादों की शेल्फ-लाइफ बढ़ाने के लिए नोवेल बायोएक्टिव खाद्य फिल्में	पशुधन उत्पाद प्रौद्योगिक विभाग, गुरू, अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना	पंजाब	56.20	पहली	43.20
13.	खाद्य परिरक्षण के लिए प्राकृतिक एंटी ऑक्सीडेंट का सुपरक्रिटिकल द्रव निष्कर्षण	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	दिल्ली	61.00	पहली	51.58
14.	खाद्य परिरक्षण के लिए प्राकृतिक एंटी ऑक्सीडेंट का सुपरक्रिटिकल द्रव निष्कर्षण	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	दिल्ली	61.00	मकान किराये भत्ते के रूप में	1.22
15.	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र (अनुसंधान एवं विकास कार्यशाला आयोजित करने के लिए) में अनुसंधान एवं विकास में नए दृष्टिकोण	एफआईसीसीआई	दिल्ली	3.10	-	3.102
16.	जाइलोज से भरपूर लिग्नेसेलुलोसिक पदार्थों से जाइलीटोल का जैव प्रौद्योगिकीय उत्पादन	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	दिल्ली	23.11	पहली	16.308
17.	पारंपरिक मत्सयकी क्षेत्र के लिए तापरोधी आस बैग का विकास एवं उनको लोकप्रिय बनाना	तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, चेन्नै	तमिलनाडु	14.98	तीसरी किस्त	0.81
18.	मोरिंगा की शेल्फ-लाइफ बढ़ाने एवं मूल्य वर्धन के लिए फसल एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकियां	कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	तमिलनाडु	38.51	दूसरी	15.40
19.	पोषकता से भरपूर खजूर उत्पादों के परिरक्षण के लिए तकनीक का विकास एवं मानकीकरण	कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	तमिलनाडु	8.75.	दूसरी	3.425
20.	कैश्यू एपल की फसलोत्तर प्रौद्योगिकी एवं मूल्यवर्धन	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, चेन्नै	तमिलनाडु	13.24	पहली	8.12

1	2	3	4	5	6	7
21.	अनाज/मोटे अनाज तथा दाल मिश्रित बेकरी एवं पास्ता उत्पादों के प्रतिरोधी/परिष्कृत स्टार्च विस्थापन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालयच, गृह विज्ञान महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, मदुरै	तमिलनाडु	37.96	पहली	32.97
22.	"मेघालय-पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंवला, मौसमी एवं अदरक निष्कर्षण मिश्रित एलोवेरा जैल से निर्मित कार्बोनेटिड पेय पदार्थों की कम लागत प्रक्रिया का विकास तथा गुणवत्ता मूल्यांकन"	गृह विज्ञान महाविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तुरा	मेघालय	27.22	पहली	23.26
23.	"मेघालय-पूर्वोत्तर क्षेत्र में आंवला मौसमी एवं अदरक निष्कर्षक मिश्रित एलोवेरा जैल से निर्मित कार्बोनेटिड पेय पदार्थों की कम लागत प्रक्रिया का विकास तथा गुणवत्ता मूल्यांकन"	गृह विज्ञान महाविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तुरा	मेघालय	27.22	टीए के प्रति जोड़ा जाने वाला	0.186
24.	मिष्टी दही पाउडर पुन: तैयार करने के लिए विकास प्रक्रिया	तेजपुर विश्वविद्यालय	असम	15.97	15.97 प्रथम	12.28
25.	अरबी की विभिन्न किस्मों की गुणवत्ता में सुधार तथा स्टार्च की प्राप्ति के लिए एंजाइम आधारित निष्कर्षण प्रक्रिया का विकास	तेजपुर विश्वविद्यालय	असम	27.2642	पहली	22.82
26.	"अमराक मिर्च एवं हल्दी को सुखाने के लिए आर्थिक प्रक्रिया विकास तथा उनके स्थायित्व अध्ययन सहित गुणवत्ता मूल्यांकन"	पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट	असम	31.04	दूसरी	5.92
27.	करमबोला पॉमेस सहित असम के चोकवा चावल एवं भीमकोल केला के मिश्रण से खाने के लिए तैयार स्वास्थ्य वर्धक निष्कर्षित नाश्ते का विकास	तेजपुर विश्वविद्यालय, नापाम	असम	40.32036	दूसरी	10.53
28.	मूल्यवर्धित सूकर मांस उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकियों का परिमार्जन, मानकीकरण एवं लोकप्रियता	राष्ट्रीय सूकर अनुसंधान केन्द्र, आईसीएआर, गुहाटी	असम	32.55	दूसरी	2.04
29.	टेक्नॉलाजी असैसमेंट, स्टेंडडाईजेशन एंड एक्सिलरेशन ऑफ शिडाल (फर्मेटिड फिशरी प्रोडयूस) प्रोडक्शन इन नार्थ-ईस्ट इंडिया	कॉलेज ऑफ फिशरीज, लेंबूचेरा, त्रिपुरा	त्रिपुरा	39.88	दूसरी	17.42

1	2	3	4	5	6	7
30.	सुपर क्रिटिकल कार्बनडाईओक्साइड निष्कर्षण तथा संपुटन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करके नोवेल उपयोगी खाद्य पूरकों की डिजाइन	जादवपुर विश्वविद्यालय	पश्चिम बंगाल	33.01468	पहली	30.721
31.	(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (2) प्रदीपित खाद्य के नए क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास तथा (3) विशेषकर पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रदीपन हेतु खाद्य प्रदीपन यूनिटों की सहायता करने वाली खाद्य प्रदीपन यूनिट	जादवपुर विश्वविद्यालय	पश्चिम बंगाल	380.00	शेष राशि	45.14
32.	मूलयवर्धित एवं स्वास्थ्यप्रद टैक्सचराइज्ड अंडा उत्पाद	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर	कर्नाटक	38.51	पहली	28.25
33.	दूध से तैयार नवीन सुविधाजनक खाद्य उत्पादों का विकास एवं गुणवत्ता मूल्यांकन	इंडियन वेटेरीनरी रिसर्च इंस्टीच्यूट (आईवीआरआई) इज्जत नगर, बरेली	उत्तर प्रदेश	45.25	पहली	36.12
		कुल				638.05

स्कीम का नाम: गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम

वर्ष 2012-13

घटक का नाम: अनुसंधान एवं विकास

क (31.3.2013 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अनुदान) (लाख रुपये)

क्र. सं.	सारांश सहित अनुसंधान का विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राज्य	अनुमोदित अनुदान सहायता	जारी की गई किश्त	जारी की गई अनुदान सहायता की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्राकृतिक परिरक्षकों से शेल्फ स्टेबल चिकन मांस उत्पादों का विकास-ए हार्डिल टेक्नोलॉजी एप्रोच	तमिलनाडु वेटरीनरी एवं एनीमल साइंस विश्वविद्यालय	तमिलनाडु	31.90	पहली	24.70
2.	बेक्टीरियोफेसि-सब्जी के लिए श्रेष्ठ बायो परिरक्षक	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	तमिलनाडु	67.09	पहली	63.423
3.	खाद्य एवं औद्योगिक उपयोग हेतु लघु टयूबरों से मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्माण	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, गृहविज्ञान महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान, मदुरई	तमिलनाडु	13.0825	पहली	7.842

1	2	3	4	5	6	7
4.	ओमेगा-3 प्रचुर फंक्शनल फूड के विकास स्थिरता एवं उपभोक्ता स्वीकृति	खाद्य एवं डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, गृहविज्ञान महाविद्यालय, चेन्नै	तमिलनाडु	52.91	पहली	42.78
5.	स्वदेशी प्रौद्योगिकी आधारित नए खाद्य उत्पादों के लिए विकास प्रौद्योगिकियां	भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर	तमिलनाडु	39.074	पहली	32.712
6.	डायटरी फाइबर प्रचुर डिजाइनर मांस उत्पादों के विकास के बारे में अध्ययन	लाला लाजपत राय वेटरीनरी एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार	हरियाणा	54.90	पहली	48.35
7.	विभिन्न प्रजातियो के कोलस्ट्रम बायो-एक्टिव घटकों का निर्धारण तथा नए डेयरी उत्पादों के निर्माण में उनका अनुप्रयोग	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	राजस्थान	87.26	पहली	79.88
8.	कृषि आधारित उत्पादों की मूल्यवृद्धि हेतु माइक्रोवेव (एमवी) एन्हेंस्ड एयर हीटिंग एंड डेयरिंग सिस्टम	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी विभाग, आईआईटी बंबई, पोवई, मुंबई	महाराष्ट्र	24.70	पहली	18.35
9.	मूल्य सृजन प्रौद्योगिकी (कार्यशाला)	आईआईसीसीआई	दिल्ली	4.06	पहली	4.0617
10.	थीनिन का इंजाइमिंग संशलेषण: सुक्ष्मजीवीय ग्लेटेमिल ट्रांसपेप्टीडेज का प्रयोग करके न्यूट्रास्यूटीकल	सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दक्षिणी परिसर नई दिल्ली	दिल्ली	23.00	पहली	15.50
11.	पूर्वोत्तर बाजारों के लिए फलेक्सिविल रिटोई पाउच प्रौद्योगिकी के माध्यम से परोसे जाने के लिए तैयार खाद्य उत्पादों का विकास	मात्स्यिकीय महाविद्यालय, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, अगरतला, त्रिपुरा	त्रिपुरा	25.402	पहली	23.821
12.	अमरूद गूदा प्रचुर किण्वित डेयरी उत्पाद विकास एवं उत्पादन प्रौद्योगिकियां	बनारस विश्वविद्यालय, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	41.27	पहली	32.51
13.	छाछ से प्रोटीन के चयनित विलगाव हेतु अध्ययन	एनसीएल, पुणे	महाराष्ट्र	20.74	पहली	13.67
14.	खनिजों की बायोउप्लब्धता बढ़ाने के लिए दुग्ध पुष्टिकरण प्रौद्योगिकी विकास	गुरू अंद देव वेटरीनरी एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना, पंजाब	पंजाब	70.72	पहली	62.36
15.	असम की चावल बीयर में पाए जाने वाले प्रभावी माइक्रोफ्लोरा के उपयोगी गुणधर्मों पर अध्ययन	तेजपुर विश्वविद्यालय	असम	46.02	पहली	40.31
16.	दूध और इसके उत्पादों की पैकिंग के लिए पीईटी के अपशिष्ट से एंटीमाइक्रोबियल पोलिमैरिक नैनो कंपोजिट फिल्म का विकास	पालिमर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कलकत्ता, विश्वविद्यालय, कोलकात्ता	पश्चिम बंगाल	48.291	पहली	44.083
17.	पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्राप्त गैर पारंपरिक स्टार्च स्रोतों का पृथक्करण, परिवर्धन तथा उनके प्रभावी खाद्य अनुप्रयोग	गृह विज्ञान महाविद्यालय, सीएयू, तूरा, मेघालय	मेघालय	40.184	पहली	35.592

1	2	3	4	5	6	7
18.	लिग्यूमों का पत्तेदार सब्जियों के अनुपूरण से स्वास्थ्यवर्धक एवं पोषक तत्वों से परिपूर्ण नूडल्स का विकास	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	31.13	दूसरी	12.452
19.	एंजाइमों, बायोएक्टिव घटकों तथा प्रोटीन उत्पादों के निर्माण के लिए डिओइल्ड सोयाबीन खली का उपयोग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	दिल्ली	15.60	दूसरी	3.215
20.	माइक्रोवेव और वैद्युत ऊर्जा तापन द्वारा तरल पेय पदार्थों और अर्धठोस खाद्य उत्पादों का अल्ट्रा हाई ताप (यूएचटी) प्रसंस्करण	जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकात्ता	पश्चिम बंगाल	44.00	दूसरी	17.60
21.	ट्रेड मसालों को उनके अपमिश्रकों से अलग करने के लिए डीएनए बारकोडिंग	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कालीकट, केरल	केरल	28.466	दूसरी	7.286
22.	पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय लोगों द्वारा चावल बियर उत्पादन के परंपरागत विधि की गुणवत्ता में सुधार	तेजपुर विश्वविद्यालय, नपाम, असम	असम	78.685	तीसरी	7.868
		कुल (1-22)				638.368

वर्ष 2012-13

ख-(खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास स्कीम के कार्यान्वयन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) द्वारा 31.3.2013 तक जारी किया गय अनुदान)

(लाख रुपये)

क्र. सं.	सारांश सहित अनुसंधान का विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राज्य	अनुमोदित अनुदान सहायता	जारी की गई किश्त	जारी की गई अनुदान सहायता की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	डिग्रेडेबल खाद्य पैकिंग प्रौद्योगिकी "ग्रीन-पैक" का विकास	रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी, असम	असम	29.97	पहली	28.07
2.	पूर्वोत्तर भारत की पारंपरिक रूप से प्रसंस्कृत शुष्कीकृत मछली का गुणवत्ता मूल्याकन	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, गुवाहाटी असम	असम	32.93	पहली	24.79
3.	चावल और गेहूं की भूसी से थाइमीन निष्कर्षण तथा खाद्य पदार्थों के पुष्टिकरण के लिए संचालन मानकों का अनुकूलन।	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, गीतम प्रौद्योगिकी संस्थान, गीतम विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम, असम	अरूणाचल प्रदेश	19.00	पहली	8.50
4.	आयरन की जैव उपलब्धता की वृद्धि के लिए पाइपरीन कान्ज्यूगेट्स का विकास	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, गीतम प्रौद्योगिकी संस्थान, गीतम विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम, असम	अरूणाचल प्रदेश	30.00	पहली	7.50

1	2	3	4	5	6	7
5.	सोयादूध और सेब के रस के प्रसंस्करण हेतु फंक्शन्लाइज्ड पॉलीमर्स	जीव परिवर्तन प्रयोगशाला, प्राकृतिक उत्पाद प्रभाग,, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	अरूणाचल प्रदेश	33.34	पहली	23.17
6.	हरी पत्तेदार सब्जियों में क्लोरोफिल के तार डिग्रेडेशन की गति तथा सब्जियों की शैल्फ लाइफ में वृद्धि करना	रासायनिक इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रायपुर छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	11.714	पहली	8.874
7.	आरएसएम के उपयोग से कम उपयोग किए गए अल्पकालिक ताजे फलों की शेल्फ-लाइफ तथा फसलोत्तर गुणवत्ता सुधारने के लिए खाद्य कोटिंग संरचना का विकास एवं इष्टतमीकरण	बीआरडी विभाग, जीवविज्ञान विद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात	गुजरात	17.128	पहली	13.708
8.	चिकन लीवर हाइड्रोलेट्स; स्वास्थ्यवर्धक जैव उपयोगी विशेषता पैदा करना एवं अनुप्रयोग को तैयार करने के लिए एंजाइमेटिक एवं फर्मेन्टेटिव पद्धतियों का तुलनात्मक मूल्यांकन	मांस, मछली एवं पोल्ट्री प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर, कर्नाटक	कर्नाटक	41.64	पहली	35.46
9.	सार्डीन मछली के तेल से पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंसेंट्रेट एन-3 का उत्पादन	रासायनिक इंजीनियरी विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरतकल, श्री निवासनगर, मंगलोर, कर्नाटक	कर्नाटक	46.798	पहली	39.814
10.	खाद्य अनुपूरक अनुप्रयोगों के लिए पॉलीफीनॉल्स के नैनोएनकैप्सुलेशन हेतु प्रक्रिया विकास	मानव संसाधन विकास, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर, कर्नाटक	कर्नाटक	20.298	पहली	17.044
11.	कम उपयोग किए गए अनाजों से औद्योगिक उत्पादन हेतु उपयुक्त पोषणज रूप से समृद्ध नए सुलभ खाद्य पदार्थ	अन्न विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर, कर्नाटक	कर्नाटक	20.00	पहली	15.16
12.	प्लाज्मा प्रसंस्कृत चावलों के साइको-कैमिकल गुणों का अध्ययन	खाद्य इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी विभाग, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	22.38	पहली	19.69
13.	ऊर्जा दक्ष पक्कवन उपकरणों एवं पद्धतियों का अविरल विकास	रासायनिक इंजीनियरी विभाग, रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई	महाराष्ट्र	25.832	पहली	16.916
14.	मूल्यवर्द्धन द्वारा चीकू (मेरिकारा झपोता) की शैल्फ लाइफ में बढ़ोतरी	खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग, कोंगू इंजीनियरी महाविद्यालय, इरोड, तमिलनाडु	तमिलनाडु	10.44	पहली	4.00

1	2	3	4	5	6	7
15.	इमली फूड ह्यूलर और डिशीडर का डिजाइन एवं मूल्यांकन	खाद्य एवं कृषि उत्पाद इंजीनियरी विभाग, कृषि इंजीनियरी कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	तमिलनाडु	10.44	पहली	7.22
16.	तरल एगव्हाईट के पाश्च्यूरीकरण के लिए ओहमिक तापन प्रणाली का डिजाइन एवं विकास तथा एग व्हाईट एल्स्यूमिन के उपयोगी गुणों को बढ़ाना	खाद्य एवं कृषि उत्पाद इंजीनियरी विभाग, कृषि इंजीनियरी कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	तमिलनाडु	20.28	पहली	15.14
17.	जाइलूलिगोसैचुनाइड्स (एक्स ओएस) की प्रीबायोटिक एफिशिएसी और उनके खाद्य उपयोग	खाद्य एवं कृषि उत्पाद इंजीनियरी विभाग कृषि इंजीनियरी कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	तमिलनाडु	27.708	पहली	18.854
18.	पल्स पावर तकनीक का व्यवहार्यता अध्ययन: जलशोधन हेतु वैकल्पिक प्रौद्योगिकी	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास, चैन्नई	तमिलनाडु	29.995	पहली	25.49
19.	कच्चकल केले का ओस्मोटिक डीहाइड्रेशन और माइक्रोवेव वैक्यूम ड्राइंग	खाद्य इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी विभाग तेजपुर विश्वविद्यालय, नप्पाम, असम	असम	20.81	पहली	17.59
		कुल				346.99

स्कीम का नाम: गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य प्रोत्साहन कार्यकलाप स्कीम

वर्ष 2013-14

घटक का नाम: अनुसंधान एवं विकास

क- (20.8.2013 तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया अनुदान)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	सारांश सहित अनुसंधान का विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राज्य	अनुमोदित अनुदान सहायता	जारी की गई किश्त	जारी की गई अनुदान सहायता की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारत के विभिन्न जीन मार्कर्ष के उपयोग से डीएनए बारकोडिंग द्वारा भारत में न्यूट्रास्यूटिकली महत्वपूर्ण प्लॉट रिर्सोसेज की पुष्टि करना	डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद	महाराष्ट्र	147.240	पहली	131.540
2.	स्ट्रीट मांस की दुकानों में खुदरा बाजार के लिए कम लागत की	केन्द्रीय फसलोत्तर इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना, पंजाब	पंजाब	11.69	पहली	7.845

1	2	3	4	5	6	7
	रैफ्रिजरेटेड कैबिनेट के उपयोग से ताजा मांस की माइक्रोबायल सुरक्षा एवं पोषक गुणों में वृद्धि करना					
3.	खाद्य उपयोग हेतु असम की अरबी की विभिन्न किस्मों की गुणवत्ता में सुधार तथा स्टार्च की प्राप्ति के लिए एंजाइम आधारित निष्कर्षण प्रक्रिया का विकास	तेजपुर विश्वविद्यालय	असम	27.26425	दूसरी	3.31357
4.	एंजाइम, जैव सक्रिय घटकों एवं प्रौटीन उत्पादों के उत्पादन के लिए डीओइल्ड सोयाबीन केक का उपयोग	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली	दिल्ली	. भुगतान	किस्तों में	2.40
5.	मूल्यवर्धित उत्पाद विकास हेतु सेब का प्रसंस्करण	आईएचबीटी, पालमपुर	मध्य प्रदेश	107.44	तीसरी	10.744
6.	आरएंडडी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एसईआरबी को निधियों का हस्थानांतरण	एसईआरबी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	दिल्ली	770.00	पहली	261.621
7.	स्वास्थ्य एवं पोषणज सुरक्षा हेतु लाल ज्वार आधारित स्नैक बार	बागवानी विभाग, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक	कर्नाटक	36.916	पहली	32.208
8.	डिजाइन्ड बकरा मांस आधारित उपयोगी उत्पादों के लिए पोषणज दृष्टिकोण	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा (उ.प्र.)	उत्तर प्रदेश	107.29	तीसरी	10.729
		कुल				460.4012

वर्ष 2013-14

ख-(खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुसंधान एवं विकास स्कीम के कार्यान्वयन हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) द्वारा 28.08.2013 तक जारी किया गया अनुदान)

(लाख रुपये)

क्र. सं.	सारांश सहित अनुसंधान का विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राज्य	अनुमोदित अनुदान सहायता	जारी की गई किश्त	जारी की गई अनुदान सहायता की राशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पूर्वोत्तर की अल्प उपयोग फसलों से अन्न आधारित उपयोगी नाश्ते के विकास संबंधी अध्ययन	श्री अमित बरन दास, खाद्य इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तेजपुर, विश्वविद्यालय, नापम, तेजपुर, असम	असम	29.024	पहली	25.262
2.	हाइब्रिड ड्राइंग पद्धति के उपयोग से भीमकोल (मूसा बलबिसियाना)	डॉ. ब्रिजेश श्रीवास्तव, खाद्य इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी विभाग, तेजपुर	असम	35.324	पहली	31.912

1	2	3	4	5	6	7
	स्लाइस, ग्रिट्स तथा पाउडर के लिए प्रायोगिक पैमाने पर प्रक्रिया प्रौद्योगिकी	विश्वविद्यालय, नापम, तेजपुर, असम				
3.	दूध में चुनिंदा अपमिश्रकों एवं संदूषकों के लिए स्ट्रिप आधारित डिटेक्शन टेस्ट का विकास	डॉ. राजन शर्मा, डेयरी रसायन प्रभात, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा	हरियाणा	49.848	पहली	35.174
4.	पौष्टिक खाद्य पदार्थ: स्थिर एवं सक्रिय प्रोबायोटिक्स का उत्पादन	डॉ सूराजीत मंडल, डेयरी सुक्ष्म जैव विज्ञान प्रभाग, डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा	हरियाणा	35.824	पहली	29.912
5.	एंटीऑक्सीडेटिड एवं इन्म्यूनोमॉडिलेटरी पेप्टाइड्स से भरपूर भैंस केसीन हाइड्रोलिसेट्स का उत्पादन तथा उपयोगी पेय पदार्थों के विकास के लिए उनका उपयोग	डॉ. राजेश कुमार, डेयरी रसायन प्रभात, डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा	हरियाणा	50.00	पहली	38.648
6.	वृहद भंडार के अंतर्गत राइस भंडारण के कीटों के प्रबंधन के लिए मिथाइल ब्रोमाइड के प्रतिस्थापन के तौर पर फॉस्फीन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का युग्मन	डॉ. आर मिनाक्षी, डेयरी रसायन प्रभात, डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा	तमिलनाडु	39.804	पहली	33.292
7.	प्याज क लिए खेत स्तर पर प्रसंस्करण मूल्यवृद्धि एवं सुरक्षित भंडारण हेतु प्रौद्योगिकी पैकेज	डॉ. वी.आर. सिनीजा, भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर, तमिलनाडु	तमिलनाडु	49.97	पहली	42.91
8.	गेहूं की विभिन्न प्रजातियों की उत्तरोत्तर साइज रिडक्शन मिलिंग द्वारा उत्पादित कैमिकल, रिलोजिकल एवं प्रसंस्कृत गुणवत्ता के फ्रैक्शन्स	प्रो. नरपिन्दर सिंह, खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब दिल्ली	पंजाब	69.208	पहली	62.104
9.	ह्यूमन गट माइक्रोफ्लोरा पर प्रीबायोटिक्स के तौर पर वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध न्यूट्रास्यूटीकल्स एवं ओलीगोसेकेराइड्स के प्रभाव का इन विट्रो मूल्यांकन	डॉ. शिल्पी शर्मा, जैव रसायन इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, हौज खास, नई दिल्ली	दिल्ली	23.232	पहली	15.936
10.	सुधारयुक्त उपयोगी गुणवत्ता सहित फैनोलिक से भरपूर मल्टीग्रेन ब्रेड का विकास	प्रो. चरणजीत कौर, फसलोत्तर प्रौद्योगिकी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, तीसरा तल, एनआरएल बिल्डिंग, नई दिल्ली, दिल्ली	दिल्ली	49.816	पहली	39.868
		कुल		403.026		329.756

एन.आई.ए. का कार्यकरण

2897. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान एनआईए के कार्यकरण में कोई खामियां चिह्नित की हैं/का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के पर्यवेक्षण का कार्य केन्द्र सरकार में निहित है। गृह मंत्रालय, जो इसका नियंत्रण मंत्रालय है, नियमित अंतराल पर एनआईए के समग्र कार्यकरण की समीक्षा करता है। तथापि, एनआईए की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के बारे में कोई विशिष्ट तंत्र निर्धारित नहीं है। वर्तमान समय में एजेंसी को 71 मामलों की जांच का कार्य सौंपा गया है जिसमें से 35 मामलों में विभिन्न एनआईए विशेष न्यायालयों में आरोप-पत्र दाखिल किए जा चुके हैं और 02 मामलों में पहले ही दोषसिद्धि हो चुकी है। शेष 36 मामले जांच-पड़ताल के विभिन्न चरणों में हैं। सरकार ने इन मामलों का शीघ्रातिशीघ्र विचारण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 38 विशेष एनआईए न्यायालयों को अधिसूचित किया है।

एनआईए को अपने दायित्वों के निर्वहन में और प्रभावकारी बनाने के लिए एनआईए अधिनियम में प्रस्तावित कतिपय संशोधन भी गृह मंत्रालय में विचाराधीन है।

(ग) और (घ) चल रही किसी भी समीक्षा के दौरान एनआईए की कार्यप्रणाली में किसी भी विशिष्ट कमी की जानकारी का पता नहीं चला है।

[हिन्दी]

खरीद में अनियमितताएं

2898. श्री लालजी टण्डन:
श्री गणेश सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत एक वर्ष के दौरान और चालू खरीद मौसम में गेहूं और धान की खरीद की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में धान और गेहूं की खरीद में बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या उक्त खाद्यान्नों की खरीद में अनियमितताओं के मद्देनजर किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर ही इन खाद्यन्नों की औने-पौने दाम में बिक्री किए जाने के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं:

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) पिछले एक वर्ष और वर्तमान मौसम के दौरान गेहूं और धान की खरीद का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) गेहूं और धान की खरीद में बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण की ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) से (च) खाद्यन्नों की खरीद में कथित अनियमितताओं के बारे में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा भारतीय खाद्य निगम में बारह (12) शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

मजबूरन बिक्री की समस्या से निपटने तथा खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा की खरीद सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) स्वीकार्य नमी की मात्रा, विजातीय तत्व आदि जैसी विनिर्दिष्टियों का व्यापक प्रचार किया जाता है ताकि तदनुसार किसान अपनी उपज ला सकें और खरीद केन्द्रों पर अपनी उपज लाने में उन्हें कोई कठिनाई न उठानी पड़े। किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हैंडबिल/विवरण पत्र भी वितरित किए जाते हैं।

(ii) खरीद केन्द्रों/मंडियों में सफाई और भारमापन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, मॉइश्चर मीटरों और बोरियों की व्यवस्था भी की जाती है ताकि किसानों के उत्पादों को तत्परता से स्वीकार किया जा सके।

(iii) मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां किसान और सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, खरीद केन्द्र पर उत्पाद लाने के लिए तारीख और समय के बारे में सूचना एसएमएस के जरिए दी जाती है।

(iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों तक किसानों की आसान पहुंच के लिए विनियमित मंडियों के अलावा अस्थायी खरीद केन्द्र भी खोले जाते हैं।

(v) यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को अपने उत्पाद की बिक्री के 48 घंटों के भीतर भुगतान कर दिया जाए।

(vi) खरीद केन्द्रों को राज्य सरकार के परामर्श से खरीद मौसम के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख तक प्रचालित रखा जाता है।

(vii) भारतीय खाद्य निगम सुनिश्चित करता है कि खुली खरीद की प्रक्रिया में निधियों का कोई संकट उत्पन्न नहीं होना चाहिए अर्थात खरीद केन्द्र पर अंत में लाया गया खाद्यान्न भी खरीद लिया जाए।

विवरण I

गेहूं और चावल की खरीद *(लाख टन में)*

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं		चावल	
	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13
आंध्र प्रदेश			75.42	64.32
असम			0.23	0.20
बिहार	7.72		15.34	13.03
चंडीगढ़	0.17		0.13	
छत्तीसगढ़			41.15	48.04
दिल्ली	0.31			
गुजरात	1.56		0.04	
हरियाणा	86.65	58.73	20.07	26.09
हिमाचल प्रदेश	0.01		0.01	
जम्मू और कश्मीर	0.09		0.09	
झारखंड			2.75	2.15
कर्नाटक			3.56	0.73
केरल			3.76	2.40
मध्य प्रदेश	84.93	63.55	6.35	8.98
महाराष्ट्र	0.02		1.77	1.91
ओडिशा			28.66	36.07
पुदुचेरी			0.05	
पंजाब	128.34	108.97	77.31	85.58
राजस्थान	19.64	12.68		
तमिलनाडु			15.96	4.81
उत्तर प्रदेश	50.63	6.83	33.57	22.86
उत्तराखंड	1.39	0.05	3.78	4.97
पश्चिम बंगाल	0.02	0.02	20.41	17.12
अखिल भारत जोड़	381.48	250.91	350.41	339.41

22.08.2013 की स्थिति के अनुसार

विवरण II

प्राप्त शिकायतें तथा उन पर की गई कार्रवाई

क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम सर्वश्री/श्रीमती	शिकायत का प्रकार	की गई कार्रवाई	राज्य
1	2	3	4	5
1.	श्री अवधपाल सिंह यादव, विधायक, उत्तर प्रदेश	गेहूं की खरीद में अनियमितताएं।	मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया गया है और उत्तर प्रतीक्षित है।	उत्तर प्रदेश
2.	श्री प्रेम चंद गुड्डू, संसद सदस्य	मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद में अनियमितताएं।	मामले की जांच की गई थी और उत्तर माननीय संसद सदस्य को प्रेषित कर दिया गया था। माननीय संसद सदस्य से एक और पत्र प्राप्त हुआ था जिसके बारे में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।	मध्य प्रदेश
3.	श्री दिग्विजय सिंह	मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद में कथित कदाचार।	मामले को भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार के साथ उठाया गया है और उत्तर प्रतीक्षित है।	मध्य प्रदेश
4.	श्री उदय प्रताप सिंह, संसद सदस्य	मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद में अनियमितताएं।	माननीय संसद सदस्य को अंतरिम उत्तर भेज दिया गया था और मध्य प्रदेश सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है।	मध्य प्रदेश
5.	वंदना सिंह से दिनांक 22.6.2012 को प्राप्त शिकायत	सवाइमाधोपुर जिले में खरीद में अनियमितताएं।	मामले की जांच की गई थी और आरोपों को सही नहीं पाया गया था।	राजस्थान
6.	जाहिदा खान से दिनांक 19.9.2012 को प्राप्त शिकायत	भरतपुर, अलवर में खरीद में अनियमितताएं।	मामले की जांच की गई थी और आरोपों को सही नहीं पाया गया था।	राजस्थान
7.	राम प्रसाद निराला, सदस्य, राज्य सलाहकार समिति, भारतीय खाद्य निगम (बिहार) से प्राप्त शिकायत	नसीरगंज, नोखा, बिक्रमगंज और कुदरा में खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में हुई अनियमितताएं।	मामले की जांच की गई थी और आरोपों को सही नहीं पाया गया था।	बिहार
8.	श्री रेवती रमण सिंह, संसद सदस्य से दिनांक 15.5.2012 को प्राप्त शिकायत	भारतीय खाद्य निगम, इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश) में गेहूं की खरीद में अवैध धन की मांग।	दो सहायक महाप्रबंधकों की एक समिति के माध्यम से शिकायत की जांच करवाई गई थी और समिति ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ द्वारा किसी धन की मांग नहीं की जा रही थी।	उत्तर प्रदेश

1	2	3	4	5
9.	श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य-लोक सभा के माध्यम से दिनांक 11.5.2012 को श्री केसव शरण भट्ट, सिद्धार्थनगर (उत्तर प्रदेश) की शिकायत	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बस्ती, सिद्धार्थ नगर और संत कबीर नगर जिलों में घटिया किस्म के खाद्यान्नों की खरीद के संबंध में।	भारतीय खाद्य निगम द्वारा जांच की जा रही है।	उत्तर प्रदेश
10.	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली के माध्यम से श्री भानू प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, कानपुर से प्राप्त शिकायत।	कानपुर में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर गेहूं की खरीद के संबंध में।	समिति के माध्यम से शिकायत की जांच करवाई गई थी। समिति के रिपोर्ट के अनुसार तथ्यों को सही नहीं पाया गया।	उत्तर प्रदेश
11.	श्री अनिन्द्य बनर्जी, महाप्रबंधक (सतर्कता), भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय (पूर्व), कोलकाता को दिनांक 2.4.2013 को दूरभाष पर कुछ सुराग मिला था।	बीएसएफसी के कर्मचारियों की मिलीभगत से बीएसडब्ल्यूसी छपरा में भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ द्वारा दिनांक 25.3.2013 और 26.3.0213 को चावल के 22 लॉट की फर्जी खरीद/कागजी लेन-देन।	श्री ए.के. बिस्वास, क्षेत्रीय प्रबंधक, छपरा को निलम्बित कर दिया गया है।	बिहार
12.	श्री अमन कुमार, दलतोनगंज, जिला-पलामू, झारखंड	झारखंड में भारतीय खाद्य निगम के ढुलमुल कार्यकरण के संबंध में।	महा प्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, झारखंड से टिप्पणियां मांगी गई हैं।	झारखंड

नकली कीटनाशकों का उत्पादन

2899. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि कुछ विदेशी कंपनियां देश में नकली कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ कंपनियां अपनी कार्य क्षमता की मियाद पूरे कर चुके कीटनाशकों का गैर-कानूनी रूप से आयात करके इनकी बिक्री कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ कंपनियां कुछ राज्यों में फसलों पर गैर-कानूनी परीक्षण परीक्षण व प्रयोग कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो ऐसी विदेशी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (च) ऐसी कोई रिपोर्ट नोटिस में नहीं आई है।

फसलों का विविधीकरण

2900. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से फसलों के विविधीकरण हेतु वित्तीय सहायता के अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) भारत सरकार को सिर्फ पंजाब राज्य से ही वित्तीय सहायता की मांग हेतु कृषि फसलों के विविधीकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। वर्ष 2013-14 के दौरान 500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मृदा उर्वरता का पुनरुद्धार करने तथा भू जल की क्षीणता के कम करने के लिए वास्तविक हरित क्रान्ति वाले राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल विविधीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

औषधियों की उपलब्धता में कमी

2901. श्री एस. अलागिरी:
श्री यशवंत लागुरी:
श्री अंजनकुमार एम. यादव:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य औषध नियंत्रण प्रशासन और कंपनियों तथा विभिन्न व्यक्तियों से प्राप्त सूचना के आधार पर औषधियों की कमी और उपलब्धता की पहचान और निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी सूचनाओं का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसका निष्कर्ष क्या है;

(घ) क्या सरकार/राष्ट्रीय औषध मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण देश में औषधियों/दवाइयों के मूल्य पर अंकुश रख रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों और उक्त अवधि के दौरान किए गए जांच कार्यों का ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), राज्य सरकारों के औषध नियंत्रण प्रशासन के माध्यम से, नियमित रूप से, देश में औषधियों की उपलब्धता (कमी) की मॉनीटरिंग करता है। कमी के संबंध में जब कभी भी राज्य औषध नियंत्रकों (एसडीसी) द्वारा कमी की सूचना दी जाती है अथवा अन्यथा यह इसके ध्यान में आती है, तो एनपीपीए कमी वाली जगहों पर स्टाक की शीघ्र आपूर्ति करने के लिए विनिर्माताओं पर जोर डालकर औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक कदम उठाता है। जहां कहीं विगत में कमियों के संबंध में सूचना मिली, उन्हें अधिकांशत: ब्रांड विशिष्ट पाया गया और ऐसे मामलों में बाजार में समतुल्य सबस्टिट्यूट्स उपलब्ध थे। वर्तमान में एसडीसी द्वारा एनपीपीए को नियमित कमी का कोई भी मामला सूचित नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने डीपीसीओ, 1995 के अतिक्रमण में दिनांक 15 मई, 2013 को औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूच, 2011 में विनिर्दिष्ट सभी दवाइयां को डीपीसीओ, 2013 की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है और इन्हें मूल्य नियंत्रण लाया गया है। इनमें से, एनपीपीए ने पहले ही उक्त आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत 291 दवाओं के संबंध में उच्चतम मूल्य अधिसूचित कर दिए हैं।

उच्चतम मूल्य से अधिक अधिकतम खुदरा मूल्य वाले उक्त अनुसूचित फार्मूलेशनों के विनिर्माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे डीपीसीओ, 2013 के पैरा 13(1) और 24 के अनुसार एनपीपीए द्वारा मूल्य अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर अधिकतम खुदरा मूल्य के संशोधित करके एक ऐसा मूल्य निर्धारित करें जो उच्चतम मूल्य प्लस स्थानीय करों जहां कहीं लागू हो, से अधिक न हो।

एनपीपीए बाजार से नमूनों की खरीद, राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त हुई शिकायतों और कंपनियों द्वारा डीपीसीओ, 2013 के फार्म-V में प्रस्तुत की गई मूल्य सूची के माध्यम से प्रवर्तन कार्यकलाप को कार्यान्वित करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरन अधिप्रभार/अधिसूचित मूल्यों के गैर-अनुपालन के मामलों का पता लगाने के लिए बाजार से 553, 559 और 626 पैक खरीदे गए थे और उनका विश्लेषण किया गया था।

औषधियों का थोक और खुदरा मूल्य

2902. डॉ. रतन सिंह अजनाला: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधियों के खुदरा और थोक मूल्य में काफी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या अंतर है;

(ग) क्या औषधियों के थोक और खुदरा मूल्यों के बीच के अंतर को कम करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कदम कब तक उठाए जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ङ) सरकार ने डीपीसीओ, 1995 के अतिक्रमण में औषधि (कीमत नियंत्रण आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) को दिनांक 15 मई, 2013 को अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2011 में विनिर्दिष्ट सभी दवाइयों को डीपीसीओ, 2013 की प्रथम अनुसूची में शामिल कर लिया गया है और उन्हें मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया है। डीपीसीओ, 2013 में खुदरा विक्रेता को पीटीआर (खुदरा विक्रेता का मूल्य) पर केवल 16 प्रतिशत के मार्जिन के प्रावधान के साथ उच्चतम मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्थ है। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने अब तक उक्त आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत 291 दवाइयों के संबंध में उच्चतम मूल्य अधिसूचित किए हैं। जहां तक गैर-अनुसूचित औषधियों का संबंध है, उच्चतम मूल्य के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है।

कोल-बेड मीथेन

2903. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला-खानों में कोल-बेड मीथेन (सीबीएम) गैस भण्डार की उस मात्रा, जिसका वर्तमान में गैस उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जा रह है, का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की कोल इंडिया लिमिटेड तथा राज्य सरकारों के अधीनस्थ अन्य कंपनियों और निजी कंपनियों को उनके कोयला ब्लॉकों से गैस-उत्पादन की अनुमति देने की योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस गैस के मूल्य निर्धारण हेतु प्रयुक्त कार्य विधि और सरकार के साथ राजस्व की हिस्सेदारी करने की प्रणाली का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन कोयला-ब्लॉकों से सीबीएम गैस के उत्पादन से देश में कुल प्राकृतिक गैस-उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि. (सीआईएल)/सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट (सीएमपीडीआई) अपने खनन क्षेत्रों से कोल खान मीथेन (सीएमएम) का विकास कर रहा है क्योंकि यह खान सुरक्षा और पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा। कोयला मंत्रालय ने भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीओई को नोडल एजेंसी बनाया है। सीआईएल/सीएमपीडीआई ने भारत कोकिंग कोल लि. की मूनीदीह खान में सीएमएम निदर्शन प्रदर्शन परियोजना सफलता पूर्वक कार्यान्वित की है जो कि जीओएल/यूएनडीपी/जीईएफ द्वारा वित्तपोषित की गई है। परियोजना के सफल कार्यान्वयन ने सीएमएम निकासी की प्रौद्योगिकी क्षमता और भारतीय भूखनन की स्थिति में इसके उपयोग को प्रमाणित किया है। निदर्शन परियोजना के सफलता के आधार पर सीएमएम परियोजना के विकास के लिए भावी क्षेत्रों तथा उच्च स्तरीय कोयले के बहुसीमो की विधिमानता द्वारा विशिष्टीकृत कोलफील्डों की पहचान के लिए कदम उठाए गए है जो सीएमएम विकास के लिए सम्भावित क्षेत्र समझे गए थे।

(ङ) सरकार ने रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर गैस मूल्य का फार्मूला अनुमोदित किया है जो 01 अप्रैल, 2014 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू होगा। ये गैस मूल्य सीवीएम सहित सभी प्राकृतिक गैसों पर लागू होगा।

(च) कुल 33 कोल बैड मीथेन (सीबीएम) ब्लॉक सीबीएम बोली के 4 दौर क अंतर्गत अवार्ड किए गए है, जिनमें से 3 ब्लॉकों को छोड़ दिया गया है। विद्यमान सीबीएम गैस 9.9 ट्रीलीयन क्यूफीट (टीसीएफ) अब तक 9 ब्लॉकों में स्थापित किया गया है। एक ब्लॉक नामत: पश्चिम बंगाल में रानीगंज दक्षिण में वाणिज्यिक गैस उत्पादन 2007 में शुरू किया गया था तथा वर्तमान गैस उत्पादन 0.25 एमएमएससीएमडी है।

[हिन्दी]

कृषि उपस्करों पर राजसहायता

2904. श्री शिवराज भैया:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में सूखे की दशा में किसानों को आधुनिक कृषि उपस्करों, डीजल और उर्वरकों की खरीद पर राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कृषि और सिंचाई उपस्करों पर राजसहायता बढ़ाने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बीज-उत्पादक कंपनियों/सहाकारी समितियों को बीजों पर दी वाली राजसहायता रोक दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) खरीफ 2013 के दौरान कम वर्षा की स्थिति के कारण सरकार ने सूखा तथा कम वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में खड़ी फसल के लिए पूरक तथा संरक्षित सिंचाई प्रदान करने के लिए पानी उपलब्ध करने के लिए डीजल की लागत के समायोजन के लिए डीजल सब्सिडी योजना शुरू की। इस योजना के तहत पूरक तथा संरक्षित सिंचाई के लिए डीजल लागत के 50% की वित्तीय सहायता 2 हैक्टेयर प्रति किसान तक सीमित, प्रदान की गई थी जिसे भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र द्वारा समान रूप से वहन किया गया था। भारत सरकार का योगदान 750 रुपये प्रति हैक्टेयर तक सीमित था। यह योजना 30 सितम्बर, 2012 तक निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रचालन में थी;

* भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के अनुसार 15 जुलाई, 2012 तक 50% से अधिक वर्षा की कमी वाले जिले अथवा
* संबंधित राज्य सरकारों द्वारा घोषित सूखा प्रभावित क्षेत्रों के रूप में तालुके तथा जिले अथवा
* 15 जुलाई, 2012 से प्रारंभ होकर किसी भी लगातार 15 दिनों की अवधि के लिए 60% अथवा अधिक वर्षा की कमी के साथ दीर्घकालीन सूखा अवधि वाले क्षेत्र।

किसानों को यूरिया तथा फास्फेटिक तथा पोटाषिक (पी तथा के) उर्वरकों के 23 ग्रेड पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। सरकार तथापि सूखा स्थिति में आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीद पर राजसहायता के लिए किसी विशिष्ट योजना कार्यान्वित नहीं कर रही है तथा भविष्य में ऐसी सब्सिडी को बढ़ाए जाने का विचार नहीं कर रही है।

(घ) और (ङ) सरकार किसानों को प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए मौजूदा अवसंरचना के विकास तथा सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य के साथ 2005-06 से गुणवत्ता बीजों के उत्पादन तथा वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास तथा सुदृढ़ीकरण/शीर्षक से एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रही है। तथापि बीज उत्पादक कंपनियों/सहकारिताओं को कोई राजसहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

कोयला धोवनशाला

2905. श्री धनंजय सिंह: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत कोयला-धोवनशालाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोयले से राख और अन्य अनुपयोगी तत्वों की मात्रा घटाने ताकि इसे आयातित कोयले की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके, के लिए ऐसी और अधिक कोयला-धोवनशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी सहायक कंपनी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) सीआईएल/सहायक कंपनियों की कोयला वाशरीज जो कि प्रचालन में है, का विवरण इस प्रकार हैं:

क्र सं	कोयले वाशरी का नाम	सहायक कंपनी	क्षमता (एमटीपीए)
1	2	3	4
1.	दुग्दा-II	बीसीसीएल	2.00
2.	भोजूडीह	बीसीसीएल	1.70

1	2	3	4
3.	पाथरडीह	बीसीसीएल	1.60
4.	सुदामदिह	बीसीसीएल	1.60
5.	मूनिदिह	बीसीसीएल	1.60
6.	महूदा	बीसीसीएल	0.63
7	मधुबंद	बीसीसीएल	2.50
8.	कथारा	सीसीएल	3.00
9.	स्वांग	सीसीएल	0.75
10.	राजरप्पा	सीसीएल	3.00
11.	केदला	सीसीएल	2.60
12.	नन्दन	डब्ल्यूसीएल	1.20
13.	दुग्दा-I	बीसीसीएल	1.00
14.	गिडी	सीसीएल	2.50
15.	पीपरवार	सीसीएल	6.50
16.	करगली	सीसीएल	2.72
17.	बीना	एनसीएल	4.50
		कुल	39.40

(ख) और (ग) कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी विभिन्न सहायक कंपनियों में 16 वाशरीज की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इन प्रस्तावित कोल वाशरीज की सहायक कंपनी-वार और राज्यवार विवरण इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	वाशरी का नाम	क्षमता (मि.ट. प्रति वर्ष)	सहायक कंपनी	राज्य
1	2	3	4	5
1.	कुसमुण्डा	10.0	एसईसीएल	छत्तीसगढ़
2.	बरौद	5.0	एसईसीएल	छत्तीसगढ़
3.	मधुबंद	5.0	बीसीसीएल	झारखंड
4.	पाथरडीह	5.0	बीसीसीएल	झारखंड
5.	पाथरडीह	2.5	बीसीसीएल	झारखंड
6.	दहीबारी	1.6	बीसीसीएल	झारखंड
7.	दुग्दा	2.5	बीसीसीएल	झारखंड
8.	भोजूडीह	2.0	बीसीसीएल	पश्चिम बंगाल
9.	अशोक	10.0	सीसीएल	झारखंड
10.	कोनार	3.5	सीसीएल	झारखंड
11.	करो	2.5	ईसीएल	झारखंड
12.	चित्रा	2.5	एमसीएल	झारखंड
13.	बसुन्धरा	10.0	एमसीएल	ओडिशा

1	2	3	4	5
14.	जगन्नाथ	10.0	एमसीएल	ओडिशा
15.	हिंगुला	10.0	एमसीएल	ओडिशा
16.	आईबी-घाटी	10.0	एमसीएल	ओडिशा
	कुल	92.10		

असम में हिंसा

2906. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम की बराक घाटी में विशेषकर भारत-बांग्लादेश सीमा से लगे क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं होने की खबर है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान सूचित की गई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) ऐसी कोई सूचना नहीं है। तथापि, शांति बनाए रखने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय जिला पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है और नियमित गश्त लगाई जा रही है।

(ग) राज्य में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए विभिन्न उपायों जैसे अतिरिक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। असम में विभिन्न समूहों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता भी चल रही है।

आयोगों का कार्य-निष्पादन

2907. श्रीमती जे. हेलन हेविडसन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग सहित विभिन्न आयोगों के कार्य प्रणाली/कार्य-निष्पादन की नियमित निगरानी/समीक्षा की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसका निष्कर्ष क्या है और उक्त आयोगों की अभी तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन तीन आयोग कार्यरत हैं यथा-राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। संविधान की धारा 338(5)(ग) के अनुसार, राष्ट्रीय आयोग भारत के संविधान की धारा 338 5(क) तथा (ख) में उल्लिखित उन सुरक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से तथा ऐसे अन्य समय, जब आयोग इसे उचित समझे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ज्ञापन सहित इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों में रखती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग सरकारी संकल्प के अनुसार, सफाई कर्मचारियों को पेश आ रही किन्हीं कठिनाइयों एवं नि:शक्तता के मद्देनजर सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी मामले पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को रिपोर्ट करती है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की स्थापना एनसीबीसी अधिनियम 1993 के तहत की गई है तथा किसी मुकदमें का विचारण करते समय सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां इसके पास होंगी। एनसीबीसी अपने कार्यों का निर्वहन एनसीबीसी अधिनियम 1993 में निर्धारित अने अधिदेश के अनुसार कर रहा है।

[हिन्दी]

आतंकवादियों को क्षमादान

2908. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को क्षमादान देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक क्रियान्वयन की संभावना है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने इन नौजवान लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आतंकवादियों हेतु आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के संशोधन के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) पूर्व आतंकवादियों के पीओके/पाकिस्तान से जम्मू एवं कश्मीर वापस लौटने की नीति को जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा दिनांक 23.11.2010 के आदेश सं. 2010 के होम 1376 (आईएसएस) के द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस नीति का आशय जम्मू और कश्मीर के रहने वाले उन पूर्व-आतंकवादियों की वापसी में सुविधा प्रदान करना है, जो आतंकवाद के प्रशिक्षण के लिए पीओके/पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने हृदय परिवर्तन के कारण आतंकवादी गतिविधियों का परित्याग कर दिया और अपने राज्य में वापस आने के इच्छुक हैं। इस नीति के अंतर्गत 01.01.1989 और 31.12.2009 के बीच पीओके/पाकिस्तान गए ऐसे लोग और उनके आश्रित वापसी पर विचार के लिए पात्र हैं।

(ग) और (घ) आज की तारीख तक इस मंत्रालय को मौजूदा पुनर्वास नीति में बदलाव के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कोयला खदानों में दुर्घटनाएं

2909. की बदरूद्दीन अजमल: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खदान मालिकों की लापरवाही के कारण असम और मेघालय विशेषरूप से साउथगारों हिल्स की कोयला खदानों में खनिकों की मृत्यु के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पर्वतीय राज्यों में रैटहोल माइनिंग के रूप में ज्ञात अवैज्ञानिक खनन प्रक्रिया के कारण कोयला खदान दुर्घटनाएं सामान्य हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि इन कोयला खदानों में दुर्घटना पीड़ित खनिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे कि सुरक्षा उपाय, चिकित्सा सहायता, क्षतिपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार असम और मेघालय के कोयला खदान मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी और उनकी संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के अतिरिक्त उनको बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) सरकार को मेघालय के साउथ गारो हिल्स जिले में कथित दुर्घटनाओ की जानकारी है। स्थानीय समाचार पत्रों में यह खबरे थी कि 06.07.2012 को मेघालय के साउथ गारो हिल्स जिले में नांगलबिब्रा के रोगंसा आवे के नेंगकोल में कोयला खान में बाढ़ आ जाने की वजह से दुर्घटना हुई जिसमें 15 व्यक्तियों के मर जाने की आशंका थी।

निम्नलिखित प्राधिकारियों/अभिकरणों ने जांच की और दुर्घटना की जांच सहित बचाव कार्य किए:-

1. राष्ट्रीय आपदा रिस्पोंस बल;
2. राज्य पुलिस कार्मिक;
3. खनिक संसाधन निदेशालय के राज्य अधिकारी;
4. खान सुरक्षा महानिदेशालय, गवाहटी क्षेत्र के अधिकारियों का दल;
5. राज्य श्रम विभाग के अधिकारी।

साउथ गारो हिल्स जिला, मेघालय के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रीय द्वारा भी एक मजिस्ट्रेट जांच की गई थी। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस के पास गुमशुदा श्रमिकों की कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई थी और जांच तथा बचाव कार्यों के दौरान उन्हें खान के भीतर कोई पीड़ित जिंदा अथवा मृत नहीं पाया गया था। इसके अलावा, मेघालय सरकार को मुआवजे हेतु कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के रिकार्ड के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान असम तथा मेघालय में घातक दुर्घटनाओं की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	असम	मेघालय
2010	1	0
2011	2	0
2012	1	0

(ग) से (च) खनन क्रियाकलापों के विनियमन से संबंधित कानूनों की स्वीकार्यता के मसलें की जांच भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अधीन विशेष दर्जे की संदर्भ में की गई थी जैसा कि मेघालय सरकार द्वारा दावा किया गया। इस संबंध में गृह मंत्रालय, मेघालय राज्य सरकार तथा विधि कार्य विभाग, विधि तथा न्याय मंत्रालय से टिप्पणियां मांगी गई थीं। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि मेघालय राज्य में खान अधिनियम, 1952 तथा बाल श्रमिक (निषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 के लागू न होने के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। तथापि, मेघालय राज्य सरकार तथा विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा इसकी पुष्टि की जानी है। मेघालय राज्य सरकार और विधि तथा न्याय मंत्रालय के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

वर्षा से स्मारकों की संरक्षा

2910. **श्रीमती मेनका संजय गांधी:** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार मानसून के दौरान भारी बारिश और ओलावृष्टि से स्मारकों की संरक्षा हेतु कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार/ए.एस. आई. द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) से (ग) पुरातत्वीय मानदंडों और विद्धांतों के अनुसार संरक्षित स्मारकों को बगैर किसी अतिरिक्त निर्माण और परिवर्तन के उनकी मूल स्थिति में अनुरक्षित किया जाता है। तथापि, नेमी अनुरक्षण के भाग के रूप में स्मारकों की उचित देखभाल के लिए आवश्यक संरक्षण उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

कृषि पत्रकारिता के लिए पुरस्कार

2911. **श्री तूफानी सरोज:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि पत्रकारिता के लिए प्रतिवर्ष चौ. चरण सिंह पुरस्कार प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निजी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अब तक प्रदान किए गए ऐसे पुरस्कारों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त पुरस्कार प्रदान करने में अनियमितताएं रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में कृषि अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2000 में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार की शुरूआत की गई। इस पुरस्कार की नकद राशि रुपए 1,00,000 एक प्रमाणपत्र तथा एक प्रशास्ति पत्र है। यह पुरस्कार भारत में प्रकाशित हिन्दी/अंग्रेजी अखबार/मैगजीन/पत्रिकाओं के जरिए कृषि तथा संबद्ध विज्ञान में पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष में एक बार दिया जाता है। वर्ष 2010 से इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी एक पुरस्कार को शामिल किया गया। वह व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र होता है जो भारतीय कृषि के विकास/प्रोत्साहन के लिए लेखन/विश्लेषण/रिपोर्टिंग से अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

(ग) वर्ष 2010, 2011 तथा 2012 के लिए यह पुरस्कार क्रमशः श्री हंस राज नायक (दूरदर्शन), श्री हरेन्द्र कुमार गर्ग (दूरदर्शन) और श्री वीरसैन मलिक (आकाशवाणी) को प्रदान किया गया। निजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्षेत्र से किसी को भी अभी तक पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

चीनी उत्पादन

2912. **डॉ. सुचारू रंजन हल्दर:**
श्री प्रबोध पांडा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1 अक्तूबर, 2013 की स्थिति के अनुसार अनुमानित प्रारंभिक स्टॉक कितना करेंगे कि:

(ख) 2013-14 के चीनी मौसम के दौरान सरकार और उद्योग के अनुमान के अनुसार चीनी का संभावित उत्पादन और मांग कितनी होगी;

(ग) क्या यह अनुमान उक्त अवधि के दौरान घरेलू उपलब्ध ता को पूरा करने के लिए चीनी के आयात की आवश्यकता को दर्शाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में चीनी के आयात को अनुमति देने और आयात पर विदेशी मुद्रा की हानि करने के क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) 01 अक्तूबर, 2013 के अनुसर चीनी मिलों के पास चीनी के प्रारंभिक स्टॉक का अंनतिम रूप से लगभग 85-90 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) चीनी का उत्पादन गन्ने के उत्पादन, वसूली और मौसम के दौरान पेराई के लिए चीनी मिलों को इसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। गन्ने सहित वर्ष 2013-14 की खरीफ फसलों के लिए उत्पादन के प्रथम अग्रिम आकलन अभी कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा जारी किये जाने है। तथापि मुख्य गन्ना उत्पादक राज्यों के गन्ना आयुक्तों और चीनी उद्योग से प्राप्त रिपोटों के अनुसार देश में चीनी का उत्पादन अंनतिम रूप से लगभग 235-237 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2013-14 चीनी मौसम के दौरान अंनमि रूप से 235 लाख टन की घरेलू मांग का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) पर्याप्त अग्रेनीत भंडारण और 2013-14 चीनी मौसम के दौरान संभावित चीनी उत्पादन के साथ घरेलू आवश्यकता का पूरा करने के लिए चीनी का भंडार पर्याप्त होगा।

(ङ) सरकार ने चीनी उद्योग के अनुरोध पर विचार किया है और आयातों को हतोत्साहित करने के लिए दिनांक 08.07.2013 से चीनी के आयात पर 10 से 15 प्रतिशत तक सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

बीजों का उत्पादन

2913. श्री गणेश सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में उत्पादित बीजों की कुल प्रमात्रा का फसल और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में बीजों की कमी है और यदि हां, तो आवश्यकता की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में बीजों का उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और सरकार द्वारा बीजों के उत्पादन में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) राज्यों द्वारा सूचित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए देश में प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीजों के उत्पादन और उपलब्धता 315.18 लाख क्विंटल की आवश्यकता की तुलना में 328.5 लाख क्विंटल है। मध्य प्रदेश सहित फसलवार तथा राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II पर हैं

(ग) और (घ) देश में प्रमाणित/गुणवत्तप्रद बीजों का उत्पादन 2005-06 में 140.51 लाख क्विंटल से बढ़कर 2012-13 में 328.58 लाख क्विंटल हो गया है। देश में बीज उत्पादन को बढ़ाने के लिये भारत सरकार विभिन्न फसल विकास कार्यक्रमों/स्कीमों जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), समेकित तिलहन तथा मक्का स्कीम (आइसोपाम), गहन कदन्न संवर्धन के जरिये पोषक तत्व सुरक्षा पहल (आईएनएसआईएमपी), कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी), पटसन एवं मेस्ता प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्री बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर प्रौद्योगिकी मिशन (ओईएमएनई), गुणवत्तप्रद बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास तथा सुदृढ़ीकरण के तहत विभिन्न बीज संबंधित कार्यकलापों जैसे बीज उत्पादन, भंडारण, बजी उत्पादन प्रौद्योगिकी में किसानों के प्रशिक्षण आदि पर राज्य सरकारों तथा बीज उत्पादन एजेंसियों को सहायता प्रदान कर रही है।

विवरण I

2012-13 प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीज की अखिल भारतीय आवश्यकता तथा उपलब्धता

(मात्रा क्विंटल में)

फसल	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी/अधिशेष	टिप्पणी
1	2	3	4	5
गेहूं	10819923	11223025	403102	
धान	7799591	8032016	232425	
मक्का	1064119	1138519	74400	
ज्वार	273696	317456	43760	
बाजरा	263662	296487	32825	
रागी	33931	36761	2830	
जौ	193482	235390	41908	
कुट्टु	85	0	-85	फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया गया है।
बैनयार्ड बाजरा	600	0	-600	फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया गया है।
कोडो	443	393	-50	फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया गया है।
कुल अनाज	20449531	21280047	830515	
चना	1631953	1513828	-118125	निजी तथा फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया जाता है।
मसूर	103697	74124	-29573	निजी तथा फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया जाता है।
मटर	183013	159875	-23138	निजी तथा फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया जाता है।

1	2	3	4	5
अरहर	216106	226519	10413	
उड़द	241078	333218	92140	
मूंग	224104	252518	28413	
मोठ	20300	23312	3012	
राजमा	10818	10818	0	
लोबिया	20710	20079	-631	ग्रीष्म उत्पादन के जरिए पूरा किया जाता है।
ह्रांसग्राम	8314	7926	-388	फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया गया है।
इण्डियनबीन	600	615	15	
केसरी	3850	3850	0	
लेथरस	96	84	-12	निजी तथा फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया गया है।
कुल दलहन	2664638	2626766	-37873	
मूंगफली	2365768	2573395	207627	खरीफ 2012 उत्पादन से पूरा किया गया है।
तिल	28937	29999	1062	फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया गया है।
सरसो	1050	1050	0	
आर/एम	136080	164974	28894	
राया	83591	76275	-7316	सरसों के बीज से पूरा किया गया है।
गोभी सरसो	296	404	108	
तोरिया	22667	22293	-374	सरसों के बीज से पूरा किया गया है।

1	2	3	4	5
सोयाबीन	3100089	3827917	727829	
अलसी	8937	1978	-6959	फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया गया है।
सुरजमुखी	67357	67984	627	
एरण्ड	63193	70358	7165	
रामतिल	1657	1675	18	
कुसुम	12412	13502	1090	
कुल तिलहन	5892034	6851804	959771	
कपास	241499	271576	30077	
पटसन	34154	36587	2433	निजी क्षेत्र से पूरा किया गया है।
सनहेम्प	1540	0	-1540	नैफेड के साथ सहयोग
कुल रेशा	277193	308163	30970	
आलू	2161800	1731873	-429927	निजी क्षेत्र से पूरा किया गया है।
ग्वार	54000	50464	-3536	फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया गया है।
ढेंचा	4076	0	-4076	निजी क्षेत्र से पूरा किया गया है।
अन्य	88	88	0	
राइस बीन	80	0	-80	फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया गया है।
ओट	14350	8355	-5995	निजी तथा फार्म पर बचाये गये बीजों के जरिए पूरा किया गया है।
बरसीम	300	300	0	
कुल योग	31518090	32857859	1339770	

विवरण II

2012-13 प्रमाणित/गुणवत्ताप्रद बीज की अखिल भारतीय आवश्यकता एवं उपलब्धता

मात्रा क्विंटल में

राज्य	आवश्यकता	उपलबधता	स्थिति	टिप्पणी
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	4356241	4995099	638858	
अरुणाचल प्रदेश	11933	11933	0	
असम	814702	814702	0	
बिहार	1365903	1662725	296822	
छत्तीसगढ़	786781	773631	-13150	एमएसएससी, एसएफसीआई, नैफेड, एमपीएसएसएफडीसी, आईजीकेवीवी, निजी उत्पादकों और फार्म के साथ सहयोग
गोवा	6713	6713	0	
गुजरात	980053	1015427	35374	
हरियाणा	1412835	1557627	144792	
हिमाचल प्रदेश	128656	105656	-23000	नैफेड के माध्यम से व्यवस्था की गई
जम्मू और कश्मीर	126123	121223	-4900	एनएससी, एसएफसीआई और निजी क्षेत्र के माध्यम से व्यवस्था की गई
झारखंड	492335	260532	-231803	एनएससी, एनएफसीआई, निविदा के माध्यम से व्यवस्था की गयी।
कर्नाटक	1346343	1471638	125295	
केरल	120000	120000	0	
मध्य प्रदेश	3095885	3551576	455691	
महाराष्ट्र	2778845	2888611	109766	
मणीपुर	19860	19860	0	
मेघालय	17357	17217	-140	एनएससी से सहयोग
मिजोरम	781	781	0	
नागालैंड	49178	49178	0	

1	2	3	4	5
ओडिशा	817013	709277	-107736	एनएससी, एसएफसीआई, केएसएससी, जीएसएससी, एपीएसएसडीसीसी और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग
पुदुचेरी	10630	10289	-341	तमिलनाडु और कर्नाटक से पीएएसआईसी की व्यवस्था की गयी।
पंजाब	1293147	1465949	172802	
राजस्थान	2014666	2084832	70166	
सिक्किम	6150	6335	185	
तमिलनाडु	554481	879415	324934	
त्रिपुरा	26764	27104	341	
उत्तर प्रदेश	5365280	5107496	.257784	एनएससी, एसएफसीआई, जीएसएससीसी, यूपीएसडीडीसी और फार्म पर बचायी गयी बीजों से सहयोग।
उत्तराखंड	112920	130627	17707	
पश्चिम बंगाल	3406515	2992406	-414109	डब्ल्यूबीएसएससी के माध्यम से व्यवस्था की गयी।
कुल योग	31518089	32857858	1339769	

सरसों के बीज

2914. **श्रीमती पुतुल कुमारी:**
श्रीमती सुस्मिता बाउरी:
श्री अरविन्द कुमार चौधरी:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरसों के तेल की मांग को ध्यान में रखकर सरसों के बीजों की नई किस्म विकसित करने पर विचार कर रही है और ऊपज बढ़ाने पर भी विचार कर रही है ताकि किसानों को लाभ हो सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) सरसों की तेल की मांग तथा किसानों के लाभ के लिए सरसों की पैदावार बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए भा.कृ.अ.प. ने तोरिया-सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, में तोरिया-सरसों में फसल सुधार, उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों से संबंधित मूल और नीतिगत अनुसंधान कार्य किया है। इनके द्वारा सृजित सूचना का उपयोग विभन्न कृषि परिस्थितिय क्षेत्रों के लिए स्थान विशिष्ट किस्मों/संकर किस्मों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अखिल भारतीय तोरिया-सरसों समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा किया गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान तोरिया-सरसों की जारी की गई कुल 31 उच्च पैदावार वाली किस्मों/संकर किस्मों में जैविक और अजैविक दबाव के प्रति पर्याप्त सहिष्णुता है तथा इनका ब्यौरा संलग्न विवरण के रूप में संलग्न है। तोरिया-सरसों की उन्न किस्मों/संकर किस्मों के प्रजनक बीजों का 739.1 किव. तक उत्पादन किया गया है और पिछले पांच वर्षों (2007-08 से 2011-12) के दौरान विभिन्न बीज उत्पादन एजेंसियों को इनकी आपूर्ति की गई ताकि बढ़ती उत्पादकता और शुद्ध कृषि आयु हेतु किसानों को उन्नत किस्मो/संकर किस्मों के गुणवत्तता वाले बीज उपलब्ध हो।

विवरण

पिछले पांच वर्षों (2008-2012) के दौरान तोरिया-सरसों वर्ग की जारी की गई किस्में/संकर किस्में

फसल	जारी किस्में/संकर किस्में
भारतीय सरसों(21)	एनआरसीएचबी-506 (हाईब्रिड), धारा सरसों हाईब्रिड-1 (हाईब्रिड), कोरल 432(हाईब्रिड), कोरल-437 (हाईब्रिड)द्व पूसा सरसों 22, पूसा सरसों-24, पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 27, पूसा सरसों 28, पूसा विजय, एनआरसीएचबी-101, डीआरएमआर 601, आरएच 0119, छत्तीसगढ़ सरसों-1, पंत राय-19, आरजीएन-145, आरजीएन 236, आरजीएन 229, सीएस-56, आरबी-50
पीली सरसों (4)	एनआरसीवाईएस 05-02, पीताम्बरी, वाईएसएच 0401, पंत पीली सरसों-1
तारा (2)	वल्लभ तारामीरा-1, वल्लभ तारामीरा-2
तोरिया (1)	उत्तरा
गोभी सरसों	(2) हिम सरसों-1, एनयूडीबी-26-11

धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा

2915. श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री मानिक टैगोर:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
प्रो. रामशंकर:
श्री एस.एम. रामासुब्बू:
श्री शिवराम गौडा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के निवेदन पर बिहार राज्य के गया में स्थित महाबोधि मंदिर सहित कुछ धार्मिक स्थलों पर अर्ध-सैनिक बलों को तैनात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार के निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया या लिया जा रहा है;

(ङ) क्या अर्ध-सैनिक बलों की नियमावली उन्हें देश में किसी भी धार्मिक स्थल को सुरक्षा देने की अनुमति नहीं देती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती के लिए तर्क क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

जैव तुल्यता और जैव उपलब्धता केन्द्र

2916. डॉ. संजय जायसवाल: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर), मोहाली, पंजाब में जैव तुल्यता और जैव उपलब्धता केन्द्रों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी;

(ख) ऐसे प्रत्येक केन्द्र पर एनआईपीईआर की जनशक्ति कितनी है और इसके द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से व्यय किया गया वार्षिक व्यय कितना है और अब तक शुरू की गई परियोजनाओं और उनसे प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में निर्मित दवाओं को जैव तुल्यता और जैव उपलब्धता जांच का सहयोग दिया जाता है ताकि भारतीय दवाओं की गुणवत्ता विकसित देशों में उत्पादित दवाओं के समान हो और भारतीय दवाओं में वैश्विक विश्वास हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) जैव उपलब्धता केन्द्र शुरू में जनवरी, 1998 में नाईपर, मोहाली में स्थापित किया गया था। तथापि, एक अलग अस्तित्व वाला राष्ट्रीय जैव उपलब्धता केन्द्र (एनबीसी) अप्रैल, 2004 में स्थापित किया गया था। जैस तुल्यता अध्ययन एक जैव उपलब्धता किस्म का अध्ययन है और इसमें एक औषध की जैव उपलब्धता की दो औषध उत्पादों (फार्मूलेशन) से तुलना शामिल है।

(ख) केन्द्र में तीन व्यक्तियों की जनशक्ति क्षमता है। नाईपर, मोहाली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार विगत वर्षों में किया गया कुल व्यय और पैदा किया गया राजस्व संलग्न विवरण-I में दिए गए है।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) लागू नहीं।

विवरण I

नाईपर द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया गया वार्षिक व्यय

क्र.सं.	व्यय का ब्यौरा	व्यय	अभ्युक्तियां
1.	जनशक्ति लागत	रुपये 36,36,000/-	2006-07 तक
2.	सिविल कार्य (भूतल)	रुपये 38,56,000/-	2006-07 तक
3.	डीएसटी, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषण	रुपये 1,69,01,138/-	अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए
4.	सिविल कार्य (प्रथम तल)	रुपये 49,79,805/-	2006-07 तक
5.	एनबीसी के उन्नयन के लिए प्राप्त अनुदान	रुपये 38,00,000/-	दिसम्बर, 2011 में प्राप्त

साथ-साथ शुरू की गई परियोजनाएं और सृजित राजस्व

क्र.सं.	शीर्षक	परियोजना संख्या	समापन की तारीख	सृजित राजस्व	परियोजना की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1.	विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए सम्मिश्रित फार्मूलेशनों की रिफैम्पिसिन की जैव उपलब्धता	एसपी-104	30.07.1998	डाटा अनुपलब्ध	प्रायोजित परियोजना

1	2	3	4	5	6
2.	मैसर्स लूपिन लेबोरेट्रीज लि. के दो औषध एफडीसी में आरसिनेक्स (आरएंडएच) की जैव तूल्यता	एसपी-109	11.12.1998	रुपये 4,80,000/-	प्रायोजित परियोजना
3.	डाबर इंडिया लि. से दो विभिन्न खुराकों पर पैक्लीटैक्सल (इंडैक्टसलटीएम) का फार्माको काइनेटिक मूल्यांकन	एसपी-110	02.07.1999	रुपये 3,64,575/-	प्रायोजित परियोजना
4.	एफडीसी (4 औषधियां) बनाम मैसर्स स्वीजेरा लैब्स के पृथक फार्मूलेशनों में रिफैम्पिसिन की जैवतुल्यता	एसपी-112	03.06.1999	रुपये 8,00,000/-	प्रायोजित परियोजना
5.	मैसर्स लूपिन लेबोरेट्रीज लि. के लिए सदृश खुराक स्तर पर चार औषध एफडीसी बनाम पृथक फार्मूलेशनों में आरएचपी और ई की जैव तुल्यता का मूल्यांकन	एसपी-116	10.04.2000	रुपये 6,92,000/-	प्रायोजित परियोजना
6.	मैसर्स लूपिन लेबोरेट्रीज लि. के लिए सदृश खुराक स्तर पर आरएचपी और ई के चार औषध एफडीसी बनाम पृथक फार्मूलेशनों में रिफैम्पिसिन की जैवतुल्यता का मूल्यांकन	एसपी-118	25.05.2000	रुपये 6,92,000/-	प्रायोजित परियोजना
7.	मैसर्स मैक्लायडस फार्मास्युटिकल्स लि. के लिए आरएचपी और ई के चार औषध एफडीसी बनाम पृथक फार्मूलेशनों में रिफैम्पिसिन की जैवतुल्यता का मूल्यांकन	एसपी-119	22.09.2000	रुपये 6,92,000/-	प्रायोजित परियोजना
8.	मैसर्स लूपिन लेबोरेट्रीज लि. के लिए अचपी और ई के चार औषध एफडीसी बनाम पृथक फार्मूलेशनों में रिफैम्पिसिन की जैवतुल्यता का मूल्यांकन	एसपी-120	17.08.2000	रुपये 6,92,000/-	प्रायोजित परियोजना
9.	स्वास्थ्य मानव स्वयंसेवकों में कार्डयूल्स रिटार्ड की तुलना में एनएफडी-एमयूएमपीएस के इंनवाइवो निष्पादन संबंधी डबल बलाइंड क्रासओवर एकल खुराक अध्ययन	-	29.04.2001	डाटा अनुपलब्ध	इनहाउस परियोजना
10.	स्वास्थ्य मानव स्वयंसेवकों में विकोन टैबलेटस की तुलन में एजिथ्रोमाइसिन टेबलेटस का इनवाइवो निष्पादन	-	20.10.2001	डाटा अनुपलब्ध	इनहाउस परियोजना
11.	मैसर्स मैक्लायडस फार्मास्युटिकल्स लि. के लिए आरएचपी और ई के चार औषध एफडीसी	एसपी-123	19.12.2001	रुपये 8,10,000/-	प्रायोजित परियोजना

1	2	3	4	5	6
	बनाम पृथक फार्मूलेशनों में रिफैम्पिसिन की जैवतुल्यता का मूल्यांकन				
12.	मैसर्स लूपिन लेबोरेट्रीज लि. के लिए सदृश खुराक स्तरों (डब्ल्यूएचओ/आईयूएटीएलडी प्रोटोकॉल) पर एकल औषध फार्मूलेशनों की तुलना में एफडीसी फार्मूलेशनों में आरएच और पी जैवतुल्यता का मूल्यांकन	एसपी-38	15.03.2002	रुपये 13,21,008/-	प्रायोजित परियोजना
13.	मेडिसिन सेन्स फ्रंटियर्स के लिए चार औषध निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण फार्मूलेशनों से युक्त आर का इनविट्रो मूल्यांकन	एसपी-157	12.10.2003	यूएसडी 9364	प्रायोजित परियोजना
14.	विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण फार्मूलेशन से युक्त आर की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए एक सुरोगेट के रूप में विघटन जांच	डाटा अनुपलब्ध	07.11.2003	डाटा अनुपलब्ध	प्रायोजित परियोजना
15.	पशुओं में क्षयरोधी औषध फार्मूलेशनों के जैव उपलब्धता अध्ययन	जीपी-248	12.04.2004	रुपये 2,25,000/-	प्रायोजित परियोजना
16.	मैसर्स मनीष फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए सदृश खुराक स्तरों (डब्ल्यूएचओ/आईयूएटीएलडी प्रोटोकॉल) पर आरएच और ई के एफडीसी बनाम एफडीसी फार्मूलेशनों में आर ।और एच की जैवतूल्यता का मूल्यांकन	एसपी-161	17.06.2004	रुपये 9,38,500/-	प्रायोजित परियोजना
17.	मैसर्स मनीष फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए सदृश खुराक स्तरों (डब्ल्यूएचओ/आईयूएटीएलडी प्रोटोकॉल) में चार एफडीसी के साथ तुलनीय एक सैचेट में एच.पी. और ई वाले एफडीसी में रिफैम्पिसिन की जैव तुल्यता	एसपी-172	15.5.2005	रुपये 24,00,000/-	प्रायोजित परियोजना
18.	शारीरिक वजन पर आधारित खुराक समायोजन के लिए डिवीजन के बाद क्षयरोधी निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण के टबलेटस में औषध की मात्रा और उसके निष्पादन में एकरूपता का इनविट्रो मूल्यांकन: विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन	एसपी-173	डाटा अनुपलब्ध	यूएसडी 9500	प्रायोजित परियोजना

संक्षेपण: एफडीसी: निर्धारित खुराक वाला सम्मिश्रण; आर: रिफैम्पिसिन, एच: आइजोनियाजिड; पी: पाइराजिनामाइड; ई: इथामबूटोल

विवरण II

उन भारतीय कंपनियों का ब्यौरा जिन्हें नाईपर द्वारा जैव उपलब्धता अध्ययनों के लिए सहायता प्रदान की गई थी

क्र.सं.	शीर्षक	परियोजना संख्या	परियोजना श्रेणी	भारत में विनिर्मित (हां/नहीं)
1	2	3	5	6
1.	विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए सम्मिश्रित फार्मूलेशनों की रिफैम्पिसिन की जैव उपलब्धता	एसपी-104	प्रायोजित परियोजना	नहीं (डब्ल्यू एचओ फार्मूलेशन)
2.	मैसर्स लूपित लेबोरेट्रीज लि. के दो औषध एफडीसी में आरसिनेक्स (आरएंडएच) की जैव तुल्यता	एसपी-109	प्रायोजित परियोजना	हां
3.	डाबर इंडिया लि. से दो विभिन्न खुराकों पर पैक्लीटैक्सल (इंटैक्सलटीएम) का फार्माको काइनेटिक मूल्यांकन	एसपी-110	प्रायोजित परियोजना	हां
4.	एफडीसी (4 औषधियां) बनाम मैसर्स स्वीजेरा लैब्स के पृथक फार्मूलेशनों में रिफैम्पिसिन की जैवतुल्यता	एसपी-112	प्रायोजित परियोजना	हां
5.	मैसर्स लूपिन लेबोरेट्रीज लि. के लिए सदृश खुराक स्तर पर चार औषध एफडीसी बनाम पृथक फार्मूलेशनों में आरएचपी और ई की जैवस तुल्यता का मूल्यांकन	एसपी-116	प्रायोजित परियोजना	हां
6.	मैसर्स लूनि लेबोरेट्रीज लि. के लिए सदृश खुराक स्तर पर आरएचपी और ई के चर औषध एफडीसी बनाम पृथक फार्मूलेशनों में रिफैम्पिसिन की जैवतुल्यता का मूल्यांकन	एसपी-118	प्रायोजित परियोजना	हां
7.	मैसर्स मैक्लायडस फार्मास्युटिकल्स लि. के लिए आरएचपी और ई के चार औषध एफडीसी बनाम पृथम फार्मूलेशनों में रिफैम्पिसिन की जैवतुल्यता का मूल्यांकन	एसपी-119	प्रायोजित परियोजना	हां
8.	मैसर्स लूपिन लेबोरेट्रीज लि. के लिए आरएचपी और ई के चार औषध एफडीसी बनाम पृथक फार्मूलेशनों में रिफैम्पिसिन की जैवतुल्यता का मूल्यांकन	एसपी-120	प्रायोजित परियोजना	हां
9.	स्वास्थ्य मानव स्वयंसेवकों में कार्डयूल्स रिटार्ड की तुलना में एनएफडीएमयूएमपीएस के इंनवाइवो निष्पादन संबंधी डबल बलांड क्रासओवर एकल खुराक अध्ययन	-	इनहाउस परियोजना	हां
10.	स्वास्थ्य मानव स्वयंसेवकों में विकोन टैबलेटस की तुलना में एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट्स का इनवाइवो निष्पादन	-	इनहाउस परियोजना	हां
11.	मैसर्स मैक्लायडस फार्मास्युटिकल्स लि. के लिए आरएचपी और ई के चार औषध एफडीसी बनाम पृथक फार्मूलेशनों में रिफैम्पिसिन की जैवतुल्यता का मूल्यांकन	एसपी-123	प्रायोजित परियोजना	हां
12.	मैसर्स लूपिन लेबोरेट्रीज लि. के लिए सदृश खुराक स्तरों (डब्ल्यूएचओ/आईयूएटीएलडी प्रोटोकॉल) पर एकल औषध	एसपी-138	प्रायोजित परियोजना	हां

1	2	3	5	6
	फार्मूलशनों की तुलना में एफडीसी फार्मूलेशनों में आरएच और पी जैवतुल्यता का मूल्यांकन			
13.	मेडिसिन सेन्स फ्रंटियर्स के लिए चार औषध निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण फार्मूलेशनों से युक्त आर का इनविट्रो मूल्यांकन	एसपी-157	प्रायोजित परियोजना	हां (03) और नहीं (01)
14.	विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण फार्मूलेशन से युक्त आर की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए एक सुरोगेट के रूप में विघटन जांच	कंजं दवज अंपसंइसम	प्रायोजित परियोजना	
15.	मैसर्स मनीष फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए सदृश स्तरों (डब्ल्यूएचओ/आईयूएटीएलडी प्रोटोकॉल) पर आरएच और ई के एफडीसी बनाम एफडीसी फार्मूलेशनो में आर और एच की जैवतुल्यता का मूल्यांकन	एसपी-161	प्रायोजित परियोजना	हां
16.	मैसर्स मनीष फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए सदृश खुराक स्तरों (डब्ल्यूएचओ/आईयूएटीएलडी प्रोटोकॉल) में चार एफडीसी के साथ तुलनीय एक सैचेट में एचपी और ई वाले एफडीसी में रिफैम्पिसिन की जैवतुल्यता	एसपी-172	प्रायोजित परियोजना	हां
17.	शारीरिक वजन पर आधारित खुराक समायोजन के लिए डिवजीन के बाद क्षयरोधी निर्धारित खुराक वाले सम्मिश्रण के टेबलेटस में औषध की मात्रा और उसके निष्पादन में एकरूपता का इनविट्रो मूल्यांकन: विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन	एसपी-173	प्रायोजित परियोजना	हां

[हिन्दी]

उग्रवाद से प्रभावित जिले

2917. श्री जगदानंद सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एक चौथाई से अधिक जिले उग्रवाद से प्रभावित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उग्रवादी गतिविधियां बढ़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उग्रवाद प्रभावित जिलों में नई विकास योजनाएं शुरू की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यों को कराए जाने संबंधी भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) जी, नहीं। हिंसा की स्थिति के आधार पर 9 राज्यों अर्थत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के 106 जिले भिन्न मात्रा में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित माने गए हैं। तथापि, इन 106 जिलों में से 26 जिलों में देश में कुल वामपंथी उग्रवादी हिंसा की 70 प्रतिशत हिंसा होती है। इसलिए, गंभीर रूप से प्रभावित जिलों की संख्या 26 है।

(ख) और (ग) नीचे दर्शाई गई हिंसा की स्थिति के आधार पर वामपंथी उग्रवादी हिंसा वर्ष 2010 से कम हो रही है।

वर्ष	घटनाओं की संख्या
2010	2213
2011	1760
2012	1415
2013 (31.07.2013 तक)	678

(घ) से (च) चुनिदा जनजाति एवं पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 9 राज्यों के 82 जिलों में 31.3.2013 तक कार्यान्वित की जा रही थी ताकि इन क्षेत्रों का त्वरित विकास किया जा सके। एकीकृत कार्य योजना को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी रखा जा रहा है, जिसका कवरेज वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 76 जिलों सहित 88 जिलों में होगा और वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए प्रत्येक जिले के लिए प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये का आबंटन होगा।

सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए सड़क आवश्यकता योजना (आरआरपी-I) 8 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 34 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। फरवरी, 2009 में सरकार द्वारा अनुमोदित आरआरपी-I में कुल 5477 किमी, की लंबाई में सड़क के निर्माण कार्य की परिकल्पना की गई है।

सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 9 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद से गंभीर यह से प्रभावित 27 जिलों के युवकों के लिए दिनांक 7.06.2013 को "रोशनी" नामक एक स्कीम शुरू की है जो प्लेसमेंट संबंधी कौशल विकास स्कीम है।

किलों का रख-रखाव

2918. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किलों और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन किलों के विकास, रखरखाव और परिरक्षण हेतु आबंटित/व्यय की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और किले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में आई प्रिंट मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार राजस्थान के जैसेलमेर किले और ताज महल सहित कुछ किलों की स्थिति बिगड़ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्मारक-वार कारणों सहित इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन किलों और ताज महल के रखरखाव/संरक्षण हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संरक्षित किलों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लिकों सहित स्मारकों के संरक्षण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय और चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटन का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ख) से (घ) संरक्षित स्मारकों के संरक्षण का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। जैसलमेर किला और ताजमहल सहित संरक्षित स्मारकों/किलों का संरक्षण कार्य, मरम्मत की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए नियमित रूप से किया जाता है।

विवरण I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित किलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	किलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	अरुणाचल प्रदेश	-
3.	असम	-
4.	बिहार	10
5.	छत्तीसगढ़	7
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	3
8.	हरियाणा	1

1	2	3
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	जम्मू और कश्मीर	3
11.	झारखंड	1
12.	कर्नाटक	19
13.	केरल	5
14.	मध्य प्रदेश	22
15.	महाराष्ट्र	41
16.	मणिपुर	-
17.	मेघालय	-
18.	मिजोरम	-
19.	नागालैंड	1
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	8
21.	ओडिशा	5
22.	पंजाब	2
23.	राजस्थान	11
24.	सिक्किम	-
25.	तमिलनाडु	17
26.	त्रिपुरा	-
27.	उत्तराखंड	1
28.	उत्तर प्रदेश	39
29.	पश्चिम बंगाल	5
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	-
2.	चंडीगढ़	-
3.	दादरा और नागर हवेली	-
4.	दमण और द्वीप	2
5.	लक्षद्वीप	-
6.	पुदुचेरी	-

विवरण II

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन किलों सहित स्मारकों के संरक्षण हेतु पिछले तीन वर्षों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किया गया व्यय और चालू वित्त वर्ष 2013-14 के लिए किया गया आवंटन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंडल/शाखा	व्यय 2010-2011	व्यय 2011-2012	व्यय 2012-2013	आबंटन 2013-14
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	758.00	544.49	737.49	875.00
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	1706.99	1208.00	1047.49	935.00
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	315.00	310.70	494.00	500.00
4.	महाराष्ट्र	मुम्बई मंडल	389.99	359.00	414.99	425.00
5.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	1245.95	1041.00	1131.00	1060.00
6.	कर्नाटक	धारवाड मंडल	981.88	943.98	793.00	780.00

1	2	3	4	5	6	7
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	654.87	607.90	708.50	720.00
8.	ओडिशा	भुवनेश्वर मंडल	261.36	289.98	455.22	475.00
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	504.59	433.08	378.75	460.00
10.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चेन्नई मंडल	530.00	530.00	500.03	600.00
11.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	687.04	529.99	685.92	685.00
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	89.80	62.81	105.00	185.00
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	1849.84	927.39	1100.98	1380.00
14.	गोवा	गोवा मंडल	110.00	110.00	107.99	140.00
15.	पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम के अलावा	गुवाहाटी मंडल	144.64	213.32	207.25	265.00
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	350.00	445.49	435.00	550.00
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	664.86	640.00	890.00	875.00
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश (भाग)	पटना मंडल	364.99	383.96	275.04	345.00
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	283.29	270.00	243.80	290.00
20.	जम्मू और कश्मीर	लघु मंडल लेह	52.15	85.00	67.00	100.00
21.	केरल	त्रिशूर मंडल	337.01	301.50	406.00	360.00
22.	गुजरात, दमण और दीव	वडोदरा मंडल	509.93	574.97	459.99	525.00
23.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	147.18	139.99	107.49	175.00
24.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	341.00	303.58	405.00	355.00
25.	झारखंड	रांची मंडल	64.98	62.58	53.57	80.00
		रासायनिक परिरक्षण (अखिल भारतीय)	507.46	556.39	527.67	639.00
		उद्यान संबंधी गतिविधियां (अखिल भारतीय)	1796.70	1514.78	2122.85	2125.00
		महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण				*2500
		कुल	15649.50	13389.88	14861.02	18404.00

* महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास आरक्षित निधि को अभी मंडल-वार/शाखा-वार आबंटित किया जाना है।

जाली मुद्रा का प्रचलन

2919. श्री भूदेव चौधरी:
श्री रमेन डेका:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री भूपेन्द्र सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जब्त किए गए जाली भारतीय करेंसी नोटों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे करेंसी नोटों को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में आतंकवाद और संगठित अपराध के वित्तपोषण में जाली नकली करेंगी के उपयोग संबंध साक्ष्य मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में ऐसी करेंसी के प्रचलन और उपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यरो द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार, विगत तीन वर्षों 2010, 2011, 2012 और चालू वर्ष (30.06.2013 तक) के दौरान प्रत्येक अवधि में सूचित मामलों तथा जब्त जाली करेंगी की मात्रा की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण I, II, III और IV में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय आसूचना और जांच एजेंसियों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, जाली भारतीय करेंगी नोटों का मुद्रण, आवाजाही/तस्कारी तथा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और यूएई होकर उनके परिचालन का स्रोत पाकिस्तान है।

(घ) और (ङ) आसूचना और जांच एजेंसियों की सूचना से पता चला है कि जाली भारतीय करेंसी नोटों का इस्तेमाल भारत में आतंक के वित्त-पोषण के एक माध्यम के रूप में किया जा रहा है। एनआईए द्वारा छानबीन किए गए 11 मामलों में से एक मामले में यह साक्ष्य रिकार्ड के रूप में आया है कि जाली करेंसी आतंकवाद के वित्त-पोषण हेतु इस्तेमाल में लाई जा रही है। डेविड कोलमैन हेडली और अन्य लोगों की गतिविधियों से संबंधित मामले की जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि भारत में इस्तेमाल हेतु उसे जाली भारतीय करेंगी नोट दिए गए थे।

विगत तीन वर्षों अर्थात 2010, 2011, 2012 तथा चालू वर्ष (30.6.2013 तक) के दौरान सीबीआई द्वारा छानबीन किए गए 32 मामलों में से दो मामलों में जाली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी और परिचालन में संगठित अपराधी सिंडिकेटों की संलिप्तता का साक्ष्य पाया गया है।

जाली भारतीय करेंसी नोटों के खतर के बहु-आयामी पहलुओं से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केन्द्र तथा राज्य की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियों और सीबीआई जैसी विभिन्न एजेंसियां एक साथ मिलकर कार्य कर रही हैं ताकि जाली भारतीय करेंसी नोटों से संबंधित अवैध गतिविधियां विफल की जा सकें।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में हाल में किए गए संशोधनों के माध्यम से कानूनी व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया गया है जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली जाली भारतीय पेपर करेंगी, सिक्के या किसी अन्य सामग्री के निर्माण या तस्करी आया परिचालन के द्वारा भारत की आर्थिक स्थिरता को क्षति पहुंचाने को एक 'आतंकवादी कृत्य' घोषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, देश में जाली करेंसी नोटों के परिचालन के खतरे का मुकाबला करने के लिए राज्य/केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना के आदान-प्रदान हेतु गृह मंत्रालय में एक विशेष एफआईसीएन-कॉर्डिनेशन (एफकॉर्ड) ग्रुप का गठन किया गया है।

सीबीआई और एनआईए को जाली भारतीय करेंसी नोटों के मामलों की जांच हेतु अग्रणी एजेंसियों के रूप में घोषित किया गया है। जाली भारतीय करेंसी नोंटों से संबंधित अपराधों की जांच तथा अभियोजन के संबंध में एनआईए को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं। सरकार ने आतंक के वित्त-पोषण और जाली करेंसी मामलों की जांच के लिए एनआईए में एक आतंक वित्त-पोषण एवं जाली करेंसी प्रकोष्ठ का गठन भी किया है। तस्करी किए गए जाली भारतीय करेंसी नोटों के संबंध में अग्रणी आसूचना एजेंसी राजस्व आसूचना महानिदेशालय (डीआरआई) है।

उच्च मूल्य के करेंसी नोटों में सुरक्षा विशेषताओं का वित्त मंत्रालय द्वारा लगातार स्तरोन्नयन किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों द्वारा जाली नोटों की पहचान किए जाने से संबंधित तंत्र को सुदृढ़ किया है।

विवरण I

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा मूल्यवर्ग-वार जाली करेंसी (बरामद और जब्त) का विवरण 01.01.2010 से 31.12.2010**

31.07.2013 के डाटाबेस के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	मूल्यवर्ग										नोटों की संख्या		कुल नोट	मूल्य रुपए में		कुल मूल्य (रुपए)	कुल एफआईआर	कुल अभियुक्त
		1000		500		100		50		अन्य									
		(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर+एस)	(आर)	(एस)	(आर+एस)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	अ. और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	4097	2333	21786	5374	8325	4562	471	136	16	7	34695	12412	47107	15846300	5483130	21329430	176	202
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	203	558	381	2093	75	577	3	19	0	0	662	3247	3909	401150	1663150	2064300	73	86
5.	बिहार	981	483	9707	2061	11493	3596	687	279	8	411	22876	6830	29706	7018270	1891165	8909435	50	96
6.	चंडीगढ़	1290	0	8158	5	17380	24	957	363	30	0	27815	392	28207	7155380	23050	7178430	3	5
7.	छत्तीसगढ़	0	10	0	350	0	657	0	3	0	6	0	1026	1026	0	250910	250910	49	32
8.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमण और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	8213	233	37617	1255	16034	2889	1902	340	6	296	63772	5013	68785	28720100	1171100	29891200	25	19
11.	गोवा	0	178	0	489	0	69	0	2	0	0	0	738	738	0	429500	429500	36	5
12.	गुजरात	1980	1020	9057	5501	3810	2445	274	120	15	9	15136	9095	24231	6903430	4021140	10924570	244	56
13.	हरियाणा	0	761	0	2226	0	420	0	99	0	0	0	3506	3506	0	1920950	1920950	30	47
14.	हिमाचल प्रदेश	0	16	0	533	0	1	0	0	0	0	0	550	550	0	282600	282600	4	4
15.	जम्मू और कश्मीर	126	838	616	691	1275	164	29	0	0	1	2046	1694	3740	562950	1199910	1762860	20	29
16.	झारखंड	0	1465	0	5799	0	145	0	16	0	0	0	7425	7425	0	4379800	4379800	18	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	कर्नाटक	3130	535	11670	980	2308	1970	110	59	5	1	17223	3545	20768	9201360	1224960	10426320	57	87
18.	केरल	1048	2050	2659	1769	631	425	19	1	1	0	4358	4245	8603	2441560	2977050	5418610	55	47
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	612	35	4235	260	5424	508	533	0	19	159	10823	962	11785	3298790	216595	3515385	14	21
21.	महाराष्ट्र	11154	2838	44492	6482	9963	1268	1043	4265	16	8	66668	14861	81529	34448715	6419145	40867860	306	131
22.	मणिपुर	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	6000	6000	6	13
23.	मेघालय	0	53	0	290	0	0	0	0	0	0	0	343	343	0	198000	198000	4	5
24.	मिजोरम	0	954	0	1281	0	5	0	0	0	0	0	2240	2240	0	1595000	1595000	12	25
25.	नागालैंड	0	4	0	99	0	14	0	0	0	0	0	117	117	0	54900	54900	4	6
26.	ओडिशा	295	583	2436	801	1876	1494	241	753	2	0	4850	3631	8481	1712680	1170550	2883230	13	23
27.	पुदुचेरी	0	1	0	4	0	3	0	2	0	0	0	10	10	0	3400	3400	3	0
28.	पंजाब	0	3658	0	7459	0	110	0	0	0	0	0	11227	11227	0	7398500	7398500	10	11
29.	राजस्थान	1560	3259	9029	910	9179	1804	523	98	11	3	20302	6074	26376	7018730	3899360	10918090	30	21
30.	सिक्किम	0	3	0	48	0	121	0	0	0	0	0	172	172	0	39100	39100	3	2
31.	तमिलनाडु	5723	3132	24940	12070	5668	3016	154	303	11	72	36496	18593	55089	18767680	9485090	28252770	315	78
32.	त्रिपुरा	0	28	0	74	0	0	0	0	0	0	0	102	102	0	65000	65000	6	11
33.	उत्तर प्रदेश	2683	2052	21622	55971	19050	9201	2088	3395	34	491	45477	71110	116587	15503940	31137095	46641035	362	229
34.	उत्तराखंड	0	347	0	259	0	274	0	9	0	0	0	889	889	0	504350	504350	33	30
35.	पश्चिम बंगाल	2118	5353	10735	33150	4407	2454	405	248	68	37	17733	41242	58975	7947260	22185944	30133204	210	153
	कुल	45213	32784	219140	148288	116898	38216	9439	10510	242	1501	390932	231299	622231	166948295	111296444	278244739	2171	1514

टिप्पणी: आर: भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामदगी।

एस: पुलिस द्वारा जब्त तथा एससीआरबी से प्राप्त सूचना।

* आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण II

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा मूल्य वर्गवार जाली करेंसी (बरामद और जब्त) का विवरण 01.01.2010 से 31.12.2010**

31.07.2013 के डाटाबेस के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	मूल्यवर्ग										नोटों की संख्या		कुल नोट	मूल्य रुपए में		कुल मूल्य (रुपए)	कुल एफआईआर	कुल अभियुक्त
		1000		500		100		50		अन्य									
		(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर)	(एस)	(आर+एस)	(आर)	(एस)	(आर+एस)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	अ. और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	6269	2402	24864	8617	11116	3873	229	1144	13	82	42491	16118	58609	19824290	7155440	26979730	154	200
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	20	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	11000	11000	2	2
4.	असम	100	371	368	1384	194	54	3	8	0	39	665	1856	2521	303550	1069200	1372750	55	57
5.	बिहार	1311	73	9561	1609	5497	579	388	14735	0	49	16757	17045	33802	6660600	1672705	8333305	38	57
6.	चंडीगढ़	830	0	4043	0	7921	0	513	0	12	0	13319	0	13319	3669450	0	3669450	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	53	0	330	0	581	0	31	0	35	0	1030	1030	0	278350	278350	30	28
8.	दादरा और नागर हवेली	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	2500	2500	1	0
9.	दमण और द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	16017	717	55409	3618	19333	9800	2560	1592	13	3	93332	15730	109062	45782990	3585640	49368630	38	39
11.	गोवा	0	308	0	746	0	60	0	6	0	2	0	1122	1122	0	687340	687340	37	13
12.	गुजरात	5563	4277	18075	7028	5222	2456	241	170	14	1	29115	13932	43047	15134960	8045110	23180070	194	47
13.	हरियाणा	0	2	0	271	0	614	0	560	0	46	0	1493	1493	0	227360	227360	18	27
14.	हिमाचल प्रदेश	0	74	0	133	0	0	0	0	0	0	0	207	207	0	140500	140500	4	8
15.	जम्मू और कश्मीर	194	2102	725	1990	1321	381	14	103	0	9	2254	4585	6839	689300	3140340	3829640	38	65
16.	झारखंड	0	178	0	148	0	139	0	0	0	1	0	466	466	0	265910	265910	22	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	कर्नाटक	3311	163	9278	952	1137	573	86	0	7	0	13819	1688	15507	8068120	696300	8764420	20	37
18.	केरल	1272	1383	3583	1578	270	2527	14	4	6	3	5145	5495	10640	3091270	2424930	5516200	58	66
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	महाराष्ट्र	298	110	1756	63	2328	1093	165	21	3	0	4550	1287	5837	1417090	251850	1668940	7	11
21.	महाराष्ट्र	16153	2052	48254	5795	10426	1428	943	72	31	8	75807	9355	85162	41370230	5095990	46466220	258	107
22.	मणिपुर	0	19	0	14	0	0	0	0	0	0	0	33	33	0	26000	26000	12	12
23.	मेघालय	0	18	0	28	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	32000	32000	1	3
24.	मिजारम	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	3000	3000	1	2
25.	नागालैंड	0	44	0	168	0	9	0	0	0	0	0	221	221	0	128900	128900	8	14
26.	ओडिशा	486	17	3603	24	1898	0	94	0	1	0	6082	41	6123	2482020	29000	2511020	4	7
27.	पुदुचेरी	0	1	0	17	0	2	0	0	0	0	0	20	20	0	9700	9700	5	0
28.	पंजाब	0	372	0	2417	0	1901	0	0	0	0	0	4690	4690	0	1770600	1770600	7	7
29.	राजस्थान	2233	1168	9327	1022	6399	240	254	67	4	207	18217	2704	20921	7549140	1709405	9258545	37	34
30.	सिक्किम	0	19	0	85	0	0	0	0	0	0	0	104	104	0	61500	61500	3	8
31.	तमिलनाडु	5918	0	28482	7	2695	0	99	0	13	0	37207	7	37214	20433670	3500	20437170	1	0
32.	त्रिपुरा	0	3	0	148	0	7	0	0	0	0	0	158	158	0	77700	77700	9	11
33.	उत्तर प्रदेश	4185	1350	27663	2741	17332	4170	1875	1605	23	10	51078	9876	60954	19843805	3217860	23061665	182	90
34.	उत्तराखंड	0	141	0	69	0	130	0	2	0	0	0	342	342	0	188600	188600	18	17
35.	पश्चिम बंगाल	4352	19900	15769	40182	3966	29756	230	1872	39	14	24356	91724	116080	12645000	43060411	55705411	199	44
	कुल	68492	37320	260760	81211	97055	60373	7708	21992	179	509	434194	201405	635599	208965485	85068641	294034126	1461	1047

टिप्पणी: आर: भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामदगी।

एस: पुलिस द्वारा जब्त तथा एससीआरबी से प्राप्त सूचना।

* आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण III

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)

*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा मूल्य वर्गवार जाली करेंसी (बरामद और जब्त) का विवरण 01.01.2010 से 31.12.2010**

31.07.2013 के डाटाबेस के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	मूल्यवर्ग 1000 (आर)	मूल्यवर्ग 1000 (एस)	मूल्यवर्ग 500 (आर)	मूल्यवर्ग 500 (एस)	मूल्यवर्ग 100 (आर)	मूल्यवर्ग 100 (एस)	मूल्यवर्ग 50 (आर)	मूल्यवर्ग 50 (एस)	अन्य (आर)	अन्य (एस)	नोटों की संख्या (आर)	नोटों की संख्या (एस)	कुल नोट (आर+एस)	मूल्य रुपए में (आर)	मूल्य रुपए में (एस)	कुल मूल्य (रुपए) (आर+एस)	कुल एफआईआर	कुल अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	अं. और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	500	500	1	0
2.	आंध्र प्रदेश	5155	3871	16846	16768	10152	4803	245	178	9	0	32407	25620	58027	14605610	12744200	27349810	167	431
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	3	0	300	300	1	2
4.	असम	573	503	2136	2054	989	858	34	119	2	300	3734	3834	7568	1741640	1626750	3368390	53	116
5.	बिहार	1903	2754	9034	3199	5034	4538	431	255	3	202	16405	10948	27353	6944990	4822150	11767140	25	127
6.	चंडीगढ़	667	0	2236	16	4162	0	373	0	5	0	7443	16	7459	2219930	8000	2227930	2	0
7.	छत्तीसगढ़	0	80	0	929	0	902	0	65	0	0	0	1976	1976	0	637950	637950	44	42
8.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	13198	29623	35041	44706	11852	16379	2423	1415	16	5	62530	92128	154658	32025032	53684702	85709734	51	85
11.	गोवा	0	1777	0	12112	0	1274	0	114	0	0	0	15277	15277	0	7966100	7966100	17	22
12.	गुजरात	1379	2679	4108	11996	999	1541	66	188	3	19	6555	16423	22978	3536240	8840654	12376894	202	80
13.	हरियाणा	0	891	0	2175	0	568	0	0	0	0	0	3634	3634	0	2035300	2035300	19	66
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	5500	5500	1	10
15.	जम्मू और कश्मीर	72	522	361	3160	301	1371	13	0	0	0	747	5053	5800	283250	2239100	2522350	17	96
16.	झारखंड	0	137	0	403	0	4	0	0	0	0	0	544	544	0	338900	338900	6	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	कर्नाटक	8023	307	15970	475	1536	56	73	1008	1	0	25603	1846	27449	16165260	600500	16765760	17	56
18.	केरल	1196	688	2505	2868	135	136	7	0	30	0	3873	3692	7565	2462650	2135600	4598250	36	108
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	90	572	235	1493	1316	2491	0	462	0	9	1641	5027	6668	339100	1590860	1929960	12	23
21.	महाराष्ट्र	17450	5032	39632	6709	9907	4224	1989	539	26588	46	95566	16550	112116	38625150	8836410	47461560	260	276
22.	मणिपुर	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	3000	3000	4	16
23.	मेघालय	0	113	0	702	0	0	0	0	0	0	0	815	815	0	464000	464000	15	19
24.	मिजोरम	0	706	0	1417	0	88	0	0	0	0	0	2211	2211	0	1423300	1423300	11	8
25.	नागालैंड	0	47	0	1271	0	0	0	0	0	0	0	1318	1318	0	682500	682500	10	31
26.	ओडिशा	569	0	2735	13	817	0	33	0	1	0	4155	13	4168	2019870	6500	2026370	3	9
27.	पुदुचेरी	0	245	0	339	0	3	0	0	0	0	0	587	587	0	414800	414800	6	11
28.	पंजाब	0	493	0	342	0	540	0	0	0	0	0	1375	1375	0	718000	718000	7	17
29.	राजस्थान	745	0	3012	0	1597	0	99	0	2	0	5455	0	5455	2415690	0	2415690	0	34
30.	सिक्किम	0	4	0	32	0	6	0	0	0	0	0	42	42	0	20600	20600	3	8
31.	तमिलनाडु	10415	1474	31857	2165	5733	1413	275	5	17	0	48297	5057	53354	26930845	2698050	29628895	29	9
32.	त्रिपुरा	0	15	0	82	0	2	0	0	0	0	0	99	99	0	56200	56200	6	23
33.	उत्तर प्रदेश	6406	4471	34368	7162	16917	4942	1973	923	33	7	59697	17505	77202	25380860	8592460	33973320	165	232
34.	उत्तराखंड	0	554	0	216	0	3	0	0	0	0	0	773	773	0	662300	662300	3	21
35.	पश्चिम बंगाल	5974	5009	16739	14076	3830	282	215	4	0	1	26758	19372	46130	14737250	12075410	26812660	122	79
	कुल	73815	62569	216815	136894	75277	46427	8249	5275	26710	589	400866	251754	652620	190433367	135930596	326363963	1315	2096

टिप्पणी: आर: भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामदगी।

एस: पुलिस द्वारा जब्त तथा एससीआरबी से प्राप्त सूचना।

* आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण IV

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा मूल्यवर्गवार जाली करेंसी (बरामद और जब्त) का विवरण 01.01.2010 से 30.06.2013*

31.07.2013 के डाटाबेस के अनुसार

क्र.सं.	राज्य	मूल्यवर्ग 1000 (आर)	1000 (एस)	500 (आर)	500 (एस)	100 (आर)	100 (एस)	50 (आर)	50 (एस)	अन्य (आर)	अन्य (एस)	नोटों की संख्या (आर)	नोटों की संख्या (एस)	कुल नोट (आर+एस)	मूल्य रुपए में (आर)	मूल्य रुपए में (एस)	कुल मूल्य (रुपए) (आर+एस)	कुल एफआईआर	कुल अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	अं. और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	2062	2239	5818	11773	4894	2778	85	8	5	1	12864	16799	29663	5464740	8403720	13868460	66	7
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	असम	171	1558	872	967	277	260	21	10	2	0	1343	2795	4138	635765	2068000	2703765	43	4
5.	बिहार	713	582	2657	346	1691	12	81	0	0	0	5142	940	6082	2214650	756200	2970850	13	7
6.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	500	500	1	0
9.	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली	9899	8696	23211	19463	7534	5839	558	476	1	0	41203	34474	75677	22285810	19035200	41321010	24	0
11.	गोवा	0	6	0	16	0	4	0	0	0	0	0	26	26	0	14400	14400	5	0
12.	गुजरात	1139	2983	2438	4395	701	1077	35	54	2	2	4315	8511	12826	2429880	5290920	7720800	87	0
13.	हरियाणा	0	172	0	1703	0	466	0	0	0	9000	0	11341	11341	0	1115100	1115100	12	2
14.	हिमाचल प्रदेश	0	50	0	195	0	685	0	0	0	0	0	930	930	0	216000	216000	5	1
15.	जम्मू और कश्मीर	60	73	210	320	352	0	3	0	1	0	626	393	1019	200360	233000	433360	4	3
16.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17.	कर्नाटक	4762	25	8679	898	958	20	57	2	0	0	14456	945	15401	9200150	476100	9676250	8	0
18.	केरल	999	236	1415	1141	80	1266	6	29	164	396	2664	3068	5732	1717000	939620	2656620	18	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	31	103	83	705	531	962	0	38	0	2	645	1810	2455	125600	553630	679230	6	2
21.	महाराष्ट्र	8681	6691	17615	7608	5964	10789	2875	576	5075	15	40210	25679	65889	18279720	11602861	29882581	114	25
22.	मणिपूर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	मेघालय	0	231	0	200	0	0	0	0	0	0	0	431	431	0	331000	331000	4	0
24.	मिजोरम	0	0	0	564	0	0	0	0	0	0	0	564	564	0	282000	282000	5	0
25.	नागालैंड	0	712	0	19	0	60	0	0	0	0	0	791	791	0	727500	727500	1	0
26.	ओडिशा	247	43	1313	222	465	143	15	2	0	0	2040	410	2450	950750	168400	1119150	5	0
27.	पुदुचेरी	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10000	10000	1	0
28.	पंजाब	0	638	0	5242	0	200	0	0	0	0	0	6080	6080	0	3279000	3279000	8	2
29.	राजस्थान	1437	0	2514	0	1691	0	104	0	0	0	5746	0	5746	2868300	0	2868300	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	4860	872	12442	2926	1000	300	49	4	3	0	18354	4102	22456	11183500	2365200	13548700	83	0
32.	त्रिपुरा	0	158	8	315	0	0	0	0	0	0	8	473	481	4000	315500	319500	13	4
33.	उत्तर प्रदेश	3102	1368	13937	2092	9095	2479	774	57	53	29	26961	6025	32986	11019560	2665140	13684700	53	20
34.	उत्तराखंड	0	485	0	311	0	5	0	0	0	0	0	801	801	0	641000	641000	10	2
35.	पश्चिम बंगाल	5474	0	14163	0	2811	0	130	0	0	0	22578	0	22578	12843100	0	12843100	0	0
	कुल	43637	27931	107375	61422	38044	27345	4793	1256	5306	9445	199155	127399	326554	101422885	61489991	162912876	589	79

टिप्पणी: आर: भारतीय रिजर्व बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा बरामदगी।

एस: पुलिस द्वारा जब्त तथा एससीआरबी से प्राप्त सूचना।

* आंकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों का भंडारण

2920. श्री पुलीन बिहारी बासके:
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला:
श्री राजू शेटटी:
शेख सैदुल हक:
कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री यशवीर सिंह:
डॉ. रतन सिंह अजनाला:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री नीरज शेखर:
श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री जगदानंद सिंह:
श्री महाबली सिंह:
श्री घनश्याम अनुरागी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों से सुरक्षित भंडारण क्षमता की कमी/खुले में भंडारण के कारण खाद्यान्नों के सड़ने/क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्टें मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खरीदे गए और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, भंडारण क्षमता की आवश्यकता को दर्शाते हुए इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने पता चली क्षति को ध्यान में रखकर सरकार को आवश्यकता से अधिक भंडार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरित करने के निर्देश दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन के लिए खाद्यान्नों के प्रचालनगत भंडार की प्रमात्रा और आवश्यक गोदामों का कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या रहे और गोदामों के निर्माण हेतु निजी पार्टियों से मांगी गई सहायता सहित क्या कार्रवाई की गई/की जानी प्रस्तावित है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) खाद्यान्न भंडारण के दौरान कीटों के आक्रमण, छतों से होने वाले लीकेज, अवैज्ञानिक भंडारण के मामले में नमी के सम्पर्क में आने, बाढ़ आर एहतियाती उपाय करने के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों द्वारा असावधानी बरतने आदि जैसे विभिन्न कारणों से खाद्यान्नों की कुछ मात्रा क्षतिग्रस्त हो सकती हैं पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त/जारी न करने योग्य हुए खाद्यान्नों का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। भंडारण के दौरान खाद्यान्नों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल स्टॉक के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के पास स्टॉक की स्थिति के अनुरूप उपलब्ध भंडारण क्षमता निम्नानुसार है:

की स्थिति के अनुसार	भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता	राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध भंडारण क्षमता	सकल जोड़	केन्द्रीय पूल में स्टॉक की स्थिति
31.03.11	316.10	291.32	607.42	441.84
31.03.12	336.04	341.35	677.39	533.02
31.03.13	377.35	354.28	731.63	596.75
30.06.13	391.79	354.28	746.07	739.05

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय पूल स्टॉक के लिए भंडारण क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III, IV, V, और VI, में दिया गया है।

(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने भोजन का अधिकार संबंधी रिट याचिका (सिविल) संख्या 2001 की 196-पीयूसीएल बनाम भारत सरकार और अन्य के संबंध में दिनांक 14 मई, 2011 के अपने आदेश में भारत सरकार को 150 निर्धनतम जिलों अथवा हमारे समाज के बहुत ही गरीब अथवा कमजोर वर्गों को वितरण के लिए 5 मिलियन टन खाद्यान्न आरक्षित रखने का निर्देश दिया था और न्यायमूर्ति श्री डी.पी. वधवा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति से निर्धनतम जिलों अथवा समाज के निर्धनतम वर्गों की पहचान करने का अनुरोध किया था।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्देशों और वधवा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में इस विभाग ने 27 राज्यों में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के अतिरिक्त परिवारों के लिए 2011-12 और 2012-13 के दौरान क्रमश: 23.69 लाख टन और 21.21 लाख टन खाद्यान्नों का आबांटन किया था।

(ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) के अंतर्गत गेहूं और चावल का कुल आबंटन 612 लाख टन होने की संभावना है जिसके लिए भंडारण क्षमता की आवश्यकता है। खाद्यान्नों के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास दिनांक 30.06.2013 की स्थिति के अनुसार उनके स्वामित्व की और किराए पर ली गई कुल कवई भंडारण क्षमता 355.19 लाख टन (स्वामित्व की 129.96 लाख टन और किराए पर ली गई 225.23 लाख टन) उपलब्ध है। देश में अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा गारंटी देकर किराए पर लेने के लिए निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) स्कीम नामक एक स्कीम तैयार की है। वर्ष 2013-14 के दौरान पीईजी स्कीम के अंतर्गत 60 लाख टन क्षमता के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में जुलाई, 2013 तक 3.36 लाख टन पूरी कर ली गई है। योजना स्कीम के अंतर्गत निर्मित भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व की भंडारण क्षमता में वर्ष 2013-14 के दौरान 73,260 टन (पूर्वोत्तरन क्षेत्र में 53,260 टन और पूर्वोत्तर के अलावा अन्य क्षेत्रों में 20,000 टन) की वृद्धि की जानी है। योजना स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में गोदामों के निर्माण के लिए इस मंत्रालय द्वारा बजट आबंटन 45 करोड़ रुपये (पूर्वोत्तर के लिए 42 करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए 3 करोड़ रुपये) है।

पीईजी स्कीम के अंतर्गत गोदामों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। निर्माण लागत निवेशक द्वारा वहन की जाती है और सरकार इस भंडारण क्षमता के लिए गारंटीशुदा किराया प्रभार का भुगतान करेगी जो कि निजी निवेशकों के मामले में 10 वर्ष और सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी और अन्य राज्य एजेंसियों के मामले में 9 वर्ष के लिए होगा।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम में क्षतिग्रस्त/जारी न किए जाने योग्य पाए गए क्षेत्रवार खाद्यान्न

(आंकड़े टन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (1.7.2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	बिहार	200	0	997.61	561.2
2.	झारखंड	39	29	3.43	4.53
3.	ओडिशा	18	36	1	11.63
4.	पश्चिम बंगाल	922	477	45	7316
5.	असम	49	442	51.54	60.36
6.	पूर्वोत्तर सीमांत	175	0	195	0
7.	नागालैंड और मणिपुर	1	0	0	0
8.	दिल्ली	1	10.9	39.86	8.75
9.	हरियाणा	53	0	148.04	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
11.	पंजाब	182	37	123	4.93
12.	राजस्थान	21	30	120.83	2.84

1	2	3	4	5	6
13.	उत्तर प्रदेश	520	258	18.3	0
14.	उत्तराखंड	1338	72	221	11
15.	आंध्र प्रदेश	3	4.33	24.72	205.3
16.	केरल	99	200	0	125
17.	कर्नाटक	17	0	141.77	0
18.	तमिलनाडु	12	29	749.66	0
19.	गुजरात	2595	226	195	312
20.	महाराष्ट्र	97	1473	61	163
21.	मध्य प्रदेश	2	0	3.02	14.92
22.	छत्तीसगढ़	2	13.78	8.98	80.71
	जोड़	6346	3338.01	3148.76	8881.17

विवरण II

भंडारण के दौरान खाद्यान्नों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल के स्टॉक को खतिग्रस्त होने से बचाने के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारी एजेंसियों द्वारा अनिवार्य रूप से अपनाए जाने वाले एहतियाती और उपचारात्मक कदम निम्नानुसार हैं:

(i) सभी गोदामों का निर्माण विनिर्दिष्टियों के अनुसार किया जाना होता है।

(ii) खाद्यान्नों का भंडारण भंडारण पद्धतियों की उचित वैज्ञानिक संहिता अपना कर किया जाना होता है।

(iii) लकड़ी की क्रेटों, बांस की चटाइयों, पॉलीथिन की चद्दरों जैसी पर्याप्त डनेज सामग्री का उपयोग फर्श से नमी आने को रोकने के लिए किया जाना होता है।

(iv) सभी गोदामों में प्रधूमक कवर, नॉइलान की रस्सियां, जाल और भंडारित अनाज कीट जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए कीटनाशक प्रदान किए जाने होते हैं।

(v) भंडारित अनाज कीट जन्तुबाधाओं के नियंत्रण के लिए गोदामों में रोग निरोधी (कीटनाशकों का छिड़काव) और रोगहर (प्रधूमन) उपचार नियमित रूप से और समय से किए जाने होते हैं।

(vi) ढके हुए गोदामों और कैप भंडारण, दोनों में मूषक नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाने होते हैं।

(vi) कवर तथा प्लिंथ (कैप) में खाद्यान्नों का भंडारण एलीवेटेड प्लिंथ में किया जाना होता है और डनेज सामग्री के रूप में लकड़ी के क्रेट इस्तेमाल किए जाने होते हैं। चट्टों को विशेष रूप से बनाए गए कम घनत्व वाले काले रंग के पोलीथीन वाटर प्रूफ कवर से उचित ढंग से ढका जाना होता है और उन्हें नाइलॉन की रस्सियों/जाल से बांधा जाना होता है।

(viii) वरिष्ठ अधिकारियों सहित योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा स्टाक/गोदामों के नियमित आवधिक निरीक्षण किये जाने होते हैं।

(ix) 'प्रथम आमद प्रथम निर्गम' सिद्धांत का यथा संभव सीमा तक पालन किया जाना होता है ताकि गोदामों में खाद्यान्नों के दीर्घावधि भंडारण से बचा जा सके।

(x) खाद्यान्नों के संचलन के लिए केवल ढकी हुई वैगन इस्तेमाल की जानी होती हैं ताकि मार्गस्थ-क्षति से बचा जा सके।

विवरण III

31.3.2011 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारी एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र.सं.	भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (अपनी/किराए की)						खाद्यान्नों के भंडारण हेतु राज्य भंडारण निगमों सहित राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता (भारतीय खाद्य निगम को दी गई क्षमता को छोड़कर		सकल जोड़	
			कवर्ड		कैप		जोड़		राज्य एजेंसियां			
			अपनी	किराए की	अपनी	किराए की	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पूर्व	1.	बिहार	3.66	2.32	1.00	0.00	5.98	1.00	6.96	0.00	12.94	1.00
	2.	झारखंड	0.66	0.63	0.05	0.00	1.29	0.05	0.08	0.00	1.37	0.05
	3.	ओडिशा	3.02	3.14	0.00	0.00	6.16	0.00	3.64	0.00	9.80	0.00
	4.	पश्चिम बंगाल	8.69	2.01	0.51	0.00	10.70	0.51	3.90	0.00	14.60	0.51
पूर्वोत्तर	6.	असम	2.07	0.71	0.00	0.00	2.78	0.00	0.41	0.00	3.19	0.00
	7.	अरूणाचल प्रदेश	0.18	0.05	0.00	0.00	0.23	0.00	0.05	0.00	0.28	0.00
	8.	मेघालय	0.14	0.12	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
	9.	मिजोरम	0.22	0.01	0.00	0.00	0.23	0.00	0.56	0.00	0.79	0.00
	10.	त्रिपुरा	0.29	0.19	0.00	0.00	0.48	0.00	0.40	0.00	0.88	0.00
	11.	मणिपुर	0.20	0.01	0.00	0.00	0.21	0.00	0.20	0.00	0.41	0.00
	12.	नागालैंड	0.20	0.13	0.00	0.00	0.33	0.00	0.07	0.00	0.40	0.00
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	0.00	0.31	0.00	3.36	0.31	0.00	0.00	3.36	0.31
	14.	हरियाणा	7.68	15.12	3.33	0.11	22.80	3.44	23.03	45.08	45.83	48.52
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.11	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
	16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.18	0.10	0.00	1.21	0.10	1.26	0.00	2.47	0.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17.	पंजाब	22.24	50.27	7.31	3.40	72.51	10.71	23.88	92.70	96.39	103.41
	19.	राजस्थान	7.06	6.69	1.85	1.72	13.75	3.57	0.00	0.00	13.75	3.57
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	17.30	5.19	0.00	32.25	5.19	4.11	0.00	36.36	5.19
	21.	उत्तराखंड	0.66	1.38	0.21	0.11	2.04	0.32	0.91	0.00	2.95	0.32
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.73	29.20	2.62	0.00	41.93	2.62	11.55	0.00	53.48	2.62
	24.	केरल	5.17	0.00	0.20	0.00	5.17	0.20	0.00	0.00	5.17	0.20
	25.	कर्नाटक	3.78	3.44	1.16	0.00	7.22	1.16	2.17	0.00	9.39	1.16
	26.	तमिलनाडु	6.24	3.56	0.67	0.00	9.80	0.67	6.50	0.00	16.30	0.67
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	1.76	0.27	0.00	6.76	0.27	3.92	0.00	10.68	0.27
	29.	महाराष्ट्र	12.05	8.11	1.02	0.10	20.16	1.12	18.35	0.00	38.51	1.12
	31.	मध्य प्रदेश	3.37	4.28	0.36	0.00	7.65	0.36	31.35	0.00	39.00	0.36
	32.	छत्तीसगढ़	5.12	3.87	0.00	0.00	8.99	0.00	10.24	0.00	19.23	0.00
		जोड़	129.91	154.59	26.16	5.44	284.50	31.60	153.54	137.78	438.04	169.38
		सकल जोड़					316.10		291.32		607.42	

विवरण IV

31.3.2012 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारी एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र.सं.	भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (अपनी/किराए की)						खाद्यान्नों के भंडारण हेतु राज्य भंडारण निगमों सहित राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता (भारतीय खाद्य निगम को दी गई क्षमता को छोड़कर राज्य एजेंसियां		सकल जोड़	
			कवर्ड		कैप		जोड़					
			अपनी	किराए की	अपनी	किराए की	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पूर्व	1.	बिहार	3.66	2.49	1.00	-	6.15	1.00	6.58	-	12.73	1.00
	2.	झारखंड	0.67	0.66	0.05	-	1.33	0.05	0.18	-	1.51	0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.	ओडिशा	3.02	2.94	-	-	5.96	-	5.36	-	11.32	-
	4.	पश्चिम बंगाल	8.69	2.02	0.51	-	10.71	0.51	3.32	-	14.03	0.51
पूर्वोत्तर	6.	असम	2.12	0.72	-	-	2.84	-	2.55	-	5.39	-
	7.	अरूणाचल प्रदेश	0.18	0.04	-	-	0.22	-	-	-	0.22	-
	8.	मेघालय	0.14	0.12	-	-	0.26	-	0.15	-	0.41	-
	9.	मिजोरम	0.25	0.01	-	-	0.26	-	0.56	-	0.82	-
	10.	त्रिपुरा	0.29	0.19	-	-	0.48	-	0.43	-	0.91	-
	11.	मणिपुर	0.20	-	-	-	0.20	-	0.13	-	0.33	-
	12.	नागालैंड	0.20	0.13	-	-	0.33	-	0.07	-	0.40	-
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	-	0.31	-	3.36	0.31	-	-	3.36	0.31
	14.	हरियाणा	7.68	15.93	3.33	0.16	23.61	3.49	26.60	51.61	50.21	55.10
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.14	0.12	-	-	0.26	-	-	-	0.26	-
	16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.18	0.10	-	1.21	0.10	1.26	-	2.47	0.10
	17.	पंजाब	22.24	51.60	7.31	2.82	73.84	10.13	34.46	95.57	108.30	105.70
	19.	राजस्थान	7.06	8.66	1.85	4.27	15.72	6.12	2.48	-	18.20	6.12
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	27.18	5.19	0.21	42.13	5.40	1.37	-	43.50	5.40
	21.	उत्तराखंड	0.66	1.09	0.21	0.05	1.75	0.26	2.59	-	4.34	0.26
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.73	34.18	2.62	-	46.91	2.62	16.07	-	62.98	2.62
	24.	केरल	5.17	-	0.20	-	5.17	0.20	-	-	5.17	0.20
	25.	कर्नाटक	3.81	3.34	1.36	-	7.15	1.36	5.85	-	13.00	1.36
	26.	तमिलनाडु	6.24	3.82	0.67	-	10.06	0.67	10.09	-	20.15	0.67
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	1.91	0.27	-	6.91	0.27	3.97	-	10.88	0.27
	29.	महाराष्ट्र	12.05	8.16	1.02	-	20.21	1.02	15.21	-	35.42	1.02
	31.	मध्य प्रदेश	3.37	1.87	0.36	-	5.24	0.36	44.34	-	49.58	0.36
	32.	छत्तीसगढ़	5.12	4.77	0.01	-	9.89	0.01	10.55	-	20.44	0.01
		जोड़	130.03	172.13	26.37	7.51	302.16	33.88	194.17	147.18	496.33	181.06
			302.16		33.88		336.04		341.35		677.39	

कुल अपनी	कुल किराए की
156.40	179.64

विवरण V

31.3.2013 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारी एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र.सं.	भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (अपनी/किराए की)						खाद्यान्नों के भंडारण हेतु राज्य भंडारण निगमों सहित राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता (भारतीय खाद्य निगम को दी गई क्षमता को छोड़कर		सकल जोड़	
			कवर्ड		कैप		जोड़		राज्य एजेंसियां			
			अपनी	किराए की	अपनी	किराए की	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पूर्व	1.	बिहार	3.66	2.51	1.00	-	6.17	1.00	6.69	-	12.86	1.00
	2.	झारखंड	0.67	0.64	0.05	-	1.31	0.05	-	-	1.31	0.05
	3.	ओडिशा	3.02	3.07	-	-	6.09	-	6.55	-	12.64	-
	4.	पश्चिम बंगाल	8.50	2.01	0.51	-	10.51	0.51	4.29	-	14.80	0.51
पूर्वोत्तर	6.	असम	2.12	0.77	-	-	2.89	-	2.54	-	5.43	-
	7.	अरूणाचल प्रदेश	0.18	0.05	-	-	0.23	-	0.05	-	0.28	-
	8.	मेघालय	0.14	0.12	-	-	0.26	-	-	-	0.26	-
	9.	मिजोरम	0.25	0.01	-	-	0.26	-	0.56	-	0.82	-
	10.	त्रिपुरा	0.33	0.19	-	-	0.52	-	0.42	-	0.94	-
	11.	मणिपुर	0.23	0.07	-	-	0.30	-	0.13	-	0.43	-
	12.	नागालैंड	0.20	0.13	-	-	0.33	-	0.07	-	0.40	-
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	-	0.31 -	3.36	0.31	-	-	3.36	0.31	-
	14.	हरियाणा	7.68	22.44	3.33	0.01	30.12	3.34	24.99	46.88	55.11	50.22
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.16	-	-	0.35	-	-	-	0.35	-
	16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.28	0.10	-	1.31	0.10	1.26	-	2.57	0.10
	17.	पंजाब	22.24	70.87	7.31	2.82	93.11	10.13	34.46	95.57	127.57	105.70
	19.	राजस्थान	7.06	12.35	1.85	5.02	19.41	6.87	-	-	19.41	6.87
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	33.97	5.19	3.21	48.92	8.40	2.17	0.07	51.09	8.47
	21.	उत्तराखंड	0.66	1.17	0.21	0.01	1.83	0.22	1.90	-	3.73	0.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.73	30.96	2.62	-	43.69	2.62	16.07	-	59.76	2.62
	24.	केरल	5.17	-	0.20	-	5.17	0.20	-	-	5.17	0.20
	25.	कर्नाटक	3.81	3.97	1.36	-	7.78	1.36	6.96	-	14.74	1.36
	26.	तमिलनाडु	6.24	4.15	0.67	-	10.39	0.67	5.71	-	16.10	0.67
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	3.11	0.27	-	8.11	0.27	2.99	-	11.10	0.27
	29.	महाराष्ट्र	12.05	10.25	1.02	-	22.30	1.02	5.65	-	27.95	1.02
	31.	मध्य प्रदेश	3.37	2.08	0.36	-	5.45	0.36	68.58	6.51	74.03	6.87
	32.	छत्तीसगढ़	5.12	4.62	0.01	-	9.74	0.01	13.21	-	22.95	0.01
		जोड़	129.96	209.95	26.37	11.07	339.91	37.44	205.25	149.03	545.16	186.47
			339.91		37.44		377.35		354.28		731.63	

कुल अपनी	कुल किराए की
156.33	221.02

विवरण VI

30.6.2013 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारी एजेंसियों के पास भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्र.सं.	भारतीय खाद्य निगम क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम के पास कुल भंडारण क्षमता (अपनी/किराए की)						खाद्यान्नों के भंडारण हेतु राज्य भंडारण निगमों सहित राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता (भारतीय खाद्य निगम को दी गई क्षमता को छोड़कर		सकल जोड़	
			कवर्ड		कैप		जोड़		राज्य एजेंसियां			
			अपनी	किराए की	अपनी	किराए की	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप	कवर्ड	कैप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
पूर्व	1.	बिहार	3.66	2.54	1.00	-	6.20	1.00	6.69	-	12.89	1.00
	2.	झारखंड	0.67	0.63	0.05	-	1.30	0.05	-	-	1.30	0.05
	3.	ओडिशा	3.02	2.92	-	-	5.94	-	6.55	-	12.49	-
	4.	पश्चिम बंगाल	8.50	2.00	0.51	-	10.50	0.51	4.29	-	14.79	0.51
पूर्वोत्तर	6.	असम	2.12	0.79	-	-	2.91	-	2.54	-	5.45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.	अरूणाचल प्रदेश	0.18	0.05	-	-	0.23	-	0.05	-	0.28	-
	8.	मेघालय	0.14	0.12	-	-	0.26	-	-	-	0.26	-
	9.	मिजोरम	0.25	0.01	-	-	0.26	-	0.56	-	0.82	-
	10.	त्रिपुरा	0.33	0.17	-	-	0.50	-	0.42	-	0.92	-
	11.	मणिपुर	0.23	0.07	-	-	0.30	-	0.13	-	0.43	-
	12.	नागालैंड	0.20	0.13	-	-	0.33	-	0.07	-	0.40	-
उत्तर	13.	दिल्ली	3.36	-	0.31	-	3.36	0.31	-	-	3.36	0.31
	14.	हरियाणा	7.68	29.03	3.33	-	36.71	3.33	24.99	46.88	61.70	50.21
	15.	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.16	-	-	0.35	-	-	-	0.35	-
	16.	जम्मू और कश्मीर	1.03	0.27	0.10	-	1.30	0.10	1.26	-	2.56	0.10
	17.	पंजाब	22.24	82.37	7.31	3.42	104.61	10.73	34.46	95.57	139.07	106.30
	19.	राजस्थान	7.06	15.15	1.85	6.43	22.21	8.28	-	-	22.21	8.28
	20.	उत्तर प्रदेश	14.95	28.14	5.19	0.37	43.09	5.56	2.17	0.07	45.26	5.63
	21.	उत्तराखंड	0.66	1.18	0.21	0.01	1.84	0.22	1.90	-	3.74	0.22
दक्षिण	22.	आंध्र प्रदेश	12.73	29.69	2.62	-	42.42	2.62	16.07	-	58.49	2.62
	24.	केरल	5.17	-	0.20	-	5.17	0.20	-	-	5.17	0.20
	25.	कर्नाटक	3.81	4.23	1.36	-	8.04	1.36	6.96	-	15.00	1.36
	26.	तमिलनाडु	6.24	4.40	0.67	-	10.64	0.67	5.71	-	16.35	0.67
पश्चिम	28.	गुजरात	5.00	3.18	0.27	-	8.18	0.27	2.99	-	11.17	0.27
	29.	महाराष्ट्र	12.05	10.47	1.02	-	22.52	1.02	5.65	-	28.17	1.02
	31.	मध्य प्रदेश	3.37	3.00	0.36	-	6.37	0.36	68.58	6.51	74.95	6.87
	32.	छत्तीसगढ़	5.12	4.53	0.01	-	9.65	0.01	13.21	-	22.86	0.01
		जोड़	129.96	225.23	26.37	10.23	355.19	36.60	205.25	149.03	560.44	185.63
			355.19		36.60		391.79		354.28		746.07	

कुल अपनी	कुल किराए की
156.33	235.46

विवरण VII

पिछले चार विपणन मौसमों तथा वर्तमान विपणन मौसम के दौरान चावल, गेहूं और मोटे अनाज की खरीद

(000 टन में)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2009-10			2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
	चावल	गेहूं	मोटा अनाज	#चावल	गेहूं	मोटा अनाज	चावल	गेहूं	मोटा अनाज	#चावल	गेहूं	#मोटा अनाज	चावल	*गेहूं	मोटा अनाज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह															
आंध्र प्रदेश	7555	-	7	9609	-	-	7542	-	-	6411	-	-	-	-	-
अरूणाचल प्रदेश															
असम	8			16			23			20					
बिहार	890	497		883	183		1534	557		1303	772				
चंडीगढ़	14	12		10	9		13	7		12	17			8	
छत्तीसगढ़	3357		1	3746		3	4115		1	4804					
दिल्ली					10			8			31			नगण्य	
गुजरात		75			1		4	105		नगण्य	156				
हरियाणा	1819	6924	77	1687	6347	73	2007	6928	17	2609	8665			5873	
हिमाचल प्रदेश		1		1	नगण्य		1	1		1	1			नगण्य	
जम्मू और कश्मीर		1		11			9			2	9				
झारखंड	23	नगण्य		नगण्य	नगण्य		275			215					
कर्नाटक	86		316	180		40	356		1	74					
केरल	261			263			376			240					
मध्य प्रदेश	255	1968	छमह	516	3539	9	635	4965	17	898	8493	8		6355	
महाराष्ट्र	229		6	308		3	177		नगण्य	190	2	64			
नागालैंड															
ओडिशा	2497			2465			2866			3596					
पुदुचेरी	8			40			5								
पंजाब	9275	10725		8634	10209		7731	10958		8558	12834			10897	
राजस्थान		1152			476			1303			1964			1268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
तमिलनाडु	1241			1543			1596			480					
उत्तर प्रदेश	2901	3882		2554	1645		3357	3461		2286	5063			683	
उत्तराखंड	375	145		422	86		378	42		497	139			5	
पश्चिम बंगाल	1240			1310	9		2041			1688	2		2		
अखिल भारत जोड़	32034	25382	407	34198	22514	128	35041	28335	36	33884	38148	72		25091	

*01.08.2013 की स्थिति के अनुसार

07.08.2013 की स्थिति के अनुसार

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

2921. श्री ओ.एस. मणियन:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी विधवाओं एवं पात्र आश्रितों की आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अलग-अलग कुल संख्या कितनी है जिन्हें 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980' के अंतर्गत पेंशन मिल रही है;

(ख) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को पेंशन देने के लिए प्राप्त/लंबित/अस्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या कितनी है तथा लंबित रहने के क्या कारण हैं एवं सभी लंबित आवेदनों के निपटान के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को योनजा के अंतर्गत मासिक पेंशन बढ़ाने के संबंध में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को शिकायतों/समस्याओं के समाधान के लिए क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लगभग 49,000 स्वतंत्रता सेनानी और उनके पात्र आश्रित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा राज्य कोषागारों से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन आहरित कर रहे हैं।

(ख) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्रदान करने से संबंधित दावे प्राप्त होना तथा उनका निपटान एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लेने के संबंध में सम्मान पेंशन स्वीकृत किए जाने संबंधी आवेदनों के बारे में आंध प्रदेश सरकार की 108 पुन: सत्यापन-रिपोर्टों को छोड़कर ऐसा कोई आवेदन लंबित नहीं है जो सभी दृष्टिकोणों से पूर्ण तथा राज्य सरकार द्वारा संस्तुत हो। पात्रता मानदंड पूरा करने वाले सम्मान पेंशन स्वीकृति संबंधी आवेदनों सहित इन सत्यापन रिपोर्टों पर प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार किया जाना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को संशोधित करने के संबंध में विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी संगठनों और लोगों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय सम्मान पेंशनभोगियों की मूल पेंशन पिछली बार वर्ष 2006 में संशोधित की गई थी। मूल पेंशन के अतिरिक्त, केन्द्रीय सम्मान पेंशनभोगी महंगाई राहत प्राप्त करते हैं, जो प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मे हुई बारह माह की औसत वृद्धि के आधार पर संशोधित की जाती है। दिनांक 01.08.2012 से सम्मान पेंशन प्रति माह 16775/- रुपये है, जिसमें 6,330/- रुपये मूल पेंशन तथा 165% महंगाई राहत (10,445/- रुपये) शामिल है। महंगाई राहत में दिनांक 01.08.2013 से संशोधन किया जाना देय है। वर्तमान में, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में बढ़ोत्तरी किए जाने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति मौजूद है।

सहकारी क्षेत्र का विकास

2922. श्री नरहरि महतो:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री आर. ध्रुवनारायण:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसके विकास के लिए कोई विशिष्ट उपाय किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संविधान संशोधन अधिनियम के अधिनियमन के पश्चात् सहकारिता कानूनों में आवश्यक परिवर्तन लाने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार बहु-राज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम के मौजूदा कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके उद्देश्य क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) भारत सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के प्रोन्नयन तथा विकास के लिए इसे व्यवहार्य, जीवन तथा लोकतांत्रिक संगठन बनाने के लिए तथा स्पर्धात्मक वैश्विक अर्थव्यस्था की चुनौतियों का सामना करने में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के प्रोन्नयन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं इसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाना, बहुराज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 का अधिनियमन, संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 2011 का अधिनियमन तथा देश में अल्प अवधि ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना के पुन: प्रवर्तन के लिए पैकेज का कार्यान्वयन शामिल हैं। 11वीं योजनावधि के दौरान, विकसित/कम विकसित राज्यों में सहकारी रूप से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा कुल निर्गत 20649.87 करोड़ रुपये का लगभग 49% जो 10050. 44 करोड़ रुपये है, वितरित किया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए योजना स्कीम में अलग से बजटीय आवंटन किया जाता है। केन्द्रीय क्षेत्र योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में सरकारी समितियों को क्रमश: 25% तथा 20% की राजसहायता प्रदान की जाती है। 31 मार्च, 2013 तक उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल को क्रमश: 328.72 करोड़ रुपये तथा 1330.30 करोड़ रुपये की समेकित सहायता प्रदान की गई। आगे, भारत सरकार भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के माध्यम से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित विकासशील राज्यों में सहकारी रूप से सहकारी शिक्षा की गहनता के लिए एक विशेष योजना का कार्यान्वयन कर नहीं है। एनसीयूआई द्वारा स्थापित 7 फील्ड परियोजनाएं नामत: एजल (मिजोरम), थोबाल, जोरहाट, कोहिमा, मोरीगांव, शिलांग, सिक्किम, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में चलाई जा रही हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 15 राज्यों नामत: अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 के समान अपने राज्य सहकारी समितियां अधिनियम पहले ही संशोधित कर चुके हैं जबकि 2 राज्यों नामत: महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु ने सके लिए अध्यादेश जारी कर दिया है।

(घ) और (ङ) बहु राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) बिल 2010 लोक सभा में 15 नवम्बर, 2010 को लाया गया। बिल का उद्देश्य बदल रही आर्थिक नीतियों तथा नए एवं उभरते अवसरों से लाभ उठाने के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियों को सुविधाजनक बनाने के साथ विधान का साम्य रखने के लिए बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 के प्रावधानों में संशोधन करना है। ये संशोधन जनता के सहकारिता में विधवास की अभिवृद्धि तथा प्रबंधन की इसके सदस्यों तथा भूमि कानून के प्रति बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करने के अभिप्रेत हैं।

[हिन्दी]

जेएजीडीएस की स्थापना

2923. डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री देवराज सिंह पटेल:
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री प्रेमचन्द गुड्डू:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खोली गई/चल रही जन औषधि जेनरिक ड्रग स्टोर (जेएजीडीएस) की संख्या कितनी है एवं पूरे देश में अभी तक कौन-सी एजेंसियां ये स्टोर चला रही हैं तथा स्थान-वार इनके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) अपने राज्यों में जेएजीडीएस खोलने के लिए अवसंरचना एवं अन्य सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से केन्द्र सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है एवं ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव पर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार का भविष्य में देश के विभिन्न भागों में और जेएजीडीएस खोलने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थान-वार इनके कब तक खोले जाने और कार्यशील बनाए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो आम आदमी के प्रयोग के लिए जेनरिक दवाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) से (ङ) सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक जन औषधि स्टोर खोलने का निर्णय किया है। नई कारबार योजना के अनुसार सरकार सभी के लिए वहनीय मूल्यों पर गुणवत्तायुक्त जेनरिक दवाइयां उपलब्ध करने हेतु देश में पूर्वोतर राज्यों सहित सभी राज्यों में और जन औषधि स्टोर खोलने का प्रयास करेगी। नई कारबार योजना के अनुसार राज्य द्वारा पता लगाए गए अभिकरणों को 2.50 लाख रुपए का प्रारंभिक अनुदान मिलता रहेगा। जहां अन्य को बिक्री लिंक्ड प्रोत्साहन अर्थात 10,000 रुपए की उच्चतम सीमा के अध्यधीन मासिक बिक्री का 10 प्रतिशत मिलेगा, वहां पूर्वोतर और दुर्गम क्षेत्रों के लिए यह सहायता 15,000 रुपए की उच्चतम सीमा के अध्यधीन मासिक बिक्री का 15 प्रतिशत होगी।

विवरण I

अब तक (दिनांक 27.8.2013 की स्थिति के अनुसार) खोले गए जन औषधि बिक्री केन्द्रों की सूची उनकी वर्तमान स्थिति और केन्द्रों के प्रबंध-संचालन के लिए नियुक्त अभिकरणों सहित

क्र.सं.	राज्य	जिला	जेएएस का प्रबंध संचालन करने वाली एजेंसी का नाम
1	2	3	4
1.	पंजाब (24)	अमृतसर	जिला रेड क्रास सोसाएटी
2.		मोहाली	जिला रेड क्रास सोसाएटी
3.		भटिंडा	जिला रेड क्रास सोसाएटी
4.		लुधियाना	रोगी कल्याण समिति
5.		जालंधर	जिला रेड क्रास सोसाएटी
6.		पटियाला	रोगी कल्याण समिति
7.		मोगा	जिला रेड क्रास सोसाएटी
8.		फरीदकोट	जिला रेड क्रास सोसाएटी
9.		फिरोजपुर	जिला रेड क्रास सोसाएटी
10.		मनसा	जिला रेड क्रास सोसाएटी
11.		संगरूर	रोगी कल्याण समिति
12.		बरनाला	जिला रेड क्रास सोसाएटी
13.		फतेहगढ़ साहिब*	जिला रेड क्रास सोसाएटी
14.		रूपनगर (रोपड़)*	जिला रेड क्रास सोसाएटी

1	2	3	4
15.		नवाँशहर (शहीद भगत सिंह नगर)	जिला रेड क्रास सोसाएटी
16.		होशियारपुर	जिला रेड क्रास सोसाएटी
17.		तरणतारण	जिला रेड क्रास सोसाएटी
18.		मुक्तसर	जिला रेड क्रास सोसाएटी
19.		गुरदासपुर	जिला रेड क्रास सोसाएटी
20.		कपूरथला	जिला रेड क्रास सोसाएटी
21.		सिविल अस्पताल पठानकोट	रोगी कल्याण समिति
22.		सिविल अस्पताल अबोहर	रोगी कल्याण समिति
23.		सिविल अस्पताल नाभा जिला, पटियाला	रोगी कल्याण समिति
24.		सिविल अस्पताल जलालाबाद, फिरोजपुर	जिला रेड क्रास सोसाएटी
25.	दिल्ली (4)	शास्त्री भवन, नई दिल्ली	जिला रेड क्रास सोसाएटी
26.		गुरु तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा	केन्द्रीय भण्डार
27.		दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, हरि नगर	केन्दीय भण्डार
28.		दिल्ली ग्राहक सहकारी केन्द्र, मोती नगर	दिल्ली ग्राहक सहकारी समिति
29.	हरियाणा (4)	गुडगांव**	केन्द्रीय भण्डार
30.		पंचकुला	दिल्ली ग्राहक सहकारी समिति
31.		फरीदाबाद**	जिला रेड क्रास सोसाएटी
32.		यमुनानगर**	जिला रेड क्रास सोसाएटी
33.	राजस्थान (53)@	कंवतिया अस्पताल, जयपुर	कार्य नहीं कर रहा है
34.		जयपुरिया अस्पताल, जयपुर	कार्य नहीं कर रहा है
35.		अलवर	कार्य नहीं कर रहा है
36.		सवाई माधोपुर	कार्य नहीं कर रहा है
37.		श्रीगंगानगर-I	कार्य नहीं कर रहा है
38.		श्रीगंगानगर-II	कार्य नहीं कर रहा है
39.		उदयपुर	कार्य नहीं कर रहा है
40.		बांसवाडा	कार्य नहीं कर रहा है
41.		झालावाड	कार्य नहीं कर रहा है
42.		केशवराव पाटन	कार्य नहीं कर रहा है

1	2	3	4
43.		बुन्दी	कार्य नहीं कर रहा है
44.		भवानी मंडी	कार्य नहीं कर रहा है
45.		जालौर	कार्य नहीं कर रहा है
46.		खनपुर (झालावाड)	कार्य नहीं कर रहा है
47.		चुरू	कार्य नहीं कर रहा है
48.		झुनझुनु	कार्य नहीं कर रहा है
49.		राजगढ़ (अलवर)	कार्य नहीं कर रहा है
50.		ब्यावर	कार्य नहीं कर रहा है।
51.		हनुमानगढ़	कार्य नहीं कर रहा है
52.		सुनेल (झालावाड़)	कार्य नहीं कर रहा है
53.		रामपुरा (कोटा-1)	कार्य नहीं कर रहा है
54.		एमबीएम हॉस्पीटल (कोटा-2)	कार्य नहीं कर रहा है
55.		राजसमंद	कार्य नहीं कर रहा है
56.		भीलवाड़ा	कार्य नहीं कर रहा है
57.		पाली	कार्य नहीं कर रहा है
58.		ओंसिया (जोधपुर)	कार्य नहीं कर रहा है
59.		डूंगरपुर	कार्य नहीं कर रहा है
60.		मंडोर, जोधपुर	कार्य नहीं कर रहा है
61.		सागवाडा	कार्य नहीं कर रहा है
62.		टोंक 1	कार्य नहीं कर रहा है
63.		निवाही (टोंक 2)	कार्य नहीं कर रहा है
64.		बीकानेर	कार्य नहीं कर रहा है
65.		प्रतापगढ़	कार्य नहीं कर रहा है
66.		बिजय नगर	कार्य नहीं कर रहा है
67.		बाड़मेर (अजमेर)	कार्य नहीं कर रहा है
68.		दौसा	कार्य नहीं कर रहा है
69.		हनुमानगढ़	कार्य नहीं कर रहा है

1	2	3	4
70.		भरतपुर	कार्य नहीं कर रहा है
71.		मालपुरा (टोंक)	कार्य नहीं कर रहा है
72.		लालसूत	कार्य नहीं कर रहा है
73.		सीरोही	कार्य नहीं कर रहा है
74.		सिकर-1	कार्य नहीं कर रहा है
75.		सिकर-2	कार्य नहीं कर रहा है
76.		बंदी कुई	कार्य नहीं कर रहा है
77.		मेडिकल कॉलेज, कोटा-3	कार्य नहीं कर रहा है
78.		नीम का थाना	कार्य नहीं कर रहा है
79.		जेसलमेर	कार्य नहीं कर रहा है
80.		सुजात सिटी-1	कार्य नहीं कर रहा है
81.		सुजता सिटी-2	कार्य नहीं कर रहा है
82.		अजमेर	कार्य नहीं कर रहा है
83.		भिंडर	कार्य नहीं कर रहा है
84.		धोलपुर	कार्य नहीं कर रहा है
85.		बारन	कार्य नहीं कर रहा है
86.	आंध्र प्रदेश (3)	विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल,	कार्य नहीं कर रहा है
87.		निजाम्स; इंस्टीटयूट ऑफ मेडीकल सांइ्सिस, (एनआईएमएस) हैदराबाद**	कार्य नहीं कर रहा है
88.		उप्पल इंडस्ट्रीयल एम्पलाइज हेल्थ केयर सेन्टर, उप्प्ल**	विशाखापट्नम पोर्ट ट्रस्ट
89.	ओडिशा (21)	केपीटल अस्पताल, भुवनेश्वर	रेड क्रॉस सोसाएटी
90.		रेड क्रॉस भवन, यूनिट-IX, भुवनेश्वर	रेड क्रॉस सोसाएटी
91.		जिला मुख्यालय अस्पताल, खोरधा	जिला रेड क्रास सोसाएटी
92.		जिला मुख्यालय अस्पताल, धेनकनाल	जिला रेड क्रास सोसाएटी
93.		जिला मुख्यालय अस्पताल, कोरापुट	जिला रेड क्रास सोसाएटी
94.		जिला मुख्यालय अस्पताल, अंगुल	जिला रेड क्रास सोसाएटी
95.		जिला मुख्यालय अस्पताल, नवरंगपुर	जिला रेड क्रास सोसाएटी

1	2	3	4
96.		जिला मुख्यालय अस्पताल, बाड़ागढ़	जिला रेड क्रास सोसाएटी
97.		जिला मुख्यालय अस्पताल, नयागढ़	जिला रेड क्रास सोसाएटी
98.		जिला मुख्यालय अस्पताल, बहरामपुर	जिला रेड क्रास सोसाएटी
99.		जिला मुख्यालय अस्पताल, जजपुर	जिला रेड क्रास सोसाएटी
100.		जिला मुख्यालय अस्पताल, पुरी	जिला रेड क्रास सोसाएटी
101.		जिला मुख्यालय अस्पताल, नौपदा	जिला रेड क्रास सोसाएटी
102.		जिला मुख्यालय अस्पताल, बारीपदा मयूरभंज	जिला रेड क्रास सोसाएटी
103.		जिला मुख्यालय अस्पताल, बालासौर	जिला रेड क्रास सोसाएटी
104.		जिला मुख्यालय अस्पताल, जेपोर	जिला रेड क्रास सोसाएटी
105.		जिला मुख्यालय अस्पताल, भवानीपटना	जिला रेड क्रास सोसाएटी
106.		जिला मुख्यालय अस्पताल, फुलबानी	जिला रेड क्रास सोसाएटी
107.		जिला मुख्यालय अस्पताल, भद्रक	जिला रेड क्रास सोसाएटी
108.		जिला मुख्यालय अस्पताल, क्योंझर	जिला रेड क्रास सोसाएटी
109.		जिला मुख्यालय अस्पताल, मलकानगिरि	जिला रेड क्रास सोसाएटी
110.	पश्चिम बंगाल (3)	एम.आर. बांगर अस्पताल, कोलकाता #	जिला रेड क्रास सोसाएटी
111.		एन.आर.एस. मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल, कोलकाता#	जिला रेड क्रास सोसाएटी
112.		हावडा जिला अस्पताल, हावड़ा#	जिला रेड क्रास सोसाएटी
113.	उत्तराखंड (5)	दून अस्पताल, देहरादून	जिला रेड क्रास सोसाएटी
114.		रूड़की***	कार्य नहीं कर रहा है
115.		ऋषिकेश	चिकित्सा प्रबंधन समिति
116.		विकास नगर	चिकित्सा प्रबंधन समिति
117.		साहसपुर	चिकित्सा प्रबंधन समिति
118.	चंडीगढ़ (3)	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.
119.		गर्वरनमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सेक्टर 32	रेड क्रास सोसाएटी
120.		मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल, सेक्टर 16	रेड क्रास सोसाएटी
121.	जम्मू और कश्मीर (3)	रेड क्रास बिल्डिंग, एक्सचेंज रोड, श्रीनगर	रेड क्रास सोसाएटी
122.		जिला अस्पताल, लेह	रेड क्रास सोसाएटी

1	2	3	4
123.		एमएमएबी अस्पताल, अनंतनाग	रेड क्रास सोसाएटी
124.	हिमाचल प्रदेश (10)	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला	रोगी कल्याण समिति
125.		जोनल अस्पताल, मंडी	रोगी कल्याण समिति
126.		सिविल अस्पताल, उना	रोगी कल्याण समिति
127.		जोनल अस्पताल, टांडा	रोगी कल्याण समिति
128.		जोनल अस्पताल, धर्मशाला	रोगी कल्याण समिति
129.		सिविल अस्पताल, सोलन	रोगी कल्याण समिति
130.		रिजनल अस्पताल, चम्बा	रोगी कल्याण समिति
131.		दीन दयाल उपाध्याय जोनल हॉस्पीटल, शिमला	रोगी कल्याण समिति
132.		क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर	रोगी कल्याण समिति
133.		जोनल अस्पताल कुल्लू	रोगी कल्याण समिति
134.	झारखंड (24)	जिला अस्पताल साहिबगंज	जिला अस्पताल प्रबंधन
135.		जिला अस्पताल लातेहार	जिला अस्पताल प्रबंधन
136.		जिला अस्पताल जामतारा	जिला अस्पताल प्रबंधन
137.		झारखंड, आरआईआईएमएस रांची	जिला अस्पताल प्रबंधन
138.		जिला अस्पताल, सिमडेगा	जिला अस्पताल प्रबंधन
139.		जिला अस्पताल, गुमला	जिला अस्पताल प्रबंधन
140.		जिला अस्पताल, चतरा	जिला अस्पताल प्रबंधन
141.		जिला अस्पताल, गोड्डा	जिला अस्पताल प्रबंधन
142.		जिला अस्पताल, रॉची	जिला अस्पताल प्रबंधन
143.		जिला अस्पताल, धनबाद	जिला अस्पताल प्रबंधन
144.		जिला अस्पताल, बोकारो	जिला अस्पताल प्रबंधन
145.		जिला अस्पताल, सराईकेला	जिला अस्पताल प्रबंधन
146.		जिला अस्पताल, दुमका	जिला अस्पताल प्रबंधन
147.		जिला अस्पताल, लोहरदगा	जिला अस्पताल प्रबंधन
148.		जिला अस्पताल, चाईबासा	जिला अस्पताल प्रबंधन
149.		जिला अस्पताल, गिरिडीह	जिला अस्पताल प्रबंधन
150.		जिला अस्पताल, खुटी	जिला अस्पताल प्रबंधन
151.		जिला अस्पताल, रामगढ़	जिला अस्पताल प्रबंधन

1	2	3	4
152.		जिला अस्पताल, पलामु	जिला अस्पताल प्रबंधन
153.		जिला अस्पताल, देवघर	जिला अस्पताल प्रबंधन
154.		जिला अस्पताल, हजारी बाग	जिला अस्पताल प्रबंधन
155.		जिला अस्पताल पाकुड़	जिला अस्पताल प्रबंधन
156.		जिला अस्पताल, गढवा	जिला अस्पताल प्रबंधन
157.		जिला अस्पताल, कोडरमा	जिला अस्पताल प्रबंधन

* प्रशासनिक कारणों से फतेहगढ़ साहिब तथा रूपनगर स्थित 02 जन औषधि बिक्री केन्द्र कार्य नहीं कर रहे हैं।

** हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और यमुनानगर में 03 जन औषधि बिक्री केन्द्र तथा एनआईएमएस, उष्पल, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित जन औषधि बिक्री केन्द्र और

*** उत्तराखंड में रूड़की स्थिति जन औषधि बिक्री केन्द्र प्रशासनिक कारणों से स्थायी रूप से कार्य नहीं कर रहा है।

@ राजस्थान के मामले में राजस्थान सरकार की नवीनतम स्वास्थ्य नीति के अनुसार दिनांक 02 अक्तूबर, 2011 से उपचार के लिए राज्य के सरकारी अस्पतालों में आने वाले सभी अंतरंग रोगियों तथा बहिरंग रोगियों को नि:शुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। तदनुसार, दवाइयों के लिए नि:शुल्क वितरण केन्द्रों के लिए नए बिक्री केन्द्र खोलने के अलावा सरकार ने राज्य में मौजूदा सभी 53 जन औषधि बिक्री केन्द्रों को नि:शुल्क वितरण केन्द्रों में बदल दिया है। राज्य में जन औषधि बिक्री केन्द्रों के संचालन से संबंधित मामले को प्रबंध निदेशक, राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, राजस्थान सरकार के साथ उठाया गया है।

पश्चिम बंगाल के मामले में प्रचालन अभिकरणों से प्राप्त हुए नवीनतम संदेश के अनुसार राज्य सरकार ने उन्हें वहां जन औषधि बिक्री को बंद करने का निदेश दिया है और वे ऐसे बिक्री केन्द्रों से दवाओं की बिक्री करने के लिए उचित मूल्य स्टोर चलाने पर विचार कर रहे हैं।

विवरण II

जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने और जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का उन पर की गई कार्रवाई

राज्य	स्थिति
1	2
अरुणाचल प्रदेश	भारतीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो (बीपीपीआई) के दिनांक 18.6.2013 के प्रस्ताव के उत्तर में उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट ने अपने दिनांक 27.9.2012 के पत्र के तहत खोंसा जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दयोमाली में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने की रूचि अभिव्यक्त की। बीपीपीआई ने दिनांक 12.10.2012 को उत्तर दिया जिसमें राज्य सरकार से यह अनुरोध किया कि वह राज्य के सभी जिलों में मुफ्त जगह आवंटित करके और बिक्री के प्रबंध संचालन के लिए एजेंसी का चयन करके बिक्री केन्द्र खोलने के लिए कदम उठाएं। दिनांक 17.5.2013 के पत्र के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य अस्पताल और सभी 19 जिला अस्पतालों में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने और उनका प्रबंध संचालन करने के लिए जगह आवंटित करने के प्रति अपनी इच्छा जाहिर की। यह बताया गया कि वे बिक्री केन्द्रों के लिए मुफ्त जगह तथा अभिकरणों का पता लगाने के संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। बीपीपीआई ने दिनांक 20.5.2013 को सभी ब्यौरे और पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के साथ उत्तर दिया और यह भी अनुरोध किया कि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए समय सीमा के बारे में सूचित किया जाए। राज्य सरकार से कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
मिजोरम	बीपीपीआई के प्रस्ताव पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त एक सकारात्मक अनुक्रिया के अलावा मिजोरम राज्य में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए दिनांक 24.1.2013 को आईजोल

1	2
	में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ एक बैठक की गई थी। राज्य सरकार ने राज्य में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए अत्यधिक रूचि दर्शाई। बाद में ब्रिकी केन्द्र खोलने से पूर्व हस्ताक्षर किया जाना वाला प्रारूप समझौता ज्ञापन दिनांक 28.1.2013 को भेजा गया। दिनांक 8.4.2013 को दिए गए अनुस्मारक के बावजूद कोई और उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
सिक्किम	बीपीपीआई के दिनांक 18.6.2012 के प्रस्ताव के उत्तर में स्वास्थ्य देखभाल, मानव सेवाएं और परिवार कल्याण विभाग ने जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए अपनी रूचि दर्शाई है और बीपीपीआई के साथ एक बैठक करने का अनुरोध किया है।
त्रिपुरा	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 18.6.2012 के पत्र के तहत त्रिपुरा राज्य में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए गए प्रस्ताव के उत्तर में स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय ने अपने दिनांक 11.4.2013 के पत्र के द्वारा त्रिपुरा के कुछ भागों में प्रायोगिक आधार पर बिक्री केन्द्र खोलने के लिए अपनी रूचि सूचित की है। बीपीपीआई ने इस प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 5.7.2013 को अगरतला में त्रिपुरा सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा की। राज्य सरकार की स्वास्थ्य नीति में रोगियों को मुफ्त दवाएं वितरित करने की व्यवस्था है लेकिन सरकार समस्त जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है और उसने बकाया आवश्यकता को जन औषधि बिक्री केन्द्रों से दवाओं की खरीद करके पूरा करने का प्रस्ताव किया। विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय किया गया कि त्रिपुरा सरकार जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने से संबंधित निर्णय के बारे में इस पर आतंरिक रूप से चर्चा करने के बाद सूचित करेगी।
जम्मू और कश्मीर	वर्तमान में, राज्य में श्रीनगर, अंनतनाग और लेह में तीन जन औषधि बिक्री केन्द्र कार्य कर रहे हैं। हाल की में, राज्य में 25 जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए भारतीय रेड क्रास सोसाएटी, जम्मू व कश्मीर राज्य ब्रांच से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उसमें इन केन्द्रों के लिए धन देने का अनुरोध भी किया गया है। यह अनुरोध किया गया है कि अनुदान की रकम को जम्मू व कश्मीर के मामले में 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए किया जाए। बीपीपीआई ने दिनांक 2.8.2013 के पत्र द्वारा रेड क्रास सोसाएटी को उत्तर भेजा है जिसकी प्रति जम्मू और कश्मीर सरकार के स्वास्थ्य विभाग को भेजी है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा जगह और ऐसे अभिकरणों पता लगाने जो बिक्री केन्द्र को चलाएगा और चिकित्सा शिक्षा विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार, भारतीय रेड क्रास सोसाएटी और बीपीपीआई के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद दी जा सकती है। प्रारूप समझौता ज्ञापन भी भेज दिया गया है।
छत्तीसगढ़	स्वास्थ्य सेवाएं, निदेशालय, छत्तीसगढ़ ने अपने दिनांक 7.7.2013 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि राज्य सरकार ने राज्य के 27 जिलों में से 17 जिलों में रेड क्रास सोसाएटी द्वारा सभी जिला अस्पतालों में संचालित जेनरिक औषधि बिक्री केन्द्रों को चलाने के लिए एक नीति बनाई है और रेड क्रास सोसाएटी के जरिए छतीसगढ़ के शेष 10 जिला अस्पतालों में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया है। बीपीपीआई ने अपने दिनांक 28.5.2013 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि इस संबंध में, सभी औपचारिकताओं/दिशा निर्देशों का पालन किया जाए।
तमिलनाडु	बीपीपीआई ने ट्रिपलीकेन अर्बन कोऑपरेटिव सोसाएटी, कामधेनु द्वारा संचालित 191 फार्मेसियो के जरिए जेनरिक ब्रांडरहित दवाइयां बेचने के अपने प्रस्ताव के संबंध में दिनांक 16.5.2012 को तमिलनाडु सरकार के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद, दिनांक 5.6.2012 को हस्ताक्षर करने के लिए एक प्रारूप समझौता ज्ञापन भेजा गया था, जिसके बाद दिनांक 17.10.2012 और दिनांक 10.4.2013 को पत्र भेजे गए।

1	2
उत्तर प्रदेश	एसएस अस्पताल, बनारस हिंदू विश्व विद्यालय के परिसर में जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और आवश्यक औपचारिकताओं/दिशा-निर्देशों को पूरा किया जा रहा है।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान और निकोबार प्रशासन ने जन औषधि बिक्री केन्द्र खोलने के लिए रूचि दर्शायी है और अनुपालन की जाने वाली औपचारिकताओं और दिशा-निर्देशों पर चर्चा की जा रही है।

[अनुवाद]

मुक्त बाजार बिक्री योजना

2924. श्री हरीश चौधरी:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कमी और संरक्षण पर व्यय के कारण मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के क्रियान्वयन में हुई देरी से अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ओएमएसएस के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और इसके परिणाम क्या रहे?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं। खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के कार्यान्वयन में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2013-14 के दौरान खुला बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत थोक उपभोक्ताओं/छोटे निजी व्यापारियों को निविदा बिक्री हेतु 95 लाख टन गेहूं आबंटित किया गया। इसी प्रकार खुला बाजार बिक्री योजना खुदरा स्कीम के अंतर्गत खुदरा उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/सहकारी समितियों को आबंटन के लिए 5 लाख टन चावल और 5 लाख टन गेहूं अनुमोदित किया गया है। इन आबंटनों में से किए गए उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के अंतर्गत गेहूं और चावल की बिक्री

दिनांक 19.08.2013 की स्थिति के अनुसार
(आंकड़े टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गेहूं								चावल	
	थोक		खुदरा		छोटे व्यापारी		जोड़		खुदरा	
	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान	आवंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिहार	0.00	0.00	1000.00	0.00	10000.00	0.00	11000.00	0.00	1000.00	0.00
झारखंड	0.00	0.00	2000.00	0.00	10000.00	0.00	12000.00	0.00	9000.00	0.00
ओडिशा	0.00	0.00	500.00	0.00	10009.00	9.00	10509.00	9.00	1000.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	25000.00	0.00	10009.00	9.00	35009.00	9.00	1000.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00	500.00	0.00	2500.00	0.00	3000.00	0.00	2000.00	0.00
असम	0.00	6762.60	75000.00	0.00	2500.00	0.00	77500.00	6762.60	2000.00	0.00
अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	500.00	0.00	2500.00	0.00	3000.00	0.00	1000.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	500.00	0.00	2500.00	0.00	3000.00	0.00	1000.00	0.00
मणिपुर	0.00	0.00	500.00	0.00	2500.00	0.00	3000.00	0.00	1000.00	0.00
नागालैंड	0.00	0.00	5000.00	0.00	2500.00	0.00	7500.00	0.00	1000.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00	5000.00	0.00	2500.00	0.00	7500.00	0.00	40000.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00	1000.00	0.00	2500.00	0.00	3500.00	0.00	10000.00	0.00
दिल्ली	0.00	12373.08	160000.00	32.16	10837.00	360.00	170837.00	12765.24	1000.00	0.00
हरियाणा	107750.00	2270.00	500.00	0.00	10000.00	0.00	118250.00	2270.00	1000.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	5000.00	0.00	2500.00	0.00	7500.00	0.00	5000.00	0.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	6092.93	500.00	0.00	14905.00	4428.00	15405.00	10520.93	1000.00	0.00
पंजाब	169450.00	1862.19	500.00	0.00	10027.00	9.00	179977.00	1871.19	1000.00	0.00
चंढीगढ़	0.00	0.00	500.00	0.00	10009.00	0.00	10509.00	0.00	1000.00	0.00
राजस्थान	0.00	0.00	60000.00	0.00	10090.00	90.00	70090.00	90.00	2000.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	500.00	0.00	10000.00	0.00	10500.00	0.00	1000.00	0.00
उत्तराखंड	0.00	0.00	500.00	0.00	10000.00	0.00	10500.00	0.00	1000.00	0.00
आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	1000.00	0.00	10000.00	0.00	11000.00	0.00	2000.00	0.00
केरल	0.00	1100.00	500.00	0.00	10612.00	162.00	11112.00	1262.00	20000.00	0.00
कर्नाटक	0.00	1518.00	500.00	0.00	10694.00	293.00	11194.00	1811.00	1000.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	2734.60	500.00	0.00	12039.00	461.00	12539.00	3195.60	75000.00	0.00
पुदुचेरी	0.00	197.93	1000.00	0.00	2788.00	0.00	3788.00	197.93	2000.00	0.00
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	1000.00	0.00	2500.00	0.00	3500.00	0.00	2000.00	0.00
लक्षद्वीप	0.00	0.00	500.00	0.00	2500.00	0.00	3000.00	0.00	1000.00	0.00
गुजरात	0.00	0.00	30000.00	0.00	10072.00	36.00	40072.00	36.00	1000.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
महाराष्ट्र	0.00	1257.18	5000.00	0.00	11232.00	1692.27	16232.00	2949.45	2000.00	0.00
गोवा	0.00	1527.74	500.00	0.00	12647.00	0.00	13147.00	1527.74	1000.00	0.00
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	500.00	0.00	10000.00	0.00	10500.00	0.00	1000.00	0.00
छत्तीसगढ़	0.00	0.00	500.00	0.00	10000.00	0.00	10500.00	0.00	1000.00	0.00
दमन और द्वीव	0.00	0.00	500.00	0.00	2500.00	0.00	3000.00	0.00	1000.00	0.00
दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	500.00	0.00	2500.00	0.00	3000.00	0.00	1000.00	0.00
जोड़	277200.00	37696.25	387000.00	32.16	258470.00	7549.27	922670.00	45277.68	195000.00	0.00

निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा

2925. श्री एम.बी. राजेश:
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री पी.आर. नटराजन:
श्री जगदानंद सिंह:
श्री इज्यराज सिंह:
श्री एस.एस. रामासुब्बू:
श्री कीर्ति आजाद:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निःशक्त बच्चे/व्यक्ति देश में बेहतर शिक्षा से वंचित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं देश में निःशक्त और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास और नियोजन के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार निःशक्त बच्चों की शिक्षा को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जगह मानव संसाध न विकास मंत्रालय के अधीन लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस दिशा में अभी तक क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) और (ख) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों सहित विकलांग बच्चों/व्यक्तियों को विभिन्न अवसर उपलब्ध करवाने के लिए योजनाओं का ब्यौरा तथा सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) और (घ) इस समय सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), जो बच्चों हेतु निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक मुख्य साधन है, अनन्य शिक्षा उपब्ध करवा रहा है जहां ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष जरूरते होती हैं, उन्हें नियमित स्कूलों में मुख्य धारा उपलब्ध करवा रहा है जहां ऐसे बच्चे जिन्हें विशेष जरूरते होती हैं, उन्हें नियमित स्कूलों में मुख्य धारा में जोड़ा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत, मार्च, 2013 तक 32 लाख से अधिक सीडब्ल्यूएसएन की पहचान की गयी है। इसमें से 85 प्रतिशत से अधिक का नाम दर्ज किया गया है तथा 1.5 लाख का गृह आधारित शिक्षा में नामदर्ज किया गया है तथा कार्यक्रम के आरम्भ होने से सर्व शिक्षा अभियान के तहत 28 लाख यंत्र और उपकरण वितरित किए गए हैं।

जबकि बड़ी संख्या में विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा के भाग के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के तहत भरती किया गया है, राज्य सरकारें भी विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों का संचालन कर रही हैं। दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत विशेष स्कूलों की स्थापना करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रहा है।

सरकार का दृष्टिकोण समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना जारी रखना है, परन्तु विशेष शिक्षा ऐसे लोगों को भी उपलब्ध करायी जाती है, जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है।

विवरण

सरकार द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों/बच्चों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम/योजनाएं

बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया है। आरटीई अधिनियम में नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 तथा ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में यथा उल्लिखित विकलांगता नामत: (i) दृष्टिविहीनता, (ii) निम्नदृष्टि, (iii) कुष्ठ रोग उपचारित, (iv) श्रवण बाधिता, (v) चलन विकलांगता, (vi) मानसिक मंदता, (vii) मानसिक रोग, (viii) ऑटिज्म और (ix) प्रमस्तिष्क अंगघात तथा अंतत: वाक विकलांगता, शिक्षण विकलांगता, इत्यादि वाले बच्चों सहित 6-14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर पड़ोस के किसी विद्यालय में नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। भारत सरकार 6-14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए मुख्य कार्यक्रम के रूप में सर्वशिक्षा अभियान कार्यान्वित कर रही है।

एसएसए में बजटीय अथवा वित्त-पोषण मानदंड के रूप में प्रत्येक वर्ष 3000 रुपये प्रति बच्चा तक प्रावधान है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु मुख्य हस्तक्षेपों में पहचान, कार्यात्मक और औपचारिक मूल्यांन, उपयुक्त शैक्षिक प्लेसमेंट, व्यक्तिगत शिक्षा योजना की तैयारी, यंत्र और उपकरणों का प्रावधान, शिक्षक, प्रशिक्षण, संसाधन शिक्षकों की नियुक्ति, विकलांग बच्चों के लिए समर्थन प्रदान करने हेतु अनुसंधान कक्ष स्थापित थिरैपी समर्थन, रैम्पों और हैंड रेलों इत्यादि का प्रावधान शामिल हैं।

माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा की योजना (आईईडीएसएस) को विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की पूर्व योजना को प्रतिस्थापित करते हुए 2009-10 में प्रारंभ किया गया था। इसमें कक्षा-IX-XII में विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा हेतु सहायता की व्यवस्था है। इस योजना का उद्देश्य सभी विकलांग विद्यार्थियों को, आठ वर्ष की प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात्, अगली चार वर्ष की माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा (कक्षा IX-XII) एक समावेशी और अनुकूल वातावरण में प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाना है। इस योजना में प्राथमिक विद्यालयों से पास होने वाले तथा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले सरकारी, स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 और ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत यथा परिभाषित एक अथवा एक से अधिक विकलांगता वाले सभी बच्चे शामिल किए गए हैं।

योजना के संघटकों में (i) चिकित्सा/शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, (ii) विद्यार्थी विशिष्ट सुविधाओं का प्रावधान, (iii) सीखने की सामग्री का विकास, (iv) विशेष शिक्षाविदों जैसी अनुसमर्थन सेवाएं, (v) संसाधन कक्षों का निर्माण और उनकी सुसज्जा, (vi) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य विद्यालय के अध्यापकों की क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण और (vii) विद्यालयों को बाधारहित बनाना शामिल हैं। प्रत्येक राज्य में मॉडल समावेशी विद्यालय स्थापित करने की भी परिकल्पना की गई है। विकलांग व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है और इस योजना के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय में उनकी पहुंच कराने में सहायता के लिए तथा उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए सूचना और मार्गदर्शन भी प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। विकलांग बालिकाओं के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से वजीफे का प्रावधान है।

इस योजना में शामिल सभी मदों के लिए केन्द्रीय सहायता 100% आधार पर है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के विद्यालय शिक्षा विभाग कार्यान्वयन एजेंसी हैं। वे इस योजना का कार्यान्वयन में विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों को शामिल कर सकते हैं।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना जिसे विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण हेतु न्यास निधि से वित्त पोषित किया जाता है, के अंतर्गत विकलांग विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यवसायिक अथवा तकनीकी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त करना जारी रख सकें और रोजगार/स्वरोजगार प्राप्त कर सकें। इस योजना के अंतर्गत विगत शैक्षिक सत्र तक समस्त देश में विकलांग विद्यार्थियों के लिए 1000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थीं और शैक्षिक सत्र 2013-14 से इस संख्या को बढ़ाकर 15,00 विद्यार्थी किया गया है। 30% छात्रवृत्तियां बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। केवल भारत के नागरिक ही इन छात्रवृत्तियों के लिए पात्र हैं।

राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति निधि (राष्ट्रीय निधि) के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली 500 नई छात्रवृत्तियां विकलांगताओं की 4 प्रमुख श्रेणियों यथा (i) अस्थि विकलांगता, (ii) दृष्टिबाधितार्थ, (iii) श्रवण बाधितार्थ और (iv) अन्य के लिए समान रूप से संवितरित (125 प्रत्येक) हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी में छात्रवृत्तियों का 40% बालिकाओं के लिए आरक्षित है।

विकलांग विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना उन्हें एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रमों में शिक्षा को जारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आरंभ की गई है।

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदी) पीडब्ल्यूडी) अधिनियम 1995 की धारा 33 में विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकारी संस्थापनों में रिक्तियों का कम से कम 3% आरक्षण हेतु प्रावधान है, जिनमें से 1% प्रत्येक (i) दृष्टि बाधित अथवा निम्न दृष्टि; (ii) श्रवण बाधित और (iii) चलन विकलांगता अथवा प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगी। तद्नुसार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) सहित विभिन्न सरकारी संस्थापनों में आरक्षण हैं।

इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के नियोजन को प्रोत्साहित करने के मद्देनजर, सरकार शारीरिक रूप से विकलांग व्यतियों के नियोजन हेतु निजी क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन की अपनी योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये प्रति माह वेतन पाने वाले निजी क्षेत्र में 1.4.2008 अथवा इसके पश्चात नियुक्त दृष्टि बाधित व्यक्तियों सहित विकलांगताग्रस्त कर्मचारियों के लिए तीन वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) हेतु नियोक्ता का अंशदान प्रदान करती है।

इस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, राष्ट्रीय विकलांग और वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) विकलांग व्यक्त्यिों के स्व-नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान कर रहा है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों सहित ग्रामीण परिवार वयस्कों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत, भिन्न रूप से विकलांग श्रेणी के लिए कुल लाभार्थियों के 3% का प्रावधान किया गया है।

फर्जी मुठभेड़ों संबंधी आयोग

2926. श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री पी. लिंगम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति एन. संतोष हेगड़े की अध्यक्षता वाले आयोग के निष्कर्षों के बारे में जानकारी है जिसमें मणिपुर में छह घटनाओं में मरे सात लोग फर्जी मुठभेड़ों के ही परिणाम थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी उक्त आयोग के निष्कर्षों के दृष्टिगत राज्य की सभी मुठभेड़ की घटनाओं की पूर्ण जांच की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) विगत में राज्य पुलिस एवं सुरक्षा बलों द्वारा मणिपुर में न्याय के रास्ते से हट कर की गई हत्याओं के आरोप में उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई जनहित याचिका (पीआईएल) अर्था, 2012 की रिट याचिका (दांडिक) संख्या 129 के परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 04.1.2013 के अपने आदेश के द्वारा मणिपुर में कथित फर्जी मुठभेड़ों के छह मामलों की जांच करने के लिए जस्टिस एन. संतोष हेगड़े की अध्यक्षता में एक तीन-सदस्यीय आयोग का गठन किया। आयोग ने दिनांक 1.4.2013 को उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर दिखाई देने वाले दिनांक 8.4.2013 की टिप्पणी के अनुसार आयोग ने यह पाया है कि उनके द्वारा जांच किए गए सभी छह मामलों में फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग फर्जी मुठभेड़ों की सभी शिकायतों पर जांच करने के लिए राज्य सरकारों को रुटीन के रूप में निर्देश देता है। लेकिन उसने जस्टिस हेगड़े आयोग के निष्कर्ष के मद्देनजर किसी जांच की मांग नहीं की है।

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चीनी पर राजसहायता

2927. श्री सुदर्शन भगत:
श्री पी. लिंगम:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री हरिभाऊ जावले:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी के क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त करने से उपभोक्ताओं और किसानों को कितना लाभ होने की संभावना है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने नई नीति के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की खरीद हेतु राज्यों को केवल 18.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से राजसहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने यह अभ्यावेदन दिया है कि उक्त राजसहायता अपर्याप्त है और इसकी गणना वर्तमान खुदरा मूल्य पर की जाए;

(घ) क्या सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और द्वीपों सहित चीनी उत्पादक राज्यों से दूरी के निरपेक्ष सभी राज्यों के लिए 18.50 रुपये प्रति किलों के हिसाब से समान राजसहायता निर्धारित की है; और

(ङ) यदि हां, तो सभी राज्यों के लिए समान राजसहायता निर्धारित करने के क्या कारण हैं और इन राज्यों को वास्तविक खर्चे के अनुसार सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) सरकार ने चीनी मिलों से लेवी चीनी की बाध्यता समाप्त करके तथा चीनी की खुला बाजार बिक्री से संबंधित विनियमित रिलीज तंत्र को समाप्त करके चीनी क्षेत्र को आंशिक रूप से विनियंत्रित किया है। इन उपायों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना, कार्यक्षमता बढ़ाना तथा सतत धारणीय आधार पर चीनी क्षेत्र के विकास का संवर्धन करना है, जो बेहतर मूल्यों के संबंध में उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। इसके अलावा, चीनी क्षेत्र के विनियंत्रण से चीनी मिलों की आर्थिक दशा में सुधार होगा, नकद प्रवाह में वृद्धि होगी, मालसूची की लागत कम होगी तथा इसके परिणामस्वरूप देश में गन्ना किसानों को गन्ने का यथासमय तथा बेहतर भुगतान किया जा सकेगा।

(ख) और (ग) जी हां। नई व्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम के मौजूदा खुदरा मूल्य पर चीनी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से एक पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से खुले बाजार से इसकी खरीद करने का अनुरोध किया गया है। सरकार 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की राजसहायता प्रदान करेगी, जो उनक मौजूदा आबंटनों पर आधारित मात्रा तक सीमित होगी। केन्द्र सरकार को परिवहन तथा वितरण के संबंध में होने वाली अधिक लागतों को पूरा करने के लिए राजसहायता बढ़ाने के संबंध में कुछ राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि जो राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अधिकतम 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम के खुदरा निर्गम मूल्य पर चीनी का वितरण जारी रखेंगे उन्हें वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के लिए 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 32 रुपये प्रति किलोग्रम के सर्वसमावेशी निर्धारित खुदरा मूल्य के अंतर की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस व्यवस्था की समीक्षा दो वर्ष पश्चात की जाएगी।

[हिन्दी]

गन्ना मूल्य निर्धारण नीति

2928. श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:
श्री आर. थामराईसेलवन:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री बद्रीराम जाखड़:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गन्ने की खेती के बढ़ते आदान मूल्यों को ध्यान में रखकर उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारण हेतु मानदंडों/फार्मूला की समीक्षा/संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में आदान लागत, वर्तमान मानदंड और उसमें होने वाले संभावित परिवर्तनों को दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार लम्बी अवधि गन्ना मूल्य निर्धारण नीति लाने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 (1) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करती है। इस प्रकार निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उचित और लाभकारी मूल्य निर्धारित करते समय चीनी के उत्पादन में शामिल आदान लागतों अर्थात चीनी के उत्पादन में नकद तथा वस्तु रूप में किए गए समस्त वास्तविक व्यय अपने स्वामित्व की पूंजीगत परिसंपत्तियों (भूमि को छोड़कर)

पर ब्याज, स्वयं की भूमि के किराए (भू-राजस्व का निवल) तथा भूमि पट्टे पर लेने के लिए भुगतान किए गए किराए तथा पारिवारिक श्रम के परकलित मूल्य (उत्पादन की सी 2 लागत) पर विधिवत विचार किया जाता है। चीनी मौसम 2012-13 के लिए गन्ने के उत्पादन की अनुमानित लागत (असमायोजित सी 2 उत्पादन लागत) का राज्यवार विवरण संलग्न है। तथापि, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की लागत अवधारणाओं सहित इसकी विधियों से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए डॉ. रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

(ग) और (घ) चीनी क्षेत्र के विनियमन के संबंध में डॉ. सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा यह सिफारिश की है कि गन्ना मूल्य श्रृंखला में अर्जित राजस्व/मूल्य का बंटवारा गन्ना किसानों तथा मिल मालिकों के बीच निष्पक्ष और एकसमान रूप किया जाना चाहिए। सरकार ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया है और निर्णय लिया है कि समिति की राजस्व बंटवारा फार्मूला अपनाने से संबंधित सिफारिश को अपनाने तथा कार्यान्वित करने का निर्णय राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जैसा वे उचित समझें।

विवरण

चीनी मौसम 2012-13 क संबंध में गन्ने के उत्पादन की राज्यवार प्रस्तावित लागत (उत्पादन की असमायोजित सी2 लागत)

(रुपए/क्विंटल)

राज्य	उत्पादन की असमायोजित सी2 लागत
कर्नाटक	114.82
महाराष्ट्र	128.23
उत्तराखंड	106.62
उत्तर प्रदेश	123.84
तमिलनाडु	147.34
हरियाणा	137.34
आंध्र प्रदेश	169.00

स्रोत: गन्ना मूल्य नीति-चीनी मौसम 2012-13 शीर्ष से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट

प्रवासियों को नागरिकता

2929. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री हरिन पाठक:
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री सज्जन वर्मा:
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्री पी.सी. मोहन:
श्री ए.के.एस. विजयन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रह रहे शरणार्थियों की देश-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आंतरिक अशांति के कारण इन देशों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की सूचना है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने देश में नागरिकता/शरणार्थी का दर्जा देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों के नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदनों और ऐसे मामले की देश-वार संख्या क्या है जिनमें नागरिकता प्रदान की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार देश में रह रहे शरणार्थियों की राष्ट्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I पर दी गई है।

(ख) वर्ष 2011 और 2012 के दौरान भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की कुल संख्या क्रमश: 48640 तथा 59846 थी। वर्ष 2011 और 2012 के दौरान भारत आने वाले अफगानी नागरिकों की कुल संख्या क्रमश: 89605 तथा 95231 थी।

(ग) और (घ) दिनांक 01.01.2010 से 20.08.2013 तक इन देशों को जारी किए गए नागरिकता के आवेदन एवं प्रमाणपत्र के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

देश	प्राप्त आवेदन की सं.	जारी नागरिकता प्रमाण पत्र की सं.
पाकिस्तान	950	915
अफगानिस्तान	775	124

(ङ) प्राप्त किए गए राष्ट्र-वार आवेदनों एवं उनके ऊपर जारी की गई नागरिकता की सूची संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

विवरण I

वर्ष 2012 में भारत में पंजीकृत विदेशी शरणार्थियों के राष्ट्र-वार ब्यौरे

क्र.सं.	देश का नाम	पंजीकृत शरणार्थियों की संख्या
1	2	3
1.	अफगानिस्तान	18730
2.	बांग्लादेश	145664
3.	ईरान	69
4.	इराक	12
5.	म्यांमार	3172
6.	पाकिस्तान	47
7.	सोमालिया	98
8.	श्रीलंका	66551
9.	सूडान	5
10.	थाईलैंड	1
11.	वियतनाम	2
12.	राज्यविहीन	108839
	कुल	343190

विवरण II

प्राप्त हुए राष्ट्र-वार आवेदन एवं जारी किए गए नागरिकता प्रमाणपत्र की सूची

क्र.सं.	देश	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी नागरिकता प्रमाण पत्र की संख्या
1	2	3	4	5
1.	पाकिस्तान	2010	346	147
		2011	282	307
		2012	222	355
		2013 (20.08.13 तक)	100	106
2.	अफगानिस्तान	2010	244	09
		2011	421	14
		2012	35	45
		2013 (20.08.13 तक)	75	56
3.	बांग्लादेश	2010	36	16
		2011	41	53
		2012	41	45
		2013 (20.08.13 तक)	20	11
4.	नेपाल	2010	14	3

1	2	3	4	5
		2011	10	6
		2012	9	6
		2013 (20.08.13 तक)	शून्य	02
5.	श्रीलंका	2010	22	8
		2011	32	15
		2012	17	22
		2013 (20.08.13 तक)	01	03
6.	चीन	2010.12	शून्य	शून्य
7.	केन्या	2010.12	शून्य	शून्य
		2013 (20.08.13 तक)	03	03
8.	ईरान	2012	06	05
		2013 (20.08.13 तक)	01	01
9.	मलेशिया	2012	04	03
		2013 (20.08.13 तक)	02	01
10.	जिम्बाबवे	2012	01	01
		2013 (20.08.13 तक)	01	01
11.	आर्मीनियां	2013 (20.08.13 तक)	01	01
12.	तंजानिया	2012	08	06
		2013 (20.08.13 तक)	01	02
13.	यूएसए	2012	15	12
		2013 (20.08.13 तक)	07	01
14.	आस्ट्रेलिया	2012	07	02
		2013 (20.08.13 तक)	01	01
15.	जापान	2012	01	01
		2013 (20.08.13 तक)	01	01
16.	स्विटजरलैंड	2012	01	01
		2013 (20.08.13 तक)	01	01

1	2	3	4	5
17.	सिंगापुर	2012	03	03
		2013 (20.08.13 तक)	शून्य	शून्य
18.	यूगोस्लाविया	2012-2013 (20.08.13 तक)	01	01
19.	दक्षिण अफ्रीका	2012-2013 (20.08.13 तक)	03	02
20.	रूस	2012-2013 (20.08.13 तक)	02	02
21.	फिलीपीन्स	2012-2013 (20.08.13 तक)	03	02
22.	कजाकिस्तान	2012-2013 (20.08.13 तक)	02	02
23..	स्वीडन	2012-2013 (20.08.13 तक)	01	01
24.	नीदरलैंड	2012-2013 (20.08.13 तक)	01	01
25.	इंडोनेशिया	2012-2013 (20.08.13 तक)	02	02
26.	जर्मनी	2012-2013 (20.08.13 तक)	04	04
27.	म्यांमार	2012-2013 (20.08.13 तक)	03	03
28.	जांबिया	2012-2013 (20.08.13 तक)	03	03
29.	कनाडा	2012-2013 (20.08.13 तक)	02	02
30.	इजरायल	2012-2013 (20.08.13 तक)	01	01
31.	मॉरीशस	2012-2013 (20.08.13 तक)	03	03
32.	यूके	2012-2013 (20.08.13 तक)	15	12
33.	यूएई	2012-2013 (20.08.13 तक)	01	01
34.	इराक	2012-2013 (20.08.13 तक)	01	01
35.	स्पेन	2012-2013 (20.08.13 तक)	01	01

निजी जासूसी एजेन्सियां

2930. श्री भूपेन्द्र सिंहः
श्री अशोक कुमार रावतः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में कार्य कर रही निजी जासूसी एजेन्सियों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में निजी जासूसी एजेन्सियों के कार्यकरण और गतिविधियों की निगरानी करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इन निजी जासूसी एजेन्सियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसी शिकायतों की कुल संख्या कितनी है और ऐसी एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या केन्द्र सरकार का निजी जासूसी एजेन्सियों की गतिविधियों को विनियमित करने और इन्हें कानून के दायरे में लाने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) गृह मंत्रालय द्वारा ऐसे रिकार्डों का रख रखाव नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) इस समय, देश में निजी जासूसी एजेंसियों के कार्यकरण को विनियमित करने के लिए कोई केन्द्रीय कानून नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) निजी जासूसी एजेंसियों के कार्य को विनियमित करने के लिए दिनांक 13 अगस्त, 2007 को राज्य सभा में निजी जासूसी एजेंसी (विनियम) विधेयक, 2007 प्रस्तुत किया गया था। विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निजी जासूसी एजेंसियों कानून की सीमा में कार्य करें और वे एक विनियामक तंत्र को जवाबदेह हो। दिनांक 1708.2007 को गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को विधेयक भेजा गया था समिति ने दिनांक 13.02.2009 को संसद के दोनों सदनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने इच्छा व्यक्ति की मंत्रालय समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में विधेयक के प्रावधान पर पुन: विचार कर ले। गृह मंत्रालय में मामले पर पुन: विचार किया जा रहा है और इसलिए, इस समय समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

नि:शक्त बच्चों के लिए विशेष विद्यालय

2931. श्री शिवराम गौडा:
श्री पी.आर. नटराजन:
श्री एम.बी. राजेश:
श्री पी. विश्वनाथन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नि:शक्त बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चल रहे विशेष विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का इन बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सहित देश के विभिन्न भागों में ऐसे और विद्यालयों को खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन विद्यालयो में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इन पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु संस्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) सूचना का रखरखाव केन्द्रीय रूप से नहीं किया जाता है। तथापि, 'दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)' के तहत नि:शक्त छात्रों के लिए विशेष विद्यालयों सहित विभिन्न परियोजनाओं हेतु गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सहायता प्राप्त विशेष विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 9 के अनुसार "नि:शक्तजनों के लिए राहत" राज्य सूची के अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से तत्संबंधी राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

डीडीआरएस के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले विशेष विद्यालय

क्रम सं.	राज्य का नाम	विशेष विद्यालयों की संख्या 2012-13
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	42
2.	बिहार	4
3.	चंडीगढ़	0
4.	छत्तीसगढ़	2
5.	दिल्ली	9
6.	गोवा	1

1	2	3
7.	गुजरात	4
8.	हरियाणा	11
9.	हिमाचल प्रदेश	3
10.	जम्मू और कश्मीर	0
11.	झारखंड	0
12.	कर्नाटक	40
13.	केरल	42
14.	मध्य प्रदेश	14
15.	महाराष्ट्र	15
16.	ओडिशा	30
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
18.	दमन और दीव	0
19.	दादरा और नगर हवेली	0
20.	लक्षदीप	0
21.	पुदुचेरी	0
22.	पंजाब	5
23.	राजस्थान	14
24.	तमिलनाडु	10
25.	उत्तराखंड	3
26.	पश्चिम बंगाल	25
27.	उत्तर प्रदेश	36
28.	असम	4
29.	अरुणाचल प्रदेश	0
30.	मणिपुर	11
31.	मेघालय	3
32.	मिजोरम	1
33.	नागालैंड	0
34.	सिक्किम	0
35.	त्रिपुरा	3
	कुल	332

[हिन्दी]

कोयला उत्पादन

2932. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* **ललन सिंह:**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयला भंडार की लगभग उतनी ही प्रमात्रा का आकलन किया गया है जितनी कि चीन में है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में विश्व कोयला संघ के विचार क्या हैं;

(ग) क्या भारत का कोयला उत्पादन चीन के कोयला उत्पादन की तुलना में कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारत में कोयला उत्पादन में कमी तथा देश में कोयले की मांग को पूरा करने में असफल रहने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोयला नियंत्रण संगठन की 2011-12 की भारतीय कोयला निदेशिका के अनुसार चीन और भारत के प्रमाणित कोयला भण्डारों (लिग्नाइट सहित) का शेयर कुल विश्व कोयला भण्डारो का क्रमशः 13.3% और 7.00% है।

(ग) जी, हां। भारत का कोयला उत्पादन चीन के कोयला उत्पादन से कम है।

(घ) कोयला नियंत्रण संगठन की 2011-12 की भारतीय कोयला निदेशिका के अनुसार 2011 में चीन और भारत का कोयला उत्पादन क्रमशः 3420 मि.ट. और 539 मि.ट. है। 2012-13 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 558 मि.ट. था।

(ङ) देश में कोयले का समग्र उत्पादन वर्तमान अनुमानित मांग से कम है। घरेलू उत्पादन में अड़चन पैदा करने वाले कुछ कारक वन और पर्यावरणीय मंजूरियां प्राप्त करने में विलंब, भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापना और पुनर्वास प्रयासों से सम्बद्ध समस्याओं से संबंधित है। कोयला निकासी रेल अवसंरचना के विकास में विलम्ब तथा कुछ कोयला उत्पादन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की स्थिति से भी कोयला उत्पादन की गति में अड़चने पैदा हुई है।

डीएपी/यूरिया उर्वरकों की मांग

2933. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री मकनसिंह सोलंकी:

श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सहित देशभर में डीएपी और यूरिया की मांग बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किए गए आवंटन का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीएपी और यूरिया, जिनकी देश के किसानों द्वारा मांग की जाती है, की भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) कर्नाटक सहित राज्यों के लिए आयातित यूरिया और डीएपी को प्रदान करने/आवंटित करने में विलंब के राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्र-वार कारण क्या हैं; और

(च) मांग के अनुसार समय पर उक्त उर्वरकों की आपूर्ति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित ठोस कदमों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (च) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में कर्नाटक सहित देश में डीएपी और यूरिया की की मांग (डीएसी द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार), उपलब्धता और बिक्री को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

जैसा कि वर्तमान वर्ष के दौरान खरीफ मौसम 2013 से देखा जा सकता है कि उपलब्धता, वास्तविक बिक्री से अधिक है, इसलिए, कर्नाटक सहित देश में डीएपी और यूरिया की कोई कमी नहीं है। मौजूदा नीतियों के अंतर्गत उर्वरकों की मांग को पूर्णतया पूरा किया जा रहा है। उर्वरक विभाग कर्नाटक राज्य सहित सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में सभी उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठा रहा है:

प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी) द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक राज्य की माह-वार मांग का अनुमान तथा मूल्यांकन किया जाता है।

इसके आधार पर उर्वरक विभाग स्वदेशी उत्पादन और आयात दोनों के जरिए राज्यों को उर्वरकों की अपेक्षित मात्रा का आबंटन करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई कमी न हो तथा वेब आधारित निगरानी प्रणाली अर्थात उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के माध्यम से लगातार इसकी निगरानी की जा रही है।

राज्य सरकारें अपने राज्य सांस्थानिक अभिकरणों, जैसे मार्कफेड इत्यादि, के माध्यम से रेलवे रैक की यथा-समय मांग पत्र प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए उर्वरक उत्पादकों और आयातकर्ताओं के साथ नियमित रूप से समन्वय बनाए रखती हैं।

कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी), उर्वरक विभाग (डीओएफ) तथा रेल मंत्रालय द्वारा राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से नियमित साप्ताहिक विडियो कांफ्रेस की जा जाती है। और राज्य सरकारों द्वारा बताये गए अनुसार उर्वरकों को भेजने के लिए उपचारी कार्रवाई की जाती है।

विवरण

वर्ष 2010-11 से 2013-14 (जुलाई '13 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार, आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े लाख मी.टन में

राज्य	वर्ष	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीके		
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2010-11	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	2011-12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	001	0.01	0.01	0.01	0.01
	2012-13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2013-14	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
आंध्र प्रदेश	2010-11	28.50	30.33	29.95	11.00	10.39	10.36	6.60	6.08	6.04	20.50	22.12	21.88
	2011-12	31.00	29.87	29.34	12.30	10.88	10.39	6.60	4.43	3.82	12.30	25.71	23.58
	2012-13	32.50	29.39	28.51	12.30	6.80	6.48	6.60	3.35	3.14	22.50	18.16	17.59
	2013-14	8.50	8.57	8.36	4.50	1.88	1.51	1.50	0.72	0.56	6.99	3.63	3.00
अरुणाचल प्रदेश	2010-11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.0.1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
असम	2010-11	2.60	2.50	2.50	0.60	0.29	0.27	130	0.96	0.96	0.05	0.11	0.11
	2011-12	3.00	2.68	2.68	0.60	0.37	0.29	1.40	0.94	0.91	0.28	0.07	0.05
	2012-13	3.15	2.62	2.62	0.65	0.38	0.33	1.50	0.61	0.58	0.23	0.06	0.06
	2013-14	0.96	0.86	0.76	0.17	0.12	0.04	0.40	0.38	0.27	0.05	0.02	0.02
बिहार	2010-11	19.50	16.96	16.94	4.75	4.59	4.59	2.30	1.99	1.97	3.35	3.14	3.12
	2011-12	20.75	18.17	18.12	5.00	4.72	4.41	2.45	1.29	1.26	3.75	4.03	3.56
	2012-13	21.50	21.10	21.01	5.00	5.65	5.41	2.30	1.15	1.14	3.65	3.03	3.00
	2013-14	5.70	5.29	5.07	1.80	0.73	0.38	0.65	0.59	0.34	1.40	0.33	0.22
चंडीगढ़	2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
	2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छत्तीसगढ़	2010-11	5.70	5.56	5.54	2.84	2.41	2.41	1.06	0.96	0.94	1.40	1.321	1.32
	2011-12	6.25	6.30	6.30	2.90	2.71	2.59	1.15	0.85	0.83	1.55	2.21	1.97
	2012-13	6.90	7.26	7.06	3.12	2.50	2.33	1.27	0.68	0.66	1.75	1.17	1.04
	2013-14	3.50	3.66	3.56	1.36	1.38	1.25	0.50	0.57	0.33	0.94	0.60	0.54
दादरा और नगर हवेली	2010-11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2013-14	0.01	0.01	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दमन और दीव	2010-11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दिल्ली	2010-11	0.07	0.01	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.07	0.01	0.01	0.05.	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00
	2012-13	0.07	0.02	0.02	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
	2013-14	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
गोवा	2010-11	0.06	0.06	0.06	0..04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.07	0.05
	2011-12	0.07	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.07
	2012-13	0.07	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.08	0.03	0.03
	2013-14	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.00
गुजरात	2010-11	19.50	21.26	21.19	8.40	8.10	8.09	2.30	2.02	2.02	4.83	6.63	6.55
	2011-12	22.75	21.26	21.18	8.80	6.96	6.80	2.30	1.75	1.72	5.10	7.32	7.09
	2012-13	23.75	19.50	19.24	8.80	4.21	3.95	2.00	0.83	0.79	5.55	4.69	4.58
	2013-14	7.45	6.47	6.23	2.40	1.25	0.72	0.48	0.35	0.30	1.84	1.49	1.15
हरियाणा	2010-11	19.65	18.75	18.381	7.20	7.37	7.37	0.70	0.66	0.66	0.5	0.69	0.69
	2011-12	19.75	19.46	19.15	7.20	8.44	8.33	0.75	0.48	0.46	0.85	0.79	0.72
	2012-13	20.00	21.01	20.34	7.20	7.23	6.87	0.75	0.21	0.21	0.98	0.261	0.26
	2013-14	6.60	6.41	5.88	1.80	0.86	0.51	0.18	0.08	0.08	0.20	0.02	0.00
हिमाचल प्रदेश	2010-11	0.64	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.04	0.50	0.41	0.41
	2011-12	0.65	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.53	0.33	0.33
	2012-13	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.क7	0.46	0.1.7	0.17
	2013-14	0.30	032	0.31	0.00	0.00.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.04	0.04
जम्मू और कश्मीर	2010-11	1.50	1.28	1.27	0.85	0.81	0.81	0.36	0.1.9	0.19	0.00	0.00	0.00
	2011-12	1.46	1.20	1.19	0.85	0.60	0.65	0.35	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00
	2012-13	1.46	1.50	1.44	0.85	0.55	0.50	0.35	0.18	0.16	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2013-14	0.55	0.49	0.44	0.29	0.21	0.21	0.05	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00
झारखंड	2010-11	21.0	1.36	1.36	1.10	0.55	0.65	0.15	0.08	0.06	0.85	0.36	0.36
	2011-12	2.60	2.09	2.16	1.25	0.71	0.68	0.34	0.06	0.06	1.08	0.52.	0.47
	2012-13	2.70	1.98	1.98	1.25	0.54	0.54	0.35	0.03	0.03	1.291	0.26	0.26
	2013-14	1.15	0.72	0.69	0.37	0.15	0.08	0.10	0.03	0.00	0.28	0.10	0.08
कर्नाटक	2010-11	14.00	14.28	14.28	8.60	8.45	8.43	5.65	4.23	4.14	11.20	1.3.78	13.51
	2011-12	1.4.60	14.53	14.45	8.75	9.39	9.07	5.65	3.82	3.64	13.10	17.33	16.40
	2012-13	15.00	14.64	14.46	8.90	4.19	4.04	5.65	2.76	2.67	14.40	9.67	9.40
	2013-14	4.38	4.95	4.77	3.45	2.25	1.87	1.78	1.06	0.88	4.31	3.49	2.98
केरल	2010-11	1.90	1.44	1.44	0.35	0.42	0.41	1.55	1.58	1.56	2.50	2.28	2.22
	2011-12	1.90	1.50	1.49	0.47	0.44	0.41	1.80	1.51	1.42	2.55	2.20	2.00
	2012-13	2.05	1.36	1.36	0.45	0.30	0.25	1.94	0.89	0.88	2.51	1.61	1.53
	2013-14	0.73	051	0.49	0.14	0.14	0.09	0.70श	0.32	0.29	0.90	0491	0.37
लक्षद्वीप	2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00.	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	2010-11	16.75	17.05	16.92	10.00	10.92	10.92	1.45	1.35	1.33	3.69	3.55	3.52
	2011-12	1750	13.17	17.86	10.95	11.00	10.57	1.65	0.93	0.75	4.05	0..32	4.67
	2012-13	18.50	19.18	18.91	11.50	11..74	11.07	1.40	0.86	0.85	4.34	2.51.	2.33
	2013-14	4.58	6.00	5.57	3.53	255	1.81	0.77	0.37	0.20	1.52	0.80	0.57
महाराष्ट्र	2010-11	25.25	25.52	25.51	16.70	14.33	14.31	6.75	6.52	6.37	14.80	17.98	17.92
	2011-12	2750	2.67	25.43	17.25	12..50	12.22	6.40	4.25	3.99	18.30	20.85	19.74
	2012-13	28.00	23.40	22.92	15.60	6.97	6.59	6.25	3.24	3.14	19.00	13.28	12.80
	2013-14	10.33	11.22	10.64	6.33	2.10	1.78	2.00	1.55	1.24	6.32	4.85	4.25
मणिपुर	2010-11	0.49	0.09	0.09	0.07	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.50	0.13	0.13	0.06	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00
	2012-13	0.48	0.21	0.21	0.12	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2013-14	0.24	0.09	0.09	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	2010-11	0.08	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.09	0.06	0.06	0.05	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001
	2012-13	0.08	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.03	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	2010-11	0.02	0.01	0.01	0.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.11	0.04	0.04	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.001	0.00	0.00
	2013-14	0.05	0.04	0.04	0.03	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नागालैंड	2010-11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0.00	0.001	0.00	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	2010-11	5.75	4.74	4.57	2.00	2.2.0	2.19	1.90	1.35	1.32	3.00	233	2.31
	2011-12	6.40	5.28	5.10	2.60	1.90	1.73	2.05	0.91	0.84	3.14	3.46	3.12
	2012-13	6.50	5.41	5.26	2.75	1.50	1.44	2.00	0.75	0.75	3.97	2.36	2.29
	2013-14	2.10	1.75	1.70	1.13	0.82	0.69	0.56	044	0.36	1.85	0.687	0.59
पुदुचेरी	2010-11	0.34	0.35	0.35	0.11	0.04	0.04	0.13	0.09	0.09	0.35	0.16	0.16
	2011-12	0.34	0.25	0.25	0.11	0.03	0.03	0.13	0.05	0.05	0.35	0.14	0.13
	2012-13	0.31	0.19	0.19	0.09	0.02	0.02	0.9	0.02	0.02	0.30	0.13	0.13
	2013-14	0.08	0.08	0.08	0.01	0.00	0.00	0.07	0.01	0.01	0.05	0.08	0.02
पंजाब	2010-11	26.00	27.61	27.17	9.25	9.01	9.01	1.06	1.05	0.97	0.70	1.05	1.03
	2011-12	26.00	28.50	28.26	10.15	1.08	9.66	1.06	0.73	0.69	1.00	1.30	1.19
	2012-13	26.40	29.05	28.43	8.80	9.10	8.71	1.06	0.35	0.35	1.18	0.44	0.42
	2013-14	11.50	9.81	9.22	2.80	0.85	0.50	0.20	0.15	0.14	0.30	0.05	0.03
राजस्थान	2010-11	15.60	15.73	15.70	7.00	7.18	7.16	0.55	0..35	0.28	1.18	1.40	1.37
	2011-12	16.25	1.7.58	16.91	7.30	7.16	7.07	0.50	0.2.5	0.23	1.76	154	1.401
	2012-13	17.25	18.91	18.46	7.60	6.33	5.93	0.48	0.15	0.15	1.66	0.84	0.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2013-14	4.05	4.00	3.61	1.62	1.24	0.88	0.07	0.00	0.00	0.43	0.06	0.04
सिक्किम	2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
तमिलनाडु	2010-11	0.50	10.23	10.15	4.25	3.19	3.19	5.84	4.74	4.72	4.25	6.90	6.84
	2011-12	11.50	10.48	10.45	4.30	384	3.71	5.31	4.26	4.16	6.61	8.75	7.57
	2012-13	11.50	9.36	9.28	4.55	2.44	2.33	5.55	2.18	2.17	6.82	5.89	5.71
	2013-14	2.75	2.24	2.24	1.12	0.60	0.43	1.19	0.64	0.61	1.72	1.15	1.05
त्रिपुरा	2010-11	0.45	0.18	0.18	0.04	0.03	0.03	0.18	0.03	0.031	0.00	0.00	0.00
	2011-12	0.52	0.26	0.26	0.05	0.00	0.00	0.13	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
	2012-13	0.51	0.1.9	0.17	0.06	0.02	0.02	0.17	006	0.06	0.00	0.00	0.00
	2013-14	0.23	0.06	0.04	0.02	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	2010-11	57.60	55.03	54.51	19.60	17.59	17.64	3.70	2.17	1.92	9.45	10.60	10.30
	2011-12	58.00	59.12	58.05	19.65	18.67	18.15	4.00	1.82	1.80	11.25	12.85	11.27
	2012-13	60.00	63.31	62.56	18.15	21.67	20.85	3.50	1.07	1.31	11.48	6.73	6.62
	2013-14	19.00	18.38	16.54	5.40	2.66	1.13	0.60	0.04	0.29	3.50	0.84	0.49
उत्तराखंड	2010-11	2.20	2.24	2.23	0.40	0.28	0.28	0.10	0.05	0.05	0.50	0.57	0.57
	2011-12	2.40	2.51	2.50	0.33	039	0.38	0.10	0.04	0.04	0.71	0.31	0.50
	2012-13	2.45	2.51	2.45	0.35	028	0.27	0.10	0.04	0.04	0.57	0.33	0.32
	2013-14	1.05	1.1.1	1.11	0.16	0.08	0.05	0.04	0.00	0.00	0.251	0.07	0.07
पश्चिम बंगाल	2010-11	13.00	11.26	11.26	5.10	4.63	4.62	4.00	3.29	3.23	8.25	8.95	8.76
	2011-12	13.25	12.76	12.74	5.10	5.03	4.76	4.00	3.04	3.02	9.00	8.13	8.13
	2012-13	13.50	14.02	13.87	5.25	034	4.25	4.25	2.18	2.16	8.28	7.90	7.90
	2013-14	3.02	3.03	2.57	1.36	051	0.35	0.73	0.78	0.68	2.70	1.64	1.25
योग	2010-11	290.80	284.61	282.25	120.92	113.06	112.86	47.81	39.82	38.90	92.01	104.39	103.01
	2011-12	305.16	298.65	294.77	126.	115.95	111.95	48.28	31.64	29.92	107.36	124.28	113.94
	2012-13	315.44	307.25	301.58	123.58	96.80	92.22	47.82	22.07	21.34	111.39	79.64	77.29
	2013-14	98.90	96.11	90.10	39.89	20.54	14.30	12.65	8.44	6.61	35.69	20.43	16.76

[अनुवाद]

पीडीएस के तहत द्वार पर आपूर्ति

2934. श्री यशवंत लागुरी:
श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी द्वारा तय की जाने वाली अधिकतम दूरी विहित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उचित मूल्य की चल वाहन के माध्यम से पीडीएस की वस्तुओं की द्वार पर ही आपूर्ति के लिए भी एक योजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन राज्यों को प्रदत्त ऐसे वाहनों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि किसी भी उपभोक्ता/कार्डधारक को अपनी उचित दर दुकान तक पहुचने के लिए 3 किलोमीटर से अधिक यात्रा न करनी पड़े। चूंकि उचित दर दुकानों को लाइसेंस प्रदान करने सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किया जाता है, अत: इस संबंध में आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जानी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का मूल्य

2935. श्री सी. राजेन्द्रन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष कुछ राज्यों में पिछले वर्ष की तुलना में चीनी का उत्पादन कम रहा है जिससे चीनी के मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन और मांग सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आगामी वर्ष के दौरान चीनी के उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने एवं इसके मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) चीनी मिलों से ऑनलाइन प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार चालू चीनी मौसम 2012-13 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान जुलाई 2013 तक चीनी का उत्पादन पिछले चीनी मौसम 2011-12 की संदर्भ अवधि की अपेक्षा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कम हुआ हैं तथापि देश में कुल चीनी उत्पादन अंनतिम रूप से लगभग 248 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है जोकि चालू मौसम के दौरान अनंतिम रूप से लगभग 230 लाख टन की अनुमानित घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चीनी के मूल्य घरेलू बाजार में स्थिर बने हुए है। चालू चीनी मौसम 2012-13 के दौरान जुलाई 2013 तक उत्पादित चीनी के ब्यौरे और पिछले चीनी मौसम 2011-12 के संदर्भ आंकड़ों को राज्यवार दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सरकार चीनी की राज्यवार मांग के आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं करती।

(ग) देश में गन्ने और चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:–

(i) आगामी चीनी मौसम 2013-14 के लिए गन्ना किसानों को देय गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य को 210/- रुपये प्रति क्विन्टल पर निर्धारित किया गया है जिसे 9.5 प्रतिशत कि मूल वसूली दर से जोड़ा गया है बशर्ते कि उस स्तर से अधिक की वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशतता प्वाइंट की बढ़ोत्तरी के लिए 2.21 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम हो जो चालू चीनी मौसम 2012-13 की तुलना में 40/- रुपये प्रति क्विंटल तक अधिक है।

(ii) भारत सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत गन्नज्ञ आधारित फसलन पद्धति क्षेत्र के सतत विकास संबंधी केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। राज्य सरकारों को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार गन्ने सहित फसल विकास परियोजनाओं को तैयार करने के लि लचीलापन दिया गया है। स्कीम के अंतर्गत कार्यक्रम रोपण सामग्री, प्रौद्योगिकी के अंतरण, उत्पादकता सुधार, ज्ञान उन्नयन और यंत्रीकरण आदि पर केन्द्रित है।

(iii) चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से बेहतर सिचाई सुविधाओं, उन्नत बीज किस्म, पेड़ी प्रबंधन इत्यादि सहित गन्ना विकास के लिए रियायती ऋण प्रदान किये जाते हैं।

पर्याप्त अग्रेनीत भंडारण और 2013-14 चीनी मौसम के दौरान संभावित चीनी उत्पादन के साथ घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीनी का भंडार पर्याप्त होगा। इसके अलावा चीनी के आयात पर सीमा शुल्क को 15 प्रतिशत के सामान्य स्तर पर रखा गया है।

विवरण

चीनी मौसम 2011-12 और चालू चीनी मौसम 2012-13 (जुलाई, 2013 तक) के दौरान राज्यवार चीनी का उत्पादन

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	चीनी मौसम 2011-12 (जुलाई, 2012 तक) के दौरान उत्पादन (अन)	चीनी मौसम 2012-13 (जुलाई, 2013 तक) के दौरान उत्पादन (अन)	अंतर (3 घटा 2)
पंजाब	3.89	4.38	0.49
हरियाणा	4.92	5.1	0.18
उत्तराखंड	3.33	3.39	0.06
उत्तर प्रदेश	69.25	74.83	5.58
गुजरात	10.02#	11.3	1.28
महाराष्ट्र	89.29	79.01	-10.28
बिहार	4.49	5.07	0.58
आंध्र प्रदेश	10.99	9.14	-1.85
कर्नाटक	37.58	33.76	-3.82
तमिलनाडु	21.08	17.54	-3.54
अन्य	3.29	3.81	0.52
योग	258.13	247.33*	-10.8

*-खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आयातित कच्ची चीनी से उत्पादित 6.18 लाख टन श्वेत चीनी को छोड़कर

- गुजरात राज्य में बहरापाड़ शोधशाला द्वारा घरेलू कच्ची चीनी से उत्पादित 2.70 लाख टन श्वेत चीनी को छोड़कर

(अन)- अनंतिम

स्रोत: ऑनलाइन प्रपत्र-2 विवरणी, शर्करा निदेशालय।

स्पॉट एक्सचेंज

2936. श्री नीरज शेखर:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री यशवीर सिंह:
श्री अब्दुल रहमान:
प्रो. सौगत राय:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) ने हाल ही में अपने प्लेटफार्म पर अधिकांश ट्रेड को स्थगित कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सके क्या कारण हैं तथा देश में परिचालित प्राधिकृत स्पॉट एक्सचेंजों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने इस संबंध में कोई पृथक जांच शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(ग) क्या कॉमोडिटी ट्रेडिंग बाजार में विनिमय की दैनिक मात्रा में तीव्र कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो कृषि उत्पादों में स्पॉट ट्रेडिंग के लिए किसानों और व्यापारियों को स्थिर प्लेटफार्म देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या एनएसईएल से हाल ही में अनियमितताओं की सूचना मिली है जिसमें चूक से बचने के लिए इसके निवेशकों को बड़ी राशि के भुगतान करने की भी आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच करने एवं जिम्मेदारियां तय करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम हैं; और

(च) क्या सरकार ने एनएसईएल के वास्तविक स्टॉक के संबंध में इसके द्वारा किए गए दावों के बारे में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (च) वायदा बाजार आयोग इस मामले की जांच कर रहा है।

आईसीएआर द्वारा बीजों का विकास

2937. श्री के.सी. सिंह 'बाबा':
डॉ. संजय सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस देश के किसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी कंपनियों द्वारा विकसित बीजों पर निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बीजों की बेहतर किस्मों को विकसित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार आईसीएआर और अन्य कृषि महाविद्यालयों द्वारा नए किस्मों के बीजों को विकसित करने के लिए निधि आवंटित करती है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(च) आईसीएआर और अन्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा अब तक विकसित बीज के किस्मों की संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) 20 पण्य वस्तुओं/विषय अधारित शोध संस्थानों पर फसल सुधार से संबंधित मूल एवं नीतिगत अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है। इस प्रकार जनित सूचना भा.कृ.अ.प. की फसल विशिष्ट 24 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) जो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में स्थित हैं, द्वारा उत्पादन बढ़ाने हेतु बीजों की स्थान विशिष्ट बेहतर किस्म विकसित करने के लिए प्रयोग की जाती है।

(घ) और (ङ) जी हां। भा.कृ.अ.प. ने फसल सुधार से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों जिसमें बीजों की बेहतर किस्म का विकास शामिल है, के लिए रुपये 366 करोड़ (2010-11), रुपये 292.77 करोड़ (2011-12), रुपये 410 करोड़ (2012-13) और रुपये 465 करोड़ (2013-14) के मूल्य का बजट आबंटित किया है।

(च) उच्च उत्पादन और उत्पादकता का लक्ष्य रखकर विगत तीन वर्षों के दौरान कुल 339 किस्में/संकर जारी की गयीं जिसमें चालव (68), गेहूं (28), दलहन (61) और अन्य फसलें (182) शामिल हैं।

नि:शक्त लोगों को ऋण की सुविधाएं

2938. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एंटो एंटोनी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में नि:शक्त लोगों को ऋण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) और पंजाब नेशनल बैंक के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएचएफडीसी सहित विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से अन्य बैंकों के साथ भी सरकार ने किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देशभर में एनएचएफडीसी ऐसे एमओयू के उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त करने में सक्षम रहा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम ने भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन और शिक्षा ऋण के लिए 03.06.2013 को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस करार का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(i) विकलांग व्यक्ति भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत सम्मिलित गतिधियों के लिए स्वरोजगार हेतु 25 लाख रुपये तक का ऋणाधार मुक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं।

(ii) विकलांग व्यक्तियां को शिक्षा ऋण भी प्रदान किए जाने हैं।

(iii) करार के क्षेत्र का विस्तार पूरे देश में है।

(ग) और (घ) जी, हां। इसी प्रकार का समझौता ज्ञापन सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित तीन बैंकों और सात राज्यों के बाइस (22) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं:–

क. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

1. आंध्र बैंक
2. आईडीबीआई बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा (उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुने जिलों में)

ख. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

असम

1. असम ग्रामीण विकास बैंक

हरियाणा

2. गुडगांव ग्रामीण बैंक
3. हरियाणा ग्रामीण बैंक

उत्तर प्रदेश

4. इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक
5. बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
6. ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त
7. सर्व यूपी ग्रामीण बैंक
8. प्रथमा बैंक
9. पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
10. काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक

उत्तराखंड

11. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक

गुजरात

12. बड़ौदज्ञ गुजरात ग्रामीण बैंक
13. देना गुजरात ग्रामीण बैंक
14. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक

महाराष्ट्र

15. विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
17. वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक

मध्य प्रदेश

18. शारदा ग्रामीण बैंक
19. झबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
20. रीवा सिद्धी ग्रामीण बैंक
21. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
22. मध्य भारत ग्रामीण बैंक

(ङ) एनएचएफडीसी ने विकलांग व्यक्तियों को और अधिक राशि के वितरण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 43.91 करोड़ रुपये की कुल राशि निर्मुक्त की है। अभी तक 5.36 करोड़ रुपये के उपयोग किए जाने के संबंध में ब्यौरा प्राप्त हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से प्रत्येक को 10.00 करोड़ रुपये का नोशनल आवंटन प्रदान किया गया है। एनएचएफडीसी द्वारा बैंकों को जारी की गई राशि, समुपयोजित राशि और लाभग्राहियों की संख्या संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एनएचएफडीसी द्वारा बैंकों को दी गई और उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि और लाभार्थियों की संख्या

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	जारी की गई राशि	लाभार्थियों की संख्या	वापिस लौटाई गई राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गुजरात	5.00	10	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
2.	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, गुजरात	75.50	151	58.78	0.00
3.	गुड़गांव ग्रामीण बैंक, हरियाणा	587.75	1137	516.63	64.87
4.	हरियाणा ग्रामीण बैंक, हरियाणा	302.00	604	300.35	1.65
5.	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र	24.00	48	24.00	0.00
6.	इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश	303.50	607	286.70	16.80
7.	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश	918.00	1754	479.25	71.16
8.	बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश	500.00	1000	258.44	191.56
9.	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश	21.63	56	0.00	21.63
10.	काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश	450.00	900	230.48	22.65
11.	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश	150.91	307	20.00	59.91
12.	श्रेयास ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश	63.84	120	50.00	13.84
13.	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश	50.00	100	50.00	0.00
14.	प्रथमा बैंक, उत्तर प्रदेश	38.50	71	15.45	23.05
15.	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश	900.00	1800	651.35	48.65
	कुल	4390.63	8665	2941.43	535.77

पशु और भैंस की प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना

2939. श्री पी.टी. थॉमस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए देश में पशु और भैंस की प्रजनन संबंधी राष्ट्रीय परियोजना (एनपीसीबीवी) नामक किसी स्कीम को लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केरल में 'गोवर्धनी' स्कीम की सहायता के लिए एनपीडीबीवी के तहत वित्तीय सहायता पाने के लिए राज्य सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय बोवाइन जनसंख्या में सुधार करना किसानों की दहलीज पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की व्यवस्था करना और स्वदेशी गोपशु की नस्ल में सुधार करना है। गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की गई है और केरल राज्य सरकार से अनुरोध किया गया कि वह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई/राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन नामक योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

विवरण

राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई राज्यवार धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 आज की स्थिति के अनुसार	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1000.00	1645.65	500.00		3145.65
2.	अरूणाचल प्रदेश	133.55	319.85	284.07		737.47
3.	असम	74.08	728.21			802.29
4.	बिहार		300	1000.00		1300.00
5.	छत्तीसगढ़	100.00	600	451.91		1151.91
6.	गुजरात	1000.00	700	500.00		2200.00
7.	हरियाणा	1000.00	1500	813.00		3313.00
8.	हिमाचल प्रदेश	500.37	300	51.00		851.37
9.	जम्मू और कश्मीर	300.00	400			700.00
10.	झारखंड		800			800.00
11.	कर्नाटक		500		808.26	1308.26
12.	केरल	491.15	800	400.82		1691.97
13.	मध्य प्रदेश	900.00	1000	688.06	1728.00	4316.06
14.	महाराष्ट्र	1140.00	1000	706.18		2846.18
15.	मणिपुर	361.75		153.58	424.00	939.33
16.	मेघालय	200.00		414.00		614.00
17.	मिजोरम	171.57	189.45	105.00		466.02
18.	नागालैंड	227.28	417.49	157.56	451.10	1253.43
19.	ओडिशा	646.94	600			1246.94
20.	पंजाब	1000.00	300	1500.00		2800.00
21.	राजस्थान		900			900.00

1	2	3	4	5	6	7
22.	सिक्किम	100.00		113.65		213.65
23.	तमिलनाडु	1000.00	1150	1044.85		3194.85
24.	त्रिपुरा	237.76		340.00		577.76
25.	उत्तर प्रदेश	487.01		1784.70		2271.71
26.	उत्तराखंड	200.00	540.71			740.71
27.	पश्चिम बंगाल	927.54	500	386.66	1000.00	2814.20
	कुल	12199	15191.36	11398.05	4411.36	43196.76

कृषि उद्यमिता

2940. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **कृषि मंत्री** य बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसमें तेजी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कृषि उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी हां।

(ख) देश में 80 प्रतिशत से अधिक कृषक परिवार छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हैक्टेयर से कम भू-जोत हैं। जोतों के अपखण्डन के कारण, किसानों के लिए यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है कि वे नवीनतम प्रौद्योगिकी तथा पद्धतियों के आधुनिक पैकेज को अपनायें। छोटे तथा सीमान्त किसान आदानों के खरीददारों और अपने उत्पाद के विक्रेता दोनों के रूप में प्रतिकूल विपणन स्थितियों का भी सामना करते हैं। इकानिमीज आफ स्केल के लाभ प्रदान किए जाने की दृष्टि से किसानों को स्वावलम्बी समूहों/कृषि उत्पादक संगठनों/उत्पादक संगठनों/संयुक्त उत्तरदायी समूहों आदि बनाने तथा किसी संविधि के तहत पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि खेती संबंधी गतिविधियां समेकित ढंग से की जा सकें और साथ ही उनके कृषि उत्पाद का विपणन किया जा सके।

(ग) जी हां।

(घ) नाबार्ड सामान्य तौर पर ऐसे पंजीकृत एसएचजी/एफपीओ/पीओ/जेएलजी को 1-2 वर्षों के ऋणस्थगन के साथ 7 वर्षों तक की अवधि के लिए ऋण मुहैया करा रहा है तथा सहायता की मात्रा कुल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक हो सकती है और यह परियोजना दर परियोजना अलग-अलग हो सकती है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए समेकित कृषि विकास हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपीआईएडी) की सहायता करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ताकि कृषि और समवर्गीय क्षेत्रों में निजी सेक्टर की अगुवाई वाली बड़े स्तर की समेहित परियोजनाओं की मदद की जा सके।

[हिन्दी]

बढ़ता जातिवाद

2941. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देशभर में बढ़ते जातिवाद के कारण जातिगत संघर्ष होने की सूचना है;

(ख) क्या सरकार का जातिवाद को समाप्त करने के लिए कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का जातिवाद को समाप्त करने एवं जाति आधारित उपनाम का उपयोग करने से लोगों को रोकने के लिए किसी कानून को अधिनियमित करने अथवा निर्देश जारी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 को अधिनियमित किया गया था और ऐसे अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करने तथा अत्याचार पीड़ितों को राहत प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार रोकने की दृष्टि से 31.01.1990 से यह प्रवृत्त है। अत्याचार निवारण अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है और इसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन्हें देय केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है जो, अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर-जातीय विवाहों, जिसमें पति या पत्नी दोनों में से कोई एक अनुसूचित जाति का होता है, के संबंध में प्रावधान सम्मिलित है।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के संगत प्रावधानों के संयोजन से अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान, अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में पंजीकृत मामलों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

गृह मंत्रालय ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 1.4.2010 को विस्तृत परामर्श भेजे हैं। इन परामर्शों में विभिन्न उपायों का उल्लेख है, यथा सांविधिक प्रावधानों और विद्यमान विधानों का सख्ती और सत्यनिष्ठा से प्रवर्तन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कानूनों के प्रवर्तन से संबंधित तंत्र को सुग्राह्य बनाना, हिंसा, दुरुपयोग और शोषण के मामलों को रोकने के लिए सामुदायिक निगरानी प्रणाली का विकास करना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के विरुद्ध अपराधों के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराने में कोई विलम्ब न करना आदि। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी इस परामर्श को पूरी सत्यनिष्ठा से कार्यान्वित करने के लिए अनुरोध किया गया है। तथापि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए अपराधों का निवारण पता लगाना, पंजीकरण करना, जांच करना और अभियोजन का उत्तरदायित्व राज्य के कार्यक्षेत्र में आता है।

लोगों को अपने उपनामों का प्रयोग करने से रोकने के लिए अनुदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के संगत प्रावधानों के संयोजन से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के सदस्यों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में पंजीकृत मामलों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4271	4006	3048
2.	असम	7	0	4
3.	बिहार	3516	3623	4821
4.	छत्तीसगढ़	340	253	262
5.	गोवा	1	4	9
6.	गुजरात	1008	1061	1026
7.	हरियाणा	380	408	252
8.	हिमाचल प्रदेश	100	91	126

1	2	3	4	5
9.	झारखंड	577	636	696
10.	कर्नाटक	2472	2473	2594
11.	केरल	583	760	810
12.	मध्य प्रदेश	3373	3245	2875
13.	महाराष्ट्र	1107	1133	1086
14.	ओडिशा	1707	1455	2265
15.	पंजाब	115	90	71
16.	राजस्थान	4979	5177	5559
17.	सिक्किम	3	9	5
18.	तमिलनाडु	1628	1379	1638
19.	त्रिपुरा	11	22	76
20.	उत्तर प्रदेश	6272	7702	6201
21.	उत्तराखंड	35	32	33
22.	पश्चिम बंगाल	63	59	85
23.	चंडीगढ़	0	2	2
24.	दादरा और नगर हवेली	0	1	0
25.	दिल्ली	16	28	44
25.	पुडुचेरी	5	3	4

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय

नोटः अत्याचार निवारण अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है। उपर्युक्त विवरण में वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित नहीं हैं, जहां 2010-2012 के दौरान अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया था। एनसीआरबी ने 2013 जो जारी है, के लिए संबंधित आंकड़े प्रकाशित नहीं किए हैं।

[अनुवाद]

कोपरा की खरीद

2942. श्री हमदुल्लाह सईदः क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि लक्षद्वीप में ग्राम पंचायतों को किसानों की पहचान तथा खरीदी गई कोपरा की प्रमात्रा को प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ताकि नैफेड द्वारा कोपरा का उठान सुनिश्चित हो क्योंकि कोपरा के उठाव के लिए यह आवश्यक दस्तावेज है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समय पर किसानों को उनके बकायों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) का मूल उद्देश्य मूल्यों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिरने की स्थिति में वास्तविक उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मुहैया कराया जाना है। इसके अलावा, ऐसे किसानों को नैफेड को अपने उत्पाद देने के इच्छुक होते हैं, के विशिष्ट मौसम के दौरान बोई गई फसल के साथ-साथ उनकी भूमि जोत के दस्तावेजों (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा यथा निर्धारित) को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है ताकि पीएसएस स्कीम का लाभ केवल वास्तविक किसानों को ही पहुंचे।

(ग) यह सुनिश्चित किए जाने के लिए कि किसान अपने देय भुगतान समय पर प्राप्त करें, सरकार ने नैफेड को सरकारी गारन्टी के माध्यम से पर्याप्त निधियां मुहैया कराई हैं।

ब्रांडेड दवाओं के मूल्य

2943. श्री उदय सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में उपलब्ध सक्रिय भेषज संघटकों (एपीआई) में से प्रत्येक संघटक पर आधारित दवाओं के ब्रांडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन ब्रांडेड दवाओं के मूल्यों में कितना अंतर है;

(ग) क्या फारमाकोपियल दवाओं की तुलना में इन दवाओं की गुणवत्ता और प्रभावकारिता में को अंतर है;

(घ) फारमाकोपियल दवाओं और ब्रांडेड दवाओं पर लागू उत्पाद शुल्क में कितना अंतर है; और

(ङ) देश में दवाओं के मूल्यो को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची-2011 (एनएनईएम-2011) में विनिर्दिष्ट सभी दवाइयां औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) (डीपीसीओ, 2013) की प्रथम अनुसूची में शामिल हैं। प्रत्येक सक्रिय औषध अवयव पर आधारित ब्रांडों से संबंधित सूचना विभाग द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जा रही है।

(ख) डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत इन दवाओं का उच्चतम मूल्य परिकलित करते समय अवश्यक दवाओं के मूल्यों में अंतर-ब्रांड भिन्नता देखी गई थी।

(ग) देश में विनिर्मित/बेची जाने वाली सभी औषधियों के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट मानकों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।

(घ) फिलहाल, ब्रांडेड बनाम भेषज संहिता दवाइयों के संबंध में लागू उत्पादन शुल्क में कोई भिन्न नहीं है।

(ङ) सरकार द्वारा इस तरह से निर्धारित और अधिसूचित उच्चतम मूल्य (यथा लागू स्थानीय करों को जोड़कर) से अधिक मूल्य पर अनुसूचित फार्मूलेशनों के ब्रांडेड अथवा जेनरिक अथवा दोनों रूपों को बेचने वाले अनुसूचित फार्मूलेशनों के सभी मौजूदा विनिर्माता सभी ऐसे फार्मूलेशनों के मूल्यों में कमी करेंगे जो उच्चतम मूल्य (यथा लागू सथानीय करों को जोड़कर) से अधिक नहीं होंगे। इस तरह से निर्धाति और अधिसूचित उच्चतम मूल्य (यथ लागू स्थानीय करों को जोड़कर) से निम्नतर मूल्य पर अनुसूचित फार्मूलेशनों के ब्रांडेड अथवा जेनरिक अथवा दोनों रूपों को बेचने वाले अनुसूचित फार्मूलेशनों के सभी मौजूदा विनिर्माता अपने मौजूदा अधिकतम खुदरा मूल्य को बनाए रखेंगे। एनपीपीए ने अब तक डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 300 फार्मूलेशनों के उच्चतम मूल्य अधिसूचित किए हैं।

राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना

2944. श्री पी. करूणाकरन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आसीएआर) और विश्व बैंक देश भर में संयुक्त राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एनएआईपी) को लागू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजना के तहत विश्व बैक द्वारा अब तक जारी निधियों और उनके निबंधन और शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना के कार्यान्वयन से किस हद तक फसल कटाई पश्चात् होने वाली हानि को कम किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और विश्व बैंक द्वारा देश में राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना (एनएआईपी) को संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया गया है।

(ख) विवरण निम्नलिखित है:

स्वीकृत बजट	:	250 मिलियन अमेरिकी डालर
विश्व बैंक का अंश	:	200 मिलियन अमेरिकी डालर
भारत सरकार का अंश	:	50 मिलियन अमेरिकी डालर
अनुमोदन की तिथि	:	18 अप्रैल,, 2006
प्रभावी तिथि	:	18 सितम्बर, 2006
समाप्ति की तिथि	:	30 जून, 2014

(ग) आज तक विश्व बैंक द्वारा 804 करोड़ रुपये (यूएसडी 164.25 मिलियन) की राशि जारी की गई है।

दो ऐसे ऋण समझौते (संख्या 4161 तथा 4162) हैं जिसमें सहायता दी जाती है। ऋण समझौता संख्या 4161 उन विभिन्न मुद्राओं में उस राशि के लिए है जो 41,100,000 के विशेष आहरण अधिकार के समकक्ष है। ऋण समझौता 4162 विभिन्न मुद्राओं में उस राशि के लिए है जो एसडीआर 97,000,000 के विशेष आहरण अधिकार के समकक्ष हैं। दोनों समझौतों में उन ऋण के मूलधन पर प्रतिबद्ध–प्रभार लगता है जो प्रत्येक वर्ष की 30 जून को निधरित दर पर समय-समय पर निकाला गया हो परन्तु जो एक प्रतिशत प्रति वर्ष (1 प्रतिशत का 1/2) का आधे की दर से ज्यादा न हो। इसके अलावा समय-समय पर इन समझौते के तहत ऋण आहरण तथा बकाया मूलधन पर प्रतिवर्ष एक प्रतिशत का तीन चौथाई (1 प्रतिशत का 3/4) की दर से सेवा-प्रभार भी देय होता है। समय-समय पर आहरित बकाया की मूल राशि पर प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत (3 प्रतिशत) की दर से ब्याज लागू होता है। ऋण के मूलधन का पुनर्भुगतान, अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक 15 मार्च तथा 15 सितम्बर को देय होता है जो 15 सितम्बर 2016 से शुरू होकर 15 मार्च, 2041 तक होगी।

(घ) देश के अधिकांश भागों में विभिन्न पण्यों के सस्योत्तर नुकसान को कम करने में विकसित तथा कार्यान्वित प्रौद्योगिकियां मदद कर रही है।

फलों की पैकेजिंग

2946. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में आम, काजू और अन्य फलों के परीक्षण और पैकेजिंग के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएफटीआरआई) ने 1994-95 के दौरान महाराष्ट्र के रत्नागिरी एवं सिंधुदुर्ग जिलों से अल्फांसो प्रजाति के आमों को पोत द्वारा दुबई निर्यात करने के लिए प्रयोगशाला विकसित प्रौद्योगिकी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक परियोजना की शुरूआत की थी। सीएसआईआर-सीएफटीआरआई द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी प्रोटोकॉल में निम्नलिखित शामिल है; (i) फसल-पूर्व प्रौद्योगिकी प्रोटोकॉल में एंथ्रेक्नोज एवं अन्य संक्रमणों को रोकने के लिए फफूंदनाशक/कीटनाशक के छिड़काव की समयसारणी, फ्रूट फ्लाइट्रैप सहित बगीचे का फसल-पूर्व प्रबंधन एवं देखभाल, पोतांतरण के लिए फसल परिपक्वता, फसल उत्पादन की पद्धति एवं आमों के डीसैपिंग की पद्धति; (ii) फसलोत्तर प्रौद्योगिकी प्रोटोकॉल में उपचार प्रोटोकॉल, पैकिंग के डिब्बों की डिजानिंग एवं विकास तथा उनका विशिष्ट लक्षण, डिब्बों में आमों के पैकिंग की पद्धति, यूनिटाइजेशन, पेलेटाइजेशन तथा रीफर कन्टेनरों में उनकी लोडिंग; (iii) आमों के पोतांतरण प्रबंधन के विनिर्देश में ताप एवं आर्द्रता प्रबंधन तथा वायु पुनर्चक्रण की लय; और (iv) आमों के पोतोत्तर प्रबंधन में आमों के पकाने की पद्धति एवं उनके विशिष्ट लक्षण शामिल हैं। अल्फांसो प्रजाति के आमों के फसल-पूर्व एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी प्रोटोकॉल की एक तकनीकी रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसे कृषि-विपणन बोर्ड, पुणे के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

[हिन्दी]

अंत्योदय अन्न योजना

2947. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत लाभान्वित हुए लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त स्कीम के तहत खाद्यान्नों के आवंटन और उठाव का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई अध्ययन कराया गया अथवा कराये जाने का प्रस्ताव है तथा यह सुनिश्चित हो सके कि इस स्कीम के तहत लक्षित समूह के लिए आवंटित खाद्यान्न उन्हें मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दी गई लगभग 2.50 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों की स्वीकृत संख्या में से प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जुलाई, 2013 तक 2.43 करोड़ एएवाई परिवारों को राशन कोर्ड जारी करने की सूचना दी है उपर्युक्त में से उत्तर प्रदेश को दी गई 40.45 लाख एएवाई परिवारों की स्वीकृत संख्या में से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जुलाई, 2013 तक 40.945 लाख एएवाई परिवारों को एएवाई राशन कार्ड जारी करने की सूचना दी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (दिनांक 31.07.2013 तक) के दौरान एएवाई के तहत कवर किए गए परिवारों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एएवाई परिवारों को वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान किए गए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) के आबंटन और उनके उठान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में और (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति श्री डी.पी. वाधवा की सिफारिशों पर वर्ष 2011-12 और 1012-13 के दौरान अतिरिक्त श्री डी.पी. वाधवा की सिफारिशों पर वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान अतिरिक्त एएवाई परिवारों के लिए खाद्यान्नों का अतिरिक्त आबंटन भी किया गया है। इन आबंटनों और उनके उठान का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) और (घ) यह विभाग अंत्योदय अन्न योजना (एएवई) के कार्यान्वयन सहित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण का मूल्यांकन समय-समय पर विभिन्न एजेन्सियों से करा रहा है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नवीनतम मूल्यांकन अध्ययन 12 राज्यों के संबंध में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा (रिपोर्ट वर्ष 2007-09 के दौरान प्रस्तुत की गई) और 14 राज्यों के संबंध में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) (रिपोर्ट वर्ष 2010-11 के दौरान प्रस्तुत की गई) के माध्यम से कराया गया था। इन मूल्यांकन अध्ययनों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में परिवारों को सूची में शामिल करने/बाहर करने संबंधी त्रुटियों, खाद्यान्नों के लीकेज/विपथन आदि जैसी कतिपय कमियों/खामियों का उल्लेख किया गया है। प्राप्त रिपोर्टें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यप्रणाली में देखी गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भिजवा दी गई हैं।

विवरण I

पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अत्योदय अन्न योजना परिवारों की संख्या

(आकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों की स्वीकृत संख्या	पहचान किए गए अन्त्योदय अन्न योजना परिवार एवं जारी किए गए राशन कार्ड		
			2011-12	2012-13	2013-14 (जुलाई, 2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	15.578	15.578	15.578	15.578
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.380	0.38	0.38	0.380
3.	असम	7.040	7.04	7.04	7.040

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	25.010	25.010	25.010	25.010
5.	छत्तीसगढ़	7.189	7.189	7.189	7.189
6.	दिल्ली	1.568	1.502	1.502	1.502
7.	गोवा	0.184	0.145	0.145	0.145
8.	गुजरात	8.128	8.098	8.098	8.098
9.	हरियाणा	3.025	2.924	2.924	2.924
10.	हिमाचल प्रदेश	1.971	1.971	1.971	1.971
11.	जम्मू और कश्मीर	2.822	2.557	2.557	2.557
12.	झारखंड	9.179	9.179	9.179	9.179
13.	कर्नाटक	11.997	11.376	11.376	11.376
14.	केरल	5.958	5.958	5.958	5.958
15.	मध्य प्रदेश	15.816	15.816	15.816	15.816
16.	महाराष्ट्र	25.053	24.639	24.639	24.639
17.	मणिपुर	0.636	0.636	0.636	0.636
18.	मेघालय	0.702	0.702	0.702	0.702
19.	मिजोरम	0.261	0.261	0.261	0.261
20.	नागालैंड	0.475	0.475	0.475	0.475
21.	ओडिशा	12.645	12.645	12.645	12.645
22.	पंजाब	1.794	1.794	1.794	1.794
23.	राजस्थान	9.321	9.321	9.321	9.321
24.	सिक्किम	0.165	0.165	0.165	0.165
25.	तमिलनाडु	18.646	18.646	18.646	18.646
26.	त्रिपुरा	1.131	1.131	1.131	1.131
27.	उत्तर प्रदेश	40.945	40.945	40.945	40.945
28.	उत्तराखंड	1.909	1.909	1.909	1.909
29.	पश्चिम बंगाल	19.857	14.799	14.799	14.799
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.107	0.043	0.043	0.049

1	2	3	4	5	6
31.	चंडीगढ़	0.088	0.015	0.015	0.015
32.	दादरा और नगर हवेली	0.069	0.052	0.052	0.052
33.	दमन और दीव	0.015	0.015	0.015	0.015
34.	लक्षद्वीप	0.012	0.012	0.012	0.012
35.	पुदुचेरी	0.322	0.322	0.322	0.322
	जोड़	249.998	243.250	243.250	243.256

विवरण II

पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणी के लिए खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का आबंटन और उठान

(आकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14*	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	654.288	632.317	654.288	643.499	163.572	127.682
2.	अरूणाचल प्रदेश	15.972	13.687	15.972	15.845	3.993	3.914
3.	असम	295.692	293.832	295.692	293.585	73.923	73.289
4.	बिहार	10050.42	950.358	10050.420	1012.057	262.605	320.423
5.	छत्तीसगढ़	301.944	291.602	301.944	301.944	75.486	75.486
6.	दिल्ली	63.084	40.467	63.084	45.184	15.771	11.29
7.	गोवा	6.108	6.16	6.108	6.108	1.527	2.036
8.	गुजरात	340.08	329.426	340.080	317.885	85.02	93.397
9.	हरियाणा	122.82	116.173	122.820	121.43	30.705	28.224
10.	हिमाचल प्रदेश	82.74	81.365	82.740	83.078	20.685	20.624
11.	जम्मू और कश्मीर	107.388	107.652	107.388	107.658	26.847	26.443
12.	झारखंड	385.524	376.44	385.524	370.771	96.381	110.564
13.	कर्नाटक	499.546	490.513	477.816	433.96	119.454	119.539
14.	केरल	250.26	249.383	250.260	250.045	62.565	65.843
15.	मध्य प्रदेश	664.26	642.184	664.260	814.104	166.065	144.674
16.	महाराष्ट्र	1,034.88	913.181	1,034.880	949.458	258.72	242.971

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मणिपुर	26.724	33.606	26.724	26.704	6.681	8.26
18.	मेघालय	29.484	29.673	29.484	29.421	7.371	7.371
19.	मिजोरम	10.92	10.121	10.920	10.17	2.73	2.51
20.	नागालैंड	19.968	21.722	19.968	22.558	4.992	5.224
21.	ओडिशा	531.12	521.182	531.120	518.381	132.78	132.989
22.	पंजाब	75.36	54.871	75.360	51.001	18.84	13.698
23.	राजस्थान	391.488	387.224	391.488	382.423	97.872	94.882
24.	सिक्किम	6.936	7.252	6.936	6.907	1.734	2.067
25.	तमिलनाडु	783.144	770.227	783.144	779.93	195.786	217.261
26.	त्रिपुरा	47.52	47.465	47.520	47.846	11.88	13.899
27.	उत्तर प्रदेश	1,719.48	1,711.99	1,719.480	1698.089	429.894	433.078
28.	उत्तर प्रदेश	80.184	76.354	80.184	79.687	20.046	20.476
29.	पश्चिम बंगाल	621.684	484.786	621.684	579.504	155.421	170.224
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1.8	0.909	1.800	0.761	0.471	0
31.	चंडीगढ़	0.624	0.125	0.624	0.135	0.156	0.025
32.	दादरा और नगर हवेली	2.196	2.459	2.196	2.22	0.549	0.738
33.	दमन और दीव	0.636	0.571	0.636	0.664	0.159	0.01
34.	लक्षद्वीप	0.504	0.504	0.504	0.504	0.126	0
35.	पुदुचेरी	13.548	12.759	13.548	12.128	3.387	4.18
	जोड़	10,238.326	9,708.539	10,216.596	10,015.644	2,554.194	2,593.291

*आबंटन और उठान जून, 2013 तक

विवरण III

2011-12 और 2012-13 के दौरान गरीब जिलों के अंत्योदय अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों के लिए तदर्थ अतिरिक्त आबंटन और उठान

(आंकड़े लाख टन में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12		2012-13	
		आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	44.928	44.788	14.244	9.909
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.283	0.283	0.118	0.118

1	2	3	4	5	6
3.	असम	0.000	0	0	0
4.	बिहार	1.116	1.799	0	0
5.	छत्तीसगढ़	33.429	25.37	35.322	29.436
6.	गुजरात	0.000	0	0	0
7.	हरियाणा	2.490	0.836	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	1.080	0.962	1.080	0.671
9.	जम्मू और कश्मीर	2.052	3.064	0	0
10.	झारखंड	39.874	37.83	50.525	40.797
11.	कर्नाटक	12.038	12.013	0	0
12.	केरल	1.420	1.431	0.472	0.472
13.	मध्य प्रदेश	74.530	0	0	0
14.	महाराष्ट्र	40.572	34.294	0	0
15.	मणिपुर	0.351	0.351	0.146	0.146
16.	मिजोरम	0.659	0.469	0	0
17.	मिजोरम	0.061	0.061	0	0
18.	नागालैंड	0.121	0.145	0.121	0.097
19.	ओडिशा	55.189	55.478	0	0
20.	पंजाब	0.705	0.705	0.705	0
21.	राजस्थान	28.292	0	11.785	11.399
22.	सिक्किम	0.023	0.023	0	0
23.	तमिलनाडु	15.701	15.285	15.701	14.039
24.	त्रिपुरा	0.923	0.914	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	121.443	0	0	0
26.	उत्तराखंड	0.493	0.489	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	99.431	38.498	0	1.498
	जोड़	577.204	275.088	130.219	108.582

[अनुवाद]

टीपीडीएस के लिए कार्य-योजना

2948. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों के साथ परामर्श कर केन्द्र सरकार द्वारा तैयार नौ सूत्री कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक सूत्र पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का सूत्र और राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के जाली कार्डों को समाप्त करना इस योजना के लक्ष्यों में से एक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किस हद तक सफलता मिली है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के लीकेज/विपथन पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से जुलाई, 2006 में एक नौ सूत्री कार्य योजना तैयार की गई थी।

सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पत्र जारी करके/सम्मेलनों आदि के आयोजन के जरिए उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई की नियमित निगरानी कर रही है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नौ सूत्री कार्य योजना को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिनांक 30.06.2012 तक दी गई सूचना के अनुसार नौ सूत्री कार्य योजना के अंतर्गत की गई कार्रवाई का मदवार एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) नौ सूत्री कार्य योजना में अन्य बातों के अलावा यह निर्धारित किया गया है कि जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना परिवारों की सूचियों की समीक्षा करने हेतु राज्यों को एक अभियान चलाना चाहिए। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की मौजूदा सूचियों की समीक्षा करने और अपात्र/जाली राशन कार्डों को हटाने के उद्देश्य से अक्तूबर 2009 से दिसम्बर 2009 तक एक गहन अभियान चलाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 29 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने दिनांक 30.06.2012 तक जुलाई, 2006 से 381.04 लाख जाली/अपात्र कार्डों को हटाए जाने की सूचना दी है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 30.06.2013 तक सूचित स्थिति के अनुसार नौ सूत्रीय कार्य योजना के तहत की गई कार्रवाई

1.	राज्यों को जाली राशन कार्ड समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे/अंत्योदय अन्न योजना की सूची की समीक्ष करने के लिए अभियान चलाना चाहिए।	30 जून, 2013 तक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार कार्ययोजना के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 29 राज्यों में कुल 381.04 लाख जाली/अपात्र राशन कार्ड समाप्त हुए।
2.	खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।	33 राज्यों ने सूचित किया है कि खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।
3.	पारदर्शिता के लिए खाद्यान्नों के वितरण में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों को शामिल करना सुनिश्चित किया जाए। स्वयंसेवी समूहो, ग्राम पंचायतों, सहकारी समितियों इत्यादि को लाइसेंस दिए जाए।	29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उचित दर दुकानों की मानीटरिंग करने के लिए सतर्कता समितियों में पंचायती राज संस्थाएं शामिल हैं। 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने सूचित किया है कि प्रचालन में 5.16 लाख से अधिक उचित दर दुकानों में से लगभग 1.25 लाख उचित दर दुकानें स्वयं सेवी समूहों, ग्राम पंचायत, सहकारी समितियों इत्यादि के द्वारा चलाई जा रही हैं।

4. उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना की सूचियां प्रदर्शित की जानी चाहिए।	32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर गरीबी रेखा से नीचे की सूचियां प्रदर्शित की जाती है।
5. खाद्यान्नों का जिलावार और उचित दर दुकानदार आबंटन वेबसाइटों पर दिखाया जाना चाहिए ताकि जनता जांच कर सके।	21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वेबसाइटों और अन्य प्रमुख स्थानों में खाद्यान्नों के जिलावार और उचित दर दुकानवार आवंटन प्रस्तुत करने संबंधी कार्रवाई शुरू की गई है।
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसों की उचित दर दुकानों पर द्वार पर सुपुर्दगी की जाए।	20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी निजी ट्रांस्पोर्टरों के बजाए राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। इससे खाद्यान्नों की ढुलाई के दौरान चोरी कम होती है और उचित दर दुकानों के मालिकों की व्यवहार्यता सुनिश्चित होती है।
7. उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय से उपलब्धता और उचित दर दुकानों द्वारा खाद्यान्नों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए।	इस संबंध में 32 राज्यों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
8. सतर्कता समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।	26 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समतियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए योजना स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा निधि प्रदान की जा रही है।
9. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए।	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण संबंधी अपनी कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण संबंधी योजना स्कीम के तहत ढांचागत और वित्तीय समर्थन भी उपलब्ध कराया गया है।

विवरण II

नौ सूत्रीय कार्य योजना का क्रियान्वयन-जुलाई, 2006 के बाद से उसके परिणाम

राज्यवार और अखिल भारत (30.06.2013 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बीपीएल/ एएवाई सूची की समीक्षा	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करके खाद्यान्नों का लीकेज मुक्त वितरण सुनिश्चित करना	पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल किया जाना प्रदर्शित करना	बीपीएल/ एएवाई सूचियों को उचित दर दुकानों पर का जिलावार और उचित दर दुकानवार आवंटन बेवसाईट पर डालना	जनता द्वारा जांच किए जाने के लिए खाद्यान्नों	खाद्यान्नों की द्वार पर सुपुर्दगी उपलब्धता	उचित दर दुकानों पर खाद्यान्नों की समय पर समिति के सदस्यों का प्रतिशत	उचित दर दुकानों के स्तर पर सतर्कता	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूट-रीकरण के लिए उठाए गए कदम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरूणाचल प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां
3.	असम	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां			जी हां	जी हां	जी हां
4.	बिहार	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां	जी हां
5.	छत्तीसगढ़	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
6.	दिल्ली	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
7.	गोवा	जी हां	जी हां		जी हां			जी हां	जी हां	जी हां
8.	गुजरात	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
9.	हरियाणा	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
10.	हिमाचल प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
11.	जम्मू और कश्मीर	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
12.	झारखंड	जी हां	जी हां			जी हां	जी हां			जी हां
13.	कर्नाटक	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
14.	केरल	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां	जी हां
15.	मध्य प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां
17.	मणिपुर						जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
18.	मेघालय	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां		जी हां	जी हां	जी हां
19.	मिजोरम	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
20.	नागालैंड	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां		जी हां
21.	ओडिशा	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
22.	पंजाब	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
23.	राजस्थान	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		
24.	सिक्किम	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
25.	तमिलनाडु	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
26.	त्रिपुरा	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां	जी हां	जी हां
27.	उत्तर प्रदेश	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
28.	उत्तराखंड	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी नहीं	जी हां	जी हां	
29.	पश्चिम बंगाल	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां	जी हां	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	जी हां	जी हां	जी हां			जी हां	जी हां	जी हां	
31.	चण्डीगढ़	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां	जी हां	
32.	दादरा और नगर हवेली	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां		जी हां	
33.	दमन और दीव				जी हां		जी हां		जी हां	
34.	लक्षदीप	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
35.	पुदुचेरी	जी हां	जी हां		जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	
	जोड़	33	33	29	32	21	20	32	27	35

संकेत: जी हां-कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(-) - किसी कार्रवाई की सूचना नहीं है।

*- व्यवहार्य नहीं।

[हिन्दी]

सीडब्ल्यूसी द्वारा बस शेल्टर

2949. श्री सज्जन वर्मा: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के सहयोग से आधुनिक बस शेल्टरों को स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के तहत शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित शहरों की संख्या कितनी है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई.ई. जेड में मत्स्यपालन का विकास

2950. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गहरे समुद्र में मत्स्यपालन क्षेत्र ने भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड) में मत्स्यपालन के विकास में सहायता करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को बुलाने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गहरे समुद्र में मत्स्यपालन संबंधी अधिकार प्राप्त समिति ने ऐसे मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में ई.ई. जेड समुद्री संसाधन विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड;) में मात्स्यिकी के विकास में सहायता करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की अनुमति के लि अधिकार प्राप्त समिति के विचार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का विकास करना सरकार की नीति की एक निरंतर तथा विकास करने की प्रक्रिया है। 01.08.2013 को इस विचारार्थ विषयों के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है: (i) समुद्री नीति की व्यापक समीक्षा करना और एक नई नीति का सुझाव देना, (ii) विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए वर्तमान मार्गनिर्देशों की समीक्षा करना, (iii) विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमतज्ञ का पूरा उपयोग करने के संबंध में सुझाव देना (iv) समुद्री मात्स्यिकी के प्रबंधन और विनियमन की क्षेत्रीय और वैश्विक अपेक्षाओं की अनुपालना की स्थिति की जांच करना।

[हिन्दी]

बाजार हस्तक्षेप योजना

2951. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से 50:50 के आधार पर शुरू की गयी बाजार हस्तक्षेप योजना राज्य में फल उत्पादकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए वर्ष 1990-91 से चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार और पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारों के बीच इस योजना का वित्त पोषण 75.25 आधार पर होता है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थलाकृति एक जैसी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में वित्त पोषण को 50:50 से बदलकर 75:25 करने का है और कुल खरीद लागत को 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को भी समाप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अनुरोध पर कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए वर्ष 1983-84 से से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम को तब कार्यान्वित किया जाता है जब इन जिन्सों के मूल्यों का रुख आर्थिक स्तरों से नीचे गिरने का होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान अपने उत्पाद को मजबूरी में बेचने के लिए मजबूर न हों। तथापि, 30.07.2001 को जारी एमआइएस के दिशानिर्देशों के अनुसार, एमआईएस के अंतर्गत हानि, यदि कोई हो, को केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में इसके क्रमशः 75.25 आधार पर होने का प्रावधान है।

(घ) जी, नहीं

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

[अनुवाद]

प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र

2952. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ताजे कृषि उत्पादों की बेहतर संभलाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र (पीपीसी) और रणनीतिक वितरण केन्द्र (एसडीसी) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के बेहतर उपयोग के संबंध में कोई तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक किए गए ऐसे अध्ययनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ताजे कृषि उत्पादों की बेहतर संभलाई के लिए राज्यों के विभिन्न हिस्सों में और अधिक पीपीसी और एसडीसी स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) और (ख) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन स्कीम के अंतर्गत, गांव के स्तर पर प्राथमिक प्रसंस्करण एवं परिरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराकर प्रभावी पश्च लिंकेजों के सृजन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना करने के लिए व्यक्तिगत उद्यमियों, किसानों, उद्यमी समूहों, कृषक संघों, सहकारिता समितियों, स्व-सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है इन सुविधाओं से शीघ्र सड़ने-गलने वाले पदार्थों की शेल्फ

लाइफ में वृद्धि होगी तथा किसानों को लाभदायी कीमतें प्राप्त होंगी। स्कीम में पात्र परियोजना लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और पूर्वोत्तर, आईटीडीपी एवं दुर्गम क्षेत्रों (सिक्किम, अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों तथा पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड) में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 2.50 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता की परिकल्पना की गई है।

रणनीतिक वितरण केन्द्र की संकल्पना एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि तथा परिरक्षण अवसंरचना एवं मेगा खाद्य पार्कों की चालू स्कीमों में संघटित की गई है। एकीकृत शीत श्रृंखला में रीफर वैनों, नियंत्रित वातावरण/परिवर्द्धित वातावरण शीतागारों, वितरण केन्द्रों तथा खुदरा दुकानों के माध्यम से खेत से लेकर बाजार तक उत्पादों की आवश्यकता को ध्यान में रखने के लिए घटकों का उपबंध किया गया है। इसी प्रकार मेगा खाद्य पार्कों को भी हब एवं स्पोक्स पद्धति पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेगा खाद्य पार्क के केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र को उत्पादन केन्द्रों के निकट कच्ची सामग्री आवाह क्षेत्रों में अवस्थित प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों (पीपीसीज) द्वारा सहायता दी जाती है। इन प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों को आगे संग्रहण केन्द्रों द्वारा सहायता दी जाती है जो पीपीसीज के चारों ओर के गांवों के क्लस्टर में अवस्थित होते हैं। पीपीसीज और संग्रहण केन्द्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण जैसे ग्रेडिंग, छंटाई, पैकिंग, भण्डारण आदि के लिए बुनियादी अवसंरचना होती है ताकि खेत से लेकर प्रसंस्करण केन्द्रों तक आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित की जा सके।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने देश में रणनीतिक स्थलों पर रणनीतिक वितरण केन्द्रों (एसडीसीज) की स्थापना करने के लिए तकनीकी संभाव्यता अध्ययन कराया था। रणनीतिक वितरण केन्द्र की संकल्पना में आपूर्ति श्रृंखला के अंतिम चरण की परिकल्पना की गई है, जहां से तैयार उत्पाद सीधे निर्यात और खुदरा/थोक दुकानों को भेजे जाएंगे। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतिक वितरण केन्द्र में समुचित रूप से छांटे और वर्गीकृत की गई जाती उपज के संचालन की भी परिकल्पना की गई थी। ताजे खण्ड के लिए उपयुक्त ग्रेड खुदरा बाजारों को जा रहे थे, जबकि प्रसंस्करणीय ग्रेड उनके और मूल्यवर्द्धन हेतु खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए उपलब्ध थे। अध्ययन में देश में विभिन्न स्थानों पर 6 रणनीतिक वितरण केन्द्रों की स्थापना करने का सुझाव दिया गया था। परन्तु निधियों की कमी तथा एकीकृत शीत श्रृंखला परियोजनाओं और मेगा खाद्य पार्कों में इस संकल्पना के एकीकरण के कारण यह स्कीम शुरू नहीं की गई।

(ङ) और (च) जी हां महोदया। सरकार ताजी कृषि उपज के बेहतर संचालन हेतु देश में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्रों/संग्रहण केन्द्रों की स्थापना सहित राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को निधियां उपलब्ध करा रही है।

सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

2953. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा:
श्री भरत राम मेघवाल:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान सहित सम्पूर्ण देश में एक सघन डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राजस्थान और आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों को धनराशि जारी की है और 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों को अतिरिक्त धनराशि जारी किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डेयरी उत्पादों के बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में नयी डेयरियों की स्थापना के लिए अन्य क्या प्रयास किये जा रहे है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) से (घ) जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'सघन डेयरी विकास कार्यक्रम' ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम में 100% अनुदान सहायता आधार पर देशभर के पर्ततीय तथा पिछड़े जिलों तथा ऐसे जिलों जहां निवेश 50 लाख रुपये से कम था, में कार्यान्वित की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान (2010-11 से 2012-13), 2013-14 (21.08.2013 तक) 'सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) के अंतर्गत जारी राज्यवार राशि तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान जारी की जाने वाली शेष राशि संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ङ) पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग क्रेडिट सम्बद्ध केन्द्रीय सेक्टर की योजना 'डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना' (डीईडीएस) की क्रियान्वित करता रहा है जिसके अंतर्गत स्वदेशी दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण के लिए डेयरी प्रसंस्करण उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना

के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से बैंक-स्वीकार्य परियोजनाओं के अंतर्गत 3.00 लाख रुपये (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 4.00 लाख रुपए) की अधिकतम सीमा की शर्त पर बैक एंडिड पूंजीगत सब्सिडी के रूप में यूनिट लागत का 25% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 33.33%) गुणवत्तापूर्ण तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत भी डेयरी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और राज्य राष्ट्रीय विकास योजना के अंतर्गत भी इस प्रयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान (2010-11 से 2012-13), 2013-14 तक) 'सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी) के अंतर्गत जारी राज्यवार राशि तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान जारी की जाने वाली शेष राशि

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्यों का नाम	कुल अनुमोदित परिव्यय	पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जारी निधियां				12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान जारी की जाने वाली शेष निधि
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	239.41	0.00	0.00	0.00		17.50
2.	आंध्र प्रदेश	2928.20	171.64	0.00	448.67		578.77
3.	हिमाचल प्रदेश	1221.73	0.00	0.00	200.00		400.73
4.	असम	2447.80	0.00	160.00	0.00		1192.42
5.	बिहार	5235.57	0.00	0.00	2052.06		1984.86
6.	झारखण्ड	1238.70	25.00	0.00	207.67		347.24
7.	गोवा	259.46	80.27	0.00	78.02		10.66
8.	गुजरात	600.0	0.00	0.00	0.00		0.00
9.	हरियाणा	2768.18	0.00	375.08	0.00		261.51
10.	हिमाचल प्रदेश	2867.93	149.89	318.83	599.84		204.20
11.	जम्मू और कश्मीर	1243.30	0.00	470.00	0.00		0.00
12.	कर्नाटक	501.51	0.00	124.30	111.65		265.56
13.	केरल	3815.58	150.38	477.53	111.93	460.38	800.04
14.	मध्य प्रदेश	3806.62	410.68	356.34	0.00	678.83	504.63
15.	छत्तीसगढ़	3036.40	0.00	267.25	0.00	649.16	1263.79

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	महाराष्ट्र	4927.09	0.00	350.00	0.00		71.00
17.	मणिपुर	3073.20	200.00	373.06	418.18		1298.25
18.	मेघालय	613.81	0.00	0.00	0.00		33.60
19.	मिजोरम	1435.91	0.00	54.34	0.00		0.00
20.	नागालैंड	2092.11	120.00	149.80	101.11		108.19
21.	ओडिशा	6688.79	399.16	602.75	0.00	306.50	1583.93
22.	राजस्थान	2607.34	200.00	0.00	0.00च		609.77
23.	सिक्किम	3057.87	0.00	34.24	161.80		610.45
24.	तमिलनाडु	2961.88	404.36	558.43	290.31	24.56	262.08
25.	त्रिपुरा	1827.57	0.00	18.56	118.91		789.11
26.	उत्तर प्रदेश	3180.44	77.80	0.00	100.00		261.05
27.	उत्तराखंड	3946.62	50.26	223.82	106.91		1171.96
28.	पश्चिम बंगाल	1644.77	0.00	145.66	394.03		367.50
	कुल	70267.79	2439.44	5059.99	5501.09	2119.43	14998.80

[हिन्दी]

एमपी लैड्स के तहत सुविधा केन्द्र

2954. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्य स्थनीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) के तहत प्रत्येक नोडल जिले में सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) और (ख) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के दिशानिर्देशों के पैरा 3.34 में प्रावधान है कि संसद सदस्य नोडल जिले में एमपीलैड्स सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु पात्र होंगे जिनके लिए स्थान/कक्ष डीआरडीए अथवा सीडीओ कार्यालय/सीईओ जिला पंचायत कार्यालय परिसर में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उपस्कर, फर्नीचर आदि के साथ इन सुविधाओं की व्यवस्था कराने की पूंजीगत लागत 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी तथा इसे एमपीलैड्स निधि से वहन किया जाएगा।

(ग) सुविधा केन्द्रों से संबंधित आंकड़ों का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है।

कोयला खनन में विदेशी कंपनियों के साथ करार

2955. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने देश में खुले और भूमिगत-दोंनों प्रकार के कोयला खनन के लिए विदेशी कंपनियों के साथ कोई करार किया है/करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो देश में कोयला खनन में ऐसे देशों की हिस्सेदारी प्रतिशत के देश-वार ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) कोल इंडिया लि. के पास इस समय इस प्रकार कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि, देश में कोयले की उपलब्धता में सुधार लाने के उद्देश्य से कोल इंडिया की कुछ खानों के प्रचालनों को खुली रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से करने का प्रस्ताव किया गया है जिनमें खानों का कार्य खान विकासकर्ता एवं आपरेटर (एमडीओ) द्वारा किया जाएगा। खुली निविदा होने के नाते कोई भी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कंपनी बोली में भाग लेने के लिए पात्र है।

प्रथमतः 24.24 मि.ट. प्रति वर्ष की अनुमानित क्षमता वाली, 8 खानों की एमडीओ पद्धति के माध्यम से प्रचालन हेतु पहचान की गई है। इनमें से 5 खानें ओपनकास्ट हैं तथा 3 भूमिगत खानें हैं। तथापि, किसी भी मामलें में इक्विटि शेयरिंग का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

2956. श्री ए.के.एस. विजयनः क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत प्रदान की गयी धनराशि और लाभान्वित हुए छात्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इस योजना का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के आवेदन अस्वीकार किये जाने के मामले सामने आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण सहित ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मणिकराव होडल्या गावित): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति के छात्रों को राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के तहत जारी की गयी राशि के ब्यौरे इस प्रकार है:–

वर्ष	जारी किया गया अनुदान (करोड़ रुपये में)
2010-11	141.71
2011-12	59.38
2012-13	35
2013-14	चयन अभी किया जाना है

विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत चुने गए उम्मीदवारों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान योजना का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) योजना में प्रतिवर्ष अधिकतम 2000 नयी अध्येतावृत्ति दिए जाने की अनुमति है। पात्र उम्मीदवारों का चयन उम्मीदवारों द्वारा उनकी स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत पर आधारित परस्पर योग्यता के आधार पर किया गया है। उपरोक्त मानदण्ड के अनुसार 7429 पात्र आवेदकों में से 2012-13 के दौरान 2000 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था।

विवरण

अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत चयनित प्रत्याशी

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष के दौरान चुने गए उम्मीदवारों की संख्या 2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	188	200	148
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	1
3.	असम	24	24	23
4.	बिहार	143	68	157
5.	चण्डीगढ़	2	3	2
6.	छत्तीसगढ़	17	30	29
7.	दिल्ली	30	37	29

1	2	3	4	5
8.	गोवा	0	0	1
9.	गुजरात	46	43	42
10.	हरियाणा	54	57	49
11.	हिमाचल प्रदेश	22	23	18
12.	जम्मू और कश्मीर	10	10	10
13.	झारखंड	14	17	32
14.	कर्नाटक	118	134	103
15.	केरल	40	46	38
16.	मध्य प्रदेश	117	127	110
17.	महाराष्ट्र	135	148	119
18.	मणिपुर	3	8	2
19.	ओडिशा	75	74	73
20.	पुदुचेरी	5	3	2
21.	पंजाब	84	84	84
22.	राजस्थान	120	118	117
23.	सिक्किम	1	0	
24.	तमिलनाडु	188	241	142
25.	त्रिपुरा	4	5	8
26.	उत्तर प्रदेश	436	371	422
27.	उत्तराखंड	19	20	18
28.	पश्चिम बंगाल	105	109	221
	कुल	2000	2000	2000

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) की सिफारिशें

2957. श्री ए.टी. नाना पाटील: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केन्द्र सरकार की सेवाओं में सभी अन्य पिछड़ी जातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी अन्य पिछड़ी जातियों के लिए केन्द्र सरकार की सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) जी, हां।

(ख) एनसीबीसी ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) से प्राप्त पत्र के आधार पर यह सिफारिश की थी कि विभिन्न कारणों की वजह से अन्य पिछड़े वर्गों में कई समुदाय ऐसे हैं जो अनुसूचित जातियों की तुलना मे सामाजिक रूप से काफी अधिक पिछड़े हैं। अत: एनसीबीसी ने सिफारिश की कि लोक सेवाओं में प्रवेश पाने तथा पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाने के मामले में, अन्य पिछले वर्गों के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को प्राप्त सुविधाओं के समान सुविधाएं अनिवार्यत: मिलनी चाहिए।

(ग) कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने आरक्षण विधेयक नामत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (डाक एवं सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 के बारे में वर्ष 2005 में अपनी रिपोर्ट में पदोन्नतियों में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के मुद्दे पर सिफारिश की कि इन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, सरकार को पदोन्नतियों में अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को भी आरक्षण प्रदान करने पर विचार करना चाहिए और इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए।

विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया और यह महसूस किया गया था कि अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति संवैधानिक उपबंधों तथा सतही वास्तविकताओं दोनों के संदर्भ में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की स्थिति से काफी भिन्न है।

[हिन्दी]

सहकारी ढांचे में सुधार

2958. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2013 के आलोक में सहकारी क्षेत्र के कार्यकरण में सुधार करने और इसे सुदृढ़ करने के लिए सहकारी क्षेत्र के ढ़ाचे में सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 05.07.2013 को जारी किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 (एनएफएसओ) में सहकारी में सहकारी क्षेत्र की संरचना में सुधारों का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, एनएफएसओ में अन्य बातों के साथ लक्षित निजी वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में सुधारों के लिए प्रावधान है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारें प्रगामी रूप से करने का प्रयास करेंगी। सुधारों में अन्य बातों के साथ-साथ पंचायतों, स्वावलम्बी समूहों और उचित मूल्य की दुकानों को लाइसेंस देने में सहकारी समितियों और महिलाओं या उनके समूहों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के प्रबंधन जैसी सार्वजनिक संस्थाओं या सार्वजनिक निकायों को प्राथमिकता देना शामिल है।

अरबी खजूरों का पौध-रोपण

2959. श्री देवजी एम. पटेल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अरबी खजूरों के पौधों को लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एक हेक्टेयर में लगाये जा सकने वाले खजूर के पौधों की संख्या और किसानों को प्रति हेक्टेयर दी जाने वाली अनुदान की राशि के साथ-साथ उनके द्वारा प्रति हेक्टेयर अर्जित किये जाने वाले अनुदान की राशि के साथ-साथ उनके द्वारा प्रति हेक्टेयर अर्जित किये जाने वाले संभावित लाभ के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन, राजस्थान सरकार, राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिलों में 130 है, क्षेत्र कवर करते हुए दो सरकारी फार्मों पर प्रदर्शनों तथा 12 पश्चिमी जिलों में 486 हैक्टेयर क्षेत्र कवर करते हुए किसानों के खेतों पर पौध रोपण सहित टिश्यू कल्चर खजूर (डेट पॉम) पौध रोपण की परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया है। स्वामी केशवसनंद कृषि विश्व-विद्यालय, बीकानेर की सिफारिशों के अनुसार, 8 मीटर $\times$ 8 मीटर के अंतरालन पर एक हैक्टेयर क्षेत्र में खजूर (डेट पॉम) के 156 पौधों का रोपण किया जाता है। राजस्थान सरकार टिश्यू कल्चर खजूर के पौधों के लिए किसानों को 90% राजसहायता मुहैया करा रही है।

[अनुवाद]

न्यायालयिक प्रयोगशालाएं

2960. श्री जोस के. मणि: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में जांच एजेंसियों की सहायता के लिए न्यायालयिक प्रयोगशालाओं और ब्रेन-मैपिंग एककों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐस प्रयोगशालाओं और ब्रेन-मैपिंग एककों के कार्यकरण की मॉनीटरिंग के लिए किसी एजेंसी की स्थापना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ङ) क्या सरकार को केरल से राज्य में अत्याधुनिक न्यायालयिक प्रयोगशाला/ब्रेन-मैपिंग एककों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में जांच एजेंसियों की सहायता करने के लिए सात केन्द्रीय न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशालाएं (सीएफएसएल) स्थापित की हैं। कार्यशील यूनिटें हैदराबाद, चंडीगढ़, कोलकाता, पुणे, भोपाल, गुवाहाटी और दिल्ली स्थिति हैं। तथापि, इन सीएफएसएल में कोई ब्रेन मैपिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय के अंतर्गत न्यायालिक विज्ञान तथा निदेशालय इन केन्द्रीय न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के कार्य को मॉनीटर करने के लिए नोडल एजेंसी है।

(ङ) और (च) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

2962. श्री बद्री राम जाखड़: क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण श्रमिकों के संबंध में खाद्य पदार्थों का उपयोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक को पार कर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या थोक मूल्य सूचकांक आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से ऊपर रहता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्यी मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) से (ग) आमतौर पर थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की तुलना में कम होती है। वर्ष 2011, 2012 और 2013 (जुलाई तक) के लिए, खाद्य वस्तुओं के मामले में ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित भारतीय वार्षिक मुद्रास्फीति दरें और खाद्य वस्तुओं तथा खाद्य उत्पादों के मामले में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित अखिल भारतीय वार्षिक मुद्रास्फीति दरें इस प्रकार हैं:

वर्ष	सीपीआई (ग्रामीण श्रमिक)		डब्ल्यूपीआई	
	सूचकांक 19879-87=100	मुद्रास्फीति (%)	सूचकांक 2004-05=100	मुद्रास्फीति (%)
2011	599	6.39	173.5	7.97
2012	640	6.84	187.6	8.13
2013 (जुलाई तक)	702	13.41	199.5(पी)	8.90(पी)

(पी): अनंतिम

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2011 और 2012 में डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति की तुलना में ज्यादा है जबकि वर्ष 2013 में यह कम है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशेष कृषि क्षेत्र

2963. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंजाब में अधिशेष खाद्यान्न उत्पादन को देखते हुए इस राज्य को 'विशेष कृषि क्षेत्र' घोषित करने के संबंध में कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) राज्य को "विशेष कृषि क्षेत्र" के रूप में घोषित किए जाने के लिए पंजाब से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए विधायिका

2964. श्री पी.आर. नटराजन:

श्री विष्णु पद राय:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए विधान सभा या प्रदेश परिषद जैसे किसी निकाय के गठन के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए कब तक विधान सभा या प्रदेश परिषद गठित किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, नहीं। वित्तीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोणों के मद्देनजर फिलहाल अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए विधान सभा के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति

2965. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में केपीसीएल सहित देश में विभिन्न ऊर्जा संयंत्रों को उच्चतर गुणवत्ता वाले कोयले की दर पर घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) से (ग) कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की कोयला कंपनियां ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के अंतर्गत कर्नाटक में कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड (केपीसीएल) सहित सभी विद्युत संयंत्रों/केन्द्रों को कोयले की अपेक्षित गुणवता एवं मात्रा में कोयले की आपूर्ति कर रही है। एफएसए के अनुसार लदान स्थलों पर संयुक्त नमूनाकरण और विश्लेषण की सुविधाएं विद्युत कंपनियों को प्रदान की जाती है ताकि लदान स्थल पर कोयले की गुणवत्ता का मूल्यांकन संयुक्त रूप से किया जा सके तथा विद्युत कंपनियों को उचित गुणवत्ता वाले कोयले की लदान को सुनिश्चित किया जा सके और तथा सावधानी बरती जा सके। एफएसए के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं को लदान स्थल पर विक्रेता और क्रेता द्वारा संयुक्त रूप से कोयले की इस प्रकार निर्धारित की गुणवत्ता के अनुसार कीमत सूची के अनुरूप कोयला बिलों का भुगतान करना होता है। इनके अतिरिक्त, एफएसए की शर्तों के अनुसर संयुक्त मूल्यांकन के बाद उतराई स्थल पर अलग किए गए 250 एमएम आकार के पत्थर/गोल पत्थर के लिए विद्युत संयंत्रों को मुआवजा दिया जाता है।

चूंकि कोयला विषम प्रकृति का है अत: यह संभव है कि कोयले के साथ बाह्य सामग्री जा सकती है जिसके लिए पत्थरों के मुआवजे का प्रावधान ईंधन आपूर्ति करारों (एफएसए) में निधारित किया गया है जिसके अंतर्गत कोयले की आपूर्ति की जा रही है। एफएसए के अनुसार लदान स्थलों पर संयुक्त नमूनाकरण और विश्लेषण भी विद्युत संयंत्रों को प्रदान किया जाता है और तदनुसार मूल्य निर्धारित किया जाता है। कोयले की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीआईएल द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है:–

i. सतही खनिको द्वारा चयनित खनन तथा स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी को अपनाना;

ii. ओवर वर्डन और कोयल बेंचों की समुचित स्थिति निधारित करना ताकि प्रदूषण को रोका जा सके;

iii. विस्फोटन से पहले कोयल बेंचो की स्क्रेपिंग/क्लीनिंग;

iv. कोयले का लदान करने से पहले कन्वेयरो पर मैटल डिटेक्टरो/मैग्नेटिक सेपरेटरों की स्थापना करना;

v. बड़ी परियोजनाओं में कोयले की आकारीकृत/एक समान गुणवत्ता प्रेषित करने के लिए उच्च क्षमता कोयला हैंडलिंग संयंत्र;

vi. नियमित गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए परियोजना स्थल पर सुसज्जित प्रयोगशालाओं की स्थापना;

vii. निरन्तर गुणवत्ता के लिए खान मुहाने, स्टॉक और लदान बिन्दुओं/साइडो पर शेल पिकिंग;

viii. सभी सिलों लदान स्थलो पर आटो मैकेनिकल सैम्पलर्स की स्थापना;

वन लिपिक

2966. श्री विष्णु पद राय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन लिपिकों के खत्म होते संवर्ग का अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सम्मिलित लिपिक संवर्ग के साथ पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्गठन प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में वित्तीय निहितार्थ क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी हां।

(ख) पर्यावरण एवं वन विभाग के वन लिपिक संवर्ग के पुनर्गठन में कोई वित्तीय निहितार्थ सन्निति नहीं है।

(ग) पुनर्गठन प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और इस संबंध में कार्यालय आदेश सं. ई/943, दिनांक 23.08.2013 के द्वारा आदेश जारी किया गया है।

राष्ट्रीय सूखा राहत आयोग

2967. श्री राजू शेट्टी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय जल आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय सूखा राहत आयोग की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस आयोग की कब तक स्थापना किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय जल आयोग की तरह राष्ट्रीय सूखा राहत आयोग की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

निजी क्षेत्र द्वारा स्मारकों का संरक्षण

2968. श्री पूर्णमासी राम:
कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐतिहासिक स्थलों/विरासत स्थलों के रख-रखाव कार्य का जिम्मा लेने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए क्या मानदंड/शर्तें तय की गयी हैं;

(ख) क्या इन कंपनियों द्वारा संरक्षण कार्य करने में उक्त मानदंड/शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या निजी कंपनियां ऐतिहासिक/विरासत स्थलों पर दर्शकों से भारी भरकम प्रवेश शुल्क वसूलती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं?

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारकों के अनुरक्षण कार्य के लिए किसी निजी कंपनी को कार्यभार नहीं सौंपा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षण कार्य मुख्यत: विभागीय तौर पर किया जाता है।

(घ) और (ङ) किसी भी निजी एजेंसी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों पर पर्यटकों से किसी प्रकार का शुल्क लेने की अनुमति नहीं है।

[अनुवाद]

अव्यपगतनीय निधियों को वार्षिक योजनाओं के साथ मिलाना

2969. श्री रमेश डेका: क्या **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु संसाधनों के अव्यपगतनीय केन्द्रीय पूल को वार्षिक योजनाओं के साथ मिलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): (क) और (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों की वार्षिक योजनाओं का अनुमोदन उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय नहीं करता है। केन्द्रीय बजट में अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का हिस्सा है।

भिक्षा मांगना

2970. प्रो. सौगत राय:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली सहित देश में लगभग सभी यातायात सिग्नलों पर सैकड़ों अधनंगे बच्चों द्वारा भीख मांगने और उनके अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहने पर गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने और ऐसे बच्चों के समुचित पुनर्वास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) फिलहाल, भिक्षावृत्ति के संबंध में कोई केन्द्रीय विधान नहीं है। तथापि, भिक्षावृत्ति में संलग्न बच्चों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) धिनियम, 2000 के उपबंध के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण प्राप्त करने की आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में माना जाता है तथा जिला बाल कल्याण समिति ऐसे मामलों को देखती है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के माध्यम से उनका पुनर्वास करती है।

इसके अलावा, दिल्ली में ट्राफिक सिग्नलों पर भिक्षावृत्ति में संलग्न बच्चों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर बाल कल्याण

समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। फिलहाल, दिल्ली सरकार ने देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना की है:–

i. 7 बाल कल्याण समितियां हैं, जो देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सक्षम प्राधिकरण हैं।

ii. उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बच्चों के लिए 21 बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना की गई है।

iii. इसके अलावा, सरकार ने एनजीओ द्वारा संचालित बालगृहों को मान्यता प्रदान की है।

iv. विभाग ने इन बच्चों को आश्रय प्रदान करने के लिए एनजीओ द्वारा संचालित 8 आश्रय गृहों को भी अधिसूचित किया है।

v. एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत शहरी एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में बच्चों के लिए 15 खुला आश्रय गृह हैं।

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता रखने वाले बच्चों को उपर्युक्त गृहों में रखा जाता है तथा उन्हें उनके विकास एवं उन्नति के लिए निःशुल्क भोजन तथा आवास, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा, चिकित्सीय सेवाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा मनोविनोद सुविधाएं प्रदान की जाती है।

भूख के कारण मौतें

2971. श्री वरूण गांधी: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निदेशित किया है कि वह देश में प्रत्येक वर्ष भूख से मरने वाले बच्चो की संख्या के संबंध में शपथ-पत्र दाखिल करे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसा शपथ-पत्र दाखिल कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने भूख से मरने वाले बच्चों की संख्या के बारे में शपथ पत्र दाखिल करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को निर्देश जारी नहीं किया है। अत: विभाग द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

2972. श्री मकन सिंह सोलंकी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु कोई योजना/प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थान राज्य-वार उक्त इकाइयों को किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन इकाइयों को कब तक खोलने और चालू किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) जी हां महोदया। 11वीं योजना के दौरान सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम का कार्यान्वयन किया था। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीम के अंतर्गत सभी उप-क्षेत्र जैसे फल एवं सब्जियां, दुग्ध उत्पाद, मांस, पॉल्टी, मात्स्यिकी, अनाज/अन्य उपभोक्ता खाद्य पदार्थों इत्यादि को वित्तीय सहायता देने के लिए शामिल किया गया है।

हालांकि, मंत्रालय ने 12वीं योजना के दौरान 01.04.2012 से एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन शुरू किया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन की उपरोक्त स्कीम को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन हेतु 01.04.2012 से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) में सन्निविष्ट कर दिया गया है। 01.04.2012 से प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एनएमएफपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत का सामान्य क्षेत्रों में 25% परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपए, दुर्गम क्षेत्रों (जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षयद्वीप) एवं एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) क्षेत्रों में 33.33% परन्तु अधिकितम 75 लाख रुपए और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 50 परन्तु अधिकतम 1000 लाख रुपए।

(ख) और (ग) मंत्रालय, अपने स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की नई स्थापनाएं नहीं करता है। परन्तु, यह पूरे देश में उद्यमियों/आवेदकों को खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देता है। पिछले चार वर्षों के दौरान उपर्युक्त स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त मछली प्रसंस्करण यूनिटों का ब्यौरा एक विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

चालू वर्ष तथा 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र को राज्य-वार और यूनिट-वार प्रदान की गई राशि/सहायता

मात्स्यिकी क्षेत्र को प्रदान की गई राशि/सहायता (लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13#		2013-14#	
		इकाइयां@	व्यय	इकाइयां@	व्यय	इकाइयां@	व्यय	इकाइयां@	व्यय*
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	3	58.23	-	-	-	-
2.	गोवा	1	15.60	-	-	7	-	-	-
3.	गुजरात	1	17.50	4	100.00	-	-	1	17.50
4.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	हिमाचल प्रदेश	1	28.395	-	-	-	-	-	-
6.	केरल	3	56.61	10	196.09	3.	56.99	2	31.99
7.	महाराष्ट्र	2	50.00	2	50.00	-	-	1	25.00
8.	मणिपुर	-	7	3	58.22	14	313.26	7	166.08
9.	तमिलनाडु	1	25.00	1	25.00	-	-	-	-
10.	पश्चिम बंगाल	-	-	4	88.22	-	-	3	65.24
11.	सम्पूर्ण भारत	9	193.105	27	575.76	17	370.25	14	305.81

@- स्वीकृत इकाइयां

*- 21.08.2013 तक

#- 11वीं योजना की केवल प्रतिबद्ध देयताएं

भूकम्पों का सामना करने के लिए तैयारी

2973. श्रीमती अश्वमेध देवी:
श्री एम.के. राघवन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भूस्थैनिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों और संयुक्त राष्ट्र के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्त्ताओं के निष्कर्षो अनुसार हिमालयी क्षेत्र के नीचे बड़े भूकम्पों की अत्यधिक संभावनाएं हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या बचाव उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) राष्ट्रीय भूस्थैनिक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अनुसंधान परियोजना के एक भाग के रूप में 3 वर्षों में उत्तराखंड क्षेत्र की विस्तृत भूकम्प-विज्ञान संबंधी जांच की। परियोजना का उद्देश्य भूकम्प की उत्पत्ति के संदर्भ में क्षेत्र के लिए विस्तृत संरचनात्मक ढांचा उपलब्ध कराना था। अनुसंधानकर्ताओं ने पूर्व के अनुमानों की तुलना में काफी भिन्न संरचनात्मक विशिष्टताएं पाई। इस विशिष्टता में स्थल पर गहराई में दबाव (ऊर्जा) हो सकता है। भंडारित ऊर्जा को छोड़ने की अनेक संभावनाओं में से एक बड़े भूकम्प के रूप में है।

राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण (एनडीएमए) ने भूकंप के प्रबंधन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत में भूकंप के अधिक जोखिम और भूकंप की अतिसंवेदनशीलता के कारण सभी स्टेकहोल्डरों से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि अब के बाद बनने वाली सभी संरचनाएं भूकंप रोधी भवन कोड और नगर आयोजना उप-कानूनों के अनुसार हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने भवनों और संरचनाओं के भूकंपरोधी डिजाइन और निर्माण के लिए भारतीय मानक बनाए हैं। भवनों के भूकंप डिजाइन और निर्माण हेतु संबंधित भारतीय मानकों/कोडों/विनिर्देशनों/दिशानिर्देशों में शामिल विभिन्न प्रावधानों को ऐसे भवनों की सुरक्षा, स्थिरता और टिकाऊपन के लिए अपनाना अपेक्षित है। उपर्युक्त भारतीय मानकों और कोडों के प्रावधानों को अनिवार्य बनाने बनाने के लिए अपने तकनीकी कानूनी क्षेत्रों को सुदृढ़ करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की जिम्मेदारी है।

[अनुवाद]

लापता बच्चों को खोजने के लिए समेकित प्रणाली

2974. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी लापता बच्चों के मामलों में उन्हें खोजने के लिए डिजिटल और समेकित प्रणाली पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी प्रणाली को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) और (ख) गृह मंत्रालय के साथ परामर्श से महिला एवं बाल बिकास मंत्रालय ने देश में 'ट्रैक चाइल्ड' नामक एक वेब पोर्टल की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य लापता एवं बरामद बच्चों के मिलान में सहायक पहचान संबंधी गहन विवरणों को समाहित करते हुए सभी लापता बच्चों के वास्तविक समय के डाटा का रख-रखाव करना है।

'ट्रैक चाइल्ड' परियोजना का कार्यान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में है। गृह मंत्रालय इस संबंध में आयोजित बैठकों एवं जारी परामर्श के माध्यम से कार्यान्वयन प्रक्रिया को गति देने के लिए उन्हें निरंतर स्मरण कराता रहता है।

[हिन्दी]

चीनी निर्यात

2975. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी के निर्यात संबंधी किसी स्पष्ट नीति के अभाव के कारण निर्यातों सहित चीनी बाजार में एक निश्चितता का वातावरण निर्मित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को चीनी निर्यात नीति और चीनी निर्यातकों के कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की प्रकृति क्या और सरकार द्वारा इन शिकायतों का किस ढंग से निराकरण किया गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान नीति के अनुसार चीनी का निर्यात निर्बाध है बशर्ते कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के पास प्रमात्रा का पंजीकरण कराया गया हो।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार को हाल ही में वर्तमान चीनी निर्यात नीति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, चीनी निर्यातकों की कार्य-प्रणाली के संबंध में, सरकार को अधिमान्य कोटे के अधीन यूरोपीय संघ को निर्यात के संचालन संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है।

क्लोरीन गैस का रिसाव

2976. श्री प्रेमचन्द गुड्डू:
श्री देवराज सिंह पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश के नागदा जिले में स्थित औद्योगिक इकाइयों में क्लोरीन गैस के रिसाव की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त घटनाओं में घायल और मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) प्रारंभ की गई जांच का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): (क) ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है

गेहूं का निर्यात

2977. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक देशों ने भारत से गेहूं आयात करने की इच्छा जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश में गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) जी, नहीं, भारत से गेहूं का आयात करने के लिए किसी भी देश से कोई औपचारिक अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि पिछले वर्ष ईरान को सरकार से सरकार आधार पर गेहूं का निर्यात करने का प्रस्ताव था किन्तु ईरान सरकार की पादप स्वच्छता अपेक्षाओं के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने देश से गेहूं के निर्यात की अनुमति दिनांक 09.09.2011 से ''मुक्त श्रेणी'' के अंतर्गत प्रदान की है। इसके अलावा केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की अनुकूल स्थिति, भंडारण स्थान की अस्थाई समस्या तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की उत्साहजनक मांग को देखते हुए सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मक वैश्विक निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए वाणिज्य विभाग के केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से दिनांक 30.6.2012 तक भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय पुल के स्टॉक से 45 लाख टन गेहूं की निर्यात की अनुमति प्रदान की है।

सरकार ने निजी व्यापारियों के माध्यम से निर्यात के प्रयोजनार्थ पंजाब तथा हरियाणा में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से रबी विपणन मौसम 2011-12 से संबंधित गेहूं के स्टॉक से दिनांक 30.6.2013 तक अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं की बिक्री भी अनुमोदित की है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 5 बार निविदाएं जारी की गईं किन्तु निजी व्यापारियों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

हाल ही में दिनांक 08.08.2013 को सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से केन्द्रीय पूल के स्टॉक से गेहूं की 20 लाख टन अतिरिक्त मात्रा का निर्यात अनुमोदित किया है।

[अनुवाद]

रूस के साथ सुरक्षा समझौता

2978. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने विगत में द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के मध्य आपात प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते से संबंधित किसी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) जी, हां। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, आपदा प्रबंधन, भारतीय पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण,

सुरक्षा संबंधी उपकरणों और प्रौद्योगिकी, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए अप्रैल, 2013 में मास्को में माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के शिष्टमंडल ने माननीय आंतरिक मंत्री और माननीय आपात स्थिति मंत्री के नेतृत्व में रूस की सरकार के शिष्टमंडल के साथ विचार-विमर्श किया।

(ग) और (घ) जी, हां। मई, 2013 में रूस में भारत के शिष्टमंडल के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच भारत और रूस के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौते से संबंधित प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौते पर दिसम्बर, 2010 में नई दिल्ली में आयोजित 11वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। सूचना का आदान-प्रदान, समय पूर्व चेतावनी, जोखिमों का मूल्यांकन, संयुक्त सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाएं, विशेषज्ञों के प्रशिक्षण, तकनीकी सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध कराने में पारस्परिक सहायता, आपात स्थिति की तैयारी, निवारण और कार्रवाई, आयोजना में समय पूर्व सूचना प्रणालियों तथा क्षमता निर्माण में वृद्धि करने में पारस्परिक सहायता और आपात स्थिति की तैयारी, निवारण और कार्रवाई आदि से संबंधित कार्यकलाप करना सहयोग के मुख्य क्षेत्र और प्रकार हैं।

धान पौध रोपण

2979. डॉ. मन्दा जगन्नाथ:
श्री वरूण गांधी:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री जगदानंद सिंह:
श्री गणेश सिंह:
श्रीमती राजकुमारी चौहान:
श्री कुलदीप बिश्नोई:
श्री आर ध्रुवनारायण:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के कुछ भागों में चावल का उत्पादन घटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश भर में कृषि कामगारों/श्रमिकों की कमी के कारण धन पौध रोपण समय के दौरान चावल की खेती प्रभावित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए चावल के उत्पादन को बढ़ाने हेतु संकर चावल की खेती और चावल संघनीकरण की प्रणाली को बढ़ावा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान किसानों को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों अर्थात 2010-11 से 2012-13 के दौरान चावल के उत्पादन के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। मौजूदा वर्ष अर्थात 2013-14 के लिए चावल के उत्पादन अनुमानों का ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान, चावल के उत्पदन में गिरावट की सूचना मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के राज्यों से प्राप्त हुई है। उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण वर्षा परिस्थितियों की अनियमितताएं हैं जिससे क्षेत्रीय कवरेज/उत्पादकता में कमी रही है।

(ग) चूंकि चावल क प्रतिरोपण कार्य एक श्रमोन्मुखी संचालन है जो बहुत क्षेत्रों में साथ-साथ किया जाता है अत: शीर्ष कृषि मौसम के दौरान श्रमिकों की कमी आम होती है। श्रमिकों के लिए शीर्ष मौसम मांग की आवश्यकता के अनुसार तथा लागतों को कम करने के लिए, भारत सरकार उक्त कृषि संचालनों के लिए समुचित अभियांत्रिकीकरण के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है अर्थात राईसट्रांसप्लांटरों एवं ड्रम सिडरों का उपयोग।

(घ) और (ङ) देश में चावल के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए योजनाओं के तहत चावल तीव्रीकरण पद्धति (एसआरआई) तथा हाईब्रिड चावल प्रौद्योगिकीयों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है, नामत: पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (बीजीआरईआई) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)। सरकार चावल तीव्रीकरण पद्धति को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण आदानों के मद में राजसहायता भी प्रदान कर रही है। इसके अलावा किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके चवल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि की गई है।

विवरण

2010-11 से 2012-13 के दौरान चावल उत्पादन के राज्य-वार अनुमान

राज्य	उत्पादन ('000 टन)		
	2010-11	2011-12	2012-13*
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	14418.0	12895.0	10914.6
असम	4736.6	4516.3	4562.0
बिहार	3102.1	7162.6	7336.0
छत्तीसगढ़	6159.0	6028.4	6608.8
गुजरात	1496.6	1790.0	1503.0
हरियाणा	3472.0	3759.0	3976.0
हिमाचल प्रदेश	128.9	131.6	134.3
जम्मू और कश्मीर	507.7	544.7	545.6
झारखण्ड	1110.0	3130.6	3026.7
कर्नाटक	4188.0	3955.0	3283.0
केरल	522.7	569.0	531.0
मध्य प्रदेश	1772.1	2227.3	2775.0
महाराष्ट्र	2696.0	2841.0	3042.0
ओडिशा	6827.7	5807.0	7639.5
पंजाब	10837.0	10542.0	11374.0
राजस्थान	265.5	253.4	222.5
तमिलनाडु	5792.4	7458.7	4399.5
उत्तर प्रदेश	11992.0	14022.0	14413.0
उत्तराखण्ड	550.4	594.0	581.0
पश्चिम बंगाल	13045.9	14605.8	14961.7
अन्य	2349.3	2467.7	2569.5
अखिल भारत	95970.0	105301.0	104398.7

*चौथे अग्रिम अनुमान

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कोयला खानों का आबंटन

2980. श्री बृजभूषण शरण सिंह: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मोहन कोयला खानों सहित मध्य प्रदेश में कोयला खानों का आबंटन विभिन्न सरकारी और निजी कंपनियों को इस प्रयोजन हेतु निर्धारित विधिवत प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अभी तक कोयला खानों के विकास का कार्य प्रारंभ नहीं किया है और इन कोयला ब्लॉकों के विकास कार्य को प्रारंभ करने में विलंब के क्या कारण हैं:

(ग) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी कोयला ब्लॉकों के आबंटन पर आपत्तियां जताई हैं;

(घ) यदि हां तो इन मंत्रालय द्वारा जताई गई आपत्तियों का ब्यौरा है; और

(ङ) सरकार/मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतीक पाटील): (क) और (ख) आज की तारीख में मध्य प्रदेश में विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों को ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	आवंटन की तिथि	आवंटित ब्लॉक	निजी(पी) सरकारी (जी)	अन्त्य उपयोग	(स्थिति)
1	2	3	4	5	6	7
1.	बीएलए इंस्ट्रीज	21.06.1996	गोटीटीरिया (ईस्ट)	पी	धारा 3(3)(ग) (i) लघु पृथक वितरण	उत्पादन किया जा रहा है

1	2	3	4	5	6	7
2.	बीएलए इंडस्ट्रीज	31.06.1996	गोटीटोरिया (वेस्ट)	पी	वही	उत्पादन किया जा रहा है
3.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	12.01.2006	अमेलिया	जी	वाणिज्यिक	गैर-उत्पादक
4.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	12.01.2006	अगेलिया (नार्थ)	पी	विद्युत	गैर-उत्पादक
5.	इरसार पावर लि.	12.04.2006	महान	पी	विद्युत	गैर-उत्पादक
	हिंडालको इंडस्ट्रीज	12.04.2006	महान	जी	वाणिज्यिक	गैस-उत्पादक
6.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लि.	02.08.2006	डोंगरी तल-II	जी	विद्युत	गैर-उत्पादनक
7.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	02.08.2006	मारा-II महान	जी	विद्युत	गैर-उत्पादक
	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लि.	02.08.2006	मारा-II महान	पी	विद्युत	उत्पादन किया जा रहा है
8.	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	मोहेर	पी	विद्युत	उत्पादन किया जा रहा है
9.	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	13.09.2006	मोहेर-अमलोहरी विस्तार	पी	विद्युत	गैर-उत्पादक
10.	विद्युत वित्त निगम ओडिशा यूएमपीपी	26.10.2006	छत्रसाल	पी	सीमेंट	गैर-उत्पादक
11.	प्रिज्म सीमेंट लि.	29.05.2007	सिआलघोघरी	जी	वाणिज्यिक	गैर-उत्पादक
12.	एपीएमडीसी	25.07.2007	सुलियारी	जी	वाणिज्यिक	गैर-उत्पादक
13.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम (एमपीएसएमसी)	25.07.2007	सुलियारी	जी	वाणिज्यिक	गैर-उत्पादक
14.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25.07.2007	शाहपुर ईस्ट	जी	वाणिज्यिक	गैर-उत्पादक
15.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25.07.2007	शाहपुर वेस्ट	जी	वाणिज्यिक	गैर-उत्पादक
16.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	बिचापुर	जी	वाणिज्यिक	गैर-उत्पादक
17.	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	मांडला साउथ	पी	स्पांज आयरन	गैर-उत्पादक
18.	पुष्प इस्पात एवं माइनिंग लि.	16.07.2007	ब्रहमपुरी	पी	सीमेंट	गैर-उत्पादक
19.	जयप्रकाश एसोसिएट लि.	17.09.2007	मांडला नार्थ	पी	इस्पात	गैर-उत्पाक
20.	मिडईस्ट इंटीग्रेटि स्टील्स लि.	05.08.2008	टांडसी-III एवं टांडसी-III (विस्त.)	पी	सीमेंट	गैर-उत्पादक
21.	बिरड़ा कारपोरेश लि.	12.08.2008	बिक्रम	पी	स्पांज आयरन	गैर-उत्पादक
22.	कमल स्पांज स्टील एंड पावर लि.	21.11.2008	तेसगोरा-बी/रुद्रापुर	पी	सीमेंट	गैर-उत्पादक

1	2	3	4	5	6	7
	रेवती सीमेंट प्रा.लि.	21.11.2008	तेसगोरा-बी/रूद्रापुरी	पी	स्पांज आयरन	गैर-उत्पादक
23.	जिन्दल स्टील एडं	12.10.2009	उर्थान नार्थ	पी	स्पांज आयरन	गैर-उत्पादक
	मोनेट इस्पात एवं एजर्नी लि.	12.10.2009	उर्थान नार्थ	पी	स्पांज आयरन	गैर-उत्पादक

जिन ब्लॉकों में उत्पादन नहीं हो रहा है, वे सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करने के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खाद्यान्नों की खरीद

2981. श्री पी.सी. मोहन:
श्री अजय कुमार:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेन्सियों द्वारा इस चालू वर्ष के दौरान गेहूं सहित खाद्यान्नों की खरीद की गति सरकार के अनुमानों के अनुसार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके राज्य-वार क्या कारण हैं; और

(ग) खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में खरीद सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): (क) और (ख) गेहूं और चावल की खरीद के अनुमान खरीफ विपणन मौसम और रबी विपणन मौसम प्रारंभ होने से पहले राज्य सरकारों के परामर्श से लगाए जाते हैं। विक्रेताओं द्वारा खरीद केन्द्रों पर लाए गए गेहूं और चावल की खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं पहले से की जाती हैं। खरीफ विपणन मौसम 2013-14 के लिए 401.31 लाख टन गेहूं की खरीद करने का अनुमान लगाया गया था। तथापि, दिनांक 22.08.2013 तक 339.29 लाख टन चावल तथा 250.91 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है। अनुमानों तथा खरीदे गए गेहूं और चावल का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

संबंधित विपणन मौसम के दौरान गेहूं और चावल की कम खरीद के कारण विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा दिए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक बाजार मूल्य तथा पिछले वर्ष की तुलना में पंजाब और हरियाणा में गेहूं की और दक्षिण भारत स्थित चार राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु में चावल की उपज कम होना है।

(ग) खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा की खरीद सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल है:

(i) स्वीकार्य नमी की मात्रा, विजातीय तत्व आदि जैसी विनिर्दिष्टियों का व्यापक प्रचार किया जाता है ताकि तदनुसार किसान अपनी उपज ला सकें और खरीद केन्द्रों पर अपनी उपज लाने में उन्हें कोई कठिनाई न उठानी पड़े। किसानों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हैंडबिल/विवरण पत्र भी वितरित किए जाते हैं।

(ii) खरीद केन्द्रों/मंडियों में सफाई और भारमापन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, मॉइश्चर मीटरों और बोरियों की व्यवस्था भी की जाती है ताकि किसानों के उत्पादों को तत्परता से स्वीकार किया जा सके।

(iii) मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां किसान और सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, खरीद केन्द्र पर उत्पाद लाने के लिए तारीख और समय के बारे में सूचना एसएमएस के जरिए दी जाती है।

(iv) न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रचालनों तक किसानों की आसान पहुंच के लिए विनियमित मंडियों के अलावा अस्थायी खरीद केन्द्र भी खोले जाते हैं।

(v) यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को अपने उत्पाद की बिक्री के 48 घंटों के भीतर भुगतान कर दिया जाए।

(vi) खरीद केन्द्रों को राज्य सरकार के परामर्श से खरीद मौसम के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तारीख तक प्रचालित रखा जाता है।

(vii) भारतीय खाद्य निगम सुनिश्चित करता है कि खुली खरीद की प्रकिया में निधियों का काई संकट उत्पन्न नहीं होना चाहिए अर्थात खरीद केन्द्र पर अंत में लाया गया खाद्यान्न भी खरीद लिया जाए।

विवरण

चावल और गेहूं का अनुमान और खरीद

(लाख टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2012-13		2013-14	
	चावल		गेहूं	
	अनुमान	खरीद	अनुमान	खरीद
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				
आंध्र प्रदेश	96.00	64.32		
अरुणाचल प्रदेश				
असम	1.00	0.20		
बिहार	20.10	13.03	15.00	
चंडीगढ़				
छत्तीसगढ़	43.50	48.04		
दिल्ली				
गुजरात			0.75	
हरियाणा	16.75	26.09	78.00	58.73
हिमाचल प्रदेश				
जम्मू और कश्मीर			0.40	
झारखंड	3.40	2.15		
कर्नाटक	3.50	0.73		
केरल	4.00	2.40		
मध्य प्रदेश	13.00	8.98	130.00	63.55
महाराष्ट्र	3.00	1.91	0.36	
नागालैंड				
ओडिशा	30.00	36.07		
पुडुचेरी				
पंजाब	85.00	85.58	140.00	108.97

1	2	3	4	5
राजस्थान			25.00	12.68
तमिलनाडु	17.00	4.81		
उत्तर प्रदेश	41.00	22.86	50.00	6.83
उत्तराखंड	4ण00	4.97	1.50	0.05
पश्चिम बंगाल	20.00	17.12	0.20	0.02
अन्य	0.06	0.15	0.00	0.08
अखिल भारत जोड़	401.31	339.41	441.21	250.91

22.08.2013 की स्थिति के अनुसार
नियंत्रण कक्ष

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

2982. श्री समीर भुजबल:
श्री चार्ल्स डिएस:
श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:
श्री एम. कृष्णास्वामी:
श्री आर. ध्रुवनारायण:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) के कार्यकरण में अनियमितताओं के संबंध में कोई रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त हुई है और अब तक इनमें से प्रत्येक मामले पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तर्ज पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव अनंतिम किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 में निर्धारित इसके अधिदेश के अनुसार कार्य कर रहा है। हाल ही में, आयोग के कार्य में कथित अनियमितताओं के बारे में मंत्रालय में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को और अधिक सशक्त बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव की इस समय जांच की जा रही है।

कृषि प्रौद्योगिकी

2983. श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री मकनसिंह सोलंकी:
श्री तूफानी सरोज:
श्री नित्यानंद प्रधान:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्त चिन्ताओं के आलोक में कृषि पद्धतियों और तकनीकों में जमीनी स्तर पर नवाचरों का उन्नयन करके इनका लाभ किसानों तक पहुंचाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) की भूमिका का आकलन करने का है ताकि कृषि प्रौद्योगिकियों का जमीनी स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से संवर्धन और प्रसार हो सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एटीएमए द्वारा देश भर में क्या कार्यकलाप प्रारंभ किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा किसानों तक नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी का लाभ पहुंचाने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए और इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) जी, हां।

(ख) उचित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए किसानों के नवीनतम अनुभवों का उपयोग करने हेतु, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भा.कृ.अ.प.) ने खोजी कृषकों के नवीन कार्यों के साथ उनके व्यक्तित्व के अभिलेखीकरण का कार्य प्रारंभ किया है। इस संबंध में विभिन्न किसानों द्वारा किए गए नए कार्यों के प्रकाशन निकाले हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्यों तथा अन्य प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श से जमीनी स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रसार को ज्यादा प्रभावकारी बनाने के लिए एटीएमए की भूमिका का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन करवाया गया है। इनके आधार पर, एटीएमए स्कीम को 2010 में संशोधित किया गया। इस योजनाओं के तहत जिला और खण्ड स्तर पर समर्पित मानव शक्ति और ग्राम स्तर पर किसान मित्र प्रदान किए गए हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित क्रियाकलापों के संबंध में विस्तार विधियों सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 244852 विस्तार कार्मिकों की क्षमता का विकास किया गया है। किसानों की क्षमता के विकास हेतु प्रशिक्षण (4478261 दिवसों), एक्सपोजर दौरे (2479460 मानव दिवसों), 971180 प्रदर्शनों और 31027 विस्तार गतिविधियों का आयोजन किया गया।

इसके अलावा प्रौद्योगिकियों को प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के लिए 45706 कृषि स्कूलों का आयोजन किया गया। समूह के माध्यम से प्रसार की सुविधा को सरल बनाने हेतु 79315 वस्तु समूह बनाए गए।

(ङ) कृषि एवं सहाकारिता विभाग की सभी चालू विस्तार स्कीमों को बारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन के तहत लाने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन ने एटीएमए के ढ़ांचा और खण्ड प्रौद्योगिकी दलों के माध्यम से समय पर सूचना और उचित प्रौद्योगिकी के प्रसार पर ध्यान देने हेतु प्रस्ताव किया है। कृषि विस्तार मशीनरी की पुन: संरचना और सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव कार्मिकों के गहन व आउटरीच प्रक्षेत्र विशेषज्ञों और नियमित क्षमता निर्माण के माध्यम से गुणवत्ता में वृद्धि, सूचना प्रसार के आदान-प्रदन, सार्वजनिक निजी साझेदारी और आईसीटी/मास मीडिया का व्यापक और नवीनतम उपयोग, विवेकपूर्ण होगा।

मेगा फूड पार्क

2984. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री लालजी टन्डन:
श्री गणेश सिंह:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में फलों और सब्जियों के भण्डारण और प्रसंस्करण हेतु चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में मेगा फूड पार्कों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु पहचान किए गए स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में मेगा फूड पार्क योजना के कार्यकरण की समीक्षा के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति की संरचना क्या है; और

(ङ) उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. चरण दास महंत): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम जो खाद्य प्रसंस्करण के लिए अवसंरचना विकास स्कीम का एक घटक है का कार्यान्वयन कर रहा है इसके अंतर्गत देश में शीत श्रृंखला अवसंरचना के सृजन हेतु संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत की सामान्य क्षेत्रों में 50% की दर से और पूर्वोत्तर राज्यों सहित दुर्गम क्षेत्रों में 75% की दर से परन्तु अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (एनएमएफपी) के अंतर्गत (i) निर्माण (आईडीसी) के दौरान ब्याज सहित बैंक द्वारा आंकी गई परियोजना लागत की सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दुर्गम क्षेत्रों के लिए 50% की दर से परन्तु अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी और (ii) सामान्य क्षेत्रों में परियोजना पूरी होने के पश्चात 5 वर्षों के लिए 6% वार्षिक की दर से परन्तु अधिकतम 2.00 करोड़ रुपये प्रति परियोजना ब्याज सब्सिडी अथवा सावधि ऋण पर प्राप्त हुआ वास्तविक ब्याज, जो भी कम हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित दुर्गम क्षेत्रों के लिए परियोजना पूरी होने के पश्चात 7 वर्षों की अवधि के लिए 7% वार्षिक की दर से परन्तु अधिकतम 3.00 करोड़ रुपये प्रति परियोजना ब्याज सब्सिडी अथवा सावधि ऋण पर प्राप्त हुआ वास्तविक ब्याज, जो भी कम हो, की अनुदान सहायता के रूप में गैर-बागवानी आधारित शीत श्रृंखला परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

सरकार प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने, बरबादी को कम करने, मूल्यवृद्धि करने, किसानों की आय बढ़ाने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र रूप से विकास हो रहा है। स्कीम में देश में नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना तथा मौजूदा यूनिटों के प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं विस्तार के लिए वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है। स्कीम में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को अनुदान सहायता के रूप में नीचे दिए अनुसार वित्तीय सहायता देने की परिकल्पना की गई है:-

(i) सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की 25% परन्तु अधिकतम 50.00 लाख रुपये।

(ii) दुर्गम क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप) तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (आईटीडीपी) क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की 33.33% परन्तु अधिकतम 75.00 लाख रुपये।

(iii) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की 50% परन्तु अधिकतम 100 लाख रुपये।

(ख) और (ग) सरकार खेत से लेकर प्रसंस्करण केन्द्रों तक मांग के आधार पर आधुनिक अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने के लिए मेगा खाद्य पार्क स्कीम कार्यान्वित कर रही है। यह स्कीम हब एवं स्पॉक मॉडल में प्रचालित होती है जिसमें खेत समीपस्थ सुविधाएं जैसे केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) से सम्बद्ध संग्रहण केन्द्र (सीसी), प्राथमिक प्रसंस्करण केन्द्र (पीपीसी) शामिल हैं।

स्कीम एसपीवी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है जो भारतीय कंपनीज अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी होनी चाहिए और उसमें कम से कम खाद्य प्रसंस्करणकर्ता समेत 3 स्वतंत्र प्रमोटर होने चाहिए जिनकी न्यूनतम 26% इक्विटी हो।

स्कीम के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत की 50% की दर से तथा दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा राज्यों के आईटीडीपी अधिसूचित क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत की 75% की दर से परन्तु अधिकतम 50.00 करोड़ रुपये प्रति परियोजना पूंजी अनुदान दिया जाता है।

सरकार ने 11वीं योजना के दौरान 30 मेगा खाद्य पार्कों की स्थापना और 12वीं योजना में 12 परियोजनाओं का अनुमोदन दिया है। स्कीम के अंतर्गत 11वीं योजना के दौरान अनुमोदित 30 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाओं को 'अंतिम' अनुमोदन और 16 परियोजनाओं को 'सैद्धान्तिक' अनुमोदन दिया जा चुका है। 30 परियोजनाओं के स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी नहीं, महोदया।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्यवार 30 परियोनाओं के स्थान

क्र.सं.	नाम	स्थिति	'सैद्धान्तिक' अनुमोदन की तारीख	'अंतिम' अनुमोदन की तारीख
1	2	3	4	5
1.	सीनी फूड पार्क प्रा.लि.	गांव: मोगिली, जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश	16.12.2008	27.03.2009

1	2	3	4	5
2.	पातंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लि.	गांव: पदार्था जिला: हरिद्वार, उत्तराखंड	16.12.2008	27.03.2009
3.	नार्थ ईस्ट मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	गांव: तिहु, जिला: नलबाड़ी, असम	16.12.2008	27.03.2009
4.	झारखंड मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	गांव: गैतलसूद, जिला: रांची, झारखंड	16.12.2008	27.03.2009
5.	जांगीपुर बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	जंगीपुर, जिला: मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल	16.12.2008	16.03.2010
6.	तमिलनाडु मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	समांधाली, जिला: धर्मपुरी, तमिलनाडु	16.12.2008	16.03.2010
7.	इंटिग्रेटिड फूड पार्क प्रा. लि.	वसन्त नरसापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, तुमकुर, कर्नाटक	03.08.2010	27.03.2011
8.	इंटरनेशनल फ्रेश फार्म प्रोडक्टस, लि. (इंडिया)	गांव: धावला, तहसील: फाजिल्का, जिला: फिरोजपुर, पंजाब	03.08.2010	25.05.2011
9.	केवेंटर फूड पार्क इन्फ्रा लि.	कहलगांव, जिला: भागलपुर, बिहार	29.04.2011	30.11.2011
10.	अनिल मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	गांव: पल्दी और लमदापुर, तालुका-सवली, जिला: बडौदरा, गुजरात	29.04.2011	13.01.2012
11.	इंडस मेगा फूड पार्क लि.	गांव: पांवा, तहसील-केसरबाद, जिला: खरगांव, मध्य प्रदेश	10.10.2011	21.08.2012
12.	एमआईटीएस मेगा फूड पार्क लि.	भुजबुल और सिंधुवाड़ी मौजा, जिला रायगढ़, ओडिशा	29.04.2011	16.04.2012
13.	सिकारिया इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा. लि.	चमपमुरा और तुलकोना मौजा, अगरतला जिला: त्रिपुरा	29.04.2011	30.11.2011
14.	पैथान मेगा फूड पार्क लि.	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	01.04.2011	08.03.2013
15.	शक्तिमान मेगा फूड पार्क लि.	जगदीशपुर, जिला: सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश	24.09.2010	शर्तों का अनुपालन करने के लिए एसपीवी ने 30.09.2013 तक के समय विस्तार हेतु आवेदन किया है।
16.	बेस्ट मेगा फूड पार्क प्रा.लि.	गांव: बेमता, सरोरा, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़	06.09.2012	अंतिम अनुमोदन हेतु सभी निधरित शर्तों को पूरा करने के लिए मैसर्स सोमा न्यू टाउंस प्रा. लि. जिसे निरस्त किया गया है को छोड़कर इन परियोजनाओं को 30.08.2013 तक का समय विस्तार प्रदान किया गया है।
17.	मैसर्स चेकरानेमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.	अभिषेकपक्कम, जिला: पुदुचेरी, पुदुचेरी	06.09.2012	
18.	रायपुर मेगा फूड पार्क लि.	खरौरा, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़	21.09.2012	
19.	आरएफके ग्रीन फूड पार्क प्रा. लि.	लस्सीपोरा, पुलवामा जिला: जम्मू और कश्मीर	21.09.2012	

1	2	3	4	5
20.	सोमा न्यु टाउन्स (प्रा.) लि.	गांव: नतार, जिला: सिरसा, हरियाणा	21.09.2012	
21.	ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	रुपनगढ़, जिला: अजमेर, राजस्थान	21.09.2012	
22.	गोदावरी मेगा एक्वा पार्क प्रा. लि.	तेदपल्ली गुडम, जिला: पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश	21.09.2012	
23.	प्रीस्टीन लोजिस्टिक्स एण्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	मानसी ब्लॉक, जिला: खगडिया, बिहार	21.09.2012	
24.	गुजरात एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा फूड पार्क	तालुका मंगरोल, जिला: सूरत, गुजरात	21.09.2012	
25.	पोलियन मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	गांव: पोलियान, जिला: ऊना, हिमाचल प्रदेश	21.09.2012	
26.	सतारा मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	देगांव, जिला: सतारा, महाराष्ट्र	21.09.2012	
27.	हूमा कोस्टल मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	मौजा रानीबोरो, तहसील खल्लीकोट, जिला: गंजम, ओडिशा	21.09.2012	
28.	कंचनजंगा मेगा फूड पार्क लि.	जिला: साउथ सिक्किम, सिक्किम	21.09.2012	
29.	हिमालयन फूड पार्क प्रा. लि.	गांव: मौहा खेरागंज, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड	21.09.2012	
30.	बंगाल मेगा फूड पार्क प्रा. लि.	राजगंज गांव, जिला: जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल	21.09.2012	

[हिन्दी]

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का आधुनिकीकरण

2985. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री के. सुगुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के आधुनिकीकरण हेतु 11,000 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव नवीनतम अत्याधुनिक हथियारों, बारूद, रात में देखने वाले उपकरण, गश्त संबंधी उपकरण और वाहनों सहित आधुनिक सुरक्षा उपकरण प्रदान कर बलों का आधुनिकीकरण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी हां। सरकार ने वर्ष 2012-13 से 2013-17 की अवधि के लिए 11,009,19 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ सीएपीएफ हेतु आधुनिकीकरण योजना अनुमोदित की है।

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आधुनिकरण योजना में प्रस्तावित उपकरण के ब्यौरों को प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ग) जी हां। सीएपीएफ की आधुनिकीकरण योजना अत्याधुनिक हथियार, गोलाबारुद, नाइट विजन, उपकरण, निगरानी उपकरण और विशेष उद्देश्य वाहन आदि उपलब्ध कराने के लिए है।

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आधुनिकरण योजना में प्रस्तावित उपकरण के ब्यौरों को प्रकट नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

एनएफएल संयंत्रों के लिए गैस की आपूर्ति

2986. शेख सैदुल हक: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) की कुछ इकाइयों ने प्राकृतिक गैस से एफओ/नाफ्था में परिवर्तन किया है क्योंकि प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र के अंतर्गत प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता के कारण स्पॉट तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है और एनएफएल द्वारा स्पॉट एलएनजी द्वारा प्रदत्त मूल्य सहित इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या स्पॉट एलएनजी के उच्च मूल्य के भुगतान के कारण इन संयंत्रों की व्यवहार्यता बुरी तरह प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): (क) एनएफएल ने नांगल, भटिंडा और पानीपत में अपनी एफओ आधारित तीन इकाइयों को प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया है। पानीपत और भटिंडा इकाइयों की शुरूआत जनवरी, 2013 में तथा नांगल इकाई की शुरुआत अप्रैल, 2013 में हुई थी। इन परियोजनाओं के लिए घरेलू गैस का आबंटन न होने से इन संयंत्रों को स्पॉट आरएलएनजी पर चलाया जा रहा है।

(ख) घरेलू गैस के आबंटन के अभाव में एनएफएल ने परिवर्तन के बाद शुरू करने और प्रचालन के लिए अपनी नांगल और बठिण्डा इकाइयों के लिए मैसर्स गेल से तथा पानीपत इकाई के लिए मैसर्स आईओसीएल से अनुबंध किया है। तीनों परिवर्तित इकाइयों में सुदुर्गी आधार पर स्पॉट गैस का वर्तमान मूल्य 19-22 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू के बीच है।

(ग) भारत सरकार द्वारा कंपनी की तीन एफओ आधारित इकाइयों को गैस में परिवर्तित करने की परियोजना व्यवहार्यता को 8 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू के सुपुर्दगी गैस मूल्य तथा लगभग 14.5 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू के एफओ/एलएसएचएस मूल्य को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया गया था। वर्तमान में स्पॉट एलएनजी के सुपुर्दगी मूल्य से एफओ/एलएसएचएस को गैस में परिवर्तित करने के बाद संयंत्रों को चलाना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि एफओ/एलएसएचएस और सुपुर्दगी गैस के बीच 6.5 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू (14.5 अमेरिकी डॉलर-8/एमएमबीटीयू) का मूल्य अंतर होने के कारण सरकार को होने वाली अनुमानित ऊर्जा बचत प्राप्त नहीं की जा सकती है। वर्तमान में, स्पॉट गैस मूल्य (19.22 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू) तथा वर्तमान एफओ/एलएसएचएस (22-23 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू की सुपुर्दगी मूल्य) के बीच अंतर लागत 6.5 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू के परिकल्पित मूल्य अंतर की तुलना में केवल 1-2 अमेरिकी डॉलर/एमएमबीटीयू है।

(घ) यूरिया की मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार गैस लागत पासथ्रू है तथा स्पॉट गैस का उच्च मूल्य गैस में परिवर्तित एफओ इकाइयों के प्रचालनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहा है। तथापि, स्पॉट गैस के उच्च मूल्य के कारण राजसहायता में अनुमानित बचत अभी प्राप्त होनी शुरू नहीं हुई है। राजसहायता में बचत तभी प्राप्त होगी जब गैस में परिवर्तित इन एफओ आधारित इकाइयों को घरेलू गैस आबंटित की जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

2987. डॉ. बलीराम:
श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) की स्थापना के लिए क्या मानक/मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में केवीके निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्थापित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा उक्त केवीके को आबंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उक्त केवीके के संचालन में विभिन्न अनियमितताएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मामलों में से प्रत्येक में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) केवीके के कुशल कार्यकरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) सरकार ने देश के प्रत्येक ग्रामीण जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र तथा पहचाने गए 50 बड़े जिलों में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्र (केवीके) स्थापित करने के मानदंड स्वीकृत किए हैं। केवीके स्थापित करने के मानदंड में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्वीकृति हेतु आवेदन करने वाले संगठन के पास बेहतर गुणवत्ता कृषि योग्य लगभग 20 है भूमि नहीं चाहिए इसमें जिले मध्य में स्थित स्थान, आसान पहुंच, संसक्ति, भारग्रस्तता में मुक्त तथा मोर्टगेजेबल सहित अन्य पर्याप्त जन-सुविधाओं से युक्त तथा पेयजल और सिंचाई प्रयोजन हेतु जल का स्थाई स्रोत शामिल हैं।

(ख) और (ग) स्थान चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर उन्नाव जिले में एक गैर सरकारी संगठन के पक्ष में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गई है, इन्होंने बंधक-समझौता में 20 है. भूमि का विवरण प्रस्तुत किया है। गैर सरकारी संगठन ने 12.875 है. कुल क्षेत्र के लिए नोटरी से सत्यापित तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित पट्टा विलेख (लीजडीड) प्रस्तुत किया है जिसमें गैर सरकारी संगठन के हित में भूमि प्रस्तुत की गई है।

(घ) कृषि विज्ञान उन्नाव को पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष प्रदान की गई राशि का वर्ष-वार तथा विभाग/संगठन-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) कृषि विज्ञान केन्द्र, उन्नाव में अनेक अनियमितताओं के आरोपों की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(च) और (छ) यह शिकायतें भूमि के स्वामित्व, कार्मिकों की भर्ती तथा कार्यकलापों में राशि के दुर्विनियोजन से संबंधित हैं। प्राप्त शिकायत के आधार पर तथ्यों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। कृषि विज्ञान केन्द्र, उन्नाव का दौरान करने के बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है। गैर सरकारी संगठन को उस भूमि को मोर्टगेज करने को कहा गया है जिस पर कृषि विज्ञान केन्द्र स्वीकृत किया गया है, इसके अलावा उचित क्षतिपूर्ति बंध पत्र (इडेमनिटी बोंड) प्रस्तुत करने को भी कहा गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान (2010-11 से 2012-13) कृषि विज्ञान केन्द्र, उन्नाव को प्रदान की गई वर्ष-वार राशि

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	विभाग/संगठन	2010-11	2011-12	2012-13	कुल
1.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	116.95000	96.42000	75.39000	288.76000
2.	कृषि विभाग, उन्नाव	8.20000	4.69238	0	12.89238
3.	केन्द्रीय समेकित नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र, लखनऊ	0.94400	4.72380	3.20265	8.87045
4.	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, जिला उन्नाव	8.57000	0	0	8.57000
5.	मृदा एवं जल संरक्षण विभाग, जिला उन्नाव	0.81000	14.58000	43.65000	59.04000
6.	बागवानी विभाग, जिला उन्नाव	2.40000	2.40000	0.80000	5.60000
7.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली	19.07000	15.91446	19.20748	54.19194
8.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, लखनऊ	1.16863	1.24669	1.49932	3.91464
9.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिला उन्नावं	0	1.39868	0	1.39868
	कुल	158.11263	141.37601	143.74945	443.23809

दालों का उत्पादन और खपत

2988. श्री मंगनी लाल मंडल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों में दालों की प्रति व्यक्ति खपत 70 ग्राम से घटकर 25 ग्राम रह गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत में दालों का उत्पादन और प्रति व्यक्ति औसत खपत में प्रर्याप्त कमी हुई है, और जिसके कारण दालों का बड़ी मात्र में आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो चीन सहित विकसित और विकासशील देशों की तुलना में देश में दालों के वर्तमान उत्पादन और खपत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा दालों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण (विभिन्न पारियों) के माध्यम से उद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में दलहनों एवं दलहन उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत में गिरावट आई है जैसाकि निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

(कि.ग्रा./वर्ष)

वर्ष	ग्रामीण	शहरी
1993-94	9.25	10.46
2004-05	8.64	9.98
2009-10	7.92	9.60

2001-02 तथा 2011-12 के बीच, दलहनों का उत्पादन 13. 37 मिलियन टन से बढ़कर 17.09 मिलियन टन हो गया है। तथापि, उत्पादन में वृद्धि दर जनसंख्या में बढ़ोत्तरी तथा आय में वृद्धि के अनुसार निर्धारित नहीं की गई है।

दलहनों के रूप में प्रोटीन की खपत की तुलना विकासित एवं विकासशिल देशों के साथ नहीं की जा सकती है क्योंकि उनकी आदतें भिन्न होती हैं तथा बहुत से विकसित देशों में दलहन प्रोटीन की खपत का हिस्सा नहीं होती हैं।

(घ) खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय इयर बुक, 2013 के अनुसार 2010 के लिए मुख्य पांच उत्पादक देशों के दलहन उत्पादन तथा 2000 एवं 2010 के बीच वार्षिक वृद्धि दर का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है।

देश	2010 के दौरान उत्पादन (मिलियन टन)	2000 तथा 2010 के बीच उत्पादन में प्रति वर्ष प्रतिशत वृद्धि
भारत	18.24	2.3
कनाडा	5.35	1.9
म्यांमार	4.49	10.5
चीन	3.89	(-) 1.9
नाइजीरीया	3.42	4.3

अन्य देशों में दलहनों की खपत पर आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

(ङ) देश में दलहनों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, सरकार अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एनएफएसएम-दलहन) को क्रियान्वित करती है, जिसके तहत प्रमाणित बीजों के वितरण, एकीकृत पोषाहार प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन, छिड़काव सेटों के वितरण आदि के माध्यम से उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दलहनों हेतु उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि के जरिए सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

अश्लील वीडियो क्लिपों की उपलब्धता

2989. श्री नित्यानंद प्रधान: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न बाजारों में कम्पैक्ट डिस्क (सीडी) और अश्लील वीडियो क्लिपों युक्त स्मार्ट फोन आसानी से उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार और दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जी, नहीं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने चालू वर्ष के दौरान 31.07.2013 तक 20 मामले दर्ज किए हैं जिसमें कि अश्लील सीडी आदि बरामद किए गए हैं।

ऐसे उत्पादों की बिक्री को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे क्षेत्रों में नजर रखी जाती है, जहां कहीं भी ऐसी गतिविधि यों का पता चलता है। इसके अतिरिक्त, जब कभी भी इस प्रकार की गतिविधि की सूचना मिलती है, दिल्ली पुलिस द्वारा उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।

सुरक्षा अपवर्जन क्षेत्र

2990. श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री आनंदराव अडसुलः
श्री गजानन ध. बाबरः

क्या **गृह मंत्री** य बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा चिन्ताओं के आलोक में सरकार संवेदनशील राज्यों में 'सुरक्षा अपवर्जन क्षेत्र' की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी नई परियोजनाओं हेतु संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों की भागीदारी हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा संवेदनशील राज्यों में किसी कार्य संविदा हेतु विदेशी कंपनियों की संवीक्षा के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने बोली प्रक्रिया से कालीसूची में डाली गई फर्मों को बाहर निकालने के लिए एक सूची तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरपीएन सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करने संबंधी प्रस्तावों के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय से सुरा क्लीयरेन्स मांगने से संबंधित संवदेनशील क्षेत्रों/संवेदनशील सेक्टरों को दर्शाने वाले दिशानिर्देश दिनांक 09 फरवरी, 2006 को जारी कर दिए गए हैं। विद्युत मंत्रालय ने संवेदन क्षेत्रों में हाइड्रोलिक परियोजनाओं के कार्य पैकेज संबंधी टेण्डरों में विदेशी कम्पनियों की सहभागिता संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 03 सितम्बर, 2009 को जारी किए गए हैं। इसके साथ-साथ, पोत परिवहन मंत्रालय ने भी ड्रेजिंग प्रोजेक्ट सहित पत्तन परियोजनाओं के संबंध में बोली दाताओं की सुरक्षा क्लीयरेन्स संबंधी प्रक्रिया के दिशानिर्देश जारी किए हैं।

गृह मंत्रालय द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी कम्पनियों के सुरक्षा क्लीयरेन्स संबंधी प्रस्तावों की जांच संबंधित एजेंसियों के परामर्श से राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से की जाती है।

(ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

श्रीमती चन्देश कुमारी।

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं:

(1) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टिट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एलटी 9581/15/13)

(3) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एलटी 9582/15/13)

(5) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर दि आर्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एलटी 9583/15/13)

(7) (एक) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा लेखे।

(दो) सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एण्ड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एलटी 9584/15/13)

(9) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेसन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेसन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एलटी 9585/15/13)

(11) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता क वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एलटी 9586/15/13)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एलटी 9587/15/13)

(3) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशनल एण्ड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2009-2010, 2010-2011 और 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (15) मे उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एलटी 9588/15/13)

(5) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश अधिनियम, 1985 के खण्ड 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1194 (अ) जो 10 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा इसके अंतर्गत जारी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 सितम्बर, 2013 तक इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विनिर्माता उनके द्वारा उत्पादित उर्वरकों का तथा उसमें विनिर्दिष्ट मात्रा में खरीफ मौसम 2013 के दौरान अनुसूची में तदनुरूप प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में विक्रम करने के निदेश दिए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एलटी 9589/15/13)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ 13/23/2009/एचपी-1/स्था./6711-6716 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/16/2003/एचपी-1/स्था./6717-6722 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 फरवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/30/2009/एचपी-1/स्था./6693-6698 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/29/2009/एचपी-1/स्था./6699-6704 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/12/2003/एचपी-1/स्था./6705-6710 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/19/2003/एचपी-1/स्था./6675-6680 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/32/2009/एचपी-1/स्था./6681-6686 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/10/2005/एचपी-1/स्था./6687-6692 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/28/2009/एचपी-1/स्था./6657-6662 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/15/2003/एचपी-1/स्था./6663-6668 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 8 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/22/2003/एचपी-1/स्था./6669-6674 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.5/80/88/एचपी-1/स्था./6741-6746 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/14/2003/एचपी-1/स्था./6747-6752 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/34/2009/एचपी-1/स्था./6723-6728 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/33/2006/एचपी-1/स्था./6729-6734 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/23/2003/एचपी-1/स्था./6735-6740 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.16/3/2012/एचपी-1/स्था./6769-6774 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/21/2003/एचपी-1/स्था./6753-6758 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2013, जो 9 जनवरी, 2013 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.13/12/94/एचपी-1/स्था./6759-6764 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और पुष्टि) (संशोधन) नियम, 2012, जो 21 सितम्बर, 2012 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.16/5/2010/एचपी-1/स्था./3323-3326 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल टी 9590/15/13)

(3) विदेशी विषयक आदेश, 1948 के खण्ड 2 के उप-खण्ड (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) का.आ. 996 (अ), जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आव्रजन अधिकारी, नागपुर को महाराष्ट्र राज्य में नागपुर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 30.04.2013 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(दो) का.आ. 997 (अ), जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आव्रजन अधिकारी, मंगलोर को कर्नाटक राज्य में मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 30.04.2013 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(तीन) का.आ. 998 (अ), जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आव्रजन अधिकारी, पुणे को महाराष्ट्र राज्य में पुणे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 30.04.2013 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(चार) का.आ. 999 (अ), जो 18 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मुख्य आव्रजन अधिकारी, जयपुर को राजस्थान राज्य में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की अधिकारिता के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ 30.04.2013 से "सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल टी 9591/15/13)

(4) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (कारबार का संव्यवहार) विनियम, 2013 जो 18 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 2186(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल टी 9592/15/13)

[हिन्दी]

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मणिक राव होडल्या गाविद): अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 338 की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 का दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ल 2005-2006 की अवधि के लिए दूसरे वार्षिक प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरपीएन सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल टी 9593/15/13)

[अनुवाद]

(1) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाइज्ड पैरा मेडिकल स्टाफ, समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद, भर्ती नियम, 2012, जो 25 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 49(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' कम्बैटाइज्ड (राजपत्रित) मिनिस्टेरियल एण्ड प्राइवेट सेक्रेटरी कैडर पद भर्ती नियम, 2012, जो 20 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 910(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' कम्बैटाइज्ड (सामान्य ड्यूटी) सेकेण्ड-इन-कमांड, डिप्टी कमांडेंट एण्ड असिस्टेंट कमांडेंट पद भर्ती नियम, 2012, जो 4 जुलाई, 2012 के ाारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 530(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011, जो 9 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 607(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड इंस्पेक्टर, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, मिनिस्टेरियल (अराजपत्रित) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011, जो 28 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 607(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड कम्यूनिकेशन कैडर समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012, जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सशस्त्र सीमा बल जज अटार्नी नजरल (डिप्ट इंस्पेक्टर जनरल), एडिशनल जज अटार्नी जनरल (कमांडेंट), डिप्टी जज अटार्नी जनरल (डिप्टी कमांडेंट) जज अटार्नी (असिस्टेंट कमांडेंट) भर्ती नियम, 2012, जो 23 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या स़ा.का.नि. 104 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड (सामान्य डयूटी) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) संख्या सा.का.नि. 5781(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड मेडिक्स कैडर (नॉन-प्रोफेशनल) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012, जो 9 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3481(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड पैरा-मेडिक्स स्टाफ समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011, जो 29 सितम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 730(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल कम्बैटाइज्ड ड्राट्समैन कैडर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2013, जो 1 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 530(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल समूह 'ख' कम्बैटाइज्ड आर्मरर कैडर पद भर्ती नियम, 2012, जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सशस्त्र सीमा बल समूह 'ग' कम्बैटाज्ड (अराजपत्रित) पैरा-वेटेरीनरी पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2012, जो 29 सितम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 235(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाज्ड इंस्पेक्टर (वेटेरीनरी) अराजपत्रित समूह 'ख' पैरा-वेटेरीनरी कैडर भर्ती नियम, 2012, जो 28 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाज्ड कांस्टेबल (ड्राईवर) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012, जो 20 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 254(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाज्ड सब-इंस्पेक्टर (सामान्य ड्यूटी) समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2013, जो 5 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या सा.का.नि. 68(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (आशुलिपिक) एण्ड हेड कांस्टेबल (मिनिस्टेरियल), भर्ती नियम, 2013, जो 19 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) सशस्त्र सीमा बल समूह 'क' कम्बैटाज्ड (सामान्य ड्यूटी) डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल एण्ड कमांडोंट पद भर्ती नियम, 2013, जो 18 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 380(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) सशस्त्र सीमा बल, कम्बैटाज्ड (कम्युनिकेशन ग्रुप 'क' पद) भर्ती नियम, 2013, जो 19 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय मे रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9594/15/13]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपध ारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा सुरक्षा बल कम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (दफ्तरी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012, जो 4 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 529(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा सुरक्षा बल, प्रूफ रीडर कम्बैटाइज्ड पर भर्ती नियम, 2012, जो 16 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 143(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा सुरक्षा बल कम्बैटाज्ड असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (आशुलिपिक) एण्ड हेड कांस्टेबल (मिनिस्टेरियल), भर्ती नियम, 2013 जो 8 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा सुरक्षा बल, समूह 'क' (सामान्य ड्यूटी आफिसर्स) भर्ती संशोधन नियम, 2010, जो 28 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 25 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा सुरक्षा बल (प्रिंटिंग प्रेस समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012, जो 21 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 21 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सीमा सुरक्षा बल योद्धक पैरा-चिकित्सीय कर्मचारिवृंद भर्ती नियम, 2013 जो 22 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 37(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी अधिकारी) भर्ती नियम, 2012, जो 14 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 358(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा सुरक्षा बल जल स्कंध समूह 'ख' (योधक तकनीकी कर्मचारिवृंद) पद, भर्ती नियम, 2012 जो 27 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 326(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) सीमा सुरक्षा बल वायु स्कंध स्टोरमेन संवर्ग अराजपत्रित (योधक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2012, जो 24 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 316(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा सुरक्षा बल समूह 'क' (जनरल ड्यूटी अधि कारी) भर्ती नियम, 2012, जो 8 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 436(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सीमा सुरक्षा बल जल स्कंध समूह 'क' (तकनीकी कर्मचारिवृंद) पद, भर्ती नियम, 2012, जो 11 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 7(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सीमा सुरक्षा बल योधक (हिन्दी अनुवादक) संवर्ग भर्ती नियम, 2012 क 21 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 16(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सीमा सुरक्षा बल वायु स्कंध अराजपत्रित (योधक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2012 जो 10 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या सा.का.नि. 4(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय, सहायक सब-इंस्पेक्टर (ड्राफ्टमैन ग्रेड ष्प्), प्रचालन निदेशालय (योधक), भर्ती नियम, 2012 जो 6 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 879(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) सीमा सुरक्षा बल चिकित्सा संवर्ग, समूह 'ग' पद, (योधक) भर्ती नियम, 2011 जो 24 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 341(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) सीमा सुरक्षा बल जल स्कंध समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2013 जो 12 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 165(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) सीमा सुरक्षा बल (योधक आशुलिपिक संवर्ग) समूह 'क' और 'ख' पद, भर्ती नियम, 2011 जो 19 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 317(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) सीमा सुरक्षा बल इंस्पेक्टर (लाइब्रेरियन) (योधक अराजपत्रित समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 जो 8 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या सा.का.नि. 751(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल संचार (अराजपत्रित) संवर्ग भर्ती नियम, 2012 जो 2 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 331(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी/विद्युत) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2012 जो 14 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 10(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2012 जो 15 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 149(अ) में प्रकाशित हुए थे। तथा जिसका शुद्धिपत्र 4 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 14(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(बाईस) सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह 'क' और समूह 'ख' पद (गैर-योधक) भर्ती नियम, 2013 जो 21 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 182(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेइस) सीमा सुरक्षा बल (इंजीनियरी/विद्युत) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 जो 15 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 150(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) सीमा सुरक्षा बल वायु स्कंध अधिकारी (समूह 'क' योधक पद) भर्ती नियम, 2011 जो 12 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 806(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) सीमा सुरक्षा बल योधक पैरा-चिकित्सीस समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 जो 15 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 455(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एलटी 9595/15/13]

(3) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा धारा 18 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक-सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी संवर्ग (अराजपत्रित पुघष और महिलाएं) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 जो 23 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का. 22 दिसम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना सं. भा. (अ) से प्रकाशित हुए है

(दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह 'क' (गैर-योधक पद) भर्ती नियम, 2013 जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. भा. 462(अ) से प्रकाशित हुए है

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एलटी 9596/15/13]

(4) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, असिस्टेन्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, भर्ती नियम, 2012 जो 5 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 809 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, (संशोधन) नियम, 2013 जो 12 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 485 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अग्नि स्कंध, कान्सटेबल (ड्राइवर कम पम्प ऑपरेटर) भर्ती नियम, 2013 जो 6 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 287(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्कंध, कान्सटेबल (ड्राइवर) भर्ती नियम, 2013 जो 6 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल टी 9597/15/13)

(5) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का.आ. 1164(अ) जो 7 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए 'न्यायाधीश' की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2078(अ) जो 8 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण' अभिकरण, अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए 'न्यायाधीश' की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2079(अ) जो 8 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए 'न्यायाधीश' की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(चार) का.आ. 2080(अ) जो 8 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए 'न्यायाधीश' की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2108(अ) जो 9 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए 'न्यायाधीश' की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(छह) का.आ. 2349(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, अधिनियम, 2008 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता के लिए 'न्यायाधीश' की नियुक्ति किए जाने के बारे में है।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल टी 9598/15/13)

(6) सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफामों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरूद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 2002 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ0 1530(अ) जो 14 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विविविरूद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनवेाण अभिकरण के पुलिस उपाधीक्षक श्री पी. विक्रमन और श्री वी के अब्दुल कादर को शक्तियां प्रदान किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण)।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल टी 9599/15/13)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संसकरण):–

(क) (एक) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास नियम लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2010-2011 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल टी 9600/15/13)

(ख) (एक) पंजाब कृषि उद्योग विकास नियम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित

लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):–

(ग्रंथालय में रखे गए। देखें संख्या एल टी 9600क/15/13)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. बलराम नायक): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैन्डीकैप्ट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रगति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैन्डीकैप्ट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (01) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):–

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल टी 9601/15/13)

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटिज, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसएबिलिटिज, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल टी 9602/15/13)

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द वीजुअली हैन्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द वीजुअली हैन्डीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):–

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल टी 9603/15/13)

(7) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रीहैब्लिटेशन ट्रैनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रीहैब्लिटेशन ट्रैनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):–

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल टी 9604/15/13)

(9) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजिकली हैन्डीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फॉर द फिजिकली हैन्डीकैप्ड नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):–

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल टी 9605/15/13)

(11) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द मैन्टली हैन्डीकैप्ट, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर द मैन्टली हैन्डीकैप्ट, सिकन्दराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल टी 9606/15/13)

(13) आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण):–

(ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल टी 9607/15/13)

अपराह्न 12.02 बजे

सदस्यों की सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सदस्यों की सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 26 अगस्त, 2013 को सभा के समक्ष प्रस्तुत अपने दसवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में यथा निर्दिष्ट दो सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाए।

1. श्री वाईएस जगमोहन रेड्डी 22.04.2013 से 08.05.2015
2. श्री सदाशिव दादोबा मांडलिक 05.08.2013 से 30.08.2013

क्या सभा अनुमति प्रदान करने की समिति की सिफारिश की गई अनुमति देती है?

कुछ माननीय सदस्यगण: हां।

अध्यक्ष महोदय: अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव: अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:–

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 26 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में पारित विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 26 अगस्त, 2013 को यथा पारित विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 को सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न $12.03^1/_4$ बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

राव इंद्रजीत सिंह (गुडगांव): मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2011-2012) के बारे में समिति के 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 29वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) से संबंधित "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत डाकघरों द्वारा श्रमिकों को मजदूरी का संदाय' विषय पर समिति के 25वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 35वें की-गई-कार्रवाई

प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(3) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डाक विभाग) की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 38वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(4) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2012-2013)' के बारे में समिति के 34वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 39वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(5) संचार और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2012-2013)' के बारे में समिति के 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 40वीं की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(6) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2012-2013)' के बारे में समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर 41वें की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में शामिल अंतिम उत्तरों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री राज बब्बर (फिरोजाबाद): मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) 'वर्ष 2010-11 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) 'सशस्त्र बलों के लिए मानव संसाधन योजना, जनशक्ति की कमी, हाई-टेक प्रशिक्षण और संरचना को शामिल करना विषयक समिति के 34वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 10वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण विषय के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई; के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच के अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) 'वर्ष 2011-12 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.03$^{3}/_{4}$ बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(एक) 38वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (थ्रिसूर): मैं विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) का कार्यकरण' विषय पर 30वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) विवरण

श्री पी.सी. चाको: ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2012-2013) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेगे:-

(1) 'पारेषण और वितरण प्रणालियां और नेटवर्क' संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2012-2013)" संबंधी समिति के 28वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 32वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(3) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2012-13)" संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 31वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-एक और अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(4) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित "अभिज्ञात गैर-परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की उपलब्धता-उपयोग की तुलना में उनकी क्षमता" संबंधी समिति के 29वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) के अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

अपराह्न 12.04 बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

198 में से 200वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम. कृष्णास्वामी (अरानी): मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क परिवहन का प्रबंधन-मुद्दे और चुनौतियां" के बारे में 198वां प्रतिवेदन।

(2) "राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास-संभावनाएं और चुनौतियां" के संबंध में 189वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 199वां प्रतिवेदन।

(3) "केरल में पर्यटन, राष्ट्रीय राजमार्ग और जल परिवहन तथा कोचीन शिपिंग यार्ड लिमिटेड का विकास" के बारे में 200वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04$^1/_2$ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013 के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा): मैं यह वक्तव्य दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन-पार्ट-II में प्रकाशित लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73-ए के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में दे रही हूं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों के संबंध में है। यह प्रतिवेदन लोक सभा में 02.05.2012 और राज्य सभा में भी उसी दिन प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवेदन में 23 सिफारिशें की गई थीं जिनका संबंध मंत्रालय के सामान्य कार्य-निष्पादन, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के विकास तथा विकलांगता से संबंधित योजनाओं से है। 24वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में की-गई-कार्रवाई संबंधी नोट समिति को 17.09.2012 को भेजा गया था।

समिति द्वारा अपने 24वें प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति, सभा पटल पर प्रस्तुत मेरे

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया ***देखिए*** *संख्या एलटी 9608/15/13*

वक्तव्य के साथ दिए गए अनुंबंध में दी गई है। मेरा अनुरोध है कि इसे पठित समझा जाए।

अपराह्न 12.04$^3/_4$ बजे

(दो) उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री (प्रो. के.वी. थॉमस): माननीय सभापति, राज्यसभा द्वारा राज्यसभा बुलेटिन-भाग 2 दिनांक 28 सितम्बर, 2004 द्वारा जारी, राज्यसभा क्रियाविधि एवं कार्य संव्यवहार नियमावली के नियम 266 के अनुसरण में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के 28वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के उपर्युक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित सभी सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई/स्थिति दर्शाने वाला विवरण अलग से संलग्न है। समिति ने 28वें प्रतिवेदन में 34 सिफारिशें की थी, जिनकी जांच उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा की गई है। 34 सिफारिशों में से 31 सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं, 02 सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं और 01 सिफारिश आंशिक रूप से स्वीकार की गई है।

28वें प्रतिवेदन के बारे में की गई कार्रवाई से समिति को कार्यालय ज्ञापन सं. जी-20017/6/2013-एसी दिनांक 25 जुलाई, 2013 द्वारा अवगत कराया गया था।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 9609/15/13

अपराह्न 12.05 बजे

(तीन) रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 25वें और 29वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): मैं निम्नलिखित के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 9610/15/13)

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित "राष्ट्रीय भेषज मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए)" के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ग्रंथालय में रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 9611/15/13)

अपराह्न 12.05$^1/_4$ बजे

(चार) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में गृह कार्य संबंधी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): अध्यक्ष महोदया, मैं गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 165वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया, *देखिए* संख्या एलटी 9612/15/13

मैं, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 389 के अनुसरण में उपर्युक्त विषय पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

गृह मंत्रालय की वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों के संबंध में विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 161वें प्रतिवेदन के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए कृत कार्रवाई संबंधी उत्तरों की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2013 हुई थी। इसके बाद समिति ने अपनी 165वें प्रतिवेदन प्रस्तुत की जिसमें 161वीं रिपोर्ट पर आगे और टिप्पणियां/सिफारिशें निहित थीं और इसे लोक सभा में दिनांक 4 मार्च, 2013 को प्रस्तुत किया गया था।

समिति ने अपने 165वें प्रतिवेदन में कुछ पच्चीस (25) सिफारिशें (पैराग्राफ संख्या 3.1.9; 3.2.4; 3.3.6; 3.4.3; 3.5.8; 3.6.5;3.7.3; 3.8.7; 3.9.3; 3.10.3; 3.11.3; 3.12.4; 3.13.3; 3.14.4; 3.15.3; 3.16.8; 3.17.3; 4.1.3; 4.2.10; 4.7.5; 4.8.5; 4.9.8; 4.11.4; 4.14.3 और 4.15.3) की जिन पर गृह मंत्रालय को कार्रवाई करनी थी। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सभा सचिवालय को की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन भेज दिए गए हैं।

इस मंत्रालय ने प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 25 सिफारिशों में से 19 सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, पैरा 3.9.3; 3.13.3; 3.14.4 और 4.2.10 में निहित चार सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और पैरा 3.7.3 तथा 3.12.4 में निहित दो सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि अनेक सिफारिशों के संबंध में इस मंत्रालय द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सतत् प्रकृति की होती है और आवश्यक कार्रवाई समय-समय पर की जाएगी।

समिति को 165वें प्रतिवेदन के विभिन्न पैराग्राफों में निहित सिफारिशों पर की गई/की जा रही कार्रवाई की स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

अपराह्न 12.05$^1/_2$ बजे

'चंडीगढ़ में कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों के बारे में दिनांक 06.08.2013 के तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने वाला विवरण*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): अध्यक्ष महोदया, मैं (i) "चण्डीगढ़ कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें" के बारे में श्री पवन कुमार बंसल, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 32 के संबंध में 6.08.2013 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विवरण

दिनांक 06.08.2013 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अंग्रेजी पाठ में

क्रम सं.	संदर्भ	से स्थान पर	पढ़ा जाए
1.	उत्तर का शीर्षक	चंडीगढ़ कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें	चंडीगढ़ कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें
2.	उत्तर	(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।	(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।
3.	उत्तर	दिनांक 06.08.2013 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 32 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण (क) से (ङ):	दिनांक 06.08.2013 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 32 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण (क) से (च):

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 9613/15/13

विलम्ब का कारण

गृह मंत्रालय को दिनांक 14.08.2013 को उपरोक्त त्रुटियों का पता चला, जिसके कारण विलम्ब हुआ।

अपराह्न 12.05$^{3}/_{4}$ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य-जारी

(पांच)(क) कृषि मंत्रालय के पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री तारिक अनवर): अध्यक्ष महोदया, अपने सहयोगी डॉ. चरण दास महंत की ओर से, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मैं लोक सभा में प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियम के तहत, लोक सभा बुलेटिन भाग-II, दिनांक 01 सितंबर, 2004 द्वारा माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश 73-क के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थायी समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य दे रहा हूं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2013-14 के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की अनुदान मांगों की जांच की थी और 23 अप्रैल, 2013 को लोक सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस प्रतिवेदन में 17 टिप्पणियां/सिफारिशें हैं। सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर समिति को 22 जुलाई, 2013 को भेज दिए गए थे।

कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 9614/15/13

अपराह्न 12.06 बजे

(ख) कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2013-2014) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 14वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री तारिक अनवर): अध्यक्ष महोदया, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन के भाग-II के अनुसार माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा जारी 73ए के निर्देश के अनुसरण में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 47वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

कृषि संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2013-14 के लिए कृषि मंत्रालय के कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग (डेयर) की अनुदान मांग की जांच की है और इन पर विचार किया है और अपना 47वां प्रतिवेदन किया हैं 47वें प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई में विभाग ने सभी सिफारिशों पर सरकार के उत्तर कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पीएससीए) को प्रस्तुत किये हैं।

समिति के 47वें प्रतिवेदन में शामिल सभी सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया गया। समिति की सिफारिशों तथा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण के साथ-साथ वर्तमान स्थिति से संसदीय समिति को पहले ही अवगत करा दिया गया है जो अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। *देखिए* संख्या एलटी 9615/15/13

अपराह्न 12.06 $^{1}/_{4}$ बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

(एक) लोक सभा की बैठकों का समय बढ़ाया जाना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यगण, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आवश्यक सरकारी कार्य पूरा करने हेतु प्रस्ताव किया है कि सभा की बैठकें शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2013 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव किया है।

यदि सभा सहमत हो तो हम वर्तमान मानूसन सत्र की बैठकों को शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2013 तक बढाएं।

कुछ माननीय सदस्यगणः जी हां, महोदया।

अध्यक्ष महोदयाः धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः अब 'शून्य काल'।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिंहः (हजारीबाग) महोदया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः क्या मुझे आपकी सूचना मिली है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः यह श्री निशिकांत दुबे की ओर से है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप ऐसे कैसे खड़े हे गए। हम एक-एक का नाम बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः ऐसे तो किसी का नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः बारी-बारी ही बुला सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप सब खड़े हो जाएंगे तो किसी का भी नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः हम सब को बारी-बारी बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः हम देख रहे हैं। मगर सब को बारी-बारी बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे तो हम किसे बुलाएंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप लोक खुद निर्णय कर लीजिए कि हम किसे बुलाएं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः ऐसे कैसे करें?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप लोग पहले बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः सब को बारी-बारी ह तो बुला सकते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप भी बैठ जाइए। हम बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः ऐसे करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः हम शून्य काल में देरी कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप चर्चा के लिए जो नोटिस देंगे, उस पर हम चर्चा जरूर करा देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः श्री रामकिशुन, बहुत शॉर्ट में बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुन (चन्दौली): माननीय अध्यक्षा जी, गंगा में बाढ़ के चलते पूरा पूर्वांचल बुरी तरह से तबाह हो रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार हरसंभव मदद करने का प्रयास कर रही है। लेकिन राज्य सरकारों का संसाधन कम होने के ...*(व्यवधान)* इलाहाबाद से लेकर बलिया तक कई लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। एक तरफ बाढ़ प्रभावित कर रही है, दूसरी तरफ कम वर्षा से पूर्वांचल के कई इलाके सूखे के भी चपेट में हैं। आज पूर्वांचल की बाढ़ की स्थिति यह है कि गांवों में पानी घुस गया है, घरों में पानी घुस गया है। जानवर पानी के बीच में फंसे हए हैं। केन्द्र सरकार से हमारी मांग है कि तत्काल आर्थिक पैकेज भेजने का काम करे। हमारे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अभी इस पर बोलने वाले बहुत लोग हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुनः मध्य प्रदेश का पानी पूरे बेंतता, इलाहाबाद में यमुना-गंगा में आ रहा है। हमारा पूर्वांचल पूरी तरह से तबाह हो हा है। ...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार चुप बैठी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप नोटिस दे दीजिए, यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। हम लोग इस पर चर्चा करा लेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुनः महोदया, मेरा एक निवेदन है कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष आर्थिक सहायता देकर पूर्वांचल के जो चंदौली, बनारस, गाजीपुर, बलिया, फतेहपुर, भदोही, इलाहाबाद इन जिलों के लिए आर्थिक सहायता दे। ...*(व्यवधान)* लगभग 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए उनकी मदद करने का काम करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अब आप बैठिए। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुनः महोदया, लगातार बाढ़ बढ़ रही है। ...*(व्यवधान)* नदियों का पानी लगातार बढ़ रहा है। ...*(व्यवधान)* लगातार गंगा का पानी बढ़ रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री रामकिशुनः फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः अब आप बैठ जाइए। आपकी बात अब रिकार्ड में नहीं जा रही है।

[अनुवाद]

केवल श्री प्रताप सिंह बाजवा का भाषण कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

[हिन्दी]

श्री प्रताप सिंह बाजवा (गुरदासपुर): एक मिनट मरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप बैठ जाइये, आपको भी समय देंगे। आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): महोदया, दूसरे नम्बर पर मेरा था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः इस तरह से नहीं होता है, दूसरा, तीसरा।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: कृप्या बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा: आदरणीय महोदया, लगातार वर्षा के कारण बाढ़ ने गुरदासपुर, अमृतसर, तरण-तारण, कपूरथला, फिरोजपुर, मुक्तसर, फाजिल्का और पठानकोट जिलों में बड़ी संख्या में गांवों को डूबो दिया है। महोदया, विशेषकर पूरे पंजाब में और सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 4.5 लाख एकड़ भूमि का नुकसान हो गया है। यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों के पास प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराने के लिए संसाधन नहीं है। नहरों के रेखांकन और बंधों को मजबूत बनाने के लिए राज्य को पिछले वर्ष लगभग 3300 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे। राज्य सरकार के बड़े, दावे कि हमने बाढ़ सुरक्षा उपायों पर कई करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं, बड़ा झूठ साबित हुए ...*(व्यवधान)* बंधों में अनेक स्थानों पर दरार आ गई जिससे आस-पास के लोगों को चिंता बढ़ गई ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये, आप सुन लीजिए। क्या हुआ?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा: पाकिस्तान की सीमा पर कुछ गांव पूरी तरह कट गए हैं। ये बाढ़ सीमावर्ती क्षेत्र में बार-बार का किस्सा बन गई है जो खड़ी फसलें, मकानों और बचे हुए थोडे से ढांचे की अपूरणीय क्षति पहुंच रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप सुन लीजिए। आप भी बोल लीजिएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपको भी बोलने का मौका देंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रताप सिंह बाजवा: यद्यपि, केन्द्र सरकार ने इन राज्यों को सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत भारी राशि आवंटित की है फिर भी राज्य सरकार इन सीमावर्ती गांवों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है...*(व्यवधान)*

चूंकि भारत-पाक सीमा पर इन सीमावर्ती गांवों में बाढ़ की स्थिति निरंतर गम्भीर बनी हुई है और जल-प्रलय से हुई विनाश लीला को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि (क) गांव वालों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकालने के लिए तत्काल सेना और अर्ध-सैनिक बल तैनात करें और (ख) बाढ़ सुरक्षा उपाय करने हेतु पंजाब को विशेष निधियां आबंटित करें *(...व्यवधान)*

और अंतिम बात यह है कि मैं माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उनके पास पर्याप्त पैसा है। जहां फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है वहां उन्हें कम से कम 25000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जाना चहिए। मेरा यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री महिन्दर सिंह केपी अपने आपको श्री प्रताप सिंह बाजवा जी के विषय के साथ करते हैं।

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों भीषण बारिश से 13 जिलों में भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गयी। अब तक वहां पर 25 से ज्यादा ज्यादा लोग मारे गये, 106 गांव प्रभावित हुए हैं। वहां पर होशंगाबाद, सिरोह, रायसेन, हरदा, देवास, बरवानी, खरगोन जिलों में अभी भी स्थिति गम्भीर है। मुख्यमंत्री जी तो सभी जगह गये हैं। राहत और बचाव कार्य भी वहां बहुत तेज गति से चालू है। सेना को भी बुलाना पड़ा। वहां पर फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जिन जिलों में बाढ़ आयी है, वहां पर केन्द्रीय अध्ययन दल जाये और जिन फसलों और मकानों का नुकसान हुआ है, उसका आंकलन करे और तत्काल मध्य प्रदेश को राहत राशि देने का काम करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री वीरेन्द्र कुमार अपने आपको श्री गणेश सिंह जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष महोदया, विशेष राज्य के दर्जे के लिए पूरे देश भर में एक हंगामा मचा हुआ है और कांग्रेस पार्टी इसका एक पोलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। कि झारखंड, ओडिशा, बंगाल और राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। जब 2013-14 का बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया, उस बजट को पेश करने में उन्होंने कहा

कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए, पिछड़े राज्य के दर्जो के लिए वे एक कमेटी बना रहे हैं और उसके साथ एक मापदंड तय होगा कि विशेष राज्य के दर्जे का कौन-कौन सा राज्य हकदार है। अभी रघुरामराजन कमेटी बनाई गई। रघुरामराजन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है और बिना उस रिपोर्ट के आए हुए मंत्री पार्लियामैंट में गलतबयानी कर रहे हैं। यह विशेषधिकार का मामला है। चूंकि यह दूसरे सदन का मामला है इसलिए मैंने प्रिविलेज नहीं उठाया, लेकिन मैं जिस राज्य झारखंड से आता हूं झारखंड सबसे ज्यादा माइन्स और मिनिरल्स देता है, लेकिन हमारे जो 17 जिलें हैं, वे इंटीग्रेटेड एकशन प्लान में हैं, नक्सलाइट्स से घिरे हुए हैं। 21 ऐसे जिले हैं जो एस.आर.ई. में हैं। गृह मंत्रालय मानता है कि नक्सलाइट एरिया है और सी.आर.पी.एफ और बी.एस.एफ. की वहां जो कंपनियां हैं, उनको पैसा देने में राज्य का सारा पैसा देने में राज्य का सारा पैसा चला जाता है। इसके अलावा हमारे 24 में से 23 जिले बैकवर्ड रीजन ग्रांट में हैं। 75 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। 70 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो मालन्यूट्रीशन के शिकार हैं। 72 प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं जो एनीमिक हैं। हमारा कंजम्पशन का जो लैवल है, चाहे वह बिजली का कंजम्पशन हो, स्टील का कंजम्पशन हो, चाहे सीमैन्ट का कंजम्पशन हो, हम भारत सरकार के डाटा में सबसे नीचे हैं। आर्थिक तौर पर शैक्षणिक तौर पर और सामाजिक तौर पर सबसे ज्यादा पिछड़े 12 जिलों की जो लिस्ट भारत सरकार ने बनाई है वे 12 के 12 जिले झारखंड में हैं। जब इस तरह की सिचुएशन हो, लिट्रेसी रेट महिलाओं का काफी नीचे है, पुरुषों का लिट्रेसी रेट काफी नीचे है, तो कौन सा आधार है? यदि किसी एक राज्य को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए तो वह झारखंड को मिलना चाहिए। झारखंड को यदि राजनीतक कारणों से ये महरूम करते हैं तो यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इस देश को आज हम चला रहे हैं। यदि आज मुम्बई में पैसा है, दिल्ली में पैसा है तो 50 परसेंट से ज्यादा माइन्स और मिनिरल्स केवल झारखंड देता है जबकि रॉयल्टी के नाम पर आप हमको एक पैसा नहीं देते है। जो बड़ी-बड़ी कंपनियों हैं-टाटा है, बिड़ला है जिन्दल है, वे वहां से माइन्स और दूसरी चीजें लूटकर लाती हैं। कोल इंडिया है, सेल है, डीवीसी है, उसका हैडक्वार्टर आपने कोलकाता बना दिया है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और झारखंड को सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। . ..*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): सरकार कहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे लेकिन ये केवल अलायंस की राजनीति कर रहे हैं।....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती ज्योति धुर्वे एवं श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय के नाम श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध किये जाते हैं।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): मोहतरमा स्पीकर साहिबा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपकी बिसादत से सरकार की और हाउस की तवज्जह रियासत जम्मू कश्मीर और अपने पार्लियामैंट्री हलके जम्मू के पुंछ की तरफ दिलाना चाहता हूँ। पिछले महीने से पाकिस्तान की तरफ से जो अंधाधुंध फायरिंग और गोलाबारी हो रही है उससे लाखों लोग परेशान हैं। तक बॉर्डर पर बसने वाले लोगों के सैकड़ों जानवर मारे गए हैं। दर्जनों लोग-बच्चे, बूढ़े और जवान पिछले एक हफ्ते में जख्मी हुए हैं। वहां इंटरनेशनल बॉर्डर और एक्युअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतनी दहशत और खौफजदा माहौल है कि वहां सरहद पर बसने वाले लोग वहां से माइग्रेशन करने के मुड में हैं। मैं आपकी बिसादत से सरकार से और हाउस से यह मांग करता हूं कि एक बहुत बड़ी ज्यादती उन लोगों के साथ होती है। ऑनरेबल स्पीकर के ऑर्डर पर जम्मू कश्मीर में मिलिटैन्ट किसी आदमी को मार देते हैं तो सरकार की तरफ 5 लाख रुपये मरने वाले के लवाहकीन को मिलता है और उसके एवज में एक व्यक्ति को नौकरी भी मिलती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की फायरिंग से हमारे बॉर्डर पर बसने वाले बगैर वर्दी इस मुल्क के लोग मारे जाते हैं तो मरने वाले के लिए 1 लाख और जख्मी को 10 हजार रुपये दिये जाते हैं। में कहना चाहता हूं कि यह एक इम्तियाज है, फ़र्को-फ़र्की है जिससे लोगों में काफी गुस्सा भी है। अगर मिलिटैन्ट के हाथों कोई सिविलियन मारा जाता है तो उसके परिवार को पाँच लाख रुपये मिलते हैं और अगर पाकिस्तान के लोगों से या गोली से कोई मरता है तो उसके परिवार को 1 लाख रुपये मिलते हैं। यह जो इम्तियाज है इसको दूर करना चाहिए। मैं आपकी बिसादब से हाउस से और सरकार से बड़े लैवल का डेलिगेशन साढ़े तीन सौ किलोमीटर का बार्डर से ले कर पूंछ लोरन मंडी तक पिछले महीने से परेशान हैं और और खौफजदा है, उनकी हौसलाअफजाई के लिए यहां से आल पार्टी टीम भेजी जाए और सरकारी आफिसर्स को भेजा जाए ताकि सरहद पर बसने वाले लोगों का मनोबल ऊंचा हो और उनकी तबाही और बर्बादी का सरकार फैसला करे ताकि वहां के जवानों और सरहद पर बसने वाले लोगों का हौसला कायम रहे तथा पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, वह क्यों फायरिंग करता है, क्योंकि वहां से मिलेटेंट्स को क्रास करने के लिए उनकी इनफिल्ट्रेशन करवाने के लिए भी हो रहा है। यह बहुत बड़ा नेशनल दाग होगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदया, मैं अति लोक महत्व के विषय की तरह आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पूरे देश में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गांवों में विद्युतीकरण का काम किया गया है लेकिन जहां गांवों में विद्युत पहुंचाई गई है वहां एक फेज की लाइन लगा कर और 25 केवीए, 16 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। ज्यादा लोड होने की वजह से बिहार में लगभग सौ प्रतिशत, आपका क्षेत्र भी बिहार में है, मैं आपके क्षेत्र की भी बात कह रहा हूं, वहां सो

प्रतिशत ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। बिहार सरकार ने घोषणा कर दी है कि इन ट्रांसफार्मर्स को नहीं बदलवाएंगे और उनके पदाधिकारी सांसदों को चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी का अंतिम पैरा मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वे चिट्ठी लिखते है कि "सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जलने की स्थिति में यदि माननीय सांसद के द्वारा ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि पर थ्री फेज ट्रांसफार्मर लगाने की योजना की अनुशंसा की जाती है, तो ऐसी स्थिति में थ्री फेज ट्रांसफार्मर बदलने के मामले में परियोजना पर होने वाली कुल लागत सांसद मद से खर्च की जाएगी।"

अध्यक्ष महोदया, जो प्रक्रिया है, वह गलत अपनाई गई है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार अगर इस योजना को आगे चलाती है तो कम से कम 63 केवीए, 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाए। इसके साथ ही जो ट्रांसफार्मर सौ में से सौ प्रतिशत जल चुके हैं, यदि सांसद मद से ही पैसा लेना है, चूंकि गांवों में जाने पर वहां के लोगों का काफी दबाव है और विद्युत के लिए सारे लोग बेचैन हैं। वे चाहते हैं कि किसी तरह ट्रांसफार्मर बदला जाए। सांसद मद से पैसा देने के बाद भी जो रेट विद्युत विभाग ने तय किया है, 63 केवीए के ट्रांसफार्मर बाजार में 60 हजार रुपए में बिक रहा है, जबकि विद्युत विभाग ने बिहार में 80 हजार रुपये उसका रेट तय किया है। इस तरह बीस हजार रुपए सांसद मद का पैसा जो जनता का पैसा है, सरकार ने इस पैसे को जनता पर खर्च करने के लिए दिया है, अगर बीस हजार रुपया जयादा दिया जाएगा तो सीधे तौर पर यह पैसा दलाली में खर्च होगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भारत सरकार राज्य सरकार से वार्ता करे। अगर चाहे तो हम कुल सांसद मद का हम इस मद में दिल्ली में लिख दने के लिए तैयार हैं और मेरे क्षेत्र का और पूरे बिहार का जो 25 और 16 केवीए का ट्रांसफार्मर है, उन्हें बदलवाने का काम शीघ्र किया जाए, ताकि गांवों में शांति कायम हो सके, नहीं तो गांवों में जाना भी मुश्किल हो चुका है।

अध्यक्ष महोदया: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदया, मैं आपनी बात एक मिनट में समाप्त करने वाला हूं। मैं कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। महोदया, यह जो पैसा देना है, डीएम के माध्यम से सीधे-सीधे विद्युत विभाग को देना है, जबकि अन्य योजनाएं डीआरडीए के माध्यम से बिहार में काम पूरे कराए जाते हैं। अगर कोटेशन के माध्यम से डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो हमें लगता है कि सस्ते दाम पर और जल्दी ट्रांसफार्मर का बदलाव सांसद मद से हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग अपने को प्रभुनाथ सिंह जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध कर लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब यह मैटर समाप्त हो गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: 'शून्य काल' के शेष मामले पर शाम को विचार किया जाएगा। श्री दासगुप्त जी, मुझे भारत के महान्यायवादी द्वारा आपको एक नोटिस जारी कराकर संसद सदस्य के रूप में आपके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने के लिए उनके विरूद्ध आपके दिनांक 26 अगस्त 2013 की विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त हुई है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप क्या कर रहे है? बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मामला मेरे विचाराधीन है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बैठिए।

...*(व्यवधान)*

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, नियम 377 के अधीन मामलें सभा पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और वे उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं वे 20 मिनट के भीतर पर्चियां व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर सौंप सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों की सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जिनके लिए निर्धारित समय के भीतर पर्चियां सभा पटल पर प्राप्त हुई हो। शेष मामले को व्यपगत माना जाएगा।

...*(व्यवधान)*

(एक) देश में आयातित सिल्क धागों पर मूल्यवर्धित कर (वैट) में बढ़ोत्तरी किए जाने तथा हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चिंतन (डिण्डीगुल): हथकरघा क्षेत्र तमिलनाडु के प्राचीन क्षेत्रों में से एक है। कृषि के बाद हथकरघा का महत्वपूर्ण स्थान है और इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है।

आजकल जो लोग हथकरघा पर निर्भर हैं वे मिल वस्तुओं के खिलाफ भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हथकरघा वस्त्र विशेषकर साडियों की उचित कीमत तक की जाती है और मध्यवर्गीय महिलाएं उन्हें पसंद करती हैं और वे उनके लिए उपयुक्त होती हैं और उन्हें डिण्डीगुल निर्वाचन क्षेत्र में पूरे वर्ष 'चिन्नालापट्टी' के नाम और शैली के अंतर्गत बड़े पैमाने पर निर्मित किया जाता है।

इस प्रकार के वस्त्रों विशेषरूप से साड़ियों की सेलम, इरोड, तिरुपुर, करैकुडी, अरुप्पुको है, तिरुयेंगोद, पल्लीपलाल और नामक्कल में बनाया जाता है।

एक करोड़ से अधिक बुनकर और उनके परिवार हथकरघा पर निर्भर हैं।

विगत 10 वर्षों से चीन से राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से रेशम के धागों का आयात किया जा रहा है। इन रेशम के धागों से बनी हुई साड़ियों का सम्पूर्ण विश्व में नियमित रूप से निर्यात किया जा रहा है अभी हाल ही में सरकार ने चीन से आयातित रेशम के धागे पर 5 प्रतिशत वेट लगाया है।

इस वृद्धि ने स्थिति को बुनकरों के लिए हालात को और कठिन बना दिया है और पहले ही अनेक बुनकरों ने व्यापार छोड़ दिया है और उन्होंने विभिन्न अन्य कार्यों को अपना लिया है। शेष बुनकर अपनी आजीविका कमाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि रेशम के धागे पर बढ़ा हुआ वैट वापस लिया जाए और हथकरघा क्षेत्र के लिए अन्य राहत घोषित की जाए।

(दो) देश में विशेषकर राजस्थान के कोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों के लिए बैंक में बिना किसी कठिनाई के जीरो बैलेंस बचत खाता खोले जाने की आवश्यकता

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): देश में किसानों एवं गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलायी गयी हैं, जिसके अंतर्गत सब्सिडी का पैसा सीधे उनके बैंक एकाउंट में जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने सभी सरकारी बैंकों एवं ग्रामीण बैंको को निर्देश दिया हुआ है कि किसानों एवं गरीब व्यक्तियों के खाते जीरो बैलेंस के आधार पर खाले जायें। परन्तु खेद के साथ सदन को सूचित करना पड़ा रहा है कि कई जिलों में विशेषकर मेरी संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में किसानों एवं गरीब लोगों को जीरो बैंलेस के आधार पर खाते खोलने हेतु बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और बैंक अधिकारी जीरो बैलंस के आधार पर उनके खाते नहीं खोल रहे हैं। जिसके कारण कल्याणकारी योजनाओं को लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि जो भी किसान या ग्रामीण गरीब व्यक्ति बैंकों में जीरो बैलेंस के आधार पर खाता खोलने जाये तो उनका खाता तत्काल खोला जाये, जिससे वे सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिल रही छूट का फायदा उठा सकें।

(तीन) असम में लुम्डिंग से बदरपुर रेलवे लाइन के आमान परिवर्तन कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य (करीमगंज): सरकार को ज्ञात है कि बराक घाटी, मिजोरम और त्रिपुरा के लोग असम में लुम्डिंग से बदरपुर तक मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के कार्य में विलम्ब और रेलवे की लापरवाही के कारण बहुत असंतुष्ट हैं। इस क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष है जो आगामी दिनों में और बढ़ सकता है क्योंकि हरेक व्यक्ति यह महसूस करता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् इस क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में रेल नेटवर्क का विकास हुआ है।

1996 में शुरू हुई आमान परिवर्तन की परियोजना 2006 तक पूरी होनी थी परन्तु रेलवे बार-बार पूरी करने का समय बढ़ाता रहा। इस तरह किसी न किसी कारण से कार्य लगभग 18 वर्ष तक खिंच गया और अब रेलवे ने पूर्णता की तारीख 1 जनवरी, 2014 तय की है। लोगों को आशंका है कि इस अवधि में भी परियोजना पूर्ण नहीं होगी।

अतः मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए।

(चार) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों को स्थायी कर्मचारी बनाये जाने तथा उनके मानदेय में भी वृद्धि किये जाने की आवश्यकता

श्री एंटो एंटोनी (पथनमथीट्टा): मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों को स्थायी

कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए और उनके मानदेय की राशि में वृद्धि की जाए। इस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों को अवैतनिक कार्यकर्त्ता माना जाता है। हाल ही में सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का मानदेय 1500 रुपये प्रतिकर से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह और आंगनवाड़ी सहायकों तथा मिनी-ए-डब्ल्यू सी के कार्यकर्त्ताओं का 750 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। तथापि, यह उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं की तुलना में बहुत छोटी राशि है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायक समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना की रीढ़ हैं। अनौपचारिक स्कूल पूर्व कार्यकलाप आयोजित करने के अपने कर्त्तव्य के साथ-साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और आंगनवाड़ी सहायक बच्चों और माताओं का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं की मदद भी कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और आंगनवाड़ी सहायक 20 करोड़ बच्चों की देखभाल करते हैं।

(पांच) कर्नाटक के चामराजनगर जिले में एक सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के चामराजनगर जिले (कर्नाटक राज्य) में "सैनिक स्कूल" की स्वीकृति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के चामराजनगर जिले के अंतर्गत कुल 5101 वर्ग किमी क्षेत्र में से 2791 वर्ग किसी आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र है। बीआरटी बाध परियोजना, बांदीपुर बाध परियोजना, कावेरी वन्य जीव मंडल, कोलेगल और कोलेगल वन्य जीवनमंडल इस जिले के अंतर्गत आते हैं। चामराजनगर जिला, कर्नाटक राज्य के सर्वाधिक पिछड़े जिले में से एक है। "क्षेत्रीय असंतुलन" के समाधान संबंधी डॉ. नंजुनदप्पा समिति के अनुसार राज्य मानव विकास सूचकांक में इस राज्य का 25वां स्थान है। इसके अंतर्गत 4 तालुका, 16 हॉबलिस, 446 रिहायशी गांव और 66 गैर रियायशी गांव, पढ़ा राजस्व गांव और 120 ग्राम पंचायतें हैं 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 9.65 लाख है और इस जिले में अ.जा./अ.ज.जा. वर्गों की जनसंख्या 35.6% प्रतिशत है कर्नाटक राज्य में पहले से बीजापुर और कुर्ग जिलों में दो सैनिक स्कूल चल रहे हैं चामराजनगर जिले में एक और सैनिक स्कूल खोले जाने से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उनके घर के निकट बेहतर शिक्षा सुविधा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। चामराजनगर जिले में सैनिक स्कूल खोले जाने से राष्ट्र की सेवा कर रहे रक्षा कर्मियों की मांगें पूरी होंगी।

उपरोक्त कारणों के दृष्टिगत, मैं माननीय रक्षा मंत्री से पुरजोर अपील करता हूं कि वह शीघ्र ग्रामीण बच्चों के लाभार्थ चामराजनगर जिले में एक "सैनिक स्कूल" स्वीकृत करने और खोलने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(छह) उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नागरकि सुविधाओं के विकास के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली) वर्तमान जनगणना से विदित हुआ है कि देश में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला जिला राजधानी दिल्ली का उत्तर-पूर्वी जिला है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार कॉलोनी, 50 गांव और 50 जे.जे. कलस्टर हैं। इसके अलावा 50 फीसदी हिस्से में सीवर की सुविधा नहीं है। इस प्रकार यहां बुनियादी समस्याओं की वजह से दिक्कतों का अंबार दिल्ली के अन्य क्षेत्रों से अधिक है तथा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जीण-शीर्ण सड़कें, शिक्षा और बिजली-पानी की गम्भीर समस्या है। इस क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब कि केन्द्र सरकार पूरे क्षेत्र को अपने अधीन ले। यदि ऐसा होता है, तो इस क्षेत्र में घनी आबादी होने के बावजूद विकास की गति तेज हो सकती है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह देश के सर्वाधिक घनी आबादी वाले उत्तर-पूर्वी संसदीय क्षेत्र को अपने अधीन लेकर इसके तीव्र विकास हेतु एक कारगर योजना बनाकर वहां आवश्यक बुनियादी सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराए जाने हेतु आवयक पहल की जाए।

(सात) नमक उद्योग में कार्यरत कामगारों के कल्याण हेतु बनायी गई योजनाओं के लिए वितीय सहायता प्रदान किए जाने संबंधी गुजरात सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेनभाई काछदिया (अमरेली): मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि गुजरात राज्य में लगभग 70 प्रतिशत सामान्य नमक का उत्पादन होता है जो कि पूरे देश का लगभग 57 प्रतिशत उत्पादन है। इसके अलावा गुजरात राज्य देश का सबसे बड़ा नमक निर्यातक राज्य भी है। राज्य सरकार द्वारा लगभग 40 करोड़ रुपये साल राज्य में नमक उद्योग एवं उद्योग में लगे हुए मजदूरों के कल्याण हेतु खर्च किए जा रहे हैं। उपरोक्त के संबंध में मैं केन्द्र सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा नमक उद्योग एवं उद्योग में लगे हुए मजदूरों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उचित मात्रा में अनुदान प्रदान करने की पहल करनी चाहिए। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा यथाविधि केन्द्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को प्रस्ताव अग्रेषित किया

जा चुका है, परन्तु उपरोक्त प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया है।

अत: मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नक उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के आधार पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाए जिससे नमक उद्योग में लगे हुए हजारों-लाखों मजदूरों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की जा सकें।

(आठ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में फसलों और वनों को आग से बचाने के लिए गार्ड और फायर वाचर नियुक्त किए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर हि.प्र.): मैं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में बन्दरों एवं जंगली जानवरों जैसे सुअर और नील गाय आदि के उत्पात के कारण किसानों ने अपने खेतों में बीज बोना बन्द कर दिया। मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि मनरेगा के अंतर्गत 'रखवाले' नियुक्त किए जाएं जिन्हें मनरेगा से वेतन के रूप में पैसा मिले और वे बन्दरों एवं अन्य जंगली जानवरों से खेतों की रक्षा करें।

हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रीष्म काल में आग लगने के कारण राष्ट्र की बेशकीमती पशु एवं वन्य सम्पत्ति जल कर नष्ट हो जाती है तथा दुर्लभ जीव-जन्तु मर जात हैं। इसके कारण पहाड़ों में अनेक दुर्लभ जड़ी-बूटियां तथा जीव-जन्तुओं की प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर हैं। इसका मुख्य कारण हमारी सम्पूर्ण वन नीति जनता और वनों के बीच में दूरी बढ़ाने वाली है, न कि घटाने वाली। इस कारण स्थानीय लोग जंगलों की आग को बुझाने में अपना पूर्ण सहयोग नहीं देते हैं क्योंकि जंगलों से उन्हें अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की वन्य संपदा का प्रयोग कानूनी रूप से वर्जित है। मेरा निवेदन है कि वनों में लगने वाली आग से बचाव के लिए 'फायर वॉचर' नियुक्त कर दिया जाए जिनकी पारिश्रमिक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (मनरेगा) के तहत देने का प्रावधान कर दिया जाए।

(नौ) बिहार में पर्याप्त समय से लंबित विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण): बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। शायद भारत सरकार इस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की तैयारी कर रही है। यह सुनने में निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। किन्तु यह राज्य कृषि आधारित राज्य है, यह देश का सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश है। विशेष राज्य के दर्जा से उद्योग धंधों को राहत मिलेगी जबकि बिहार राज्य में उद्योग धंधों के लिए जमीन मिलना मुश्किल है। एनडीए सरकार के कार्यकाल में इस कृषि प्रधान राज्य में उद्योग धंधों के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं हो पाई क्योंकि किसी भी इलाके में 100-200 एकड़ जमीन मिलना मुश्किल है।

मेरा अनुरोध है कि यदि बिहार की वर्षों से लंबित परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार पर्याप्त राशि दे तब शायद बिहार का भला होगा। बरौनी को पेट्रोकैमिकल हब बनाना, खाद कारखाना चालू करना, जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन का निर्माण, हामीपुर-सुगौली रेल लाइन निर्माण सहित दर्जनों लंबित परियोजनाओं को पर्याप्त धनराशि देकर बिहार का सही मायने में विकास किया जाये।

(दस) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिराथू, भरवारी तथा मनौरी रेलवे स्टेशनों पर महानन्दा एक्सप्रैस (ट्रेन सं. 15483/84), कालका मेल (ट्रेन सं. 12311/12), सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस (ट्रेन सं. 12987/88) तथा मूरी-अमृतसर एक्सप्रैस (ट्रैन सं. 18601) का ठहराव प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उत्तर प्रदेश का 'कौशाम्बी' संसदीय क्षेत्र दिल्ली-हावड़ा रेलवे लाइन उत्तर-मध्य रेलवे क्षेत्र में है। रेलवे को अच्छी आय देने वाले स्टेशन सिराथू, भरवारी व मनौरी हैं, जो इलाहाबाद एवं फतेहपुर के मध्य स्थित हैं। इस दूरी पर कड़ा पर्यटन स्थल है जो कौमी एकता का प्रतीक है। कौशाम्बी एक ऐतिहासिक स्थल है जो राजा उदयन की राजधानी रह चुकी है। ऐसे ऐतिहासिक जगहों पर सिराथू, भरवारी, मनौरी रेलवे स्टेशनों पर महत्वपूर्ण गाड़ियों के ठहराव होने से हजारों तीर्थ यात्रियों को सुविधा होगी एवं रेलवे की आय में वृद्धि होगी। माँ शीतला धाम प्रतिवर्ष लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ख्वाजा कड़क अब्दाल की मजार पर जियारत हेतु मुस्लिम हिन्दू दोनों आते हैं। सिद्ध पुरुष संत मलूकदास की साधना स्थली तपोभूमि है। यहां निम्न गाड़ियों के ठहराव की आवश्यकता है। अप गाड़ियां 15483 महानन्दा एक्सप्रैस, 12311 कालका मेल, 12987 सियालदह, अजमेर एक्सप्रैस, डाउन गाड़ियां 18601 मूरी-अमृतसर एक्सप्रैस, 15484 महानन्दा एक्सप्रैस, 12312 कालका मेल, 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रैस का ठहराव रेलवे स्टेशन सिराथू, भरवारी स्टेशनों पर किया जाये।

(ग्यारह) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रेल सुविधाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

डॉ. बलीराम (लालगंज): आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है। यह तमसा के पावन तट पर स्थित देश की महत्वपूर्ण नदियों गंगा एवं घाघरा के मध्य बसा हुआ है। यह जनपद प्राचीन काल में ही अनेक ऋषि-मुनियों, मनीषियों, चिन्तकों, विद्वानों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की जन्म स्थली रहा है। यह मण्डल होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला है।

यहीं रेलवे क्रॉसिंग पर एक ओवर ब्रिज बनाया गया है परन्तु वह इतना संकरा है कि उस पर एक साथ 2-3 गाड़ियां नहीं आ-जा सकती हैं जिस कारण इस पर जाम की समस्या बनी रहती है। जिस उद्देश्य के लिए इस ओवर ब्रिज का निर्माण कराया गया था, वह वर्तमान में सार्थक नहीं हो पा रहा है। साथ ही इसकी गुणवत्ता भी बहुत घटिया है।

आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर सेकेण्ड और थर्ड प्लेटफार्म का निर्माण काफी समय से चल रहा है लेकिन काफी समय व्यतीत होने के उपरान्त भी वह अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पा रहा है। दोनों प्लेटफार्म का काम भी बहुत ही धीमी गति से हो रहा है जिससे जनता को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धीमी गति से निर्माण के कारण इन प्लेटफार्मों की लागत भी काफी बढ़ गयी है।

दिल्ली से आजमगढ़ को रेलवे से जोड़ने के लिए यहां से एकमात्र कैफियात एक्सप्रैस गाड़ी है जिस पर फरिहां और सरायमीर रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, परन्तु इन स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव न होने से यहां की जनता को बहुत परेशानी होती है तथा लंबी दूरी तय कर उन्हें इस ट्रेन को पकड़ने के लिए आजमगढ़ आना पड़ता है।

संसदीय क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यहां की जनता द्वारा बार-बार कैफियत ट्रेन का ठहराव फरिहाँ एवं सरायमीर रेलवे स्टेशन पर करने का अनुरोध किया जाता है। मैं स्वयं यहां की जनता की परेशानी से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूं।

इसलिए मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि जनहित में ओवर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने, आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर सेकेण्ड एवं थर्ड प्लेटफार्म का निर्माण तीव्र गति से कराने तथा फरिहाँ एवं सरायमीर रेलवे स्टेशन पर कैफियत एक्सप्रैस का दो-दो मिनट का ठहराव करने का कष्ट करें।

(बारह) तमिलनाडु में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का विकास किए जाने और इसे बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अब्दुल रहमान (वेल्लौर): आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति एक प्राचीन पद्धति है। आज की स्थिति के अनुसार राज्य में 2321 योग्य चिकित्सा स्नातक होने के बावजूद तमिलनाडु में केवल 60 आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केद्र चल रहे हैं। तमिलनाडु की 72 मिलियन जनसंख्या के दृष्टिगत तमिलनाडु में सरकारी आयुर्वेदिक पीएचसी की संख्या बहुत कम है। जरूरतमंद लोगों को आयुर्वेद अस्पताल और पंचकर्म चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। आयुर्वेद के चिकित्सकों को केवल गैर-कार्यकारी दर्जा प्रदान किया गया है। तमिलनाडु में सभी आयुर्वेद चिकित्सकों की ओर से मैं आपसे तमिलनाडु के प्रत्येक जिला मुख्यालय में 50 बिस्तर वाला अस्पताल खोलने, तमिलनाडु के प्रत्येक जिले में 10 ग्रामीण पीएचसी में आयुर्वेद चिकित्सकों की नियुक्ति करने और लगभग 300 विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए आयुर्वेद औषधि निरीक्षक के पदों का सृजन करने और चिकित्सों को कार्यकारी दर्जा प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

मेरी भारत सरकार से पुरजोर अपील है कि अन्य राज्यों के पैटर्न पर तमिलनाडु में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(तेरह) बाजार में उचित दामों पर जेनेरिक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने तथा औषध निर्माताओं से उनकी सीधी सरकारी खरीद किए जाने की आवश्यकता

श्री रूद्रमाधव राय (कंधमाल): सरकार जेनरिक औषधियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है और सरकार ने चिकित्सकों को ये औषधियां लिखने का परामर्श दिया है। मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि के.स.स्वा.यो. और अन्य सरकारी एजेंसियां अधिकतम खुदरा मूल्य पर जेनरिक औषधियां खरीद रही हैं। अब उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इन्हें 27% की छूट पर खरीदा जा रहा है जबकि जेनरिक औषधियां बाजार में कैमिस्टों को 60%-70% की छूट पर उपलब्ध हैं लेकिन ये औषधियां आम जनता को अधिकतम खुदरा मूल्य पर बेची जा रही हैं सरकार को जेनरिक औषधियों की आपूर्ति को सुकर बनाना चाहिए तथा उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए और जेनरिक औषधियों के लिए एक पृथक मूल्यनिर्धारण नीति तैयार करनी चहिए। सरकार को स्थानीय कैमिस्टों और थोक विक्रेताओं की बजाय सीधे विनिर्माताओं से औषधियां खरीदनी

चाहिए। सभी राज्य सरकारों को सस्ती दरों पर आसानी से जेनरिक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु इस नीति का अनुकरण करने की सलाह भी दी जानी चाहिए।

(चौदह) महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त पर्यटक सुविधाओं का विकास किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): महाराष्ट्र के मेरे संसदीय क्षेत्र संभाजीनगर, औरंगाबाद को 52 गेटों का शहर कहा जाता है जहां प्राचीन इमारतें एवं ऐतिहासिक धरोहरे अपने अटूट इतिहास का बयान करती है। मेरे इस संसदीय क्षेत्र में हिन्दू, मुस्लिम एवं बौद्ध संस्कृति का अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। अजन्ता एवं एलोरा की गुफाएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। जायकाबाड़ी डैम और बीबी का मकबरा इस जिले में स्थित है। गुफाओं में बौद्ध कलाकृति एवं अद्भुत गौतम बुद्ध की मूर्तियां अहिंसा एवं शांति का संदेश दे रही हैं। इन गुफाओं में जापान एवं एशिया के अन्य हिस्सों के लोगों के बीच भारी श्रद्धा के चलते वहां से काफी संख्या में पर्यटक आते हैं। दौलताबाद का देवगिरी किला, हिन्दुओं के कई प्रसिद्ध मंदिर जिनमें, भद्रा मारूति मंदिर, सुलीभंजन के भगवान दत्त का मंदिर एवं 12 ज्योतिलिंग में एक ज्योतिलिंग एलोरा का श्री छापेधर देवालय इसी औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद का मौसम हर माह लोगों के अनुकूल होता है। इसे देखने के लिए विश्वभर के पर्यटक आते हैं परन्तु यहां पर पहुंचने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देश में औरंगाबाद के ऐतिहासिक धरोहरों की महत्ता को देखते हुए पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो नहीं मिल पा रहा है और यहां पर आने-जाने के लिए एक-दो रेलगाड़ियां हैं। यहां से वायुयान सेवा को कई अन्य शहरों से जोड़ा जाना चाहिए और पर्यटन की सुविधा को बढ़ाना चाहिए। पर्यटन की आवश्यक सुविधा यहां पर न के बराबर है।

पूरे भारत में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पर्यटन के विकास की काफी संभावनाएं मौजूद हैं और इससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। सरकार ने इन संभावनाओं के आधार पर कोई विशेष काम नहीं किया है जिसके कारण जितना पर्यटन यहां विकसित हो सकता है उतना नहीं हो पा रहा है। अत: सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पर्यटन की संभावनाओं को भरपूर उपयोग किया जाए।

(पन्द्रह) बिहार में बक्सर को आकर्षक पर्यटक स्थल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर): बक्सर (बिहार) पवित्र गंगा के किनारे बसा हुआ एक प्राचीनतम नगर है। यह भारत की संस्कृति का केन्द्रीय स्थान है क्योंकि महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में श्रीराम ने यहीं शिक्षा-दीक्षा प्राप्त की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम 'राम' अयोध्या के राजकुमार थे मगर बक्सर में संस्कारित राम भारत के भगवान हैं। यही वह स्थान है जहां श्री राम ने ताड़का का वध कर रावण की राक्षसी संस्कृति को प्रथम बार चुनौती दी थी। इस तरह बक्सर पौराणिक काल ही प्रसिद्ध नगर नहीं बल्कि बक्सर का एक उपनगर चौसा भारत के दो-दो बार ऐतिहासिक युद्ध का भी गवाह है, जहां से हुआ जय-पराजय का फैसला भारत के शासन का फैसला साबित हुआ।

आदिकाल से लेकर आज तक अपनी प्रसिद्धि को बनाए रखने वाला 'बक्सर' आज अपेक्षित है। राष्ट्र की संस्कृति का केन्द्रीय स्थान स्वीकार कर 80 के दशक में भारत सरकार ने गंगा तट पर अवस्थित किले में ध्वनि एवं प्रकाश का केन्द्र स्थापित किया जो पर्यटकों के लिए भारी आकर्षण का केन्द्र साबित हुआ था। लंबे समय तक कार्यरत केन्द्र आज बंद है, जिसकी आवश्यकता आज भी बक्सर के लिए ही नहीं बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों में भी बेचैनी पैदा कर रहा है। केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के आकर्षण के लिए भारी-भरकम बजट के माध्यम से पर्यटक स्थलों का विकास कर रही है। वही भारत प्रसिद्ध देश का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के द्वारा वर्षों से अपेक्षित है। बक्सर को केन्द्रीय स्थान मानकर राम-जानकी सर्किट की घोषणा आवश्यक है। पर्यटन की दृष्टि से इस महत्वपूर्ण स्थान को सजाने-संवारने की अति आवश्यकता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार एक वृहत योजना तैयार करे साथ ही ध्वनि एवं प्रकाश केन्द्र को पुनरस्थापित किया जाना चाहिए।

मैं भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से मांग करता हूं कि 12वीं योजना काल के द्वितीय वर्ष में ही एक व्यापक कार्य योजना को तैयार कर बक्सर की गरिमा के अनुरूप विकसित कर पर्यटकों को आकर्षण के इस केन्द्र को उचित स्वरूप प्रदान करे।

(सोलह) तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. लिंगम (तेनकासी): भारतीय गणतंत्र के 60 वर्षों में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण कृषि मजदूरों को प्रत्येक वर्ष 100 मानव दिवस कार्य उपलब्ध कराकर गरीबी दूर करना और कृषि

गतिविधियों का विकास करना है। इस योजना का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जा रहा है। राज्यों में दैनिक मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के आधार पर निर्धारित की गई है और उन्हें अधिसूचित किया गया है। तदनुसार तमिलनाडु में, श्रमिकों को 148/- रुपये प्रतिदिन भुगतान करने का आदेश किया गया है। तथापि प्रावधान के विपरीत, 40/- रुपये से भी कम दैनिक मजदूरी दी जा रही है। किस आधार पर 40/- रुपये की राशि दी जा रही है? इसका क्या कारण है? लोगों की क्रय क्षमता को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया।

यदि किए गए कार्य के आधार पर भुगतान किया जाता है, मापन तंत्र के माध्यम से, तब तो इस परम्परा को त्याग देना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि सामाजिक लेखा परीक्षा के नाम पर, विभाग के कर्मचारी भयभीत है। क्या मजदूरी को कम करने के लिए योजना में सामाजिक लेखा परीक्षा सम्मिलित थी? इस समस्या का समाधान निकालने के लिए, केन्द्र सरकार को मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी को दैनिक मजदूरी के आधार पर निर्धारित करना चाहिए और ये मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में निर्धारित मजदूरी से कम नहीं होनी चाहिए। जहां कहीं भी कम राशि दी गई हो, वहां अतिरिक्त मजदूरी के बकाए की गणना की जाए और उसे लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए।

(सात) महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में जिन किसानों को वेट-ड्रॉट के कारण फसलों की हानि हुई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बलीराम जाधव (पालघर): इस वर्ष जून के महीने में पूरे विदर्भ (महाराष्ट्र) में अप्रत्याशित वर्षा होने के कारण जान माल की काफी क्षति हुई है। अधिक वर्षा के कारण पूरे विदर्भ क्षेत्र में फसलों को हुई अप्रत्याशित क्षति की आपूर्ति के लिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि पूरे विदर्भ को वैट ड्राट से ग्रसित होने की घोषणा करे और राज्य सरकार को इस वैट ड्राट से निपटने के लिए पूरी आर्थिक सहायता प्रदान करे।

अपराह्न 12.26 बजे

इस समय, श्रीमती परमजीत कौर गुलशन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: हम शाम में करेंगे। हम सब को बोलने का समय देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप नोटिस दे दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रभुनाथ जी, आप बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अभी हम लोगों को नियम 193 करना है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: जीरो आवर शाम को, जैसे कि रोज होता है, वह होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: फ्लड पर बोलने के लिए आप नोटिस दे दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्लीज, आप अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए। तब मैं आप से बात कर पाऊंगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कुछ स्पीकर का भी डिस्क्रेशन होता है या नहीं? हमेशा आप लोग डिस्क्रेशन मानते हैं। जब हम डिस्क्रेशन करते हैं तो आप कहते हैं कि आप ने नम्बर से क्यों नहीं किया?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.28 बजे

[हिन्दी]

इस समय श्रीमती परमजीत कौर गुलशन और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अध्यक्ष महोदया: यह बहुत चिंताजनक विषय है कि इतनी भयंकर बाढ़ है।

...(व्यवधान)

श्री शेर सिंह घुबाया (फिरोजपुर): महोदया, पंजाब में फ्लड की हालत बहुत गंभीर है। वहां लोगों के घर चले गए, फसल तबाह हो गयी। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, उस पर डिस्कशन कराएंगे। आप नोटिस दे दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फरीदकोट): महोदया, हमें बोलने नहीं दिया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आपका नोटिस नहीं था, इसलिए नहीं हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब हमें नियम 193 के अधीन आर्थिक स्थिति पर चर्चा शुरू करनी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान) *

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.29 बजे

इस समय श्रीमती हरसिमरत कौर बादल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: क्या करूं? आप नोटिस देंगे तभी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप लोग नोटिस दे दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठिए। आप को बोलने का समय देंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: जाइए और बोलिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठ जाइए। आप को बोलने का समय दे दिया। अब क्या प्रॉब्लम है आपको कृपया बैठ जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: शेर सिंह घुबाया जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब बहुत हो गया। *[अनुवाद]* बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शेर सिंह घुबाया: अध्यक्ष महोदया, लोगों के साथ जो इतना अन्याय परमात्मा की तरफ से हुआ है, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। ....*(व्यवधान)* असल में मैं आज ही उस एरिया से आया हूं, वहां लोगों की हालत अगर आप जाकर

देखें तो आपको पता चलेगा कि वे लोग कैसे जी रहे हैं। हमारा आधा पंजाब पानी में डूब चुका है। सतलुज, ब्यास और रावी का जो पानी है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: यह ठीक नहीं है। आपको हमेशा अवसर मिलता है। आप सभी को हमेशा अवसर मिलता है। यह ठीक नहीं है। कृपय बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शेर सिंह घुबाया: किसानों की फसल तबाह हो चुकी है। उसके अलावा लोगों के जो घर हैं, उसके आस-पास पांच-पांच, दस-दस फुट पानी है। उसमें कई लोग डूब चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। ...*(व्यवधान)* सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिल रही। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: घुबाया जी बोल रहे हैं, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री शेर सिंह घुबाया: मैडम, जो लोग मरे हैं, हम चाहते हैं कि उन लोगों को पांच लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों की फसल तबाह हुई है, उनको काम शुरू करने के लिए दस हजार से ज्यादा खर्चा होता है। उनको 25-30 हजार से कम मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, उससे ज्यादा मुआवजा केन्द्र सरकार की ओर से मिलना चाहिए, पैकेज मिलना चाहिए।

मैडम, मैं आपके माध्यम से यह विनती करना चाहता हूं कि आज वहा का जो माहौल है, वहां सभी तरफ दस-दस, 15-15 किलोमीटर में पानी भरा हुआ है। वहां सड़कें टूट चुकी हैं स्कूलों की हालत खराब है। वहां स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। यहां प्रधान साहब बोल कर गए हैं कि केन्द्र सरकार ने पैसा दिया है, यह बिलकुल गलत है। केन्द्र सरकार की तरफ से एक भी पैसा फ्लड के लिए नहीं गया, ये कागजों में पड़ा है। उसको रिलीज करने का स्टेट को कोई अधिकार नहीं दिया कि ये पैसे रिलीज करा कर लोगों को बांट सके। पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने अपनी तरफ से दाल और आटा फ्लड वाले एरिये में बांटना शुरू किया है। ...*(व्यवधान)* वहां लोगों की जो हालत है, लोगों के मकान गिर गए हैं।

मैडम, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह विनती एवं मांग है कि उनके लिए केन्द्र सरकार कम से कम 50 हजार रुपए एक मकान का मुआवजा दे। स्टेट के पास इतना पैसा नहीं, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा रुपए पंजाब सरकार को भेजें। ...*(व्यवधान)* ताकि उससे वहां के लोगों की मरहम-पट्टी हो सके। ...*(व्यवधान)* पंजाब की ओर से जो डिमांड आई है, उसको अवश्य पूरा किया जाए। ...*(व्यवधान)* वहां पर जो सड़कें टूट गई हैं ...*(व्यवधान)* जो पुल बह गए हैं, उनकी केन्द्र सरकार जिम्मेदारी लेकर उनको पूरा कराए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री महिन्दर सिंह केपी, श्री शेर सिंह घुबाया द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्या कहना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): मैने जो मेटर उठाया है, उसका क्या हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: शून्य-काल मैं कुछ नहीं कर सकती। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: 'शून्य काल' में उठाए गए किसी मुद्दे के संबंध मे मैं कुछ नहीं कर सकती। आप सभी इसके बारे में जानते है।

[हिन्दी]

आप सब जानते हैं कि शून्य काल में आप लोग जो मैटर उठाते हैं, उसके बारे में मैं सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती हूं। फिर आप मुझे कहे जा रहे हैं। सब जानते हैं, आप लोग सीनियर्स हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अध्यक्ष पीठ के साथ बहस मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सरकार को जवाबदेह होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग क्या कर रहे हैं कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री रेवती रमण सिंह: (इलाहाबाद) मुझे शून्य काल में बोलने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए मैं सदन से वाक-आउट करता हूं।

अपराह्न 12.33 बजे

श्री रेवती रमण सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

अपराह्न 12.34 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

देश की आर्थिक स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, श्री गुरुदास दासगुप्त को देश में आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा आरंभ करने हेतु बुलाने से पूर्व मुझे एक संक्षिप्त टिप्पणी करनी है।

माननीय सदस्यगण, जैसाकि आपको ज्ञात है, मैंने सभा को आश्वासन दिया था कि सभा में पहली चर्चा उत्तराखण्ड त्रासदी पर होगी। तथापि, कल हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नेता विपक्ष एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिगत मैंने आज आर्थिक स्थिति पर चर्चा किए जाने की अनुमति दे दी है। जैसी कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहमति हुई थी, उत्तराखण्ड त्रासदी के बारे में मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा 30 अगस्त, 2013 को की जाएगी।

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.35 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश की आर्थिक स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब श्री गुरूदास दास गुप्त बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): मैडम, हमारा नाम एक नम्बर पर था, लेकिन आपने हमारा नाम एक बार भी नहीं बुलाया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बोलिये, गुरूदास दासगुप्ता जी।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल: एक नम्बर पर हमारा नाम आपने बुलाया ही नहीं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बोलिये, आप बोलिये। आप बोलेंगे, गुरूदास दासगुप्ता जी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप क्या बोल रहे हैं, आपका नाम नहीं है, इन्हें 193 शुरू करना है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: हम आपको बाद में बुलाएंगे, आप बैठ जाइये। आपको बाद में बुलाएंगे, अभी नहीं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): इनको आप शाम को बुला लीजिए ... *(व्यवयान)*

अध्यक्ष महोदया: शाम को बुलाएंगे, सब को बुलाऐंगे। अभी 193 हो जाने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): अध्यक्ष महोदया, देश की आर्थिक स्थिति पर इस चर्चा की अनुमति देने के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूं।

मेरा विचार था कि सरकार इस सभा के समक्ष एक वक्तव्य लेकर आयेगी क्योंकि स्थिति काफी गंभीर है। दुर्भाग्य से सरकार ने पहल नहीं की; इसलिए विपक्ष द्वारा ही चर्चा उठाने का विकल्प बचता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सामूहिक दुष्कर्म के मामले में यह वक्तव्य दिया जा सकता है देश के किन्हीं अन्य भागों में घटी अन्य घटनाओं पर वक्तव्य दिया जा सकता है, परन्तु जो सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दा है जिसका देश आज सामना कर रहा है, सरकार द्वारा उसे सभा के समक्ष नहीं लाया गया और यह शोचनीय है।

महोदया, मुझे यह कहना चाहिए कि आर्थिक स्थिति अत्यंत दु:खद और बहुत ही खतरनाक है। इसकी प्रकृति अव्यवस्थित है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे उम्मीद है कि यदि मैं यह कहूं कि 1991 का आर्थिक संकट आज की स्थिति से बहुत अलग नहीं है तो वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री बुरा नहीं मानेगें।

लाखों लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, लाखों बल्कि अपेक्षाकृत करोडों रोजगार समाप्त हो रहे हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्योग के प्रमुखों से मिले थे और उन्होंने कहा था कि यदि यही स्थिति बनी रही तो लगभग एक करोड़ नौकरियां उपलब्ध नहीं रह जायेंगी। यह नई नौकरियों के संबंध में है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वहां नौकरियों की संख्या में कमी की जा रही है, जिले हम छंटनी कहते हैं। ऐसा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, विशेषत: उनके संबंध में जो लोग संविदा पर नियुक्त हैं। केवल नौकरियां ही प्रभावित नहीं हो रहीं हैं अपितु आय और मजदूरी भी प्रभावित हो रही है। वास्तविक वेतन और नामिक वेटन बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित होने वालों में भारी संख्या में संविदा श्रमिक और प्रशिक्षु हैं। किसान भी दु:खी हैं।

कौन से दो लक्षण हैं जिन्हें अलग किया जा सकता है? यहां तक कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी न कि विपक्ष के आकड़ों के अनुसार, बेरोजगारी 11 करोड़ तक पहुंच गई है। इसका अर्थ है कि जो लोग काम करने के योग्य हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, 11 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। मुझे लगता है कि यह संख्या वास्तविक संख्या से कम है। केवल इतना ही नहीं, उपभोग व्यय में भी 3.3 प्रतिशत की कमी आई है। मैं दो मापदंडों के बारे में बताता हूं। प्रभावित लोग कौन है? सबसे अधिक प्रभावित वे लोग हैं जो अर्थव्यवस्था के निम्नतम स्तर पर रह रहे हैं। मुझे आशा है कि यह सभा 'अर्थव्यवस्था के निम्नतम स्तर' का अर्थ समझती है। सबसे अधिक पद दलित, सबसे अधिक वंचित, सबसे कम वेतन पाने वाला, सबसे अधिक अशक्त, उपेक्षित।

[हिन्दी]

यह सरकार जो आम आदमी की बात कहती है, जिसके बारे में कल हमने फूड सिक्योरिटी बिल पास किया, बहुत प्रभावित हुआ।

मैडम, सवाल यह है ...*(व्यवधान)* थोड़ा हिंदी जरूर बोलेंगे। आम आदमी के बारे में जो इतनी बात कल हो रही थी, कल हम सोच रहे थे कि पांच किलो नहीं तो पैंतीस किलो गेहूं और चावल देकर आप हिंदुस्तान का आम आदमी जिसके ऊपर आर्थिक संकट का बोझ ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए आप कुछ कर सकेंगे या नहीं, *[अनुवाद]* क्योंकि सरकार ने मान लिया है, उस बिल जिसे हमने स्वीकृत किया है, में सरकार प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करती है कि भूखे लोग हैं जिनके पास भोजन खरीदने के लिए क्रय शक्ति नहीं है। चूंकि वे भोजन नहीं खरीद सकते, अत: हमें उन्हें कम मूल्य पर भोजन देना होगा। यह एक अपर्याप्त परन्तु तरल विधेयक है और हम इसका स्वागत करते हैं। यह स्थिति है। सरकार की क्या भूमिका है? सरकार चुनौती को स्वीकार नहीं कर पा रही है। *[हिन्दी]* सरकार इतनी कमजोर बन गयी है, इन्हीं परिस्थितियों में उन्होंने ठोस कदम नहीं उठाया और उठाया तो हम कोई वर्ड नहीं बोल सकते, अगर उसने कदम उठाया तो उसका कोई फल नहीं हुआ।

[अनुवाद]

महोदया, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत में यह संकट कल ही शुरू नहीं हुआ। काफी समय पहले से ही स्थिति बिगड़ रही थी। अब यह स्थिति विस्फोटक हो गई है या संकट में बदल गई है। क्यों? ऐसा लम्बी अवधि से चल रहा था। मेरे माननीय मित्र काफी समय से वित्त मंत्रालय का कार्य देख रहे हैं। वहां वास्तव में एक अवकाश था। परन्तु यह वही सरकार है जो लगभग दस वर्ष से सत्ता में है। ऐसा क्यों हुआ? या तो सरकार ने कार्यवाही नहीं की या इससे गलती हो गई या यह किंकर्त्तव्य विमूढ़ थी या कम से कम इसने कोई कदम उठाए हों परन्तु परिणाम नहीं निकला। कुछ भी हुआ होगा।

[हिन्दी]

सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ काम नहीं हुआ। सरकार नहीं जानती थी कि क्या करना है, हैरान हो गयी सरकार।

[अनुवाद]

महोदया, सवाल यह है कि एक संतोषजनक कार्य न करने वाली सरकार ने एक खतरनाक संकट को जन्म दिया है जो कि देश के लिए लगभग एक आर्थिक आपदा है। गैर-निष्पादन के लिए धन्यवाद, और उनकी अयोग्यता के लिए धन्यवाद, देश में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

[हिन्दी]

मैडम, आप जानती है कि सरकार की अमेरिका के साथ दोस्ती है। हम उसके खिलाफ नहीं हैं, दोस्ती करना ठीक है। . ..*(व्यवधान)* यह तो आप का लैंग्वेज है, लेकिन दोस्ती है। *[अनुवाद]* जरा कल्पना कीजिए, सरकार ने बहाना ढूंढ़ लिया है कि अमेरीकी संकट ने भारत को प्रभावित किया है। यह उनका वक्तव्य था। पहले चरण में, अमरीकी संकट ने भारत को प्रभावित किया, इसलिए हमारे यहां संकट आया। अब वे कह रहे हैं कि अमरीका की सम्पन्नता के कारण भारत से नदियों का उधर जा रही हैं इसलिए विदेशी मुद्रा में कमी आयी है। विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है। अमेरीका एक बहाना है। उन्होंने बहाना ढूंढ़ लिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री गुरुदास दासगुप्तः कांग्रेसी सदस्यों को अवश्य महसूस हुआ होगा कि श्री चिदम्बरम जी सबसे शक्तिशाली हैं। उन्हें किसी सहायक समर्थन की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप क्यों इन सब में पड़ रहे है? आप अपनी बात बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप डिस्टर्व हो रहे हैं। आप डिस्टर्व मत होइए। आप एकाग्रचित हो कर बोलिए। आप का ध्यान इधर-उधर क्यों भटक रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्तः मेरा आपसे निवेदन है। कृपया व्यवधान न डालें। मुझे बुखार है।

महोदया, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कब से अमरीकी अर्थव्यवस्था की चापलूस बन गयी है। सरकार को बताने दीजिए, क्या कारण है?

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह (मुंगेर): आप अध्यक्ष पीठ से सवाल कैसे पूछ सकते हैं?

श्री गुरुदास दासगुप्तः विल्कुल सही। मैं अपने वाक्य को दुबारा कह रहा हूं। महोदया, आपके माध्यम से, क्या मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछ सकता हूं कि सभा को बताएं कि कब से भारतीय अर्थव्यवस्था अमरीकी अर्थव्यवस्था की चापलूस बन गयी है। विदेशी निवेश पर आवश्यकता से अधिक वक्त देना और विदेशी निर्यात पर अतिनिर्भरता समान रूप से जिम्मेदार हैं। उदारीकरण के नाम पर मैं उदारीकरण के विरूद्ध नहीं हूं। और वास्तव में, यह असुरक्षित उदारीकरण ही है जिसने पूरी अर्थव्यवस्थ को अनिश्चित बना दिया है सरकार संसाधन सृजन करने में असफल रही है। सरकार बचत को प्रेरित करने में असफल रही है। सरकार रोजगार के बढ़ावा देने में विफल रही है। सरकार अर्थव्यवस्था को प्रेरित करने में विफल रही है। सरकार अधिक व्यय के माध्यम से अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार करने में असफल रही हैं सवाल यह है कि जब संकट से उबरने के लिए अधिक व्यय करने की आवश्यकता है तो सरकार व्यय में संकुचन कर रही है।

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि विश्व में कहीं भी विदेशी मुद्रा ने राष्ट्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है। विश्व के आर्थिक विकास के इतिहास में, क्या कोई व्यक्ति मुझे दिखा सकता है कि जापान अमेरिका द्वारा विकसित हुआ। क्या चीन ब्राजील द्वारा विकसित हुआ; तब मैं अपने कथन में सुधार करने के लिए तैयार हूं। विश्व के किसी भी काम में, विश्व के आर्थिक इतिहास में क्या कहीं भी इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रीय आर्थिक विकास में विदेशी मुद्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी? इसकी भूमिका है परन्तु इसकी भूमिका गौण है। प्राथमिक भूमिका घरेलू निवेशों द्वारा निभाई जाती है। संकट भारत के अन्दर है न कि अमरीका में। संकट की जड़ भारत में है और भारत में ही समाधान ढूंढ़ा जाना चाहिए और भारत सरकार को इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए नीति बनानी चाहिए और यहीं पर भारत सरकार वर्षों के दौरान पूर्णतः विफल रही है। यह मेरी प्रारंभिक टिप्पणी है। मैं आंकड़े अवश्य दूंगा, अन्यथा श्री चिदम्बरम जी, जो न केवल कानून के विद्वान हैं अपितु एक अर्थशास्त्री की हैसियत से मेरे ऊपर चढ़ जायेंगे और मेरे ऊपर बन्दूक तानकर मुझसे पूछेंगे कि मैंने इन निष्कर्षों को कहां से प्राप्त किया है। मैं श्री चिदम्बरम जी से बहुत डर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

महोदया, मैं सिर्फ कुछ तथ्य बता रहा हूं। सर्वप्रथम, हम औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक लेते हैं जो विकास का सूचक है। वर्ष 2012-13 में विकास दर 1.1 प्रतिशत थी, परन्तु, मई, 2013 में यह नकारात्मक हो गयी और 1.6 थी तथा गिरावट निरंतर हो रही है और जून, 2013 में यह 2.2 तक पहुंच गयी। जून, 2013 में यह और भी गिर गई। गिरावट की प्रवृति निरंतर जारी है। सरकार कहां है? वित्त मंत्रालय कहां है? योजना आयोग के उपाध्यक्ष कहां हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो एक अर्थशास्त्री हैं वे कहां हैं? गिरावट निरंतर हो रही है।

महोदया, आगे हम विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि की बात करेंगे जो आर्थिक विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक है तथा विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। मई, 2012 में, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक थी और 2.6 थी। लेकिन मई, 2013 में, केवल एक साल पश्चात ही यह नकारात्मक 2 है। यह गिरावट अभी भी जारी है। जून 2013 में यह नकारात्मक 2.2 है। इसमें और गिरावट हो रही है।

महोदया, अब मैं सेवा क्षेत्र पर आता हूं। हम सेवा क्षेत्र पर गर्व करते हैं। 11 वर्षों में इस क्षेत्र में वृद्धि सबसे कम रही है। हमारे लिए इस बात पर विचार करना शर्म की बात है कि हम इस देश को कहां ले आए हैं। इस क्षेत्र की वृद्धि 6.6 है जो पिछले 11 वर्षों में सबसे कम है। *[हिन्दी]* आप किसान की बात कर रहे हैं। किसान की हालत, एग्रीकल्चर की हालत सुन लीजिए। विकास की हालत क्या है? *[अनुवाद]* यह केवल 1.1 प्रतिशत है। जनसंख्या की वृद्धि 2 प्रतिशत से हो रही है। कृषि की हालत किसने खराब की? कृषि को किसने अस्थिर बनाया? कृषि में लगातार कम होता निवेश इस संकट के लिए जिम्मेदार है मैंने बार-बार यह कहा है कि उपभोग 3.3 प्रतिशत से भी कम हो गया है। लोगों के पास पैसे नहीं हैं। *[हिन्दी]* खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक किया। *[अनुवाद]* मैं खाद्य राज सहायता देने के आपके निर्णय का स्वागत करता हूं। *[हिन्दी]* रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, बात कर रहे हैं हिन्दुस्तान की। *[अनुवाद]* महोदय, अब मैं रुपये के अवमूल्यन के संदर्भ में बात करूंगा। हमारी गणना ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ होती है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं? भारतीय रुपये का 16 प्रतिशत ब्राजील का 17 प्रतिशत और दक्षिण अफ्रीका का 20 प्रतिशत अवमूल्यन हुआ है। हमारा राजकोषीय घाटा-माननीय मंत्री आश्वस्त रहे कि मैं सरकारी स्रोतों के आंकड़ों का उल्लेख कर रहा हूं ना कि अन्य किन्हीं स्रोतों का सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत है। ब्राजील में यह सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत है। यह शर्म की बात है। भारत जैसा महान देश इस स्तर पर आ गया है। आपने हमारे संसाधनों को बर्बाद कर दिया है। आपने भारतीय संसाधनों की लूट की अनुमति दी है। ब्राजील में यह 1.5 प्रतिशत है। दक्षिण अफ्रीका में भी, यह कम है। यह केवल 4.8 प्रतिशत है।

अब मैं विदेशी मुद्रा भंडार मुद्दे पर आता हूं। सरकार सदैव यह कहती आ रही है कि वे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर पूर्ण आश्वस्त है। 2007 में विदेशी मुद्रा भंडार 300 बिलियन डॉलर था। आज यह केवल 275 मिलियन डॉलर है, जो केवल 15 दिनों अथवा तीन सप्ताह तक चल सकता है।

जहां तक चालू खाता संबंधी घाटे का संबंध है, मैं केवल सरकारी आंकड़ों का उल्लेख करूंगा। यह 90 बिलियन डॉलर है। कल्पना कीजिए कि लघु-अवधि ऋण दो गुना बढ़ गया है। यह 170 बिलियन डॉलर है। *[हिन्दी]* हिन्दुस्तान को दीवाना बना दिया। ...*(व्यवधान)*

कई माननीय सदस्य: दीवाना नहीं, दिवाला कर दिया। ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: ठीक है, मैं इसे ठीक करके कहता हूं: आपने भारत को दिवालिया बना दिया। ...*(व्यवधान)* महोदया, मुझे समय चाहिए। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए ...*(व्यवधान)* जब भारत जल रहा है, तब क्या इस सभा में समय की कमी होनी चाहिए।

कॉरपोरेट भारत निवेश सात बिलियन डॉलर तक कम हुआ है। 2008 में यह तीन गुना था, यह 21 बिलियन डॉलर था। विदेशी निकासी चिन्ताजनक है। मैं कोई दहशत नहीं फैला रहा हूं। मैं उन तथ्यों को सामने रख रहा हूं। जिन्हें सरकार ने इस सभा के साथ साझा नहीं किया है। मैं तथ्यों को सामने रख रहा हूं मैं जानता हूं कि आप गंभीर संकट में है। मुझे भी यकीन है कि न केवल सरकार अपितु भारतीय लोगों में संकट निपटने की ताकत है। मुझे विश्वास है लोग ऐसा कर लेंगे। मुझे इस सरकार की क्षमता में भरोसा नहीं है। जैसा मैंने कहा विदेशी मुद्रा की निकासी चिन्ताजनक है। ऋण और इक्विटी में यह 11.6 मिलियन डॉलर है।

घरेलू बचत और निवेश के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि बचत में कमी आई है। कृपया आप लोगों की क्रय शक्ति के बारे में सोचिए। 2007-2008 में घरेलू बचत 36.8 प्रतिशत थी। परन्तु 2012-2013 में यह केवल 30.8 प्रतिशत रह गयी है। लोगों के पास बचत के लिए पैसा नहीं है क्योंकि अपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। कीमतें आसमान छू रही हैं और मंदी ने अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया है। इसलिए, बचत 6.8 प्रतिशत तक कम हुई है। निवेश 2.3 प्रतिशत तक कम हुआ है। बचत और निवेश के बीच के अंतर को देखिए, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। यह नकारात्मक 4.2 है। आपने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। क्या आप शर्मिन्दा नहीं हैं? क्या आपको चिन्ता नहीं है? क्या आपको केवल कमजोर महसूस करना चाहिए? क्या सरकार की अक्षमता के विरूद्ध यह जो आम आदमी के नाम पर शासन कर रही है, विरोध के रूप में प्रदर्शित नहीं होना चाहिए।

सरकार घाटे की पूर्ति विदेशी वाणिज्यिक ऋणों से करने का प्रयास कर रही है। यह खतरनाक है। घरेलू राजस्व संग्रहण की पूरी तरह से उपेक्षा की गयी है।

अपराह्न 1.00 बजे

लघु बचतों की बात करते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले लघु बचतें बजट का 20 प्रतिशत होती थी। अब, यह केवल एक प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदया, कृपया मुझे थोड़ा समय दें। मुद्दा यह है कि लघु बचतें अब बजट का केवल एक प्रतिशत है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप पहले ही आधा घंटा बोल चुके है।

...*(व्यवधान)*

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी): आपको भारत का वित्त मंत्री होना चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: वह पद हमने आपके लिए रखा है।

अध्यक्ष महोदया: आप हर बात पर प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? आप बोलिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: निवेश के अवसरों का प्रबंध करने में सरकार की असफलता से गैर-उत्पादक सम्पत्ति, सोने, में निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। आपने लघु बचतों पर ब्याज दर को कम कर दिया है। आपने डाकघर जमा पर ब्याज दर को कम कर दिया है। आम आदमी कहां जाएगा? आप भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को बैंक ब्याज दरों में और कमी करने को कह रहे हैं वह कहां जाए? आम आदमी कहां जाए? पहले बजट में लघु बचतें सरकार के राजस्व का 20 प्रतिशत हुआ करती थीं। अब, यह सिर्फ एक प्रतिशत ही है। इसके लिए किसे दोष दिया जाए? यदि ऐसी ही स्थिति रही, तो मैं इसका क्या निष्कर्ष निकालू मैं उसी पर आ रहा हूं। यदि सरकार की नीति है, चाहे सही हो या गलत। आप हंसिए या रोईए। आप समर्थन करें अथवा विरोध करें।

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर)**:** बंगाल का भी कुछ बताइए।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: पश्चिम बंगाल भारत का एक अंग है। यदि भारत संकट में है, तो क्या पश्चिम बंगाल उससे अछूता रह सकता है?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: अब आप समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

मेरे पास वक्ताओं की लम्बी सूची है। हमारे पास केवल दो घंटे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: आर्थिक नीति के कारण देश संकट में आ गया है। आप विकास की शेखी बधारते हैं। ...*(व्यवधान)* महोदय, यह चर्चा सिर्फ दो घंटे में नहीं हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): दो घंटे में क्या डिस्कशन होगा? इतना गंभीर मुद्दा है। मैं कहूंगा कि बंद कीजिए यह डिस्कशन। मैं गुरुदास बाबू के बाद नहीं बोलूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: ऐसा कार्य मंत्रणा समिति में निर्धारित हुआ था।

श्री गुरुदास दासगुप्त: इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभा कितनी बार चर्चा करती है?

अध्यक्ष महोदया: इसीलिए कार्य मंत्रणा समिति में ऐसा निर्धारित हुआ था। उसमें सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है।

श्री यशवंत सिन्हा: हमारे पास कम से कम चार घंटे होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: इसमें सभी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: आर्थिक विकास के संबंध में उनके तर्क कितने भ्रामक हैं कि आर्थिक विकास 5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 7 प्रतिशत से अधिक है। यह सरकार की उल्लेखनीय सफलता है!! आर्थिक विकास कितना है? आर्थिक विकास समावेशी नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, कृपया मेरी बात सुनिये। हमारे पास ऐसा विकास है जो समावेशी नहीं है। इसीलिए, आप खाद्य सुरक्षा विधेयक लाए। इसीलिए, आप मनरेगा लाए। आर्थिक विकास रोजगार नहीं देता है और सरकार के दिन जाने को हैं। आर्थिक विकास मात्र दिखावा रहा है। श्री यशवंत सिन्हा जी, आप वित्त मंत्री थे। आपको ज्ञात है कि जीडीपी में 50 प्रतिशत से अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है और सेवा क्षेत्र मूर्त परिसम्पत्ति नहीं उत्पादित करता है। इसीलिए यह अनावश्यक है।

कर के बारे में, मैं सरकार की असफलता बता रहा हूँ। आय पर कर के बारे में स्थिति यह है कि अधिकांश करदाता निम्नतम श्रेणी में हैं। उनकी संख्या सर्वाधिक है। उच्च श्रेणी वालों की संख्या काफी कम है। कर प्रणाली कितनी प्रतिगामी है? वित्त मंत्री इस समय यहां पर नहीं हैं। उन्होंने एक करोड़ रुपये का अधिकार लगाया है। लोगों की संख्या कितनी होगी? यह केवल कुछ हजार में है। यह पूर्णत: एक प्रतिगामी कर प्रणाली है।

[हिन्दी]

सरकार की और एक कहानी सुन लीजिए।

[अनुवाद]

मैं सबसे पहले कर अदा करा हूं और उसके पश्चात् धन को बाज़ार में खर्च करता हूं। परन्तु, वे कौन जो उच्चत्तम स्तर पर हैं, व्यापारीगण, वे क्या करते हैं? वे अपने सभी खर्च को घटाते हैं। उसके बाद कर देते हैं।

[हिन्दी]

पैसे वाले पूंजीपति लोग शादी के टाइम पर डायमण्ड नेकलेस का पैसा कंपनी से उठाते हैं और गर्लफ्रेंड को बाहर ले जाने का पैसा उठाते हैं। *[अनुवाद]*

वे अपने सभी खर्च घटाते हैं; उसके बाद कर चुकाते हैं। *[हिन्दी]* और हम लोग रोटी खरीदने के पहले टैक्स देते हैं। *[अनुवाद]* क्या आप हंसने या मुस्करायेंगे? *[हिन्दी]* रोटी खाने के पहले टैक्स देते हैं। *[अनुवाद]* हम सबसे पहले कर अदा करते हैं और तब खर्च करते हैं। वे खर्च करते हैं, उसके बाद, वे कर चुकाते हैं। यही दोनों में अन्तर है। क्या आप इसे अन्तर कहेंगे या आप इसे अनुचित कहेंगे या आप इसे सामाजिक अन्याय कहेंगे या आप इसे सरकार की निरंकुश, लापरवाह कर नीति कहेंगे?

अब, मैं प्रभावी कर दर पर आता हूं।

[हिन्दी]

सबसे ज्यादा इनका किसकी है? इतना जानते हैं।

[अनुवाद]

हम 10 प्रतिशत चुकाते हैं परन्तु वे 22.7 प्रतिशत कर अदा करते हैं। कुछ संग्रीहत कर छोड़े गए कर और अदा न किए गए कर से कम है।

[हिन्दी]

यह सुन लीजिए, मैडम।

[अनुवाद]

हमारी मुख्य आर्य राजस्व है। जो राजस्व मिलता है वह उस कर से कम है जिसे छोड़ दिया गया है।

[हिन्दी]

जो पैसा आप पूंजीपतियों को देते हैं और जो टैक्स पैसे वाले नहीं देते हैं।

[अनुवाद]

यह अदत्त कर और छोड़े गए कर की कुल राशि से कम है। यह बहुत अधिक है। यही स्थिति है। जो कर छोड़ दिया गया, वह कितना है? यह सरकारी आंकड़ा है। यह वित्त संबंधी स्थायी समिति का आंकड़ा है जिसकी अध्यक्षता मेरे मित्र, श्री यशवंत सिन्हा जी द्वारा की गई थी। हमने इस मुद्दे पर चर्चा की है। वर्ष 2010-11 में, छोड़ा गया निगमित कर लगभग 58,000 करोड़ रुपये का था। सन् 2012-13 में छोड़े गए कर की अनुमानित राशि 68,000 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

इतना ज्यादा हुआ है।

[अनुवाद]

10,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है।

उनके पास खर्च करने के लिए धन नहीं है। उनको अमेरिका जाना है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं–इस उम्र में, वह काफी परेशानी उठा रहे हैं। उन्होंने बड़े-बड़े लोगों से बात किया था; और हाथ जोड़कर उनसे अपील की थी कि कृपया भारत में पैसा भेजें; और भारत को बचाएं। मैं उनकी दृढ़ता की सराहना करता हूं।

अध्यक्ष महोदया: मेरा विचार है कि अब आपको समाप्त करना चाहिये। आपने पर्याप्त समय ले लिया है।

श्री गुरुदास दासगुप्तः मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। महोदया, मेरा सुझाव यह है कि सरकार को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काफी मात्रा में निवेश करना चाहिए। यदि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर रहती है तो कोई भी विदेशी मुद्रा निवेश हेतु नहीं आयेगी: यदि लाभ की उम्मीद कम है तो कोई भी व्यक्ति नहीं आयेगा। ओबामा आपके मित्र हैं, परन्तु वे भारत को बचाने के लिए धन नहीं भेजेंगे। इसीलिए, सरकार को जोखिम उठाना होगा और भारी निवेश करना होगा; यहां तक कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए घाटा उठाने; नए रोजगार पैदा करने; आप बढ़ाने; और नए कारखाने, अस्पताल स्थापित करने होंगे और नए स्कूल खोलने या नई सड़कें और इमारतें भी बनानी होगी। इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता है। यदि हम भारी निवेश करते हैं जैसे कि 4 लाख करोड़ रुपये, इससे तुरंत ही अर्थव्यवस्था में उत्साह उत्पन्न हो जायेगा।

अर्थव्यवस्था निराशा, भय, अनिश्चितता से जूझ रही है। इसे वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। परन्तु वे केवल सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। क्या वे सोने के आयात को कम कर पाये हैं? वे अनावश्यक आयात के बारे में बोल रहे हैं। क्या वे ऐसा कर पाए हैं? एक अग्रणी समाचार पत्र में अत्यन्त रहस्यमय तरीके से एक समाचार आया कि सरकार रिजर्व बैंक से विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कह रही है। विकास को बढ़ावा देना सरकार का काम नहीं है। यह भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। क्या हम नादानी पर हंसे? या हम कहेंगे कि दूसरों पर थोंप दें? हमेशा, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक में विरोधाभास रहा है। क्या यही रास्ता है? भारतीय बाजार को विकसित होना है। भारत के लोगों को आप देनी है। नौकरियां पैदा की जानी हैं। यह भारत और भारतीय बाजार ही है जिसे सामाजिक क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश करके अधिक राजस्व प्राप्त करना है ताकि देश संकट से मुक्त हो सके और गाड़ी पटरी पर लाई जा सके।

मैं निवेदन करता हूं और कहता हूं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भरोसेमंद नहीं है, एफआईआई काफी पैसा लाती हैं। इसीलिए, भारत को बचाने के लिए विदेशी धन नहीं आयेगा। निष्कर्ष के रूप में, मैं कहूंगा कि आपने मुझे समय दिया। महोदया, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। यह भारी संकट, आर्थिक सुनामी, सरकार की भारी विफलता है और ढुलमुल नीतियों ने देश को बर्बाद कर दिया है। उनको चेतावनी मिली। उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की; उन्होंने गलत काम किया। उनके पास साहस नहीं है। उन्हें अमेरिका जाना है। यह भारत में है कि हमारे पास खनिज पदार्थ हैं, हमारे पास अपना राष्ट्रीय सम्पत्ति है, हमारे पास संकट का सामना करने के लिए नौजवान व्यक्ति हैं यदि सरकार अपने दृष्टिकोण में बदलाव करती है तो भारत इस संकट का सामना कर सकता है वे विदेशी मुद्रा और विदेशी बाजार पर निर्भर हैं। मुझे विश्वास है कि देश भक्ति नई भूमिका की मांग करती है। मैं यह नहीं कहता कि वे देशभक्त नहीं हैं, परन्तु मैं कहूंगा कि भारत के प्रति देशभक्ति और प्रेम सभा में भाषणों में नहीं होना चाहिए, इसे व्यवहार में भी अपनाना होगा। मैं पूरे देश से इस अनर्थकारी आर्थिक नीति का विरोध करने और एक परिवर्तन लाने की अपील करता हूं।

अपराह्न 1.12 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई है।

अपराह्न 2.17 बजे

लोक सभा भोजनावकाश के बाद अपराह्न 2.17 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश की आर्थिक स्थिति–जारी

[हिन्दी]

श्री भक्त चरण दास (कालाहांडी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने देश की आर्थिक स्थिति पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। जब से हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनानी प्रारम्भ की, विकास का रोड-मेप बनाया, तब से हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की ओर बढ़ रहा है। अनेक चुनौतियों के बावजूद आज आर्थिक स्तर पर हम दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं। हमारे देश की विशाल जनसंख्या, ग्रामीण और शहरी संरचना की विशालता और अनेक जाति, वर्ण, धर्म, गरीबी और अमीरकी जैसी परिस्थितियों के बीच में हमने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला है ओर आज भी अनेक चुनौतियों से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से लड़ रही है। इन सबके बावजूद हमारी यूपीए सरकार एक विश्वास बनाकर दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़ी है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय गुरुदास दासगुप्त जी को जिन्होंने आर्थिक स्थिति पर बहुत गंभीरता से अपनी बात रखी। उनके साथ मुझे फाइनेंस कमेटी में पिछले तीन साल काम करने का मौका मिला। सदन में आज सभी वरिष्ठ लोग उपस्थिति हैं और मैं समझता

हूं कि मेरे बाद मेरे बड़े भाई माननीय यशवंत सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी बात रखेंगे। वे खुद मंत्री रह चुके हैं इसलिए देश की वास्तविक स्थिति का शायद मुझसे ज्यादा उन्हें ज्ञान हो। आज यूपीए सरकार के खिलाफ बात हो रही है।

आज की चुनौती में, आज की परिस्थिति में चाहे आज मुद्रा का मूल्य घट रहा है, जो इनफ्लेशन की स्थिति दिखाई दे रही है या करेंट एकाउंट डेफिसिट दिखाई दे रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी देश को आश्वस्त कर चुके हैं। इसके साथ-साथ पिछली 26 तारीख को हमारे काबिल अर्थ मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने इन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट रूप से देश की जनता को आश्वस्त करने का काम किया है कि चिंता का कोई विषय आज हमारे सामने नहीं है। भारत सरकार ने जो मेजर्स लिए हैं, उससे आर्थिक स्तर में एक मोडरेट स्थिति बनी हुई है। आज चाहे हम लोग पांच प्रतिशत ग्रोथ में आए हैं, लेकिन आप वर्ष 2009 से लेकर अभी तक देखिए तो करीब आठ प्रतिशत के करीब ग्रोथ रेट भारत सरकार ने मेनटेन किया है। मेरी जानकारी में एनडीए के समय में इतनी ग्रोथ रेट कभी मेनटेन नहीं हुई है। उस समय ग्रोथ रेट करीब तीन-चार या छह प्रतिशत से ऊपर नहीं गई। जो सोशल मेजर्स यूपीए सरकार ने लिए हैं, आज मनरेगा में, सर्व शिक्षा अभियान में, पिछड़े एरिया के विकास में और जो कई सामाजिक उन्नयन कार्यक्रम हैं, डवलेपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उनमें जितना पैसा खर्च हुआ है, देश में जितनी रोजगार व्यवस्था पैदा हुई है, वह सराहनीय है। अगर आप मनरेगा में देखेंगे तो करीब 4.1 करोड़ नौकरियां गांवों के लोगों को मिली हैं। गांवों में लोग 20 रुपये से लेकर पचास रुपये तक मजदूरी में स्ट्रगल कर रहे थे, उन्हें मनरेगा के तरहत जॉब जारंटी मिली और लोगों को 120 रुपये से लेकर कई-कई राज्यों में 200 रुपये तक मिलते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र की उन्नति व्यापक तौर पर हुई है। लोगों की खरीदने की कैपेसिटी ज्यादा हुई है और लोग अपनी जरूरत की पूर्ति कर पा रहे हैं। इसके अलवा भी यूपीए के समय में करीब 2.7 मिलियन जॉन यूपीए-1 में उपलब्ध कराई थी और अगर आज आप देखेंगे कि जो चर्चा हो रही है करेंट एकाउंट डेफिसिट को भी मेनटेन करके भारत सरकार ने मोडरेट स्थिति में रखा है। इनफ्लेशन भी काफी स्तर पर विपरीत स्थिति के बावजूद मोडरेट स्थिति है, वह लिमिट में है और एक्सेसिव पब्लिक डेट सरकार या राज्य सरकार के ऊपर नहीं है। एक संतुलित व्यवस्था है और इंडिया का रिजर्व 277 बिलियन यूएस डॉलर में है। आज जो स्थिति है, इसमें कोई अलार्मिंग स्थिति नहीं है। इस देश में विकास अनिवार्य है।

अगर ग्रोथ के लिए आप कहें कि खाली इंडस्ट्रियल डवलपमेंट आप करेंगे और उसी को ग्रोथ कहा जाएगा, अगर कृषि में विकास होता है, हमारे मानव सम्बल में विकास होता है तो उसको आप विकास नहीं कहेंगे और अंधे तरह से केवल कॉरपोरेट वर्ल्ड या पूंजीवादी विकास को आप हमारे देश में लागू करके इस देश की सम्पन्नता और विशालता को एड्रैस नहीं कर सकते। लोग ग्रोथ का उदाहरण देते हैं तो गुजरात का देते हैं। क्यों अंधे तरीके से मानव सम्बलता को नैगलेकट करके मॉल न्यूट्रिशन, इंफेंट मॉरटेलिटी, इन सब चीजों को इगनॉर करके आप केवल कुछ इंडस्ट्रियल विकास को विकास कह दें और वह भी नाम मात्र हो और उससे आप ग्रोथ को इंडीकेटकरें तो क्या यह ग्रोथ है? गुजरात में गुजरात भाइयों से विकास हुआ है और गुजरात कभी भी ...*(व्यवधान)* आपसे कहना चाहता हूं कि गुजरात में विकास केवल आज नहीं हुआ है। गुजरात में हर समय से विकास की स्थिति रही है। आप 1960, 1970, 1980, 1990 में देखिए। गुजरात में विकास केवल आप ही ने नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तो आप बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास: गुजरात में केन्द्र सरकार के सहयोग से सीमेंट इंडस्ट्री काफी डवलप हुई है और भारत सरकार के प्रयास से बहुत सारी इंडस्ट्रीज का विकास हुआ है। ...*(व्यवधान)* जो भी वृद्धि हुई है, यूपीए सरकार चाहती है कि ग्रोथ हो। आज भी 30 प्रतिशत मॉल न्यूट्रिशन गुजरात में है ओर आप कहते हैं कि विकास का मॉडल हो। आप एक डैमन की तरह विकास की वाहवाही ले सकते हैं लेकिन विकास हो तो एक मानवता की तरह हो। मैंने पूरे जीवन में गरीबों के बीच काम किया है। आप में से बहुत लोग जानते हैं। ...*(व्यवधान)* इसलिए गरीबों को आपके एजेंडा में ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): इसलिए तो फूड बिल लाना पड़ा। ...*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास: आप जिनको नेता मानते हैं, उनके एजेंडा में गरीबों का स्थान कहाँ है? यह इस देशवासियों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गुजरात के गरीबों की स्थिति को एसडीआई

ह्यूमन डवलपमेंट को देखते हुए कोई भी पढ़ा-लिखा व्यक्ति या सेंसिटिव व्यक्ति यह समझेगा कि किस तरह का यह ग्रोथ मॉडल है और क्या इस देश में जिनकी बात गांधी जी ने अपने मार्गदर्शन में और अपने विचारों में की है, देश के जो जनक हैं, जिन्होंने कहा है कि इस देश में जब तक गरीब का विकास नहीं होगा, तब तक विकास विकास नहीं माना जाएगा। लेकिन आज यह विकास क्या गुजरात में संभव है? ...*(व्यवधान)* यह संभव नहीं है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो रही है। गुजरात की चर्चा नहीं हो रही है।

श्री भक्त चरण दास: आपकी जब बारी आएगी तब आप बोलिए। आप चिंता मत करिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया करके शांत रहें। आप लोगों को जब मौका मिलेगा तब बोलिएगा। उनको बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भक्त चरण दास: उपाध्यक्ष जी, यह जल्दबाजी हमारे विपक्ष के नेता लोग क्यों कर रहे हैं? ये अपना धैर्य क्यों खो चुके हैं? ...*(व्यवधान)* क्या सत्ता अख्तियार करने का एक उपाय जल्दबाजी है कि देश में अस्थिरता पैदा की जाए? मैं रुपये की कीमत पर भी जाऊंगा। रुपये की कीमत में कोई बुराई नहीं है क्योंकि सारे विश्व में, अलग-अलग देशों में भी उसी तरह का प्रभाव है जो हमारे देश में है। हम अकेले इसका शिकार नहीं हैं। मुद्रा की कीमत घअ रही है या बढ़ रही है, अभी 63-64 के आस-पास है। वित्त मंत्री जी ने 24 तारीख को स्पष्ट रूप में कम शब्दों में हर बिंदु पर कहा था मैं उसका दोबारा जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन देश के सामने सिचुएशन स्पष्ट है कि आज मुद्रा की कीमत में जो थोड़ी बढ़ोत्तरी हो रही है या घट रही है, यह बैलेंस पोजीशन में है। इससे हमें कोई खतरा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, वित्त मंत्री जी भी कह चुके हैं। इसलिए मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। डरने वाली कोई परिस्थिति नहीं है। आपको क्यों चिता है? आपके पास एजेंडा है देश को कमजोर करने का। आपके पास एजेंडा है पूंजी लगाकर पूंजीपतियों का साथ देकर गरीबों को, किसानों को, आदिवासियों को मारने का। ...*(व्यवधान)* मैं निशिकांत जी की बात का जवाब देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप उनको जवाब मत दीजिए। आप विषय पर बोलिए।

श्री भक्त चरण दास: मैं आपके माध्यम से निशिकांत जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है।

श्री भक्त चरण दास: नियमगिरी एक जंगल है, पहाड़ है, 240 स्कवेयर किलोमीटर में फैला हैं वहां बेदांत कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया। एक अंधे की तरह ओडिसा सरकार ने फिफ्थ शैड्यूल को वाएलेट किया। आप खुद आदिवासी में आते हैं, फिफ्थ शैड्यूल के लिए खुद लड़ते हैं इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। वहां फाउंडेशन स्टोन रखा कि यहां रिफ़ाइनरी होगी। उस पहाड़ घने जंगल में माइनिंग करने के लिए 8000 प्रिमिटिव आदिवासी, जो इस देश में रेयर हैं, खनिज संपदा का उत्खनन करने के लिए उन्हें बेघर करने, जंगल और सारी प्राकृतिक सम्पदा को ध्वंस करने का प्रयास किया। लेकिन क्या हुआ? इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी। हमने सात साल लड़ाई। मैं कांग्रेस के नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और खास तौर से यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूं। मैं राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वे दो बार आदिवासियों के बीच में गए। नेता गरीबों के लिए कितना संवेदनशील होना चाहिए, इस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इतनी बड़ी कंपनी जिसने लोगों को मुआवजा नहीं दिया, बेघर किया, जिसने आविासियों के विकास का विकल्प नहीं रखा बल्कि केवल माइनिंग करके लूटना चाहा तब भी राहुल गांधी जैसे संवेदनशील व्यक्ति के हस्तक्षेप से उस परमिशन को भारत सरकार ने रद्द किया और माइनिंग अलाऊ नहीं की। यह यूपीए की पालिसी है।

महोदय, आज वे आदिवासी 12 गांवों में, ग्राम सभाओं में निर्णय लेते हैं, जो निर्णय संसद नहीं कर सकती, जो निर्णय कोई विधान सभा नहीं कर सकती, जो निर्णय दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखी है, हम इसे माइनिंग के लिए किसी को नहीं देंगे। अहिंसा के लिए वे गांधी जी को याद करते हैं और उसी राह पर वे आदिवासी चलते हैं, जिन्हें गांधी जी के बारे में उनकारी नहीं है। लेकिन हम सब लोगों को जानकारी होने के बावजूद भी, वे लोग जो गांधी जी का सपना हैं, उन्हें मारने का काम करते हैं और इस तरह से क्या उनकी कब्र पर आप उद्योगों का विकास करना चाहते हैं। क्या इस तरह के विकास से इस देश कर तरक्की होगी? इस अवाम की तरक्की होगी, नहीं हो सकती है। इसलिए कभी भी जो नीति बने, आर्थिक गणित का जोड़-तोड़ मुझे नहीं आता है, मैं सीधा जनता से जुड़ने

वाला आदमी हूं, जो जोड़-तोड़ करते हैं, चाहे करंट एकाउंटिंग डेफिसिट कहिये या मुद्रा की बात कहिये। मैं चाहता हूं कि हर हालत में एक ऐसी सरकार रहे, जैसी यूपीए की सरकार है। पांच क्रांतिकारी कदम यूपीए ने उठाये हैं, चाहे राइट टू एजूकेशन हो, चाहे 2006 को फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, जो कल ही पास किया गया है, ये क्रांतिकारी कदम केवल यूपीए ने उठाये हैं, आपने केवल बातों में कहा है। आपके साथ-साथ बहुत से हमारे नेता लोगों ने कुछ क्रांतिकारी बातें पिछले तीन दशकों में जरूर कही हैं और मैंने अपने राजनीतिक जीवन में सुनी हैं। लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है, जो मैंने देखा है। मैं पुराना कांग्रेसी लीटर नहीं हूं, पिछले 15 साल में जो जीवन मैंने निभाया है, मैंने आपके साथ भी काम किया है और यहां भी काम किया है और हमने देखा है कि इस समय जो कुछ ठोस काम हो पाया है, जो पांच कदम यूपीए ने उठाये हैं, इनसे अवाम की इनक्लूसिव ग्रोथ हुई, अचीवमैन्ट्स साफ दिखाई देता है। हो सकता है कि कुछ खामियां हों, लेकिन उन खामियों को दूर करना भी मजबूती के साथ लोगों का साथ देना इस देश की तरक्की का आधार है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यूपीए सरकार के वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक सक्षम वित्त मंत्री आज देश में है और मैं कहना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में जो भी मेजर कदम आप उठाये, उन्हें आप और प्रतिबद्धता के साथ, कमिटमैन्ट के साथ, ध्यान के साथ उठायें, ताकि आप अवाम के विश्वास के अनुरूप देश के आर्थिक परिस्थिति को मजबूत करने में कामयाब हों। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की शुरुआत एक माफीनामे के साथ करना चाहता हूं। भारत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने आज एक अखबार में बयान दिया है कि सरकार और विपक्ष के रिश्तों को बिगाड़ने में सबसे प्रमुख भूमिका मेरी है। मैं आज यहां सदन के सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि सरकार के सामने मैं दंडवत करने को तैयार हूं, लेट जाने को तैयार हूं, वह जो चाहे मैं उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह के इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगाने चाहिए। वित्त मंत्री, श्री चिदम्बरम जी जब बोलेंगे तो वह शायद बतायेंगे के उनकी हमसे क्या अपेक्षा है, लेकिन में मानता हूं कि शायद यह पहला शासन है, पहली सरकार है, सरकार कैसे बनती है, सरकार बनती है जब इस सदन में उसे बहुमत प्राप्त हो और उस बहुमत के आधार पर वह अपना काम-काज करती है। विपक्ष की भूमिका विपक्ष निभाता है, बातचीत भी होती है, सहयोग भी होता है। लेकिन हमारे सम्पूर्ण इतिहास में मैं यह पहला मौका देख रहा हूं जबकि हर काम के लिए यह क्यों नहीं हो रहा है हम लोगों के चलते और खासकर भारतीय जनता पार्टी के चलते, यह क्यों नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के चलते, यह क्यों नहीं हो रहा है विपक्ष के चलते तो अगर हमारा बहुमत होता तो हम वहां बैठे होते, वह वहां बैठे हैं, क्योंकि उनका बहुमत है और उस बहुमत के आधार पर वह जो बिल पास कराना चाहते हैं, जो नीति बनाना चाहते हैं, वे बना लें, उन्हें हमारे सहयोग की आवश्यकता क्यों पड़ती है और अगर सहयोग की आवश्यकता पड़ती है तो सहयोग मांगने का यह तरीका नहीं है।

भक्त चरण दास जी मेरे छोटे भाई। मैं इन्हें बहुत दिनों से जानता हूं, बहुत निकट हैं, बहुत प्रिय हैं। लेकिन आज वे इस विषय पर, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बोलते-बोलते गुजरात की अर्थव्यवस्था पर चालू हो गए। ये गुजरात की विधानसभा नहीं है। यह देश की संसद है, यह लोक सभा है। इसमें हम गुजरात को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। गुजरात सरकार के क्रियाकलापों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम इस सरकार के क्रियाकलापों को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आज मैं वह मौका नहीं देना चाहता, इसलिए मैं अपनी बात की शुरूआत, जहां एक ओर एक माफीनामे के साथ करना चाहता हूं, वहीं दूसरी ओर मैं देश के प्रधान मंत्री जी का एक बयान है, उसको कोट कर के, वित्त मंत्रालय का एक बयान है, उसको कोट कर के उससे सहमत होना चाहता हूं। तब तो कोई शिकायत नहीं रहेगी क्योंकि मैं प्रधान मंत्री से सहमत हूं। मैं वित्त मंत्री महोदय से सहमत हूं। किस बात पर सहमत हूं?

21 सितंबर को प्रधान मंत्री जी ने देश को संबोधित किया था। हम सब लोगों को याद होगा, क्योंकि उनका बहुत ही मशहूर बयान आया था कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। आप लोगों को याद है न? ...*(व्यवधान)* सब को याद है कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। क्या कहा उन्होंने? क्योंकि उस समय पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई थी तो उन्होंने देश के नाम अपने संदेश में कहा था।

[अनुवाद]

मैं उद्धरण दे रहा हूं :

"धन कहां से आएगा? पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। यदि हम कार्यवाही नहीं करते तो इसका अर्थ यह है कि और अधिक राजकोषीय घाटा होता अर्थात सरकार की आप की तुलना में असंवहनीय रूप से सरकार के व्यय में वृद्धि होती। यदि इसे रोका नहीं गया तो इसके कारण मूल्यों में तीव्र वृद्धि होगी और हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास में कमी आयेगी। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तीव्र गति से बढ़ेंगी। घरेलू और विदेशी दोनों ही निवेशक हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के अनिच्छुक होंगे। ब्याज दरों में वृद्धि होगी। हमारी कंपनियां विदेश से कर्ज नहीं तो पाएंगी।"

गुरूदास जी, कृपया नोट करे। "बेरोजगारी बढ़ेगी। पिछली बार 1991 में हमारे समक्ष इस प्रकार की समस्या आयी थी।"

यह उद्धरण प्रधानमंत्री जी के भाषण से है।

[हिन्दी]

अब मैं क्यों सहमत हूं? मैं इसलिए सहमत हूं कि हमारे अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री जी ने जिस इकनॉमिक साइकल का जिक्र किया है, वह बिल्कुल सही है कि हायर फिस्कल डेफिसिट होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद स्टीप राइज़ इन प्राइसिस होगा और खास कर के एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसिस ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। फिर इंट्रेस्ट रेट राइज करेगा। बेरोजगारी बढ़ेगी। जो उन्होंने नहीं कहा कि करंट अकाउंट डेफ्रिसिट भी बढ़ेगा और ग्रोथ गिरेगा। यह उन्होंने कहा था।

एक यह नोट है वित्त मंत्रालय का। इस नोट में कहा गया है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहां से अपनी बात की शुरूआत करूं? कहां जा कर पिन-पॉइंट करूं कि यह दिक्कत कहां से शुरू हुई? क्योंकि शायद वहीं पर सॉल्युशन हो? अब मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के नोट से कोट करता हूं।

[अनुवाद]

मैं उद्धरण दे रहा हूँ।

''घरेलू स्तर पर 2008 के संकट के बाद प्रोत्साहन पैकेजों से सकल मांग में वृद्धि हुई और फिर से बचत में भी वृद्धि हुई।''

मैं ''खपत में वृद्धि'' शब्द पर बल दे रहा हूं।''

''तथापि, इसका परिणाम उच्च मुद्रा स्फीति था जिसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कड़ी मौद्रिक नीति अपनाना आवश्यक कर दिया। मौद्रिक नीति ने निवेश को बुरी तरह प्रभावित किया। निवेश की दर जो 2007-08 में 38 प्रतिशत से भी अधिक थी, 2011-12 में घटकर 35 प्रतिशत हो गई।''

गुरुदास बाबू, यह 2.3 प्रतिशत नहीं थी। यह पूर्ण तीन प्रतिशत थी, 300 बेसिक पाइंट। उद्योग क्षेत्र की विकास पर 2011-12 में गिरकर 3.5 प्रतिशत हो गयी और 2012-13 में 2.5 प्रतिशत हो गयी। हमें पता है कि अद्यतन आंकड़े जून के हैं जब यह 2 प्रतिशत से अधिक संकुचित हो गया, संकुचित हो गया। उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र की मन्दी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि भी 2011-12 के 8 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 4 प्रतिशत तक आ गयी है। अंतिम उपभोग की वृद्धि दर का आंकड़ा 8 प्रतिशत से गिरकर 4 प्रतिशत पर आ गया है।

[हिन्दी]

मैं ये दोनों कोट क्यों कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वह जो इकोनॉमिक साइकल है, कोई भी आदमी जो थोड़ी-बहुत भी इसके बारे में समझ रखता है, मैं अपनी गिनती उसी में करता हूं, वह इस बात को जानता है कि आप अगर लार्ज फिस्कल डेफिसिट रन करेंगे सरकारी बजट में तो उसका असर मुद्रास्फीति के ऊपर पड़ेगा, महंगाई के ऊपर पड़ेगा। यह मनमोहन सिंह जी और वित्त मंत्रालय ने कहा है। वह जब ज्यादा ऊपर होगा, महंगाई बढ़ेगी तो इंट्रेस्ट रेट बढ़ेगा, इंट्रेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसका असर इन्वेस्टमेंट के ऊपर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो उसका असर उत्पादन के ऊपर पड़ेगा और उत्पादन नहीं होगा तो ग्रोथ रेट कम होगा। यह विशस साइकली है और इस विशस साइकल से निकलने के लिए हमको कोई न कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। यह एक जो साइकल है, इसके साथ अब करन्ट एकाउंट डेफिसिट जुड़ गया है। आजकल यह बात बहुत चर्चा में है। अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे बताया गया कि आज मुझे बाजार में रुपये की कीमत 66 रुपये प्रति डॉलर से ऊपर चली गयी।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): एक डॉलर की कीमत 66.08 रुपये हो गयी है।

श्री यशवंत सिन्हा: हमारे मित्र शैलेन्द्र जी कह रहे हैं कि 66.08 तक चला गया है। अब अगर हम भक्त चरण दास जी की बात मानें तो कोई समस्या नहीं है। शायद डॉलर 100 रुपया चला जाये तब भी वह कहेंगे कि सब कुछ बहुत ठीक-ठाक है। हम बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं, साहस के साथ पीछे हट रहे हैं। 100 रुपया हो गया, अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर नहीं है। उन्हीं के प्रधानमंत्री जी और उन्हीं के वित्त मंत्री जी ने ऐसी बात कही। अब करन्ट एकाउंट डेफिसिट, यह भी एक आर्थिक सिद्धांत है कि आप साल-दर-साल अगर बहुत बड़ी फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बजट में रन करेंगे तो उसका असर करन्ट एकाउंट डेफिसिट पर पड़ेगा। वह जाता ही है, वह रास्ता बना हुआ है कि राजकोषीय घाटा चालू खातों के घाटे में चला जायेगा। करन्ट एकाउंट डेफिसिट वर्ष 1991 में कितना था, 2.5 परसेंट ऑफ दी जीडीपी। पिछले साल कितना था, जो 31 मार्च को खत्म हुआ, 5 परसेंट ऑफ दी जीडीपी। उस साल की बजट स्पीच हमें याद है, आज के प्रधानमंत्री जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत अनसर्टेनेबल है, इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते है जीडीपी का 2.5 परसेंट करन्ट एकाउंट डेफिसिट हो गया है। जो हमारा चालू खाता विदेशों के साथ, उसी को करन्ट एकाउंट डेफिसिट कहते हैं। आज 5 परसेंट हो गया और भक्त चरण दास जी की बात मानें तो कोई चिन्ता की बात नहीं है,

सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है। शायद 10 परसेंट हो जाये तब भी वे कहेंगे कि ऑल इज वेल।

महोदय, अभी मैंने एक सवाल पूछा था और इसीलिए ये इमेजिनरी आंकड़ें नहीं हैं, सरकार ने उसका जवाब दिया है। 2012-13 के अंत में, भारत सरकार का कुल वाह्य कर्ज 390 बिलियन डालर था। यह कहां से कहां बढ़ गया, लेकिन उसमें से इनका यह कहना है कि लघु अवधि का कर्ज 172.3 बिलियन डालर था। इसलिए जब जानकार लोग यह कहते हैं कि 390 बिलियन डॉलर में आपका जो अल्पकालीन ऋण है, वह 172 बिलियन डॉलर से ऊपर है तो चिन्ता होती है। चिन्ता क्यों होती है कि अगर यह डॉलर हमको वापस करना पड़ेगा, लोन वापस करना पड़ेगा और आमदनी नहीं हो रही है, क्योंकि करंट अकाउंट डैफिसिट बढ़ रहा है तो जाहिर है कि जो रिजर्व हैं, उसमें से निकालकर देना पड़ेगा। हाल के दिनों में रिजर्व कम हुए हैं, यह सब जानते हैं। दुनिया भर का एक्सीपरियेन्स है चाहे वह मैक्सिको हो, चाहे वह ब्राजील हो, चाहे वह अर्जेन्टीना हो, चाहे वह रशिया हो, भारत हो या कोई भी मुल्क हो- जब फॉरेन एक्सचेन्ज में कोई गिरावट आती है तो बहुत तेजी से गिरावट आती है। यह 172 बिलियन डॉलर्स था, हमको रिटर्न करना है 31 मार्च 2014 तक, तो इससे चिंता हो रही है और देश में पहली बार अगर हम 280 बिलियन डॉलर्स या 275 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व पर बैठे हैं, तब भी हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम सॉवरेन बॉन्ड इश्यू करेंगे, हम आईएमएफ में जाएंगे। हम क्या कोई सैमी-सॉवरैन बॉन्ड इश्यू करेंगे, यह चर्चा आज मीडिया में आम तौर पर आ रही है। मैं आपको बताऊं कि 1991 में हमारा रिजर्व करीब 5 बिलियन डॉलर्स का था। जो हमारा शॉर्ट टर्म डैट था, वह बढ़ाकर हम 5 बिलियन डॉलर्स या 7 बिलियन डॉलर्स पर ले गए। 1991 में जो क्राइसेज हुआ था, वह शॉर्ट टर्म डैट के चलते हुआ था। क्योंकि लॉग टर्म डैट मैनेज करना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना कि शॉर्ट टर्म डैट को मैनेज करना। अब सरकार ने कहा है कि या तो उसे आगे बढ़ाएगें या उसका नवीकरण किया जाएगा। 172 बिलियन डॉलर्स का डैट जो है, वह हम रीनैगोशियेट करेगें, आगे बढ़ाएंगे, आज पेमेन्ट नहीं करेंगे, लेकिन जानकार लोगों का कहना है कि अगर इस साल के अंत तक यानी 31 मार्च, 2014 तक हमारे करंट एकाउंट में अगर कम से कम 25 बिलियन डॉलर्स हम नहीं ले आए तो हमारे सामने बैलेन्स ऑफ पेमेंट क्राइसेज होगा। यह लोग कह रहे हैं। आज जो रुपये की कीमत में गिरावट आ रही है, वह इसी पर्सेप्शन का नतीजा है। वे जानते हैं कि वित्त मंत्री जी बहादुरी के जितने भी बयान दें, नीचे खोखला है। नीचे सब कुछ खोखला है-फिस्कल डेफिसिटी, रेवेन्यू डेफिसिट, करंट अकाउंट डैफिसिट और इनफ्लेशन, इस सबको सारी दुनिया हमसे ज्यादा देख रही है और इन सबका जो सम्मिलित आक्रमण है, वह हमारी करंसी रुपये के ऊपर है। रुपया बाजार में रोज ट्रेड होता है और रिजर्व बैंक के लाख प्रयास के बावजूद भी रुपये की कीमत में गिरावट आ रही हैं वित्त मंत्री जी इस पर शायद जो कहेंगे, मैं उनसे सहमत रहूंगा कि सरकार और रिजर्व बैंक का काम नहीं है कि रुपये की कीमत तय कर दें। वह फिक्स्ड एक्सचेंज का जमाना चला गया। रुपया बाजार में है, उसकी कीमत बाजार वाले तय करते हैं और हम कीमत तय नहीं करेंगे लेकिन सरकार और रिजर्व बैंक के ऊपर एक जिम्मेदारी है जो वित्त मंत्री जी ने भी कही, प्रधान मंत्री जी ने भी कही, कि यह जो भयानक उतार-चढ़ाव हो रहा है रुपये का, उसको हम नियंत्रित करें। वोलैटिलिटी जिसको कहते हैं, उस वोलैटिलिटी को हम कंट्रोल करें। वोलैटिलिटी कहां कंट्रोल हो रही है। अगर रुपया एक रुपये से एक दिन में गिरता है तो यह वोलैटिलिटी है। मार्केट डिसटर्ब है और इतना उतार-चढ़ाव जो हो रहा है, वह इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। इसलिए मैं इस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके अनुभव में भी आया होगा कि हम डॉक्टर के पास गए। हमने कहा कि मुझे पेट खराब की दवा चाहिए। उसने पेट खराब की ऐसी दवा दी जिससे मेरी किडनी खराब हो गई। उसके पीछे हम भाग रहे हैं कि अब किडनी ठीक करने की दवा दो। अच्छा डॉक्टर यह कहता है, नार्म्ली हर एंटीबायोटिक को देने के बाद, कि इसका साइड इफेक्ट होगा और इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आप यह दवा ले लीजिए। मेरा मानना है कि वर्ष 2008 में इस सरकार ने और यही वित्त मंत्री महोदय ने देश को कहा कि अमेरिका में बहुत बड़ी क्राइसिस है। अमेरिका के बैंक फेल हो रहे हैं। इसलिए हमें उस परिस्थिति से निपटने के लिए उपाय करने होंगे। आपने क्या उपाय किए? आपने यह उपाय किया *[अनुवाद]* यदि 2007-08 में, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.5 प्रतिशत था और राजस्व घाटा जीडीपी का 1.1 प्रतिशत था, तो 2008-09 में, वैश्विक संकट से निपटने के नाम पर आपने फिस्कल डेफीसिट को रेज़ करके 6 परसेंट कर दिया और राजस्व घाटा 1.1 प्रतिशत से बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गया। *[हिन्दी]* रेवेन्यू डेफीसिट का मतलब क्या होता है? *[अनुवाद]* राजस्व व्यय अनुत्पादक व्यय होता है। *[हिन्दी]* मंत्रालय का नोट कह रहा है कि कंज़म्पशन एक्सपेंडिचर। मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दू रखना चाहता हूं। ठीक है, वर्ष 2008 में क्राइसिस था तो आप क्या करते? आपके मंत्री ने यहां घोषणा की कि हम 20 किलोमीटर नेशनल हाइवे रोज बनाएंगे। आप कहते, हम बीस किलोमीटर नहीं, हम तीस किलोमीटर रोज बनाएंगे, यह दूसरी बात है कि पांच किलोमीटर से ऊपर नहीं बढ़े। लेकिन यह कह सकते थे कि हम जो फिस्कल एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको हम इनवेस्टमेंट एक्सपेंडीचर के रूप में करेंगे। हम इनफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम प्रोडक्टिव स्कीम्स लेंगे, रूरल रोड्स बनाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे। जो भी इनफ्रास्ट्रक्चर्स के साधन हैं, उनको हम आगे बढ़ाने का

प्रयास करेंगे तो शायद यह दिक्कत पैदा नहीं होती। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने फिजुलखर्ची की, इन्होंने कन्जम्पशन एक्सपेंडीचर बढ़ाया, इस बात को जानते हुए मिक उसका असर इनफलेशन पर पड़ेगा और एक नाकाबिल डॉक्टर की तरह इस परिणाम को जानते हुए भी इन्होंने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। तब से लेकर, वर्ष 2008 से लेकर आज तक कनज्यूमर प्राइज इनडेक्स दस प्रतिशत या उसके ऊपर है। हर साल रहा है। महीने दर महीने उसके आंकड़े आते हैं। यह स्थिति है। कितना बड़ा अन्याय देश की जनता के साथ है। इस महंगाई को हम चार साल से लगातार झेल रहे हैं। जब इन्होंने कहा कि वर्ष 2008-09 में हम फिस्कल एक्सपेंशन करेंगे, उस समय भी हमारे जैसे लोगों ने कहा कि मत करो, गलत है। इनवेस्टमेंट एक्सपेंडीचर करो, कनजम्पशन एक्सपेंडीचर मत करो। इन्होंने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि वर्ष 2009 का चुनाव इनके सिर पर नाच रहा था और चुनाव जीतना इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, देश का भविष्य इनके लिए मुद्दा नहीं था। इसलिए इन्होंने कनजम्पशन एक्सपेंडीचर बढ़ाया और आज जो क्राइसिस है, मैं बिलकुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो आज की क्राइसिस है उसका बीज बोया गया था वर्ष 2008-09 में जब इन्होंने हर तरह के डेफीसिट को बढ़ा दिया था। उसी का नतीजा है। अब बार-बार यह कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक गलत पॉलिसी पर चल रहा है।

अपराह्न 3.00 बजे

रिजर्व बैंक क्या करेगा? रिजर्व बैंक के पास दो ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वह ब्याज दर बढ़ाएगा जो उसने तेरह बार बढ़ाए और वह लिक्विडिटी स्क्वीज करेगा। बाजार में जो मुद्रा है, उसे वापस खींचेगा तो वह सीआरआर बढ़ाएगा। इसी तरह और भी उपाय, जैसे ऑफ मार्केट ऑपरेशन्स के द्वारा वह मुद्रा को वापस लेगा। लिक्विडिटी स्क्वीज और बढ़ता इंटेरेस्ट रेट, दोनों का नतीजा यह हुआ कि *[अनुवाद]* पूंजी केवल तहंगी ही नहीं अपितु अवहनीय *[हिन्दी]* भी हो गई, जब इंवेस्टर्स ने देखा कि अब हमें कोई मुनाफा नहीं होने वाला है तो उन्होंने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। इसी सदन में जब आज के राष्ट्रपति जी, वित्त मंत्री थे, मैंने फिगर्स कोट किए थे जिसमें मैंने कहा था कि देश का जो पूंजी निवेशक है, आज वह विदेशों में पैसा लेकर जा रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम उन्हें वापस बुलाएंगे। कोई वापस नहीं आया। आज इन्होंने बाहर ले जा कर पूंजी निवेश करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। जैसे फ्लैट टीवी स्क्रीन्स के ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, उसी तरह इन्होंने बाहर निवेश करने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। उसकी बड़ी शिकायत हो रही है। सरकार की भर्त्सना हो रही है कि 1991 या 1991 के पूर्व कंट्रोल्स की तरफ चले गए हैं। यह समस्या आज की हैं

उपाध्यक्ष महोदय, आज का जो संकट है वह किस चीज का संकट है? आज का संकट है अकर्मण्यता का संकट। पैरालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग का संकट है आज। दूसरा है विश्वास का संकट। ये संकट हैं। क्या ये संकट ऐस ही दूर हो जाएंगे? अर्थव्यवस्था मे विश्वास को लौटाने में कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, इसका मुझे कुछ व्यक्तिगत ज्ञान है क्योंकि वर्ष 1988 में जब चिदम्बरम साहब उस मंत्रालय को छोड़ कर गए थे और मैं इन की जगह पर आया था और वर्ष 1997-98 में देश का आर्थिक विकास दर घट कर 4.8% रह गया था। ईस्ट-एशियन क्राइसिस पूरे जोर-शोर पर, चरम पर था। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहे थे। रुपये की कीमत में गिरावट आ रही थी। फिर भी हम लोगों ने हिम्मत करके जब परमाणु परीक्षण किया तो सका नतीजा हुआ कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। उस समय विश्वास का संकट पैदा हो गया। बातचीत करने के बाद हमने एक कदम उठाया और वह था कि अगस्त, 1998 में हमने भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा रिसर्जेन्ट इंडिया बॉन्ड्स इश्यू किए। हम ने कहा कि दो हफ्ते तक विन्डो ऑफ ऑपरच्युनिटी रहेगा। हमने उम्मीद की थी कि शायद हमें दो बिलियन डॉलर मिल जाए, पर एक हफ्ते में, आठ दिनों के भीतर हमें मिल गया 4.25 बिलियन डॉलर। जितने भी भारतीय मूल के लोग बाहर थे, देश के ऊपर उनको नाज था, उन को गर्व था। इसलिए उन्होंने इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया। जब हमें 4.25 बिलियन डॉलर्स मिल गए तो मैंने उसे बंद कर दिया, समय के पहले बंद कर दिया कि अब हमें जरूरत नहीं है। उस एक कदम ने, जो विश्वास का संकट था, उसे समाप्त कर दिया। हम आईएमएफ के पास नहीं गए। हम जा भी नहीं सकते थे। हमारे लिए वह दरवाजा बंद था। शायद इनके लिए वह दरवाजा खुला हुआ है क्योंकि जैसास गुरूदास जी कह रहे थे कि इकोनॉमी जो है, वह सब्सर्विएन्ट हो गया है। लेकिन, मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आज वित्त मंत्री जी बहुत घमण्ड के साथ, बहुत गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि पिछले वर्ष 2012-2013 में हमने कहा था कि हम फिस्कल डेफिसिट को 5.1 पर, जो बजटेड था, उस पर रोक कर रखेंगे। हमने उसको 4.9 पर लाकर रोक दिया। यह बहुत खुशी की बात है। हमें भी बड़ी प्रसन्नता हुयी कि वाह, क्या कमाल के वित्त हैं, कर दिया आपने वादे को पूरा, कैसे किया? एक लाख करोड़ रुपये इन्होने प्लान फंड्स को कम कर दिया। प्लान एलोकेशन में एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की कटौती हो गयी, डिफेंस में कटौती हो गयी। इसमें किसी दिमाग की जरूरत नहीं थी, नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड। बस कलम उठाओं, यहां काट दो, वहां काट दो, कोई भी कर लेगा। वित्त मंत्रालय का जा प्यून है, जो आपके दफ्फर में काम करता है, उसको आप बोलते तो वह भी यही करता। ...*(व्यवधान)* जैसा शत्रुघन जी कह रहे हैं कि ये शायद प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि अगर वर्ष 2008 में फिसकल एक्सपेंशन सरकारी घाटे को ढाई प्रतिशत से बढ़ाकर छह प्रतिशत कर देना, वह नीति सही थी, तो आज फिसकल कांट्रैक्शन की नीति कैसे सही हो गयी? दोनों सही नहीं हो सकती हैं। आज भी यह कह रहे हैं कि ग्लोबल क्राइसिस है। मैं एक मिनट मे उस पर आता हूं। ग्लोबल क्राइसिस आज भी हम फेस कर रहे हैं, तो आज हम क्या कर रहे हैं, खर्चा घटाओं, जबकि उस समय था, खर्चा बढ़ाओं। दोनों सही नहीं हो सकते हैं। गुरूदास जी ने बहुत अच्छी बात कहीं, सही बात है कि जब अमेरिका में गिरावट आती है तो हम कहते हैं कि हम क्या करें? अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकानामी है, उसमें गिरावट आ गयी तो हम तो सफर करेंगे ही, लेकिन आज अमेरिका में सुधार हो रहा है और हम रोना से रहे हैं कि उस सुधार का असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। अमेरिका में जो वहां का फेडरल रिजर्व है, सेंट्रल बैंक जो वहां का रिजर्व बैंक है, उसने एक पॉलिसी बनायी क्वांटिटेटिवह ईजिंग। उसका नाम उन्होंने दिया क्वांटिटेटिव ईजिंग और बाजार में जो बांड्स थे, उसको हर महीने लगभग 85 से 88 बिलियन डॉलर्स के बांड्स वे हर महीने खरीदते हैं। अब चूंकि उनकी स्थिति से सुधार हो रहा है, तो उन्होंने टर्म यूज किया है-टेपरिंग ऑफ दी क्वांटिटेटिव इंजिग। क्वांटिटेटिव ईजिंग को हम टेपर करेंगे और धीरे-धीरे जो ये हम 88 बिलियन डॉलर्स के बांड्स खरीदते हैं, उसको कम करेंगे। अगले महीने मान लीजिए कि सितंबर में उनका फैसला करना है तो उन्होने कहा कि हम 20 बिलियन डॉलर कम खरीदेंगे, उन्होंने कहा कि हम 30 बिलियन डॉलर हर महीने कम खरीदेंगे। उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहे है। यह क्यों पड़ रहा है? यह इसलिए पड़ रहा है कि जब करेंट एकाउंट डेफिसिट इन्होंने पांच परसेंट तक खींचा तो इन्होंने कैसे उस डेफिसिट की भरपाई की? देश के भीतर जो फिसकल डेफिसिट है, उसकी भरपाई कैसे करते है? साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये यह सरकार बजट के अनुसार इस साल लोन लेगी। साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये, दिमाग चकरा जाता है। उसी प्रकार यह जो इन्होंने पांच परसेंट करेंट एकाउंट डेफिसिट है, उसकी भरपाई कैसे की? उसकी भरपाई की हॉट मनी को इनकरेज करके कि देश के भीतर अमेरिका और दूसरे देशों से वह तरलता की जो मुद्रा है, जिसको एक तरह से आप कहिए कि आता है और जाता है, वह पैसा हमारे मार्केट्स में आ गया। आज कौन सा पैसा बाहर जा रहा है? वही पैसा जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर आज भी रिटर्न्स कम हैं, लेकिन ज्यादा सिक्योर हैं, इसलिए वहां पैसा वापस जाएगा। पैसा वापस जाएगा। तो उसका असर पड़ेगा, क्योंकि वे स्टॉक मार्केट में रुपऐ में बेचेंगे और उस रुपये को लेकर जाएंगे एक्सचेंज मार्केट में और वहां कहेंगे कि इन रुपयों के बदले हमें डॉलर दो और जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी। यही साइकल आज के दिन आपरेट कर रहा है। हम क्या कह रहे हैं, इस सिचुएशन को मीट करने के लिए कि जब आप बाहर जाते हैं, वापस लाते हैं अपने साथ, तो पर्सनल बैगेज में फ्लैट टीवी स्क्रीन नहीं ला सकेंगे। करेंट एकाउंट डेफिसिट 90 बिलियन डॉलर का, चिदम्बरम साहब सिर हिला रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय 90 बिलियन डॉलर का जो आज करेंट एकाउंट डेफिसिल है, ये कहते हैं कि सोना बहुत आयात हो रहा है। सोना के चलते ही इस देश की सारी समस्या है। इन्होंने कदम उठाया, 6 परसेंट की इम्पोर्ट ड्यूटी को 8 परसेंट किया, 8 पर्सेंट इम्पोर्ट ड्यूटी को 10 परसेंट किया, लेकिन दिल्ली के सर्राफा बाजार के लोग आज आए थे, आज आप जाते हैं, ज्वेलरी ट्रेड इस देश में कलैप्स कर गया, क्योंकि इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी को 10 पर्सेंट कर दिया। इन्होंने उसके ऊपर 20 प्रतिशत एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लगा दिया है कि तुम अगर 100 रुपये का सोना इम्पोर्ट करते हो, तो 20 रुपये का तुम को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। वे लोग उस को भी स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 80 प्रतिशत जो सोना है, उसका तब तक हम तुम को उपयोग नहीं करने देंगे, जब तक कि तुम 20 प्रतिशत एक्सपोर्ट कर के, उस का जो रिसीट है, उस को वापस ला कर सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हो। बैंकों से जो सोना ज्वेलर्स को मिलता था, वह मिलना बंद हो गया। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि करोड़ों लोग सोने के इस व्यापार में हैं, ज्वेलरी के इस ट्रेड में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया थोड़ा संक्षेप में अपनी बात सदन में रखें।

श्री यशवंत सिन्हा: उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है। आज करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लेकिन क्या सोना उसका आज सचमुच में कल्प्रिट है।

कोयला जो है, आज हम 18 मिलियन डॉलर का कोयला इम्पोर्ट करते हैं। हम और निशिकांत जी जिस राज्य से आते हैं, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कोयले के भंडार हैं, हमारे पास अकूत भंडार है, और यह देश आज 18 बिलियन डॉलर का कोयला इम्पोर्ट कर रहा है। इसे क्यों नहीं रोकते हैं? कोल इंडिया को क्यों नहीं करते हैं कि तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ? क्यों देश में आज कोयला का संकट हो गया है कि हम को यह इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, और हर साल यह इम्पोर्ट रात-दिन चौगुनी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में यह एक अनहोनी बात हुई। कोयला इंडिया सरकारी कंपनी है, भारत सरकार ने अपनी कंपनी को दो बार प्रेसिडेंशियल डायरेक्टीव श्यू किया। इन्होंन एक बार नहीं, दो बार कहा कि तुम पावर प्लांट्स के साथ फ्यूल सप्लाई करोगे। कोल इंडिया के पास इतना कोयला नीं है कि वह फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट करे, उसको मेन्टेन करे, तो वे उसको नहीं कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं-करो। ये बात क्यों नहीं सरकार के

ध्यान में आती है कि 90 बिलियन में, अगर 18-20 बिलियन डॉलर केवल कोयला का है और अखबारों ने कहा है कि इस के अलावा और भी अनाप-शनाप इम्पोर्ट है, इनको रोको। अकेले सोना को दोषी मान कर, उस ट्रेड को नेस्तनाबूद कर देना, यह कहां कि पॉलिसी है, लेकिन यह सरकार जिस रास्ते चल रही है, वह बहुत ही खतरनाक रास्ता है।

एक लाख करोड़ रुपया, आज रोड प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है। एक लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स फंसे हुए हैं। सरकार प्रोजेक्ट्स नहीं क्लीयर कर रही है। जिस मंत्री की बात मैं कर रहा हूं, जिन्होंने हमारे बारे में बयान दिया है कि अकेले सरकार से सहयोग का विरोध कर रहा हूं, जो बिल्कुल गलत है। वह मंत्री इसके पहले एक और मंत्रालय में थे, वहां पर उन्होंने अपने कारनामों से कम से कम ढ़ाई प्रतिशत जीडीपी का ग्रोथ कम करवाया। लैंड एक्वीजिशन हम लोगों के टाइम में नहीं होता था? पर्यावरण का क्लीयरेंस हम लोगों के टाइम में नहीं होता था? क्या कानून बदल गया, नहीं, वहीं कानून है। हम लोग ये सब करत थे, लेकिन रेलवे प्रोजेक्ट्स हों, रोड प्रोजेक्ट्स हों, उपाध्यक्ष महोदय आप जानते हैं, इन्होंने क्या बनाया? रोड प्रोजेक्ट्स के लिए हाइवे अथॉरिटी को हर ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी। बताइए, 500 किलो मीटर की सड़क जा रही है, 600 मिलो मीटर की सड़क जा रही है, हर ग्राम सभा की मजूरी लेगा तब लैंड एक्वीजिशन होगा। अब इनको अक्ल आई। इन्होंने कहा कि लिनीअर प्रोजेक्ट्स जो हैं-रेलवे, हाइवेज, और जो हाई टेंशन वायर खींचते हैं, इन पर आवश्यकता नहीं है। जब डैमेज हो गया तब अक्ल आई।

इस विश्वास के संकट के पीछे, मैं आप से कहना चाहता हूं कि अज्ञानता का सुख अज्ञानता का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। हम जाते ही नहीं हैं, तो हम खुश हैं। अज्ञानता का सुख है हमारे पास। किसी आदमी पर सबसे बड़ा बोझ क्या होता है-ज्ञान का बोझ। इसीलिए वह दबाता है। कहता है तुम झुककर चलो। ज्ञान का बोझ उसके ऊपर है। सबसे बड़ा पाप क्या होता है-जानबूझकर अनजान बनना। यह सबसे बड़ा पाप है। आज सरकार के बारे में कहना चाहता हूं कि सरकार सब कुछ जानती है। ऐसा नहीं है कि चिदम्बरम साहब नहीं जाते, ऐसाा नहीं है कि प्रधान मंत्री साहब नहीं जानते। इसलिए मैंने अपनी बात की शुरूआत ही उनके कोट से की। वे सब जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। उसके बाद भी वही कदम उठा रहे हैं जो इस देश को रसातल की ओर ले जाता है। ....*(व्यवधान)* एफआरबीएम छोड़ ही दीजिए। नार्थ ब्लाक के किस विंडो से इन्होंन एफआरबीएम को बाहर फेंका है, वह जाकर हमें पता करना पड़ेगा, कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी कि इस खिड़की से फेंका, उस खिड़की से फेंका।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में एक बार बोलते हुए मैंने कहा था कि इस सरकार के जाने का समय आ गया है। मैंने कहा था-जाओ भगवान के लिए जाओ। आज कुछ समय के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो विश्वास का संकट हमारे देश में पैदा हुआ, उसका मुख्य कारण है सरकार की अकर्मण्यता, मुख्य कारण है सरकार का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खो देना। जब सरकार अकर्मण्य हो जाती है, सरकार निपयंत्रण खो देती है तो उस सरकार का जाना ही बेहतर होता है। इसलिए मैं इनसे फिर आग्रह करना चाहता हूं, आज हमसे यह मत पूछिए कि क्या सौल्यूशन है। वित्त मंत्री जी यहां बता दीजिए कि क्या सौल्यूशन है और मैं दो-तीन तरीके बता दूं कि यह कर लीजिए, वह कर लीजिए। इन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है और जिस खिलवाड़ की शुरूआत इन्होंने आज से लगभग पांच साल पहले शुरू की, जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है, उसके लिए एक ही उपाय है, उस परिस्थिति से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि यह सरकार जाए। इसको विदा करो। अब हम इस सरकार को बिल्कुल नहीं चाहते। अब हमें जनता के पास जाना चाहिए। जनता के पास चलो। हिम्मत है तो चलो जनता के पास। ...*(व्यवधान)* जनता के पास चलो। मैं आज इस सदन में चुनौती देकर कह रहा हूं कि जनता के पास चलो। जनता ही फैसला करेगी कि म सही हैं, आप सही हैं। इसे जनता के ऊपर छोड़ो। ये क्यों नहीं छोड़ेंगे? अंतिम बिन्दु, इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि सरकार में भ्रष्टाचार होता है। इतनी भ्रष्ट सरकार, इतनी गई-गुजरी सरकार, इतनी निकम्मी सरकार, इस देश के इतिहास में आज तक नहीं बनी है। इसलिए मैं इनसे कहता हूं, जाओ, इस देश को अपने कुशासन से मुक्त करो और जनता को मौका दो कि वह फैसला करे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.19 बजे

[**डॉ. इन्दर सिंह नामधारी** *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, नियम 193 के अंतर्गत देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने का जो प्रस्ताव हमारे विद्वान सदस्य आदरणीय गुरुदास दासगुप्त लेर आए हैं, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, सके लिए मैं आपका आभारी हूं।

हमने बड़े ध्यान से श्री गुरुदास दासगुप्त, भक्त चरण दास और हमारे पूर्व वित्त मंत्री विद्वान श्री यशवंत सिन्हा जी को भी बड़े विस्तार से सुना। अगर देखा जाये, तो इस देश में, यानी भारत

में आर्थिक संकट आज से नहीं, मेरे ख्याल से जब से संप्रग की सरकार, यूपीए-1 और यूपीए-2 की सरकार बनी हैं, तब से लगातार यह संकट है। अभी कुछ दिन पूर्व माननीय वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम साहब, चूंकि मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और आप प्रधान मंत्री जी की भी रेस में हैं, विद्वान भी हैं और काफी अनुभव भी है, वह हमेशा देश की जनता को आश्वस्त करते रहते हैं कि घबराने की बात नहीं है, हम स्थिति को संभाल लेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सद्बुद्धि दे और इतनी ताकत दे कि आप भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल लें।

अभी यशवंत सिन्हा जी ने बहुत सारे सुझाव बताये। जहां तक चिन्ता का विषय है, ऐसा न हो कि वर्ष 1991 की स्थिति का संकट भारत वर्ष में आ जाये। उस वक्त देखा जाये तो केवल 63 मिलिटन टन सोना बचा हुआ था। वह स्थिति न आ जाये कि केवल 1.2 अरब डालर ही हमारी आयात और निर्यात की स्थिति में बच पाये। हमारी जो एक साख है, वह उतनी रह जाये और यह स्थिति न आने पाये। अभी गुरूदास दासगुप्त जी कह रहे थे कि देश में 11 नहीं, बल्कि 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगारी की स्थिति में है। आज आप आईटी कालेज, इंजीनियरिंग कालेज की तरफ देख लीजिए। वहां तमाम सीटें खाली पड़ी हैं। लोग जीनियर होकर बेकार पड़े हुए हैं। जो बहुराष्ट्रीय कालेज की तरफ देख लीजिए। वहां तमाम सीटें खाली पड़ी हैं। लोग इंजीनियर होकर बेकार पड़े हुए हैं। जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं, उनमें कांट्रैक्ट बेसिस पर वह नौजवान काम कर रहा है। आज यह स्थिति बेरोजगारी की है।

अभी दासगुप्त जी ने कहा था कि महंगाई चरम सीमा पर है। यह बात सत्य है कि हमारे प्रधान मंत्री जी अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने बराबर इस सदन को आश्वस्त किया कि हम महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। लेकिन महंगाई पर कहीं भी कंट्रोल नहीं हैं आज प्याज के दाम आकाश छू रहे हैं। मुझे याद है कि प्याज के दाम पर सरकार गयी थी। मैं वह नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि यह सबको मालूम है कि सरकारें गयीं। यह चिंता का विषय है। अगर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति परिवार की स्थिति देखी जाये, तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनका जीवन स्तर नीचे गिरता जा रहा है, चाहे वह मध्यम वर्ग से लेकर गरीब वर्ग हो। चूंकि हम लोग उसी के बीच रहते हैं। उनकी स्थिति बहुत खराब है। इकोनॉमी पर रुपये की गिरावट दिखने लगी है। रुपया बराबर गिर रहा है। विदेशी कम्पनियों का भारत में आना और एक तरीके से अधिग्रहण करना अशुभ है। हमारी पार्टी और हमारे नेता ने भी तमाम अवसरों पर एफडीआई का विरोध किया है।

अभी हमारे मित्र नीरज शेखर जी ने बताया कि आज इस वक्त डालर के मुकाबले रुपये की कीमत 66.08 है। यह स्थिति है और दिन प्रतिदिन यह स्थिति खराब होती जा रही है। विदेशी कम्पनियां जो हावी हो रही हैं, उन पर कहीं न कहीं सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर विकास की दर देखें, तो सिक्स प्वाइंट के नीचे हम पहुंचने वाले हैं। सरकार मेशा यह कहती है कि हम राजकोषीय घाटे पर नजर रखे हुए हैं। अगर आंकड़ों पर जायें, तो हम उस पर बराबर नजर रखे हुए हैं और राजकोषीय घाटे को हम कम नहीं होने देंगे। यह सरकार बराबर कहती आयी है, जबकि यह चुनौती है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए तो वर्ष 2013 में 75 अरब डालर के घाटे के आसार हैं। वर्ष 2012 में यह घाटा 88 अरब डालर रहा है। अब क्या सरकार राजस्व बढ़ाकर घाटा कम करेगी? सरकार हमेशा कहती रहती है कि हम राजस्व को बढ़ाकर घाटा कम करेंगे। लेकिन यदि इतिहास देखा जाए, तो गठबंधन की जो भी सरकारें रहीं, एक तरह से खज़ाने को लुटाने में उन्होंने समय दिया। अब सरकार सब्सिडी बांटकर लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। अभी श्री यशवन्त सिन्हा जी कह रहे थे कि सरकार की अकर्मण्यता और सरकार की विश्वसनीयता, ये दो सवाल हैं, जो देश की आर्थिक स्थिति को बनाने-बिगाड़ने में काफी महत्वपूर्ण हैं। दूसरी तरफ, यदि चाईना के मुकाबले में, जैसा कि अभी श्री भक्तचरण दास जी कह रहे थे कि हम विश्व में आर्थिक स्थिति मे तीसरे पायदान पर हैं, मेरी समझ में तो नहीं आया कि वे क्या कह रहे थे क्या कह गये, लेकिन चाईना की स्थिति से देखा जाए, तो भारत ने आर्थिक विकास में चाईना को भी पछाड़ दिया है। यह स्थिति है, ये आंकड़े बताते हैं। मैं सके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सभापति महोदय आपने देखा होगा कि समय-समय पर तेल के दास हमेशा बढ़े हैं। सोने के बारे में अभी श्री यशवन्त सिन्हा जी ने बड़े विस्तार से कहा कि सोने की स्थिति क्या है? आज ऐसा लगता है कि सरकार ने बड़े औद्योगिक घरानों के लिए इस देश का दरवाजा खोल दिया है। ये तमाम संकट के कारण हैं। यदि देखा जाए, तो पूरे देश की जो जनसंख्या है, उसका पांच फीसदी हिस्सा, जो गांवों का है, औसतन देखा जाए, तो 17 रुपये रोजाना यानी 521 रुपये 44 पैसे प्रतिमाह में ग्रामीण क्षेत्र के लोग गुजारा कर रहे हैं। शहरी इलाके में 23 रुपये रोजाना यानी करीब साढ़े सात सौ रुपये में गुजारा कर लेंगे।

सभापति महोदय: थोड़ा स्पीड बढ़ाइए।

श्री शैलेन्द्र कुमार: यह सरकार कह रही है। यदि संप्रग सरकार (यूपीए-एक और दो) के नौ वर्षों का कार्यकाल देखा जाए, तो 333 अरब डालर चालू खाते का घाटा आया है। इसकी भरपाई करने में यह सरकार पूरी तरह से अक्षम है। चालू खाते का घाटा वर्ष 2013-14 में देखा जाए, तो 8600 करोड़ रुपये हैं। यही कारण है कि डालर के मुकाबले में रुपए की जो दुर्दशा हो रही है, वह दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। यदि सही मायने में आंकड़े देखें

जाएं और उन विषयों पर जाया जाए, तो बढ़ती कीमतें इसका सबसे बड़ा कारण है। गिरता शेयर बाजार, रुपये की गिरती कीमत, विदेश मुद्रा-भंडार की कमी, बढ़ता राजकोषीय व्यापार घाटा तथा रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि का अभाव होने के कारण, जैसाकि श्री गुरुदास दासगुप्त जी ने कहा, यह सरकार के लिए ही नहीं, बल्कि जनतन्त्र के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है कि कैसे हम इससे उबर पाएं? आज गैस के दाम, तेल के दाम दिन-पर-दिन ब् रहे हैं। उसके मुकाबले हमें कितना रुपया भेजना पड़ रहा है, उसका आकलन आप कर सकते हैं। इसलिए मंदी का कारण सरकार की विश्वसनीयता और अकर्मण्यता एक कारण है, जैसाकि श्री यशवन्त सिन्हा जी ने कहा। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, नवम्बर-दिसम्बर में चुनाव के बारे में कहते हैं। सरकार की तरफ से यह भी कहा जाता है कि समय पर चुनाव होंगे। तो हो सकता है कि वर्ष 2014 के मई में नयी लोक सभा गठित हो। इस बीच सरकार देश की आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ कर ले। यह मेरी शुभकामना है। हम लोग भी पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। गुरुदास दासगुप्त जी द्वारा 193 में उठाये गये विषय "देश की आर्थिक स्थिति पर चिन्ता", जिस पर चर्चा हो रही है, उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: आपका वह बेंच कितना लकी है कि गुरुदास जी शुरू करते हैं और एक-एक करके सभी को बोलने का मौका मिला।

डॉ. बलीराम (लालगंज): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने नियम 193 के तहत देश की आर्थिक मन्दी एवं मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के बारे श्री गुरूदास दासगुप्ता जी द्वारा शुरू की गयी चर्चा में अपनी बात रखने का आपने मुझे मौका दिया है।

महोदय, आज आरोप-प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है क्योंकि इस देश में जो आर्थिक मंदी है और जो आर्थिक परिस्थितियां बनी हुई हैं, उनसे यह सदन की चिन्तित नहीं है, बल्कि पूरा देश उससे चिन्तित है और उसे भुगत रहा है। जब हम लोग वर्ष 2009 में चुनाव जीतकर आए, तो महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो ज्वाइंट सेशन बुलाया, उसमें उन्होंने कहा था कि हम इस देश में जो बढ़ती हुई महंगाई है, उसे कैसे कम करेंगे, बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम इस देश का जो धन विदेशों में जमा है, उस काले धन को वापस लाएंगे, जिससे हम यहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, यहां की बेरोजगारी को दूर करेंगे और महंगाई पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब उस काले धन पर श्वेत पत्र जारी हुआ। इसे कहने में मुझे शर्म आ रही है, वह काला धन किसके पास है, इसके बारे में उस श्वेत पत्र में कहा गया कि वह काला धन वेश्याओं के पास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से श्वेत पत्र जारी करना कि धन किसके पास है, इससे यहां की गरीबी दूर होने वाली नहीं है। सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए एफडीआई की बात कहीं कि अगर हम इस देश मे एफडीआई लाते हैं, तो महंगाई हम कम कर देंगे, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। आज जिस तरह से रुपये का दाम गिर रहा है, अभी हमारे एक साथी ने बताया है कि आज एक डालर की कीमत 66.08 रुपये हो गयी है। जिस तरह से रुपये का दाम गिर रहा है, आज तमाम विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी कंपनियों को भारत में खोलकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। जो मौजूदा आर्थिक परिस्थितियां हैं, उनके मद्देनजर आम आदमी को किसी भी प्रकार की राहत मिलने वाली नहीं है। जिस तरह से लगातार रुपये का भाव गिर रहा है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की वही हालत हो जाएगी, जैसी हालत वर्ष 1991 में हुई थी? क्या हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया, तो वर्ष 1991 जैसी हालत होने वाली है। हमारे वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि इससे आपको घबराने की जरूरत नीं है, हम निश्चित रूप से इसको नियंत्रित करेंगे। अगर यह नियंत्रित कर लेते तो शायद इस देश के लोगों का कल्याण हो जाता, भला हो जाता। वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले दो महीनों में सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़कर 1,80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जबकि आपने-अपने बजट में इस वित्तीय वर्ष यानि 2013-14 में बजटीय अनुमान 5. 42 पूरे साल का बताया था, लेकिन दो महीनों में ही लगभग दो लाख करोड़ रुपये का घाटा हो गया, जो कि कुल बजटीय अनुमान का एक तिहाई है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि राजस्व बढ़ाकर घाटे को हम करेंगे। हम यह जानना चाहते हैं कि वह राजस्व किन स्रोतों से लाएंगे, जिससे आप घाटे को पूरा करेंगे?

हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि कभी भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। यह सच्चाई भी है, क्योंकि जितने प्राकृतिक संसाधन इस देश में हैं, दुनिया के और किसी मुल्क में नहीं हैं।

सभापति महोदय: डॉ. बलिराम जी, आप थोड़ा जल्दी करें, क्योंकि समय की कमी है।

डॉ. बलीराम: दुनिया में किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की की है, आगे बढ़ा है तो वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके आगे बढ़ा है। हमारे यहां उल्टा है। हमारे यहां नेचर का दोहन या शोषण नहीं हो रहा, बल्कि व्यक्ति का और श्रम का शोषण हो रहा है। इसलिए यह देश तरक्की नहीं कर रहा है। आज कच्चा लोहा हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में होता है। हम साल में सिर्फ 250 लाख टन ही लोहा पैदा करते हैं। उसका जो बुरादा होता है, जिसे हम घटिया और बेकार जानकर बेच देते हैं, उसे जापान उठा ले जाता है बना हुआ है। क्या हम अपनी नीतियों

को सही कर लें, क्या हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकत, इस पर विचार होना चाहिए।

आज हम दवाओं के क्षेत्र में भी पिछड़े हुए हैं, जबकि हमारे देश में जड़ी-बूटियों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा मे है। दुनिया के मुल्क हमारे से उसे ले जाकर हमें ही दवाओं का निर्यात कर रहे हैं और दोगुने-तिगुने दामों पर बेच रहे हैं।

इसी तरह पेटेंट के बारे में कहना चाहूंगा। आज हम अपने वैज्ञानिकों को, चाहे कृषि वैज्ञानिक हो, डाक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों, सही सम्मान नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज वे विदेशों में भाग रहे हैं। हमारी ही चीजो का पेटेंट करके, चाहे हल्दी हो, नीम हो, बैंगन हो, बासमती हो, दुनिया के बाजारों में बेच रहे हैं। ये सभी चीजें हमारे देश की पुरानी चीजें है। भारतीय वैज्ञानिक जो दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, जहां उन्हें ज्यादा फायदा है इसलिए सरकार को इस बारे में सोचने की जरूरत है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि अभी इस सरकार ने कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिये। हमारे यहां पेट्रोलियम मंत्रालय है जिसने कह दिया कि पेट्रोल, डीजल और गैस का दाम मंत्रालय तय नहीं करेगा, इसे अब कंपनियां तय करेंगी। आपने कह दिया कि कंपनियां तय करेंगी तो हर महीना वे डीजल और पेट्रोल के दाम 50 पैसे बढ़ा रहे हैं जिससे महंगाई बढ़ रही है।

सभापति महोदय, इसे गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, कैसे बेरोजगारी और गरीबी दूर हो क्योंकि यह सरकार के दायित्व के साथ-साथ हम सब की भी चिंता का विषय है। हम सभी लोग आपका सहयोग कर रहे हैं इसलिए हम आशा के साथ कि देश में महंगाई कम होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदयः डॉ. बलीराम, मेरे बहुत कहने पर भी आपने अपने भाषण की स्पीड नहीं बढ़ाई।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): मान्यवर, अभी माननीय गुरूदास जी ने बहस को बढ़ाया और साथ ही मैंने यशवंत जी की बातों को भी सुना। मैं सोचता हूं कि इन्होंने आंकड़ों से पूरी हालत का वर्णन नहीं किया, हालत और भी भयंकर है। हमारी स्थिति कभी बदलती नहीं है। बाजार खुला था तो थोड़ी चमक-दमक आई थी लेकिन बाजार ठप्प हुआ तो चमक-दमक चली गयी। हम एक रास्ते पर नहीं है, हमारे रास्ते बदलते जाते हैं। हम कभी पब्लिक सेक्टर को चलाते हैं और अब हमने बाजार को खोलकर लाइसेंस वगैरह खत्म किया हैं। हम कभी पब्लिक सेक्टर को चलाते हैं और अब हमने बाजार को खोलकर लाइसेंस वगैरह खत्म किया लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। जो इन्होंने हालात बताए वे भयानक हैं। मैंने भी बिजनेस लाइन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, जिसे पढ़कर मैं बहुत भयभीत हुआ। मेरे एक अर्थशास्त्री मित्र ने कहा कि हमें एक प्रेस-कांफ्रेंस करनी चाहिये क्योकि हालात बहुत बुरे हैं दोनों मित्रों ने उपाय तो नहीं बताएं लेकिन सरकार ने क्या-क्या गुनाह किये, उनका वर्णन विस्तार से किया। लेकिन रास्ता क्या है? क्या देश इसी तरह से चल रहा है और इन 66 सालों में गरीब और किसान की हालत कभी नहीं बदली। देश की विकास दर प्रति वर्ष 4 प्रतिशत होनी चाहिए और हम 2.5 प्रतिशत पर हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि देश के खेतों में जहां 66 वर्ष पानी चला गया है, उस इलाके में स्कूल, अस्पताल, सड़क से लेकर इंसानों के चेहरों पर भी चमक आई है। हिंन्दुस्तान में आठवीं पंचवर्षीय योजना से सिंचाई पर क्या खर्च किया है? आप वैस्टर्न यूपी में चले जाइए। वहां आपने नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने काम किया था। वह सम्पन्न इलाका कहलाता है। आप पंजाब और हरियाणा में चले जाइए, तो चौधरी देवी लाल का इलाका है, वह बिल्कुल रेतीला था और भी गंगानगर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वहां रेत के टीले खड़े हो जाते थे, आज वहां की हालत आप देख सकते हैं। उदय प्रताप जी कह रहे थे कि हौशंगाबाद में एक नहर से पानी निकल गया, पंजाब और हौशंगाबाद का उत्पादन एक-सा हो गया। मुझे समझ नहीं आता है कि बाजार के चक्कर में आप पड़े, जैसे चीन ने अपनी जमीन की सभी चीजें ताकतवर की हैं, आपने अपनी दस्तकारी को मार दिया। आपके पास लगभग 81 मिनरल्स हैं। आपके पास जो सम्पत्ति है, आपने उससे क्या हासिल किया? आयरन ओर से आप लोहा नहीं बना सकते। कहीं तो आयरन और मिट्टी के दाम में दे दिया। मेरे इलाके जबलपुर में खदानों से फोकट में जब चीन में कोई गेम चला तो लोग यहां अरबों में खेल रहे हैं। आपके पास जो दौलत थी, उसे आपने आक्शन कर दिया है। आपके पास जो पूंजी थी, उसका भी आपने कोई इस्तेमाल नहीं किया। जो सबसे ज्यादा 70 फीसदी आदमी खेती में लगा है, उसकी जिंदगी तो पानी से बदलती है। किसी और चीज से नहीं बदलती पानी से बदलती है। यह अनुभव भी है। प्रताप सिंह कैरो ने पानी ले लिया था, बाकी जगह कारखाने ले गए थे। यशवंत सिन्हा जी, आपके इलाके में सभी लोग इंडस्ट्री ले गए थे, प्रताप सिंह कैरो अकेला आदमी था जिसने कहा कि मुझे भाखड़ा नांगल डैम दे दो। आज पंजाब और हरियाणा इस देश की 80-82 फीसदी आबादी का पेट भरने लायक अन्न पैदा करता है। देश खेत-खनिहानों को पनपाने से बनता है। आज पंजाब का आदमी सबसे जयादा बाहर गया है। हरियाणा का आदमी भी बाहर गया है और गुजरात का भी आदमी बाहर गया है। गुजरात में सबसे ज्यादा जिंदगी सवरेगी सरदार सरावर डैम से। एक करोड़ आदिवासी वहां है। वहां एक मकान पक्का नहीं है। सिर्फ वहीं की यह हालत

नहीं है। पूरे देश में 10 करोड़ आदिवासी हैं। छठा शेड्यूल हो, पांचवां शेड्यूल हो, दौलत वहीं हैं। मैंने एक बार सभापति जी आपका भाषण सुना था कि झारखंड माँ है और इसके आंचल में पैसा ही पैसा है, सम्पत्ति ही सम्पत्ति है, लेकिन फिर भी इसकी औलादें गरीब हैं।

सभापति महोदयः कोख में अमीरी है, लेकिन गोद में गरीबी है।

श्री शरद यादवः इसकी कोख में अमीरी है, लेकिन इसकी गोद में गरीबी है। इसी तरह से पूरे देश की हालत है। जहां हम पानी ले गए, खेत को पानी से जोड़ा, वहां समस्याएं अकेले किसान की नहीं, मेरे इलाके में मजदूरी तीन सौ रुपए है। पहले पानी नहीं था तो मजदूर हमारे घर पर भीड़ लगाये रहते थे। अब हमें उनके पीछे जाना पड़ता है। आपने मनरेगा कर दिया। देश का पूरा ढांचा तो पहले ईमान वाला बनाइए। आप बेईमानों के जरिये मनरेगा चलाना चाहते हैं। अब कल सरकार फूड बिल लाई है। चिदम्बरम साहब, देखिएगा कि कितने गरीबों के प्रोग्राम बनें। यदि गरीबों के प्रोग्राम की जगह सड़क या सड़क के निर्माण में, रेल के निर्माण में और हमने पानी में पैसा डाला होता तो आज यह हालत देश की नहीं होती। इस देश की इतनी उपजाऊ पहुंच गये। आज से नहीं, जब से हमें आजादी मिली, उसी दिन से हमें कोई सुकून नहीं मिला। महात्मा गांधी जी इनको दरिद्र नारायण कहते थे। हम दरिद्र नारायण के भोजन का बिल पास कर रहे हैं। 65 वर्ष हमने क्या किया? आर्थिक और सामाजिक असमानता ऐसी है कि 80 फीसदी आदमी बेज्जत है। पेट की भूख आप शांत कर सकते हैं लेकिन मान-सम्मान को पेट की भूख शांत करके नहीं दे सकते हैं। जो खेती है, उसमें मुझे बताइए कि कितना प्रयास 9-10 वर्ष में आपने किया? यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि आप यहां से जाइए। आपके रहते स्थिति और बिगड़ेगी लेकिन आप डंटे हुए हैं। न तो आप कोयले की लूट पर कोई एक्शन लेते हैं और न आयरन ओर की लूट पर आप कुछ एक्शन लेते हैं। रेत और नदियां खुद रही हैं, आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। बाजार पर आपका, मनमोहन सिंह जी का और मोंटेक सिंह जी का जो माइन्ड सैट है कि यूरोप और अमरीका के रास्ते से ही यह दुनिया बनेगी लेकिन मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अमरीका और यूरोप में ही विद्रोह होगा तब तक आप लोग इसका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन पक्का हमेगा। 250.300 साल तक इन्होंने दुनिया को सब तरह से निचोड़ा। उनका पुरुषार्थ था। उन्होंने निचोड़ा। उनका जो वैभव है, वह दुनिया की लूट पर बना हुआ है। उस दुष्चक्र में आप जा रहे हैं। उस दुष्चक्र में चीन भी गया। उसने भी हाथ मिलाया। आज चीन के नाम पर वे हाहाकार कर रहे हैं। चीन का एक छोटा सा विदेश मंत्री चला जाए तो उसका मान-सम्मान ज्यादा होता है। क्यों? जो अपने देश को मजबूत करता है और देश कौन होता है? जहां 80 फीसदी गरीब, किसान और मजदूर आदमी रहेगा, तीन लाख किसान आत्महत्या कर रहे है। ....*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः शरद जी, मैं बहुत तन्मयता से आपका भाषण सुन रहा हूं लेकिन घड़ी की सुई मुझे परेशान कर रही है।

श्री शरद यादवः ठीक है। यशवंत सिन्हा जी ने सही बात कही। दासगुप्ता जी इसके लिए बेचैन थे। मेरे पास भी समय नहीं है। जो मैं तैयारी करके आया था, अभी मैं आगे और बोलता लेकिन कुर्सी की जो मर्यादा है और सही में आपको सभी को समय देना है, चिदम्बरम साहब, मैं यही कहूंगा कि गांव के रास्ते से यदि आपने हिन्दुस्तान को बनाने का सिलसिला शुरू किया तो बाजार से भी ठीक से आप हाथ उठाएंगे और दुनिया में जब अंदर ये 80 फीसदी लोग गरीब रहेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भक्त चरण दास साहब कह रहे थे कि हमने बहुत विकास कर लिया। जरूर विकास किया। यहां तो मुट्ठीभर लोग हैं। दुनिया में उनसे बड़े लोग ही नहीं हैं। अब इनको देखें या इनकी आरती उतारें। क्या करें? असली सवाल तो जनता का है। इस देश में 80 परसेंट लोग दिक्कत में हैं चाहे लोअर मिडल क्लास हो, गरीब हो या किसान हो, आज इनकी अच्छी हालत नहीं है। ये एक तरह से दिक्कतों के जाल में फंसे हुए हैं। उनकी चिंता विकट है। पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं।

सभापति महोदयः प्रो. सौगत राय।

श्री शरद यादवः महोदय, मैं अपनी बात एक मिनट में खत्म कर रहा हूं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): ये वरिष्ठ नेता हैं, मैं इनके सामने नहीं बोल सकता हूं।

सभापति महोदयः आप बैठ जाइए। वे कन्कलूड कर रहे हैं।

श्री शरद यादवः मैं कह रहा हूं कि महंगाई का बुरा हाल है। रुपए की जो हालत है उसके बारे में भक्त चरण दास कह रहे थे कि रुपए की कीमत गिरने से कोई मतलब ही नहीं है। मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ देश में रुपये की कीमत गिर रही है, जैसे रुपया गड्ढे में जा रहा है वैसे बाजार भी गड्ढे में जा रहा है। ये बहुत बहादुर हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो। अरे, हमें तो लग रहा है कि अभी हम बाढ़ में डूबने वाले हैं। यशवंत सिन्हा और गुरुदास दासगुप्त कान में यही कहते हैं, इनका बयान इसी तरह से आता है।

सभापति महोदयः चाणक्य ने लिखा है-भयात तावत भय तव्यय यावतभ्यं न आगतम। डर से तब तक डरो जब तक वह आ नहीं जाता है। अब तो रुपया गिर रहा है, अब तो उसका मुकाबला ही करना है, और क्या करेगी सरकार।

श्री शरद यादव: आपका इकबाल कम हो गया है इसलिए एफडीआई भी नहीं आ रही है। जिन लोगों ने खर्च किया था वे भी भाग गए, जो यहां कर रहे थे वे भी भाग रहे हैं, वे आपके घर के लोग थे। आपने एफडीआई में बाजार खोल दिया, बताइए कि कौन आया? यानी आपकी साख इतनी गिर गई है कि कोई आदमी यहां आने को तैयार नहीं है।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मुझे पता है कि मेरे पास समय की कमी है। इसलिए मैं न तो बनावटी हाव-भाव अपनाऊंगा और न ही आडम्बरपूर्ण शब्दावली का प्रयोग करूंगा। मैं वित्त मंत्री के हुआ है 'या होना चाहता है' जैसे शब्दों का भी जिक्र नहीं करूंगा। जहां तक वामपंथ का प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि वे अब भारत और विश्व में भी असंगत हो गए हैं। परन्तु मैं आज की समझ को देखने का प्रयास करूंगा। वामपंथ भारत और विश्व में भी पूरी तरह असंगत है *...(व्यवधान)* अपनी स्वयं की स्थिति देखो। अपने दो राज्यों में सत्ता गवां दी *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डॉ. डोम, व्यवधान पैदा न करें।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: यह एक अस्वीकृत सिद्धांत है। अब, मैं आपको विकल्प दूंगा। मेरी बात सुनिये।

मुझे 1991 याद है; श्री यशवंत सिन्हा थोड़े समय के लिए वित्त मंत्री रहे थे। उन्होंने देश का सोना लंदन में बैंक को बेचने के लिए नाम बनाया था। उनके पश्चात् डॉ. मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री और चिदम्बरम ने वाणिज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस दल के पास केवल 15 दिन की विदेशी मुद्रा थी। उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोलने उदार बनाने और फिर मदद के लिए अतंर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाने का निर्णय लिया। मेरा कहना है कि वे काफी हद तक सफल रहे; कम से कम संकट टल गया। किंतु अब लगता है कि मनमोहन, चिदम्बरम का कही दल है परन्तु ऐसा लगता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आप देखिए कि रुपया डॉलर के मुकाबले किस प्रकार गिर रहा है।

महोदय, आपको ज्ञात होगा कि जनवरी 2012 में एक डौलर 50 रुपये का था। फरवरी में डॉलर 48.97 रुपये का था। जुलाई में एक डॉलर 60.86 रुपये का हो गया। आज एक डॉलर 65.3 रुपये तक वापस आने के लिए 66 रुपये तक पहुंच गया है। श्री चिदम्बरम की बात को ध्यानपूर्वक सुनिये। वह यह आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं कि डेनमार्क राज्य में सब कुछ ठीक है *...(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): कृपया एक वक्तव्य बताइये जिसमें मैंने कहा था कि डेनमार्क राज्य में सब कुछ ठीक है *...(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय: मैं उस पर वापस आऊंगा। श्री चिदम्बरम, आपके सभी वक्तव्य यहां है।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री पी. चिदम्बरम: आपने मुझे एक मिनट आपको टोकने की अनुमति दी है; आम मुझे दो मिनट टोकने की अनुमति दे सकते हैं। कृपया मुझे एक वक्तव्य बतायें जिसमें मैंने कहा है कि डेनमार्क राज्य में सब ठीक है। कृपया मेरे 6 अगस्त 2012, 1 अगस्त 2013, 12 अगस्त 2013 और 22 अगस्त 2013 के वक्तव्य पढ़िये। कृपया मेरे चार वक्तव्य पढ़िए और मुझे एक भी वक्तव्य दिखाईये जहां मैंने कहा है कि डेनमार्क राज्य में सब ठीक है।

प्रो. सौगत राय: महोदय, मुझे उनका वक्तव्य पढ़ने का मौका मिला था। मैंने 17 जून को वित्त परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लिया था जहां हमने चालू खाते के घाटे पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था, "चिंता मत करो। मैं विदेशी संस्थागत निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आगम से चालू खाते के फर्ट का प्रबंध करूंगा।" यह उनका रिकार्ड किया गया वक्तव्य है। वह क्या प्रबंध कर रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने वह क्यों कहा था?

प्रो. सौगत राम: बाजार को थोड़ा सा उठाने के लिए।

श्री पी. चिदम्बरम: नहीं, आप गलत कह रहे हैं। 2011-12 में इस देश का चालू खाता घटा पूरी तरह वित्त पोसित नहीं किया गया था। हमने भंडार को 12.8 अरब डॉलर कर दिया 25 और तब चालू खाता घाटा लगभग 78 अरब दौलर ही था। 2012-13 में चालू खाता घाटा 88 अरब डॉलर था। हमने इसे पूरी तरह वित्त पोषित ही नहीं किया था अपितु हमने भंडार में भी 3.8 अरब डॉलर जोड़ दिया था। उसके आधार पर मैंने कहा था, "इस वर्ष हम चालू खाता घटा 88 अरब डॉलर से नीचे के स्तर पर ले आएंगे और जैसे हमने पिछले वर्ष इसका वित्त पोषण किया था वैसे ही इस वर्ष श्री वित्त पोषित करेंगे।" मैं उस वक्तव्य पर कायम हूं। इस वर्ष हम चालू खाता घाटा 70 अरब डॉलर था उससे कम रखेंगे और हम इसे पूरी तरह वित्त पोषित करेंगे। प्रत्येक वित्त मंत्री को खड़ा होकर यह कहना चाहिए कि "अपने लिए एक लक्ष्य तय करो और विश्वासपूर्वक कहो कि आप इसे पूरी तरह वित्त ... करने के लिए ... करेंगे।' यह डेनमार्क राज्य में सब ठीक है कहना नहीं है। यह इस बात को स्वीकार करना है कि डेनमार्क

राज्य में सब ठीक नहीं है परन्तु यदि हम अपना दिमाग इस पर लगायें तो हम इसे ठीक कर सकते हैं।

प्रो. सौगत राय: यदि माननीय वित्त मंत्री ऐसी स्थिति में यह बातें कह सकते हैं जब डॉलर 66 रुपये तक पहुंच गया है और जब चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8 प्रतिशत है तो मैं उनके द्वारा दिखाये गए विश्वास की सराहना करता हूं। यही नहीं। दिल्ली का एक समाचार पत्र प्रतिदिन 'दि स्लाइड शो' नामक एक छोटा कॉलम प्रकाशित करता है। 'दि स्लाइड शो' यह दर्शाता है कि डॉ. मनमोहन सिंह और श्री चिदम्बरम के अधीन चीजें केसे फिसल रही है। बीएसई सेनसेक्स 10600 अंक से गिरकर 18,558 अंक तक पहुंच गया है ओर रुपये में 64.30 से माहनस 1.74 की गिरावट आई है। प्रतिदिन यह गिरावट जारी है। बाजार में लोग इस बात पर शर्त लगा रहे हैं कि डालर की कीमत 20 रुपया कब होगी। यह बहुत चितांजनक स्थिति है।

मैं चालू खाते के घाटे की हम मुख्य समस्या पर वापस आऊंगा। परन्तु चिंता की बातें हैं। उनमें से एक है विकास। 2003 और 2011 के बीच विकास का औसत 8 प्रतिशत था। अब यह पिछली तिमाही में गिरकर 5 प्रतिशत पर आ गई है। विकास कम हो रहा है।

औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक लगभग नकारात्मक है। श्री चिदम्बरम ने लगभग दो माह पूर्व कहा था कि अर्थव्यवस्था में अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। श्री चिदम्बरम, क्षमा कीजिए, मैंने अच्छे एंकेत नहीं देखें। उसके पश्चात अर्थव्यवस्था में एक अंक का भी सुधार नहीं हुआ। मैं दीर्घावधि सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं। हमें आज की स्थिति पर ही विचार करना चाहिए। महोदय, आप इस बात को समझेंगे कि चालू खाते के घाटे के कारण हुई रुपये की दस गिरावट का क्या अर्थ है। इसका यह अर्थ है कि आप जो कुछ भी आयात करोगे वह महंगा होगा। पेट्रोलियम उत्पाद महंगे हो जाएंगे, सोना महंगा हो जाएगा यह शुलक द्वारा और महंगा हो जाएगा और कोयला भी महंगा हो जाएगा। विदेश जाने के लिए आपको और अधिाक खर्च करना होगा। अत: यदि आप निर्यात बढ़ाना और विदेश जाना चाहते हैं तो आपको और अधिक खर्च करना होगा ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: दलहनों का क्या होगा? ...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय: यदि आपको अपने बच्चों को विदेश भेजना है तो आपको और अधिक राशि खर्च नहीं होगी। यदि आपका उद्योग कुछ आयातित संघटकों पर निर्भर है तो उसे अधिक खर्च करना होगा। अत: रुपये के अवमूल्यन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है। श्री चिदम्बरम जी के जादू का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। महोदय, मुझे नर्सरी की एक कविता याद आती है:

''हंपटी डंपटी सेट ऑन ए वॉल।
हंपटी डंपटी ऐड ए ग्रेट फाल।
ऑल द किंग्स होर्सिस एंड ऑल द किंग्स मैन कुडंट पुट हंपटी डंपटी टुगेदर अगेन।

भारतीय रुपये के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ लगता है। श्री चिदम्बरम अपने भारी-भरकम वित्त मंत्रालय, मुख्य आर्थिक सलाहकार और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर भी ना केवल रुपये का अवमूल्यन रोक सके अपितु असपर रोक भी नहीं लगा सके। अब इसका बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका थोक मूल्य सूचकांक पर काफी प्रभाव पड़ा। मुद्रास्फीति को क्या हो रहा है? जुलाई, 2013 माह के अंत में मूल्य की तुलना जुलाई, 2012 के साद्रश्य माह से करने पर, जैसा कि चार महानगरीय शहरों से समाचार मिला है, यह पता चलता है कि प्याज के खुदरा मूल्य में 112 प्रतिशत से लेकर 171 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। *[हिन्दी]* गरीब आदमी, जो रोटी-प्याज खाता है, थोड़ा अचार खाता है, उसके लिए प्याज 80 रुपये किलो हो गया। *[अनुवाद]* वे यह अनुमान लगा रहे हैं कि प्याज की कीमत 1001/- रुपये को पार कर जाएगी। कुछ मंत्री यह कह रहे हैं कि हमें प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। किंतु आप कीमत को नियंत्रित करने के लिए क्या कर रहे हैं? फिर गेहूं के मामले में, 8 से 12 प्रतिशत के बीय मूल्य वृद्धि हुई है; चावल का मूलय 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ा है। इस अवधि के दौरान, मसूर दाल की कीमत 3 से 15 प्रतिशत और मूंग दाल की कीमत 8 से 12 प्रतिशत तक बढ़ी है। अत: रुपये की कीमत गिर रही है, विकास में गिरावट आ रही है, संसेक्स गिर रहा है और आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो रही है।

जब श्री यशवंत सिन्हा या श्री चिदम्बरम यह कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में कोई तत्काल समाधान नहीं होते हैं तो मैं उससे सहमत हूं। मैं भी यह समझता हूं कि अर्थव्यवस्था में कोई तत्काल समाधान नहीं होता है। श्री चिदम्बरम ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में अनुमान लगाया था। अब उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रत्येक क्षेत्र खोल दिया है। हमने इस सभा में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी बड़ी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं? क्या वॉलमार्ट भी आ रही है? मैंने सुना है कि काफोर ने एक दुकान खोली है किंतु पिछले वर्ष में कोई बड़ी खुदरा कंपनी नहीं आई है। अब यह कहा गया है कि विनियमों को बदला जाएगा। आपने दूरसंचार क्षेत्र में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। इससे कितना दूरसंचार प्रवाह आएगा? वस्तुत: दूरसंचार प्रवाह में कमी आई है और क्या हुआ है? आपके वाणिज्य मंत्री चाहते हैं कि रक्षा क्षेत्र को अत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु खोला जाए और विदेशियों को हमारे रक्षा उपकरण बनाने दिए जाएं। यह कोई

समाधान नहीं है। हां, हमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की जरूरत है, हमें विदेशी संस्थागत निवेश की भी जरूरत है किंतु यह समस्या का समाधान नहीं है।

सभापति महोदय: धन्यवाद, प्रो. सौगत राय।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय: सर, थैंक्यू मत कीजिए क्योंकि मेरे बोलने के बीच माननीय वित्त मंत्री महोदय खड़े हो कर बोलने लगे और हमारा टाइम खींच लिया। सर, हम साधारण आदमी हैं। हमें थोड़ा मौका दिया जाए। इतनी हिम्मत तो हमारे अंदर नहीं है कि हम मंत्री से विरोध कर सकें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, कृपया मुझे दो मिनट और दें जो मैंने ले लिए थे ...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय: अत: स्थिति काफी गंभीर और विकट है। कोई वृद्धि नहीं हुई है, मुद्रास्फीति तथा मूल्यों में वृद्धि हुई है। कई लोग यह पूछेंगे कि इसका क्या समाधान है। गत कुछ वर्षों से देश में मुख्य समस्या यह रही है कि हमने देश में उत्पादनकारी शक्तियों को मुक्त नहीं किया है।

कोयले को देखिए। हम 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कोयला आयात कर रहे हैं और हमारी कोयला खदानें बंद पड़ी हैं क्योंकि संप्रग शासनकाल में कोयला खदानों के लाइसेंस बांटने में भ्रष्टाचार हुआ है, मंत्रियों के नाम लिए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय मामले की निगरानी कर रहा है। अब मैं यह कहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने देश की प्रगति को रोक दिया है। आप भ्रष्टाचार की जांच करें किंतु नए लाइसेंस जारी किए जाएं और कोल इंडिया को इन खानों में कोयला उत्पादन शुरू करने दिया जाए।

दूसरे, महोदय, पेट्रोलियम-कृष्णा-गोदावरी बेसिन देखिए। वे केजी बेसिन में पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और सरकार गैस के मूल्य पर आपस में लड़ रहे हैं। अलग-अलग मंत्री समूह और हितकारक सामने आ रहे हैं। किंतु पेट्रोलियम, जिसका काफी ऊंची कीमत पर आयात करना पड़ रहा है, का अन्वेषण नहीं हो रहा है।

लौह अयस्क के बारे में क्या कहें? भारत, जोकि अतिरिक्त लौह अयस्क वाला देश है, को लौह अयस्क की आयात करना पड़ रहा है। कर्नाटक से लौह अयस्क का निर्यात नहीं किया जा सकता है और गोवा से भी लौह अयस्क का निर्यात नहीं हो रहा है।

अंत में देखिए पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति न मिलने के कारण इस देश में कितनी परियोजनाएं रूकी पड़ी हैं? देश में यह नया रैकेट चल रहा है कि आपको पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति के लिए पैसा देना पड़ता है और इसके फलस्वरूप यहां तक कि राजमार्ग परियोजनाएं भी रोकी जा रही हैं। आप इस देश में पूरी उत्पादक शक्तियों को मुक्त नहीं कर पाए हैं क्योंकि आप यह आशा कर रहे हैं कि विदेशी अपने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशक यहां आएंगे। कई बार ऐसा लगता है कि ये मंत्री चर्चिल की तरह बोल रहे हैं। जब ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में हार रहा था तो उन्होंने कहा था-"हम उनसे समुद्र तटों पर लड़ सकते हैं, हम उनसे हर जगह लड़ सकते हैं... जब तक नया संसार अपनी सभी शक्तियों के साथ आकर हमें बचा ना ले।" ऐसा लगता है कि हमारी आंखें पश्चिमाभिमुख हैं। हम कहते हैं 'अमेरिकी आएंगें और हमें बचाएंगे।' किंतु हमारा निवेश, जो भारत आता, वह अमेरिका चला गया है क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था कुछ उन्नत लग रही है। यह कोई समाधान नहीं है।

मेरा विश्वास है कि इस समस्या का कोई तत्काल समाधान नहीं है। किंतु मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं। डॉलर की तुलना में रुपये की कीमत में गिरावट कब और कहां जाकर रूकेगी? विकास अपनी पटरी पर कब वापस लौटेगा? जब तक आप बेरोजगारी का समाधान नहीं ढूंढ लेते हैं, कोई खाद्य सुरक्षा विधेयक इस सरकार को बचा नहीं पाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर): माननीय सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं परन्तु मैं आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता हूं। माननीय यशवंत सिन्हा जी और माननीय गुरुदास दासगुप्त जी, जिन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान है, ने बहुत से मुद्दों पर बात की है। मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी भी नहीं हूं। मैं आम आदमी के नजरिये से बोलता हूं।

आम आदमी को भुगतान संतुलन के संकट की चिंता नहीं है। उसे स्वर्ण की कीमत की बहुत चिंता है जोकि वह अपनी बेटी की शादी के लिए खरीदना चाहता है। वह वह घटते हुए विदेशी मुद्रा भंदार के बारे में चिंतित नहीं है। उसे पेट्रोल की कीमत में रोजागारी बढ़ोत्तरी की चिंता है जोकि उसे अपनी मोटरसाइकिल पर ईंधन के रूप में खर्च करना पड़ता है। इसलिए, वह इस बात से बहुत चिंतित है कि इन चीजों को कैसे नियंत्रित किया जाएगा।

अपराह्न 4.13 बजे

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुईं*]

अब, जैसाकि यहां चर्चा की गई थी, सरकार ने कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर 100 प्रतिशत तक सीमा बढ़ाई थी। किंतु कुछ भी नहीं आया है; किसी भी क्षेत्र में अभी तक कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं आया है।

महोदय, मैं कुछ आंकड़े पढ़ना चाहता हूं जो मैंने कुछ समाचार पत्रों में पढ़े हैं। सरकार की सभी नीतियां जो जल्दबाजी में घोषित की गई थीं, जैसे स्वर्ण आयात पर शुल्क वृद्धि, पूंजी का बाहर प्रवाह, पूंजी आगम हेतु नियमों को उदार बनाना, का बांधित प्रभाव नहीं बल्कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सरकार को यह जानना चाहिए। निजी निवेश में लगातार 10 तिमाही में गिरावट आई है। औद्योगिक उत्पादन गिर गया है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति अभी भी दहाई अंकों में है। इस वर्ष जून से विगत तीन माह के दौरान ..... निवेशकों द्वारा 12 अरब डालर से अधिक वापस ले लिये गये हैं। यह इस देश से बाहर चला गया है। बुनियादी ढांचे पर कोई सार्वजनिक काम नहीं हुआ। अब, वे खाद्य सुरक्षा विधेयक लेकर आए हैं। परन्तु स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय में कोई वृद्धि नहीं हो रही। विकास की गई 10 वर्षों में सबसे धीमी है। यह पांच प्रतिशत से थोड़ा ऊपर अर्थात इन 10 वर्षो में सबसे कम है। ये आंकड़े हैं जो मैंने विभिन्न समाचार पत्रों से लिए है। परन्तु कारण क्या है?

मैं केवल यही कह सकता हूं कि सरकार भरोसा दिलाने के लिए निवेशकों के मन में यह वातावरण पैदा करने में विफल रही है कि भारत निवेश के लिए एक सुरक्षित देश है। हमें विदेशी मुद्रा मिल रही है। हमें विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हो रहा है। अब, जब निवेशक को लगता है कि इस सरकार को अकेले अपनी स्वयं की नीतियों पर अधिकार नहीं है और बाहरी एजेंसियां है जो हस्तक्षेप कर सकती हैं; बाहरी एजेंसियां हैं जो बाधा डाल सकती हैं, जो सरकार की नीतियों को रोकने का प्रयास कर सकती हैं या सरकार की नीति को बदल सकती हैं तो लोगों को अपने निवेश में भरोसा कैसे होगा?

जैसे पाकिस्तान में, हमने देखा है कि जब भी कोई निर्वाचित सरकार सत्ता में आती है तो तत्काल सैन्य शासन लागू हो जाता है। अब, भारत में एक निर्धारित सरकार सत्ता में है। किंतु इस देश में न्यायिक शासन लागू किया जा रहा है। सरकार के प्रत्येक कार्य की न्यायपालिका द्वारा जांच की जा रही है। सरकार के नीतिगत निर्णयों में भी न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है। सरकार अपनी स्वयं की नीतियां नहीं बना सकती। वे अपनी स्वयं की नीतियां लागू नहीं कर सकते। न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता है। तब इस देश में निवेश करने में लोगों का भरोसा केसे होगा। लोग इस देश में निवेश करने केसे आएंगे?

दूरसंचार क्षेत्र में काम हुआ। हमने सौ प्रतिशत खोल दिया है। हमने दूरसंचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक सीमा बढ़ा दी है। परन्तु मैं नहीं समझता कि कोई कम्पनी आएगी। कोई नहीं आएगा। वोडाफोन के मामले में, मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने दस मुद्दे में हस्तक्षेप किया है और वे खुशी से उस देश से बाहर चले जाएंगे। यही स्थिति है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि सरकार के पास लोगों के मन में भरोसा पैदा करने की ताकत हो।

महोदय, मैं तमिलनाडु से हूं। हमारे पास बहुत ही अवसंरचना संबंधी योजनाएं हैं जिनमें हमने करोड़ों रुपये का निवेश किया है, जैसे कि सेतुसमुद्रम परियोजना है और दूसरी परियोजना है चेन्नई पत्तन-मदुरावोयल एक्सप्रेसवे परियोजना। दोनों परियोजनाओं, जिसमें हजार करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया है, कि हस्तक्षेप के कारण पूरा नहीं किया जा सका। ये केन्द्र सरकार की योजनाएं थीं। परन्तु राज्य सरकार इसे रोक सकती हैं। नगरपालिका इसे रोक सकती है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर बैठिये। रुकावट पैदा मत कीजिये।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवनः राज्य सरकार ने इसे रोक दिया है। राज्य सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है। अब, भारत सरकार की चेन्नई उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप कराना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः तम्बिदुरई जी, कृपया अपनी सीट पर बैठिये। कृपया व्यवधान पैदा न करें।

हां, इलेंगोवन जी, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवनः इसलिए, सरकार की यह कमी है कि उसने ऐसा वातावरण तैयार नहीं किए जिसमें निवेशकों को निवेश करने में विश्वास हो। निजी व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि लघु बचत करने वाले लोगों को भी उन्हें सरकार पर भरोसा होना चाहिए।

सभापति महोदयः कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवनः इसलिए एक ही बात है कि यह विफलता निवेशकों के लिए इस देश में आने के लिए आवश्यक विश्वास पैदा करने में सरकार की विफलता के कारण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: इस चर्चा के लिए आवंटित समय दो घंटा है। हमने पहले ही दो घंटे और 15 मिनट ले लिए हैं। इसलिए, अन्य वक्ता प्रत्येक पांच मिनट ले सकते हैं। अपराह्न 4.30 बजे मंत्री जी बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। हम पांच मिनट में अपनी भावनाएं कैसे रख सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभा का समय बर्बाद न करें। आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री खगेन दास, कृपया बोलिये।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई सदस्य पांच मिनट में अपना भाषण किस प्रकार पूरा कर सकता है? यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: तम्बिदुरई जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभा के नियम जानते हैं। यह नियम 193 के अंतर्गत चर्चा है। सलाहकार समिति को समझ का आवंटन तय करना है। तर्क करने का यह तरीका नहीं है। कृपया सभा के नियमों के अनुसार कार्य करें। खगेन दास जी, कृपया अपना समय लें। आप अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? यदि आप नहीं बोलते तो आप केवल अपना समय नष्ट कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सिर्फ खगेन दास जी की बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित की जाएगी।

...*(व्यवधान)*

श्री खगेन दास (त्रिपुरा पश्चिमी): धन्यवाद महोदय, मैं उत्तर पूर्व क्षेत्र से हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि मैं जो तथ्य और आंकड़े उनके समक्ष रखने जा रहा हूं वह उनसे सहमत हैं या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्य जिन्होंने यह कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, के वक्तव्य से सहमत हैं।

देश की आर्थिक स्थिति गंभीर और चिंताजनक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में निराशा और अवसाद का माहौल व्याप्त है। यह बड़े शर्म की बात है कि आजादी के 66 वर्षों के बाद भी विश्व के सबसे अधिाक लोग हमारे देश में भुखमरी के शिकार हैं। क्या वह इस बात से सहमत हैं कि देश के 84 करोड़ लोग 20 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से भी कम पर अपना जीवनयापन करते हैं? प्रतिदिन करोड़ों लोग भूखे पेट सोते हैं। प्रतिदिन लगभग 1000 बच्चे कुपोषण और निरोध्य बीमारियों से भरते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि यह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। इसके अतिरिक्त पचास प्रतिशत गर्भवती महिलाएं रक्तक्षीणता की शिकार हैं। हमारे देश के दो तिहाई लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। सत्तर प्रतिशत जनसंख्या के पास समुचित साफ-सफाई की सुविधाएं नहीं हैं। लगभग 60 प्रतिशत घरों में सीधे विद्युत कनेक्शन नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं भी आश्चर्य जनक रूप से कम हैं। बेरोजगार लोगों की तेजी से बढ़ती हुई संख्या ने पूरे राजनैतिक परिदृश्य को हतोत्साहित किया हुआ है।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक धनी लोग जो कि देश की जनसंख्या का केवल 10 प्रतिशत है उनके पास देश की कुल संपत्ति का 53 प्रतिशत भाग है जबकि 10 प्रतिशत निर्धन लोगों के पास देश की संपत्ति का केवल 0.2 प्रतिशत भाग है। प्रत्येक व्यक्ति यही प्रश्न पूछता है कि क्या कभी भारत विश्व में शीर्ष स्थान पर पहुंच पाएगा। भ्रष्टाचार के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत धीरे-धीरे सबसे बड़ा भ्रष्ट देश बना रहा है। राजनेताओं, व्यावसायिक घरानों और नौकरशाहों की सांठ-गांठ है। देश की आर्थिक स्थिति के ये कुछ आश्चर्यजनक तथ्य हैं।

भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के नाम पर अपनाई गई नई उदार आर्थिक नीतियों ने लोगों के बीच आर्थिक असमानता को बढ़ा दिया है। धनी और निर्धन वर्गों के बीच चिंताजनक आर्थिक अंतर ने देश के कई भागों में सामाजिक अस्थिरता पैदा कर दी है।

आईएमएफ और विश्व बैंक की नीतियों का मनमाने तरीके से पालन किए जाने से देश में आर्थिक साम्राज्यवाद के फिर से स्थापित होने की शंका पैदा हो गई है। हम सभी यह जानते हैं कि गिरते औद्योगिक उत्पादन, निरंतर उच्च मुद्रास्फिति, मुद्रा के अवमूल्यन तथा भुगतान संतुलन में चालू खाता घाटे के बढ़ने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र भेदी देखी जा रही है। औद्योगिक उत्पादन की दर गत वर्ष एक प्रतिशत से भी कम रही है और मई में औद्योगिक उत्पादन घटकर 2.8 प्रतिशत रहा है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर 20.11.12 में 6. 2 प्रतिशत की अपेक्षा 2012-13 में कम होकर पांच प्रतिशत रह गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मापी गई खुदरा मुद्रास्फिति दर जून में 9.87 प्रतिशत और जुलाई में 9.66 प्रतिशत रही है। सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य देश की आम जनता की

पहुंच से बाहर हो गए हैं। स्वतन्त्र भारत के इतिहास में कभी भी इतने लंबे समय तक इतनी ऊंची कीमतें नहीं रहीं।

इस संकट से रुपये की कीमत में लगातार गिरावट आ रही है। भारतीय मुद्रा की दर में इस प्रकार की तीव्र गिरावट जो 2011 में डालर के मुकाबले 43 रुपये से 2013 में गिरकर 66.08 रुपये हो गई, किसी की भी कल्पना से परे हैं। रुपये के लगातार अवमूल्यन के साथ-साथ जीडीपी की कम वृद्धि दर और सतत उच्च मुद्रास्फिति दर अर्थव्यवस्था की गंभीर होती स्थिति को एक संकेत है।

बढ़ते आपात बिलों और निर्यात् में गिरावट आने से भुगतान संतुलन की स्थिति गंभीर हो गई है। रुपये के गिरते मूल्य के लिए केवल बाहरी कारक जिम्मेदार नहीं है। यह सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और अपनाई जा रही नई उदार आर्थिक नीतियों का परिणाम है।

आर्थिक कठिनाइयों के कारण विदेशों से पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई। अमरीका द्वारा अपनी 'ईजी मनी पॉलिसी' को वापस लिए जाने के कारण इस प्रवाह में कमी आई है। केवल जून माह में 9 बिलियन डालर की विदेशी पूंजी की इक्विटी और ऋण बाजार से निकासी की गई। भारत का विदेशी कर्ज लगभग 400 बिलियन गिरकर 277 बिलियन डालर रह गया है। इस कर्ज के चुकाने में अगले 12 माह में विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 60 प्रतिशत भाग अर्थात 169 बिलियन डालर खर्च हो जाएगा।

सरकार ने इक्विटी और ऋण बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से देश में पोर्टफोनियों निवेश में विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा दिया था। इन निवेशों पर लाभ और लाभांश की स्वदेश वापसी विदेशी मुद्रा निर्गम का एक बड़ा भाग है।

रुपये के अवमूल्यन से तेल आयात की लागत में वृद्धि हुई है जो कि आयात की एक सबसे बड़ी मद है।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री खगेन दास: महोदय कृपया मुझे दो मिनट का समय और दीजिए।

सभापति महोदय: नहीं, अब आपको अपनी बात समाप्त करनी होगी। आपने अधिक समय ले लिया है।

श्री खगेन दास: महोदय देश में तेल की कीमत में वृद्धि होने से सभी अन्य मदों की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है और मुद्रास्फिति बढ़ रही है जिसके परिणामस्वरूप रुपये के अवमूल्यन में और तेजी आती है। आयात बिलों में एक अन्य मुख्य मद स्वर्ण आयाम है। गत वर्ष स्वर्ण और आभूषणों का आयात मूल्य 70 बिलियन डालर था। इस कठिन परिस्थिति में सरकार पूरे जोर-शोर से विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है परन्तु ऐसा होने की संभावना नहीं है।

इस बात से सभी परिचित हैं कि सप्रग सरकार बड़े व्यावसायिक घरानों के हितों में कार्य करती है। इस तथ्य के बावजूद सरकार का प्राकृतिक गैस के मूल्यों में दोगुनी वृद्धि करना भारत में सबसे बड़े औद्योगिक घराने रिलायंस कम्पनी का खुले आम पक्ष लिए जाने का एक उदाहरण पेश करता है। प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि होने से उर्वरकों तथा विद्युत और सार्वजनिक परिवहन की लागत में वृद्धि होगी। सीपीआई (एम) और वाम दलों ने गैस मूल्य वृद्धि का कड़ा विरोध किया और यह बात महत्वपूर्ण है कि भाजपा इस गलत निर्णय पर स्पष्टतः मौन रही।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

अब श्री वैजयंत पांडा बोलेंगे।

श्री खगेन दास: प्रतिदिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब तक 2.70 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं।

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री खगेन दास: महोदय, कृपया मुझे एक मिनट और दीजिए।

सभापति महोदय: अगले वक्ता ने बोलना आरंभ कर दिया है।

श्री खगेन दास: और अधिक सार्वजनिक निवेश की मांग करते हुए सरकार ने यह उत्तर दिया है कि हमारे पास कोई धनराशि नहीं है। महोदय, पिछले बजट के अनुसार 2011-12 में माफ किया गया राजस्व 5,29,432 करोड़ रुपये है जो कि जीडीपी का लगभग छः प्रतिशत है।

सभापति महोदय: श्री वैजयंत पांडा, आप अपना भाषण अब शुरू कर सकते हैं।

श्री दास, आपका बोलने का समय-समाप्त हो चुका है।

श्री खगेन दास: प्रसिद्ध पत्रकार श्री साईंनाथ द्वारा की गई गणना के अनुसार, वर्ष 2005-06 से उद्योगपतियों और धनाढ्य लोगों का कर और शुल्क 70 लाख रुपये प्रति मिनट की दर से बट्टे खाते डाल दिया गया है। अंस में, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान साप्ताहिक पत्रिका "द इकॉनामिस्ट' के आन-लाइन सर्वेक्षण की

ओर आकर्षित करना चाहूंगा। वे भविष्यवाणी करते हैं कि साख में गिरावट आ रही है और शायद भारत में पूर्ण आर्थिक संकट आ जायेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को संकट से बचाने के लिए सरकार को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: अब, श्री वैजयंत पांडा।

...*(व्यवधान)*

श्री वैजयंत पांडा (केन्द्रपाड़ा): धन्यवाद, महोदय। ...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: महोदय, सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डॉ. तम्बिदुरई, कृपया ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: यदि माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है तो चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। इस सभा का काफी समय बर्बाद हुआ था। ...*(व्यवधान)* यदि सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो चर्चा करने का क्या फ़ायदा है? हम यहां एक महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डॉ. तम्बिदुरई, आप इस प्रकार से सभा में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं? आप भी एक पीठासीन अधिकारी हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इस तरह सभा में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: यदि हमें बोलने का अवसर नहीं दिया जाता तो यहां चर्चा करने का क्या औचित्य है?

सभापति महोदय: कृपया इस तरह तर्क-वितर्क न करें। हम ऐसे कार्य नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, परन्तु हम सीमा से बाहर नहीं जा सकते। मैंने श्री खगेन दास को 10 मिनट का सयम दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: महोदय, कृपया एक मिनट। मुझे नहीं मालूम कि क्या आप सभा में उपस्थित थे, परन्तु जब माननीय अध्यक्ष महोदया यहां उपस्थित थीं तब हमने इस मुद्दे को उठाया था और हमने कहा था कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो घंटे का समय पर्याप्त नहीं है और वे इस समय को बढ़ाने पर सहमत थीं।

सभापति महोदय: नहीं।

श्री यशवंत सिन्हा: मुझे यही समझ में आई है।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: हमने माननीय अध्यक्ष महोदया से निवेदन किया था कि इस पर हमें चर्चा करनी है। ...*(व्यवधान)*

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको ज्ञात है कि यह चर्चा आज अपराह्न 12.36 बजे प्रारम्भ हुई थी, और आपको पता है कि आपने कितना समय ले लिया है। अध्यक्ष महोदया ने आपके सुझाव का उत्तर दिया था कि यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय था जहां सभी दलों के नेता उपस्थित थे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यही उत्तर था, परन्तु उसके बावजूद थी, एक महत्वपूर्ण विषय होने के कारण...

...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: यदि कार्य मंत्रणा समिति का यही निर्णय है तो हम इसे इस सभा में अस्वीकृत करेंगे। यह सभा सर्वोच्च है ...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: हां, यदि हम इस पर पूरे दिन चर्चा करना चाहते हैं तो हम इसे अनुमति दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हम इस तरह से सभा को संचालित नहीं कर सकते। डॉ. तम्बिदुरई, आप भी एक पीठासीन अधिकारी हैं। कृपया इस बात को समझें।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई: मेरा पीठासीन अधिकारी होना एक अलग मामला है। कृपया पीठासीन अधिकारी के मुद्दे को यहां मत लाइये। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि आप ऐसा जारी रखते हैं तो आप जो कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृतान्त से हटाने के सिवा मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा।

...*(व्यवधान)*

डॉ. एम.तम्बिदुरई: मैं आपको एक पीठासीन अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि एक सदस्य के रूप में सुझाव दे रहा हूं। . ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: डॉ. तम्बिदुरई जो कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: अब, श्री वैजयंत पांडा जी। कृपया संक्षेप में कहें।

...*(व्यवधान)*

श्री वैजयंत पांडा (केन्द्रपाड़ा): महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप मुझे भी उतना ही समय प्रदान करेंगे जो अपने पूर्व वक्ताओं को दिया है।

यही वह सरकार है जिसने विगत में स्वयं पर गर्व करते हुए यह दावा किया है कि वह आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती है। परन्तु, मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में आम नागरिक ही सबसे अधिक पीड़ित हो रहा है। यदि आप मुद्रास्थिति पर नजर डालें तो हम इस संबंध में विभिन्न श्रेणियों पर चर्चा कर सकते हैं परन्तु हमें सब्जियों की स्थिति पर दृष्टिपात करना चाहिए। आज उनकी कीमत पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि 15 प्रतिशत नहीं बल्कि 50 प्रतिशत है। सरकार का यह कहना है कि जमाखोरी के कारण ब्याज की कीमत 70 रुपये प्रति कि.ग्रा. से अधिक हो गई है। यह संभव है कि जमाखोरी हो रही हो लेकिन जमाखोरी केवल प्याज तक ही सीमित नहीं है। सभी सब्जियों के दामों में वृद्धि हुई है और डालर के मुकाबले रुपये की कीमत गिरकर 65 रुपये हो जाने से इसका प्रभाव आगामी महीनों में दिखाई देगा... (व्यवधान) रुपये की गिरती कीमत के फलस्वरूप आपातित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा और हलसे मुद्रास्फिति बढ़ेगी तथा आम आदमी पर प्रभाव पड़ेगा इसी कारण संभवत: हम इस सरकार से कथित रूप से आम आदमी से जुड़े मुद्दों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सुनते। मुद्रास्थिति की चर्चा करते हुए पूर्व वक्ताओं ने प्याज की कीमतों, रुपये के अवमूल्यन, पेट्रोल के मूल्यों का उल्लेख किया और मुझे विश्वास है कि इस सभा में अनेक सदस्यों ने ऐसे मजाक। लतीफे सुने होंगे कि इन तीन वस्तुओं में होड़ लगी हुई है कि सबसे पहले किसकी कीमत 100/- रुपये से अधिक होगी और स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखा रही है।

वस्तु स्थिति यह है कि कुछ मूलभूत समस्याएं ऐसी हैं जिन पर यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नीतिगत अकर्मण्यता के कारण यह स्थिति पैदा हुई है और मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी के मंत्रिमंडल के एक सहयोगी का समाचार पत्र में यह बयान छपा है कि आर्थिक नीतियों का निर्माण करना एकदिवसीय मैच खेलने के समान आसान नहीं है। यह कोई टी-20 खेल नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं। शायद वह मानवीय सदस्य अभी अभी सभा से गये हैं। महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह आर्थिक अव्यवस्था 20 सप्ताह के त्रुटिपूण नीति निर्माण के कारण पैदा नहीं हुई है या यह अव्यवस्था एक माह के कुशासन के कारण भी पैदा नहीं हुई है, परन्तु अनेक वर्षों की नीतिगत अकर्मण्यता और अनेक वर्षों के कुशासन के कारण यह स्थिति पैदा हुई है।

महोदय, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी की स्थिति दयनीय है। गत वर्ष जब उन्होंने दोबारा यह महत्वपूर्ण पद संभाला तो कुछ क्षेत्रों में इस बात को लेकर राहत थी कि अनेक वर्षों के कुशासन के पश्चात् संभवत: अब हालात फिर से सामान्य हो जायेंगे। परन्तु, एक वर्ष बीत जाने के बाद स्थिति बद से बदतर हो गई है।

उनकी कैबिनेट के कई सहयोगियों ने अलग-अलग समय पर इस सभा में यह आश्वासन दिया है कि वे स्थिति को सामान्य बनाने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। परन्तु, वस्तुस्थिति यह है कि ऐसा नहीं हुआ है। समस्या यह है कि इस सरकार के एक अंग

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

को यह नहीं पता है कि उसका दूसरा अंग क्या कर रहा है। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि अलग-अलग मंत्रालय विपरीत प्रयोजनों के लिए कार्य कर रहे हैं। यदि आप देखो कि पर्यावरण मंत्रालय और अन्य मंत्रालय क्या कार्य कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि वह परस्पर विरोधी प्रयोजनों के लिए कार्य कर रहे हैं। सरकार और प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि महत्त्वपूर्ण कैबिनेट मंत्रियों की सहायता से इस समस्या का समाधान किया जाए। परन्तु, ऐसा नहीं किया गया है।

हमने इस सभा में कई बार यह चर्चा की है कि किस प्रकार भवन निर्माण क्षेत्र की विकास दर में कमी आई है, किस प्रकार प्रतिदिन राजमार्ग निर्माण के लक्ष्य पूरा तो हो ही नहीं पा रहे हैं बल्कि कार्य लक्ष्य से बहुत नीचे ले रहा है और फिर भी हम अनेक वर्षों से यह सुन रहे हैं कि इसमें किसी और की गलती है। कभी-कभी दूसरे देशों की गलती मान ली जाती है। जैसा कि कहा गया है कि यदि अन्य देशों की आर्थिक नीतियों से अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो भी हम कहते हैं किम इसका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ा है। यदि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं तो भी हम कहते हैं कि हमारे देश पर इसका प्रभाव पड़ा है—कभी-कभी यह जजों की भूल होती है और कभी-कभी गठबंधन सरकार के कारण ऐसा होता है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में लगभग पच्चीस वर्षों से किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बनी है। इस देश में पिछले पच्चीस वर्षों से गठबंधन सरकारें चल रही हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से ही इन विफलताओं का आरोप गठबंधन सरकारों या न्यायालयों अथवा विदेशियों के सर मढ़ा जा रहा है? मैं यह चाहता हूं कि सरकार में कोई व्यक्ति यह कहे कि इस स्थिति के लिए उनकी गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार ने जो गलतियां की हैं हम सब उनकी चर्चा कर सकते हैं। मैंने अभी तक के बल कुछ बातों का उल्लेख किया है परन्तु, यदि सरकार इस बात को स्वीकार करे कि उससे कुछ गलतियां हुई हैं तो इससे उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी।

सरकार ने अर्थव्यवस्था में कोई सुधार किए बिना सरकारी कार्यों में काफी वृद्धि की है। इसमें सरकार को विपक्ष का समर्थन मिला है—बढ़े हुए व्यय के लिए यदि हमेशा नहीं तो अधिकांशत: उन्हें विपक्ष का समर्थन मिला है परन्तु, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया या उन्होंने जानबूझकर अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने या उसमें सुधार लाने संबंधी कोई कदम न उठाने का निर्णय लिया है और फिर भी वह सब पर आरोप लगा रहे हैं।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह एक राष्ट्रीय परिदृश्य है तथापि कुछ राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मेरे राज्य ओडिशा में इस वर्ष आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी रही है। बिहार और गुजरात जैसे अन्य राज्य भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये राज्य राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा तीव्र गति से निर्धरता की दर में कभी ला रहे हैं। मैं सरकारी आंकड़ों और योजना आयोग के आंकड़ों का उल्लेख कर रहा हूं। हम इस बात पर तर्क कर सकते है कि गरीबी रेखा की सीमा बहुत कम निर्धारित की गई है अथवा नहीं। हममें से कुछ का यह मानना है कि इसका स्तर बहुत नीचा है; अत: गरीबी रेखा की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। परन्तु स्वयं इस सरकार के आंकड़ों के अनुसार देखें तो ऐसा क्यों है कि कुछ राज्य लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार संभवत: इस बात को नहीं समझ पाई है कि ऐसा करने के लिए सुशासन का बहुत महत्व है और सरकार ऐसा करने में विफल रही है।

मैं ऐसा एक और उदाहरण देना चाहता हूं। पूर्व चर्चा में यह उल्लेख किया गया था कि चालू खाता घाटे को पूरा करने के लिए रुपये को मजबूत करने और घाटे को दूर करने के लिए कुछ प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी की आवश्यकता है। सात वर्षो से इस प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है! ऐसी कुछ मदों, जिन पर सरकार ने पिछले एक माह के अन्दर कोई निर्णय लिया है, के संबंध में संसदीय अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये ऐसे कार्य हैं जिन पर सरकार ने केवल एक हस्ताक्षर मात्र से निर्णय लिया है और यह कार्य वर्षों पहले किया जा सकता था। ऐसे कुछ निर्णयों का कोई राजनैतिक विरोध नहीं हुआ। यदि ये विवेकपूर्ण आर्थिक कदम पहले उठा लिए गए होते तो विरोध करने वाले लॉबीकर्त्ताओं और मित्रों और सगे संबंधियों को कम लाभ मिलता।

महोदय, यह सरकार आम आदमी की सरकार नहीं है। बल्कि यह भाई-भतीजा बाद की सरकार है। वास्तविकता यही है कि आज हम कई वर्षों के कुशासन के कारण ही इस समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमें सदैव दूसरों पर आरोप लगाकर इस सभा के मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

महोदय, आप जानते हैं कि इस संबंध में क्या किए जाने की आवश्यकता है। मैं आपसे शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं।

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): सभापति महोदय, हम देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। कई सदस्यों ने डालर के मुकाबले रुपये के गिरते हुए मूल्य के बारे में बोला हैं यह स्थिति बहुत गंभीर बनती जा रही है। कई आर्थिक विशेषज्ञों ने इस मुद्दे को उठाया है कि इस समस्या को कैसे हल किया जाय। रुपये के मूल्य को सम्भालने हेतु विश्वास पैदा करने के लिए सरकार को आगे आना हागा और उसके बाद ही अधिक निवेश हो पायेगा।

सरकारी ऋण, आंरिक और वाह्य दोनों, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुल सार्वजनिक ऋण, 31 दिसम्बर, 2012 को 40, 48,

219 करोड़ रुपये था। यह तिमाही आधार पर लगभग 3.6 प्रतिशत की वृद्धि थी। आकड़ें बताते हैं कि सार्वजनिक ऋण का लगभग 90.7 प्रतिशत आन्तिरिक ऋण है। सरकार का बकाया आंतरिक ऋण 36, 69, 823 करोड़ था, जो जीडीपी का लगभग 36 प्रतिशत है। बाह्य ऋण के मामके में, हय 3,78,396 करोड़ रुपये था।

31 अक्तूबर, 2012 को अर्थात पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम सात महीने, भारत सरकार की आंतरिक देनदारियां 4,09,000 करोड़ रुपये थीं और नवम्बर, 2012 तक बाह्य देनदारियां 9,742 करोड़ रुपये थी। ये आकड़ें बताते हैं कि भारत सरकार की वित्तीय स्थिति डांवाडोल है और यह बहुत ही आवश्यक है कि वित्तीय मोर्चे पर प्रभावी कदम उठाकर सरकार प्रवृत्ति को बदल दे।

वर्ष 2011-12 हेतु प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण 14,699 रुपये था। इसका अर्थ है कि प्रत्येक भारतीय के ऊपर लगभग 14,699 रुपये का बाह्य कर्ज है जिसे चुकाना है। इसके बाद भी, भारी राजकोषीय घाटा है। वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के पांच वर्षों के दौरान, सरकार इसे सीडीपी के 5.3 प्रतिशत से जीडीसी के 3 प्रतिशत तक कम करने की योजना बना रही है। परन्तु इस राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास कोई समरूप उपाय नहीं है। यह लगातार बढ़ता जा रहा है।

हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति भी काफी कमजोर है। हम काफी परेशानी उठा रहे हैं। इसका समाधान करने के लिए हमारे वित्त मंत्री जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, खुदरा क्षेत्र में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ला रहे हैं, उसका हम विरोध कर रहे हैं। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से हमारे स्थानीय व्यापारी लोग प्रभावित होंगे। इसीलिए, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर आपत्ति की थी। हमें खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अवश्य रोकना चाहिए क्योंकि उसके कारण आम आदमी बुरी तरह प्रभावित होना और छोटे व्यापारी लोग भी प्रभावित होंगे।

जब विदेशी इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, स्वाभाविक रूप से, हमारे व्यापारी लोग काफी प्रभावित होंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी धार्मार्थ प्रयोजन हेतु निवेश नहीं होगा। बल्कि वे अधिक धन कमाना चाहते हैं। हम पहले से ही गंभीर भुगतान संतुलन की स्थिति का सामना कर रहे हैं। यदि अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आता है तो लोग अधिक लाभ कमाने का प्रयास करेंगे और इसे अपने देश में ले जाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए, एक बार पुन: धन देश से बाहर जायेगा। हम इस समय इसी समस्या का सामना कर रहे हैं।

देश के आर्थिक विकास के संबंध में कृषि की क्या स्थिति है? कृषि क्षेत्र के बारे में हम कहते हैं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है परन्तु अर्थव्यवस्था में इसका योगदान कम होता जा रहा है। यह लगभग 10 प्रतिशत तक गिर चुका है। यद्यपि देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है, परन्तु देश के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 10 प्रतिशत है। उद्योग का योगदान भी गिरता जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र, देश के विकास में केवल 30 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। परन्तु सेवा क्षेत्रों का योगदान कुल मिलाकर 60 प्रतिशत तक है। यदि आप सेवा क्षेत्र पर अधिक निर्भर रहेंगे, तो व्यय अधिक होना और परिसम्पत्ति निर्माण नहीं हो जायेगा। जब परिसम्पत्ति का निर्माण नहीं होना, स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा जिससे से मूल्यों में वृद्धि होगी।

सरकार की नीति ऐसी है कि वे व्यापारिक घरानों को मनमाने तरीके से कार्य करने की अनुमति दे रहे हैं। घराने ही प्रभावशाली कारक बन रहे हैं। छोटे उद्योग सफल नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि वाणिज्य के मामले में भी हम सफल नहीं हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि यदि आप कार्पोरेट क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रहे रहे हैं तो वे कुछ निश्चित निर्यात-उन्मुखी उद्योनों में निवेश करने की कोशिश करते हैं, परन्तु वे हमारे देश के बारे में नहीं सोचते हैं। उदाहरण के लिए, डीजल और पेट्रोल; हम उनका निर्यात कर रहे हैं; हमें यहां प्राकृतिक गैस प्राप्त हो रहा है। जैसा कि श्री गुरुदास दासगुप्त ने कहा, वे मनमाने तरीके से गैस की कीमत निर्धारित कर रहे हैं। इसलिए, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। डीजल और पैट्रोल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार अक्सर ही डीजल और पैट्रोल की कीमतें बढ़ा रही है। गैस की कीमत को ही लें। हमने गैस की कीमत पर वित्त संबंधी स्थायी समिति में कई बार चर्चा की है। एक विशेष कंपनी इस सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके अनुसार कीमत निर्धारित करने के लिए दबाव डाल रही है और सरकार भी उस कंपनी का साथ दे रही है। वह कंपनी, लाइसेन्स प्राप्त करने के बाद, सभी राज्यों को गैस नहीं दे रही है, जैसा कि इसने वादा किया था। कृष्णा-गोदावरी परियोजना का ही मामला ले लीजिए। इसने वादा किया था कि दक्षिण के राज्यों को गैस दिया जायेगा। परन्तु, इसने इसके लिए कोई पाइप लाइन नहीं बिछायी गई हैं। इसने गैस नहीं थी आपूर्ति को इसने केवल महाराष्ट्र और गुजरात में ही गैस की आपूर्ति की है। ऐसी स्थिति में राज्यों का भाग्य किस पर टिका है? उद्योगों का कैसे विकास होना? इसके कारण, लागत भी बढ़ती जा रही है।

इसके अलावा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह बिजली है। बिना बिजली के देश का विकास नहीं हो सकता। दक्षिण के सभी राज्य बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। दक्षिण के राज्यों को ग्रिड से कैसे जोड़ा जाय? केन्द्र सरकार बिजली संकट को दूर करने के लिए आगे नहीं आ रही है। जब तक केन्द्र सरकार बिजली संकट का समाधान नहीं करती है, उद्योगों का उत्थान होना कठिन है।

हमें कृषि-उन्मुख उद्योगों की ओर अधिक ध्यान देना होगा। इसके द्वारा अधिक रोजगार उत्पन्न हो सकेगा। सरकार के कई मुख्य कार्यक्रम हो सके हैं, परन्तु जब तक सरकार छोटे और कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु अवसंरचना का निर्माण नहीं करती है, तब तक हम अधिकांश लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा सकते।

अभी क्या हो रहा है? इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्र अध्ययन हेतु ऐसे विषयों को लेने में रूचि नहीं रखते। क्योंकि छात्रों में भी विश्वास नहीं है कि अध्ययन के पश्चात् उन्हें रोजगार मिलेगा। कुछ अवधि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित हुआ। कुछ समय के पश्चात् उस उद्योग में भी गिरावट आ गई है। यदि आप विनिर्माण क्षेत्र को लें, इसका भी उत्थान नहीं हो रहा है। अत:, कृषि क्षेत्र में गिरावट आ रही है, विनिर्माण क्षेत्र में गिरावट आ रही है। इन परिस्थितियों में, विकास कहां होना? इन समस्याओं के समाधान हेतु इस सरकार की क्या नीति है? इस सबके कारण, मुद्रास्फीति की स्थिति बन रही है। जब सरकार निवेषकों में विश्वास पैदा नहीं कर रही है और जब यह केवल कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित कर रही है, उससे वे बड़े लोग बन रहे हैं और वे पैसा बाहर ले जा रहे हैं। वे अपने नाम 'विश्व में सबसे धनी व्यक्ति कौन है' की सूची में देखना चाहते है। वे यह दिखाना चाहते हैं कि उस सूची में उनका स्थान कौन-सा है। वे अपने नाम नंबर-1, 2 के रूप में देखना चाहते हैं। वे इस खेल को खेल रहे है और वे हमारे देश, हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में चिन्तित नहीं हैं। यह वास्तविक स्थिति है। इसलिए सरकार को इन कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए; वे सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं।

दूसरी बात, देश का आर्थिक विकास क्यों नहीं हो पाया है? यह घोटालों के कारण है, इतने सारे छोटाले हुए हैं। आप देख सके हैं राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, उसके बाद 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला, उसके बाद कोलगेट घोटाला और रेलवे घोटाला। इतने सारे घोटाले हुए हैं। जब हमारे देश में इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, तब किस तरह का विश्वास आप अर्थव्यवस्था में पैदा करोगे ताकि दूसरे इस देश में निवेश करने और इसे विकसित करने आयें? यह स्थिति है।

2 जी घोटाला 2004 और 2008 के दौरान हुआ था। उस समय के दौरान किसी को उस बारे में चिन्ता नहीं हुई। केवल अब, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है। लगभग दस वर्षो तक, इस सप्रंग सरकार ने शासन किया है। क्या उन्होंने भ्रष्टाचार रोका है? भुष्टाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आप किसी भी समाचार पत्र को देखिए प्रत्येक यही कह रहा है कि इस देश के विकास में सबसे बड़ा अवरोध भ्रष्टाचार है। ऐसा हर कोई कह रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यही कारण है, उस समय अन्ना हजारे लोगों को जगाने के लिए आगे आगे, यहां तक कि ऐसा करने के अपने प्रयास में वह विफल हो गए। इसी से युवा आक्रोश पैदा हुआ है हय भ्रष्टाचार के कारण है। जब तक सरकार भ्रष्टाचार नहीं रोकती और कार्यवाही नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि यह सरकार किन्हीं परेशानियों का समाधान कर सकती है।

काला धन बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति महोदय: धन्यवाद, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: मैं केवल दो मिनट लूंगा। ज्यादातर काला धन स्विस बैंक और दूसरे देशों के बैंकों में जमा है। उस धन को वापिस लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? श्री आडवाणी और दूसरे लोगों ने इस मुद्दे को बहुत बार उठाया है। क्या सरकार ने इस धन को वापिस हमारे देश में लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं? यदि आप उस धन को वापिस लाते हैं तो आप इस देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जाली मुद्रा भी है। असली मुद्रा और जाली मुद्रा के बीच कोई अंतर नहीं है–यहां तक कि बैंक कर्मचारी भी मुद्रित नोटों के बीच अंतर को पहचान नहीं पाते। मुझे नहीं मालूम कि वे उन्हें नासिक या अन्य किसी स्थान पर मुद्रित कर रहे हैं। किसी भी तरह का अंतर नहीं है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। अगले वक्ता श्री आनंदराव अडसुल हैं।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: मैं समाप्त कर रहा हूं, महोदय। मैं जाली मुद्रा के संबंध में एक गंभीर मुद्दे को उठा रहा हूं। सरकार को इस संबध में कार्यवाही करने के लिए आगे आना चाहिए। समाचार पत्र देश के सामने इस उपस्थि के बारे में बहुत कुछ छाप रहे हैं। आम आदमी बहुत कुछ सह रहा है। सरकार को जाली मुद्रा के संबंध में और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए भी कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए क्योंकि केवल तभी देश विकसित हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): सभापति जी, आज 193 के तहत देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा शुरू है, उसमें मुझे हिस्सा लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जब यूपीए की पार्ट-टू सरकार आयी ।और आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनें, तो उन्होंने देश के साथ वायदा किया था कि सौ दिन के अंदर हम महंगाई पर काबू पाएंगे। लेकिन

दुर्भाग्य की बात है कि हजार दिन पूरे हो चुके हैं, न उन्होंने महंगाई पर काबू पाय है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी उसकी चपेट में आया है। हमारे वित्त मंत्री वर्ष 2010-2011 के शुरू में, जब दशक की शुरुआत हुई, तब उन्होंने वायदा किया था कि जीडीपी रेट को हम 8.4 पर लाएंगे, लेकिन चार साल के बाद आज यह 6.5 पर आकर रूका है, यह पिछले नौ साल के एवरेज से भी नीचे है।

सभापति जी, इन सभी का असर यह होता है कि चाहे हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो, मैन्यूफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर हो, इसका बुरा असर उस पर पड़ता है। इसी कारण जो जीवनावश्यक वस्तुएं हैं, उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहां हम सभी ने कल अन्न सुरक्षा बिल पास किया, लेकिन हमारे भारत की सरकार के कार्यकाल में, हमारा जो कार्यकाल छह वर्षों का था, उसमें हर जीवनावश्यक वस्तुओ की कीमतें, जो आम आदमी के लिए हर दिन जरूरी होती है, उसे उन छह वर्षों में वहीं रखने का प्रयास किया। लेकिन हमने देख कि वर्ष 2009 के चुनाव के पहले कांग्रेस-संप्रग सरकार ने नरेगा का मुद्दा लाया। आज जब वर्ष 2014 का चुनाव सामने है, तो अन्न सुरक्षा का मुद्दा लाया यानी एक लुभाने का प्रयास किया जाता है, जनता को फंसाने का एक प्रयास किया जाता हैं आज भी देश के बहुत-से ऐसे राज्य हैं, जो कल पास हुए बिल में तय मूल्य से भी कम दाम पर आम लोगों को अनाज देते हैं। इसमें हमारी ओडिशा की सरकार है, तमिलनाडु की सरकार है, छत्तीसगढ़ की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है। यह सब एक मानसिकता के ऊपर होती है। जब हम आम आदमी को रि-प्रेजेंट करते हैं, तो हमारा केन्द्र बिन्दु आम आदमी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार ने आम आदमी का उपयोग सिर्फ वोट बैंक के नाते किया है। इसका कारण यह है कि एक तरफ तो महंगाई पर काबू न पाया गया और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार बढ़ता गया।

कभी किसी ने सोचा है, टू-जी स्पेक्ट्रम के माध्यम से एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ रुपए, कॉमनवेल्थ के माध्यम से अस्सी हजार करोड़ रुपये, कोल घोटाले के माध्यम से एक लाख सत्तासी हजार करोड़ रुपये, को यदि हम इकट्ठा करके और उसे अपने देश के विकास में लगाएं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश के किसी भी आदमी को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। हर चीज इस देश में पैदा हो जाएगी। हर चीज इस देश में पैदा होगा। खाली यह मानसिकता होनी चाहिए, लेकिन यह मानसिकता इस

सरकार की नहीं है। मैं इस मानसिकता का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब एनडीए के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी थे, देश का विकास कैसे हो सकता है, हर आदमी को उसका लाभ कैसे हो सकता है, वह उन्होंने अनुभव लिया था और जब मौका मिला, प्रधानमंत्री बने, तो हर गांव के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाकर हर गांव को जोड़ने का काम शुरू किया। जो हमारे राष्ट्रीय महामार्ग हैं, उनका विस्तारीकरण करना जरूरी है, यह बात समझकर उसका काम शुरू किया। हमारे देश में जो बड़ी-बड़ी नदियां हैं, जब हम एक-दूसरे को जोड़ेंगे, तो एक बाजू में बाढ़ से प्रभावित कुछ भाग कम हो जाएगा और जहां सूखा है, उसको उसका लाभ मिलेगा। यही उदाहरण हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी अमल में लाए हैं। चाहे रास्ते का सवाल हो, नदी जोड़ने का काम हो, हमने कुछ सालों में देखा है कि गुजरात देश के सभी राज्यों में नम्बर एक राज्य बना। इसलिए बातें तो बहुत हैं, लेकिन समय की सीमा को मैं मानता हूं। यही बात मैं इस सरकार को बताना चाहता हूं जो अभी हमारे आदरणीय यशवंत सिन्हा जी ने बताई है। अभी बहुत हुआ, नौ साल से भी ज्यादा समय आप सत्ता में रहे, अभी कुछ महीने और रहेंगे, तो इस देश का आप सत्यानाश करेंगे। अपने आप यह गद्दी छोड़ो, जनता के सामने हम जाएंगे और जनता जिसको यहां लाएगी, वह यहां राज करेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः इससे पहले कि मैं अगले वक्ता का नाम पुकारूं, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय कार्य-मंत्रणा-समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

अपराह्न 4.57 बजे

कार्य-मंत्रणा-समिति

51वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कोलकाता-उत्तर): महोदय, मैं कार्यमंत्रणा समिति का 51वां प्रतिवेदन सभा के समन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 4.5$^1/_2$ बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश की आर्थिक स्थिति-जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अभी दह वक्ताओं को और बोलना है। कृपया प्रत्येक वक्ता केवल तीन मिनट ही लें। मंत्री जी पांच बजकर पन्द्रह मिनट पर उत्तर देंगे।

अब, श्री नामा नागेश्वर राय बोलेंगे। आपके पास केवल तीन मिनट हैं।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): महोदय, तीन मिनट समय बहुत कम है।

सभापति महोदय, मुझे बोलने के लिए यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यूपीए-1 आर 2 सरकार आने के बाद देश की इकोनामिक सिचुएशन बहुत खराब हालत में चली गयी है। अभी अभी इसको देखने के बाद आजकल अपने फाइनेंस मिनिस्टर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर इनवेस्टर्स की मीटिंग कर रहे हैं और सभी देशों को कांफिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे यह देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपकी पॉलिसीज करप्ट पॉलिसीज नहीं रहेंगी, अगर आप सरकारी नीतियों पर कांफिडेंस क्रिएट करेंगे, सरकार पर क्रेडिबिल्टी रहेगी, तो वे लोग हमारे पीछे दौडेंगे, हम लोगों को उनके पीछे दौड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।

अपराह्न 4.59 बजे

[**श्री सतपाल महाराज** *पीठासीन हुए*]

अपने देश में सब कुछ है, सिर्फ पॉलिसी की वजह से इतनी डिफकल्टीज हो गयी है। आज के दिन करेंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट देखिए, इंडस्ट्री की ग्रोथ डाउन हो रही है, सर्विस सेक्टर अफेक्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर ग्रोथ डाउन हो रही है, फिस्कल डेफिसिट के बारे में बहुत बार प्रॉमिस करने के बाद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ रहा है, कंज्यूमर इंडेक्स और अनइम्प्लायमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यह सब होने की वजह से जीडीपी भी बहुत कम है। अभी 4.8 प्रतिशत या पांच प्रतिशत जीडीपी की ग्रोथ है। हमारे देश में वर्ष 1995 में रिफामर्स ओपन करने के 18 साल बाद भी देश को आगे उस दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, उसी वजह से आज इतनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप देखें, अपने देश में मेजर प्रॉब्लम करप्शन है। यूपीए सरकार आने के बाद करप्शन की वजह से देश में इनवेस्ट करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है।

अपराह्न 5.00 बजे

आज करप्शन की वजह से देश की आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित हो रही है और फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया हैं यह भी एक कारण है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खराब है, विकास के काम बंद पड़े हुए हैं। सरकार की नीतियों की वजह से विदेशी निवेश नहीं आ रहा है। अगर देखें तो आप एफडीआई और एफआईआई को लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार टेलीकॉम सेक्टर में, रिटेल सेक्टर में और अन्य सेक्टर्स में विदेशी निवेश के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन बाहर के लोग नहीं आ रहे हैं। बाहरी लोगों के अपने देश में निवेश करने की बात तो छोड़िए, भारत के ही उद्योगपति बाहर जाकर बिजनेस कर रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि आपकी नीतियां ठीक नहीं हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्यों ऐसा हो रहा है।

जब से हमारा देश आजाद हुआ, आप देखें कि 2004 तक हमारा कुल ऋण 21 लाख 43 हजार करोड़ रुपये था। लेकिन पिछले नौ साल में यह बढ़कर 50 लाख हजार करोड़ रुपये हो गया। एक तरफ इतना ऋण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप कोई एसेट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, देश में एसेट क्रिएशन के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सन! 2004-2005 फिस्कल डेफिसिट 4.2 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 5.13 प्रतिशत हो गया है। इसी तरह 2004-2005 में एक यूएस डॉलर की कीमत लगभग 45 रुपये थी, जो आज बढ़कर 66 रुपये के करीब हो गई है। यह सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है।

सभापति महोदय: कृपया अपन भाषण समाप्त करें।

श्री नामा नागेश्वर राव: सभापति जी मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। अभी सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने से उसकी कीमत काफी बढ़ गई है। दक्षिण भारत में अगर किसी को अपनी लड़की की शादी करनी होता है तो एक पवित्र मंगल सूत्र भी खरीदने की स्थिति में उसके पिता नहीं हैं। सोने पर जो आयात शुल्क इतना बढ़ाया गया है, उसके वैकल्पिक उपाय के बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। इसलिए देश की खराब आर्थिक व्यवस्था और किसानों की खराब स्थिति को सुधारने के लिए सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत करके आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है।

श्री संजय सिंह चौहान (बिजनौर): सभापति जी, इस देश के महान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा थ कि अगर राष्ट्र को सबल बनाना है तो सबको पुरुषार्थी बनाना होगा। यहां पर काफी आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मेरा कहना यह है कि सभी दल कभी न कभी सरकार में और विपक्ष में भी रहे हैं। एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

आज हम एक बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। देश में सब्सिडी पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, यह सबसे पहली आवश्यकता है। इसके लिए पूरा मेकेनिज्म हमारे पास है, सिर्फ नौकरशाही को

थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा कि वाकई में किसे सब्सिडी मिलनी चाहिए। मेरा अनुमान है कि सम्पन्न लोगों के पास इसका लाभ जा रहा है जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। एक विरोधाभास हमारे आंकड़ों में देखने को मिलता है। कल जब हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल पास किया तो कहा गया कि देश के 80 करोड़ लोगों को इसका फायद मिलेगा, अनाज मिलेगा। दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि हमारे देश में करीब 80 करोड़ मोबाइल कनेक्शन धारक हैं। देखा जाए तो मोबाइल एक बाद की आवश्यकता है, जो 80 करोड़ के करीब लोग हासिल किए हुए हैं।

सभापति महोदयः कृपया संक्षेप में अपना भाषण समापत करें।

श्री संजय सिंह चौहानः मैं दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। देश के नौजवान बहुत परेशान हैं लोन लेकर मुश्किल से शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन रोजगार का अवसर उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

दूसरी बात यह है कि हम ईएमआई के जाल में फंसे हुए हैं और जो सम्पन्नता हमें दिखाई दे रही है सारा मिडिल-क्लॉस कर्ज में फंसा हुआ है। लोन पर हम गाड़ी ले लेते हैं, जिससे हम कर्ज के मकड़जाल में फंस गये हैं, उससे हमें निकलना पड़ेगा। मीडिया और ज्युडिशरी को भी मैं शामिल करना चाहता हूं क्योंकि एक नकारात्मक माहौल देश के अंदर बना दिया गया है। अगर कहीं बलात्कार होता है तो ऐसा लगता है कि केन्द्र के गृह मंत्री उसमें दोषी हैं। अमेरीका में 20 लोगों की हत्या कर दी जाती है लेकिन ओबामा को कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि कोई सिरफिरा आया और गोली चलाकर चला गया। कोई ओबामा की गलती नहीं बताता है। एक नकारत्मक माहौल आज देश में बन गया है जिससे पर्यटकों का आना यहां बंद हो गया है। दिल्ली कांड का प्रचार जिस तरह से हुआ उससे 25 प्रतिशत विदेशी यहां आने से कतराने लगे हैं। कोल आवंटन की वजह से बाहर से लगातार कोयला मंगाने में हमारी विदेशी मुद्रा खर्च हो रही है। जल्दी से जल्दी ऐसे मामलों के निपटारे होने चाहिए। क्या हम पूरी शक्ति से, पूरे मैकेनिज्म लगाकर देश के पेट्रोलियम पदार्थो का दोहन करने में सफल हो रहे हैं? हमें इस ओर ज्यादा से ज्यादा कोशिशें करनी चाहिए।

[अनुवाद]

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): आदरणीय सभापति महोदय, वर्ष 2004 में जब सप्रंग सरकार सत्ता में आई थी, उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी। आम जनता सुगम जीवन जी रही थी और रोजगार का भी उतना अभाव नहीं था। मुद्रास्फीति की दर कुल 3 प्रतिशत थी और चालू खाता लाभ की स्थिति में था। वैश्विक निवेशक इस देश में निवेश करने के लिए लालाभित थे। परंतु आज स्थिति उसके उलट है।

पिछले 10 वर्षों में, देश की अर्थव्यवस्था खतरे के स्तर तक नीचे आ गई है और इस गिरावट के दौर में सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इस आर्थिक पैमाने के सभी स्तरों पर, गिरावट को महसूस किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन की दर पिछले बहुत से सालों में नकारात्मक रही। इससे रोजगार परिदृश्य भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है देश का युवा निरोश है और एक विस्फोटक स्थिति का सामना कर रहा है। उनके पास नौकरियां नहीं हैं। इसके साथ, बढ़ती मुद्रास्फीति की दर, गरीब लोगों की जिंदगी को दयनीय बना रही है। हम जानते हैं कि ऊंचे पदों पर बैठे जाने-माने अर्थशास्त्री भारत में नीतियां बनाते हैं और वे हमारे देश का कार्य की दिशा निर्धारित करते हैं। परंतु यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे अनुभवी और विद्वान व्यक्ति भी इस गंभीर संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। सरकार अपनी पूर्ण समर्थता को छुपाने में असफल रही है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सरकार ने कई समितियों का गठन किया है। लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाई है। नीतिनिर्माण केवल लोगों भुमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। जरूरी सामानों, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं परंतु सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसलिए यथाशीघ्र, इस लोक सभा को भंग किया जाये और युनाव आयोजित किए जाएं ताकि देश हित में एक नयी सरकार बन सके। इन्हीं शब्दों के साथ नियम 193 के अधीन इस चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): सभापति महोदय, आज देश की अर्थव्यवस्था काफी सोचनीय स्थिति में है और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के प्रारंभ में ही भक्त चरण दास जी ने यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई थीं और कहा कि 2.7 मिलियन लोगों को जॉब की गारंटी मिली है तथा मुद्रास्थिति के बारे में भी कहा कि मोडरेट स्तर पर है। इसके साथ और भी यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई।

महोदय, जब भारत आजाद हुआ था, उस समय रुपया और डालर, दोनों की कीमत एक थी और दोनों एक समान थे। बाद में ऐसा क्या हुआ, इतनी गलत नीतियां क्यों कि आज रुपए की कीमत डालर के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि हर बार जब पंचवर्षीय योजना बनी तो क्रमबद्ध तरीके से हमारा ध्यान उस योजना

*मूल रूप में बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पर नहीं गया। हम लोगों ने सिलसिलेवार उन पंचवर्षीय योजनाओं पर काम नहीं किया और इसी का नतीजा है कि हमारी आज यह हालत है। जून में ही आर्थिक विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे और अब अगस्त महीना चल रहा है और हमारे रुपये की कीमत लुढक कर 65 रुपये पर पहुंच गई है। आज के संकट की शुरूआज इसकी जड़े कहीं न कहीं यूपीए सरकार के प्रारम्भ के कार्यों से शुरू होती हैं। जब मनरेगा जैसी और भी कई योजनाएं शुय की गई थीं, जिसके कारण सरकारी खजाने की भयंकर बर्बादी हुई और काम के नाम पर अस्थायी ढांचा तैयार किया गया जैसे गड्ढे, तालाब खोदे गए। इस पैसे को यदि किसी आधारभूत संरचना में लगाया जाता, बेसिक इनफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाता, तो इससे मजबूत ढांचा तैयार होता और पैसे की बर्बादी भी नहीं होती। वर्ष 1991 में जब चन्द्रशेखर जी की सरकार कांग्रेस पार्टी के सहयोग से बनी थी, भाई यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री थे, मेरे पति भी उस समय सरकार क हिस्से थे। उस समय मुझे याद है कि वित्तीय हालत आज की हालत से ज्यादा खराब थी। हमारे खजाने में पैसा नीं था और हमारे पास तीन हफ्ते से ज्यादा की विदेशी मुद्रा नहीं थी जो हम सामान आयात करा सकते। उस समय हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन तब भी हालत इतनी बुरी नहीं थी क्योंकि हमार रुपया इतन कमजोर नहीं था।

सभापति महोदय: आप अपनी बात संक्षिप्त कीजिए।

श्रीमती पुतुल कुमारी: महोदय, हमारे पास गैस प्रचुर मात्रा में है, लेकिन हम उसका दोहन नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं कारपोरेट सेक्टर का बहुत दबाव है। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर एक बार कबूल कर चुके हैं कि उनक ऊपर बहुत दबाव बना रहता है। कोयला कहमारे पास प्रचुर मात्रा में है, लेकिन वह निकाला नीं जा रहा है। निर्यात का आंकड़ा कम होता जा रहा है और आयात की तादाद बढ़ती जा रही है। हम खाने की चीजें ज्यादा निर्यात नीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारे काश्तकार और जो चीजें घर में बनती हैं, उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया।

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती पुतुल कुमारी: हमने बुनकरों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे कि उनका भी जीवन स्तर सुधरता। अब जो 20 मिलियन का फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया है, उसका खजाने पर जो असर पड़ेगा, उस पैसे आप कहां से लाएंगे।

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती पुतुल कुमारी: महोदय, आप बोलने का एक मौका तो दीजिए। कल भी बोलने का मौका नहीं मिला था।

सभापति महोदय: हम आपको मौका दे रहे हैं। हमारी कामना है कि आप स्वास्थ्य लाभ करें।

श्रीमती पुतुल कुमारी: आप इतना पैसा कहां से लाएंगे बढ़ती जा रही है। छठे वेतन आयोग को आपने लागू किया। इससे कुछ लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है। जिन लोगों के लिए आपने फूड सिक्योरिटी बिल लाए हैं, उनके पास आपने सात किलो चावल, दाल और एक किलो मोटा अनाज देने से समझा कि कार्य की इतिश्री हो गई है। उनके दाल में क्या दाल या नमक की जरूरत नहीं है। प्याज भी बहुत महंगा हो गया है। आज वे प्याज खरीदने की स्थिति में भी नहीं है, उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे। दाल को आपको आयात करना पड़ेगा। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साठ हजार गांव ऐसे गिनाए थे, जिसमें दलहन की फसल सकते हैं, ताकि हमें बाहर से आयात नहीं करना पड़े और हमारा पैसा बचता। हमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। आज आम बोल चाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि आदमी अट्ठनी और खच्च रुपया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर): सभापति महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मै अपना भाषण केवल दो मिनट में पूरा कर दूंगा।

सबसे पहले, मैं यह कहना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति गंभीर और अभूतपूर्व है। हमारे देश के एक अरब से अधिक लोग जीवन में उपयोग की जाने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं की आसमान छूती कीमतों का सामना कर रहे हैं। हमारे प्रत्येक वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री ने अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार, उसको स्थिर बनाने और सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं।

परन्तु बाजार में छाई मंदी पर वित्तमंत्री, प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष की कार्यवाहियों का कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा है। इस समय अर्थव्यवस्था गंभीर और मरजासन्न स्थिति में है। आज विश्व की अर्थव्यवस्था की यही स्थिति है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कथित प्रेरक शक्ति अमरीका भी बेरोजगारी का सामना कर रहा है। उनकी जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहा है। यह देश विश्व का सबसे बड़ा ऋण लेने

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वाला देश है। मैं हमारे वित्त मंत्री की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में छाई मंदी हमारी अर्थव्यवस्था को और बदतर बना दिया है। पूर्व वित्त मंत्री ने अपने तीन बजट भाषणों में इस बात को स्वीकार नहीं किया।

मेरा यह सुझाव है कि आप कोई जादू की छड़ी घुमाकर को नहीं बचा सकते जिसने लोगों का शोषण किया है और उद्योगपतियों/एकाधिकारवादियों को अधिकतम लाभ पहुंचाया है। इस कारण से भारतीय एकाधिकारवादी विश्व के सर्वाधिक धनी लोगों के समूह में .सम्मिलित हैं परन्तु हमारी जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत भुखमरी का शिकार है। अत:, हमें एक देशव्यापी जन आंदोलन आरंभ करने की आवश्यकता है ताकि, सरकार लोकोपयोगी नीति आरंभ करने के लिए बाध्य हो। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संकट है। यह किसी समाजवादी अर्थव्यवस्था अथवा साम्यवादी अर्थव्यवस्था का संकट नहीं है। इसलिए इसे केवल सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक नीतियों में बदलाव लाकर और घरेलू लोकतान्त्रिक जन-आंदोलन के माध्यम से समाजवाद लाकर ही बचाया जा सकता है।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): महोदय, हमारे बहुत कुशल मंत्री इस कार्य को संभाल रहे हैं परन्तु यह समय अनुचित हैं काफी लोगों का यह विश्वास है कि आरबीआई के गवर्नर द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप लिए जाने जैसे लीपापोती समाधान से स्थिति में बदलाव आ सकता है।

[हिन्दी]

वास्तव में इस देश में इस सरकार के चलते जो समस्या है, वह क्रोनिक कैपिटेलिज्म है और इसका एक छोटा सा उदाहरण आप कोल माइन्स में देख लीजिए। जिस तरह से इन्होंने जिस कंपनी को कोल एलॉट किया थ, एक कोल माइन से इनका 35 साल तक कोल प्रोडक्शन चल सकता था लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 8-10 कोल माइन्स किसी एक कम्पनी को दी। हर जगह पर चर्चा चल रही है। उसमें लिख गया है कि उसमें काफी कॉगजीनिवल ऑफेंसेज कमिट कर चुके हैं लेकिन सरकार इसका नोट्स नहीं ले रही है और न ही इनमें से किसी के ऊपर चर्चा हो रही है। बाकी टेप में इररेलेवेंट चीजें बाहर रह गई हैं। लेकिन इतने बड़े देश के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। जहां तक प्रशासन की बात है, 20 मिलियन टन तो म लोग सड़ने देते हैं।

समस्या इस तरह से है कि मान लीजिए कि आपका पांच रुपये का कॉइन गिर जाता है, आपको मालूम है कि वह टेबल के नीचे है लेकिन हम यहां पर खोज रहे हैं क्योंकि यह आसान है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या मॉल गवर्नेंस है। छोटा सा उदाहरण है। अभी तो विदेशी कंपनी ने तीन अरब मिलियन डॉलर का पैसा निकाला है, यदि वह स्थिति चलती जाएगी तो जब 200 विलियन डॉलर पैसा निकालेंगे तो इस देश का क्या होगा? हम ज्यादा आपका समय नीं लेंगे लेकिन पीएसयू की स्थिति देख लीजिए कि 12 प्रतिशत पीएसयू का लोन कुछ कंपनियों को दिया गया है। लेकिन आम आदमी यदि पर्सनल लोन या एजुकेान के लिए जाता है तो आप उसको दौड़ा देते हैं। बाकी प्राइवेट बैंक्स में यह समस्या नहीं होती है। सिर्फ पीएसयू बैंक में क्यों होती है क्योंकि सरकार दबाव डालती हैं कि इसको लोन दे दीजिए। इससे यह स्पष्ट है कि इस देश में क्रोनिक कैपिटेलिज्म है। ....*(व्यवधान)* आयरन ओर का देख लीजिए। आयरन ओर का 0.4 प्रतिशत जीडीपी का योगदान था। लेकिन जब देश की लूट हो रही थी तो एनवॉयरनमेंट मिनिस्ट्री ने उस पर कोई चर्चा नहीं की और अगर ठीक ढंग से एनवॉयरनमेंट मिनिस्ट्री में रते तो आयरन ओर एक्सपोर्ट जोन हो सकता था लेकिन जिस तरह से गोवा और कर्नाटक में हुआ होगा, उसको तो हम रोक सकते थे। लेकिन रोड बनने के लिए हमारे क्षे‍ा जमशेदपुर मे ‍ पिछले दो साल से एनवॉयरनमेंटल क्लिअरेंस के लिए यह मामला पेंडिंग है। रोड क्लिअरेंस संभव नहीं हो पा रहा है। हमारे मित्र भक्त चरण दास जी ने कहा था। ....*(व्यवधान)* कल भी बोलने के लिए में समय नहीं दिया गया था। मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इंडोनेशिया में डीवैलुएशन हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, बंग्लादेश में हो रहा है। इन सभी देशों में भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ी समस्या है। अगर भारत को उनसे कम्पेयर करेंगे तो अफसोसजनक होगा।

महोदय, फाइनल प्वाइंट है, सरकार सीरियसनेस से राइट टू फूड बिल लाई अगर जीएसटी बिल भी उसी सीरियसनेस से ले आती तो कुछ हद तक सरकार अपनी इज्जत बचा सकती थी। जब चिदम्बरम जी पहले मंत्री थे तो होम मिनिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स किए। पब्लिक कहती है कि सरकार को साफ्टवेयर के बारे में जानकारी नहीं थी इसलिए सॉफ्टवेयर बच गया, टेलीकॉम की जानकारी नहीं थी इसलिए टेलीकॉम बच गया लेकिन जिस दिन जानकारी प्राप्त हुई उस दिन टेलीकॉम डूब गया। यही देश की स्थिति है। मैं अनुरोध करता हूं कि मैलगवर्नेंस और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की तरफ आइए नहीं तो वैंडेज आदि से कुछ नीं होने वाला है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): माननीय सभापति महोदय, देश की अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली चीज है। इस पर गुरुदास दासगुप्त जी और सभी विद्वान साथी बहुत देर से भाषण दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, कोई ब्रेक ही नहीं है। डॉलर की कीमत 42, 43, 45 रुपये और अब 65 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। अब आशंका है कि कहीं 70 तक न पहुंच जाए। सरकार के पास क्या

उपाय है ताकि ब्रेक लग सके और रुपए का अवमूल्यन न हो? डॉलर का दाम बढ़ता जा रहा है। एक ही विषय नहीं है कि रुपए का दाम घट रहा है और डॉलर का बढ़ रहा है। निर्यात घट रहा है, आयात घट रहा है, सोने का आयात ज्यादा बढ़ रहा है। सरकार क्या कर रही है? करंट एकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, फिसकल डेफिसिट बढ़ रहा है, जीडीपी में कमी आ रही है। महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है और भी बढ़ेगी। अब सुन रहे हैं कि डीजल का दाम पांच रुपए बढ़ने वाला है। अभी कोई जानकार आदमी बता रहा था कि पांच रुपए से कम नहीं बढ़ेगा। इससे तो महंगाई और बढ़ेगी। किसान और मरेंगे। एफडीआई घट रहा है और विदेशी निवेश घट रहा है। कृषि का बुरा हाल है, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, कहीं प्राकृतिक आपदा है। बिहार और झारखंड का इलाका पहले सुखाड़ से तबाह था अब गंगा जी में बाढ़ आ गई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के लोग कहते हैं कि यहां बाढ़ है, इन्द्र महाराज भी बिगड़े हुए हैं। कृषि का भी बुरा हाल है।

महोदय, रोजगार में कमी आ रही है। गरीबी बढ़ाने का असली जरिया बेरोजगारी है। बेकारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। जब तक बेकारी नहीं घटेगी गरीबी नहीं घटेगी। फूड सिक्योरिटी से क्या होने वाला है। किसी के पास फूड सिक्योरिटी का फूड खरीदने के दाम लायक पैसा होगा तभी तो कम दाम में खरीदेगा। इस तरह से वह भूखा मरेगा या नहीं? इस देश में पांच मूल समस्याएं हैं-जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई और पढ़ाई। इन पांचों के लिए रोजगार चाहिए। बेरोजगारी हटाई जाए, बेकारी हटाई जाए। ऐसा काम किया जाए जिससे बेरोजगारी घटे। लोगों को रोजगार मिले। स्वरोजगार नहीं दे सकते, नौकरी नीं दे सकते, स्वरोजगार नहीं मिलता है, बेईमानी है। लोग ध्यान बंटाते हैं। पढ़ाई होनी चाहिए लेकिन जहरीले खाने से मिड डे मील चलाते हैं। पढ़ाई की चर्चा क्यों नहीं होती है? पढ़ाई चौपट है। आम आदमी के बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां पढ़ाई चौपट है। प्राकृतिक आपदा से किसानों का क्या हाल होता है, गरीबों का क्या हाल होता है। मैं अर्थशास्त्री लोगों से कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कहीं 1991 की तरह न हो जाए।

श्री यशवंत सिन्हा भाषण दे रहे थे, हम उन्हें सुन नहीं सकें कि उन्होंने क्या भाषण दिया। जब वह वित्त मंत्री थे तो अपना सोना गिरवी रख आये थे, कहीं उस हालत में देश न चला जाए। इसीलिए हम सरकार से मजबूत आश्वासन चाहते हैं कि आपने क्या किया, आपने इसके लिए क्या-क्या उपचार किये हैं? वर्ष 2008 में मंदी आई, हमारे हिन्दुस्तान ने मुकाबला किया, रोजगार गारंटी कानून ने उसका मुकाबला किया। गरीब आदमियों के हाथ में पैसे आये, उसने बाजार में पैसे खर्च किये। दुनिया में मंदी चली, लेकिन हिन्दुस्तान ने 2008 की मंदी का मुकाबला कर लिया। लेकिन अभी लगता है कि हिन्दुस्तान का क्या होगा, क्या हमारे दुर्दिन आने वाले हैं? इसीलिए लोग चिंतित और परेशान हैं। सभी नेताओं ने उसी तरह के उद्गार व्यक्त किये हैं। इसलिए देश को सरकार बताये कि अभी तक देश की जो वित्तीय हालत खराब होती जा रही है, इसका क्या कारण है, इसके लिए आपने क्या उपचार किये हैं और आगे आप क्या उपचार होती जा रही है, इसका क्या कारण है, इसके लिए आपने क्या उपचार किये हैं और आगे आप क्या उपचार करेंगे, जिससे कि 1991 वाले दुर्दिन नहीं आएं कि हमारा सोना गिरवी रखा जाए और दुनिया भर में हमारी साख खराब हो जाये। इस कारण से देश से विदेशी निवेश निकाला जा रहा है, उसे लोग ले जा रहे हैं। इसी सदन में कहा गया था कि एफडीआई मंजर करिये, आप बताइये कि अब एफडीआई कहां जा रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंवैस्टमेंट कहां गया। आज एफआईआई, एफडीआई कहां चले गये। सारे फार्मूले यहां फेल हो रहे हैं।

सभापति महोदय, इसीलिए हमारा निवेदन है कि इन सब बातों के बारे में यहां सफाई दी जानी चाहिए और आपने इसका क्या उपचार किया है और आगे क्या करने वाले हैं, यह बतायें। हिन्दुस्तान में 1991 के दुर्दिन न दोहराये जाएं, इन सब बातों के लिए सभी लोगों में तथा खासकर गरीब लोगों में चिंता है कि इस समस्या का उपचार होना चाहिए।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। मेरे विचार से देश की आर्थिक स्थिति पर इस महत्वपूर्ण चर्चा में अठारह सदस्यों ने भाग लिया है।

महोदय, अगस्त 2012 में मेरे द्वारा पुनः वित्त मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किए जाने के बाद मैंने यदा-कदा बिना तैयारी के कुछ टिप्पणियों के अतिरिक्त चार वक्तव्य दिए हैं। उनमें से उत्येक वक्तव्य में मैंने इस बात पर बल दिया है कि विश्व में घटी अनेक घटनाओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां पेश हुई हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि सब कुछ ठीक है क्योंकि मैं यह जानता हूं कि विश्व में कोई भी वित्त मंत्री यह नहीं कह सकता कि सब कुछ ठीक है जी 20 में वित्त मंत्रियों की बैठक होती है, आईएमएफसी, विश्व बैंक ब्रिक्स, बैठकों में वित्त मंत्रियों की बैठकें होती हैं और आपको प्रत्येक मंच की सार्थकता एक व्यापक दृष्टिकोण से देखनी होगी।

विश्व अर्थव्यवस्था वस्तुतः चुनौतियों का सामना कर रही है। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। वस्तुतः विश्व 2008 के संकट से उबर नहीं पाया है। 2011-12 में यह संकट और बढ़ गया और विश्व के अनेक देशों में इस संकट के दूर होने के अभी संकेत नहीं हैं। हमें प्रत्येक सप्ताह प्रकाशित होने वाले 'द इकानामिस्ट' के अंतिम पृष्ठ पर दृष्टि डालनी चाहिए और आपको

उसे पढ़कर यह आश्चर्य होगा कि हमारी इन कठिनाईयों के बावजूद भारत विश्व की तेजी से विकसित हो रही शीर्ष तीन या चार अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। परन्तु मुझे यह जानकर कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हो रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था पांच प्रतिशत की दर से विकसित हो रही है। मुझे यह जानकर दु:ख होता हैं प्रधानमंत्री और मैंने बार-बार यह कहा है कि आठ प्रतिशत से कम की विकास दर भारत के लिए संतोषजनक नहीं है।

महोदय, मैंने लगभग साढ़े बारह बजे आरंभ हुई इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना है। मैंने केवल एक सदस्य, श्री सौगत राय से अपनी बात समाप्त करने के लिए कहा और मैं उनके भाषण में व्यवधान पैदा करने के लिए उनसे क्षमा चाहता हूं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): कोई बात नहीं। वह वित्त मंत्री हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: परन्तु, मैंने प्रत्येक सदस्य को धैर्यपूर्वक और ध्यान से सुना है। इस चर्चा के अंत में देश हमसे किस कार्यवाही की आशा करता है? देश हमसे वह सब व्यक्त करने की आशा करता है जो हम आगामी कुछ सप्ताह, आगामी कुछ माह में करने जा रहे हैं और हम जो भी करेंगे क्या उस पर कोई व्यापक सहमति बनेगी। कटु सत्य यह है कि इस संबंध में कोई सहमति नहीं है। मैं पूर्व सम्मान और जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूं कि हमें स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। हम क्या कार्यवाही करेंगे इस संबंध में कोई सहमति नहीं है। आपको केवल मुख्य वक्ता श्री गुरुदास दासगुप्त और वाम दलों के कुछ अन्य नेताओं और कांग्रेस पार्टी तथा मुख्य विपक्षी दल के कुछ सदस्यों के भाषणों का विरोध करना होगा।

यदि संसद वह दिशा नहीं निर्धारित कर सकती जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है और यदि संसद में इस बात पर सहमति नहीं है कि आज, भाज से छ: माह बाद या एक वर्ष बाद सरकार को कौन से 10 महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं तो इससे पूरे देश में किस प्रकार का संदेश जाएगा? मैं इस संबंध में केवल अपने नंबर बनाने के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं। वस्तुत: मेरा मानना है कि स्थिति इतनी गंभीर है कि किसी को भी ऐसा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

हम निवेश की बात करते हैं। भू अर्जन जैसे मामले पर हमरे अलग-अलग विचार हैं। भू अर्जन किएबिना उद्योग किस प्रकार स्थापित किए जाएंगे? हम विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं। मैं आपको ऐसी विद्युत परियोजनाओं की सूची दे सकता हूं जहां एक या अधिाक स्थानीय आंदोलन चल रहे हैं जिनका यह कहना है "मेरे घर के निकट विद्युत संयंत्र मत लगाइए।" हम जल विद्युत की बात करते हैं। मैं ऐसी कई परियोजनाओं की सूची दे सकता हूं जो रुके हुए हैं। एक परियोजना लगभग दो वर्षों से रुकी हुई है और टर्बाइन को निर्मित बांध के पास नहीं ले जाया जा सकता। अत: मेरा मानना है कि सच्चाई यह है कि इस देश की नीति आर्थिक नीति के संबंध में बंटी हुई है। वस्तुत: इस बात को समझा जा सकता है क्योंकि, यहां विभिन्न राजनैतिक दल और अलग-अलग विचारधाराएं हैं। प्रत्येक से मेरी यह दलील है कि क्या मतभेदों के बावजूद हम देश की वर्तमान विकास दर जो कि 5 प्रतिशत है में सुधार करके देश की अर्थव्यवस्था को उसी स्तर जो कि 2004 और 2008 या तकनीकी रूप से 2003 और 2008 के बीच की स्थिति पर ले जाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही पर सहमत हो सकते हैं। मैं जब 2003 और 2008 के बीच के समय का उल्लेख करता हूं तो यह क्षमा योग्य गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जिस टीम पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया जा रहा है उसी टीम ने 2004 और 2008 के बीच भी कार्य किया था। अंतर केवल इतना है कि हमारी आयु कुछ वर्ष और बढ़ गई है। परन्तु हमारी मूल भावना वही है। मेरी मूल भावना एक सुधारवादी व्यक्ति की है। मुझे पता है कि अनेक माननीय सदस्य मेरी बात का विरोध करेंगे और मैं विरोध करने के उनके अधिकार का सम्मान करता हूं। परन्तु, मुझे विश्वास है कि आज हमें कम नहीं बल्कि अधिक सुधारों की आवश्यकता है।

अब हमें अधिक प्रतिबंध की नहीं बल्कि कम प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अब हमें बंद अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक अधिक खुली अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। मैंने इस बात को 2008-09 में कहा था। मुझे पता है कि मुख्य विपक्षी दल के सदस्यों ने गरज गरज कर कहा था कि श्री यशवंत सिन्हा ने आज क्या किया। उन्होंने ऐसा 2008-09 में भी कहा था। हम भारी बहुमत से वापस आये और वे पहले से कम सीटें जीतर आये। मेरा मानना है कि यद्यपि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं फिर भी यह सम्भव है कि एक साझो कार्यवाही, साझे कार्यक्रम तैयार किये जाएं जिनके संबंध में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं परन्तु, मौलिक रूप से हम सभी सहमत हों कि यही वह दिशा है जिस तरफ हमें जाना चाहिए।

महोदय, पिछले 12 महीनों में कई उतार-चढ़ाव हो चुके हैं। जब मैंने 1 अगस्त को कार्यभार सम्भाला, मुझे पता था कि मैं एक बहुत कठिन पिच पर काय्र करने वापस आया हूं। राजकोषीय घाटे की सीमा का उललंघन हुआ था। वास्तव में, बजट अनुमान गलत हो गया है। चालू खाते का घाटा बहुत बढ़ गया था। अन्य बहुत सी चुनौतियों के अलावा, ये दो मुख्य चुनौतियां थीं जिसका हमें सामना करना था। पिछले 12 महीनों में कई दिन ऐसे आये थे जब में काफी खुश रहा था और कई दिन ऐसे आये थे जब मैं काफी उदास रहा था। परन्तु तथ्य यह है कि अर्थव्यवस्था में कुछ स्थायित्व आया था किंतु 22 मई, 2013 को एक पूर्ण अप्रत्याशित घटना घटित हो गई।

हम तथ्यों पर ध्यान दें। अगस्त 2012 और मई 2013 के बीच रुपया असाधारण रूप से 54 से 55 के बीच स्थिर था। वास्तव में, अक्टूबर 2012 में यह 53 रुपये प्रति डालर तक ऊपर आ गया। फरवरी 2013 में यह 53 रुपये प्रति डालर तक बढ़ा। परन्तु 22 मई, 2013 को एक अप्रत्याशित घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया, प्रत्येक उभरता हुआ बाजार प्रकाशित हुआ, जब अमरीकी फोडरल रिजर्व बैंक ने घोषणा की वे क्वानटिटेटिव इसिंग से निकासी के बारे में बिचार कर रहे हैं। अमरीका अपने स्वयं के हित में कार्य करता है। हमें अपने स्वयं के हित में कार्य करना होगा। परन्तु, जब वे स्वयं के हित में कार्य करते हैं तो यह शेष विश्व पर विशेषत: उभरते बाजारों पर प्रभाव डालता है। इस तथ्य में कोई दम नहीं है कि हमारे जैसे देश प्रभावित हो रहे हैं। ब्राजील और अफ्रीका हमसे अधिक प्रभावित हुए है। ईक्विटी बाजार में, इण्डोनेशिया हमसे अधिक प्रभावित हुआ है; फिलीपींस हमसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहां तक कि मलेशिया जैसा देश जिसका चालू खाता सदैव अधिवेष में रहता है भी प्रभावित हुआ है। अत:, हमें जो करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं उसे करेंगे। हम दूसरे देशों के साथ भी कार्य कर रहे हैं ताकि जान सके कि हम एक साथ मिलकर क्या कर सकते हैं।

वास्तव में हमें इन दो चुनौतियों "राजकोषीय घाटा और चालू खाते का घाटा" का सामना करना है। हमें थोड़ा कष्ट होना परन्तु मुझे विश्वास है कि अन्त में हमारा देश और भी अधिक शक्तिसाली होकर उफरेगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों? जब मैंने कार्यभार संभाला मुझे बताया गया कि राजकोषीय घाटा विल्कुल नियंत्रण में नहीं है और यह बात सही थी। मैंने डॉ. केलकर समिति का गठन किया। राजकोषीय घाटा 6 प्रतिशत के बाहर जा रहा था यद्यपि बजट में इसे 5.1 प्रतिशत बताया गया थ। डॉ. केलकर ने कहा: "चालू वर्ष में, आपको इसे 5.2 प्रतिशत तक ही रखना है।" यह बात उन्होंने सितम्बर 2012 के महीने में कही थी और पांच महीने बाकी थे। हमने राजकोषीय घाटे को न केवल उनके स्तर से कम बनाए रखा बल्कि वास्तविक आंकड़े तो और भी बेहतर हैं यह 4.9 प्रतिशत तक घट गया। ...*(व्यवधान)*

मुझे व्यय में कमी करने के लिए कहा गया। और हमने व्यय में कटौती की भी। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के अन्य उपाय क्या हैं? एक ओर तो एक माननीय सदस्य का कहना है कि राजकोषीय घाटा एक मिथक है, अधिक खर्च करो उन्होंने तो यहां तक कहा कि 4 लाख करोड़ रुपये और खर्च कीजिए–दूसरी तरफ आप कहते हैं कि राजकोषीय घाटा नियंत्रण से बाहर हो गया है। ये दोनों वक्तव्य कैसे संगत हो सकते हैं? तत्कालिक कार्य राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना था श्री यशवंत सिन्हा जी का विश्लेषण पूर्णत: सही है। कोई भी व्यक्ति जो स्थूल अर्थव्यवस्था से परिचित है और कोई भी जो वित्त मंत्रालय में सिर्फ एक वर्ष रहता है जान जायेगा कि यदि राजकोषीय घाटा नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो मुद्रास्फीति आ जाती है।

इसके अन्य परिणाम भी होते हैं। इसीलिए, पहला कार्य, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना था और इसमें हम सफल रहे। मैं कहता हूं कि चालू वर्ष के लिए हमने 4.8 प्रतिशत की सीमा देखा खींच दी है और हम राजकोषीय घाटे को 4.8 प्रतिशत पर नियंत्रित करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग कृपया मेरी बात से सहमत हों चाहे आप मेरा समर्थन नहीं करते हैं–यही पहला कार्य है जिसे करना है। पहला कार्य जो करना है वह राजकोषीय घाटे को काम करना है। इसे 4.8 प्रतिशत पर नियंत्रित करना है, और इसे 4.8 प्रतिशत तक रखने में मैं अपनी शक्ति के अंतर्गत सब कुछ करूंगा।

दूसरा कार्य चालू खाते का घाटा है। पिछले वर्षों से पहले किसी ने चालू खाते के घाटा के बारे में नहीं बोला और बिल्कुल ठीक है। वर्ष 2000 से, उदाहरणत: वर्ष 2000 से केवल दो वर्षों को छोड़कर लगभग सभी वर्षों में हमने चालू खाते के घाटा को वित्त पोषित किया और वे दोनों वर्ष संकट के वर्ष थे।

प्रत्येक अन्य वर्ष, भारत ने हमेशा चालू खाते के घाटा को वित्त-पोषित किया है। प्रत्येक वित्त मंत्री ने आरक्षित निधि में ज्यादा या थोड़ी राशि का योगदान किया है। वर्ष 2007-08 में जब मैं वित्त मंत्री था, हमने विदेशी मुद्रा भण्डार में 92 बिलियन डालर का योगदान किया जो किसी वर्ष विदेशी मुद्रा भण्डार में डाले गए राशि में सर्वाधिक था। परन्तु पिछले कुछ वर्षों में, चालू खाते के घाटे का वित्तपोषण एक बड़ी चुनौती बन गई है। जब मैंने आपको टोका तो मैंने ए आंकड़े दिये थे। 2011-12 में हमने चालू खाते के घाटे का वित्त पोषण नहीं किया। वह यूरो-जोन संकट का वर्ष था। परन्तु 2012-13 में, 88 विलियन डालर के भारी चालू खाते के घाटे के साथ पिछले वर्ष के 78 विलियन डालकर के विरूद्ध हमने केवल चालू खाते के घाटे का वित्त पोषण ही नहीं किया बल्कि विदेशी मुद्रा भण्डार में 3.8 विलियन डालर भी जोडे। और इसीलिए, मैं अपना दूसरा कदम उठाना चाहता हूं। यदि आप मुझसे सहमत नहीं हैं, कृपया मेरे तर्क का समर्थन कीजिए कि यह बिल्कुल आवश्यक है। हम चालू खाते के घाटे को इस वर्ष 70 बिलियन डालर या इससे कम पर ही रखेंगे और हम इसे पूर्णत: और सुरक्षित तरीके से वित्तपोषित करेंगे। ...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय: जीडीपी के कितने प्रतिशत पर? ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: यह संख्या यहां पूर्णत: तर्कसंगत है क्योंकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह डिनामिनेटर पर निर्भर करेगा, परन्तु 70 विलियन डालर एक ऐसी संख्या है जिसे दुनिया समझती है।

गतवर्ष, हमारे पास 88 बिलियन डॉलर थे। अतः मैं हर अवसर पर विश्व को यह बता रहा हूं कि हम इस वर्ष चालू खाते के घाटे को 70 बिलियन डॉलर तक सीमित रखेंगे और हम पूरी तरह और सुरक्षित रूप से उसका वित्त पोषण करेंगे। चाहे आपमें से कुछ सदस्य मुझ से सहमत न हो कि यह सही नजरिया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरा समर्थन करें क्योंकि हमें इस वर्ष इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करना है।

मेरा तीसरा कदम यह है कि हमें अपने भंडार में वृद्धि करनी होगी। महोदय, मैं श्री यशवंत सिन्हा की बात पर ध्यान देता हूं। वह जिस 2.8 बिलियन डालर के बारे में बात कर रहे हैं वह 2008 के लिए काफी होगा किन्तु हमारी आज की अर्थव्यवस्था के वित्त पोषण के संदर्भ में, यह काफी छोटी संख्या है ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): मैंने यह नहीं कहा था कि यह 2.5 बिलियन डॉलर है लेकिन मैंने यह कहा था कि यह 25 विलियन डॉलर है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: आपने 2.5 बिलियन डॉलर किस कीमत पर उठाया था? यह काफी अधिक कीमत पर उठाया गया था? चाहे जो भी हो मैं उस निर्णय पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा रहा हूं; मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। वह निर्णय उस समय की परिस्थितियों के अनुसार लिया गया था। हमें अपने भंडार में वृद्धि करनी है। हमारे पास पर्याप्त भंडार है। मैं विदेशी ऋण के सकता हूं। विदेशी ऋण अभी भी संभाला जा सकता है। हम कम कर्जदार देशों में से एक हैं। हमारा विदेशी ऋण केवल 24 प्रतिशत है। फिर आपने 172 बिलियन डॉलर क्या है? यह सरकारी कर्ज नहीं है। इसमें से अधिकांश एफआईआई का स्टॉफ है। यहां तक कि 172 बिलियन डॉलर में एफसीएनआर (बी) खाता भी शामिल है और एफसीएनआर (बी) इस देश से दूर नहीं जा रहा है। अतः मैं समझता हूं कि जब आप 172 बिलियन डॉलर का उल्लेख करते हैं तो आपको इस खंडवार उल्लेख करना चाहिए। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इसके लिए समय नीं है ...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: मुझे सरकार से यह उत्तर मिला है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: 172 बिलियन डॉलर सही संख्या है। कौन कहता है कि यह संख्या गलत है? ...*(व्यवधान)* क्या मैंने 172 बिलियन डॉलर पर कोई विवाद पैदा किया है? मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आपको इसका अलग-अलग ब्यौरा देना चाहिए और यह बताना चाहिए कि यह 172 बिलियन डॉलर का आंकड़ा कहां से आया? हम किसी अन्य दिन इस पर चर्चा करेंगे। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। किंतु हमें अपने भंडार में वृद्धि करनी है। मैं अपनी बात और आपके सुझाव पर गौर करता हूं। हमें एफडीआई, एनआरआई द्वारा निवेश, जिसमें ईसीबी द्वारा जमा राशि और बैंकिंग पूंजी के माध्यम से भंडार में वृद्धि करनी है। सभी विकल्प खुले हुए हैं किसी विकल्प से इंकार नहीं किया जा सकता है। हमें कौन-सा विकल्प अपनाना चाहिए इस पर निर्णय लेना है। मैं विनम्रता से यह निवेदन करता हूं कि सरकार यहा पर व्यक्त किए सभी विचारों को ध्यान में रखकर उचित समय पर निर्णय लेगी। किंतु हमें अपने भंडार में वृद्धि करनी चाहिए।

श्री यशवंत सिन्हा: माननीय वित्त मंत्री जी, मैं एक आश्वासन चाहता हूं कि आप कृपया सभा को यह आश्वासन दें कि आप सरकारी (सोविनअर) बोर्ड का विकल्प नहीं अपनाएंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं अभी सरकारी (सोविनअर) बॉड पर चर्चा शुरू नहीं कर सकता हूं। मेरा केवल यह कहना है कि सभी विकल्प खुले हुए हैं किस तरीके से कौन-सा विकल्प अपनाया जाएगा इसका निर्णय सरकार लेगी और यदि कुछ लोगों से सलाह लेने की आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से सलाह लेंगे। किंतु सभी विकल्प खुले हुए हैं।

श्री यशवंत सिन्हा: फिर तो हम बहुत गलत संकेत दे रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: नहीं, मैं सही संकेत दे रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं सही संकेत दे रहा हूं।

श्री यशवंत सिन्हा: अपने संपूर्ण इतिहास में इस देश ने कभी भी सरकारी (सोविनअर) बांड का विकल्प नहीं अपनाया है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि मैंने आपकी बात पर ध्यान दिया है।

महोदय, चौथे महत्वपूर्ण कदम, जिस पर हम सबको सहमत होना चाहिए, वह यह है कि हमें निवेश चक्र को पुनःजीवित करना चाहिए। हमें रूकी हुई परियोजनाओं को पुनः शुरू करना चाहिए। और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजनाओं के लिए भावी राशि संवितरण और निवेश वास्तव में हो। इस सरकार ने गत छह माह में इस पर काफी उल्लेखनीय काम किया है। निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति के गठन के बाद, हमने काफी संख्या में परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। 23 अगस्त, 2013 तक हमने 1,93,806 करोड़ रुपये के निवेश वाली 173 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी। और कल ही निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 83,772 करोड़ रुपये की अन्य 18 परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की है। हमने इस तथ्य का ध्यान रखा कि 14,48 करोड़ वाली नौ परियोजनाओं को सभी प्रकार की स्वीकृति मिली। इसके अतिरिक्त, नौ अन्य परियोजनाओं में जिन दो परियोजनाओं में डवेलपर की

गलती थी, उन्हें हमने छोड़ दिया और शेष सात परियोजनाओं के लिए हमने तारीख निर्धारित कर दी हैं। ये तारीख क्रमश: 31 अगस्त, 6 सितम्बर, 15 सितम्बर और 20 सितम्बर हैं। इनका कुछ योग 1,82,997 करोड़ रुपये हैं।

तमिल में एक कहावत है वास्तव में मैं कहावत नहीं कह रहा हूं अथवा उसका अनुवाद कर रहा हूं–तत्काल परिणाम की ऊम्मीद मत रखिए। जैसे ही हम इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे देंगे प्रमोटर को बैंक जाना होगा और संवितरण शुरू करना होगा। चूंकि परियोजना पर एक या दो साल में काम बंद रहा इसलिए उसे कामगारों, संसाधनों, मशीनरी, प्रबंधन स्टॉफ को जुटाना होगा ताकि परियोजना पर काम शुरू हो सके। हमारा यह स्पष्ट मत है कि चौथा मुख्य कदम यह होगा कि हमें सरकार को निवेश चक्र को पुन: जीवित करना होगा और इन परियोजनाओं का काम शुरू करना होगा और हम यह कर रहे हैं। हमारी एक कर्त्तव्यनिष्ठ टीम इस पर ध्यान दे रही है। हम ऐसा कर रहे हैं और हम परियोजनाओं को स्वीकृति देना जारी रखेंगे।

हमारा अगला कदम सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के सीएपीए एक्स कार्यक्रम को तेजी प्रदान करना है। सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पास काफी नकदी है। गत वर्ष मेरे पास इसके लिए केवल 6 माह थे। किंतु उस 6 माह में हमने उन्हें मजबूती से चलाया और वे अपने मूल सीएपीए एक्स कार्यक्रम का लगभग 85-90 प्रतिशत काम पूरा कर पाए। इस वर्ष हमने इसकी शुरूआत जल्दी कर दी है। हमने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि आपने जो भी पूंजी व्यय कार्यक्रम दिया है, जिसे सरकार या पीएमओ के अंतर्गत संबंधित मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गय है, को कार्यान्वित किया जाना है और सीएमडी और कार्यरत निदेशकों की कार्य-निस्पादन रेटिंग अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने सीएपीए एक्स कार्यक्रम को कितना कार्यान्वित कर पाए। यह कार्यक्रम चल रहा है। सरकारी क्षेत्र के उद्यम निवेश कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी बारीकी से निगरानी करेंगे कि यह कार्यक्रम पूरा हो जैसाकि हमने वित्त वर्ष के शुरू में परिकल्पना की थी।

हमारा छठा कदम सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूंजी प्रधान बनाना है। हमारे बैंक पूर्णत: पूंजी प्रधान हैं। किसी बैंक को धन की जरूरत नहीं है। हम बेसल-ppp मानदंडों से काफी ऊपर हैं। इसके बावजूद निवेशकों और विश्लेषकों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और पूंजी प्रदान करने की आवश्यकता है। इस वर्ष यह सभा मेरे बजट प्रस्ताव से सहमत है और उसका अनुमोदन कर दिया है कि 14,000 करोड़ रुपये की उक्त धनराशि का निवेश किया जाएगा परन्तु मुझे आशा है कि हम इससे अधिक निवेश कर सकते हैं। इसलिए मैंने कोल इंडिया लिमिटेड के लोगों से यह कहा है कि कोल इंडिया लि. का विनिवेश करके प्राप्त होने वाला प्रत्येक रुपया और इसमें भी हम एक छोटी धनराशि तक ही विनिवेश करना चाहते हैं–जो कि मूलत: दस प्रतिशत भी नहीं है, वह पूंजी के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में जाएगा। एक प्रकार की परिसंपत्ति किया जा रहा है। हम इसका उपयोग राजस्व व्यय नहीं कर रहे हैं। वस्तुत: उक्त बैंक जो कि इसके परिणामस्वरूप सुद्धढ़ बनेंगे, सीआईएल को ऋण प्रदान करेंगे। यह स्थिति सीआईएल और बैंक दोनों के लिए ही फायदेमंद है। यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में और अधिक पूंजी निवेश कर पाते हैं तो हम विश्व को एक अच्छा संदेश दे पाएंगे। यह छठा कदम है जो हमें उठाना चाहिए।

सातवां कदम जो हमें उठाना चाहिए वह यह है कि हमें अच्छे मानसून का लाभ उठाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि अनेक वक्ताओं ने यह कहा है कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। जिससे इस वर्ष कृषि उत्पादन को बढ़ाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो। अत:, मंत्रियों के समूह में हमने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उर्वरक क्षेत्र को गैस का आवंटन जारी रखा जाएगा। और गैस की एक भी इकाई को कम नहीं किया जाएगा ताकि हम अधिकतम मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन कर सकें। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि खरीफ और रबी की फसलों के लिए पूरे देश में पूरे वर्ष उर्वरकों का वितरण हो।

कृषि ऋण के बारे में आपको स्मरण होगा कि अपने बजट भाषण में मैंने यह कहा था कि 7,00,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है परन्तु, हम वर्ष बुवाई क्षेत्र में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। अत:, मैंने बैंकों को यह निर्देश दिया है कि 7,00,000 करोड़ रुपये अधिकतम सीमा नहीं है; यह एक निम्नतम सीमा है और उन्हें उतना कृषि फसल ऋण प्रदान करना चाहिए जितनी देश में किसानों को आवश्यकता हो। हम ऋण पर तीन प्रतिशत की छूट प्रदान कर रहे हैं और यह छूट इस वर्ष से न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले लोगों को उपलब्ध है अपितु, यह छूट निजी क्षेत्र के बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को भी उपलब्ध है। उन्हें भी यह छूट मिलेगी। हम कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम अच्छे मानसून का लाभ उठाएंगे। इस वर्ष बुवाई क्षेत्र 9.1 प्रतिशत अधिक है और प्रत्येक फसल के बुवाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अत:, मैं प्रार्थना कर रहा हूं और यह आशा कर रहा हूं कि हम अच्छे मानसून का लाभ उठा सकेंगे। मैं अपनी ओर से तथा कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री और सरकार की ओर से सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अच्छे मानसून का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

हमें विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आठवां कदम उठाना है। आपमें से अधिकांश ने बिल्कुल सही कहा कि हमने

अनेक कारणों से बिनिर्माण क्षेत्र को उपेक्षित रखा। मजबूत औद्योगिक क्षेत्र के बिना कोई देश एक सुदृद्ध अर्थव्यवस्था कैसे बन सकता है? एक मिलियन या उसके आस पास वाली कम जनसंख्या वाला कोई छोटा देश-विश्व में एक मिलियन से कम जनसंख्या वाले देश हैं—मत्स्यपालन या पर्यटन अथवा जुआ जैसी गतिविधियां या काले धन के लिए एक सुरक्षित स्थल जैसी गतिविधियों पर निर्भर कर सकता है परन्तु, भारत जैसा विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला देश केवल तभी एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है जब उसका विनिर्माण क्षेत्र सुदृढ़ हो।

श्री यशवंत सिन्हा जी ने पूंजी नियन्त्रण का उल्लेख किया। यह एक गंभीर मुद्दा है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह पूंजी नियंत्रण है और यदि समय हो तो मैं यह स्पष्ट करूंगा, परन्तु, ऐसे मामूली मुद्दों को क्यों उठाया जाएं अत्यधिक मंहगे फ्लैट स्क्रीन टेलीविजनों पर सीमा शुल्क लगाया जाना पूंजी नियन्त्रण नहीं है। यह सब इस खामी को दूर करना है जिसमें कोई व्यक्ति सुबह हवाई यात्रा पर देश से बाहर जाता है और शाम को अपने व्यक्तिगत सामान के रूप में दो टेलीविजन लेकर वापस आ जाता है हमारे देश में इस संबंध में व्यापक क्षमता है ... *(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा: इसकी अनुमति किसने दी है। आपने इसकी अनुमति दी है ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: नहीं, हमने इसकी अनुमति नहीं दीं यह हमेशा व्यक्तिगत सामान का हिस्सा रहा है। हमारे देश में टेलीविजन बनाने की व्यापक विनिर्माण क्षमता है। ऐसा अनुमान है कि व्यक्तिगत सामान के रूप में मिलियन टेलीविजन देश में आ रहे हैं। हम केवल यह कह रहे हैं आप उन्हें व्यक्तिगत सामान के रूप में लाइए इससे हमें कोई परेशानी नहीं है परन्तु, आपको शुल्क अदा करना होगा। इसमें क्या गलत है? इसका प्रयोजन हमारे देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यदि एक मिलियन टीवी बाहर से देश में नहीं आते हैं तो एक मिलियन टीवी का निर्माण हम देश में किया जाएगा। यही मुख्य मुद्दा है। महत्वपूर्ण तर्क को आधारहीन तर्क के साथ मत जोड़िए। आपका पहला तर्क महत्वपूर्ण था परन्तु दूसरा तर्क महत्वहीन था।

हमें विशेष रूप से विद्युत, इस्पात, धातु, आटोमोबाइल, इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और वस्त्र क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देना चाहिए। मैं ऐसा किसलिए कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में 20 प्रमुख आयातों पर दृष्टि डालिए। यदि आप आयात की जाने वाली 20 प्रमुख वस्तुओं पर दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि हम ऐसी वस्तुओं का आयात कर रहे हैं जिनका आयात हमें नहीं करना चाहिए। आपका कहना सही है। हम कोयले का आयात क्यों करें? हमारे पास 200 वर्ष तक के लिए कोयले के भंडार मौजूद हैं। हमें तेल का आयात करना पड़ता है और मैं यह मानता हूं क्योंकि हमारे पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं हैं इसलिए हमें उसका आयात करना पड़ता है परन्तु, हम अलग से उस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं, परन्तु, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का निर्माण यहां अपने देश में करने के बजाय हम इतनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का आयात क्यों करते हैं?

वस्तुत: यदि आप उन देशों की यात्रा करें तो आपको पता चलेगा कि भारतीय लोग ही वहां इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का निर्माण कर रहे हैं। भारतीय इंजीनियर और भारतीय डिजाइनर ही वहां इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर बना रहे हैं। यदि आप देश में आपात की जाने वाली 20 प्रमुख वस्तुओं पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिनका निर्माण भारत में होना चाहिए। हमें विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा और इसलिए, इस संबंध में हर कदम उठाया जाना चाहिए और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे और मेरी सूची में यह आठवीं मद है।

निर्यात को बढ़ावा देना मेरी सूची में नौंवी मद है। चालू खाता धारा क्या है? यह हमारे द्वारा अर्जित डालर और व्यय किए जाने वाले डॉलर के बीच का अंतर है। मैं सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा के लिए डालर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। यह यूरो या कोई अन्य विदेशी मुद्रा हो सकती है। यदि आप अर्जित किए गए डालर से अधिक व्यय करते हैं तो इस अंतर को चालू खाता घाटा कहते हैं इस संबंध में क्या किया जा सकता है? आपको इस अंतर को पाटना होगा। निर्यात को बढ़ावा देना ऐसा करने का सबसे अच्छा और टिकाऊ तरीका है। वाजिज्य मंत्री ने अप्रैल माह या उसके आस-पास संशोधित व्यापार नीति की घोषणा की है। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। जैसा कि प्रो. सौगत रॉय ने पूछा है कि क्या इसके कुछ सकारात्मक संकेत आ रहे है तो मैं सकारात्मक संकेत शब्द का इस्तेमाल किए बिना यह कहना चाहता हूं कि इस संबंध में मैं आशा की किरण देख रहा हूं। सबसे पहले, जुलाई 2012 की तुलना में जुलाई 2013 में निर्यात 11.7 प्रतिशत बढ़ा है; दूसरा, व्यापार घाटा जून और जुलाई में प्रत्येक माह में 12. 3 बिलियन अमरीकी डॉलर तक कम हुआ है, तीसरा, अप्रैल 2013 से हर महीने निबल सेवा निर्यात बढ़ा है; चौथा, इस साल की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल-मई-जून, में एफडीआई निवेश 9.14 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जोकि पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 70 प्रतिशत अधिक है। इसलिए, मुझे लगता है कि कुछ उपायों के परिणाम आने शुरू हो गए हैं, परंतु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस समय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह कैड़ को कम करने का

सही और स्थायी तरीका है। अन्य उपाय अस्थायी या लघु आवधिक है। निर्यात को प्रोत्साहन देना एक स्थायी और दीघाविधि उपाय है। जो कुछ भी हम इस देश में उत्पादित कर सकते हैं उसके निर्यात में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

मुझे लगता है कि अंतिम मद्दे का उल्लेख श्री इलेंगोवेन ने किया था। हमें रास्ता ढूंढना होगा और मुझे नहीं पता कि इस मुद्दे को कैसे व्यक्त करूं। मैंने इसे बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से, और बहुत झिझक के साथ किया है। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा, और मैं आप सभी से कोयला क्षेत्र, लौह-अयस्क क्षेत्र, पर्यावरण स्वीकृति और भूमि अधिग्रहण में गतिरोध का समाधान करने का तरीका ढूंढने का अनुरोध करता हूं, जो न्यायिक हस्तक्षेप के कारण उत्पन्न हुआ है। हमें इस गतिरोध को दूर करना होगा। ...*(व्यवधान)*

सायं 6.00 बजे

श्री भर्तहरि महताब (कटक): आपकी तरफ से बोलने वाले सदस्य से पूछिए।

श्री पी. चिदम्बरम: हमें इस गतिरोध को दूर करना होगा। प्रो. सौगत राय ने जो भी कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। हां, यदि उसमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं अथवा आवंटित किए गए ब्लॉकों में से कुछ अवैध रूप से आवंटित हुए हैं, कृपया उनकी जांच करें, लेकिन नये ब्लॉकों की नीलामी को क्यों रोका जा रहा है? यदि किसी लौह अयस्क खान के आवंटन में कुछ अनियमितता हुई है तो उसकी जांच करेंट परंतु उस गोवा और बेल्लारी में पड़े मिलियन टन लौह अयस्क का क्या होगा जिसका निर्यात किया जाना है?

भूमि अधिग्रहण के बारे में, हां, यदि आप अधिक प्रतिकर देना चाहते हैं, तो दीजिए। परंतु बिना भूमि के आप इस देश में उद्योग कैसे लगाओगे? पर्यावरणीय स्वीकृतियों के बारे में, प्रत्येक चरण पर हरेक स्वीकृति क लिए सरकार को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति और उच्चतम न्यायालय की पीठ के पास जाना पड़ता है। हमें प्रत्येक स्वीकृति के लिए उनके पास जाना पड़ता है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय: उससे पार पाने के लिए विधान लाईये।

सभापति महोदय: मैंने यह बहुत ही सावधानीपूर्वक कहा है। मैं उच्चतम न्यायालय का बहुत सम्मान करता हूं।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिये। माननीय सदस्यगण, अभी छह बजे हैं। यदि सभा की सहमति हो, तो वित्त मंत्री के उत्तर और 'शून्य काल' के मामलों के निपटान तक सभा की अवधि को बढ़ा दिया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, सेबी विधेयक का भी निपटान किया जाना है। यह एक छोटा विधेयक है।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया सहयोग दीजिए।

श्री यशवंत सिन्हा: वह अनुरोध कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया, मैं अपना उत्तर पूरा कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): माननीय चिदम्बर जी क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं?

श्री पी. चिदम्बरम: किस संबंध में?

श्री गुरुदास दासगुप्त: आपने अपनी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध कर दिया है।

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया मेरे उत्तर पूरा होने तक प्रतीक्षा करें।

सभापति महोदय: कृपया मंत्री को टोकिए मत।

श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या आप अपने भाषण के अंत में मुझे उत्तर देंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: पहले मैं अपना उत्तर पूरा करूंगा। कृपया बैठ जाइए।

हमें इस गतिरोध के समाधान का तरीका ढूंढना होगा। यह ऐसा गतिरोध है जो भविष्य में किसी भी सरकार को प्रभावित करेगा। हमें कोई तरीका ढूंढना दी होगा। हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना ही होगा जिसके तहत हम उच्चतम न्यायालय भी सम्मान करें उच्चतम न्यायाल के प्राधिकार को माने, परंतु साथ-साथ ही हम संसद और कार्यकारी सरकार के प्राधिकार को मानें।

महोदय, मुझे लगता है कि मतभेदों वैचारिक मतभेदों, राजनीतिक मतभेदों के बावजूद यदि हम सभी सहमत हो सके कि ये दस कदम ऐसे हैं जिन्हें उठाया जाना चाहिये तो मैं, सरकार की ओर से, वचन देता हूं कि इन दस कदमों को उठाने के हम हर संभव प्रयास करेंगे। मैं दूसरे मुद्दों के बारे में बात नदी कर रहा हूं, दूसरे बहुत से मुद्दे हैं—मगर हम सहनशील हैं, हम धर्मवान हैं, हम दृढ़ हैं, हमारा मत स्पष्ट है, हम निवेशक समुदाय, विश्लेषक समुदाय और लोगों से सही प्रकार से संपर्क करते हैं, मुझे विश्वास है कि एक बार यदि हम यह दस कदम उठा लें तो अर्थव्यवस्था

में सुधार आना शुरू होगा और हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में सक्षम होंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्तः क्या मैं माननीय मंत्री से एक स्पष्टीकरण ले सकता हूं।

सभापति महोदयः कृपया एक ही प्रश्न पूछिए।

श्री गुरुदास दासगुप्तः मैं उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहा था। सुक्ष्म प्रबंधन के बारे में उन्होंने वही बोला जिस तरह से इसका कार्यान्वयन वह चाहते हैं। मैंने बहुत से मूलभूत प्रश्न उठाए हैं। मैं उन सभी का जिक्र नहीं करना चाहता। देश के सामने मूल प्रश्न यह है कि सरकार के हाथों में और अधिक संसाधन होने चाहिए। अधिक संसाधन और अधिक राजस्व होना चाहिए। उसके बारे में सरकार का क्या कहना है? यह एक प्रश्न है। दूसरा, मैंने मंत्री जी का ध्यान दूसरे तथ्य की ओर आकृष्ट किया है कि पूरे परिदृश्य में, दो महत्वपूर्ण चीजें उपस्थित हैं, जो कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी/रोजगार निर्माण हैं। उसकी तरफ क्या ध्यान दिया जा रहा है? तीसरा, मैंने उनके सामने एक मौलिक मुद्दा रखा है कि कुल कर राजस्व कुल छूट और कुल गैरभुगतान कर से कम हो रहा है। वह बैंक से बात कर रहे हैं। वित्त संबंधी स्थायी समिति में हम एक साथ रहे हैं। ज्यादातर बैंक किसानों को सीधे तौर पर ऋण देने की सांविधिक बाध्यता का पालन नहीं कर रहे हैं। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है?

श्री पी. चिदम्बरमः हम दूसरी चर्चा को शुरू नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री पी. चिदम्बरमः माननीय सदस्य, आपने अपनी बात रख दी।

श्री गुरुदास दासगुप्तः अपने इसे अनदेखा कर दिया है।

श्री पी. चिदम्बरमः मैंने कुछ अनदेखा नहीं किया है।

महोदय, बजट का प्रावधान है। बजट में प्रक्कलित राजस्व होता है। लगातार यह प्रश्न पूछा गया है, "क्या कर में छूट फोरगोन दी जा रही है? यहां, कम से कम, दो वित्त मंत्री उपस्थित हैं। पूर्व-वित्त मंत्री जी दूसरी तरफ बैठे हैं। मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है। फोरगोन का अर्थ कुछ और नहीं है बल्कि यह संसद द्वारा आयकर अधिनियम, अथवा सीमा शुल्क नियम में संशोधन करके अथवा इसके लिए प्रावधान करके सावधानीपूर्वक दी गई कर रियायत हैं। संसद ही इन परिवर्तनों को अनुमति देती है। मुझे हर सप्ताह किसी संसद सदस्य अथवा किसी श्रेत्र की ओर से संसद सदस्यों के समूह की ओर प्रतिवेदन प्राप्त होता है कि कृपया इस श्रेत्र पर शुल्क में कमी कर दीजिए, कृपया इस क्षेत्र को छूट प्रदान कर दें, कृपया यहां सेवा कर में कमी कर दें आदि-आदि।

अब, कर माफी क्या है? यदि अनुसूची में दर 10 प्रतिशत है और यदि आप उस क्षेत्र या उस कर को माफ कर देते हैं तो वह 10 प्रतिशत कर माफी के कालम में जुड़ जाता है। यदि निर्धारित कर 10 प्रतिशत है और आप कहते हैं कि मैं आपको दो प्रतिशत की छूट दे रहा हूं तो कर आठ प्रतिशत है जबकि दो प्रतिशत कर माफी के कालम में चला गया। इसलिए, कर माफी एक ऐसी चीज नहीं है जिसे कार्यकारी सरकार वितरित करती है यद्यपि यह एक उदारता है। कर माफी विधायी परिवर्तन के प्रभाव की एक गणना है जिसे संसद ने आयकर अधिनियम या सीमाशुल्क विज्ञप्ति या उत्पाद शुल्क विज्ञप्ति के जारी कर अनुमोदिन प्रदान किया है। अतः, वह एक अलग मुद्दा है।

मैं सभी प्रकार के करों में छूट को कम करने के पक्ष में हूं। वास्तव में, डीटीसी ने बहुत सी एक्सटेंशस को कम कर दिया है। परन्तु, पिछले दो वर्षों के विचार-विमर्श में छूटों में से कई डीटीसी में वापस आ गये हैं क्योंकि सांसदों का एक समूह हमेशा रहा है जो अधिकारपूर्वक और वैधानिक रूप से निवेदन करता है कि यह छूट अवश्य दी जानी चाहिए। इसीलिए, मैं नहीं समझता कि हमें करमाफी को एक ऐसे चीज के रूप में नहीं पढ़ना चाहिये जिसे सरकार ने दे दिया है। हमारे पास कर एकत्र करने के लिए एक बजट है और हम उन करों को एकत्र करने हेतु हर प्रकार के प्रयास करेंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्तः माननीय मंत्री जी ने इस बात से इन्कार नहीं किया कि यह एक अत्यावश्यक मुद्दा है। उन्होंने मूलय वृद्धि के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। उन्होंने मुद्रा स्फीति के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है।

सायं 6.09 बजे

भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2003 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013

[अनुवाद]

सभापति महोदयः अब यदि सभा सहमत होती है तो हम मद संख्या 23 और 24 को एक साथ लेंगे।

अनेक माननीय सदस्य: हम सहमत हैं।

सभापति महोदय: शेख सैदुल हक संकल्प प्रस्तुत करें।

शेख सैदुल हक (वर्धमान दुर्गापुर): मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 मर्, 2013 को प्रख्यापित भारतीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 के संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि भाततीय प्रत्याभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और आगे संशोधन करने हेतु विधेयक पर विचार किया जाय।"

मेरे पास एक संक्षिप्त लिखित भाषण है, में इसे नहीं पढ़ूंगा। बात बहुत सरल है। यह अधिनियम जैसा आज है, एसएटी का पीठासीन अधिकारी केवल सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश या एक उच्च न्यायालय का वर्तमान या अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है। यह पद 29 नवम्बर, 2011 को खाली हो गया। उसके बाद, मेरे पूर्वाधिकारी और मैंने भारत के मुख्य न्यायाधीश को समझाने की बहुत कोशिश की कि एक ऐसा न्यायाधीश ढूढें जो एक पीठासीन अधिकारी बनने के लिए इस अर्हता को पूरा करता हो। उन्होंने सभी प्रयास किया। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्ति न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का एक वर्तमान या अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश नहीं मिल सका, जो मुंबई में इस कार्य को करने का इच्छुक हो।

इसीलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने हमसे कहा कि कृपया अधिनियम में संशोधन कीजिए और एक अतिरिक्त अवयव जोड़ दीजिए- उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश। इसलिए, हमें एक अध्यादेश प्रख्यापित करना है। अब उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय एक वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश भी उपस्थित रहेगा। यदि हमें श्रेणी 1 या श्रेणी 2 से कोई नहीं मिल सकता तो हमें श्रेणी 3 से किसी को ढूढ़ना होगा।

जब अध्यादेश प्रख्यापित हो जायेगा, यह कानून बन जायेगा। वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्यायाधीश का चयन कर भी लिया है। उन्होंने एसएटी में पदभार ग्रहण कर दिया है। वह अब पीठासीन अधिकारी हैं। न्यायाधिकरण कार्य कर रहा है। इसीलिए यह एक बहुत सरल संशोधन है। सेबी पर सभी चर्चाएं दूसरे विधेयक में हो सकती है। दूसरा बिल एक व्यापक विधेयक है जो परसों या उसके आस-पास प्रस्तुत किया जायेगा। सभी चर्चाएं उस विधेयक पर की जा सकती हैं। कृपया इस छोटे बदलाव को अनुमोदित कीजिए और इस अध्यादेश पर चर्चा को समाप्त कीजिए।

शेख सैदुल हक: धन्यवाद। पहला अध्यादेश 21 जनवरी को प्रख्यापित हुआ था, जो एसएटी के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए अर्हता मापदण्ड में विस्तार हेतु अधिसूचित किया गया था। पहला अध्यादेश मार्च 2013 में राज्य सभा में पारित हुआ था। जब लोक सभा का सत्र चल रहा था। उस समय इसे लोक सभा में भी पारित किया जा सकता था। परन्तु ऐसा नहीं हुआ। अध्यादेश व्यपगत हो गया और यही कारण है कि 29 मई 2013 को दूसरा अध्यादेश लाया गया। वहां इतनी शीघ्रता क्यों थी? सरकार को अध्यादेश प्रख्यापित किए बिना ही विधेयक लाना चाहिए था और इस पर सभा में चर्चा करनी चाहिए थी। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि यह अध्यादेश लाने से पीठासीन अधिकारी का पद भर दिया गया? शायद नहीं। यह पद 29 नवम्बर 2011 से ही खाली है। अध्यादेश का रास्ता अपनाने का अर्थ है कि सरकार अत्यावश्यकता बोध वक्त कर रही है। क्या यहां ऐसा है?

अब हम विधेयक पर आते हैं। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि संशोधन सरक प्रतीत होता है परन्तु एसएटी के अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु अर्हता में परिवर्तन के संबंध में अधिनियम की धारा 15 में संशोधन आसान नहीं है। चूंकि यह सेवी से संबंधित है अत: यह एक बड़ा मुद्दा है। सेबी भारत के प्रत्याभूति बाजार का नियामक है। शेयर बाजार हमारी अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है। एक आईआई और एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) अधिकाधिक मात्रा में शेयर बाजार में आ रहे हैं। सेबी एक नियंत्रक सत्ता है। परन्तु सेबी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है। सरकार को सेबी [अन्दरूनी व्यापार प्रतिषेध (प्रोहिविथा ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग]) विनियम, 1992 की समीक्षा हेतु एक अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करना होगा।

कुछ महीने पहले सेबी के अध्यक्ष ने कहा था कि वे छोटे निवेशकों के हित की रक्षा करना चाहते हैं। परन्तु प. बंगाल के शारदा ग्रुप था सहारा परिवार चा रिलायंस के मामले में हमारा क्या अनुभव है? शारदा समूह ने अपनी खोखली योजनाओं के माध्यम से भारी मात्रा में धनराशि एकत्र तो की किंतु असफल हो गया इससे केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि असम, आडिशा, झारखण्ड जैसे पूर्वी भारत के राज्यों में भी गंभीर वित्तीय और सामाजिक संकट उत्पन्न हुआ। यह अब स्पष्ट हो चुका है कि कई उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसमें मंत्री, संसद सदस्य शामिल हैं इस प्रकार की कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें बोलने दीजिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

शेख सैदुल हक: शारदा और कुछ अन्य कंपनियों ने शेयर और डिबेन्चर के रूप में लोगों से धन जुटाया था और उसके पश्चात् विभिन्न उद्यमों, जिसमें रीयल एस्टेट, होटलों, टीवी चैनलों, समाचार पत्रों, मनोरंजन संबंधी व्यापार इत्यादि शामिल हैं, में धन का निवेश किया था।

सभापति महोदय: कृपया विषय पर बात करें!

शेख सैदुल हक: इसमें उच्च लाभ का वादा किया गया था। बाद में उन्होंने जनता को धोखा दिया। शारदा जैसी इन कंपनियों को सेबी का अनुमोदन प्राप्त की और सेबी के दिशानिर्देश को माने के लिए नाध्य हैं। यदि दिशानिर्देशों का उल्लंघन होता है तो सेबी कार्यवाही कर सकती है। सेबी नोडल केन्द्रीय अभिकरण है और 2012 में सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही के निर्णय में स्पष्ट रूप से सेबी को निदेश दिया गया है कि आवश्यक कार्यवाही हेतु एक अभिकरण बने।

सायं 6.13 बजे

[**श्री जगदम्बिका पाल** *पीठासीन* हुए]

हमने शारदा मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी क्योंकि शारदा समूह द्वारा की गई इस व्यापक शोखाधड़ी में कई राज्य प्रभावित हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे विभिन्न स्वरूप के अवैध अंतरणों सहित सम्पत्तियों की समग्र सूची में उपयुक्त व्यापक जांच के लिए, तत्वकाल शारदा मामले में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के साथ मिलकर स्वत: कार्यवाही करने हेतु सेबी को अनुदेश दें।

सौर ऊर्जा में संदिग्ध निवेश के रूप में केरल में वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगा है। परन्तु ऐबी अपनी अनिवार्य भूमिका को नहीं निभा पा रही है। उन्होंने ऐसी कंपनियों की सूची बनाई है, परन्तु वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। केवल सेबी के ऊपर ही आरोप नहीं है। यहां सरकार को भी भूमिका निभानी है। सेबी को सरकार का समर्थन अधिक सतत, इसे अधिक शक्ति प्रदान करने का होना चाहिए।

'द इकॉनामिक टाइम्स' में हाल के साक्षात्कार में, सेवी के अध्यक्ष ने कहा कि यदि हम कोई अभिलेख मांगते हैं या कोई पत्र जब्त करना चाहते हैं, बैंक खातों पर रोक लगाना हैं, तब हमारे पास ऐसी शक्तियां नहीं होती हैं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है। कि यह एक व्यापक विधेयक नहीं है। आपको परसों उचित अवसर प्राप्त होगा जब हम अगले सेबी विधेयक पर चर्चा करेंगे।

शेख सैदुल हक: प्रधानमंत्री जी ने मुंबई में सबी के रजत जयंती समारोह पर बोलते हुए आश्वासन दिया था कि सरकार इस नियामक की प्रवर्तनकारी शक्तियों को मजबूत करेगी। परन्तु सही अर्थों में ऐसा नहीं हुआ। क्या सरकार के पास शारदा, सहारा और रिलायंस जेसे धोखेबाज, अपराधकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए इच्छाशक्ति है?

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें; आपने अपनी बात कह दी है।

शेख सैदुल हक: पिछले दो वर्ष के दौरान एक से अधिक मामले में, उच्चतम न्यायालय ने सेबी द्वारा मामलों में कार्यवाही करने के तरीके पर असंतोष व्यक्त किया था, कुछ विभाग, विशेषत: वित्त विभाग इस प्रकार के मामले में हस्तक्षेप करता रहा है।

इसके अतिरिक्त यह भी पता चला है कि डॉ. के एम. अब्राहम, सेबी के तत्कालीन पूर्णकालिक सदस्य ने सेबी की तकलीफ के बारे में प्रधानमंत्री जी को यह लिखा था कि संस्था दबाब और शक्तिशाली व्यापारिक घराने सेबी को कमजोर करने क लिए कपटपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने अपनी बात कह दी है। श्री शिशिकांत दुबे।

शेख सैदुल हक: इस प्रकार, इस अधिकरण और इसके पीठासीन अधिकारी तथा सदस्यों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण बन गई है। हमें यहां ऐसे लोग चाहिए जिनपर कोई शक न हो। छोटे निवेशकों के हित की रक्षा की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आपने अपनी बात कह दी है। श्री निक्षिकांत दुबे।

*...(व्यवधान)**

शेख सैदुल हक: मुझे अपनी बात पूरा करने दें। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ: "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 29 मई, 2013 को प्रख्यापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2013 (2013 का संख्यांक 5) का निसुमोदन करती है।"

"कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1982 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय: राज्यमंत्री साहब, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है, जब अगला विधेयक आयेगा तब हम उस पर चर्चा करेंगे। यहां आम सहमति थी कि इस विधेयक को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया जाए। यदि सही सहमत हैं, तो मैं समझता हूं कि हम इसे बिना चर्चा किए ही पारित कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

कृपया मेरी बात सुनिये। सेबी के संबंध में एक दूसरा विधेयक भी है। दोनों विधेयक सूचीबद्ध थे और इस बात पर सहमति हुई थी कि इसे बिना चर्चा के ही पारित कर दिया जायेगा। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहता है तो कृपया अध्यक्ष पीठ को संबोधित करे।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: आप पहले मेरी बात क्यों नहीं सुनते है? दो विधेयक एक के बाद सूचीबद्ध हुए थे और दोनों सेबी अध्यादेश हैं। ऐसा कहा गया था कि हम पहले अध्यादेश को बिना चर्चा पर किए पारित कर देंगे और अगले विधेयक पर पूरी चर्चा होगी। *...(व्यवधान)* वह विधेयक चर्चा के लिए आ रहा है। .. *.(व्यवधान)* इस विधेयक को पारित होने दें और उसके बाद अगले विधेयक पर पूरी चर्चा की जा सकती है। *...(व्यवधान)*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी को गलत सूचना मिली है। प्रतिभूति विधेयकों को दो घण्टे का समय प्रदान किया गया है और इसे एक घंटे का समय मिला है। यहां दो अलग-अलग अध्यादेश हैं और हम इस अध्यादेश पर भी चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि अनेक बार इस पहलू पर अध्यादेश आये हैं। यदि यह इतना सामान्य है तो दो अध्यादेश क्यों लाए गए? *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैं लोक सभा में तृणमूल संसदीय दल के नेता की हैसियत से कार्य-मंत्रणा समिति का भी एक सदस्य हूं। मैं उस बैठक में उपस्थित था और यह निर्णय लिया गया था कि इसके लिए आधे घंटे का समय आवंटित होगा। कुछ सदस्यों ने इस बात को उषणा कि इसे एक घंटा कर दिया जाये, परन्तु यह निर्णय हुआ था कि इसे बिना चर्चा के ही पारित कर दिया जाये और अगले विधेयक पर चर्चा की जाए। *...(व्यवधान)*

डॉ. रामचन्द्र डोम (बोलपुर): पिछली बैठक में यह निर्णय किया गया था कि इसके लिए कए घंटा आवंटित होगा। *...(व्यवधान)* आप उस समय उपस्थित नहीं थे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस विधेयक के लिए दो घंटे आवंटित नहीं किये गये थे।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): बीएसी की रिपोर्ट देख लीजिए। उसमें लिखा होगा कि कितने घंटे होंगे। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: जैसे अभी कहा गया, इस बिल के लिए आधे घंटे की बात है। मैं सब माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: आधा घंटा नहीं है। आप चेयर से ऐसी बात मत कहिए। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं देख लूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप भी कुछ मत कहिए। मैं देख लूंगा कि बीएसी में इसके लिए कितना समय ऐलॉट किया गया है। *[अनुवाद]* कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस पर विचार करूंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): मैं भी कार्य मंत्रणा समिति का एक सदस्य हूं। इस विधेयक के लिए एक घंटा आवंटित हुआ था।

सभापति महोदय: कोई समस्या नहीं है। यदि सभा सहमत होती है और सभी लोग बोलना चाहते हैं, जैसाकि आप कहते हैं तो इस विधेयक हेतु एक घंटे का समय आवंटित होगा।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय (दमदम): हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हम इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति जी, हमारी पार्टी की नेता सामने बैठी हुई हैं। पार्टी ने मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी नेता मैडम सुषमा स्वराज जी का धन्यवाद करता हूं। वित्त मंत्री जी, यदि इतनी हड़बड़ी थी तो आपको दो आर्डिनेंस लाने की क्या आवश्यकता थी। यह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स है। यह कह रहा है कि 26 नवम्बर, 2011 को आपका चेयरमैन का पद खाली हो गया। 26 नवम्बर, 2011 और आज हम 27 अगस्त, 2013 में डिसकशन कर रहे हैं, यानी एक साल नौ महीने हो गए हैं। आप पहला आर्डिनेंस 21 जनवरी, 2013 में डिसकशन कर रहे हैं, यानी एक साल नौ महीने हो गए हैं। आप पहला आर्डिनेंस 21 जनवरी, 2013 को लाए। सात महीने हो गए, आपको दूसरा आर्डिनेंस लोने की आवश्यकता पड़ी और आप कह रहे हैं कि बहुत सिम्पल है। यदि सिम्पल था तो दो आर्डिनेंस क्यों लाए। देश को गुमराह मत कीजिए।

मैं बचपन में देखता था कि एक बहुत बड़ा प्रचार आता था। अब वह बंद हो गया है। वह पान पराग का प्रचार था। उसमें शम्मी कपूर साहब पान पराग की पुड़िया बांटते थे। हर किसी को एक-एक देते थे। एक लम्बा-चौड़ा, मोटा आदमी था, वह कहता था कि एक से मेरा क्या होगा, तो उसे सारी पुड़िया दे देते थे। इसका कारण यह है कि सरकार इतनी पंगू हो गयी है, इतनी खराब हो गयी है, माननीय यशवंत सिन्हा जी जो कह रहे थे कि अकर्मण्य हो गयी है कि उसके पास आर्डिनेंस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यदि विकल्प होता तो 26 नवम्बर, 2011 को जो पद खाली हो गया, 21 जनवरी, 2013 को जो पहला आर्डिनेंस लेकर आये, आप पार्लियामेंट से क्यों भागना चाहते हैं? आपने स्टैंडिंग कमेटी को यह बिल क्यों नहीं दिया? आपने स्टैंडिंग कमेटी को यह रेफर क्यों नहीं किया और आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आज माननीय यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे कि यशवंत सिन्हा स्टम्बलिंग ब्लॉक हैं। हमारा पोजीशन का, आपोजिशन का पूरा समझौता हो सकता है। मैं एक कागज से आपको बता सकता हूं कि आपमें इतनी समस्या है, आपमें इतनी परेशानी है कि आप हमारे दिये हुए बिल को, क्लीयर किये हुए बिल को, जिसके अध्यक्ष यशवंत सिन्हा जी हैं, अपनी परेशानी के कारण उस बिल को लेकर नहीं आ पा रहे हैं। जिस डायरेक्ट टैक्स कोड की आप बात कर रहे हैं, उसे दिये हुए हमें डेढ़ साल हो गया। जिस कम्पनी अफेयर्स कारपोरेट बिल की बात कर रहे हैं, वह हमारी कमेटी ने दिया है, जिसके चेयरमैन यशवंत सिन्हा साहब हैं। आपने कहने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया, किसी की इमेज खराब कर दी। आप हमेशा कहते हैं कि आपोजिशन आपको सहयोग नहीं करता। कैसे नहीं सहयोग करता? डायरेक्ट टैक्स कोड आपके पास डेढ़ साल से पेंडिंग है। कम्पनी अफेयर्स बिल दो-दो बार हमारी कमेटी में आया और आज से दो साल पहले ...*(व्यवधान)* नहीं, इसी पर आ रहे हैं। छोटा बिल था, इसलिए मैं कह रहा हूं। हमने वह दे दिया। आपने हमारे पास आकर कहा कि नारकोटिक्स बिल इंटरनेशनल ऑब्लीगेशन के कारण इमीडिएट देना है। हमने पन्द्रह दिन के अंदर आपको दे दिया। इंश्योरेंस बिल आपके पास दो साल से पेंडिंग है। पेंशन बिल आपके पास पड़ा हुआ है। हमने जीएसटी बिल पर पूरा प्रयास करके आपको दे दिया, जिसकी डॉ. अजय कुमार बात कर रहे थे। आप अपनी परेशानी के कारण इस देश में डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। आप पार्लियामेंट से बचना चाहते हैं और बिना स्टैंडिंग कमेटी को दिए हुए, क्योंकि हम नहीं रोक रहे, इस देश का विकास आप रोक रहे हैं। आपके पास कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है और आप हमें कहते हैं कि हम काम नहीं करना चाहते। यशवंत सिन्हा जी इन चीजों को रोक रहे हैं। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए और इस देश से माफी मांगनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं।

दूसरा सवाल है कि यह सेबी का बिल है। आपने कहा कि कितनी बड़ी एक पोजीशन थी कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता था, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था। आपने अपना पिंडोरा बॉक्स खोल दिया और उसके कारण क्या हो गया? आपका यदि इंस्टीट्यूशन के प्रति विश्वास हट गया, तो उसके कारण कानून में परिवर्तन होता है। सेबी किस तरह की प्रोब्लम्स को फेस कर रही है, यह आपको पता है। सेबी यह प्रोब्लम फेस कर रही है कि जिस सेबी के ऑर्डर को केवल हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, सीजीएम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहा है और जिस तरह की कम्पनियों का जिक्र मिस्टर सैदुल हक कर रहे थे, उसके ऊपर सेबी कोई कंट्रोल नहीं कर पाती। आपका अटार्मी जनरल कहता है कि इस ऑर्डर को हमें चैलेंज नहीं करना है। हमारी स्टैंडिंग कमेटी में आकर सेबी के चेयरमैन परेशानी के कारण सारे मेम्बर्स का जवाब दे पाने में अक्षम होते

हैं और आप कहते हैं कि छोटा बिल है। आप इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज इसका चेयरमैन होता था, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इसका चेयरमैन होता था। आज सात साल से जज बने हुए हजारों लोग यहां हो जायेंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी कौन देखेगा? उसका क्रिडेंशियल कौन देखेगा? आपके पास कौन सी कमेटी यह देखने के लिए है क्योंकि किस तरह से जजेज के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगे हुए हैं, आपकी ही सरकार में जज के ऊपर चार्जशीट फाइल हो रही है। उस तरह के जज को आप बिठा देंगे। आपको पता है कि अभी हाई कोर्ट ने बीसीसीआई के मामले में क्या किया? एक्स जज को उसने बीसीसीआई कमेटी का दो जज और उसे हाई कोर्ट कहता है कि इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, इसकी रिपोर्ट खराब है। इसलिए हम नहीं मानते। बीसीसीआई को उसे चैलेंज करना पड़ता है और आप कह रहे हैं कि छोटे से बिल के साथ हम आ गये हैं, बिना डिसकशन के आप पास कर दीजिए। क्या यह संभव है? क्योंकि सेबी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। वह इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि सेबी बनाना रिपब्लिक की तरह हो गयी है। इस देश में अभी क्या हुआ? स्पॉट एक्सचेंज का इतना बड़ा खेल चल रहा है। साढ़े बारह हजार करोड़ रुपये का स्कैम। क्लेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि माननीय यशवंत सिन्हा जी के समय वर्ष 1999 में इस सदन ने पारित किया, जिसके कारण वे सैकिंड बिल की चर्चा कर रहे हैं। वर्ष 1999 से लेकर वर्ष 2013 तक एक भी कम्पनी रजिस्टर नहीं हुई है। केवल वर्ष 2013 में एक कम्पनी रजिस्टर हुई है। कोई तो कारण होगा, उस कानून में कोई तो परेशानी होगी? कुकुरमुत्ते की तरह जो कम्पनियां आ गयी हैं, उसके बारे में अंदाजा है।

हम लोग जिस इलाके से आते हैं, झारखंड, बिहार, बंगाल, ओड़िशा आदि सभी जगह चिट फंड कम्पनियां हैं। चिट फंट कम्पनियों का बिजनेस कैसा है? चिट फंड अलग है, निधि फंड अलग है, पॉन्जी स्कीम अलग है। आप उसके बारे में स्पष्ट करेंगे। आपको पता है, चिट-फंट का ऑफिसियल आंकड़ा कितना है? 40 से 50 हजार करोड़ रुपया चिट-फंड कंपनियां ऑफिसियल बिजनेस करती हैं। हमारी कमेटी के सामने जब चिट-फंड कंपनी वाले आए, क्योंकि उनको लगा कि पौंजी स्कीम के साथ हम लोग चिट-फंड कंपनी को बंद करने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि इललीगल धंधा है, जिसमें महिलाओं की किटी-पार्टी भी है, जो गलत है। उसका बिजनेस चार लाख करोड़ का है। उसमें आपकी परेशानी है, आप बैंक की शाखा नहीं दे पा रहे हैं। नॉन-बैंकिंग ब्लॉक्स आज भी मौजूद हैं। गांवों की तो बात छोड़िए। इस तरह से कोई घी के नाम पर, कोई एमू के नाम पर, कोई भगवान के नाम पर, कोई रियलिटी सेक्टर के नाम पर, कोई स्टील में पैसा डूबाने के नाम पर, कोई कंपनी के नाम पर लोगों को लूट रही है। उसका फैसला कौन करेगा? ये सैग करेगा और इसमें यदि आप बिना किसी जानकारी के एक साधारण जज को बिठा देंगे, एक करप्ट जज को बिठा देंगे, सैग का ऑर्डर केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, तो आप कह रहे हैं कि छोटा हो गया। हम उसके बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे। क्यों चर्चा कर लेंगे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह बड़ा सवाल है। ...*(व्यवधान)* देवधर साहब को इन्होंने अपॉइंट कर लिया।

प्रो. सौगत रायः आपके भाषण के पहले सेलेक्ट हो गया।

श्री निशिकांत दुबेः अभी इन्होंने कहा कि इनके बाहर निकलने के दो रास्ते हैं।

सभापति महोदयः प्रो. सौगत राय जी, प्लीज।

श्री निशिकांत दुबेः सभापति महोदय, इन्होंने अभी दो रास्ते बताए जिससे कि यह देश बाहर निकल सकता है। इन्होंने कहा कि अभी और लिबरलाइजेशन करना है और हमें रिस्ट्रिक्शन खत्म करना है। रिस्ट्रिक्शन के नाम पर फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, इसका आपको अंदाजा है या यह सरकार क्या कर रही है? इतने रेगुलेटर बना दिये गये, इतने सर्च एंड सीजर के पावर इन्होंने दे दिये कि इंस्पेक्टर राज को इन्होंने वापस कर दिया। ट्राई का अलग रेगुरेटर है, पेट्रोलियम का एक अलग रेगुलेटर बना दिया, कोल का अलग रेगुलेटर बना दिया, फॉर्मर मार्केट कमीशन अलग है, सेबी अलग है, एसएफआईओ अलग है, सीसीआई अलग है। इस तरह के रेगुलेटर अलग हैं। आरबीआई अलग रेगुलेटर है। ज्यादा जोगी मठ का उजाड़। जो इतने रेगुलेटर इन्होंने बिठाये हैं, उसमें से किसी पर कंट्रोल नहीं है। आपको पता है कि सेबी में सेबी का पावर कौन-सा है? आरबीआई का क्या पावर है? पेंशन फंड का क्या पावर है? इंश्योरेंस का क्या पावर है? यह उन लोगों को नहीं पता है। जब उन लोगों की लड़ाई होती है, तो आरबीआई, जो इनका कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। यह म्युचुअल फंड है या इंश्योरेंस फंड है या पेंशन फंड है, इसे मार्केट में जाना है या नहीं जाना है, पूर जो यह सर्किल है, यह सर्किल ऐसा बन गया, जिससे इस देश में आम लोगों को समस्या हो रही है। कौन-से लोग परेशान हो रहे हैं? जो रिटायर्ड लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं चौका-चूल्हा करती है, वे सुसाइड कर रही हैं। जो आप नरेगा से पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, वे केवल लालच के नाम पर इस तरह की कंपनियों में अपन इंवेस्टमेंट करते हैं और वे सभी इलाके हैं, जो पिछड़े हैं, जिन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम इकोनॉमी को लिबरलाइज्ड करेंगे, हम रिस्ट्रिक्शन खत्म करेंगे। यह आप किस तरह का रिस्ट्रिक्शन खत्म कर रहे हैं? चिदम्बरम साहब! जब आप इतने-इतने रेगुलेटर बना देंगे, तो रिस्ट्रिक्शन उससे बनेगा या नहीं? अगले बिल में मैं सर्च एंड सीजर की बात करुंगा।

सभापति महोदय: उसमें आपको पूरा मौका मिलेगा।

श्री निशिकांत दुबे: यदि आप सर्च एंड सीजर में देखें, अंदाजा लगाएं, तो आपके यहां इनकम टैक्स आ सकता है, आपके यहा सीबीआई आ सकता है, आपके यहां स्टेट पुलिस आ सकती है, आपके यहां इकोनॉमिक औफेंसेज विंग आ सकता है, आपके पास डीआरआई आ सकता है। अब सीसीआई को इन्होंने पावर दे दिया, अब सेबी को इन्होंने पावर दे दिया, एसएफआईओ को पावर दे दिया, कोई भी इलीलीगल आदमी, कोई भी नकली आदमी आपके घर पार आ जाएगा और कहेगा कि हम सेबी के अफसर हैं, हम सीसीआई के अफसर हैं, इसका आपको किसी तरह का तो अंदाजा नहीं है। ये किस तरह का लिबरलाइजेशन, किस तर का रिस्ट्रिक्शन खत्म करने की बात कर रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि ये किस बिल पर इस तरह का संशोधन लेकर आ रहे हैं, जैसे जज के लिए एक अलग ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, हम आगे जिसकी बात करने वाले हैं, उसमें सीआईसी स्कीम को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बनाया है।

सभापति महोदय: कृपया संक्षिप्त कीजिए।

श्री निशिकांत दुबे: मैं संक्षेप में खत्म ही कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं य कह रहा हूं कि यह पीएम की स्पीच है, जो कि उन्होंने सेबी के 25वें सिल्वर जुबली समारोह में दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि सेबी का प्रोब्लम बहुत बड़ा प्रोब्लम है। आम इंवेस्टर उसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। जो इंवेस्टर आ रहे हैं, या तो वे फॉरन के इंवेस्टर हैं या 55 पर्सेंट इंवेस्टर ऐसे हैं, जो साऊथ इंडिया के हैं।

यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात प्रधानमंत्री जी जब मई, 2013 में सेबी के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन्स में गए थे, उस समय कही। आप देखेंगे कि सेबी के बावजूद हर्षद मेहता काण्ड हो गया, केतन पारिख काण्ड हो गया, एफएमसी के होते हुए भी स्पॉट एक्सचेंज का काम हो गया, कमोडिटी एक्सचेंज के बार में हम अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद मैं वित्त मंत्री जी से कह रहा हूं कि किस तर के पीसमिल अमेंडमेंट्स लाए हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को किस तरह से बाईपास करना चाहते हैं। इन्होंने खुद ही कहा कि हम सेबी को मजबूत करना चाहते हैं। वर्ष 2013-14 की स्पीच में यह बात कही। सरकार का काम करने का तरीका देखिए, किस तरह से लम्बे-लम्बे डिसकशन्स करती है, किस तरह से लोगों को लटकाती है, किस तरह से आम आदमी मरता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वर्ष 2009 में यू.के. सिन्हा जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। इस कारण से बनी क्योंकि पूरी दुनिया का हमारे ऊपर से विश्वास हट रहा है, जिसकी बात माननीय यशवंत सिन्हा जी ने भी कही है। उसके बाद उसी के सब-लेजिस्लेशन के लिए के.एम. चन्द्रशेखर कमेटी बनी और के.एम. चन्द्रशेखर ने लगभग 11-12 प्वाइंट्स दिए हैं जिनके आधार पर सेबी को एफडीआई के लिए, एफआईआई के लिए, एफआईआई के लिए अपना लेजिस्लेशन लेना चाहिए क्योंकि टू-जी स्कैम हो, कोल स्कैम हो, आज पूरी दुनिया हमको गलत नजरिए से देखती है। आप कानून रेट्रोस्पेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, आप कांफिडेंस नहीं दे पा रहे हैं। एटिस्लाट कंपनी आज परेशान है क्योंकि उसका पैसा डूब गया। सिस्टेमा के कारण आपका रूस के साथ संबंध खत्म हो गया, अभी जेट-एतिहाद डील करना चाहते हैं, एतिहाद के साथ हमारे रिलेशन्स चौपट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वोडाफोन के साथ आप लड़ाई लड़ रहे हैं। नोकिया वापस आने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मेरा यह कहना है कि यदि सेबी में पूरा सुधार करना है, तो जो यू.के. सिन्हा कमेटी की रिपोर्ट है, जो के.एम. चन्द्रशेखर कमेटी की रिपोर्ट है, उन सारी रिपोर्ट्स के बाद आप एक लेजिस्लेशन लेकर आने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? स्टैंडिंग कमेटी में डिसकशन करने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? इस तरह से यदि आप करेंगे, तो यह देश कहीं न कहीं परेशानी में होगा और मेरा यह मानना है कि आपको हम हमेशा सहयोग देने का प्रयास करते हैं। आपका जो अंतरविरोध है, आपकी पार्टियों में जो अन्तरविरोध है, जिस तरह से तृणमूल इंश्योरेंस के आधार पर चली गयी, उसको आप दूर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: श्री सतपाल महाराज।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मुझे इसी स्थान से बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: ठीक है, बोलिए।

श्री सतपाल महाराज: महोदय, मैं यूपीए सरकार के बधाई देना चाहता हूं कि गत पांच वर्षों में अब तक जितने महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उसने पहले कभी नहीं हुए। यूपीए-2 सरकार के ही कार्यकाल में वीमेन सेफ्टी बिल, अयोध्या लैण्डमार्क जजमेंट, स्पोर्ट्स बिल, फ्रीडम टू मीडिया, अवेयरनेस अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन और सुप्रीम कोर्ट रुलिंग अगेंस्ट कन्विक्टेड पॉलिटिशियन्स आए और अब कल ही खाद्य सुरक्षा बिल के रूप में निर्धन व्यक्तियों को दो वक्त का भोजना सुनिश्चित करने के लिए सदन में पारित किया गया है। मैं सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री जी और राहुल गांधी जी को इसके लिए बधाई देते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

महोदय, मैं प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद 29 नवम्बर, 2011 के रिक्त पड़ा हुआ है। पीठासीन अधिकारी के लिए अर्हता के रूप में किसी उच्च न्यायालय के आसीन या सेवानिवृत्त ऐसे न्यायाधीशों को जिन्होंने किसी उच्च

न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी की हो, को सम्मिलित करते हुए इस पद के लिए ध ारा 15के का संशोधन करते हुए विस्तार से लाया गया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरा कहना है कि सरकार को ऐसे वकीलों को जो कंपनी लॉ के एक्सपोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में 20 वर्ष से ज्यादा जिनकी प्रैक्टिस हो गयी हो, इस पद के लिए उन पर भी विचार चाहिए जिससे यह पद रिक्त न रहे। अंत में, मैं एक बार पुन: बिल का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, मै आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, आपने मुझे भारतीय प्रतिभूमि और विनियमन बोर्ड संशोधन विधेयक, 2013 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में वर्ष 1992 के अधिनियम का संशोधन करने के लिए लाया गया है। यह बात सत्य है कि अगर पूरे हिन्दुस्तान में देखा जाए, तो जो आर्थिक तौर पर मजबूत प्रदेश हैं, वहां के लोगों ने ऐसी-ऐसी कंपनीज बनाई हैं। पूरे देश में कुकुरमुत्ते की तरह से ये कंपनियां फैली हैं। यह 'सेट' के बनने से मेरे ख्याल से 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा स्कीम वाली जो कम्पनीज हैं, उन पर एक तरह से रोक लगेगी। चेयरमैन को जो पावर देने की बात कही गई है, जिसमें वह तलाशी या सर्च कर सकते हैं, उनके खाते भी जब्त कर सकते हैं, उन्हें हिरासत में भी लेने की जो पावर दी गई है, वह अच्छी बात है।

अगर देखा जाए तो इसमें एक बड़ा प्रावधान यह किया गया है कि बड़े-बड़े निवेश करने वाले, बड़े-बड़े बिल्डर्स हैं, जिनके पास बड़े-बड़े भूखंड हैं, उन्हें जब्त करने की बात कही गई है। कई बड़े लोग जिनके पास निजी विमान हैं, उनके दफ्तरों पर भी छापे मार सकते की बात कही गई है, यह भी एक अच्छी बात है। जो स्पेशल बोर्ड बनाकर अधिकार दिया गया है कि इसका निपटारा जल्दी हो सके, यह भी एक अच्छा प्रावधान किया गया है।

चिट फंड कम्पनीज के बारे में ज्यादा नहीं करना कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी कम्पनीज ने घपले किए हैं। देश के छोटे-मोटे लोगों ने, बीपीएल के लोगों ने और मध्यम वर्ग के लोगों ने ज्यादा ब्याज के लालच में चिट फंड कम्पनीज में खाता खुलवाकर निवेश किया, लेकिन देखा जाता है कि बहुत सी ऐसी कम्पनीज इन लोगों की गाढ़ी कमाई को लूट कर भाग जाती हैं। प्रो. सैदुल हक साहब ने मध्य प्रदेश की कम्पनी साई प्रसाद है, टाटा टेली सर्विसेज की है, ओमेक्स की है, यहां तक कि सहारा की कम्पनी भी है। सहारा कम्पनी के खिलाफ भी यह सवाल उठाया गया है, जिसमें सेबी के पास करीब 5,120 करोड़ रुपये जमा हैं। जबकि सहारा ने यह दावा किया है कि हमारी दो कम्पनीज, जिनके बांडधारकों को उसने 20,000 करोड़ रुपए वितरित किए हैं, बाकी के पैसे सेबी के पास हैं। इस प्रकार की कम्पनीज पर विशेष ध्यान देने की बात है। सरकार द्वारा जो यह संशोधन बिल लाकर सेबी को पावर देने की बात है। सरकार द्वारा जासे यह संशोधन बिल लाकर सेबी को पावर देने की बात कही है, वह एक अच्छी बात है।

मैं इन्हीं बातों के साथ इस बिल का समर्थन करत हुए एक बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी इस बात का ध्यान रखें कि कहीं इसका दुरूपयोग न हो। बाद में पता चले कि सेबी ने अच्छी-अच्छी कम्पनीज में भी दखल देना शुरू कर दिया है।

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो संशोधन बिल पेश किया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे साथी निशिकांत जी ने सेबी पर एक सवाल खड़ा किया योग्यता कम करने का। अभी तक इस 'सेट' के चेयरमैन के लिए म रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में के बनाते रहे हैं। अचानक आपने जो उनकी योग्यता कम की है, इसका औचित्य क्या था? आप कहेंगे कि आपको मिल नहीं रहे थे, लेकिन पिछले डेढ़ वर्षों से आप काम चला ही रहे थे। छह-सात महीने तक पद खाली रहा, उसके बाद आपने आर्डिनेंस के तहत किसी को रखा। जब आप इस तरीके का काम करते हैं और योग्यता कम करते हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे मामलों को स्टेंडिंग कमेटी के माध्यम से करना चाहिए। तब इसकी सार्थकता सिद्ध होगी।

मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहता हूं। आप एक और संशोधन सेबी में ला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एडहॉकोज्म न हो, इकट्ठा करके एक बार में सारा काम हो, क्योंकि बार-बार संशोधन करने से सदन का भी समय जाया होता है और हम लोग उस इश्यू पर बार-बार बोलते हैं। उस संशोधन बिल की चर्चा निशिकांत जी करना चाह रहे थे। इसलिए मेरा आग्रह है कि ऐसे मामलों को आप स्टेंडिंग कमेटी में रेफर करें और वहां से प्रस्ताव आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे सदन भी सहमत रहता है। नहीं तो सरकार अपने ही तरीके से चलाने का प्रयास करती हैं।

मेरा आपसे एक आग्रह और है कि आप योग्यता के साथ समझौता न करें। सेबी के और भी जो सदस्य हों या जो आपने योग्यता कम की है, सात वर्ष्रा करने का काम किया है, कम से कम जो जज रखें, कम्पनीज मामलों के एक्सपोर्ट हों। इससे यह होगा कि जब कभी सुप्रीम कोद्ध में चैलेंज हो तो उसका सही तरीके से निराकरण हो सके।

इस विषय पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं इस विषय पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप योग्यता कम कर रहे हैं। अगर योग्यता बढ़ाई जाती तो जैसा निशिकांत जी भी कह रहे थे कि फिर इस पर डिबेट नहीं होती, ऐसे ही इसे पास कर दिया जाता। रिटायर्ड ही नहीं, कंटीन्यू जज जो स्थाई रूप से काम कर रहे हैं, उन्हें रखेंगे, तो फिर डिबेट का इश्यू नहीं रहता। हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप योग्यता कम कर रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप योग्यता के साथ समझौता न करें और क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आप जो यह संशोधन करने जा रहे हैं, इसमें इस बात का जरूरत ध्यान रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सदन को इस बारे में आश्वास्त करेंगे।

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): माननीय सभापति महोदय, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 पर आपने बोलने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। महोदय, इस विधेयक में संशोधन होने से इसकी देखरेख का जिम्मा सर्वोच्च न्यायालय के अधीन तथा पूर्व न्यायाधीश के पास होगा और इसकी नियुक्ति जिसे 7 साल का अनुभव तथा कानूनी जानकारी हो, केन्द्र सरकार करेगी। प्रतिभूति अपील प्राधिकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है तथा इसके गठन से पीठासीन पदाधिकारी का पद जो वर्षों से खाली पड़ा हुआ है उसे भरा जाएगा। इससे सेबी में हम लोगों को सहायता मिलेगी। ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों और महानगरों के लगभग 50 प्रतिशत लोग शेयर मार्किट से जुड़े हुए हैं चाहे वे शेयर खरीद रहे हों या सोना-चांदी, दलहन, तिलहन खरीद रहे हों ओर जो धोखाधड़ी का शिकार होते हैं उसी के लिए यह लाया जा रहा है। ये कंपनियां लोगों के पैसे हड़प जाती हैं, लोगों को शिकायत करने का मौका नहीं मिलता है, लोग कोर्ट के चक्कर लगाते हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिलता है। इस अधिकरण की निगरानी में शेयर मार्किट और वित्तीय संस्थाएं रहेंगी और यह लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाएगा। लोग अपनी पूंजी को बाजार में लगाने के लिए तत्परता दिखाएंगे तथा विदेशी पूंजी भी शेयर मार्किट में लगेगा।

महोदय, जहां तक शेयर मार्किट की बात है तो शेयर ब्रोकर्स पर लगाम लगाने की जरूरत है और सेबी के मार्फत आप जो बिल लाए हैं उसके तहत निश्चित रूप से यह कारगर काम करेगा और उपभोक्ताओं को जो गलत सलाह देकर लोग शेयर खरीदवाकर अपना कमीशन बनाते हैं जिससे उपभोक्ता को नुकसान होता है और फिर मामला कोर्ट तक चला जाता है। उपभोक्ता को अपने पैसे का लाभ नहीं मिलता है। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि इसमें जो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो रही है, चाहे थोड़ी देरी से ही सही, लेकिन बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है। इसके तहत जनता को न्याय मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, इस विधेयक का एक सीमित उद्देश्य है और इस सीमित उद्देश्य के लिए दो बार अध्यादेश लाए गए जैसाकि श्री निशिकांत ने बताया था और यह भी तय किया गया था 'सेर' का अध्यक्ष पद कुछ महीनों के लिए खाली था। जैसा कि इस चर्चा में भाग लेते हुए श्री धनंजय सिंह जी ने बताया है इस संबंध में थोड़ी बहुत पदच्युति हुई है ... *(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: पदच्युति नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब: ठीक है पदच्युति नहीं हुई। यदि यह पदच्युति नहीं है तो फिर यह अवनति है।

श्री पी. चिदम्बरम: यह भवनति नहीं है। यह गलत शब्द है।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं और इसे अपने तक ही सीमित कर रहा हूं। जब मैं अन्य न्यायाधिकरणों विशेषकर प्रतिस्पर्धा न्यायाधिकरण से इसकी तुलना कर रहा हूं तब मैं प्रतिस्पर्धा न्यायाधिकरण में आपने उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को रखा हुआ है, यहां तक कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहां कितने मामले दायर होते हैं? यह ठीक है कि आज मंत्री महोदय के पास इस सभा को देने के लिए अधिक जानकारी नहीं है। किंतु बाहर यह चर्चा हो रही है कि 'सेट' के पास बहुत अधिक मामले नहीं है। इसलिए कई न्यायाधीश 'सेट' का अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं है। श्री सोढ़ी के नवम्बर, 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद सरकार इस न्यायाधिकरण्या की अध्यक्षता हेतु एक उपयुक्त व्यक्ति की तलाश नहीं कर सकी। हमें यह जानकारी नहीं है और सरकार ने यह नहीं बताया है कि उच्चतम न्यायालय के ऐसे कितने न्यायाधीश हैं जो सेवानिवृत्त होने के बाद कहीं काम नहीं कर रहे हैं और इस देश में ऐसे कितने मुख्य न्यायाधीश हैं जो अन्यथा काम नहीं कर रहे हैं और उनमें से कितने न्यायाधीश इस पद को पाने के अनिच्छुक हैं।

यदि यह सूचना उद्देश्यों और कारणों का कथन में आई भी तो मैं समझता हूं कि और अधिक भ्रम नहीं होना चाहिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को धोखाधड़ी वाली (पोंजी) योजनाओं की जांच करनी है और स्टॉक बाजार को विनियमित करना है। यह एक नया पहलू है जो शत 20 वर्षों में उभरा है। वर्ष 1992-93 से यह नई व्यवस्था लागू है। कानून बनाया जा रहा है और मैं समझता हूं कि यह काफी प्रगतिशील है। सेबी के समक्ष नए-नए मुद्दे आ रहे हैं। यदि सेबी कोई निर्णय देती है तो उस पर इस न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाया जा सकत है।

मुझे इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों का कथन पर आपत्ति है जिसमें यह कहा गया है कि उन्हें एक ऐसे उपयुक्त न्यायाधीश की जरूरत है जो इस पद को पाने का इच्छुक हो। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक रू- से यह बात कही है कि एक पीठासीन अधिकारी के बिना इस निकाय का काम नहीं चल रहा है क्योंकि इसकी जरूरत है। किंतु आपके पास दो अन्य सदस्य हैं। ऐसा नहीं है कि न्यायाधिकरण में काम नहीं हो रहा है। यह काम कर रहा है। यह कुछ आदेश दे रहा है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसका उत्तर दें। इस निकाय का काम बंद नहीं है चूंकि इसके पास दो सदस्य हैं। फिर, आप यह क्यों कह रहे हैं कि काम बाधित हुआ है और तत्काल आवश्यकता है इसलिए यह अध्यादेश जारी किया गया है। इसे एक बार नहीं अपितु 6 माह के भीतर दूसरी बार जारी किया गया है।

हमें एक सक्षम न्यायाधीश की आवश्यकता है क्योंकि पूंजी बाजार का काम देखना एक तकनीकी विषय है और वाणिज्यिक तथा पूंजी बाजार कानून को जानने वाला कोई व्यक्ति न्यायाधिकरण के समक्ष आने वाले ऐसे मामलों से आसानी से निपट सकेगा। फिर, आपने कम से कम 7 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहने का मानदंड क्यों रखा? ऐसे कितने न्यायाधीश हैं जो इस मानदंड को पूरा करते हैं? यदि सरकार अभी नहीं तो निकट भविष्य में इस आशय का एक अन्य संशोधन लाए तो मुझे कोई आश्चर्य नीं होगा।

महोदय, मैं इस सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि 'सेट' के पीठासीन अधिकारी हेतु वर्तमान अर्हता संबंधी मानदंड प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष जैसे ही ळैं जो प्रतिस्पर्धा विनियामक के निर्णयों के विरूद्ध अपील सुनता है। इस समय, उच्चतम न्यायालय के सेवाकर या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उस पद पर नियुक्त किया जा सकता है। फिर, इसे बदला क्यों नहीं गया? हमें इसका उत्तर चाहिए। आप 'सेट' के मामले में ऐसा क्यों कर रहे हैं?

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह दावा किया है कि सेबी का अपील के लिए जज नहीं मिले और दस-बारह महीने तक पोस्ट खाली रह गई। ...*(व्यवधान)* नवम्बर, 2011 और जनवरी, 2013 में आर्डिनेंस आया।..*(व्यवधान)* वर्ष 2013 में ही बहाल किया है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया आप निशिकांत जी को संबोधित मत कीजिए, बल्कि आप हमें संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः महोदय, मेरा सवाल नम्बर एक ह कि यह कानून सन् 1992 में पारित हुआ और वर्ष 2011 तक, चूंकि उस समय उच्च मानदंड रखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जज सीटिंग अथवा रिटायर्ड अथवा किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सीटिंग अथवा रिटायर्ड ही उसके चेयरमैन होंगे। वर्ष 1992 से लेकर 2011 तक कितनी बार सरकार को ऐहसास हुआ कि जज नहीं मिल रहे हैं या अचानक र्वा 2011 से जज मिलना बंद हो गए हैं? जो उस समय से शुरू हुआ जब से कानून लागू हुआ तो अब उच्च मानदंड रखा गया। उस समय के बाद तक कितनी बार यह जगह जज नहीं मिलने के चलते खाली रही? वर्ष 1993 से लेकर 2011 तक के बताएं। दूसरे, 11 महीने या 14 महीने जब खाली रही तब इन्होंने यह सहसूस किया कि उस योग्यता और उस अनुभव के जज नहीं मिल रहे हैं तब इन्होंने ऑर्डिनेंस लागू किया। जब 14 महीने तक जज नहीं मिला तो 14 महीनों में तो बिल ही पास करा सकते थे तो आर्डिनेंस क्यों लाए? यह दूसरा सवाल है। मेरा तीसरा सवाल यह है कि आर्डिनेंस ही लाए तो फिर इनको आर्डिनेंस के मुताबिक जज मिले कि नहीं जो जज ये चाहते हैं और आर्डिनेंस के मुताबिक वे जज बहाल हुए कि नहीं और उस अपीलेट ऑथोरिटी की क्या स्थिति है?

सभापति महोदयः आपके कुल कितने सवाल हैं?

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट के जज सिटिंग अथवा रिटायर्ड जिन्हें 7 वर्ष तक का अनुभव प्राप्त हो। नया कानून ला रहे हैं और यदि 7 वर्ष के अनुभव वाला जज नहीं मिलेगा तब फिर ये क्या करेंगे? इसीलिए ऐसा कानून करिए जिसकी व्यावहारिक उपलब्धता हो और सुविचारित कानून होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* या फिर से झटपट में ले आए।

सभापति महोदयः आपके सभी सवाल आ गये हैं। मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंहः सात वर्ष क्यों रखा है? पांच वर्ष क्यों नहीं रखा? सीधे हाई कोर्ट का जज होना क्या कम ज्ञान की बात है? श्री धनंजय सिंह योग्य या अयोग्य कह रहे थे, सब तो न्यायमूर्ति होते हैं। हम क्यों कहने जाएंगे? हाई कोर्ट के जज क्या कम ज्ञानी होते हैं या जो एक साल के पुराने जज हैं, क्या वे कम ज्ञानी होते हैं? आप अपने मन-पसंद के मुताबिक अपना कानून बनाते हैं नहीं तो सारे न्यायमूर्ति ज्ञानी हैं, कानूनविद हैं, अनुभवी हैं। जो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, वे दुनिया में

कौन से पद पर नहीं जा सकते? इसीलिए उसमें योग्य या अयोग्य का सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। सरकार इसका जवाब दे।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, जिन परिस्थितियों में पहला अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था और हमें दूसरा अध्यादेश प्रख्यापित करने हेतु बाध्य किया गया उसका वर्णन प्रक्रिया नियमों के नियम 71 के अंतर्गत दिए गए वक्तव्य में किया गया है।

यह पद 29 नवम्बर, 2011 को रिक्त होना था। इस तारीख से पूर्व ही अर्थात् रिक्ति से दो माह पहले चयन समिति की 15 सितम्बर 2011 को बैठक हुई। इन दो माह में वे अधिनियम में वर्णित अर्हता को पूरी करने वाले व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए। फिर हमने विधि मंत्री से मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। विधि मंत्री ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद कहा 'हमें चयन का दायरा बढ़ाना होगा।'

मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे 'पदच्युति' या 'अवनति' शब्द का प्रयोग न करें। कोई पदच्युति नहीं की गई है। इस देश में लगभग 900-1000 न्यायाधीश हैं जो इसी प्रकार चुने गए हैं और उनमें से लगभग 20 या 30 उच्चतम न्यायालय तक पहुंचे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से नीचे दर्जे का है यह सही नहीं है। न्यायाधीश, न्यायधीश ही होता है। उनमें से लगभग 20 या 30 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में पहुंचते हैं और प्रत्येक न्यायालय में केवल एक व्यक्ति ही वरिष्ठता के आधार पर मुख्य न्यायाधीश बन सकत है। सभी न्यायाधीश समान दर्जे और समान रैंक के हैं किंतु हमें किसी न्यायाधीश की प्रतिष्ठा नहीं घटानी चाहिए।

इसलिए, 21 जनवरी को पहला अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। यह विधेयक 11 मार्च को राज्यसभा में पारित हुआ और यदि लोकसभा इस प्रकार कार्य करती जैसा वह आज कर रही है तो यह विधेयक दो दिन के बाद लोक सभा में पारित कर दिया जाता। किंतु दुर्भाग्यवश लोकसभा स्थगित हो गई। अत: छह सप्ताह की अनधि समाप्त हो गई और अध्यादेश व्यपगत हो गया। क्योंकि राज्य सभा द्वारा विधेयक पारित करने के बाद अध्यादेश व्यपगत हो गया इसलिए अध्यादेश को पुन: प्रख्यापित करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था ताकि चयन प्रक्रिया जारी रहे। चयन प्रक्रिया चलती रही और न्यायाधीश का चयन किया गया। वह एक अच्छे न्यायधीश हैं। उन्होंने न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है और न्यायाधिकरण काम कर रहा है। इस अवधि के दौरान, जब कोई पीठासीन अधिकारी नहीं था ऐसा नहीं था कि न्यायाधिकरण ने काम करना बंद कर दिया था।

वर्ष 2012-13 में एसएटी द्वारा 207 अपीलों का निपटान किया गया। चालू वित्त वर्ष 2013-14 में 48 अपीलों का निपटान किया गया है। नए पीठासीन अधिकारी ने कार्यभार संभाला। 31 जुलाई की स्थिति के अनुसार न्यायाधिकरण्या के समक्ष 124 मामले भंवित थे। न्यायाधिकरण के पास काफी कार्य है। वह अच्छा कार्य कर रहे हैं। अधिवियम में यह उल्लेख है कि एक पीठासीन अधिकारी होगा ओर दो सदस्य होंगे। परंतु रिक्तियों का यह अर्थ नहीं है कि न्यायाधिकरण कार्य नहीं कर सकता परन्तु, उचितकार्य यह है कि एक न्यायिक अधिकारी के साथ-साथ न्यायाधिकरण के दो सदस्य और हो जिन्हें आपने अपने क्षेत्रों, अर्थात एक सदस्य को विधि और दूसरे को कर मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए। अत:, अब न्यायाधिकरण का पूर्ण रूप से गठन हो चुका है। हमने किसी की भी योजना का स्तर कर्म नहीं किया है। धारा (1) के भाग (क) में कोई बदलाव नहीं किया गया है; उच्चतम न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालयं का वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश : अथ्वा भाग (ख) में यह कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसके पास न्यायाधीश के पद पर कार्य करने का सात वर्ष का अनुभव हो। न्यायाधिकरण की शक्तियां कम करने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। मैंने इस बात को संज्ञान में लिया है; सेबी के कार्यकरण के बारे में आपने जो मुद्दे उठाए हैं उन्हें मेरे अधिकारियों ने भी संज्ञान में लिया है। मैं दूसरे अध्यादेश जो कि बहुत की महत्वपूर्ण है और सेबी को व्यापक सेबी को शक्तियां प्रदान करता है, पर चर्चा के दौरान सेबी के कार्यकरण और आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों के संबंध में विस्तृत उत्तर दूंगा। हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। इस बीच मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस न्यायाधिकरण की शक्तियां कम करने या न्यायाधिकरण का स्तर कम करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। यह न्यायाधिकरण हमारा एक बेहतर न्यायाधिकरण है। यह मुंबई में स्थित है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। बहुत से न्यायाधीश कुछ कारणों से मुंबई जाना नहीं चाहते। प्रतिस्पर्धा न्यायाधिकरण का कार्यालय दिल्ली में है और लोग दिल्ली आने को इच्छुक हैं। यह एक समस्या है। इसलिए अब हमने एक बहुत अच्छे न्यायाधीश का चयन किया है। कृपया इस अध्यादेश को पारित कर दीजिए और आपने जो मुद्दे उठाए हैं हम उन पर पूरी चर्चा करेंगे। दूसरे अध्यादेश पर चर्चा करते समय मैं व्यापक रूप से उत्तर दूंगा।

शेख सैदुल हक: धन्यवाद, सभापति महोदय, सांविधिक संकल्प के बारे में चर्चा करने से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री जी से तीन अनुरोध करना चाहता हूं।

सबसे पहले मुझे एसएटी के पीससीन अधिकारी हेतु पात्रता की शर्तों में परिवर्तन करने पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु, कृपया ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए जिनकी विश्वसनीयता पर कोई

संदेश न हो। केवल सात वर्ष का अनुभव होना ही काफी नहीं है।

माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा दूसरा अनुरोध यह है कि जैसा कि मुंबई में सेबी के रजत जयंती समारोह के अवसर पर स्वयं माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि वित्त मंत्रालय के किसी हस्तक्षेप के बिना ऐबी को सुदृढ़ बनाया जाए।

मेरा तीसरा अनुरोध यह है कि सेबी को एसएफआईओ और सीबीआई के सहयोग से शारदा समूह और अन्य चिट फंड कंपनियों के विरूद्ध स्वप्रेरणा से काग्रवाही करने का निर्देश दिया जाए ताकि इस प्रकार की धोखाधड़ी और जालसाजी पर रोक लग सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सांविधिक संकल्प को वापस लेता हूं।

सभापति महोदय: क्या सभा इस पर सहमत है कि शेख सैदुल हक द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को वापस लिया जाए।

सभा की अनुमति से सांविधिक सकल्प को वापस लिया गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: ''कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.00 बजे

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खांडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं: ''कि विधेयक पारित किया जाए।''

सभापति महोदय: प्रश्न यह है: ''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

डॉ. थोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): सभापति महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा और विशेष रूप से गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का ध्यान उत्तर पूर्व क्षेत्र में म्यांमार सेना की घुसपैठ के बारे में चौंकाने वाली रिपार्टों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि म्यांमार सेना की घुसपैठ मणिपुर के चंदेल जिले में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा मिलर सं. 76 के निकट मोरेह पुलिस स्टेशन से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित होलेन्फाई गांव में हो रही है। यह उचित समय है कि ऐसी रिपोर्टों की गंभीरता से लिया जाए और यह पता लगाया जाए कि यह सही है अथवा नहीं। यदि यह सही है तो तत्काल सभी प्रकार की राजनयिक, सैन्य और अन्य कार्यवाही की जानी चाहिए।

हम प्रकार की कथित घुसपैठ से स्थानीय लोग यह महसूस करने को विवश है कि उनके लिए कोई रक्षा या सुरक्षा मौजूद नहीं है। इस प्रकार की भावना हमारी राष्ट्रीय एकता ओर अखंडता के लिए खतरा है।

अत:, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में कार्यवाही की जाए और यह सुनिश्चित लिया जाए कि भविष्य में ऐसी घुसपैठ न हो।

[हिन्दी]

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया जिले से उत्तरी भारत से बिहार को जाने वाले अनेकों रेल सेवाएं चल रही हैं, परन्तु सुपरफास्ट एवं तेज गति से चलने वाली रेल सेवाओं का देवरिया या देवरिया के किसी हिस्से में ठहराव नही है। जबकि उत्तरी भारत विशेषकर दिल्ली में देवरिया के लोग कार्यरत हैं एवं बिहार में व्यवसाय की दृष्टि से देवरिया के लोग आते-जाते हैं, लेकिन सुपरफास्ट रेल सेवा का ठहराव न होने से देवरिया आने वाली यात्रियों को कई जगहों पर रेल यात्रा बदलनी पड़ती है या अन्य वाहनों का प्रयोग करना पड़ता है। मैं सदन के माध्यम से एवं अपने पत्रों के माध्यम से बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस एवं गरीब रथ एक्सप्रेस का ठहराव देवरिया शहर में करने हेतु एवं इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव गौरी बाजार रेलवे स्टेशन पर करने हेतु आग्रह कर चुका हूं। परन्तु सरकार न जाने क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करती है। रेल मंत्री जी कुछ वीआईपी लोगों के क्षेत्र में रेल सुविधाओं की घोषणा कर रहे हैं, वहां रेलवे का ठहराव भी दे रहे हैं, परन्तु देवरिया के लोगों की दिक्कत को नहीं देख

रहे हैं। इस तर से मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया जिले के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है। इन सब कारणों से पूर्वांचल में वर्तमान केन्द्र सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है।

सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि देवरिया में बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रैस एवं गरीब रथ एक्सप्रैस का ठहराव एवं इंटरसिटी एक्सप्रैस का ठहराव देवरिया के गौरी बाजार रेलवे स्टेशन पर किये जाने की घोषणा करें।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से झारखंड प्रदेश के बोकारो जिला जो अपने लोक सभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर भूमिया प्रखंड के अंतर्गत पचमू पंचायत में ग्रामीणों के द्वारा 1980-1982 में सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के द्वारा जमीन अधिग्रहीत की गई। वह जमीन किसी कंपनी को दे दी गई है। आज की तारीख में न तो उन लोगों को नौकरी मिली और न ही मुआवजा मिला है। और तो आर आज की तारीख में जो जमीन ली गई है, उसकी जो बची हुई जमीन है, ये लोग उसकी रसीद तक नहीं काट रहे हैं और साथ-साथ अगर उनको जमीन की आवश्यकता नहीं है तो वे जमीन को वापस कर दें ताकि वहां के किसान उस पर खेती-बाड़ी कर सकें।

महोदय, यह विषय पहले भी लोक सभा में शून्य काल में उठाया गया है। लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और आपको जान कर ताज्जुब लगेगा कि गिरीडीह हजले में जो बनियाडी कोलियरी है, उसमें 16 पंचायत हैं। यहां पर इंदिरा आवास योजना के आवास नहीं बन रहे हैं क्योंकि जमीन के नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं। साथ-साथ उन लोगों के आवास भी नहीं बन पा रहे हैं। न ही मनरेगा का कोई काम हो रहा है। न ही कोई सामुदायिक भवन बन पा रहा है। आपको ताज्जुब लगेगा कि उस क्षेत्र में 16 पंचायत हैं लेकिन वहां आज तक पंचायत भवन का भी निर्माण नहीं हो सका है। आपके माध्यम से भारत सरकार से मेरा आग्रह होगा की यह योजना, जो लंबित है, इसको शुरू करवाया जाए।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर (पोन्नानी): सभापति महोदय मैं इस सभा का ध्यान गुर्दे के रोगियों हेतु एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना की अत्यावश्यकता से संबंधित अति महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, देश में गुर्दे के रोगियों की संख्या चिंता जनक रूप से बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 7.85 मिलियन लोग 'क्रोनिक किडनी फेलियर' रोग से पीड़ित हैं। यह भी पता चला है कि भारत में प्रति वर्ष दो लाख लोग गुर्दे की बीमारी से मर जाते हैं और प्रतिदिन इस सूची में हजारों लोग जुड़ रहे हैं। महोदय, यह सर्वविदित है कि डाइलिसिस का उपचार बहुत महंगा है और आम आदमी इसे वहन नहीं कर सकता। गुर्दा प्रत्यारोपण एक दुलर्भ चिकित्सा है और यह स्पष्ट है कि आम आदमी इसकी लागत वहन नहीं कर सकता।

वह भी बहुत स्पष्ट है। भारत में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित 90 प्रतिशत मरीज डायलिसिस उपचार को वहन करने में सक्षम नहीं हैं।

नवीनतम चिकित्सा रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में युवा भी गुर्दे की बीमारी से गुस्त हो रहे हैं। उपचार की लागत के अतिरिक्त, हमारे देश में डायलिसिस केन्द्रों की संख्या की बहुत कम है और हम सभी उस तथ्य को जानते हैं। कुछ ऐसे निजी संस्थान हैं, जो उपचार हेतु बहुत अधिक शुल्क वसूल करते हैं।

इन परिस्थितियों के तहत, मैं सरकार से तीन चीजों हेतु कदम उठाने के लिए विनम्रतापूवर्क अनुरोध करता हूं-पहली, केवल गुर्दे के रोगियों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाना; दूसरी, जिन गरीब गुर्दे रोगियों का ईलाज चल रहा है उन्हें विलीय सहायता और राज सहायता उपलब्ध कराना, और तीसरी, सभी सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस हेतु सुविधाएं प्रदान करना। मैं एक बार फिर सरकार से इन कदमों को शीघ्र उठाने के लिए विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: आप केवल एक मुद्दा उठा सकते हैं। श्री कामेश्वर बैठा।

[हिन्दी]

कृपया अपनी सीट पर जा कर बोलें या तो यहां से बोलने की अनुमति लीजिए।

श्री कामेश्वर बैठा: सभापति जी, मुझे यहां से बोलने की अनुमति प्रदान करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अनुमति दी जाती है, लेकिन प्राय: जब आपको बोलना हो तो कृपया अपनी सीट से बोलें और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी अन्य सीट से बोलना चाहें तो जो भी चेयर पर हों, उनसे अनुमति ले कर बोलें।

श्री कामेश्वर बैठा: महोदय, हम एनआरएचएम के कर्मियों की पीड़ा आपके सामने रखना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, आप बीच में से न जाएं। जब कोई माननीय सदस्य बोलता है तो चेयर और बोलने वाले सदस्य के बीच में से नहीं जाते हैं।

श्री कामेश्वर बैठा: महोदय, एनआरएचएम के तहत पूरे भारतवर्ष में जो योजना चलायी जा रही है, हम उसके कर्मियों की पीड़ा को आज आपके सामने रखना चाहत हैं। मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि यह काफी लाभप्रद योजना है। मैं अपने झारखंड क्षेत्र के अपने पलामू संसदीय क्षेत्र को सामने रखकर, आपके माध्यम से इसके विभागीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने अपने संसदीय समिति के राज्यों के भ्रमण में पाया कि इसके अधीन विभिन्न राज्यों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

सभापति महोदय: आपने एनआरएचएम का मामला उठाया है, तो आप उसी पर बात कीजिए।

श्री कामेश्वर बैठा: महोदय, मैं सी की बात कर रहा हूं। इसमें अलग-अलग राज्य में अलग-अलग मानदेय दिया जा रहा हैं बिहार में एएनएम को 12,500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है और हमारे झारखंड में मात्र 7,200 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। दूसरी बात, हमारे यहां साहिया का पद एक हजार की पॉपुलेशन पर है। मैं बताना चाहता हूं कि साहिया अपने भाग्य का खाता है। वह देखता है कि हमारे गांव में किसकी डिलीवरी होनी है, उसे वह स्वास्थ्य उपकेन्द्र तक ले जायेगा तो उसे 150 रुपया मिलेगा। वह गांव में टी.बी. के मरीज खोजता फिरता है ताकि उसे 20 रुपया मिल सके।

महोदय, अगर गांव में किसी को टी.बी. नहीं है, किस बहन की डिलीवरी नहीं होनी है, तो उसे कोई पैसा नीं मिलेगा। सरकार उे प्रोत्साहन वेतन के रूप में कहती है। मैं कहना चहता हूं कि एक हजार की पॉपुलेशन पर साहिया बहाल है। वह पूरे लोगों की देखभाल एएनएम की तरह से करती है। दूसरे अन्य कर्मी डॉक्टर को 20 हजार रुपये वेतन मिलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे झारखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत एएनएम को मात्र 7,200 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाता है। अन्य कर्मी डॉक्टरों को 20,000 हजार रुपये वेतन मिलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे झारखंड राज्य में इस योजना के अंतर्गत एएनएम को मात्र 7,200 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाता है। अन्य कर्मी डॉक्टरों को 20,000 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाता है।

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में बोलिय। यह राज्य का विषय है, राज्य इसे देती है। आपने अपनी बात का उल्लेख कर दिया है, अब कृपया संक्षिप्त कीजिए।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, एनआरएचएम में तो केन्द्र सरकार देती है।

सभापति महोदय: केन्द्र की स्कीम है, लेकिन किसको कितना दिया जायेगा, यह राज्य तय करता है। आप इसे जानते हैं।

श्री कामेश्वर बैठा: मुझे कहना है कि यह भारत सरकार की योजना है तो एक म्यान में दो तलवारें क्यों? हमारे झारखंड के साथ ऐसा क्यों है? हमारे बगल में बिहार में 12,500 रुपये मानदेय है।

सभापति महोदय: वह बात आपने कह दी है। आपने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से कह दी है। आप इसमें चाहते क्या हैं?

श्री कामेश्वर बैठा: हम सरकार से मांग करते हैं कि बिहार की तरह हमारे झारखंड में भी एएनएम को 12,500 रुपये मानदेय का भुगतान किया जाये और साहिया का मानदेय वेतन 10,000 रुपये किया जाये।

सभापति महोदय: अब आपकी बात आ गयी है। श्री अजय कुमार अपने आपको श्री कामेश्वर बैठा जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी): महोदय मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले को प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद।

जैसाकि आवश्यक दवाओं की कीमतें 'नेशनल फॉर्मास्युरिकल प्राइसिंग पॉलिसी' और औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के अनुसार निर्धारित की जाती है, जोकि 29 जुलाई 2013 से प्रभावी हैं, देश के विभिन्न भागों से इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली दवाओं की कमी के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में नयी शुल्क नीति के अन्तर्गत 190 प्रकार की दवाएं शामिल की गई हैं जिनकी कीमतें 15 से 45 प्रतिशत तक कम हो जाएगी। कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जिनकी कीमतें तम कर दी गई हैं।

दवाओं की कमी का तात्कालिक कारण यह है कि बहुत से दवा विक्रेताओं ने इन दवाओं के मौजूदा भंडार को रिलेबलिंग हेतु पहले ही थोक विक्रेताओं और कंपनियों को वापिस कर दिया है। नये लेबल की दवाएं अभी तक फुटकर विक्रेताओं के पास नहीं पहुंची हैं। कुछ दवा विक्रेताओं ने बताया है कि कंपनियों का दवाओं को नये मूल्य के अनुसार कम कीमत पर बेचने का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने उन्हें ऊंची कीमतों पर खरीदा है और व्यापार लाभ तथा दूसरी शर्तो के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

यह भी पता चला है कि यद्यपि भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) ने दवाओं को इनके जेनरिक नाम के साथ लिखने का निर्देश दिया है, परंतु ज्यादातर चिकित्सक ऐसा करने के अनिच्छुक हें और ऐसी परम्परा नई शुल्क नीति के सकारात्मक परिणामों को कमता कर सकती है।

संसदीय स्थायी समिति, जिसका मैं भी सदस्य हूं, ने फॉर्मास्यूटिकिल क्षेत्र में एफडीआई संबंधी अपने प्रतिवेदन में जोरदार सिफारिश की है कि देश में जेनरिक दवाओं के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए सभी चिकित्सकों द्वारा अपने परामर्श में केवल जेनटिक दवाएं लिखने को कानूनी रूप से बाध्यकारी करने के लिए सरकार द्वारा विधान लाने की आवश्यकता है। कुछ मामलों में, ब्रांडेड दवाओं की कीमत इसके जेनरिक संस्करण की कीमत की तुलना में 80-85 गुना अधिक होती है।

मैं सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और तदनुसार विधान बनाने का अनुरोध करता हूं ताकि आवश्यक दवाओं की कम कीमतों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके जेसा कि नई मूलय नीति का मूल. आशय है।

सभापति महोदय: अब श्री महेन्द्र कुमार राय बोलेंगे।

श्री राय, आपने अपने नोटिस में नाम उदधृत कर कुछ आरोप लगाए हैं। यह परम्परा है कि ऐसे व्यक्तियों, जो इस सभा के सदस्य नहीं हैं, के नामों का उल्लेख इस सभा में नहीं किया जाता। इसलिए, कृपया आप उनके नामों का उल्लेख न करने की सावधानी बरतें।

श्री महेन्द्रकुमार राय (जलपाईगुडी): ठीक है।

महोदय, मैं पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की तरफ इस सभा का ध्यान आकृष्ट करने हेतु खड़ा हुआ हूं। भारत के संविधान के अनुसार मतदान एक संवैधानिक अधिकार है और प्रत्येक सरकार, चाह यह केन्द्र हो अथवा राज्य, नागरिकों के इस अधिकार की सुरक्षा करने के लिए बाधय है। दुर्भाग्य वश 25 जुलाई, 2013 को सत्तारूढ़ पार्टी के कुख्यात गुंडों ने राज्य और केन्द्रीय बलों, जिन्होंने कुछ भी करने में अपनी असमर्थतता जताई की उपस्थिति में, वोर डालने का मेरा संवैधानिक अधिकार मुझसे छीन लिया, ताकि मैं अपना वोट ना डाल पाऊं। यह पूरी तरह से संवैधानिक और मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला है।

लोक सभा के किसी निर्वाचित संसद सदस्य की यदि ऐसी हालत है, तो मेरे माननीय साथी संसद सदस्य आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल और इसकी सरकार द्वारा किस तरह से आम आदमी के अधिकारों का दमन किया जा रहा है।

यद्यपि, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, तथापि केन्द्र सरकार नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के अपने उत्तरदायित्व से इंकार नहीं कर सकती। मुझे संरक्षण चाहिए।

हालिया पंचायत चुनावों के दौरान पश्चिम बंगाल में हुए व्यापक धृष्टतापूर्ण हमलों, धमकियों और हेराफेरी के कारण एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। पश्चिम बंगाल में हाल में हुए पंचायत चुनावों के दौरान मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में बडे़ पैमाने पर मीडिया रिपोर्टें आई हैं। हमारों उम्मीदवारों को उनके नामांकन पत्र भरने से रोका गया है। बहुत सी जगहों में, विपक्षी उम्मीदवारों को लोगों के बीच अपना चुनाव प्रचार करने से रोका गया जबकि बहुत सी जगहों में, लोगों को उनके बारे डालने से रोका गया।

महोदय, मैं संरक्षण की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सहरसा से फारबिसगंज वाया सुपौल आमान परिवर्तन का मामला बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है। इसमें वर्षो से काम चल रहा है लेकिन अभी तक सरकार के उदासीन रवैये के चलते इस पर काम नहीं हो रहा है। बजट में पैसे का प्रावधान नहीं किया जाता है जिसके कारण काम सुचारू रूप से नहीं होता है। राधोपुर से फारबिसगंज कनवर्शन के नाम पर दो साल पहले आवागमन बंद कर दिया गया, पटी का उखाड़ दिया गया लेकिन अभी तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है जिसका परिणाम यह है तिक मुसाफिरों को डबल या ट्रिपल पैसा देकर आवागमन करना पड़ता है। वहां बहुत पैसा लगाकर लोगों का सफर करना पड़ता है। पहले भी शून्यकाल के मार्फत और नियम 377 के तहत मैंने सरकार से मांग की है। क्योंकि यह नेपाल की सीमा से जाता है और आप जानते हैं कि चीन नेपाल के बार्डर तक अपनी रेल लाईन पहुंचाने का काम कर रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान देकर जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करवाए।

[अनुवाद]

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): महोदय, मैं इस स्थान से बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है, आप वहां से बोल सकते हैं।

श्री सतपाल महाराज: माननीय सभापति महोदय, मैं इस सभा का ध्यान एक प्रोटीन क्रान्ति शुरू करने के लिए क्विनोआ को भारत में लाए जाने की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं।

क्विनोआ को एक सुपर फूड के तौर पर जाना जाता है। इसमें प्रोटीन तत्व बहुत अधिक भाषा में होता है। क्विनोआ का पोषण मूल्यांकन दर्शाता है कि यह संपूर्ण प्रोटीन का स्रोत है। इसके अतिरिक्त, यह डाइटरी फाइबर और फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत है; इसमें मैग्नीशियम और आयरन उच्च मात्रा में है। क्विनोआ केल्शियम का भी एक स्रोत है। यह ग्लेटेन मुका है और इसे पचाने में आसान माना जाता है। क्विनोआ को लंबी अवधि की मानवीय अंतरिक्ष उड़ानों हेतु नासा के 'कन्ट्रोल्ड इकोलॉजिकल लाईफ सपोर्ट सिस्टम में एक संभावित फसल माना जा रहा है। इसमें गेहूं की अपेक्षा 1.5 गुना ज्यादा कैल्शियम है।

यह खनिज कई हड्डियों और दंत बनावट के कार्य में काम आता है और रासाय निकट तथा इलेक्ट्रिक उछीयन, कोशिका स्राव और रक्त जमाव के तंत्रिकापेशीय (न्यूरोमस्कुरल) संचरण को विलियमित करने में भूमिका निभाता है। इसे बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना और नागरिकों हेतु स्वस्थ जीवन शैली के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है।

मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2013 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 'किनोआवर्ष' घोखित किया गया है। संगठन ने पेरू की प्रथम महिला श्रीमती नाडाइन हेरेडिया को इसका ग्रांड अंबेस्डर बनाया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह एक प्रोटीन क्रांति की शुरूआत करने के लिए भारत में किनोआ के लिए एक नीति बनाए।

सभापति महोदयः धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर): महोदय, आपने मेरा करीम नगर क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। तेलंगाना एरिया में करीम नगर में सिरिसिला एरिया है, वहां पूरे राज्य में 60 हजार पावर लूम्स हैं, तो करीमनगर के सिरिसिला एरिया में 30 हजार पावर लूम्स हैं। मैंने प्रधानमंत्री से लेकर अन्य अधिकारियों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। इसलिए मैं सदन में मौजूद कैबिनेट मिनिस्टर श्री सलमान खुर्शीद जी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि यह मामला गंभीर है इसे नोट करके सरकार को भेजें। वर्ष 1997 के बाद से आज की तारीख तक हजार लोगों ने आत्महत्या की है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 400 लोगों से ज्यादा सिरिसिला में मरे हैं। यह मेरा क्षेत्र है, इसलिए मुझे बहुत दुख होता है। वे लोग पावरलूम का अपग्रेडेशन चाहते हैं। बहुत बार हमने रीप्रजेंटेशन दिया है, लेकिन कुछ नहीं होता है सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जाना चाहिए। हाल ही में हम प्राइममिनिस्टर से भी जाकर मिले, यूपीए चेयरपर्सन से मिले, एमओएस पनबाका लक्ष्मी जी से भी मिले, सब से मिले। मैं आपके माध्यम से हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य की आधा टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेर डिस्ट्रिक्ट में है और वहां के लोग खुदकुशी कर रहे हैं। मैं वहां की प्रजा का प्रतिनिधि हूं और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हो रहा हू। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर वहां अपग्रेडेशन करे। इससे वहां क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मेरी आपसे फिर एक बार विनती है कि सिरिसिला की टैक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाइए और वहां के लोगों की खुदकुशी को रोकिए वरना सिरिसिला के पूरे के पूरे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आपकी बात संज्ञान में आ गयी है और सरकार ने भी आपकी बात को संज्ञान में ले लिया है।

श्री पोन्नम प्रभाकरः वहां की कला बहुत अच्छी है। 15 अगस्त को मैचबॉक्स में शाल डालकर हमने यूपीए चेयरपर्सन को वहां का शाल प्रजेंट किया था। ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आपने अपनी बात कह दी है। धन्यवाद।

श्री आर, ध्रुवनारायण।

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर): महोदय, केन्द्र सरकार के विभागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों संबंधी एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

2008 में हुए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 75,522 बकाया रिक्तियां थी; 44,427 सीधी भर्ती कोटा और 31, 095 पदोन्नति कोठे के पद खाली पड़े थे। वर्ष 2008 में एक विशेष सीधी भती अभियान चलाया गया और उसे 31 मार्च, 2012 तक बढाया गया।

इस समय, 28.508 पर भरे गए हैं और अभी भी 15,835 पद खाली पड़े हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह चिन्हित बकाया रिक्तियों को मरने के लिए एक बड़ा और समयबद्ध भर्ती अभियान शुरू करे ताकि समाज के दलित वर्गों को सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके।

श्री पोन्नम प्रभाकर: महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अगर आप माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से अपने को संबद्ध करना चाहते हैं तो लिखकर दे दें।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण, श्री पोन्नम प्रभाकर, श्री के.पी. धनपालन और श्री सुरेश कुमार शेरकर को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप ने मेरे निवेदन को स्वीकार किया।

सभापति जी, इस सदन में इस सत्र में पहले भी बात उठ चुकी है और आज भी काफी आक्रोश में सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी है। गंगा-यमुना की बाढ़ ने 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तर भारत के मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम जिले इससे प्रभावित हुए हैं। इलाहाबाद में चालीस हजार मकान प्रभावित हुए हैं। अल्लाहपुर का जो बांध था वह भी टूट गया।

अभी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र कौशाम्बी गया था। मेरा क्षेत्र एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना के बीच का दोआब क्षेत्र है। माननीय सलमान खुर्शीद साहब जा चुके हैं। आप भी जानते हैं। वहां दोनों तरफ जलमग्न है। करीब दर्जनों गांवों में मैं खुद नाव से गया था। कहीं भी जाने का रास्ता नहीं है। वहां टापू पर लोग अपनी पक्के मकानों के छत्तों के ऊपर हैं। कच्चे मकान तो बह गए, ढह गए जिससे काफी संख्या में जान-माल का नुकसान हुआ।

पिपरहता गांव में छोटा-बड़ा, मल्हीपुर है, नंदा का पुरा है, चकदीन्हा है, केवटपूर्वा, मरूअल, पाली, हिशामबात, गढ़वा, कोसम, खिराज, इमाम के अलावा तमाम ऐसे गांव हैं जो यमुना से प्रभावित हैं। इसके अलावा गंगा नदी के बाढ़ से भी प्रभावित तमाम इलाके हैं जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन भारी संख्या में वहां जानवर बह गए हैं। रात में जानवर बंधे थे। बाढ़ आ गयी। जानवर बह गए। लोगों को जान-माल का काफी नुकसान है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि दैवी आपदा में तो सरकार राहत के रूप में आर्थिक पैकेज देती है लेकिन इस त्रासदी को देखते हुए, गंगा-यमुना का रौद्र रूप देखते हुए, मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक आर्थिक पैकेज दे ताकि जो लोग बेघर हुए हैं, उनके घर बन सके और लोगों को जान-माल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्हें इमदाद मिल सके।

सभापति महोदय: शैलेन्द्र जी, आप ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। लेकिन, आप अपने राज्य सरकार से कहिए कि वे इस संबंध में कोई मेमोरैण्डम भेजें।

श्री शैलेन्द्र कुमार: ठीक है। धन्यवाद।

सभापति महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय से श्री धनंजय सिंह स्वयं को सम्बद्ध करते हं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय सभापति जी, दिनांक 26 जुलाई के प्रमुख समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ था कि प्रधानमंत्री जी द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने प्रमुख परियोजनाओं की पूर्णता के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। जिन परियोजनाओं के लिए समय-सीमा तय की गयी है, उनमें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रैस हाईवे भी शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार इस एक्सप्रैस-वे का कार्य 15 मार्च, 2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

इसके पूर्व दिनांक 7 जुलाई, 2009 को मेरे द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 329 के जवाब में तत्कालीन माननीय मंत्री जी ने बताया था कि इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस उत्तर के दो वर्ष पश्चात पुन: दिनांक 08 अगस्त, 2014 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इस उत्तर के दो वर्ष पश्चात पुन: दिनांक 08 अगस्त, 2011 को मेरे द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 में माननीय मंत्री जी द्वारा बताया गया कि इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

महोदय, मंत्री जी से अवश्व पूछा जाना चाहिए कि उनका कौन-सा उत्तर सही है? अपने उत्तर के अनुसार कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए क्या माननीय मंत्री जी कोई कार्य-योजना भी बनाते हैं या गलत उत्तर देकर सदन तथा मेरे क्षेत्र की जनता को गुमराह करते हैं।

महोदय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की संकल्पना के अनुसार दिल्ली-मेरठ एक्सप्रैस हाईवे को बहुत पहले बन जाना चाहिए था। परन्तु विभिन्न आश्वासनों के बाद भी इस एक्सप्रैस-वे का निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है।

सभापति जी, जैसाकि मैंने उल्लेख किया है, इस कार्य को पूरा करने की दो समय-सीमाएं दिसम्बर, 2014 तक दिसम्बर, 2015 तो माननीय मंत्री जी द्वारा बतायी गयी हैं तथा एक तीसरी

समय-सीमा 31 मार्च, 2014 स्वयं प्रधानमंत्री जी के कार्यालय द्वारा घोषित की गयी है। मैं इस नयी समय-सीमा को केवल चुनावी घोषणा नहीं मान सकता क्योंकि वह स्वयं प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता का सवाल है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रैस हाईवे का कार्य तुरंत प्रारंभ किया जाए ताकि यह समय से पूरा हो सके।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब कटक: सभापति महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व का एक अति महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं और इस सभा में उपस्थित संसदीय कार्य मंत्री जी की कृपादृष्टि चाहता हूं। डॉ. नरेन्द्र दामोलकर ने अंधविश्वास और काले जादू के विरूद्ध लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वह तर्क को बढ़ावा दे रहे थे और यह चाहते थे कि समाज में वैज्ञानिक समझ विकसित हो। उनकी नृशंस हत्या से देश हिल गया है। वह अंधविश्वास और काले जादू का प्रतिबेष करने वाले कानून को बनाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे थे। तर्कवादी दामोलकर की गत वर्ष हत्या होने के तत्काल बाद पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेन से अज्ञात हत्यारों के बारे में कोई ठोस सुराग नहीं मिले हैं। इस सभा को कडे से कडे शब्दों में इस हत्या की निंदा करनी चाहिए और हत्यारों को शीघ्रातिशीघ्र दंद दिया जाना चाहिए।

श्री दामोलकर महाराष्ट्र में अंधविश्वास रोधी आंदोलन के प्रणेता थे। दामोलकर की हत्या के फलस्वरूप हुए उग्र प्रदर्शन ने महाराष्ट्र सरकार को उस अंधविश्वास रोधी कानून को लागू करने हेतु उघत किया जिसकी वह वर्षो से वकालत कर रहे थे। मैं सरकार और इस सभा से अंधविश्वास समाप्त करने संबंधी एक कानून बनाने का अनुरोध करता हूं।

हमारे देश में अभी भी ऐसी प्रथाएं चल रही हैं जो हमें प्राचीनकाल की याद दिलाती हैं। कभी कभार मानव बलि के समाचार भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। आज, महाराष्ट्र सरकार ने आनन-फानन में एक अध्यादेश जारी किया है किंतु मैं केन्द्र सरकार से आशयित कानून के सभी पहलुओं की जांच करने और तदनुसार कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। भगवान के सामने मानव बलि या पशुबलि को न केवल क्रूरता अपितु हत्या माना जाए। इसी प्रकार, बेहतर भविष्य के लिए रत्नों का प्रचार और उनका विज्ञापन भी और कुछ नहीं अपितु धोखाधड़ी है। विज्ञापन दाताओं, प्रकाशकों और प्रसारण कर्त्ताओं को भी दंडित किया जाना चाहिए। यह डॉ. दामोलकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

सभापति महोदय: प्रो. सौगत राय और एक कानून बनाने का अनुरोध करता हूं।

हमारे देश में अभी भी ऐसी प्रभाएं चल रही हैं हमें प्राचीनकाल की याद दिलाती हैं। कभी कभार मानव बलि के समाचार भी प्रकाशित किए जा रहे हैं। आज, महाराष्ट्र सरकार ने आनन-फानन में एक अध्यादेश जारी किया है किंतु मैं केन्द्र सरकार से आशयित कानून के सभी पहलुओं की जांच करने और तदनुसार कदम उठाने का अनुरोध करता हूं। भगवान के सामने मानव बलि या पशु बलि को न केवल क्रूरता अपितु हत्या माना जाए। इसी प्रकार, बेहतर भविष्य के लिए रत्नों का प्रचार और उनका विज्ञापन भी और कुछ नहीं अपितु धोखाधड़ी है। विज्ञापनदाताओं, प्रकाशकों और प्रसारण कर्त्ताओं को भी दंडित किया जाना चाहिए। यह डॉ. दामोलकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

सभापति महोदय: प्रो. सौगत राय और श्री राजेन्द्र अग्रवाल को श्री मर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए मुद्दे से स्वयं को संबद्ध करने की अनुमति की जाती है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैंने 'शून्य काल' के दौरान पश्चिम बंगाल के समक्ष उत्पन्न एक बड़ी समस्या को उजागर करने हेतु इतनी देर तक सभा में रहने का कष्ट उठाया है। महोदय, आप जानते हैं कि गंगा नदी माल्दा जिले की सीमा पर स्थित राजमहल से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तत्पश्चात् यह फरक्का बैराज पर आती है। फरक्का बैराज के बाद यह नदी दो भागों में बंट जाती है। एक नदी पद्मा के रूप में बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी भागीरथी के रूप में कलकत्ता की ओर आती है। फरकका बैराज को कलकत्ता बंदरगाह को पर्याप्त पानी मुहैया कराने के लिए बनाया गया था किंतु दुर्भाग्यवश बांग्लादेश से हुए एक करार के कारया बंदरगाह को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है। किंतु मैं इस समस्या के बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

1975 में बैराज बनाए जाने से फरक्का बैराज के अपस्ट्रीय और डाउनस्ट्रीम, दोनों में भू-अपरदन की समस्या को बढ़ावा मिला। गांव लुप्त हो रहे हैं और नदियों के दोनों किनारे टूट रहे हैं। वास्तव में, अरवेरी गंज के नजदीक मुर्शिदाबाद में सीमा सुरक्षा बल की एक पोस्ट के वह जाने का खतरा है और भूतनी दियरा समेत कई गांवों के डूबने या बह जाने का खतरा बना हुआ है। फरक्का बैराज के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के इस 40 किलोमीटर हिस्से की देखभाल जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला परक्का बांध प्राधिकरण को करनी है। हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उनसे गंगा और पदमा नदियों पर तटबंध बनाने हेतु पर्याप्त धनराशि देने का अनुरोध किया गया था। किंतु, दुर्भाग्यवश, यद्यपि पत्र लिखे कई माह हो गए हैं, इस पर कोई

भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री का वक्तव्य देखा है। उन्होंने कहा है कि यदि धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है तो वह दिल्ली में धरने पर बैठेंगे। स्थिति गंभीर है। कम से कम 10,000 से 12,000 ग्रामीण प्रभावित होंगे। यदि सीमा सुरक्षा बल की पोस्ट को नुकसान पहुंचता है तो बांग्लादेश की सीमा से लगे होने के कारण हमारी सुरक्षा भी प्रभावित होगी।

मैं, आपके माध्यम से, जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्र सरकार से गंगा और पदमा नदी में भू-अपरदन को रोकने हेतु कदम उठाने की अपील करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति जी, आज देश में बुनकरों की जो स्थिति है, वह किसी से छुपी नहीं है। किसी समय में देश की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता था, परन्तु सरकार के उदासीन रवैये ने बुनकरों की आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया है, जिस कारण ये सामाजिक रूप से भी अलग-थलग पड़ गये हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में भारी संख्या में बुनकर परिवार हैं, परन्तु कच्चा माल न मिल पाने एवं उसके महंगे होने के कारण उन्हें अपना रोजगार करने में आज काफी दिक्कत महसूस हो रही है। आज की तारीख में उनमें से अधिकांश परिवार बेरोजगार होने के कारण अपने परिवारों का लालन-पालन करने में असमर्थ तथा उनके बच्चों की शिक्षा-दीक्षा एवं अन्य विकास कार्य समुचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने उनक लिए अनेकों योजनाएं बना रखी हैं और समय-समय पर उनका कर्जा भी माफ किया है, परन्तु इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए बेहतर होगा कि उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए, जैसे कि मनरेगा योजना के तहत बुनकरों को भी जोड़कर, रोजगार मुहैया कराया जा सकता है, जिससे इन्हें कम से कम 100 दिनों का रोजगार तो मिल सकेगा।

सभापति महोदय: आपकी बात आ गई है।

श्रीमती रमा देवी: मुझे लगता है कि सरकार के इस कदम से बदहाल बुनकर समाज को काफी लाभ मिलेगा तथा साथ ही साथ मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना की भी सार्थकता बढ़ेगी।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि देश के बुनकरों की बदहाली एवं उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन्हें भी मनरेगा योजना से जोड़कर रोजगार मुहैया कराया जाये।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य अतिवृष्टि के कारण कुदरत के कहर से जूझ रहा है। जून माह में खरीफ की फसल की बोनी के बाद प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में भारी बाढ़ के हालात बनने व अतिवृष्टि से लगभग पूरे प्रदेश में खरीफ की फसलें नष्ट हो गई हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में भी अतिवृष्टि के चलते खरीफ का सम्पूर्ण रक्बा नष्ट हो चुका है व शत-प्रतिशत नुकसान के हालात बन चुके हैं।

किसानों का दर्द यह है कि प्रकृति के बिगड़ते संतुलन से गत रबी सीजन में भी ओले-पाले से फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ था, जिसका वाजिब मुआवजा वितरित करने में भी ओले पाले से फसलों को बहुत भारी नुकसान था, उतना मुआवजा नहीं दिया गया हैं मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ की हकीकत यह है कि 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान जिन किसानों का हुआ, मात्र उनको ही मुआवजा दिया गया है, जिसमें भी पक्षपात व मनमानी हुई है, जिसके कारण हजारों किसान उचित मुआवजे से वंचित रह गये हैं।

प्रकृति के अतिवृष्टि के रूप में इस कहर के समय राज्य सरकार का यह परम कर्तव्य बनता है कि संसदीय क्षेत्र राजगढ़ सहित पूरे प्रदेश में तत्काल सर्वे करवाये और शीघ्र मुआवजा वितरित करे। साथ ही साथ खरीफ के लिए दिया गया सम्पूर्ण ऋण माफ करें, बिजली के बिलों का भुगतान राज्य सरकार करे तथा राजस्व सहित किसी भी प्रकार की वसूली भी आगामी एक वर्ष तक स्थगित रखी जाये।

अंत में एक महत्वपूर्ण अनुरोध यह हे कि प्रभावित किसानों के भरण-पोषण के लिए अनाज की व्यवस्था भी करे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे अपने विषय को उठाने के बाद भी सदन में बने रहें।

[अनुवाद]

***श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार** (बलूरघाट): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री का ध्यान आत्यधिक लोक महत्व के मामले की ओर आकर्षित करता हूं। आपको पता है कि असम में बड़ी संख्या में बंगाली बोलने वाले लोग हैं। बंगाली बहुत वर्षों से वहां रह रहे हैं; विभाजन से पूर्व भी वे वहां पर थे। इसलिए असम के स्कूलों में असमिया भाषा के साथ बंगाली भाषा भी शिक्षा का माध्यम थी। 1960 में असम सरकार द्वारा असमिया भाषा की मान्यता को मान्यता के लिए संघर्ष कर रही है। 19 मई 1961 को भाषा के इस संघर्ष ने सिल्वर की बराक घाटी में बड़ा मोड़ ले लिया। असम पुलिस ने आंदोलनकारियों

*बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

पर गोली चलाई जिससे 11 लोगों की मृत्यु हो गई। 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान यह भाषा आंदोलन बंद हो गया। उस समय बंगाली बोलने वाले लोगों ने मांग की थी कि सिल्चर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भाषा शहीद स्टेशन कर देना चाहिए। दलगत भावना से ऊपर उठकर लोक सभा और विधानसभा के माननीय सदस्यों, मंत्रियों और असम के लोगों ने एक स्वर से यह मांग दोहराई थी। असम के माननीय मुख्य मंत्री, श्री तरुण गोगोई ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया है परन्तु अभी तक यह मांग पूरी नहीं हुई है। मैंने अपनी शिक्षा असम से पूरी की है और मुझे राज्य की बंगाली आबादी की भावनाओं की पूर्ण जानकारी है। इस प्रकार मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि सिल्चर स्टेशन का नाम बदलकर 'भाषा शहीद स्टेशन' करके भाषा शहीदों को उचित श्रद्धांजलि दें।

[हिन्दी]

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री सलमान खुर्शीद साहब भी सदन में उपस्थित हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति जी, निश्चित रूप से आप भी इस समस्या से ग्रसित होंगे। भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना एनआरएचएम देश में चल रही है। एनआरएचएम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य था कि हम रूरल एरियाज में हेल्थ को बेहतर करें, लेकिन जो उद्देश्य था उससे इतर हम देखते हैं कि हम केवल निर्माण की प्रक्रिया में ही रह गए हैं। आज जितने भी रूरल एरियाज में हास्पिटल्स हैं, सीएचसीज हैं, हम अगर देश भर में देखें तो लगभग 4500 के आसपास सीएचजीज बनी हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स और सब डिविजनल हास्पिटल्स की भी संख्या लगभग 1570 के आसपास है। हम देखते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स हैं, वे जिन सुविधाओं से लैस होने चाहिए, वे नहीं है। एनआरएचएम का पैसा अननेसेसरी बर्बाद हो रहा है। हम इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़े करते जा रहे हैं, लेकिन जो सुविधायें अस्पतालाओं में मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल पा रही हैं।

आप डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल फरूखाबाद को देख लीजिए, बस्ती को देख लीजिए, तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स हैं, जाहं सिटी स्कैन की सुविधा नहीं है, एमआरआई की सुविधा नहीं है एवं बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स हैं जहां अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से गरीब आदमी, जो गांव, देहात का आदमी है, उसको पैथॉलाजी में जो टेस्ट कराने होते हैं, उसे बहुत महंगाई का सामना करना पड़ता है और तरह-तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है।

मेरा आपसे आग्रह है कि जो एनआरएचएम का जो पैसा है, आपके माध्यम से सरकार को एक जरूर निर्देश जाए, जिससे इन अस्पतालों में, डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स में कम से कम ऐसी सुविधायें प्रदान की जाएं। इसके साथ-साथ सीएचजीज में कम से कम एक्स-रे मशीनों की व्यवस्था जरूर करायी जाए, ताकि ग्रामीण आदमी एक्स-रे कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल न आए। अभी सीएचजीज में ऐसी सुविधायें नहीं हैं।

इसके साथ-साथ आप इसमें कुछ इंप्लायमेंट भी जेनरेट करेंगे। देश में बहुत बड़ी तादाद में टेक्नेशियंस एक्स-रे के हैं, अल्ट्रासाउंड के हैं, तमाम ऐसे टेक्नेशियंस बेरोजगार बैठे हैं, उनको भी काम मिलेगा।

सभापति महोदय: आपका विषय महत्वपूर्ण है और समय आ गया है।

श्री धनंजय सिंह: सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि जरूर सरकार को आप पीठ से निर्देशित करेंगे।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं। मैं आप के माध्यम से इस सदन का और भारत सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि देश के बड़े भू-भाग में आज एक तरफ बाढ़ की स्थिति है, तो दूसरी तरफ मेरे राज्य बिहार में सूखे की भी स्थिति है। आप जानते हैं, बिहार एक ऐसा राज्य है, जिसमें कृषि के सिवा अब कुछ बचा नहीं है। वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर करती है। बिहार में 38 जिले हैं, जिनमें से कोई जिला ऐसा नहीं है, जो यह तो बाढ़ की चपेट में न हो, या सूखे की चपेट में न हो। वैसे राज्य सरकार ने अपनी तरफ से सुखते हुए फसलों को बचाने के लिए उनकी सिंचाई के लिए किसानों को एक राहत दी है, तीन-तीन बार डीजल के लिए अनुदान दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिले सूखे की चपेट में हैं, उनमें खरीफ फसल लगी ही नहीं है, दस प्रतिशत से ज्यादा धान की रोपनी नहीं हुई है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय का एक टीम भेजे, बाढ़ और सुखाड़ दोनों स्थितियों का सर्वे कराए और किसानों को एक फौरी राहत दे। मैं एक स्थायी उपाय की भी मांग करूंगा। मं फौरी राहत यह चाहता हूं कि किसानों को जो ऋण खाद, बीज और कृषि उपकरण पर दिया गया है, उनकी पूरी माफी हो। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपकी बात आ गई।

श्री सुशील कुमार सिंह: अभी मेरी पूरी बात नहीं आई है। मैं बस एक मिनट का समय चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया आप एक साथ कई विषयों का समावेश नहीं करें।

श्री सुशील कुमार सिंहः बिहार प्रदेश में कोटे के अनुसार और जो लक्ष्य हैं, बैंकों ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनक अनुसार किसानों को केसीसी नहीं मिला, तो इस मौके पर उनकी केसीसी के माध्यम से ऋण मिले। दूसरा, मैं स्थायी निराकरण चाहता हूं।

महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बिहार प्रदेश ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों से, अन्य राज्यों से, जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के पास जो प्रसताव आए हैं, वे आरआरआर और एआईबीपी के तहत छोटे-छोटे चेक डैम, आहर, पैइन और पोखरों क निर्माण के लिए यहां लंबित हैं। ये तो स्थायी उपाय हैं जो भारत सरकार के पास लंबित हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः आप के सभी विषय आ गए। कृपया आप आपनी बात समाप्त करें।

श्री सुशील कुमार सिंहः मैं केवल आधा मिनट का समय और चाहूंगा। दोनों, अस्थायी उपाय ऋण माफी और कसीसी के हैं और जो स्थायी उपाय हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः कृपया आप रिपीट न करें।

श्री सुशील कुमार सिंहः मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं आपके माध्यम से यही मांग भारत सरकार से करता हूं कि सूखे की स्थिति का आकलन करा कर, फौरी राहत जल्द से जल्द बिहार के किसानों को दें।

धन्यवाद।

सभापति महोदयः माननीय सुशील जी आप अवगत हैं कि तब तक भारत सरकार खुद टीम नहीं भेजेगी, जब तक राज्य सरकार उनको मेमोरेंडम भेज कर अप्रोच नहीं करेगी। कृपया आप राज्य सरकार को लिखें।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, कृपया मुझे यहां से बोलने की अनुमति दीजिए।

सभापति महोदयः आपको वहां से बोलने की अनुमति दी जाती है।

श्री वीरेन्द्र कश्यपः केन्द्र सरकार द्वारा उन गरीब लोगों को एक मकान बना कर दिए जाने की योजना काफी समय से दी जा रही ह जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व एक्स सर्विसमैन की विधवाओं को विशेष कर इसके अंतर्गत लाया गया है। योजना का नाम इंदिरा आवास योजना है। यह 1996 से चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बसने वालों के लिए यह योजना सरकार की सहायता से चलाई जा रही है, नार्थ ईस्ट राज्यों को 90:10 व अन्य राज्यों को 75:25 के अनुपात से। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सहायता से अब 70 हजार रुपए मैदानी क्षेत्र में, व 75 हजार पहाड़ी राज्यों के लिए आबंटित किये जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और एक छोटा-सा कमरा जो पक्का हो, इस वित्तीय सहायता से बनाना कठिन है। 1996 जब से यह योजना बनाई गई है, इसका आकलन किया जाए तो पता चलेगा कि उनमें से अधिकांश मकान टूट चुके हैं।

इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि इस स्कीम के अंतर्गत जो भी मकान बनाए जाएं या तो उन्हें सरकार के द्वारा ही बनाया जाए या फिर उसकी राशि को दोगुना किया जाए ताकि वह महान पक्का व टिकाऊ बन सके। इसमें पहाड़ी राज्यों व हार्ड एरियाज में बनने वाले मकानों को 25 परसेंट अतिरिक्त राशि का प्रावधान करे और सभी मकानों में बिजली, पानी, शौच आदि की सुविधा उपलब्ध सरकार सुनिश्चित करे। यह मेरी मांग है। आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री सुभाष बापूराव वानखेडे (हिंगोली): सभापति जी, महाराष्ट्र में जून से लेकर आज तक कई जिलों में सुबह-शाम लगातार वर्षा हो रही है। आज महाराष्ट्र के सीएम दिल्ली आए थे और मेरे ख्याल से प्रधान मंत्री महोदय से उनकी मुलाकात भी हुई। मेरा संसदीय चुनाव क्षेत्र तीन जिलों से लगा हुआ है-हिंगोली, नान्देड़ और यवतमाल। मैं कहना चाहता हूं कि वर्षा से कई गांव डूब गए हैं। गोदावरी नदी, पेन गंगा, पूर्णा, पूस नदी, 99 प्रतिशत डैम भर गए हैं। कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कई लोग बेघर हो गए हैं। कई गांवों का सम्पर्क टूट गया है। सड़कें नष्ट हो गई हैं। किसानों की सारी फसल नष्ट हो गई है, जिसके कारण आज वे परेशानी में हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करता हूं कि केन्द्र सरकार यहां से अधिकारियों की एक टीम मेरे हिंगोली चुनाव क्षेत्र में भज दे। वह नान्देह, हिंगोली और यवतमाल की स्थिति का आकलन कर ले। इस संबंध में केन्द्र सरकार जितनी मदद कर सकती है, उतनी करे।

सभापति महोदयः सुभाष जी, आप अवगत होंगे कि आज माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार से उन्हें ज्ञापन प्राप्त हो गया है और वे शीघ्र ही भारत सरकार की एक टीम महाराष्ट्र में भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री सुभाष बापूराव वानखेडेः किसानों की पूरी फसल नष्ट हो गई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः उसे टीम असैस करेगी। आपकी बात आ गई है। धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

श्री सुभाष बापूराव वानखेडेः आधा एकड़, एक एकड़ के आठ सौ रुपये, हजार रुपये की मदद राज्य सरकार दे दही है। ...*(व्यवधान)* किसानों का लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः उसका एक पैरामीटर है। अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल का नुकसान होगा तो आपको पूरा मुआवजा मिलेगा अन्यथा उसका एक रेट है और वह मिलेगा।

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अंडरटेकिंग कम्पनी है। वहां की दो समस्याएं हैं। वहां के जिन इम्प्लाइज ने पन्द्रह साल पहले वीआरएस ली थी, क्योंकि माइन्स क्लोजर हुई थी, वे अपने वेज एरियर्स के लिए पिछले पन्द्रह सालों से लड़ रहे हैं। वे लोग हजारों की संख्या में हैं। उनमें से काफी लोग बीमारी, गरीबी के चलते मर गए हैं। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के इस केस को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लटका र रखा हुआ है और वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि धीरे-धीरे सब लोग मर जाएं जिससे किसी तरह का कोई कम्पैनसेशन देने की आवश्यकता न हो। अफसोस की बात है कि जिस समय वेज सैटलमेंट हुआ था, उस समय हिन्दुस्तान कॉपर लॉस मेकिंग कम्पनी थी। अब वह काफी नफे में है। पिछले साल उसे 250 करोड़ के आसपास नफा हुआ। हमने काफी बार अनुरोध किया था, पिटीशन दिया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि एचसीएल इस मामले का समाधान करे। एचसीएल के एक्स एम्प्लाइज के बच्चे भी उसी पीएसयू में पिछले पन्द्रह सालों से कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर पीएसयू ही कांट्रैक्ट लेबर्स और बाकी सारे नियमों को तोड़ेगी तो अफसोस की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार को यह मैसेज दिया जाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदयः बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है।

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में अति पिछले वर्ग में सूचीबद्ध कुछ जातियों की ओर दिलाना चाहता हूं, जिनकी आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक स्थिति दलितों से भी बदतर है। अति पिछड़े वर्ग में आने वाली राजभर, निषाद, बिंद, मल्लाह और प्रजापति सहित कुल 17 जातियां शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन जातियों को चिह्नित कर अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार को दूसरी बार प्रस्ताव भेजा है जो काफी समय से केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है। अतः आपके माध्यम से हमारी मांग है कि केन्द्र सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करवाकर उपरोक्त जातियों को जल्द से जल्द अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए कदम उठाए ताकि उपरोक्त अति पिछड़ी जातियां प्रगति कर सकें।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि मौजूदा स्थिति में अनुसूचित जातियों की संख्या काफी बढ़ी है। इसलिए उनके लिए 21 प्रतिशत रिजर्वेशन का जो नियम बनाया गया है, उसे बढ़ाकर कम से कम 25 प्रतिशत किया जाना चाहिए। मेरी आसन ने यह मांग है।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के आदरणीय सलमान खुर्शीद साहब, जो कानून मंत्री भी रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब मैं वर्ष 1996 में घाटमपुर से विधायक था, उस समय कानपुर देहात में यह तहसील थी, वैल्लोर तहसील भी कानपुर देहात में थी। मेरे द्वारा वर्ष 1997 में इन दोनों तहसीलों को भौगोलिक दृष्टि से सही, सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए कानपुर नगर में जोड़ने का काम किया गया था। किन्तु कानपुर नगर में कानपुर देहात का भी जूरिसडिक्शन था। प्रशासनिक तौर पर आज भी घाटमपुर और वैल्लोर तहसीलें कानपुर नगर से जुड़ी हुई हैं। विगत पिछले माह कानपुर देहात में न्यायिक जूरिसडिक्शन ट्रांसफर हो गया है। इन दोनों तहसीलों की दूरी 100-120 किलोमीटर के लगभग है। बार एसोसिएशन, लायर्स एसोसिएशन और बाध्यकारी लम्बे समय से आंदोलनरत हैं। उनकी मांग है कि यह व्यावहारिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है कि वे प्रशासनिक तौर पर कानपुर नगर में रहें और न्यायिक दृष्टि से 120 किलोमीटर दूर जाएं। इससे आए दिन देर से पहुंचने के कारण बाध्यकारियों के खिलाफ बिना जमानती वारंट जारी किए जाते हैं। इसलिए लोगों में आक्रोश है। लायर्स बार और बाध्यकारी लोग आंदोलनरत हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने पिछले दिनों कानून मंत्री जी से लायर्स और बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल को मिलवाकर इन दोनों तहसीलों को व्यावहारिक दृष्टि से कानपुर नगर में न्यायिक तौर से जोड़ने की मांग की थी। किन्तु आज तक उसमें कोई कार्यवाही न होने के कारण बाध्यकारी और अधिवक्ता दोनों आंदोलनरत हैं।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से इस बारे में मांग करता हूं। एक तरफ सरकार चाहती है कि न्याय सस्ता हो, जल्दी हो, फास्ट ट्रैक में हो, तहसीलों में लोगों को न्याय मिले और दूसरी तरफ केवल छोटी सी त्रुटि के कारण 120 किलोमीटर दूर बाध्यकारियों, अधिकारियों का जाना व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। यदि वे एक दिन पहले खाना-पानी लेकर चलेंगे तभी दूसरे दिन तक पहुंच पाएंगे। ...*(व्यवधान)* लिहाजा मैं चाहता हूं कि वैल्लौर और घाटमपुर तहसीलें, जो प्रशासनिक तौर पर कानपुर नगर में सन्निहित हैं, उनका न्यायिक जूरिसडिक्शन भी कानपुर नगर में रखा जाए।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन. पीताम्बर कुरूप (कोल्लम): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उद्योगपतियों को दिया जाने वाला शुल्क प्रति अदायगी प्रोत्साहन में कटौती करने का सरकार का हाल का निर्णय देश में बादाम के निर्यातओं के लि बड़ा आघात है। यह भी पता चला है कि निर्यातकों को प्राप्त एक और महत्वपूर्ण अर्धत्याग को भी सरकार द्वारा शीघ्र ही वापस लिए जा रहा है।

रात्रि 8.00 बजे

हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क प्रति अदायगी वापस ली गई है। विशेष कृषि ग्राम उपज योजना (वीकेजीमूवाई) के अनुसार प्रोत्साहन। जोकि बादाम के उद्योगपतियों के लिए वरदान था वापस लेने की बात पता चली है। यह बादम निर्यात की कुल राशि का 6.12 प्रतिशत की जो बादाम निर्यातकों को दो प्रोत्साहनों के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में मिलती थी। शुल्क प्रति अदायगी वापस लेने का निर्णय देश में विशेष रूप से केरल राज्य में और विशेष रूप से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कोल्लम में बादाम उद्योग को बर्बाद कर देगा। इस क्षेत्र के असपास लगभग 2,50,000 लोग कार्य कर रहे हैं।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि निर्यात के अनुपात के अनुसार शुल्क प्रति अदायगी बहाल करें और शीघ्रातिशीघ्र बादाम उद्योग की संकट और विघटन से रक्षा करें। यह राज्य में लगभग 5 लाख महिलाओं के जीवन का प्रश्न है।

सभापति महोदय: सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थापित होती है।

रात्रि 8.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 29 अगस्त, 2013
7 भाद्रपद, 1935 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे
तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री रूद्रमाधव राय श्री पी. विश्वनाथन	241
2.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल श्री अशोक कुमार रावत	242
3.	श्री प्रदीप माझी श्री किसनभाई वी. पटेल	243
4.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ श्री संजय निरूपम	244
5.	श्री वरुण गांधी	245
6.	श्री अनंत कुमार	246
7.	श्री सुवेन्दु अधिकारी श्री सुशील कुमार सिंह	247
8.	श्री हरि मांझी श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	248
9.	श्री राजू शेट्टी	249
10.	श्री कीर्ति आजाद श्री सुरेश कलमाड़ी	250
11.	श्री समीर भुजबल श्री खगेन दास	251
12.	श्री नामा नागेश्वर राव	252
13.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	253
14.	शेख सैदुल हक	254
15.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी श्री आर. थामराईसेलवन	255
16.	योगी आदित्यनाथ श्री हंसराज गं. अहीर	256
17.	श्री मंगनी लाल मंडल	258
18.	श्री उदय नारायण सिंह श्री पी. लिंगम	259
19.	श्री रवनीत सिंह	260

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए.के.एस. विजयन	2797, 2929, 2956
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	2845, 2859, 2893, 2990
3.	श्री आधि शंकर	2849
4.	श्री आनंदराव अडसुल	2845, 2859, 2893, 2990
5.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2847
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	2765, 2919
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	2808, 2828, 2867, 2922
8.	श्री बदरुद्दीन अजमल	2909
9.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	2858, 2902, 2920
10.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	2932
11.	श्री घनश्याम अनुरागी	2843, 2873, 2920
12.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	2891
13.	श्री कीर्ति आजाद	2925
14.	श्री गजानन ध. बाबर	2845, 2859, 2893, 2990
15.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	2807, 2929, 2963
16.	श्री खिलाड़ी लाल बैरवा	2793, 2867, 2953
17.	श्री रमेश बैस	2881, 2887

1	2	3
18.	श्री थांगसो बाइते	2887
19.	श्री कामेश्वर बैठा	2874
20.	डॉ. बलीराम	2817, 2871, 2987
21.	श्री पवन कुमार बंसल	2886
22.	डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	2918
23.	श्री पुलीन बिहारी बासके	2920
24.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	2914
25.	श्री सुदर्शन भारत	2858, 2927
26.	श्री ताराचन्द्र भगोरा	2770, 2832, 2887
27.	श्री शिवराज भैया	2904
28.	श्री संजय भोई	2864, 2878
29.	श्री समीर भुजबल	2982
30.	श्री कुलदीप बिश्नोई	2804, 2979
31.	श्री हेमानंद बिसवाल	2848
32.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	2875
33.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2841, 2867, 2929
34.	श्री सी. शिवासामी	2863
35.	श्री हरीश चौधरी	2801, 2824, 2846, 2858, 2924
36.	श्री अरविन्द कुमार चौधरी	2914
37.	श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	2867, 2918, 2985
38.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	2979
39.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	2843
40.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	2866
41.	श्री भूदेव चौधरी	2854, 2919
42.	श्री निखिल कुमार चौधरी	2818, 2914, 2981
43.	श्रीमती श्रुति चौधरी	2772, 2859
44.	श्री भक्त चरण दास	2896
45.	श्री गुरुदास दासगुप्त	2926, 2927
46.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	2907, 2982
47.	श्री रमेन डेका	2825, 2919, 2969
48.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	2903, 2919
49.	श्रीमती अश्वमेध देवी	2837, 2973
50.	श्रीमती रमा देवी	2780, 2848
51.	श्री संजय धोत्रे	2821, 2887
52.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2868, 2922, 2979, 2982
53.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	2773
54.	श्री चार्ल्स डिएस	2865, 2982
55.	श्री निशिकांत दुबे	2852, 2925
56.	श्रीमती प्रिया दत्त	2855
57.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	2783, 2858, 2965
58.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	2821, 2864, 2866, 2878
59.	श्रीमती मेनका संजय गांधी	2910
60.	श्री वरुण गांधी	2971, 2979
61.	श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	2810, 2831
62.	श्री ए. गणेशमूर्ति	2864
63.	श्री राजेन गोहैन	2804, 2885
64.	श्री शिवराम गौड़ा	2858, 2915, 2931
65.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	2784, 2950
66.	डॉ. सुचारू रंजन हल्दर	2912
67.	शेख सैदुल हक	2920, 2986
68.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	2984
69.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	2836, 2858, 2929
70.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	2795, 2858, 2923, 2924, 2975

1	2	3
71.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	2979
72.	डॉ. संजय जायसवाल	2916
73.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	2884
74.	श्री बद्रीराम जाखड़	2763, 2928, 2962
75.	श्रीमती दर्शना जरदोश	2815
76.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	2761
77.	श्री हरिभाऊ जावले	2774, 2851, 2927
78.	श्री महेश जोशी	2771, 2844
79.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	2860
80.	श्री प्रहलाद जोशी	2848
81.	श्री पी. करुणाकरन	2769, 2858, 2877, 2944
82.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2790, 2954
83.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	2814
84.	श्री राम सिंह कस्वां	2880
85.	श्री नलिन कुमार कटील	2870
86.	श्री रमेश विश्वनाथ काट्टी	2867
87.	श्री चंद्रकांत खैरे	2792, 2854, 2923
88.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	2908
89.	श्री कमल किशोर 'कमांडो'	2828
90.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	2867, 2979
91.	श्री अजय कुमार	2889, 2981
92.	श्री पी. कुमार	2864, 2887
93.	श्रीमती पुतुल कुमारी	2914
94.	श्री एन. पीताम्बर कुरुप	2775, 2866
95.	श्री यशवंत लागुरी	2897, 2901, 2934
96.	श्री पी. लिंगम	2926, 2927
97.	श्री एम. कृष्णास्वामी	2805, 2868, 2982
98.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	2858, 2904, 2921, 2948
99.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	2781, 2933
100.	श्री सतपाल महाराज	2839
101.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	2812
102.	श्री नरहरि महतो	2922
103.	श्री भर्तृहरि महताब	2821, 2887
104.	श्री प्रदीप माझी	2843, 2938, 2978, 2984
105.	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	2868, 2883
106.	श्री मंगनी लाल मंडल	2988
107.	श्री जोस के. मणि	2803, 2858, 2960
108.	श्री हरि मांझी	2887
109.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	2814, 2933
110.	श्री भरत राम मेघवाल	2793, 2867, 2953
111.	डॉ. थोकचोम मैन्या	2829
112.	श्री महाबल मिश्रा	2850
113.	श्री सोमेन मित्रा	2877
114.	श्री पी.सी. मोहन	2841, 2929, 2981
115.	श्री अभिजीत मुखर्जी	2833
116.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2867, 2915, 2979
117.	श्री विलास मुत्तेमवार	2826
118.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	2779, 2869, 2925, 2947
119.	श्री श्रीपाद येसो नाईक	2774
120.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	2861
121.	श्री नामा नागेश्वर राव	2983
122.	श्री नरेनभाई काधदिया	2876
123.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	2895, 2968
124.	श्री ओ.एस. मणियन	2921

1	2	3
125.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	2762, 2915, 2936, 2952
126.	श्री पी.आर. नटराजन	2811, 2925, 2931, 2964
127.	श्री जगदम्बिका पाल	2984
128.	श्री वैजयंत पांडा	2816
129.	श्री प्रबोध पांडा	2798, 2912
130.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	2819
131.	कुमारी सरोज पाण्डेय	2920
132.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	2821, 2864, 2866, 2878
133.	श्री देवराज सिंह पटेल	2923, 2976
134.	श्री देवजी एम. पटेल	2802, 2874, 2959
135.	श्री बाल कुमार पटेल	2894
136.	श्री किसनभाई वी. पटेल	2938, 2978, 2984
137.	श्री लालूभाई वी. पटेल	2765, 2774
138.	श्री हरिन पाठक	2834, 2858, 2929
139.	श्री संजय दिना पाटील	2861
140.	श्री ए.टी. नाना पाटील	2765, 2774, 2814, 2818, 2957
141.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	2821, 2864, 2866, 2878
142.	श्रीमती कमला देवी पटले	2781
143.	श्री नित्यानंद प्रधान	2829, 2854, 2983, 2989
144.	श्री प्रेमचन्द्र गुड्डू	2855, 2923, 2976
145.	श्री प्रेमदास	2882
146.	श्री पन्ना लाल पुनिया	2820
147.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	2906
148.	श्री एम.के. राघवन	2973
149.	श्री अब्दुल रहमान	2786, 2920, 2936
150.	श्री रमाशंकर राजभर	2869, 2987
151.	श्री सी. राजेन्द्रन	2781, 2890, 2920, 2935
152.	श्री एम.बी. राजेश	2925, 2931
153.	श्री पूर्णमासी राम	2822, 2968
154.	प्रो. रामशंकर	2915
155.	श्री जगदीश सिंह राणा	2890, 2892
156.	श्री निलेश नारायण राणे	2777, 2946
157.	श्री रायापति सांबासिवा राव	2890, 2920
158.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	2853
159.	श्री रामसिंह राठवा	2809
160.	श्री अशोक कुमार रावत	2930, 2941
161.	श्री विष्णु पद राय	2821, 2964, 2966
162.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	2922
163.	प्रो. सौगत राय	2830, 2936, 2970
164.	श्री एस. अलागिरी	2858, 2901
165.	श्री एस. सेम्मलई	2857
166.	श्री एस. पक्कीरप्पा	2867, 2928
167.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2784, 2786
168.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	2794, 2915, 2925
169.	श्री तूफानी सरोज	2877, 2911, 2983
170.	श्री हमदुल्लाह सईद	2764, 2942, 2970
171.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	2768, 2933, 2955, 2968
172.	श्री एम.आई. शानवास	2879
173.	डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	2923
174.	श्री नीरज शेखर	2854, 2920, 2936
175.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	2788, 2859
176.	श्री राजू शेट्टी	2920, 2967
177.	श्री एंटो एंटोनी	2767, 2814, 2857, 2870, 2938
178.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल	2834, 2920, 2977
179.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	2843, 2859, 2872, 2873

1	2	3
180.	डॉ. भोला सिंह	2846
181.	श्री भूपेन्द्र सिंह	2858, 2918, 2919, 2930
182.	श्री गणेश सिंह	2898, 2913, 2979, 2984
183.	श्री इज्यराज सिंह	2925
184.	श्री जगदानंद सिंह	2917, 2920, 2925, 2979
185.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	2855, 2937
186.	श्री महाबली सिंह	2791, 2843, 2920
187.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	2854, 2856
188.	श्री राधा मोहन सिंह	2854
189.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	2813
190.	श्री राकेश सिंह	2836
191.	श्री रतन सिंह	2854, 2858, 2862, 2884, 2824
192.	श्री सुशील कुमार सिंह	2858, 2863
193.	श्री उदय सिंह	2943
194.	श्री यशवीर सिंह	2810, 2854, 2920, 2936
195.	श्री बृजभूषण शरण सिंह	2840, 2980
196.	श्री धनंजय सिंह	2805
197.	श्री प्रभुनाथ सिंह	2778, 2822
198.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	2860, 2932
199.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2846, 2857, 2858, 2862
200.	श्री उदय प्रताप सिंह	2841, 2846
201.	डॉ. संजय सिंह	2817, 2937
202.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	2859
203.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2929
204.	श्री मकनसिंह सोलंकी	2835, 2933, 2972, 2983
205.	श्री के. सुधाकरण	2888
206.	श्री ई.जी. सुगावनम	2766
207.	श्री के. सुगुमार	2842, 2985
208.	श्रीमती सुप्रिया सुले	2838
209.	श्री मानिक टैगोर	2762, 2915
210.	श्रीमती अन्नू टन्डन	2789, 2838, 2843, 2974
211.	श्री लालजी टन्डन	2898, 2984
212.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	2867, 2928
213.	श्री जगदीश ठाकोर	2799, 2868
214.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	2785, 2951
215.	श्री आर. थामराईसेलवन	2928, 2940
216.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	2787, 2846, 2858
217.	श्री पी.टी. थॉमस	2939
218.	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	2800, 2958
219.	श्री लक्ष्मण टुडु	2796, 2857, 2934
220.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	2897
221.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	2827, 2887
222.	श्री सज्जन वर्मा	2782, 2929, 2949
223.	श्री अद्गुरु एच. विश्वनाथ	2810, 2874
224.	श्री पी. विश्वनाथन	2867, 2931
225.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	2869, 2900
226.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	2780, 2801, 2858, 2901
227.	श्री धर्मेन्द्र यादव	2859, 2893, 2990
228.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	2860
229.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	2899
230.	श्री मधुसूदन यादव	2842
231.	श्री मधु गौड यास्खी	2845, 2938

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कृषि	: 241, 242, 246, 249, 251, 253, 257, 258, 259
रसायन और उर्वरक उपभोक्ता	: 245, 256
कोयला	: 247, 252
उपभाक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	: 243, 248
संस्कृति	:
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	:
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	: 250
गृह	: 244, 255
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	: 254, 260
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

कृषि	: 2768, 2769, 2772, 2776, 2777, 2779, 2784, 2787, 2791, 2794, 2795, 2799, 2802, 2809, 2811, 2812, 2814, 2815, 2821, 2835, 2840, 2843, 2847, 2849, 2851, 2865, 2867, 2868, 2869, 2870, 2873, 2874, 2880, 2881, 2883, 2885, 2888, 2893, 2899, 2900, 2904, 2911, 2913, 2914, 2922, 2973, 2939, 2940, 2942, 2944, 2945, 2950, 2951, 2953, 2958, 2959, 2963, 2979, 2983, 2987, 2988
रसायन और उर्वरक	: 2774, 2782, 2806, 2813, 2832, 2841, 2844, 2853, 2879, 2882, 2901, 2902, 2916, 2923, 2933, 2943, 2986
कोयला	: 2803, 2848, 2852, 2860, 2863, 2875, 2903, 2905, 2909, 2932, 2955, 2965, 2980
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	: 2765, 2767, 2771, 2783, 2786, 2793, 2796, 2798, 2807, 2828, 2856, 2857, 2858, 2859, 2862, 2872, 2884, 2890, 2898, 2912, 2920, 2924, 2927, 2928, 2934, 2935, 2936, 2947, 2948, 2949, 2971, 2975, 2977, 2981
संस्कृति	: 2763, 2770, 2775, 2789, 2792, 2796, 2880, 2808, 2813, 2816, 2854, 2855, 2910, 2818, 2968
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास	: 2877, 2969
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	: 2846, 2896, 2946, 2952, 2972, 2984
गृह	: 2762, 2764, 2766, 2778, 2780, 2781, 2785, 2817, 2818, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2829, 2830, 2833, 2834, 2836, 2837, 2838, 2839, 2842, 2845, 2850, 2861, 2864, 2866, 2871, 2876, 2878, 2887, 2891, 2892, 2894, 2895, 2897, 2906, 2908, 2915, 2917, 2919, 2921, 2926, 2929, 2930, 2960, 2961, 2964, 2966, 2973, 2974, 2976, 2978, 2985, 2989, 2990
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	: 2761, 2788, 2790, 2801, 2804, 2805, 2820, 2822, 2831, 2886, 2907, 2925, 2931, 2938, 2941, 2956, 2957, 2970, 2982
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	: 2773, 2810, 2889, 2954, 2962.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/35/14/2013 (एन.)
360

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।